ला, खंड 6, अंक 14

FOR REFERNCE ONLY.

सोमवार, 20 दिसम्बर, 2004
29 अग्रहायण, 1926 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

तीसरा सत्र
(चौदहवीं लोक सभा)

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. PB-025
Block 'G'
Acc. No. 57
Dated 21/9/05

(खंड 6 में अंक 11 से 17 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

आनन्द बी. कुलकर्णी
संयुक्त सचिव

किरण साहनी
प्रधान मुख्य सम्पादक

प्र.ना. भारद्वाज
मुख्य सम्पादक

वन्दना त्रिवेदी
वरिष्ठ सम्पादक

ललिता अरोड़ा
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

[चतुर्दश माला, खंड 6, तीसरा सत्र, 2004/1926 (शक)]

अंक 14, सोमवार, 20 दिसम्बर, 2004/29 अग्रहायण, 1926 (शक)

विषय	कॉलम
इस्लामी गणतंत्र पाकिस्तान से आए शिष्टमंडल का स्वागत	1
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 263 से 266	2-34
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 267 से 282	34-95
अतारांकित प्रश्न संख्या 2964 से 3193	95-420
सभा पटल पर रखे गए पत्र	420-429
राज्य सभा से संदेश	429-430
याचिका समिति	
पहले से चौथा प्रतिवेदन	430
मंत्री द्वारा वक्तव्य	
जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति के पहले प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	430-433
श्री प्रियरंजन दासमुंशी	430-432
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के आस्थगन के बारे में	433
सदस्यों द्वारा निवेदन	
जम्मू-कश्मीर के सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों, जिनकी भूमि पर रक्षा बलों द्वारा सुरक्षा संबंधी उपकरण लगाए गए हैं, को क्षतिपूर्ति दिए जाने की आवश्यकता के बारे में	443-444
अवलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	
सरकार की बैंकिंग नीति में परिवर्तन संबंधी सरकार की पहल से उत्पन्न स्थिति	463-474
श्री गुरूदास दासगुप्त	464-469
श्री पी. चिदम्बरम	469-474

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय		कॉलम
नियम 377 के अधीन मामले		474–484
(एक)	किसानों के फायदे के लिए गुजरात के साबरकंठा, जिले में हाईबैंक नहर का निर्माण किए जाने की आवश्यकता	
	श्री मधुसूदन मिस्त्री	475
(दो)	तमिलनाडु में ग्राम पंचायत अध्यक्षों को उनके क्षेत्र में विकास कार्यों को चलाने के लिए सीधे निधियां जारी किए जाने की आवश्यकता	
	श्री एस.के. खारवेनथन	475–476
(तीन)	राजस्थान के जयपुर डिवीजन के खैरथल रेलवे स्टेशन में रेल आरक्षण सुविधा का कम्प्यूटरीकरण कराए जाने की आवश्यकता	
	डा. करण सिंह यादव	476
(चार)	राजस्थान के दौसा और अन्य जिलों में गिरते हुए भूजल स्तर की रोकथाम के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता	
	श्री सचिन पायलट	477
(पांच)	इंदौर रेलवे स्टेशन के आसपास की भूमि का अर्जन करके स्टेशन का विस्तार किए जाने की आवश्यकता	
	श्रीमती सुमित्रा महाजन	477–478
(छह)	गुजरात सरकार को राज्य में जनजातीय क्षेत्रों के गांवों का पुनः सर्वेक्षण कराने के लिए केन्द्रीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता	
	श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर	478
(सात)	राजस्थान सरकार को राज्य में मेवाड़ काम्प्लेक्स परियोजना को पूरा करने के लिए शेष स्वीकृत राशि का उपयोग करने की अनुमति दिए जाने की आवश्यकता	
	श्रीमती किरण माहेश्वरी	478–479
(आठ)	उड़ीसा में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 215 को पानीकोइली से राजमुंडा तक चार लेन वाला बनाए जाने की आवश्यकता	
	श्री अनन्त नायक	479–480
(नौ)	केन्द्रीय विद्यालयों के बड़ी संख्या में प्रधानाचार्यों को पदावनत करने के निर्णय की पुनरीक्षा किए जाने की आवश्यकता	
	श्री पी. मोहन	480
(दस)	देश में गिरते हुए भूजल स्तर को रोकने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता	
	श्री शैलेन्द्र कुमार	480–481
(ग्यारह)	बिहार के बांका क्षेत्र में चंदन नदी के ऊपरी भाग में जलाशय का निर्माण किए जाने की आवश्यकता	
	श्री गिरिधारी यादव	481

विषय		कॉलम
(बारह)	उत्तर प्रदेश के फतेहपुर शहर में समुचित जल निकास प्रणाली के निर्माण के लिए धन उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता	
	श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद	481
(तेरह)	बिहार के सारन और सिवान जिलों में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत निष्पादित कार्य की जांच कराए जाने की आवश्यकता	
	श्री प्रभुनाथ सिंह	482
(चौदह)	शीतल पेय में कीटनाशक अवशिष्टों की उपस्थिति की समस्या का समाधान किए जाने की आवश्यकता	
	श्री ए.पी. वीरेन्द्र कुमार	482-83
(पन्द्रह)	मिजोरम में टूरियल जल विद्युत परियोजना पर कार्य पुनः आरम्भ करने के लिए "निपको" को आदेश दिए जाने की आवश्यकता	
	श्री वनलाल जावमा	483-484
अनुपूरक अनुदानों की मांगे (सामान्य) 2004-2005		484-550
	श्री अधीर चौधरी	484-487
	श्री सामिक लाहिरी	487-494
	श्री रामजीलाल सुमन	494-498
	श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु	498-504
	श्री मिलिन्द देवरा	504-511
	प्रो. महादेवराव शिवनकर	511-517
	श्री तथागत सत्पथी	517-521
	श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी	521-524
	श्री जसुभाई दानाभाई माहेश्वरी	525-527
	श्रीमती किरण माहेश्वरी	527-530
	श्री वरकला राधाकृष्णन	531-534
	श्री किन्जरपु येरननायडु	534-539
	श्री पी. चिदम्बरम	539-540
	श्री एस.के. खारवेनथन	541-543
	श्री हरिभाऊ राठौड़	544-546
	श्री ललित मोहन शुक्लवैद्य	546-549
अनुबंध-I		
तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका		551-552
अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका		552-560
अनुबंध-II		
तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका		561-562
अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका		561-562

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष
श्री सोमनाथ चटर्जी

उपाध्यक्ष
श्री चरणजीत सिंह अटवाल

सभापति तालिका
श्री पवन कुमार बंसल
श्री गिरिधर गमांग
श्रीमती सुमित्रा महाजन
श्री अजय माकन
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय
श्री बालासाहिब विखे पाटील
श्री वरकला राधाकृष्णन
श्री अर्जुन सेठी
ले. कर्नल (सेवानिवृत्त) मानवेन्द्र शाह
श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव

महासचिव
श्री गुरदीप चन्द मलहोत्रा

लोक सभा

सोमवार, 20 दिसम्बर, 2004/29 अग्रहायण, 1926 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन* हुए]

[अनुवाद]

इस्लामी गणतंत्र पाकिस्तान से आए शिष्टमंडल का स्वागत

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण, सबसे पहले मुझे एक घोषणा करनी है।

मैं अपनी ओर से तथा सभा के माननीय सदस्यगण की ओर से सम्मानित अतिथि के रूप में भारत की यात्रा पर आए इस्लामिक गणतंत्र पाकिस्तान की नेशनल असेम्बली के अध्यक्ष, महामहिम चौधरी अमीर हुसैन और ससंदीय शिष्टमंडल के सदस्यों का स्वागत करता हूं।

वे शनिवार, 18 दिसम्बर, 2004 को भारत पहुंचे। इस समय वे विशेष प्रकोष्ठ में बैठे हैं। हम कामना करते हैं कि हमारे देश में उनका प्रवास सुखद और लाभप्रद हो। हम उनके माध्यम से पाकिस्तान के राष्ट्रपति, वहां की संसद, सरकार और मित्र जनता को अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं।

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): महोदय, आपको बांगला में बोलना चाहिए था।

अध्यक्ष महोदय: वे पाकिस्तान से आए हैं, बांग्लादेश से नहीं।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): अध्यक्ष जी, मैंने आपको क्वश्चन आवर सस्पेंड करने का नोटिस दिया है। एक ऐसी घटना हुई है, जो भारत के इतिहास में पहली बार हुई कि एक केन्द्रीय मंत्री टी.वी. के सारे चैनल्स पर 100-100 रुपये के नोट बांटते हुए दिखाया गया है। बिहार में झुग्गी-झोंपड़ी में जाकर लालू प्रसाद जी ने ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मल्होत्रा जी, क्या मैं आपसे इसे प्रश्न काल के बाद उठाने का अनुरोध कर सकता हूं?

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: जी, हां, मैं क्वश्चन आवर के बाद रेज कर दूंगा। मैं सस्पेंशन इसलिए चाहता था कि उन्होंने यह कहा है कि मैं कोई घूस ले थोड़े ही रहा था, जैसे कि घूस देना कोई अपराध न हो। यह बहुत ही गम्भीर घटना है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप बोलिएगा। आपको क्वश्चन आवर के बाद पूरा मौका मिलेगा।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न काल के बाद, मैं आपको पूरा मौका दूंगा।

पूर्वाह्न 11.03 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

प्रत्यक्ष भुगतान प्रणाली

***263. श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को शिकायतें मिली हैं कि भारतीय खाद्य निगम खरीद के समय किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य देने में असफल रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश में भारतीय खाद्य निगम में प्रत्यक्ष भुगतान प्रणाली कार्यान्वित करने का निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकार द्वारा खरीद के समय किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) से (च) एक विवरण सभा पटल पर रखा जा रहा है।

विवरण

(क) और (ख) भारतीय खाद्य निगम के क्रय केन्द्रों पर किसानों द्वारा पेशकश किए गए खाद्यानों के उस समस्त स्टाक की पारदर्शी तरीके से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीददारी कर ली जाती है जो निर्धारित गुणवत्ता विनिर्दिष्टयों के अनुरूप होता है। इस संबंध में कभी-कभार प्राप्त होने वाली शिकायतें उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए राज्य सरकारों और भारतीय खाद्य निगम को भेज दी जाती हैं।

(ग) और (घ) जी, नहीं।

(ङ) देश में भारतीय खाद्य निगम के 216 डिपुओं में श्रमिकों की सीधे भुगतान की प्रणाली लागू है। भारतीय खाद्य निगम के शेष डिपुओं में विभागीय श्रमिक और ठेका श्रमिक सहित अन्य श्रमिक प्रणालियां लागू हैं।

(च) प्रत्येक विपणन मौसम शुरू होने से पहले राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को यह सुनिश्चित करने का परामर्श दिया जाता है कि सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों से उचित औसत किस्म के खाद्यान्नों की खरीदारी की जाए। भारतीय खाद्य निगम और राज्य सरकारों ने खाद्यान्नों की वसूली करने के लिए पर्याप्त संख्या में क्रय केन्द्र खोलने के लिए कार्रवाई की है। मूल्य समर्थन प्रचालनों की कड़ी मानीटरिंग करने के लिए खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग में स्थायी आधार पर एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। भारतीय खाद्य निगम के मुख्यालय और इसके क्षेत्रीय कार्यालयों में भी विशेष नियंत्रण कक्ष स्थापित किए जाते हैं। राज्य सरकारों को भी परामर्श दिया जाता है कि वे वसूली मौसम के दौरान नियंत्रण कक्ष स्थापित करें जो चौबीसों घंटे कार्य करें। उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्यों, क्रय केन्द्रों के स्थान और उन पर प्रदान की जाने वाली सुविधाओं के बारे में किसानों को सूचना देने के लिए मुद्रण और श्रव्य दृश्य मीडिया, ग्रामीण मेले, पंचायतों, कृषि विस्तार सेवा/कृषि विज्ञान केन्द्र आदि के माध्यम से व्यापक प्रचार करने का भी परामर्श दिया गया है।

श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार: महोदय, ऐसा समाचार है कि भारतीय खाद्य निगम के कई गोदामों में अनाज सड़ रहे हैं क्योंकि भंडारण की सुविधाएं अपर्याप्त हैं और उनके भंडारण का कोई वैज्ञानिक तरीका भी नहीं है और अधिकांश खाद्यान्न रख दिए जाते हैं और वे बर्बाद हो जाते हैं। क्या वर्ष 2003 और 2004 के बीच खाद्यान्न बर्बाद हुआ है? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस समस्या का निदान कर रही है कि सम्पूर्ण प्रणाली को कैसे वैज्ञानिक और त्रुटिरहित बनाया जाए।

श्री शरद पवार: महोदय, मुझे जवाब देने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन यह प्रश्न न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में है। यदि खाद्यान्नों के बर्बाद होने के संबंध में और अधिक जानकारी देनी है, तो मैं एक पृथक सूचना (नोटिस) प्राप्त होने के पश्चात् मुझे इसका उत्तर देने में खुशी होगी।

अध्यक्ष महोदय: आप प्रश्न से संबंधित दूसरा अनुपूरक प्रश्न पूछें।

श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार: माननीय मंत्री महोदय, ऐसा लगता है कि, मेकेन्जी एंड कंपनी द्वारा अध्ययन कराया जा रहा है, मुझे लगता है अभी भी इसकी प्रक्रिया जारी है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या भारतीय खाद्य निगम का निजीकरण करने की सरकार की कोई योजना है। दूसरा प्रश्न भुगतान प्रणाली से संबंधित है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या वर्तमान में 124 रुपए प्रतिदिन की दर से दी जा रही मजदूरी को बढ़ाने की सरकार की कोई योजना है। यह बहुत कम है।

केरल में 22 डिपो में से तीन डिपो-वेस्ट हिल, कोझीकोड जोकि सबसे पुराने डिपो में से एक है; चलाक्कुड़ी; और मवेलीकारा द्वारा सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं, लेकिन अभी तक डी.पी.एस. शुरु नहीं किया गया है। वह भुगतान प्रणाली वहां नहीं है। केरल उच्च न्यायालय सहित कई न्यायालयों ने आदेश दिया है कि ठेका श्रमिकों को नियमित कामगार की तरह समझा जाए और उन्हें सभी लाभ दिए जाने चाहिए। इस संदर्भ में, क्या सरकार देश में भारतीय खाद्य निगम के वेस्ट हिल, कोझीकोड चलाक्कुड़ी और मवेलीकारा डिपो तथा अन्य डिपो में भी उस भुगतान प्रणाली को शुरू करेगी?

श्री शरद पवार: महोदय, जहां तक मेकेन्जी एंड कंपनी का संबंध है, निजीकरण का कोई प्रस्ताव नहीं है, लेकिन मेकेन्जी एंड कंपनी को हमें भारतीय खाद्य निगम (एफ.सी.आई.) की सम्पूर्ण क्षमता को सुधारने हेतु सुझाव देने का काम सौंपा गया है।

जहां तक प्रत्यक्ष भुगतान प्रणाली के बारे में दूसरे प्रश्न का संबंध है, केरल राज्य में भारतीय खाद्य निगम के स्वामित्व वाले 22 डिपो हैं, जिनमें से 16 प्रत्यक्ष भुगतान प्रणाली के अंतर्गत काम कर रहे हैं।

वेस्ट हिल, कोझीकोड, चलाक्कुड़ी और मवेलीकारा डिपो के संबंध में एक मुद्दा है। यह सही है कि न्यायालय के कुछ निर्णय हैं, लेकिन हमने इस बारे में अभी-तक अंतिम रूप से विचार नहीं किया है क्योंकि 22,000 से अधिक कामगार पहले से ही व्यावहारिक रूप से बेकार हैं क्योंकि वे अतिरिक्त हैं। फिलहाल अतिरिक्त जिम्मेदारी उठाना बहुत कठिन है। लेकिन हम उस मुद्दे का समाधान करना चाहेंगे, और हम न्यायालय के निर्णय का सम्मान करना चाहेंगे।

श्री लक्ष्मण सिंह: महोदय, विश्व बैंक की अद्यतन रिपोर्ट के अनुसार, किसानों को अन्य फसलों को उगाने की अनुमति देने के क्रम में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) को हटा देना चाहिए जिसके परिणामस्वरूप भारत के खाद्यान्न उत्पादन में बढ़ोत्तरी हो ताकि हम विश्व व्यापार संगठन में प्रतिस्पर्धा कर सकें। क्या माननीय मंत्री विश्व बैंक की रिपोर्ट से सहमत है? क्या आप न्यूनतम समर्थन मूल्य को समाप्त कर रहे हैं या आप इसे जारी रखने जा रहे हैं?

श्री शरद पवार: महोदय, किसानों के हित के दृष्टिकोण से न्यूनतम समर्थन मूल्य बहुत ही महत्वपूर्ण है और किसी भी विकासशील देश के लिए इस तरह का सुझाव स्वीकार करना बहुत कठिन है क्योंकि निश्चित रूप से इससे किसानों के हित प्रभावित होगें। हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे।

[हिन्दी]

श्री अनिल बसु: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी का ऐबल और डायनोमिक लीडरशिप में इंडियन एग्रीक्लचर और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को एक नयी दिशा दिखायेंगे। मंत्री जी ने इस संबंध में आज तीन बजे मीटिंग भी बुलाई है लेकिन देश के फार्मर्स के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस एक स्वप्न ही है। हमारे पश्चिम बंगाल में एफसीआई द्वारा प्रोक्युरमैंट का काम लागू नहीं हुआ। मैंने भी इस बारे में बहुत कोशिश की, बातचीत भी की लेकिन पैडी का प्राइस कैश डाउन होता गया। आज पैडी का प्राइस 400 रुपये क्विंटल से नीचे गिर गया है। फिर भी एफसीआई में प्रोक्योरमैंट का काम लागू नहीं हुआ। हमारे सूबे में सैंट्रली स्पोंसर्ड स्कीम्स जैसे एसजीआरवाई, मिड डे मील और अंत्योदय अन्न योजना आदि में सब मिलाकर वहां लगभग 14 लाख टन राइस की जरूरत है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपका प्रश्न क्या है?

श्री अनिल बसु: वहां 14 लाख टन राइस पंजाब और हरियाणा से ट्रांसफर होता है। इससे काफी पैसा कन्ज्यूमर्स को देना पड़ता है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या स्टेट गवर्नमैंट प्रोक्योरमैंट का काम आन बिहाफ आफ एफसीआई से करायेंगे? स्टेट गवर्नमैंट द्वारा प्रोक्योरमैंट करने के लिए केन्द्र सरकार क्या विचार कर रही है?

श्री शरद पवार: अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। अभी तक जो प्रोक्योरमैंट होता था, वह हरियाणा और पंजाब से ज्यादा से ज्यादा होता था। पिछले दो-तीन सालों में डीसैंट्रलाइज सिस्टम द्वारा प्रोक्योरमैंट शुरू किया गया है। इस साल इसमें ज्यादा ध्यान दिया गया है। नौ राज्यों में प्रोक्योरमैंट करने के लिए हमने इंतजाम किया है जिसमें वैस्ट बंगाल भी है। जहां तक वैस्ट बंगाल की स्थिति है, वहां कामन वैरायटी की पैडी की कीमत 560 रुपये पर क्विंटल है और दूसरी वैरायटी की कीमत 590 रुपये पर क्विंटल है। अगर इससे उनकी कीमत नीचे जायेगी तो उसे प्रोक्योर करने के लिए हम जिम्मेदारी लेंगे तथा वहां की सरकार के सहयोग से हम प्रोक्योरमैंट करेंगे। प्रोक्योरमैंट करने के लिए जो पैसा लगेगा, वह पैसा भी हम उस सरकार को देने का इंतजाम करेंगे। जो आपका एक्सीडैंटल एक्सपेंडीचर हमने जनरल लाइन के तहत पूरे देश में एक्सपैक्ट किया है। यह सब फायदे हम वैस्ट बंगाल सरकार को भी देंगे।

[अनुवाद]

श्री चन्द्रशेखर साहु: महोदय, धन्यवाद! यह सही है कि किसानों को अपने उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है। उड़ीसा में भारतीय खाद्य निगम, मिल मालिकों, और कुछ सरकारी कर्मचारियों का एक-दूसरे से इस तरह का संबंध है कि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है और न्यूनतम समर्थन मूल्य प्राप्त करने में उन्हें अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।

महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मेरा विशिष्ट प्रश्न यह है कि (क) क्या मंत्री जी को उड़ीसा से कुछ ऐसी शिकायतें मिली है; (ख) यदि हां, तो किसानों को अपने उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य मिले, यह सुनिश्चित करने के लिए मंत्री जी क्या कदम उठाने जा रहे हैं?

श्री शरद पवार: वर्ष 2004 के दौरान सरकार को कुल 20 शिकायतें मिली और इन शिकायतों में अधिकांश राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब तथा पश्चिम बंगाल के कुछ जिलों से प्राप्त हुए हैं। उड़ीसा से एक भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। इन सभी शिकायतों को संबंधित राज्य सरकारों और स्थानीय भारत खाद्य निगम के कार्यालयों में भेज दिया गया था। अंत में हमें यह सूचना मिली कि ये शिकायतें विशेष क्षेत्रों से भी और खाद्यान्न गुणवत्ता गैर-एफ ए क्यू (उचित औसत गुणवत्ता) किस्म की थी।

श्री अर्जुन सेठी: महोदय, सारे देश विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम समर्थन मूल्य प्राप्त करना एक समस्या है। मैं माननीय अध्यक्ष से यह जानना चाहता हूं कि भारत खाद्य निगम (एफ.सी.आई.) ने उड़ीसा राज्य में कितने डिपो खोले हैं। क्या यह भी सच है कि उड़ीसा राज्य सरकार ने एफ.सी.आई. से और न्यूनतम समर्थन मूल्य वाले केन्द्र खोलने की मांग की है ताकि उड़ीसा राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी मिले।

श्री शरद पवार: महोदय, हम जिन राज्यों में धान की फसल की खरीद पर ध्यान दे रहे हैं, उनमें उड़ीसा भी एक राज्य है। वहां पर काफी संभावना है। दूसरे, जब तक एफ.सी.आई. और अधिक केन्द्र खोलने की पहल नहीं करेंगे तब तक हम उस क्षेत्र के धान उगाने वाले किसानों के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। इसलिए कई खरीद केन्द्र खोले गए हैं। मैं इस 26 तारीख को स्वयं यह देखने उड़ीसा जा रहा हूं कि वास्तविक स्थिति कैसी है। मैं स्थिति का आकलन करने के लिए राज्य के नागरिक आपूर्ति मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री के साथ एक बैठक करुंगा और समस्या का वहीं पर समाधान करूंगा।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रभूषण सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आपके पास 20 शिकायतें विभिन्न प्रदेश पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार की आई हैं। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इन 20 शिकायतों में आपने क्या सख्त कार्रवाई की जिससे दुबारा इस किस्म की बातें न हों और किसान को उसका पूरा पैसा मिल सके? मुझे जो जानकारी मिली है, वह यह है कि इसमें जो लाबी सक्रिय हैं, वह काफी शक्तिशाली हैं और उनकी सरकार तक पहुंच है। वे अधिकारियों से भी मिलते हैं और सरकार से उनका बहुत अच्छा रिश्ता है। मैं जानना चाहता हूं कि इन शिकायतों के मामले में आपने क्या एक्शन लिया?

श्री शरद पवार: आपने दो सवाल पूछें हैं। ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल यह है कि इसमें कौन सी लाबी है जिसकी सरकार तक पहुंच हुई है। मैं एक बात साफ करना चाहता हूं कि किसी लाबी की पहुंच सरकार तक नहीं है? सरकार कभी ऐसी फोर्सेज को टालरेट नहीं करेगी। इस बारे में जब भी कोई शिकायत आपको मिले, आप मुझे सूचना दीजिए। हम सख्ती से कार्रवाई करेंगे। जहां तक 20 शिकायतों की बात है, इन शिकायतों से यह बात साफ हो गई है कि जब मैटीरियल सप्लाई किया था, वह मैटीरियल क्वालिटी के नार्म्स के अनुरूप बैठता नहीं था।

श्री सुखदेव सिंह ढींडसा: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि पंजाब में जहां डेढ़ प्रतिशत कल्टीवेबल लैंड है, उसमें 60 प्रतिशत से ज्यादा केन्द्र का फूडग्रेन होता है। लेकिन वहां पर उस अनाज के स्टोरेज की क्षमता बहुत कम है जिसके कारण वह अनाज बाहर पड़ा रहता है और खराब हो जाता है। इससे पंजाब का नाम बदनाम होता है। क्या गोदाम बनाने की सरकार की कोई योजना है ताकि वहां पर जो अनाज प्रोक्योर किया गया है, वह खराब न हो जाए?

अध्यक्ष महोदय: यह दूसरी बात है।

श्री शरद पवार: सरकार के पास योजनाएं जरूर हैं। खास तौर पर पंजाब की यह स्थिति देखने के बाद वहां लेटेस्ट माडर्न टेक्नोलाजी का इस्तेमाल करके साइलो बिठाने का प्रपोजल सरकार के पास फाइनल डिसीजन के लिए आ गया है।

[अनुवाद]

श्री ए.के.एस. विजयन: महोदय, मंत्री जी द्वारा दिए गए उत्तर से मैं यह समझता हूं कि भारत सरकार ने राज्य सरकारों को खरीद सहायता हेतु नियंत्रण कक्ष स्थापित करने का निदेश दिया है तथापि, तमिलनाडु राज्य सरकार विद्यमान खरीद केन्द्रों को बंद कर रही है जिससे किसानों को कठिनाइयां हो रही है जोकि जयललिता सरकार द्वारा दस लाख टन खाद्यान्न की खरीद की घोषणा के विपरीत है। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार इस मामले में हस्तक्षेप करेगी और उपचारी कदम उठाएगी?

श्री शरद पवार: मैं समझता हूं कि इससे समस्या होगी। यदि स्थानीय सरकार खाद्यान्न खरीदना चाहती है तो मूल्य निर्धारित कर दिया गया है और वित्तीय प्रबंध कर दिया गया है। यदि कोई समस्या होगी तो हम उसे सुलझाने को तैयार हैं।

[हिन्दी]

श्री ब्रजेश पाठक: अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश में किसानों को अपना खाद्यान्न उतारने के लिए घंटों लाइन में लगना पड़ता है। यह क्यू कृत्रिम रूप से बनाई जाती है और उसके लिए उनसे सुविधा शुल्क लिया जाता है। क्या सरकार की उसे समाप्त करने की कोई योजना है?

श्री शरद पवार: इस तरह की कोई शिकायत अभी तक हमारे पास नहीं आई है। अगर माननीय सदस्य इस बारे में ज्यादा जानकारी देना चाहते हैं कि वहां लाइन कैसे खत्म हो और खाद्यान्न को उतारने का इंतजाम कैसे किया जाए, वह दें, तो हम उस पर ध्यान देंगे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न संख्या-264—श्री सुकदेव पासवान-उपस्थित नहीं हैं।

श्री महबूब जाहेदी।

नई फसल बीमा योजना आरम्भ करना

*264. **श्री महबूब जाहेदी:**
श्री सुकदेव पासवान:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार नई फसल बीमा योजना आरम्भ करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में अन्तिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

[हिन्दी]

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) वर्तमान फसल बीमा स्कीमों में अपेक्षित सुधारों का अध्ययन करने के लिये कृषि मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और भारतीय कृषि बीमा कम्पनी लिमिटेड के सदस्यों को शामिल करते हुए एक संयुक्त दल का गठन किया गया है। इस दल के विचारार्थ विषय इस प्रकार हैं:

(1) वर्तमान फसल बीमा स्कीमों यथा राष्ट्रीय कृषि बीमा स्कीम (एन ए आई एस) फार्म आय बीमा स्कीम संबंधी पाइलाट परियोजना (एफ आई आई एस), वर्षा बीमा योजना और निजी साधारण बीमा कम्पनियों द्वारा चलाई जा रही कृषि से संबंधित अन्य स्कीमों की समीक्षा।

(2) राष्ट्रीय कृषि बीमा स्कीम में अपेक्षित सुधार।

(3) विशेषज्ञों और निजी क्षेत्र की साधारण बीमा कम्पनियों से प्राप्त व्यावसायिक आदानों पर विचार करने के पश्चात् समुचित और कृषक अनुकूल फसल बीमा स्कीम सबंधी पैरामीटरों/अवधारणा पत्र का विकास करना।

(4) यदि सरकार द्वारा कोई "अपफ्रंट" सब्सिडी दी जानी है तो उसका मूल्यांकन करना।

(ग) दल द्वारा अपनी रिपोर्ट अभी प्रस्तुत की जानी है।

श्री महबूब जाहेदी: अध्यक्ष महोदय, क्राप इंशोरेंस का प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे देश में काफी किसानों द्वारा खुदकुशी। उसमें यह भी एक कारण है, जिससे खुदकुशी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। मंत्री जी के जवाब का हमने पहला भाग देखा है, जिसमें कहा गया है कि वे एन.ए.आई.एस., एफ.आई.आई.एस. आदि कमेटीज बना रहे हैं। लेकिन वे कमेटीज क्या-क्या काम करेंगी, यह नहीं बताया गया है। हमें सबसे ज्यादा तकलीफ मंत्री जी के जवाब के दूसरे पार्ट से हुई है। क्राप कटिंग सिस्टम के बारे में, जिसके जरिए हिसाब लगाया जाता है, हम लगातार कहते आए हैं कि आप बड़े जोन या बड़ा एरिया न रखें, बल्कि छोटे-छोटे गांव या एरिया रखें। जब भी कभी क्राप बर्बाद होती है तो ज्यादातर इन छोटे एरियाज में ही होती है और वहां के किसानों को इंशोरेंस की तरफ से कोई वित्तीय सहायता आदि नहीं मिल पाती है। आप ग्राम पंचायत को इसमें ले सकते हैं और म्यूनिसिपैलिटी एरिया को भी ले सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय: आप कृपया प्रश्न पूछें।

श्री महबूब जाहेदी: क्राप इंशोरेंस में पेमेंट का सिस्टम भी ठीक नहीं है। किसान को वह कब मिलनी चाहिए, यह तय नहीं है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि गरीब किसानों के हित के लिए प्रीमियम कम करने के बारे में आपका क्या विचार है?

[अनुवाद]

श्री अनिल बसु: महोदय, मंत्री जी ने प्रत्येक सदस्य को पत्र लिखकर सुझाव मांगें हैं।

अध्यक्ष महोदय: नहीं, अब कृपया अभी नहीं। सूचना देने के लिए आपका धन्यवाद।

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): वर्तमान योजना के बारे में काफी शिकायतें मिली हैं।

[हिन्दी]

हमारे पास जो शिकायतें आती थीं, उनमें प्रीमियम के बारे में भी शिकायत आती थी। दूसरी बात एरिया आपरेशन की है कि वह गांव तक होना चाहिए, पूरे ब्लाक को लेने से या बड़ा एरिया लेने से किसानों को राहत नहीं मिलती और समय पर पैसा वापस नहीं आता था। इन शिकायतों पर ध्यान देने की आवश्यकता थी। इसीलिए प्रधान मंत्री जी ने इस सम्बन्ध में एक बयान दिया था। उसको मद्देनजर रखते हुए उसकी व्यापक जांच करने के लिए हमने क्रेडिट एंड कोआपरेशन विभाग के जाइंट सेक्रेटी की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया है। आज या कल मुझे उस समिति की रिपोर्ट प्राप्त हो जाएगी। जो समस्या यहां रखी गई है और जो इश्यू रेज किया गया है, उसके बारे में नए सुझाव देने का काम भी वह समिति करेगी। रिपोर्ट आने के बाद हम इस पर कदम उठाएंगे।

श्री महबूब जाहेदी: अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि स्टेंडिंग कमेटी आन एग्रीकल्चर में इसके बारे में बहस हुई थी, हम लोगों ने सजैशन दिया था कि कैसे-कैसे और क्या-क्या इसके बारे में होना चाहिए। किसानों की तकलीफों का कैसे हल हो, क्या आपने इसके बारे में ध्यान दिया है?

श्री शरद पवार: अध्यक्ष जी, इसे अंतिम स्वरूप देने से पहले मैंने खुद देश के मुख्यमंत्रियों और सभी राज्यों के कृषि मंत्रियों को लिखकर सुझाव मांगे हैं, पार्लियामेंट के सदस्यों से भी सुझाव मांगे हैं तथा स्टेंडिंग कमेटी ने जो सोचा है वह भी हमारे सामने हैं। तीनों की तरफ से जो सजैशन्स आयेंगे, उनको ध्यान में रखकर अंतिम डिसीजन लिया जाएगा।

श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील: अध्यक्ष जी, देश की 70 प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। सूखा, बाढ़ और अन्य प्रकार की आपदाओं का सामना करने के बाद किसान खुशहाल नहीं हो सकता है, इसलिए यह स्कीम बहुत महत्वपूर्ण है। माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया कि जो कमेटी बनाई गयी है उसकी रिपोर्ट कल या परसों तक आने वाली है। यह स्कीम बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको जल्दी से जल्दी लाया जाए। एक कठिनाई कोओपरेटिव सैक्टर में महसूस होती है। ग्रामीण कोओपरेटिव सोसायटी को जो इंश्योरेंस का प्रीमियम मिलता है वह कोआपरेटिव बैंक में जाता है और कोआपरेटिव बैंक्स लोन के माध्यम से उसको जमा कर लेती हैं जिससे किसान को राहत नहीं मिलती है। मैं पूछना चाहता हूं कि कोओपरेटिव सैक्टर में किसान को क्लीयर राहत मिल सके, ऐसी क्या कोई स्कीम होगी?

श्री शरद पवार: आज इस बारे में कहना मुश्किल है क्योंकि रिपोर्ट आज या कल आने वाली है। रिपोर्ट आने के बाद, उनकी तरफ से क्या सुझाव हैं, उनको हम दिखेंगे। लेकिन यह बात सच है कि 40 प्रतिशत क्रैडिट इस देश में कोओपरेटिव सैक्टर से मिलता है। इसलिए कोओपरेटिव सैक्टर से लाभ लेने वाले जो किसान हैं, उनके इंट्रेस्ट को नजर-अंदाज हम नहीं कर सकते हैं, इस पर ध्यान देंगे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मुझे 25 माननीय सदस्यों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं। चूंकि माननीय मत्री जी के अनुसार रिपोर्ट जल्दी ही आ रही है हमें रिपोर्ट की प्रतीक्षा करनी चाहिए ताकि आप उपयोगी प्रश्न पूछ सकें। मैं समझता हूं कि यह बेहतर है। मेरे विचार से यह अच्छा रहेगा।

कुछ माननीय सदस्य: नहीं, महोदय।

अध्यक्ष महोदय: बहुत अच्छा, ऐसा लगता है कि मेरा सुझाव स्वीकार्य नहीं है।

श्री लाल सिंह

[हिन्दी]

चौधरी लाल सिंह: अध्यक्ष जी, मैं तो आपका सजैशन एक मिनट में मान गया था। आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मैं जानना चाहता हूं कि ये जो ड्राट-प्रोन एरियाज हैं, उन एरियाज के लिए क्या आप कोई ग्रूप इंश्योरेंश स्कीम देने जा रहे हैं। जो स्कीम लाई जा रही है, उसमें क्या इन एरियाज के लिए कोई खास तरजीह दी जाएगी?

श्री शरद पवार: ग्रूप इंश्योरेंश की स्कीम जो प्रपोज्ज है, वह सारे देश को सामने रखकर लाई जा रही है और उसमें ड्राट और फ्लड दोनों से प्रभावित किसानों की रक्षा के बारे में सोचा जाएगा।

[अनुवाद]

श्रीमती अर्चना नायक: महोदय, क्या सरकार का विचार नई फसल बीमा योजना के अंतर्गत पंचायत को एक ब्लाक की बजाय इकाई के रूप में लेने का है?

श्री शरद पवार: मैं इस प्रश्न का उत्तर पहले ही दे चुका हूं।

अध्यक्ष महोदय: मैं आपको बधाई देता हूं।

श्री किन्जरपु येरननायडु: महोदय, यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है। लाखों किसान हैं किंतु वर्तमान योजनाएं केवल कुछ हजार

किसानों को ही सहायता दे रही हैं। इस समय ब्लाक एक इकाई है। इसलिए कई किसानों को वर्तमान राष्ट्रीय बीमा योजना या अन्य गैर-सरकारी बीमा योजनाओं के अंतर्गत लाभ नहीं मिल रहा है।

इसकी शुरूआत से हम अनेक क्षेत्रों में सब कुछ कर रहे हैं। उत्तरवर्ती सरकारों ने इस क्षेत्र पर ध्यान नहीं दिया है। राज्य सरकारों ने बार-बार भारत सरकार से यह अनुरोध किया है कि पंचायत राजस्व गांव को एक इकाई के रूप में माना जाए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह वही प्रश्न है और मंत्री जी इसका पहले ही उत्तर दे चुके हैं।

श्री किन्जरपु येरनायडु: मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि आंध्र प्रदेश सरकार ने इस संबंध में कोई प्रस्ताव भेजा है। वे एक निश्चित सीमा तक प्रीमियम का भुगतान करने के लिए तैयार हैं जिससे गांवों को एक इकाई माना जाए। अन्यथा इस योजना को किसानों तक नहीं पहुंचाया जाना चाहिए। कई किसान आत्महत्या कर रहे हैं। इस योजना को गांव के स्तर तक बढ़ाया जाना चाहए। यदि हां, तो सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

श्री शरद पवार: मैं माननीय सदस्य की इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि जब तक हम गांवों को एक इकाई नहीं मानेंगे तब तक हम कृषक समुदाय के साथ न्याय नहीं कर पाऐंगें। इसलिए जब भी अंतिम निर्णय लिया जाए हम यह देखेंगे कि गांवों को एक इकाई माना जाए।

अध्यक्ष महोदय: श्रीमती नीता पटैरिया-उपस्थित नहीं हैं।

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी: मैं अनुपूरक प्रश्न पूछने का अवसर देने के लिए आपका आभारी हूं।

[हिन्दी]

हमारे असम में खास तौर पर बोडोलैंड एरिया में बहुत सारे सुपारी के बगीचे हैं लेकिन 15-20 साल पहले कुछ बीमारी की वजह से बहुत सारी सुपारी के बगीचे खत्म हो गए। इसके कारण हमारे यहां के रुरल एरिया में खास तौर पर बोडो ट्राइबल एरिया में सारी फैमिली इकानमी बरबाद हो गई। सुपारी के लिए स्पैशल इंश्योरेंस पालिसी चलाना भारत सरकार के हाथ में है। क्या भारत सरकार ने इसके लिए कोई स्पैशल प्रावधान किया है या नहीं और क्या इसके लिए कोई स्पैशल पालिसी बनाने की योजना है?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप पहले ही एक प्रश्न पूछ चुके हैं। आप प्रश्न के केवल पहले भाग का उत्तर दें।

[हिन्दी]

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी: बोडोलैंड एरिया बहुत फ्लड इफैक्टिड एरिया है। अभी भी मेरे निर्वाचन क्षेत्र में कम से कम 200-300 गांव पानी में डूबे हैं। उन किसानों के लिये आप क्या करना चाहते हैं?

श्री शरद पवार: अध्यक्ष महोदय, आज की इंश्योरेंस स्कीम में हार्टिकल्चर आइटम्स हैं और उनमें इनका समावेश किया गया है इसलिए वह वहां भी एप्लीकेबल है। उन्होंने कहा कि सुपारी की खेती का इंश्योरेंस किया है या नहीं, मैं इसके बारे में बता नहीं सकता। यदि इसका इंश्योरेंस होगा तो किसानों को अधिकार होगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: ये सुझाव कार्यवाही के लिए हैं जो इसके अंतर्गत नहीं आते हैं। किंतु मुझे आपके निर्णय को स्वीकार करना है।

[हिन्दी]

श्री मधुसूदन मिस्त्री: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि क्राप इंश्योरेंस स्कीम के तहत किसानों को पैसा दिया जाता है लेकिन राज्य सरकार उसका शेयर नहीं देती है। इसकी वजह से किसानों को समय पर पैसा नहीं मिलता है। नई स्कीम के अन्दर माननीय मंत्री जी कोई ऐसा प्रावधान करेंगे जिससे राज्य सरकार समय पर पैसा दे जिससे किसानों को समय पर पैसा मिले।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: उत्तर वही होगा।

[हिन्दी]

श्री शरद पवार: अध्यक्ष महोदय, यह समस्या है। कई राज्यों से ऐसी शिकायतें आई हैं कि राज्य सरकार अपना इनस्टालमैंट समय पर नहीं देती हैं जिससे किसानों को लाभ नहीं मिलता है। नई स्कीम क्या आएगी, मैं इसके बारे में आज कहने की स्थिति में नहीं हूं लेकिन यह समस्या है जिसे हम मद्देनजर रखेंगे।

श्रीमती करूणा शुक्ला: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि कृषि बीमा स्कीम में क्षति पूर्ति को देखते हुए क्या रेवेन्यू विलेजिस को इकाइ बनाएंगे?

अध्यक्ष महोदय: पहले यह प्रश्न हो गया है।

श्री शरद पवार: अध्यक्ष महोदय, मैंने इसका पहले जवाब दे दिया है कि जब तक रेवेन्यू विलेज नहीं करेंगे और पंचायत नहीं बनाएंगे तब तक उन्हें जस्टिस नहीं मिलेगा। इसलिए हमें यह काम करना होगा।

[अनुवाद]

श्री के. फ्रांसिस जार्ज: महोदय, चाय, काफी, इलायची, काली मिर्च आदि जैसी विशेष फसलें उगाने वाले किसानों को काफी अधिक आर्थिक नुकसान हुआ है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इन फसलों के एक बार प्राकृतिक आपदा या कीट रोग के कारण खराब होने पर इनकी परिपक्वता अवधि काफी अधिक होती है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इन फसलों को भी राष्ट्रीय फसल बीमा योजना और कृषि बीमा आय योजना के अंतर्गत रखेगी? साथ ही, क्या इसमें कोई संशोधन होगा?

अध्यक्ष महोदय: नहीं 'यह भी नहीं होगा'

श्री के. फ्रांसिस जार्ज: वास्तविक नुकसान और रोग तथा कीट प्रभाव इन दोनों बातों पर बीमा योजना के अंतर्गत विचार किया जाना है?

श्री शरद पवार: हमें इन दो फसलों पर भी कुछ सुझाव मिलने की उम्मीद है।

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा: महोदय, कृपया मुझे एक अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दें *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं पहले ही आपकी पार्टी के चार सदस्यों को बोलने का मौका दे चुका हूं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या नई फसल बीमा योजना के प्रति हैक्टेयर उपज लागत के अनुसार, बाढ़, सूखा, दैवी आपदा से प्रभावित क्षेत्रों में प्राथमिकता देंगे क्योंकि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है जितनी उन पर लागत आ रही है *...(व्यवधान)* अध्यक्ष महोदय, चूंकि यह प्रश्न बाढ़, सूखा, दैवी आपदा से संबंधित है, इसलिये क्या मंत्री महोदय इस संबंध में प्राथमिकता देंगे?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न को न दोहराएं। शैलेन्द्र कुमार जी आप प्रश्न दोहरा रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री शरद पवार: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिया है, उसे स्वीकार करना पड़ेगा। अगर स्वीकार नहीं करेंगे तो फसल बीमा योजना लागू नहीं होगी।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न सं. 265–श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप क्यों खड़े होते हैं?

[अनुवाद]

श्री सुधारकर रेड्डी के भाषण के अलावा कुछ भी कार्यवाई वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं श्री मल्होत्रा से प्रश्न काल के दौरान अध्यक्षता करने का अनुरोध करूंगा।

शीतल पेय हेतु मानदंड

*265. **श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी:**
श्री खीरेन रिजीजू:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय मानक ब्यूरो (बी आई एस) ने शीतल पेय हेतु सुरक्षा मानदंडों के संबंध में मसौदा सिफारिशें जारी की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और शीतल पेय बनाने में प्रयुक्त जल की गुणवत्ता संबंधी सिफारिशों सहित इन सिफारिशों को लागू करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या उपभोक्ता समन्वय परिषद और सेन्टर फार साइंस एंड एनवायरनमेंट ने सरकार से इनके कड़ाई से अनुपालन हेतु इन्हें कानूनी रूप देने का अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) से (घ) एक विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

विवरण

(क) और (ख) भारतीय मानक ब्यूरो ने 1963 में कार्बनीकृत पेयों के लिए एक भारतीय मानक संख्या आई एस: 2346 अधिसूचित किया था जिसमें 1973 और 1997 में दो बार संशोधन किए गए हैं। 1997 में इसकी पुन: अभिपुष्टि की गई। भारतीय मानक ब्यूरो की संबंधित तकनीकी समिति ने जुलाई, 2003 में इस मानक की समीक्षा शुरू की और ''रेडी टू सर्व नान-अल्कोहौलिक बिवरेजज'' नामक एक प्रारूप संशोधन को जैसाकि तकनीकी समिति द्वारा प्रस्तावित किया गया, आम जनता की टिप्पणियां आंत्रित करते हुए 15 जुलाई से 30 अगस्त, 2004 तक व्यापक रूप से परिचालित किया गया। प्रारूप में गुणवत्ता और सुरक्षा पैरामीटर दोनों ही शामिल हैं। तकनीकी समिति को प्राप्त टिप्पणियों के मूल्यांकन का कार्य एक विशेषज्ञ दल को सौंपा गया है। चूंकि यह एक स्वैच्छिक मानक है इसलिए इसके प्रवर्तन का प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) सेंटर फार साइंस एंड एनवायरमेंट ने मानक को अंतिम रूप देने और उसके अनिवार्य प्रमाणन के कार्य में तेजी लाने का अनुरोध किया है। सेंटर फार साइंस एंड एनवायरमेंट से प्राप्त अभ्यावेदन को उक्त मानक की समीक्षा में संलग्न तकनीकी समिति के विचारार्थ भारतीय मानक ब्यूरो को भेज दिया गया है। भारतीय मानक ब्यूरो की सामान्य नीति के अनुसार उक्त तकनीकी समिति में कंज्यूमर कोआर्डिनेशन काउंसिल और सेंटर फार साइंस एंड एनवायरमेंट जैसे उपभोक्ता समूहों सहित सभी स्टेक-होल्डरों को प्रतिनिधित्व दिया गया है।

[अनुवाद]

श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी: महोदय, उत्तर में दिया गया विवरण काफी अस्पष्ट है। पहली बात तो यह है कि उपभोक्ता मामलों के मंत्री के बजाय माननीय कृषि मंत्री ने इसका उत्तर दिया।

वे स्वयं कीटनाशकों से संबंधित संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष थे और उन्होंने साफ्ट ड्रिंक्स के मानदण्डों के संबंध में रिपोर्ट दी है। परन्तु यहां मुझे लगता है कि सरकार द्वारा मामले का अध्ययन ठीक से नहीं किया गया है। उत्तर काफी अस्पष्ट है।

लाखों बच्चे और युवा लोग ये साफ्ट ड्रिंक्स पी रहे हैं *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया आपस में बात न करें, कानाफूसी न करें।

श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी: महोदय, लाखों बच्चे और युवा लोग इन साफ्ट ड्रिंक्स को नियमित रूप से पी रहे हैं। आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में किसान इनका प्रयोग कीटनाशक के रूप में कर रहे हैं क्योंकि इनमें निर्धारित मानदण्डों से अधिक कीटनाशक हैं।

अध्यक्ष महोदय: आपका प्रश्न क्या है?

श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी: महोदय इन साफ्ट ड्रिंक्स, में विशेष रूप से कोका-कोला के कारण एक बच्चे की मौत भी हो चुकी है।

इसलिए मेरा प्रश्न है, कीटनाशकों के मानदण्डों को सख्ती से कार्यान्वित करने के लिए सरकार ने क्या निर्णय लिए हैं? उच्चतम न्याायलय के उस निर्णय के कार्यान्वयन का क्या हुआ जिसमें उच्चतम न्यायालय ने लेबल पर कीटनाशक तत्वों का प्रतिशत बताने के लिए कहा था?

अध्यक्ष महोदय: आपने यह पूछा है कि इसका कार्यान्वयन कैसे किया जा रहा है।

श्री शरद पवार: महोदय उत्तर में पूरी विस्तृत सूचना दी गई है। इसका संबंध साफ्ट डिंक्स सुरक्षा मानदण्डों से है। सरकार द्वारा जो निर्णय लिये जाने थे वह ले लिए गए हैं। सरकार की भी कुछ सीमाएं हैं। परन्तु निर्णय पहले ही लिए जा चुके हैं तथा इस उत्तर में इसका ब्यौरा दिया गया है।

दूसरी बात इन्होंने पूछा है कि उपभोक्ता मामले मंत्री की बजाय कृषि मंत्री ने इसका उत्तर क्यों दिया। महोदय मैं उपभोक्ता मामलों का मंत्री भी हूं।

अध्यक्ष महोदय: वह चाहते हैं कि आपको कम परेशानी हो।

...(व्यवधान)

श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी: महोदय उत्तर में उन्होंने कहा है कि उन्होंने डाक तकनीकी समिति बनाई है। उत्तर में इन्होंने यह भी कहा है कि चूंकि यह डाक स्वैच्छिक है इसे लागू करने का प्रश्न नहीं उठता''। इसका क्या अर्थ है? क्या ऐसा इसलिए है

क्योंकि इसका संबंध बहुराष्ट्रीय कम्पनियों से है? यदि इस संबंध में सरकार शीघ्र कदम नहीं उठाती तो लोगों का स्वास्थ्य कैसे सुरक्षित रहेगा?

श्री शरद पवार: तकनीकी समिति में सभी सदस्य विशेषज्ञ हैं जो इससे जुड़े हैं। वे स्वयं अंतिम निर्णय लेने जा रहे हैं और वह बाध्यकारी होगा।

महोदय, माननीय सदस्य ने कोका कोला और पेप्सी से संबंधित डाक मुद्दा उठाया है। यह मुद्दा, अलग है। साफ्ट ड्रिंक्स में मिले उर्वरक तथा कीटनाशक अवशेषों के बारे में ब्यौराबार जांच की जा चुकी है। समिति मेरी अध्यक्षता में थी और रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत कर दी है। इन मुद्दों पर स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा अलग से विचार किया जा रहा है।

श्री खीरेन रिजीजू: महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से संयुक्त संसदीय समिति द्वारा साफ्ट डिंक्ट की समस्याओं पर रिपोर्ट के ब्यौरे के बारे में जानना चाहूंगा। निजी साफ्ट डिंक्स निर्माताओं द्वारा इसका कितना पालन किया जा रहा है? इस संबंध माननीय न्यायालय के विभिन्न आदेश कौन से हैं।

श्री शरद पवार: महोदय विस्तृत ब्यौरा दिया गया है। इस विषय पर स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा विचार किया जा रहा है। मंत्रालय ने कुछ निर्णय लिए हैं तथा कुछ दिशानिर्देश पहले ही जारी किए जा चुके है। न्यायालय द्वारा, विशेष रूप से राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय दिया गया है और हम इस निर्णय को कार्यान्वित करने का प्रयास कर रहे हैं।

श्री समिक लाहिरी: उत्तर में मंत्री जी ने कहा है कि भारतीय मानक ब्यूरो की सिफारिशें स्वैच्छिक प्रकृति की हैं। मेरा प्रश्न यह है कि क्या सरकार का विचार कोई विधान लाने का है ताकि कानून को सख्ती से लागू किया जा सके तथा बहुराष्ट्रीय कम्पनियां भारतीय जनता के स्वास्थ्य के लिए कोई खतरा न पैदा कर सके।

अध्यक्ष महोदय: क्या इस संबंध में कोई सांविधिक प्रावधान है?

श्री शरद पवार: वास्तव में इस प्रकार के कई मुद्दे लम्बित हैं। इन मुद्दों पर अलग-अलग मंत्रालयों द्वारा विचार किया जा रहा है। इन सभी विषयों को डाक साथ लाने के लिए डाक अस्वीकृत समान कानून बनाने के लिए एक बार फिर मेरी अध्यक्षता में मंत्री समूह नियुक्त किया गया है।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन: अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गंभीर मामला है और संभवत: मंत्री जी को इसकी जानकारी होगी कि आंध्र प्रदेश के किसान फसलों पर पहले कीटनाशक डालते थे, आज उसकी जगह वे कोका कोला का इस्तेमाल कर रहे हैं। किसानों का यह मानना है कि जो कोका कोला फसलों पर डाला जा रहा है, वह कीटनाशकों से ज्यादा प्रभावकारी है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि सिर्फ यह कहकर इस मामले को नहीं टाला जा सकता कि स्वास्थ्य मत्रालय इस पर विचार करेगा। मैं समझता हूं कि इस तत्काल कोई प्रभावी कानून बनाये जाने की आवश्यकता है। मैं माननीय कृषि मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या वह स्वास्थ्य मंत्री से बात करके इस संबंध में प्रभावी कार्रवाई करेंगे?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: उन्होंने पहले ही कहा है कि 'ग्रुप आफ मिनिस्टर्स' इस पर विचार कर रहा है।

श्री शरद पवार: वह भी सदस्य है और वह निश्चित रूप से यह मुद्दा उठाएंगे। मेरे पास कोई प्रामाणिक सूचना नहीं है कि कोका कोला का प्रयोग कीटनाशक के रूप में किया गया है।

अध्यक्ष महोदय: यह काफी महंगा कीटनाशक है।

श्री अजय चक्रवर्ती: महोदय अलग-अलग स्थानों से पता चला है कि कोका-कोला तथा पेप्सी कोला जैसी साफ्ट ड्रिंक उत्पादन करने वाली कम्पनियां ऐसे साफ्ट ड्रिंक बना रही है जो कि जनता विशेष रूप से बच्चों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इस स्थिति को देखते हुए क्या मैं माननीय मंत्री जी से जान सकता हूं कि क्या भारत सरकार ने इस मामले की जांच करने के लिए एक जांच समिति गठित की है और यदि जांच के बाद यह सही पाया जाता है, तो क्या भारत सरकार इन साफ्ट ड्रिंक बनाने वाली कम्पनियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने को तैयार है?

श्री शरद पवार: इस बारे में कदम उठाया गया है। इस समस्या को देखते हुए एक संयुक्त संसदीय समिति नियुक्त की गई थी। इस समिति ने इन सभी पहलुओं की विस्तृत रूप से जांच की और डाक रिपोर्ट भेजी थी। उचित कार्रवाई प्रक्रिया में है।

श्रीमती मेनका गांधी: महोदय उच्चतम न्यायालय ने हर बोतल पर कीटनाशक की जानकारी देने वाला लेबल लगाने का आदेश दिया है। क्या ऐसा करना शुरू कर दिया गया है? यदि नहीं तो यह कब शुरू किया जाएगा? दूसरी बात क्या कोक तथा पेप्सी का

अन्य साफ्ट ड्रिंक्स में भारी धातु तत्व हैं; भारी धातु तत्व क्या हैं और इसके बारे में क्या किया जा रहा है?

श्री शरद पवार: लैबलिंग पर राजस्थान उच्च न्यायालय का निर्णय है। मैं जांच करूंगा कि इस बारे में उच्चतम न्यायालय का कोई फैसला है। मेरी जानकारी के अनुसार राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा फैसला दिया गया है। इस फैसले का संज्ञान लेते हुए हम कार्रवाई करने की प्रक्रिया में हैं।

अध्यक्ष महोदय: क्या आपके पास भारी धातु के बारे में कोई जानकारी है।

श्री शरद पवार: मैं यह सारी जानकारी दूंगा यदि इस पर मुझे अलग से एक नोटिस दिया जाए।

[हिन्दी]

मोहम्मद सलीम: अध्यक्ष महोदय, हमारे देश में गर्मी अधिक होने के कारण शरबत बनाने की टैक्निक सबसे ज्यादा लोग जानते हैं। हर जिले में अपने-अपने तरीके से लोग इसे बनाते हैं। साफ्ट ड्रिंक्स मैन्युफैक्चर्स को छूट दी गई हैं, मैं यह जानबूझकर कह रहा हूं, चूंकि 20-30 साल से यह विचार चल रहा है। 1992 में मैंने सरकार से इस संबंध में सवाल पूछा था, तब से देखने में आ रहा है कि अभी सरकार ने तकनीकी कमेटी बनाई है, फिर ग्रुप आफ मिनिस्टर्स की कमेटी बनाई है, फिर स्टैंडर्ड को रिव्यू करने के लिए रिव्यू कमेटी बनाई है। मंत्री महोदय जो जवाब दे रहे हैं, मैं उनकी कठिनाई को समझता हूं।

महोदय, यह एक मंत्रालय का मामला नहीं है। इसमें और मंत्रालय भी सम्मिलित हैं। पहले तो इससे स्वास्थ्य मंत्रालय संबंधित है, फिर कृषि मंत्रालय संबंधित है और फिर फूड प्रौसेसिंग मंत्रालय संबंधित है। इसलिए मैं कहता हूं कि सरकार ने ग्रुप आफ मिनिस्टर्स बनाया है, परन्तु यह पूरे देश की चिन्ता का विषय है क्योंकि हम पैस्टीसाइड्स पी रहे हैं, हम अपने बच्चों को पिला रहे हैं। फूड एडल्ट्रेशन प्रिवेंशन कानून है जिसके अन्तर्गत यदि खाने में या गिजा में कोई गड़बड़ी होती है, तो उसे रोकने के लिए कानून में प्रावधान है। पहले कभी यह सोचा नहीं गया था कि इस देश में पानी भी बेचा जाएगा, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि पानी बोतलों में बन्द कर के बेचा जा रहा है। इनमें साफ्ट ड्रिंक्स भी शामिल हैं। उनमें एडल्ट्रेशन है, उनमें हैजाड्र्स मैटीरियल है। बोतल बन्द पानी और साफ्ट ड्रिंक्स में एडल्ट्रेशन और हैजाड्र्स मैटीरियल को रोकने के लिए, कब तक मंत्री जी कानून बनाएंगे?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: क्या आपका आशय साफ्ट ड्रिंक से है।

मोहम्मद सलीम: महोदय, मेरा आशय सभी पेयों से है विशेषकर साफ्ट ड्रिंक से।

अध्यक्ष महोदय: कुछ हंसी मजाक भी होना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री शरद पवार: अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि यह जो समस्या पैदा हुई है यह जहां से पानी लिया जा रहा है, वहां से हुई है। कई जगह हम फर्टीलाइजर्स और पैस्टीसाइड्स का इस्तेमाल फसलों पर ज्यादा कर देते हैं। वही पैस्टीसाइड्स और फर्टीलाइजर्स पानी में भी रिफ्लैक्ट होते हैं। साफ्ट ड्रिंक्स हेतु अथवा बोतलबन्द पानी बेचने हेतु जहां से पानी लिया जाता है, वहां से यह समस्या पैदा हुई है। हमने इस बारे में ज्यादा ध्यान देकर कुछ सख्त कदम उठाने की बात की है। गाइड लाइन्स भी तैयार की हैं और इस तरह से कोई निर्णय लेने की बात है, वह भी की गई है।

महोदय, जहां तक फूड एडल्ट्रेशन प्रिवेंशन कानून की बात है, मैंने कहा है कि ग्रुप आफ मिनिस्टर्स इस बारे में एक कानून बनाने की प्रोसेस में है।

[अनुवाद]

श्रीमती तेजस्विनी शीरमेशः हाल ही में, हमने कई पत्रिकाओं में यह पढ़ा कि पेप्सी और कोका कोला अस्थि मज्जा और अस्थियों विशेषकर बच्चों की अस्थिमज्जा और अस्थियों को काफी नुकसान पहुंचा रही हैं। किसान, विशेषकर अंगूर, नारियल और आम उत्पादक गंभीर संकट से ग्रस्त हैं। क्या कृषि मंत्रालय का विचार कोका कोला और पेप्सी के स्थान पर नारियल पानी, अंगूर का रस और आम का रस उत्पादन करने का कोई विचार है? यदि ऐसा होता है, तो इससे किसानों को बहुत मदद मिलेगी क्योंकि अंगूर का दाम जो 12 रुपये अथवा 14 रुपये प्रति किलोग्राम था वह घटकर 3 रुपए किलो हो गया है। इसी के साथ-साथ, हम ग्राहकों को भी अंगूर 14 रु. प्रति किलोग्राम नहीं मिल रहा है। क्या मंत्रालय का कोई विचार नारियल पानी, आम का रस और अंगूर के रस की ओर ध्यान देने का है?

श्री शरद पवार: मैं सभा को यह बताना चाहूंगा कि जब मैं संयुक्त ससंदीय समिति का सभापति था, हमने नारियल पानी का अध्ययन किया था। हमने विभिन्न राज्यों से जानकारी प्राप्त की थी। हमने नारियल पानी भी एकत्र किया था और पानी हटाकर हमने इसका स्वाद भी चखा था। दुर्भाग्यवश, हमें नारियल पानी में भी उर्वरकों और कीटनाशकों के कुछ तत्व मिले हैं। इसलिए, अंततः यह बात रिपोर्ट में भी प्रकाशित हुई। इसलिए, यह इतना सरल

मामला नहीं है लेकिन हम पर्याप्त सावधानी बरत रहे हैं। ...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय: श्री बैसीमुथियारी जी, आपके सहयोग के लिए धन्यवाद।

खरीफ के उत्पादन में गिरावट

*266. **श्री⁺ इकबाल अहमद सरडगी:**
डा. एम. जगन्नाथ:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कम मानसून के कारण खरीफ की फसल के क्षेत्राधीन भूमि में कमी दर्ज की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और खरीफ के उत्पादन में फसल-वार कितनी गिरावट आई है;

(ग) क्या सरकार ने रबी की फसल के लिए खाद्यान्नों का उत्पादन लक्ष्य 135 मिलियन टन निर्धारित किया है;

(घ) यदि हां, तो गत वर्ष की तुलना में इसमें कितनी वृद्धि हुई है;

(ङ) क्या सरकार का विचार रबी फसल के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कृषकों को प्रोत्साहन देने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) इस लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए उत्पादन बढ़ाने हेतु अन्य क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

[हिन्दी]

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) से (छ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) वर्ष 2004-05 के प्रथम अग्रिम अनुमानों के अनुसार खरीफ फसलों यथा खाद्यान्न, तिलहनों, गन्ना, कपास, जूट तथा मेस्ता के अंतर्गत आने वाला कुल क्षेत्र 97 मिलियन हेक्टेयर है जबकि खरीफ 2003-04 मौसम के दौरान यह 102 मिलियन हेक्टेयर था। इस साल के खरीफ मौसम के अंतर्गत क्षेत्र में कमी इस दौरान विशेषकर जुलाई महीने में दक्षिण पश्चिम-मानसून से होने वाली कम वर्षा की वजह से है। इसके परिणाम-स्वरूप वर्ष 2004-05 में कपास को छोड़कर खरीफ खाद्यान्नों और अन्य वाणिज्यिक फसलों का उत्पादन भी कम हो गया है। फसलवार आंकड़े अनुबंध में दिये गये हैं।

(ग) और (घ) सरकार ने वर्ष 2004-05 के लिए 225.10 मिलियन टन खाद्यान्न का लक्ष्य रखा है जिसमें 113.80 लाख मिलियन टन खरीफ खाद्यान्न और 111.30 मिलियन टन रबी खाद्यान्न शामिल हैं। वर्ष 2004-05 के खरीफ और रबी के खाद्यान्न का लक्ष्य इनके पिछले वर्ष के लक्ष्यों से क्रमशः 1.90% तथा 2.75% अधिक है।

(ङ) और (च): रबी मौसम में सर्वोत्तम फसल उत्पादन करने वाले राज्यों पुरस्कृत करने के लिये सरकार ने एक प्रोत्साहन स्कीम तैयार की है। इस स्कीम के अंतर्गत राज्यों को पांच समूहों में बांट दिया जाता है और इन पांच समूहों में से प्रत्येक में सर्वोत्तम उत्पादन करने वाले राज्य को 1 करोड़ रुपये की राशि पुरस्कार स्वरूप प्रदान की जायेगी ताकि वह अपने विभिन्न कार्यालयों और पदाधिकारियों को बेहतर रबी उत्पादन के लिए प्रोत्साहित कर सके।

(छ) उत्पादन को बढ़ाने के उद्देश्य से उठाए गए अन्य कदम निम्नलिखित हैं:

- रबी अभियान, 2004-05 आयोजित करना।
- देश भर में 1551 नम्बर पर निःशुल्क टेलीफोन करने की सुविधा।
- कृषि विस्तार के लिये जनसंचार माध्यमों के समर्थन की योजना।
- प्रदर्शनियों और कृषि मेलों का आयोजन
- महिला किसानों को नवीनतम प्रौद्योगिकी को अपनाने तथा स्व सहायक समूह बनाने के लिए प्रेरित करने की विशेष स्कीमें चलाना जिससे कि उनको माइक्रो क्रेडिट की सुविधा आदि मिल सके। इससे देश में रबी उत्पादन को और बढ़ावा मिलने की आशा है।

अनुबंध

क्षेत्र-मिलियन हैक्टेयर में
उत्पादन-मिलियन टन में

	फसल	क्षेत्र		उत्पादन	
		2003-04	2004-05	2003-04$	2004-05$$
1.	चावल	37.89	34.61	73.92	71.10
2.	ज्वार	4.46	3.90	5.01	3.58
3.	बाजरा	10.39	8.71	11.79	5.76
4.	मक्का	6.61	6.78	12.44	12.07
5.	रागी	1.65	1.60	2.01	2.52
6.	छोटे कदन्न	1.14	0.91	0.55	0.57
7.	मोटे अनाज (2+3+4+5+6)	24.26	21.90	31.80	24.50
8.	तूर	3.53	3.17	2.43	2.32
9.	अन्य खरीफ दलहन	8.29	6.66	3.90	2.37
10.	कुल खरीफ खाद्यान्न (1+7+8+9)	73.96	66.33	112.05	100.29
11.	मूंगफली	5.22	5.79	7.12	6.30
12.	एरण्ड	0.73	0.75	0.80	0.66
13.	सीसमम	1.86	1.67	0.82	0.50
14.	रामतिल	0.44	0.36	0.11	0.09
15.	सूरजमुखी	0.60	0.68	0.31	0.35
16.	सोयाबीन	6.50	7.82	7.85	7.56
17.	खरीफ तिलहन (11+12+13+14+15+16)	15.35	17.07	17.01	15.45
	कपास*	7.64	8.61	13.79	13.85
	गन्ना	4.00	3.91	236.18	235.45
	जूट व मेस्ता**	1.05	0.97	11.20	10.76

*प्रत्येक 170 कि.ग्रा. की मिलियन गांठे
**प्रत्येक 180 किग्रा. की मिलियन गांठे
$2003-04 का चौथा अग्रिम अनुमान
$$2004-05 का प्रथम अग्रिम अनुमान।

[अनुवाद]

श्री इकबाल अहमद सरडगी: माननीय मंत्री जी के उत्तर के अनुसार, खरीफ के क्षेत्र में लगभग 11 लाख हैक्टेयर की कमी आयी है। खरीफ के उत्पादन में इस कमी के मद्देनजर मैं माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहूंगा कि क्या सरकार सूखे से ग्रस्त राज्य सरकारों की मांगों को पूरा करने के लिए खाद्यान्न और मिड-डे मील योजना की आवश्यकता को पूरा कर पायेगी और विभिन्न राज्यों विशेषकर कर्नाटक में चल रही योजनाओं जैसे कि काम के बदले अनाज के लिए खाद्यान्न उपलब्ध करा पायेगी।

श्री शरद पवार: हम खरीफ के मौसम में लगभग 111.5 मिलियन टन चावल और धान की अपेक्षा कर रहे थे। वस्तुत:, कतिपय राज्यों में अनियमित मानसून के कारण, खरीफ में हमें लगभग 100 मिलियन टन के करीब उपज मिली। इस प्रकार नौ मिलियन टन की कमी आयी है। इसीलिए, हमने रबी में इस कमी को पूरा करने के लिए विशेष कार्यक्रम आरंभ किए हैं। रबी के लिए काफी कार्यवाही की गयी हैं। आज तक, हमारी प्रथम सूचना रिपोर्ट यह बताती है कि हम इस कमी को पूरा करने में सफल होंगे।

श्री इकलाख अहमद सरडगी: महोदय, रबी फसल संबंधी दो दिवसीय सम्मेलन में यह कहा गया है कि खरीफ की फसल 59 लाख हैक्टेयर भूमि पर की गयी जो गत वर्ष की तुलना में कम है खरीफ की फसल को नुकसान होने की संभावना है और रबी की फसल को बढ़ाये जाने की आवश्यकता है। सरकार ने राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी कार्यान्वयन के अन्तर्गत देश के 252 जिलों को शामिल करने का आश्वासन दिया है जिसके लिए लगभग 11,000 करोड़ रुपये के निवेश की आवश्यकता होगी।

महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार ने राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी कार्यक्रम के अंतर्गत इन 252 जिलों को शामिल करने के लिए इनकी पहचान पहले ही कर ली है और इस प्रयोजनार्थ 11,000 करोड़ रुपए की राशि पहले ही आबंटित कर दी गई है अथवा नहीं। मैं यह भी जानना चाहूंगा कि क्या सरकार ने अपना निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लिया है।

श्री शरद पवार: महोदय, यहां इस प्रश्न का संबंध केवल रबी और खरीफ की फसल से है। इस कमी को दूर करने के लिए पर्याप्त सावधानी बरती गयी है। आज की स्थिति के अनुसार, हमारे पास उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार, इस देश में कोई कमी नहीं होगी। कुल खाद्यान्न उत्पादन, जिसमें रबी खरीफ और गर्मी की फसलें शामिल है यह कुल मिलाकर गत वर्ष किसी कमी का कोई प्रश्न नहीं है।

महोदया, माननीय सदस्य ने जो दूसरा प्रश्न किया है उसके लिए मुझे एक अलग से नोटिस की जरूरत होगी।

डा. एम. जगन्नाथ: माननीय मंत्री जी के कथन के अनुसार, 'इस वर्ष खरीफ फसल वाले क्षेत्र विशेषकर जुलाई माह में दक्षिणी पश्चिम मानसून में।' आयी कमी का कारण कम वर्षा है।

महोदय, आंध्र प्रदेश राज्य में, एक गैर सरकारी टी.वी. चैनल द्वारा कराये गये सर्वेक्षण के अनुसार ड्रिप सिंचाई को शामिल करके माइक्रो-सिंचाई की प्रक्रिया। के माध्यम से कम वर्षा के बावजूद धान और कपास जैसी फसलों की अच्छी उपज रही है।

महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगा कि क्या भारत सरकार के पास देश भर में बड़े पैमाने पर ड्रिप सिंचाई का बढ़ावा देने का कोई प्रस्ताव है अथवा नहीं। मैं यह भी जानना चाहूंगा कि क्या सरकार के पास माइक्रो-सिंचाई अपनाने वाले किसानों को प्रोत्साहन देने का कोई प्रस्ताव है। वर्तमान प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत, राज्य सरकारों को मात्र एक करोड़ की राशि की पेशकश की गयी है। मैं यह जानना चाहूंगा कि सरकार का माइक्रो सिंचाई अपनाने वाले किसानों को किस तरह के प्रोत्साहन देने का विचार है।

श्री शरद पवार: महोदय, आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गयी थी। उस समिति की रिपोर्ट पहले ही प्रस्तुत की जा चुकी है और इसे नायडू समिति रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। समिति ने कई सिफारिशें की हैं। सरकार ने कतिपय निर्णय भी किए हैं। हम एक नयी माइक्रो सिंचाई नीति, संभवत: फरवरी 2005 से लागू करने पर विचार कर रहे हैं। योजना आयोग द्वारा प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है और मैं समझता हूं, केन्द्र सरकार इसमें 50 प्रतिशत राजसहायता प्रदान कर पायेगी। हम राज्य सरकारों से 25 प्रतिशत राजसहायता प्रदान किये जाने की अपेक्षा कर रहे हैं और शेष 25 प्रतिशत राशि का भार किसान उठायेंगे।

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा, इन्होंने लिखा है कि सर्वोत्तम फसल उत्पादन करने वाले राज्यों को पुरस्कृत करने के लिए सरकार ने प्रोत्साहन योजना स्वीकार की है। क्या यह प्रोत्साहन योजना केवल राज्यों के लिए ही हैं, क्योंकि आपने अपने उत्तर में लिखा है कि राज्यों को पांच समूहों में बांट दिया जाता है। इन राज्यों को पांच समूहों में विभाजित करने के मापदंड क्या-क्या हैं? इस संदर्भ में फसल पैदा करने वाले किसानों को प्रोत्साहन करने के उपायों से परिचित कराने के लिए क्या सरकार कोई

कदम उठा रही है? ये योजनाएं वातानुकूलित कमरों में लक्ष्य निर्धारित करने के लिए बन जाती हैं, वस्तुस्थिति और धरातल पर जो स्थिति है, वह अन्य है। क्या सरकार का ध्यान इस तरफ गया है कि कई राज्यों में बिजली की कमी और सिंचाई के पानी के अभाव से रबी की फसलों में निरंतर गिरावट आ ही है तो लक्ष्य की पूर्ति कैसे हो सकेगी, यह मैं जानना चाहता हूं?

श्री शरद पवार: अध्यक्ष महोदय, यह बात सच है कि माननीय सदस्य जहां से आते हैं, वहां बिजली की कमी के बारे में हमें भी पता चला है, मगर इस बारे में स्टेट गवर्नमेंट को तय करना चाहिए। खरीफ में जितना शार्टफाल हुआ, उसके लिए खास तौर पर स्टेट गवर्नमेंट की एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की मशीनरी गेल्वेनाइज करने के लिए हमने कुछ स्कीम निकाली थी। वहां पांच जौन किए और इन पांच जौन्स में, जहां एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री अच्छा काम करेगी, उन्हें एक करोड़ रुपये और सिल्वर पैग का एक प्राइस एनाउंस किया। इसके पहले नेशनल लेवल, डिवीजन लेवल और स्टेट लेवल पर मीटिंग की।

उनको यह सब बताया गया। आल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन और कृषि विज्ञान केन्द्र के माध्यम से भी इसका प्रसार किया गया और मुझे विश्वास है कि ठीक तरह से राज्य सरकारों का इसमें कोआपरेशन मिल रहा है।

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया: अध्यक्ष महोदय, आज का मूल प्रश्न खरीफ उत्पादन पर है, लेकिन अगर हम इसकी नींव देखें तो आज के किसान को किस मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है, जो बिजली और पानी के संकट के बारे में है। यह संकट भविष्य में और भी गम्भीर होने वाला है। मध्य प्रदेश जैसे राज्य में पानी और बिजली की कमी से त्राहि-त्राहि मची हुई है। जो पार्टी बिजली, पानी और सड़क के मुद्दे पर सरकार में आई, आज पूरी तरह से उसकी विफलता हमारे सामने है। मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा कि अन्तर्राष्ट्रीय जगत में इजराइल और अमेरिका जैसे कई ऐसे देश हैं, जहां पानी की किल्लत होने के बावजूद आज वहां अधिकतम पानी मिलता है तो हमारी सरकार की जल संसाधन मंत्रालय के साथ मिलकर क्या सोच है, ताकि हमारे गरीब किसानों को पानी और बिजली की किल्लत न हो? पार्ट 'ख' में कृषि के क्षेत्र में पूर्व सरकार ने सबसे कम केवल 1.4 प्रतिशत अधोसंरचना में राशि लगाई थी। हमारी सरकार किसान की तरफ प्रतिबद्ध है तो इस सोच में, अधोसंरचना बढ़ाने में सरकार की क्या सोच है?

श्री शरद पवार: यह बात सच है कि हमारे देश में 60 प्रतिशत खेती है, जहां पानी का इन्तजाम पक्का नहीं है, सिर्फ 40 प्रतिशत जमीन इरिंगेटिड है। इसलिए 60 प्रतिशत जो जमीन इरिंगेटिड नहीं है, उस पर ज्यादा ध्यान देना चाहेंगे। इस सरकार ने ड्राई लैंड फार्मिंग के लिए ज्यादा ध्यान दिया है, प्रायोरिटी दी है। नम्बर दो-इसके साथ-साथ माइक्रो इरीगेशन पर भी ज्यादा ध्यान दिया है। इससे पहले जैसा मैंने कहा कि माइक्रो इरीगेशन के लिए एक नई स्कीम अगली फरवरी में हम इण्ट्रोड्यूस करना चाहते हैं, जिसमें किसानों को ज्यादा राहत दी जायेगी। उसी तरह से ड्राई लैंड फार्मिंग के बारे में, वाटरशेड के बारे में भी ज्यादा राशि राज्य सरकारों को दी जायेगी और खास तौर से इन दो प्रोग्राम पर ज्यादा ध्यान दिया जायेगा।

तीसरा जो सवाल उठाया गया, उस पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, इससे पहले ध्यान नहीं दिया था। यह बात सच है कि कई कदम उठाये गये, मैं एक ही मिसाल देना चाहता हूं। जहां तक एग्रीकल्चर क्रेडिट की बात है, इस साल यह सरकार आने के बाद जो किसानों को एग्रीकल्चर क्रेडिट सप्लाई होती है, इसमें 55 परसेंट राइज हुआ है, इतना बड़ा राइज इससे पहले कभी नहीं हुआ था। इस सरकार की नीति खेती को और किसानों को ज्यादा राहत देने की है व रहेगी।

[अनुवाद]

श्री अलकेश दास: महोदय, प्रश्न के उत्तर में, माननीय मंत्री जी ने उत्पादन बढ़ाने वाले कुछ कदमों के बारे में बताया है। उनमें से एक प्रदर्शनियों और कृषि मेलों का संगठन है।

मैं माननीय मंत्री जी से सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि सरकार की ओर से इस सम्बंध में किस प्रकार की सहायता की पहल की जा सकती है।

श्री शरद पवार: हम इस प्रकार के मेलों के आयोजन के लिए थोड़ी बहुत आर्थिक सहायता देते हैं। लेकिन इन मेलों को आवश्यक रूप से कृषि ग्रामीण विश्वविद्यालयों द्वारा आयोजित किया जाना चाहिए। अंतिम बड़ा मेला पंत नगर में आयोजित किया गया था। हमने राज्य सरकारों को लिखा है कि उन्हें इस प्रकार के मेलों को कृषि विश्वविद्यालयों के प्रचालन वाले प्रत्येक क्षेत्र में व्यावहारिक रूप से आयोजित करना चाहिए।

[हिन्दी]

प्रो. महादेवराव शिवनकर: अध्यक्ष महोदय, खरीफ की फसल के क्षेत्र में भारी गिरावट आई है। इसके साथ-साथ उत्पादन भी कम हुआ है। ऐसी परिस्थिति में कई राज्यों में अकाल की परिस्थिति है। मैं विशेष रूप से महाराष्ट्र के बारे में पूछना चाहूंगा, जहां से माननीय मंत्री महोदय भी आते हैं। खरीफ फसल का महाराष्ट्र में नुकसान हुआ, उस सम्बन्ध में क्या यह सरकार महाराष्ट्र

सरकार को कुछ मदद करने वाली है? महाराष्ट्र सरकार ने कितनी मांग की है और आपने उस सम्बन्ध में क्या-क्या मदद की और क्या करने वाले हैं?

श्री शरद पवार: नुकसान के बारे में अभी तो मेरे पास कोई इण्टीमेशन नहीं है, लेकिन बार-बार महाराष्ट्र सरकार की तरफ से मेरे पास सूचना आ रही है कि ज्यादा प्रोडक्शन कपास का हुआ है और कुछ फसलों का हुआ है, उनका प्रिक्यूरमेंट करने के लिए ज्यादा से ज्यादा सेण्टर खोले जायें और अच्छा इन्तजाम किया जाये। इतना ज्यादा प्रोडक्शन कम होता है तो बारिश ठीक हो तो ही होता है और इसलिए बहुत कुछ सूखे की परिस्थिति कुछ ब्लाक्स छोड़कर पूरी स्टेट में है, ऐसा हमारे सामने अभी तक लाया नहीं गया है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री के.एस. राव। कृपया सटीक व संक्षिप्त प्रश्न पूछिए।

श्री के.एस. राव: महोदय, आंध्र प्रदेश माननीय कृषि मंत्री द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भागीदारी निभाने वाले अग्रणी राज्यों में से एक है। परन्तु पिछले चार वर्षों के दौरान फसलें अच्छी नहीं होने के कारण हम काफी संकट का सामना कर रहे हैं। भारत सरकार ने ऋणों का पुन: नियतन करके तथा तत्पश्चात राष्ट्रीयकृत बैंकों और नाबार्ड के माध्यम से नए वित्त की व्यवस्था करके हमारी सहायता की है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: यह पैडी का सवाल है और आप रबी के बारे में पूछ रहे हैं।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री के.एस. राव: मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या वह रबी की फसल के लिए भी नौ जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों, जिनकी कुल आस्तियां नाबार्ड द्वारा निर्धारित मानकों से कम हो गयी हैं, के लिए भी नाबार्ड के माध्यम से ऋण की व्यवस्था करेंगे।

अध्यक्ष महोदय: मैं नहीं समझता हूं कि मंत्री महोदय इसका उत्तर देंगे।

श्री के.एस. राव: यह राष्ट्र के हित में है।

अध्यक्ष महोदय: आप संसार की किसी भी बात को यहां नहीं उठा सकते। इसे अनुपूरक प्रश्न के रूप में नहीं पूछा जा सकता। माननीय मंत्री को सभी कुछ पता है। वह आपको उत्तर दे सकते हैं।

श्री शरद पवार: ऋण दिए जाने के संबंध में, मैं एक राज्य विशेष के बारे में बताने में असमर्थ हूं। परन्तु मैं आपको रबी के बारे में बता सकता हूं। पिछले वर्ष रबी के मौसम में, देश में कृषि ऋण के रूप में कुल 36,792 करोड़ रुपये मुहैया कराए गए थे। इस वर्ष अक्टूबर, 2004 तक मुहैय्या करायी गयी कुल धनराशि 62,000 करोड़ रुपए है। यह पिछले वर्ष के ऋण की तुलना में लगभग दुगुनी है। इससे निश्चित तौर पर रबी फसल की समस्या सुलझ जाएगी।

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते: अध्यक्ष जी, मंत्री जी ने अभी उत्तर दिया है कि महाराष्ट्र में कपास का उत्पादन ज्यादा होने के संदर्भ में राज्य सरकार ने भारत सरकार से सहायता मांगी है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पिछले दो साल से महाराष्ट्र में मराठवाड़ा के कुछ हिस्से, पश्चिम महाराष्ट्र के कुछ हिस्से तथा विदर्भ के कुछ हिस्से निरंतर सूखे से ग्रस्त रहे हैं। इस सूखे से किसानों को काफी नुकसान हुआ है। इस कारण खासकर विदर्भ के कई किसानों ने आत्महत्या की है। इन आत्महत्याओं को रोकने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने लगभग 1700 करोड़ रुपये की मांग भारत सरकार से की है। इसमें कुछ सहायता निश्चित रूप से भारत सरकार ने की है। मैं जानना चाहूंगा कि इस बारे में क्या कृषि मंत्री को कुछ जानकारी है?

दूसरा, महाराष्ट्र सरकार ने पूरे महाराष्ट्र क्षेत्र में छ: घंटे तक लोड शैडिंग शुरू किया है, क्या इसकी जानकारी भी मंत्री महोदय को है?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय, आप सिर्फ प्रथम भाग का उत्तर दीजिए।

[हिन्दी]

श्री शरद पवार: अध्यक्ष महोदय, जहां तक सूखा पड़ने वाले क्षेत्र में मदद करने की बात है, तो इस सरकार के आने के बाद अनाज और कैश सपोर्ट दोनों में 500 करोड़ रुपये की मदद राज्य सरकार को दी गयी है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: दूसरे महाराष्ट्रियन सदस्य मुझसे काफी नाराज हैं।

श्री बालासाहिब विखे पाटील।

[हिन्दी]

श्री बालासाहिब विखे पाटील: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आपने पांच जोन्स उत्पादन बढ़ाने के लिये बनाये हैं जिसे आप एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन से बनाने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ एग्रो क्लाइमेटिक कंडीसन से रिसर्च हो गया तो उत्पादन में वृद्धि होगी। मैं पूछना चाहता हूं कि सूखा पड़ने की स्थिति में जो सीड बनता है, जो ड्राउट रेसिस्टेंस वैरायटी है, उसके बारे में क्या प्रगति हो रही है?

श्री शरद पवार: अध्यक्ष महोदय, जहां तक टोटल रेसिस्टेंस सीड का सवाल है, तो 60 परसेंट रेनफेड एरिया इस देश में होने के बाद हमें ड्राउट रेसिस्टेंस क्वालिटी सीड में बढ़ाने की आवश्यकता है। यह सूचना हमने सब साइंटिस्ट्स को दी है तथा हमने उन्हें कहा है कि वे इस पर ज्यादा ध्यान देकर काम करें।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री महताब। आधा मिनट प्रश्न के लिए तथा आधा मिनट उत्तर के लिए।

श्री भर्तृहरि महताब: महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस बात से अवगत है कि पिछले अनेक वर्षों से फसल उगाये जाने वाले क्षेत्र घटते जा रहे हैं। ऐसा सिर्फ पिछले वर्ष और इसी वर्ष ही नहीं हुआ है बल्कि ऐसा पिछले अनेक वर्षों से हो रहा है क्योंकि किसानों को उनके उत्पाद की यहां तक कि न्यूनतम लागत भी नहीं मिल पा रही है। सरकार किसानों को प्रोत्साहन देने हेतु क्या कदम उठा रही है ताकि वे जमीन को खाली न छोड़ें।

श्री शरद पवार: आम तौर पर, जब कभी भी राष्ट्रीय आपदा आती है तो इसका असर खेतों में दिखता है। खेतों को खाली छोड़ना किसानों की कोई आदत नहीं है। हमें उनकी सहायता करनी है और उनकी समस्याएं सुलझानी हैं। मैं समझता हूं कि वह समय बीत गया है जब उन्हें चार या पांच किस्में दी जाती थीं।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले: अध्यक्ष महोदय, अपने देश में 60 प्रतिशत से भी ज्यादा नान-इरीगेटेड लैंड है। मेरा सरकार से सवाल है कि अभी अपनी सरकार आई है तो हम कितने साल में वह लक्ष्य पूरा कर सकते हैं। कितने साल में हम वह लक्ष्य पूरा कर लेंगे?

श्री शरद पवार: देश की पूरी जमीन इरीगेटेड करने के लिए कोई प्रस्ताव सरकार के सामने नहीं है लेकिन पानी का इस्तेमाल कैसे ठीक तरह से कर सकते हैं और साथ-साथ ड्राई लैंड फार्मिंग की टैकनीक में इसे कैसे प्रपोगेट कर सकते हैं, इस पर हमें ध्यान देना होगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न काल समाप्त हो गया है। मैं सहयोग के लिए आप लोगों का आभारी हूं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

घटिया बीजों की बिक्री पर रोक लगाने संबंधी कानून

***267. श्री रायापति सांबासिवा राव:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) घटिया और निम्न कोटि के बीजों का उत्पादन और बिक्री करने वाली कम्पनियों पर कार्यवाही करने के लिए मौजूदा कानून क्या हैं;

(ख) क्या ये कानून घटिया बीजों को बिक्री पर रोक लगाने में पर्याप्त हैं;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश में ऐसी विनिर्माता कम्पनियों का वर्षवार ब्यौरा क्या है जिनके विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है;

(घ) सरकार द्वारा इस कानून को अधिक प्रभावी बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार घटिया बीजों की बिक्री को रोकने के लिए कानून को लागू करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त कानून को कब तक लागू किए जाने की सम्भावना है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) बीज अधिनियम, 1966 और बीच नियमावली, 1968 के तहत अधिसूचित प्रकारों और किस्मों के बीजों की गुणवत्ता का विनियमन किया जाता है। बीज (नियंत्रण) आदेश, 1983 सभी प्रकार के बीजों के उत्पादन, आपूर्ति तथा वितरण का विनियमन करता है।

(ख) से (ङ) उपर्युक्त नियमों के क्रियान्वयन का अधिकार राज्य सरकारों को है। ये नियम राज्य सरकारों को नकली और कम गुणवत्ता वाले बीजों का निर्माण करने वाली कंपनियों के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए अधिकार प्रदान करते हैं। तथापि, सरकार ने मौजूदा बीज अधिनियम को प्रतिस्थापित करने के लिए, अन्यां के साथ-साथ राज्य सभा में एक नया बीज विधेयक, 2004 प्रस्तुत किया है ताकि बीज विनियमन का सुदृढ़ीकरण किया जा सके। विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान बीज विधि प्रवर्तन तथा बीज (नियंत्रण) आदेश (सीड्स ला एनफोर्समैंट एंड सीड्स (कंट्रोल) आर्डर) के क्रियान्वयन की स्थिति का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण पर दिया गया है।

(च) नए बीज विधेयक, 2004 की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

* निष्पादन संबंधी आंकड़ों के आधार पर किस्मों का अनिवार्य पंजीकरण;
* जांच आयोजित करने के लिए भा.कृ.अ.प. के केन्द्रों, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों तथा निजी संगठनों को मान्यता (एक्रिडिटेशन) प्रदान करना;
* प्रमाणन के लिए संगठनों को मान्यता प्रदान करना;
* किस्मों की राष्ट्रीय पंजिका का रख-रखाव;
* बीजों के आयात व निर्यात का विनियमन करना;
* किसानों को बिना पंजीकरण के उनके बीज की बचत करने, उपयोग में लाने, आदान प्रदान करने, शेयर करने या बिक्री करने की छूट;
* निजी बीज परीक्षण प्रयोगशालाओं को मान्यता प्रदान करना;
* बड़े व छोटे उल्लंघनों के लिए दण्ड में वृद्धि;
* आनुवंशिकीय रूप से परिशोधित (जी एम) फसलों को विनियमित करने तथा टर्मिनेटर बीज पर प्रतिबंध लगाने के लिए प्रावधान शामिल करना;
* बीज उत्पादक कम्पनियों द्वारा किसानों को क्षतिपूर्ति के लिए प्रावधान।

संबंधित बीज बिल पहले ही 9 दिसम्बर, 2004 को राज्य सभा में प्रस्तुत कर दिया गया है।

विवरण

वर्ष 2001-02 के दौरान बीज विधि प्रवर्तन की प्रगति रिपोर्ट

क्र.सं.	राज्य	अधिसूचित निरीक्षकों की संख्या	आहरित नमूनों की कुल सं.	घटिया पाए गए नमूनों की सं.	घटिया बीज बेचने वाले बीज डीलरों की संख्या	चेतावनी जारी किए जाने वाले मामलों की संख्या	बिक्री रोकने के आदेश वाले मामलों की कुल संख्या	विधि न्यायालय में फाइल किए गए मामलों की संख्या	कोर्ट द्वारा निर्णय के मामलों की संख्या, दी गई सजा/जुर्माना	न्यायालय में लम्बित मामलों की संख्या	उन मामलों की संख्या जिनके तहत बीज जब्त कर लिए गए हैं
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आंध्र प्रदेश	1160	10601	577	352	—	35	73	7	66	—
2.	असम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3.	अंडमान	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4.	अरुणाचल प्रदेश	—	1403	485	—	—	—	—	—	—	—
5.	बिहार	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6.	चंडीगढ़	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.	छत्तीसगढ़	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8.	दिल्ली	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9.	दादरा व नगर	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10.	दीव और दमन	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11.	गुजरात	74	3089	84	84	63	—	30	7	21	—
12.	गोवा	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13.	हरियाणा	81	4834	286	114	102	12	1	1	23	—
14.	हिमाचल प्रदेश	8	150	2	2	2	—	—	—	—	—
15.	जम्मू व कश्मीर	6	725	26	80	1	43	6	16	8	—
16.	झारखंड	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17.	कर्नाटक	489	6624	118	66	86	45	32	—	—	—
18.	केरल	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19.	लक्षद्वीप	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20.	मध्य प्रदेश	4980	4876	594	102	102	102	4	2	2	—
21.	मेघालय	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22.	महाराष्ट्र	874	10946	265	110	169	481	257	45	486	—
23.	मणिपुर	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24.	मिजोरम	13	130	—	—	—	—	—	—	—	—
25.	नागालैण्ड	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26.	उडीसा	8	2075	541	—	—	_	—	—	—	—
27.	पंजाब	1190	3752	481	461	446	—	—	—	—	—
28.	पांडिचेरी	14	371	25	10	25	—	—	—	—	—
29.	राजस्थान	352	3834	67	—	—	—	—	—	—	—
30.	सिक्किम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31.	तमिलनाडु	59	20767	1608	1105	876	1098	138	90	48	—
32.	त्रिपुरा	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33.	उत्तर प्रदेश	690	2905	133	133	64	69	4	4	—	—
34.	उत्तरांचल	20	53	21	—	—	—	—	—	—	—
35.	पश्चिम बंगाल	258	8086	1328	664	625	664	—	—	—	—
	कुल	10276	85221	6641	3283	2561	2549	545	172	654	—

वर्ष 2002-03 के दौरान बीज विधि प्रवर्तन की प्रगति रिपोर्ट

क्र.सं.	राज्य	अधिसूचित निरीक्षकों की संख्या	आहरित नमूनों की कुल सं.	घटिया पाए गए नमूनों की सं.	घटिया बीज बेचने वाले बीज डीलरों की संख्या	चेतावनी जारी किए जाने वाले मामलों की संख्या	बिक्री रोकने के आदेश वाले मामलों की संख्या	विधि न्यायालय में पेश किए गए मामलों की संख्या	कोर्ट द्वारा निर्णय के मामलों की संख्या, दी गई सजा/जुर्माना	न्यायालय में लम्बित मामलों की संख्या	उन मामलों की संख्या जिनके द्वारा बीज जब्त कर लिए गए हैं
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आंध्र प्रदेश	1,160	9,413	672	142	4	28	51	18	135	3
2.	असम	474	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	—	—	—	—
3.	अंडमान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
4.	अरुणाचल प्रदेश	शून्य	1,533	501	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
5.	*बिहार	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6.	चंडीगढ़	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
7.	*छत्तीसगढ़	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8.	दिल्ली	10	298	7	8	1	8	7	—	—	—
9.	दादरा व नगर हवेली	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
10.	दीव और दमन	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
11.	गुजरात	76	3,103	67	67	26	3	31	—	—	1
12.	गोवा	10	91	18	—	—	—	—	—	—	—
13.	हरियाणा	81	2,900	102	82	87	8	2	—	5	—
14.	हिमाचल प्रदेश	8	227	1	—	1	—	—	—	—	—
15.	जम्मू व कश्मीर	6	973	55	33	—	106	33	23	10	—
16.	झारखंड	22	721	95	—	—	—	—	—	—	—
17.	कर्नाटक	1,232	6,777	96	46	75	56	21	—	—	—
18.	*केरल	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19.	लक्षद्वीप	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
20.	मध्य प्रदेश	4,980	3,058	377	102	102	102	4	2	2	—
21.	*मेघालय	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22.	महाराष्ट्र	874	11,323	384	184	309	369	753	45	496	—
23.	मणिपुर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
24.	मिजोरम	8	22	8	—	—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25.	नागालैण्ड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
26.	*उडीसा	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27.	पंजाब	1,190	4,125	313	313	313	—	—	—	—	—
28.	पांडिचेरी	14	153	9	4	4	—	—	—	—	—
29.	राजस्थान	352	4,254	62	62	19	23	27	1	26	—
30.	सिक्किम	8	5,005	56	—	—	—	—	—	—	
31.	तमिलनाडु	59	20,775	1,085	875	706	985	84	76	8	2
32.	त्रिपुरा	54	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33.	उत्तर प्रदेश	487	1,803	78	64	48	16	4	4	—	—
34.	उत्तरांचल	20	56	13	—	—	—	—	—	—	—
35.	*पश्चिम बंगाल	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	कुल	10,643	76,588	39,99	1,982	1,695	1,704	1,017	169	682	6

*अभी तक सूचना प्राप्त नहीं हुई।

वर्ष 2003-04 के दौरान बीज विधि प्रवर्तन की प्रगति रिपोर्ट

क्र.सं.	राज्य	अधिसूचित निरीक्षकों की संख्या	आहरित नमूनों की कुल सं.	घटिया पाए गए नमूनों की सं.	घटिया बीज बेचने वाले बीज डीलरों की संख्या	चेतावनी जारी किए जाने वाले मामलों की संख्या	बिक्री रोकने के आदेश वाले मामलों की संख्या	विधि न्यायालय में दायर किए गए मामलों की कुल संख्या	कोर्ट द्वारा निर्णय के मामलों की संख्या, दी गई सजा/जुर्माना	न्यायालय में लम्बित मामलों की संख्या	उन मामलों की संख्या जिनके तहत बीज जब्त कर लिए गए हैं
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	*आंध्र प्रदेश	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2.	असम	474	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3.	अंडमान	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4.	अरुणाचल प्रदेश	—	1029	147	—	—	—	—	—	—	—
5.	*बिहार	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6.	चंडीगढ़	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7.	*छत्तीसगढ़	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8.	*दिल्ली	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-
9.	दादरा व नगर हवेली	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.	दीव और दमन	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11.	गुजरात	—	3332	98	—	—	—	—	—	—	—
12.	गोवा	10	1170	—	—	—	—	—	—	—	—
13.	हरियाणा	81	3281	65	65	59	4	2	—	5	—
14.	हिमाचल प्रदेश	225	675	—	—	—	—	—	—	—	—
15.	*जम्मू व कश्मीर	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16.	*झारखंड	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17.	कर्नाटक	1232	6107	61	44	50	36	10	—	—	—
18.	*केरल	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19.	लक्षद्वीप	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20.	मध्य प्रदेश	4980	3360	271	—	—	—	—	—	—	—
21.	*मेघालय	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22.	*महाराष्ट्र	884	10902	408	409	365	400	753	52	469	—
23.	मणिपुर	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24.	मिजोरम	8	1000	245	—	—	—	—	—	—	—
25.	*नागालैण्ड	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26.	*उडीसा	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27.	*पंजाब	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28.	*पांडिचेरी	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29.	*राजस्थान	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30.	सिक्किम	—	1304	18	—	—	—	—	—	—	—
31.	*तमिलनाडु	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32.	*त्रिपुरा	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33.	*उत्तर प्रदेश	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
34.	उत्तरांचल	—	56	13	—	—	—	—	—	—	—
35.	*पश्चिम बंगाल	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	कुल	7894	29216	1326	518	474	440	765	52	469	—

टिप्पणी: *सूचना अभी नहीं मिली है।

–सूचना शून्य है।

वर्तमान वर्ष अर्थात् 2004-05 के लिए सूचना अभी नहीं मिली है। (यह जून, 2005 के महीने में उपलब्ध होगी।)

वर्ष 2001-02 के दौरान बीज (नियंत्रण) आदेश, 1983 की प्रगति रिपोर्ट

क्र.सं.	राज्य	नियुक्त निरीक्षकों की संख्या	लाइसेंस जारी किए गए बीज डीलरों की सं.	अस्वीकृत लाइसेंस के मामलों की संख्या	आहरित किए गए नमूनों की सं.	दस्तावेज जब्त किए जाने वाले मामलों की संख्या	अनिवार्य वस्तु अधिनियम के तहत अभियोजन के मामले	बीज जब्ती के मामलों की संख्या	इस अवधि में बीज डीलरों की अपीलों की संख्या	अपील के लिए कोर्ट में फाइल मामले	अपीलीय अधिकारी के समक्ष लंबित मामले
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आंध्र प्रदेश	1160	9479	—	3080	—	—	35	—	3	—
2.	असम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3.	अंडमान	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4.	अरुणाचल प्रदेश	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5.	बिहार	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6.	चंडीगढ़	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7.	छत्तीसगढ़	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8.	दिल्ली	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9.	दादरा व नगर हवेली	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10.	दीव और दमन	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11.	गुजरात	78	1281	—	3089	—	—	—	—	30	—
12.	गोवा	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13.	हरियाणा	81	6025	3	2417	—	3	—	1	3	—
14.	हिमाचल प्रदेश	225	378	—	—	—	—	—	—	—	—
15.	जम्मू व कश्मीर	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16.	झारखंड	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17.	कर्नाटक	489	4644	6	6624	14	—	4	—	—	—
18.	केरल	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19.	लक्षद्वीप	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20.	मध्य प्रदेश	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21.	मेघालय	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22.	महाराष्ट्र	—	511	—	10946	—	—	4	2	—	—
23.	मणिपुर	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24.	मिजोरम	8	—	11	—	—	—	—	—	—	—
25.	नागालैण्ड	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26.	उड़ीसा	730	14	—	2075	—	—	—	—	—	—
27.	पंजाब	150	3283	—	3752	—	—	—	16	16	—
28.	पांडिचेरी	14	42	—	371	—	—	—	—	—	—
29.	राजस्थान	352	156	—	3834	—	—	—	—	—	—
30.	सिक्किम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31.	तमिलनाडु	55	5076	2	20767	11	1	—	—	—	—
32.	त्रिपुरा	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33.	उत्तर प्रदेश	690	5314	—	2905	—	—	—	—	—	—
34.	उत्तरांचल	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35.	पश्चिम बंगाल	258	7437	—	1216	—	—	—	—	—	—
	कुल	4310	43640	22	61076	25	4	43	23	52	—

वर्ष 2002-03 के दौरान बीज (नियंत्रण) आदेश की प्रगति रिपोर्ट

क्र.सं.	राज्य	नियुक्त निरीक्षकों की संख्या	लाइसेंस जारी किए गए बीज डीलरों की सं.	अस्वीकृत लाइसेंस के मामलों की संख्या	आहरित किए गए नमूनों की सं.	दस्तावेज जब्त किए जाने वाले मामलों की संख्या	अनिवार्य बिक्स अधिनियम के तहत अभियोजन के मामले	बीज जब्ती के मामलों की संख्या	इस अवधि में बीज डीलरों की अपीलों की संख्या	अपील के लिए कोर्ट में फाइल मामले	अपीलीय अधिकारी के समक्ष लंबित मामले
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आंध्र प्रदेश	1,160	8060	—	3,860	—	51	28	2	—	—
2.	असम	474	137	—	3,300	—	—	—	—	—	—
3.	अंडमान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
4.	अरुणाचल प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
5.	*बिहार	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6.	चंडीगढ़	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
7.	*छत्तीसगढ़	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8.	दिल्ली	10	48	—	3	—	—	_	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.	दादरा व नगर हवेली	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
10.	दीव और दमन	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
11.	गुजरात	76	1,506	—	3,103	—	—	3	1	—	—
12.	गोवा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
13.	हरियाणा	81	6,059	—	2,852	—	2	—	1	5	—
14.	हिमाचल प्रदेश	225	419	—	—	—	—	—	—	—	—
15.	जम्मू व कश्मीर	6	161	—	973	—	33	—	—	—	—
16.	झारखंड	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17.	*कर्नाटक	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18.	*केरल	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19.	लक्षद्वीप	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
20.	मध्य प्रदेश	4,980	176	—	—	—	—	—	—	—	—
21.	*मेघालय	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22.	महाराष्ट्र	874	2,764	71	11,323	—	—	11	—	—	—
23.	मणिपुर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
24.	मिजोरम	—	—	—	22	—	—	—	—	—	—
25.	नागालैण्ड	1,190	3,798	—	—	—	—	—	—	—	—
26.	*उडीसा	14	47	—	—	—	—	—	—	—	—
27.	पंजाब	352	—	—	4,125	—	—	1	15	—	—
28.	पांडिचेरी	—	—	—	153	—	—	—	—	—	—
29.	राजस्थान	352	—	—	4,176	35	27	5	—	—	—
30.	सिक्किम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31.	तमिलनाडु	59	5.166	—	20,775	5	—	2	—	—	—
32.	त्रिपुरा	54	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33.	उत्तर प्रदेश	690	7,711	—	1,803	—	—	—	4	4	—
34.	*उत्तरांचल	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35.	*पश्चिम बंगाल	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	कुल	10,275	36,072	71	58,847	40	113	50	23	9	शून्य

*सूचना अभी नहीं मिली है।

वर्ष 2003-04 के दौरान बीज (नियंत्रण) आदेश की प्रगति रिपोर्ट

क्र.सं.	राज्य	नियुक्त निरीक्षकों की संख्या	लाइसेंस जारी किए गए बीज डीलरों की सं.	अस्वीकृत लाइसेंस के मामलों की संख्या	आहरित किए गए नमूनों की सं.	दस्तावेज जब्त किए जाने वाले मामलों की संख्या,	अनिवार्य वस्तु अधिनियम के तहत अभियोजन के मामले	बीज जब्ती के मामलों की संख्या	इस अवधि में बीज डीलरों की अपीलों की संख्या	अपील में लिए कोर्ट में पहुंचे मामले	अपीलीय अधिकारी के समक्ष लंबित मामले
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	*आंध्र प्रदेश	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2.	*असम		—	—	—	—	—	—	—	—	—
3.	अंडमान	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4.	अरुणाचल प्रदेश	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5.	*बिहार	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6.	चंडीगढ़	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7.	*छत्तीसगढ़	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8.	*दिल्ली	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9.	दादरा व नगर हवेली	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10.	दीव और दमन	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11.	*गुजरात	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12.	गोवा	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13.	हरियाणा	81	5722	—	3281	—	2	—	—	—	—
14.	हिमाचल प्रदेश	225	571	—	—	—	—	—	—	—	—
15.	*जम्मू व कश्मीर	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16.	*झारखंड	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17.	कर्नाटक	1232	4931	10	—	21	—	8	—	—	—
18.	*केरल	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19.	लक्षद्वीप	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20.	*मध्य प्रदेश	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21.	*मेघालय	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22.	महाराष्ट्र	884	28527	—	10902	—	—	13	—	—	—
23.	*मणिपुर	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24.	*मिजोरम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25.	*नागालैण्ड	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26.	*उडीसा	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27.	*पंजाब	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28.	*पांडिचेरी	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29.	*राजस्थान	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30.	सिक्किम	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31.	*तमिलनाडु	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32.	*त्रिपुरा	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33.	*उत्तर प्रदेश	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
34.	*उत्तरांचल	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35.	*पश्चिम बंगाल	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	कुल	2430	39758	10	14183	21	2	21	—	—	—

टिप्पणी: *सूचना अभी नहीं मिली है।

-सूचना शून्य है।

वर्तमान वर्ष अर्थात् 2004-05 के लिए सूचना अभी नहीं मिली है। (यह जून, 2005 के महीने में उपलब्ध होगी।)

''बाघों की संख्या''

***268. श्री वी. विनोद कुमार: क्या पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नवीनतम आकलन के अनुसार बाघों की कुल संख्या कितनी है और पिछले तीन वर्षों के दौरान उनकी संख्या में कितनी वृद्धि दर्ज की गई है;

(ख) व्यापक संरक्षण उपायों के माध्यम से बाघों की सुरक्षा और इनकी घटती संख्या को रोकने के लिए शुरू की गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और उक्त अवधि के दौरान इन परियोजनाओं से प्राप्त की गई राज्य-वार उपलब्धियां क्या रहीं;

(ग) उक्त अवधि के दौरान वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के उल्लंघन के कुल कितने मामले दर्ज किए/पता लगाए गए तथा उनका ब्यौरा क्या है और नवम्बर, 2004 तक की स्थिति के अनुसार राज्यवार कितने मामले लंबित हैं; और

(घ) बाघों की सुरक्षा के लिए तैयार की गई/बनाए जाने वाली व्यापक कार्य योजना का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीणा): (क) अखिल भारतीय बाघ आकलन चार वर्षों में एक बार किया जाता है तथा वर्ष 1993 तथा 1997 में किए गए आकलन संबंधित आंकड़ों सहित 2001-02 के दौरान किए गए पिछले ऐसे आकलनों का राज्यवार विवरण संलग्न विवरण-I में दिया गया है। अगला अखिल भारतीय आंकलन वर्ष 2005 में किया जाना है।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान बाघ परियोजना की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत 17 राज्यों में स्थित 28 बाघ रिजर्वों को उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता का विवरण संलग्न विवरण-II में दिया गया है। बाघ परियोजना के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता बाघों की संरक्षण स्थिति को सुधारने के साथ-साथ बाघ रिजर्वों की सुरक्षा, पर्यावास विकास, प्रबंधन तथा पारि-विकास के लिए उपलब्ध कराई जाती है।

(ग) वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के उल्लंघन के मामलों के विवरण का रखरखाव केन्द्रीय सरकार के स्तर पर नहीं किया जाता है।

(घ) बाघ संरक्षण हेतु राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना की सीमा में शुरू की गई पहलें संलग्न विवरण-III में दी गई है।

विवरण I

राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार देश में बाघों की संख्या

क्र.सं.	राज्य का नाम	1993	1997	2001-02***
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	197	171	192
2.	अरुणाचल प्रदेश	180	*	61***
3.	असम	325	458	354
4.	बिहार	137	103	76
5.	छत्तीसगढ़	****	****	227
6.	दिल्ली	शून्य	शून्य	शून्य
7.	गोवा	3	6	5
8.	गुजरात	5	1	शून्य
9.	हरियाणा	शून्य	शून्य	शून्य
10.	हिमाचल प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य
11.	जम्मू और कश्मीर	शून्य	शून्य	शून्य
12.	झारखंड	****	****	34
13.	कर्नाटक	305	350	401
14.	केरल	57	73	71
15.	मध्य प्रदेश	912	927	710
16.	महाराष्ट्र	276	257	238
17.	मणिपुर	*	*	शून्य
18.	मेघालय	53	*	47
19.	मिजोरम	28	12	28
20.	नागालैंड	83	*	23^
21.	उड़ीसा	226	194	173

1	2	3	4	5
22.	पंजाब	शून्य	शून्य	शून्य
23.	राजस्थान	64	58	58
24.	सिक्किम	2	*	एन आर
25.	तमिलनाडु	97	62	60
26.	त्रिपुरा	एन आर	*	एन आर
27.	उत्तरांचल	****	****	251
28.	उत्तर प्रदेश	465	475	284
29.	पश्चिम बंगाल	335	361	349
	कुल	3750	3508	3642

एन आर राज्यों द्वारा सूचना नहीं दी गई है।
* बाघ गणना नहीं की गई थी।
** संकलन/पुनरीक्षणाधीन
*** केवल नामदाफा बाघ रिजर्व के लिए।
**** आंकड़े अविभाजित राज्यों में शामिल।
^ पूरा राज्य शामिल नहीं है।

विवरण II

राज्य-वार निर्गम

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	बाघ रिजर्व राज्य का नाम	2001-02	2002-03	2003-04
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	21.00	21.10	22.89
2.	अरुणाचल प्रदेश	82.76	35.875	68.75
3.	असम	46.00	65.70	75.00
4.	बिहार	50.00	25.00	50.00
5.	छत्तीसगढ़	35.00	32.48	80.25
6.	कर्नाटक	181.434	289.56	269.32
7.	केरल	50.00	63.75	120.68
8.	झारखंड	75.65	18.00	35.9915

1	2	3	4	5
9.	मध्य प्रदेश	472.18	786.44	1103.414
10.	महाराष्ट्र	209.231	621.79	228.45
11.	मिजोरम	20.495	98.32	67.56
12.	उड़ीसा	126.81	32.88	151.91
13.	राजस्थान	170.319	294.92	158.330
14.	तमिलनाडु	16.00	125.00	35.00
15.	उत्तरांचल	181.825	168.00	200.91
16.	उत्तर प्रदेश	67.40	32.75	173.585
17.	पश्चिम बंगाल	142.176	168.33	225.17
	कुल	1948.255	2879.895	3067.2105

विवरण III

1. चालू निधिकरण योजनाएं:

केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं, ''बाघ परियोजना'', ''राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभयारण्यों को सहायता'' तथा ''हाथी परियोजना'' के अंतर्गत राज्यों को बाघ सहित जंगली जानवरों को प्रभावी सुरक्षा प्रदान करने के लिए राज्यों की क्षमता तथा अवसंरचना में वृद्धि करने हेतु निधिकरण एवं तकनीकी सहायता मुहैया कराई जाती है।

2. किए गए कानूनी उपाय:

(1) जंगली जानवरों को वन्यजीव (सुरक्षा अधिनियम, 1972, जिसे संशोधित किया गया तथा और अधिक कड़ा बनाया गया है, के अंतर्गत कानूनी सुरक्षा प्रदान की गई है।

(2) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सी बी आई) को वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के अंतर्गत अपराधियों को पकड़ने और उन पर मुकद्दमा चलाने के लिए शक्तियां प्रदान की गई है।

3. प्रशासनिक और अन्य उपाय:

(1) भारतीय जीव-जन्तु बोर्ड ने प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में जनवरी, 2002 में एक राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना (2002-16) को अपनाया है, जिसमें देश में वन्यजीवों के संरक्षण तथा सुरक्षा के लिए रणनीति का उल्लेख किया गया है।

(2) भारत सरकार ने वन्यजीव परिरक्षण हेतु देश के प्रमुख निर्यात तथा व्यापार केन्द्रों पर वन्यजीवों तथा उनके उत्पादों की तस्करी को रोकने के लिए क्षेत्रीय तथा उपक्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किए है।

4. अन्तर्राष्ट्रीय कन्वेंशन:

भारत जैव विविधता संरक्षण तथा जंगली वनस्पतिजात और प्राणिजात के अवैध व्यापार को नियंत्रित करने से संबंधित कई अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशनों का हस्ताक्षरकर्ता है।

5. द्विपक्षीय समझौते:

वन्य जीवों के सीमा-पारीय अवैध व्यापार को नियंत्रित करने के लिए भारत के नेपाल तथा चीन के साथ द्विपक्षीय समझौते विद्यमान है।

6. ग्लोबल टाइगर फोरम:

बाघ संरक्षण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के निपटान के लिए बाघ रेंज देशों का एक ग्लोबल टाइगर फोरम सृजित किया गया है।

7. जन सहयोग प्राप्त करने के लिए की गई पहलें:

* पृथक परियोजनाओं में पहले प्रदान किए गए पारि-विकास और स्वैच्छिक ग्राम अवस्थापना प्रतिपूरक निवेशों को अब बाघ परियोजना के साथ एक "अम्ब्रेला स्कीम" के रूप में विलय कर दिया गया है।

* बाह्य सहायता प्राप्त चालू "भारत पारि-विकास परियोजना" के अंतर्गत 75,600 परिवारों को शामिल करते हुए सात सुरक्षित क्षेत्रों में (जिसमें छः बाघ रिजर्व सम्मिलित हैं) 572 पारि-विकास समितियां गठित की गई हैं ताकि पारस्परिक वचनबद्धता से स्थानीय लोगों की सुरक्षित क्षेत्र के संसाधनों पर निर्भरता में कमी लाई जा सके। अब तक इस परियोजना के अंतर्गत राज्यों को 6 बाघ रिजर्वों के लिए 15,692.30 लाख रुपए की राशि उपलब्ध कराई जा चुकी है।

8. की गई नई पहलें:

* बाघ परियोजना में शामिल करने के लिए आठ और संभावित स्थलों की पहचान की गई है।

* बाघ रिजर्वों में कार्य करने वाले फील्ड स्टाफ को योजना के अंतर्गत "परियोजना भत्ता" दिया गया है।

* मंत्रालय के नियामक मानकों के अनुसार एक विशेषज्ञ दल द्वारा बाघ रिजर्वों की क्षेत्रीय मानीटरी शुरू की गई है।

* अनुसंधान, पशु-चिकित्सा, मानीटरी तथा मूल्यांकन, ड्यूटी का निर्वाह करने के दौरान मारे गए कर्मचारी/व्यक्ति के वैध उत्तराधिकारी को मुआवजा देना तथा बाघों की संख्या की मानीटरी से संबंधित व्यय के अतिरिक्त बाघ रिजर्वों में अवैध शिकार रोधी दस्तों की तैनाती के लिए 100% केन्द्रीय सहायता मुहैया कराई जाती है।

* जी आई एस डोमेन में प्रबंधकीय सहायता प्रणाली अपराध का पता लगाने, वैब के जरिए सूचना का प्रसार और क्षेत्रीय नयाचारों के साथ राष्ट्रीय बाघ मानीटरी और आश्रय स्थल मूल्यांकन प्रणाली तैयार करके महत्वपूर्ण बाघ रिजर्वों को जोड़ने के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी को इस्तेमाल में लाया जा रहा है।

* बाघ परियोजना के अंतर्गत आबंटन को 9वीं योजना के 7500 लाख रुपए से बढ़ाकर 10वीं योजना में 15,000 लाख रुपए कर दिया गया है।

[हिन्दी]

चारा बैंक की स्थापना

*269. **श्री रामदास आठवले:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यों को केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत चारा बैंकों की स्थापना, चारे की गुणवत्ता में सुधार और चारा उत्पादन को बढ़ाने के लिए राज्यवार कितनी सहायता प्रदान/उपलब्ध कराई गई है;

(ख) इन योजनाओं के अंतर्गत सहायता हेतु क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ग) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक राज्य ने इस उद्देश्य के लिए कितनी धनराशि खर्च की है;

(घ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुछ राज्यों द्वारा वित्तीय अनियमितताएं बरती गई हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) केन्द्रीय प्रायोजित योजना "आहार तथा चारा विकास के लिए राज्यों को सहायता" के तहत विगत तीन वर्षों के दौरान चारा बैंकों की स्थापना, गोपशु आहार के रूप में प्रयोग किए जाने के लिए भूसा/सैलूलोसिक अपशिष्ट के संवर्धन और चारा उत्पादन को बढ़ाने के लिए राज्यों को प्रदान की गई सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) चारा बैंकों के संबंध में, सहायता 75:25 (केन्द्र: राज्य) आधार पर प्रदान की जाती है तथा भूसा/सैलूलोसिक अपशिष्ट के संवर्धन के लिए राज्यों को 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के अंतर्गत धनराशि स्वीकृत करते समय योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रस्तावों की व्यवहार्यता तथा राज्य को पहले जारी धनराशि के उपयोग को ध्यान में रखा जाता है।

(ग) विभिन्न राज्यों द्वारा विगत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय प्रायोजित योजना "आहार तथा चारा विकास के लिए राज्यों को सहायता" के तहत खर्च की गई राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) इस विभाग को उक्त केन्द्रीय प्रायोजित योजना के संबंध में राज्यों द्वारा की गई वित्तीय अनियमितताओं के बारे में कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

केन्द्रीय प्रायोजित योजना "आहार तथा चारा विकास के लिए राज्यों को सहायता" के तहत विगत तीन वर्षों के दौरान चारा बैंकों की स्थापना तथा भूसा/सैलूलोसिक अपशिष्ट के संवर्धन और चारा उत्पादन को बढ़ाने के लिए राज्यों को प्रदान की गई सहायता और उपयोग की गई राशि

(लाख रुपए में)

राज्य	वर्ष के दौरान केन्द्रीय प्रायोजित योजना "आहार तथा चारा विकास के लिए राज्यों को सहायता" के तहत जारी धनराशि			विगत तीन वर्षों (2001-2004) के दौरान उपयोग की गई धनराशि
	2001-2002	2002-03	2003-04	
छत्तीसगढ़	17.75	100.00	—	67.50
हिमाचल प्रदेश	—	1.00	2.00	3.00
जम्मू एवं कश्मीर	47.60	55.50	—	64.49
कर्नाटक	—	38.55	25.00	59.92
महाराष्ट्र	—	—	8.44	8.44
मिजोरम	19.60	30.00	39.525	89.125
नागालैंड	30.00	20.00	27.575	77.575
पंजाब	—	20.00	—	5.00
राजस्थान	—	—	40.00	36.32
सिक्किम	30.00	—	—	30.00
त्रिपुरा	12.80	—	57.46	49.27
उत्तरांचल	—	76.75	—	76.75
कुल	157.75	341.80	200.00	567.390

[अनुवाद]

नई पर्यटन योजना

***270. श्री मोहन रावले:**
श्री कैलाश मेघवाल:

क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केवल कुछ राज्य ही देश में पर्यटन की अपार संभावना का उपयोग कर पाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने घरेलू/विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु नई पर्यटन योजनाओं की घोषणा की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा पर्यटन का स्तर विश्वस्तरीय बनाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान, राज्य-वार स्वदेशी एवं विदेशी पर्यटक आगमन संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) देश में और अधिक विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए पर्यटन मंत्रालय द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं:

1. ''इन्क्रेडिबल इंडिया'' अभियान द्वारा इलेक्ट्रानिक एवं प्रिंट मीडिया के माध्यम से ग्राहकों तक सीधी पहुंच स्थापित करना।
2. विश्व स्तर की प्रचार सामग्री का सृजन करना।
3. केन्द्रीयकृत इलेक्ट्रानिक मीडिया अभियान।
4. विदेशों में टुअर आपरेटरों तथा थोक विक्रेताओं के साथ मिलकर प्रत्यक्ष सहकारी मार्केटिंग करना।
5. उभरते बाजारों, विशेषतया चीन, पूर्वोत्तर एशिया तथा दक्षिण पूर्व एशिया के क्षेत्रों पर अधिक ध्यान देना।
6. व्यापार मेलों एवं प्रदर्शनियों में भाग लेना।
7. सम्पादकीय जनसम्पर्क तथा प्रचार को अधिकतम करना।
8. पर्यटक संबंधी प्रकाशनों का सृजन करना।
9. विभिन्न पर्यटन उत्पादों पर स्वयं जानकारी प्राप्त करने के लिए, मीडिया कार्मिकों तथा टूअर आपरेटरों को भारत की सुपरिचितिकरण यात्रा पर आमंत्रित करने के लिए आतिथ्य कार्यक्रम को पुन: प्रवर्तित करना, जिसमें एयर पैसेज प्रदान करना भी शामिल होगा।
10. यूरोप के प्रमुख स्रोत बाजारों में रोड़ शोज प्रारम्भ करना।
11. होटल अवसंरचना विशेषतया बजट होटलों की वृद्धि पर ध्यान देना।
12. प्रमुख पर्यटक गंतव्यों के लिए एयर क्षमता में वृद्धि करने और सड़क अवसंरचना में सुधार करने के माध्यम से सम्पर्क बेहतर करना।
13. इंटरनेट एवं वेब मार्केटिंग का प्रयोग करना।
14. भारत का एक वर्ष-भर गंतव्य के रूप में संवर्धन एवं विपणन करना।

(ङ) राज्यों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को केन्द्रीय वित्तीय सहायता और अन्य योजनाओं के साथ-साथ सामरिक विपणन शुरुआतों के माध्यम से, देश में पर्यटक अवसंरचना के उन्नयन करने के लिए, पर्यटन मंत्रालय की दोहरी रणनीति का उद्देश्य, भारत को विश्व के एक वांछनीय गंतव्य के रूप में अवस्थित करना है।

विवरण

राज्य-वार घरेलू और विदेशी पर्यटक आगमन

2001-2003

क्रम सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	2001		2002		2003		कुल (%) का अनुपात 2003	
		घरेलू	विदेशी	घरेलू	विदेशी	घरेलू	विदेशी	घरेलू	विदेशी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आन्ध्र प्रदेश	52533647	67147	60487370	210310	74138729	479318	24.0	7.1
2.	अरुणाचल प्रदेश*	6349	323	4372	187	2195	123	0.0	0.0
3.	असम	1010651	6171	1953915	6409	2156675	6610	0.7	0.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	बिहार	6061168	85673	6860207	112873	6044710	60820	2.0	0.9
5.	गोवा	1047342	260071	1325296	271645	1725140	314357	0.6	4.7
6.	गुजरात	8272969	30930	5735286	34187	7640479	37534	2.5	0.6
7.	हरियाणा	276287	898	6426763	85281	5903196	84961	1.9	1.3
8.	हिमाचल प्रदेश	5211772	135760	4958917	144383	5543414	167902	1.8	2.5
9.	जम्मू एवं कश्मीर	5246948	21298	4570583	7821	5748846	24330	1.9	0.4
10.	कर्नाटक	14117464	140703	8678670	59545	11175292	249908	3.6	3.7
11.	केरल	5240009	208830	5568256	232564	5871228	294621	1.9	4.4
12.	मध्य प्रदेश	5048851	107824	4903242	67319	5968719	92278	1.9	1.4
13.	महाराष्ट्र*	8479695	915399	9802527	768935	11272906	986544	3.6	14.7
14.	मणिपुर	76527	183	89633	221	92923	257	00	0.0
15.	मेघालय	178697	2390	268609	3146	371953	6304	0.1	0.1
16.	मिजोरम	28771	152	29417	259	35129	279	0.0	0.0
17.	नागालैंड*	9948	920	14263	657	5605	743	0.0	0.0
18.	उड़ीसा	3109976	22854	3289205	23279	3701245	25020	1.2	0.4
19.	पंजाब	474305	3258	317904	7558	1150015	4589	0.4	0.1
20.	राजस्थान	7757217	608283	8300190	438437	12545135	628560	4.1	9.4
21.	सिक्किम	203306	31028	159342	8566	179661	11966	0.1	0.2
22.	तमिलनाडु	23812043	773073	39873160	804041	40213060	901504	13.0	13.4
23.	त्रिपुरा	254912	1512	260586	2602	257331	3196	0.1	0.0
24.	उत्तरांचल	9551669	44429	10606504	45070	10835241	55228	3.5	0.8
25.	उत्तर प्रदेश	68790000	795000	71490000	710000	80020000	825000	25.9	12.3
26.	छत्तीसगढ़	969342	792	1058585	993	1256407	1150	0.4	0.0
27.	झारखण्ड	353177	2979	313134	2244	398346	3223	0.1	0.0
28.	पश्चिम बंगाल	4943097	284092	8844232	529366	11300763	705457	3.7	10.5
29.	अण्डमान एवं निकोबार	84064	5539	90629	5101	85826	4142	0.0	0.1
30.	चंडीगढ़	482133	15203	554948	13706	567259	17057	0.2	0.3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31.	दमन एवं दीव	580322	10290	595449	6569	447825	3274	0.1	0.0
32.	दिल्ली*	1324636	830092	1228059	543036	1430548	693827	0.5	10.3
33.	दादरा एवं नागर हवेली	452000	400	452100	202	447825	136	0.1	0.0
34.	लक्षद्वीप	3501	650	9173	912	4604	682	0.0	0.0
35.	पांडिचेरी	476804	22115	480522	20094	500111	25559	0.2	0.4
	कुल	236469599	5436261	269598028	5157518	309038335	6716479	100.0	100.0

*अनुमानित आंकड़े

स्रोत: राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के पर्यटन विभाग

कम दामों पर खाद और बीज उपलब्ध कराना

*271. **श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:**
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनेक राज्यों के किसानों को कम दामों पर खाद और बीज नहीं मिल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार का विचार यह सुनिश्चित करने हेतु विशेष पैकेज देने का है कि देश में किसानों को रियायती मूल्य पर खाद और बीज मिलें; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) से (ग) फार्म यार्ड खाद, कम्पोस्ट और हरी खाद जैसी अधिकतर जैविक खाद किसानों द्वारा अपने ही खेतों से तैयार की जाती हैं। सरकार विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत सिटी कम्पोस्ट, वर्मी कम्पोस्ट और जैव उर्वरक जैसी विभिन्न प्रकार की जैविक खादों का उत्पादन बढ़ाने, उनके संवर्धन और उपयोग के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। जहां तक रासायनिक उर्वरकों का संबंध है, सरकार रासायनिक उर्वरकों पर राजसहायता/रियायत दे रही है, ताकि किसानों को उचित मूल्यों पर इनकी उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। उर्वरकों के मूल्यों में दिनांक 28.2.2002 से कोई वृद्धि नहीं की गयी है।

बीजों के संबंध में सरकार विभिन्न स्कीमों के अधीन विभिन्न फसलों के बीजों के उत्पादन और वितरण के लिए राजसहायता उपलब्ध करा रही है।

ग्रामीण इलाकों में खाद्यान्न भंडारण क्षमता की कमी

*272. **श्री नवजोत सिंह सिद्धू:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्यान्नों हेतु भंडारण क्षमता की कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों में और अधिक भंडारण क्षमता के सृजन हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) और (ख) ग्रामीण भण्डारण योजना के अधीन 2001-2002 से सरकार द्वारा ग्रामीण गोदामों के निर्माण का कार्य शुरू किया गया है। इस योजना के अधीन 31.3.2004 तक 91.91 लाख टन की कुल क्षमता के 3731 गोदामों का निर्माण किया गया है। राज्यवार स्थिति संलग्न विवरण-I में दी गई है।

इसके अलावा भारतीय खाद्य निगम, केन्द्रीय भण्डारण निगम और राज्य भण्डारण निगमों के पास भण्डारण क्षमता उपलब्ध है। राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण-II से IV में दिए गए हैं।

(ग) भण्डारण क्षमता में और वृद्धि करने के लिए कृषि मंत्रालय ने 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ग्रामीण भण्डारण योजना के अधीन ग्रामीण क्षेत्रों में कुल 140 लाख टन की भण्डारण क्षमता के सृजन का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके अलावा दसवीं पंचवर्षीय योजना में भारतीय खाद्य निगम और केन्द्रीय भण्डारण निगम का क्रमश: 4.35 लाख टन और 9.37 लाख टन के गोदामों का निर्माण करने का प्रस्ताव है।

विवरण I

ग्रामीण गोदाम स्कीम के अधीन निर्माण की राज्यवार स्थिति (नया निर्माण)

(2001-02 से 2003-04 तक)

(क्षमता टन में)

राज्य	गोदामों की संख्या	क्षमता
1	2	3
आंध्र प्रदेश	502	2139810
अरुणाचल प्रदेश	0	0
असम	22	45179
बिहार	158	17150
छत्तीसगढ़	116	541448
गुजरात	189	132033
हरियाणा	165	1081506
हिमाचल प्रदेश	30	3000
जम्मू और कश्मीर	02	2050
झारखंड	0	0
कर्नाटक	598	478530
केरल	28	11237
मध्य प्रदेश	427	525725
महाराष्ट्र	375	560821
मणिपुर	0	0
मेघालय	28	10683
मिजोरम	0	0
नागालैंड	01	1000
उड़ीसा	65	241893
पंजाब	226	2533064
राजस्थान	32	17856
सिक्किम	0	0
त्रिपुरा	0	0
तमिलनाडु	32	31647
उत्तर प्रदेश	122	657874
उत्तरांचल	20	12950
पश्चिम बंगाल	592	144658
लक्षद्वीप	0	0
नेफेड	0	0
सी.सी.एफ.	0	0
संघ राज्य क्षेत्र	1	1000
जोड़	3731	9191114

विवरण II

भारतीय खाद्य निगम की अपनी और प्राइवेट पार्टियों से किराये पर ली गई ढकी हुई भंडारण क्षमता के ब्यौरे

1.10.2004 की स्थिति के अनुसार

आंकड़े लाख टन में

राज्य का नाम	ढके हुए गोदाम	
	अपनी	प्राइवेट पार्टियों से किराये पर ली गई
1	2	3
बिहार	3.66	0.53
झारखंड	0.68	0.23
उड़ीसा	2.93	0.15
पश्चिम बंगाल	8.64	1.05
सिक्किम	0.10	—
असम	1.99	0.46
अरुणाचल प्रदेश	0.18	—

1	2	3
मेघालय	0.14	—
मिजोरम	0.17	—
त्रिपुरा	0.19	—
मणिपुर	0.18	—
नागालैंड	0.17	—
दिल्ली	3.36	—
हरियाणा	7.63	2.23
हिमाचल प्रदेश	0.13	—
जम्मू और कश्मीर	0.83	0.02
पंजाब	21.84	8.14
चंडीगढ़	0.40	—
राजस्थान	7.07	0.21
उत्तर प्रदेश	14.83	0.33
उत्तरांचल	0.66	0.07
आंध्र प्रदेश	12.58	0.30
केरल	5.25	—
कर्नाटक	3.53	—
तमिलनाडु	5.84	—
पांडिचेरी	0.42	—
गुजरात	4.90	—
महाराष्ट्र	11.77	0.63
गोवा	0.15	—
मध्य प्रदेश	3.37	0.68
छत्तीसगढ़	4.99	0.10
सकल जोड़ (अखिल भारत)	128.58	15.13

विवरण III

केन्द्रीय भंडारण निगम की भंडारण क्षमता

1.10.2004 की स्थिति के अनुसार

आंकड़े लाख टन में

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	ढकी हुई क्षमता	
	अपनी	किराये की
1	2	3
आंध्र प्रदेश	11.71	0.63
अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00
असम	0.64	0.02
बिहार	0.85	0.07
चंडीगढ़	0.10	0.01
छत्तीसगढ़	1.88	0.14
दिल्ली	1.08	0.23
गोवा	0.27	0.00
गुजरात	2.73	0.86
हरियाणा	3.67	0.92
हिमाचल प्रदेश	0.07	0.00
जम्मू और कश्मीर	0.00	0.00
झारखंड	0.34	0.00
कर्नाटक	2.39	0.99
केरल	1.19	0.00
मध्य प्रदेश	4.60	1.49
महाराष्ट्र	5.13	1.52
मणिपुर	0.00	0.00
मेघालय	0.00	0.00
मिजोरम	0.00	0.00
नागालैंड	0.13	0.00

1	2	3
उड़ीसा	1.79	0.02
पांडिचेरी	0.07	0.04
पंजाब	5.66	1.34
राजस्थान	2.25	0.76
सिक्किम	0.00	0.00
तमिलनाडु	5.43	0.29
त्रिपुरा	0.24	0.00
उत्तर प्रदेश	9.81	0.48
उत्तरांचल	0.64	0.11
पश्चिम बंगाल	3.56	1.25
जोड़	66.23	11.17

विवरण IV

केन्द्रीय भांडागारण निगमों की भंडारण क्षमता

1.10.2004 की स्थिति के अनुसार

आंकड़े लाख टन में

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	ढकी हुई क्षमता	
	अपनी	किराये की
1	2	3
आंध्र प्रदेश	4.84	17.85
असम	2.00	0.61
बिहार	1.06	1.17
छत्तीसगढ़	29.11	9.00
गुजरात	1.29	0.52
हरियाणा	8.79	4.70
कर्नाटक	4.08	2.28
केरल	1.74	0.16
मध्य प्रदेश	9.39	2.22
महाराष्ट्र	10.90	0.64
मेघालय	0.11	0.00
उड़ीसा	3.96	0.11
पंजाब	24.20	28.37
राजस्थान	6.66	0.34
तमिलनाडु	6.00	0.27
उत्तर प्रदेश	24.25	3.91
पश्चिम बंगाल	1.37	1.13
जोड़	139.75	73.28

हिमालय क्षेत्र में पारिस्थितिकी का संरक्षण

***273. श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी:**
श्री राजेश पाठक:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अक्तूबर 2004 में देहरादून में हिमालय क्षेत्र के वन मंत्रियों का एक सम्मेलन आयोजित हुआ था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसमें क्या-क्या सुझाव दिए गए और सिफारिशें की गयीं; और

(घ) इस सम्मेलन में दिए गए सुझावों और की गयी सिफारिशों पर केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है अथवा किए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना): (क) और (ख) जी, हां। हिमालय राज्यों के वन मंत्रियों का सम्मेलन 11 और 12 अक्तूबर, 2004 को देहरादून में आयोजित किया गया था जिसमें उत्तरांचल और सिक्किम के वन मंत्री और हिमालय क्षेत्र राज्यों के विभिन्न अधिकारियों और कुछ अन्य ने इसमें भाग लिया था। उद्घाटन सत्र में अन्य के अलावा भारत के माननीय उपराष्ट्रपति, उत्तरांचल के माननीय राज्यपाल, उत्तरांचल के मुख्य मंत्री और पर्यावरण एवं वन राज्य मंत्री, भारत सरकार ने

भाषण दिया। उद्घाटन सत्र के बाद तकनीकी सत्र में हिमालय राज्यों के सामान्य हितों, पश्चिम हिमालय के परे पहाड़ी क्षेत्रों की जैवविविधता, कार्बन प्रच्छादन-प्रस्तावों और झीलों, नमभूमियों और हिमखण्ड आदि के भावी संरक्षण पर नजर डालने के लिए प्रस्तुतीकरण किया गया। इसके अतिरिक्त हिमालय क्षेत्र में पारिस्थितिकी और पर्यावरण से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर भी विचार-विमर्श किया गया था। विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों द्वारा भी विचार व्यक्त किए गए थे।

(ग) सम्मेलन की सिफारिशें संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) केन्द्र सरकार को केवल सिफारिशें प्राप्त हुई है जिनका विस्तृत प्रस्तावों में विस्तार किए जाने की आवश्यकता है। केन्द्र सरकार को आगे विचारार्थ और आवश्यक कार्रवाई के लिए राज्यों के दल से इन विस्तृत प्रस्तावों की आवश्यकता होगी।

विवरण

हिमालय क्षेत्र के वन मंत्रियों के 11 और 12 अक्तूबर, 2004 को देहरादून में हुए सम्मेलन की सिफारिशें नीचे दिए अनुसार हैं:

1. हिमालय राज्यों द्वारा उपलब्ध करवाई गई पारिप्रणाली सेवाओं की बहुत अधिक प्रशंसा की जानी चाहिए और निधि के न्यागमन का निर्णय लेते समय इसको ध्यान में रखा जाना चाहिए।

2. राष्ट्रीय नीतियों और कानूनों में हिमालय और इसके लोगों की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

3. भारत सरकार ने हिमालय क्षेत्र और इसके लोगों के मामलों और उनसे जुड़ी अन्य बातों पर ध्यान देने के लिए हिमालय विकास प्राधिकरण का गठन भी किया।

4. भारत सरकार इस क्षेत्र में अतिरिक्त संसाधनों को बढ़ाने के लिए हिमालय वन और पर्यावरण के बचाव के लिए भी निधि स्थापित करें।

5. वर्तमान प्राकृतिक संसाधनों पर भार को कम करने के लिए एल.पी.जी. की लागत पर सब्सिडी और वैकल्पिक निर्माण प्रौद्योगिकियों के विकास को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

6. दावानल, भूस्खलन, तेज बाढ़ अथवा बादल के फटने आदि के कारण कृषि भूमि की हानि आदि जैसी विशेष घटनाओं के समाधान के लिए प्राकृतिक आपदा निधि के क्षेत्र को बढ़ाया जाना चाहिए।

7. हिमालय पर्यावरण और पारिस्थितिकी के पहलुओं के अध्ययन में जुटे हुए संस्थानों को सुदृढ़ बनाया जाना चाहिए और हिमालय क्षेत्र की आवश्यकता को पूरा करने के लिए उनकी प्राथमिकताओं को स्पष्ट रूप से पुन: तैयार किया जाना चाहिए। बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नए संस्थान भी स्थापित किए जाने चाहिए।

8. हिमालय के हिमखण्डों और नमभूमियों के संरक्षण के लिए भी विशेष कार्यक्रम शुरू किए जाने चाहिए।

9. हिमालय के सभी गांवों को वन किनारे के गांव समझा जाना चाहिए और उनके विकास के लिए पर्याप्त अतिरिक्त संसाधन जुटाए जाने चाहिए।

10. हिमाचल पार के क्षेत्र की समस्याओं को भी शीघ्र दूर किया जाना चाहिए।

केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत लाभान्वित हुए मछुआरे

***274. श्री कीर्ति वर्धन सिंह:**
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में मछुआरों के लाभ के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित कोई योजनाएं चलाई जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसी योजनाओं का क्या प्रभाव पड़ा है;

(घ) इस समय विभिन्न तटों पर कितने विदेशी मत्स्यन पोतों को कार्य करने की अनुमति दी गई है; और

(ङ) इन विदेशी पोतों के कार्यकरण से मछुआरों की आजीविका पर क्या प्रभाव पड़ा है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) और (ख) जी, हां। तीन केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं हैं जो मछुआरों को सीधे तौर पर लाभ पहुंचाने के लिए हैं। योजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) इन योजनाओं का प्रभाव इस प्रकार है:

(1) आउट बोर्ड मोटर को लोकप्रिय करके पारंपरिक मत्स्यन क्षेत्र का आधुनिकीकरण करना जिससे समुद्र में मछुआरों की कड़ी मेहनत कम हुई है तथा उनकी सुरक्षा बढ़ी है।

(2) घर निर्माण, बीमा तथा बचत-सह-राहत कार्यक्रम ने पारंपरिक मछुआरों की सामाजिक सुरक्षा को बढ़ाया है।

(3) प्रशिक्षण तथा विस्तार योजना ने मछुआरों के लिए प्रौद्योगिकियों को शुरू करने में सहायता की है।

(4) मत्स्यन बंदरगाहों तथा मछली उतारने के केन्द्रों और नौकाओं को सुरक्षित रूप से ठहराने तथा उनकी कैच को अच्छी हालत में पहुंचाने में मछुआरों की सहायता की है जिससे उनको बेहतर मूल्य प्राप्त हुए।

(घ) इस समय विभिन्न तटों पर किसी विदेशी जलयान को संचालन की अनुमति नहीं दी जाती है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

मछुआरों के लाभ के लिए मत्स्य क्षेत्र के केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं का ब्यौरा

क्र.सं.	योजना का नाम	योजना के प्रमुख घटक	योजना के उद्देश्य
1	2	3	4
1.	समुद्री मात्स्यिकी के बुनियादी ढांचा एवं पोस्ट हार्वेस्ट क्रियाकलापों का विकास	**(क) समुद्री मात्स्यिकी का विकास** (क) उन्नत डिजाइन के मध्यम आकार की नौकाओं का प्रारंभ (ख) संसाधन विशिष्ट गहरे समुद्र के मत्स्यन जलयान (ग) परंपरागत नौकाओं (परिष्कृत) का मोटरीकरण (घ) एच एस डी पर मछुआरा विकास छूट (ङ) समुद्र में मछुआरों की सुरक्षा **(ख) मूलभूत ढांचा एवं पोस्ट हार्वेस्ट क्रियाकलापों का विकास** (क) मत्स्यन बंदरगाह एवं मछली उतारने के केन्द्रों का विकास (ख) ड्रेजर टी एस डी सिंधुराज (चल रहे) का रख-रखाव (ग) पोस्ट हार्वेस्ट संबंधी मूलभूत ढांचे को सुदृढ़ करना	इस कार्यक्रम का उद्देश्य ईंधन पर लगने वाले उत्पाद शुल्क में राजसहायता के द्वारा छोटे स्तर के मशीनीकृत मात्स्यिकी क्षेत्र को सहायता देकर, मछुआरों के नौकाओं के मोटरीकरण के माध्यम से पारंपरिक मछुआरों को प्रोत्साहन देना है जिससे पारंपरिक मछुआरों आदि की सामाजिक आर्थिक स्थिति सुधरे। मत्स्यन बंदरगाह, मछली उतारने के केन्द्रों की स्थापना करना तथा पुराने मत्स्यन तथा मछली उतारने के केन्द्रों का नवीनीकरण करना।
2.	राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण योजना	(क) आदर्श मछुआरा गांव का विकास 1. आवास 2. पीने का पानी 3. सामुदायिक भवन/वर्क शैड (ख) कार्य में लगे मछुआरों के लिए सामूहिक दुर्घटना बीमा (ग) सुरक्षा-सह-राहत	बुनियादी सुविधाएं जैसे घर, सामूहिक कार्य स्थल, मछुआरों को पीने का पानी एवं कमी की अवधि के दौरान सहायता एवं दुर्घटना बीमा प्रदान करना।

1	2	3	4
3.	मात्स्यिकी प्रशिक्षण एवं विस्तार	1. मानव संसाधन विकास 2. प्रत्येक राज्य में तीन-तीन मत्स्य पालक प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना करना 3. हैंडबुकों का प्रकाशन 4. विस्तार/प्रशिक्षण मैनुअलों का प्रकाशन 5. सेमिनार/कार्यशाला का आयोजन (क) राष्ट्रीय स्तर (ख) राज्यीय स्तर 6. मात्स्यकी एवं जलकृषि पर वृत चित्र तैयार करना 7. प्रत्येक राज्य में जागरुकता केन्द्र की स्थापना करना।	मछुआरों को प्रशिक्षण प्रदान करना ताकि मात्स्यिकी विस्तार कार्यक्रम में प्रभावशाली ढंग से हिस्सा लेने में सहायता प्रदान कर सकें।

होटल की दरों में वृद्धि तथा विलासिता कर लगाना

*275. **श्री एस.पी.वाई. रेड्डी:**
श्री पी.एस. गढ़वी:

क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या होटल की दरों में वृद्धि और विलासिता कर लगाने से देश में विदेशी पर्यटकों के आगमन में कमी आई है और घरेलू पर्यटकों के विदेश जाने में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो गत एक वर्ष के दौरान सरकार द्वारा किए गए आकलन, यदि कोई हो, का ब्यौरा क्या है

(ग) क्या सरकार का विचार विलासिता कर की दर में कमी करके देश में पर्यटकों को आकर्षित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी): (क) और (ख) वर्ष 2003 में भारत में विदेशी पर्यटक आगमन में, वर्ष 2002 की तुलना में लगभग 14 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई। इसके अतिरिक्त वर्ष 2004 (जनवरी-नवम्बर) के दौरान भी, पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में लगभग 24 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है।

वर्ष 2002 के दौरान 4.94 मिलियन की तुलना में, वर्ष 2003 में लगभग 5.35 मिलियन पर्यटकों ने विदेश यात्रा की।

(ग) और (घ) होटलों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा लगाए गए व्यय कर को वापिस ले लिया गया है। होटलों पर अन्य कर राज्यों द्वारा लगाए जाते हैं जिससे अनुरोध किया गया है कि वे विलासिता कर सहित इन करों को तर्कसंगत बनाएं।

बकाया भविष्य निधि भुगतान

*276. **श्री चन्द्रकांत खैरे:**
श्री ए.के. मूर्ति:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कई हजार करोड़ रुपए के भविष्य निधि का भुगतान अभी किया जाना है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा ऐसा बकाया वसूल करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव): (क) दिनांक 31.03.2004 की स्थिति के अनुसार, 1862.80 करोड़ रुपये की राशि बकाया थी।

(ख) और (ग) चूककर्ता प्रतिष्ठानों से बकाया देय राशि की वसूली कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के उपबंधों के अनुसार की जाती है। इसमें अधिनियम की

धारा 14 के अन्तर्गत अभियोजन, भारतीय दंड संहिता की धारा 406/409 के अन्तर्गत शिकायतें दर्ज करना, सम्पत्तियों/बैंक खातों की कुर्की और चूककर्ताओं की गिरफ्तारी शामिल है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने प्रत्येक क्षेत्र में वसूली के लिए विशेष दस्ता बनाकर तथा कठोर कार्रवाई में तेजी लाकर बकाया देय राशियों की वसूली के लिए विशेष अभियान चलाया है।

नदियों को परस्पर जोड़ना

*277. **श्री तथागत सत्पथी:**
श्री एम. राजामोहन रेड्डी:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में नदियों को परस्पर जोड़ने की प्रक्रिया जारी रखने के बारे में उच्चतम न्यायालय को आश्वासन दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस प्रयोजनार्थ गठित तकनीकी समिति से कोई रिपोर्ट मिली है;

(घ) यदि हां, तो समिति द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) नदी संपर्क परियोजना की अनुमानित लागत क्या है और वर्ष 2004-05 के दौरान कितनी राशि आवंटित की गई है; और

(च) परियोजना को पूरा करने हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है?

जल संसाधन मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): (क) और (ख) जल संसाधन मंत्रालय, (एम ओ डब्ल्यू आर) ने 26 अक्तूबर, 2004 को एक हलफनामा दायर किया है जिसमें (1) केन-बेतवा एवं पारबती-कालीसिन्ध-चम्बल संपर्कों के संबंध में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने (2) वेबसाइट पर व्यवहार्यता रिपोर्टें (एफआर) प्रस्तुत करने और (3) नदियों को परस्पर जोड़ने संबंधी कार्यक्रम के संबंध में सरकार के राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम (एनसीएमपी) पर अनुवर्ती कार्रवाई करने संबंधी प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का उल्लेख किया गया है।

(ग) और (घ) केन-बेतवा और पारबती-कालीसिन्ध-चम्बल संपर्कों के संबंध में अधिशेष जल के बंटवारे और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की तैयारी के बारे में किसी सहमति पर पहुंचने संबंधी मामलों पर राज्यों के साथ चर्चा करने के उद्देश्य से जून, 2002 में अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग की अध्यक्षता में गठित सहमति दल की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। सर्वसम्मति दल ने केन-बेतवा संपर्क और पारबती-काली सिन्ध-चम्बल संपर्क के संबंध में कई बैठकें आयोजित की और राज्यों के साथ तकनीकी मुद्दों/आपत्तियों पर विचार विमर्श किया और उन्हें स्पष्ट किया। चूंकि बकाया तकनीकी मुद्दों/आपत्तियों पर राज्य सरकारों के साथ विचार-विमर्श किया गया था और उनका स्पष्टीकरण दिया गया था इसलिए सर्वसम्मति दल ने अपनी रिपोर्ट में इस बात की सिफारिश की है कि इन संपर्कों के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्टें तैयार करने के वास्ते संबंधित राज्य सरकारों से अपनी सहमति देने का अनुरोध किया जाये।

(ङ) और (च) नदियों को परस्पर जोड़ने (आईएलआर) संबंधी कार्यक्रम की अनंतिम अनुमानित लागत लगभग 5,60,000 करोड़ रुपये है। राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (एनडब्ल्यूडीए) को आवश्यकता के अनुसार सहायता-अनुदान के तहत नदियों को परस्पर जोड़ने के लिए आवश्यक बजट का आबंटन किया गया है। वर्ष 2004-2005 के लिए राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण का सहायता अनुदान 35 करोड़ रुपये है। संपर्कों के निर्माण को पूरा करने में लगने वाला समय इन संपर्कों के संबंध में राज्यों से मिलने वाली सहमति और सहयोग की तत्परता पर निर्भर करता है।

राष्ट्रीय वन आयोग का गठन

*278. **श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता:**
श्री जसुभाई दानाभाई बारड़:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने समस्त वन प्रशासन में सुधार करने के लिए राष्ट्रीय वन आयोग गठित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो विचारार्थ विषयों सहित उक्त आयोग का ब्यौरा क्या है और उसे अन्य क्या कार्य सौंपे गए हैं;

(ग) आयोग द्वारा अपनी रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार का लक्ष्य देश के 33 प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र को वन क्षेत्र के अंतर्गत लाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो इस दिशा में अभी तक क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना): (क) और (ख) जी हां। सरकार ने निम्नलिखित विचारार्थ

विषयों सहित वन और वन्यजीव क्षेत्र की कार्यप्रणाली की समीक्षा हेतु 7.2.2003 को राष्ट्रीय वन आयोग गठित किया है।

1. पारिस्थितिकीय, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से मौजूदा नीतियों और विधिक फ्रेमवर्क के प्रभाव की समस्त रूप से समीक्षा व आकलन करना।
2. सिविल सोसायटी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अखिल भारतीय व राज्य दोनों स्तरों पर वन प्रशासन और वानिकी संस्थानों की वर्तमान स्थिति की जांच करना।
3. सतत वन और वन्यजीव प्रबंधन और पारिस्थितिकीय सुरक्षा को प्राप्त करने के लिए नीति विकल्पों को दर्शाते हुए सिफारिशें करना।
4. उपरोक्त नीति विकल्पों को प्राप्त करने में सहायता करने की दृष्टि से वन प्रशासन को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए उपाय सुझाना।
5. वानिकी प्रबंधन और स्थानीय समुदायों के बीच जनजातियों सहित अर्थपूर्ण सहभागिता और अन्तरापृष्ठ स्थापित करना।

(ग) राष्ट्रीय वन आयोग का कार्यकाल इसको गठित किए जाने की तिथि से दो वर्षों तक है। आयोग का कार्यकाल अगले छह माह के लिए और बढ़ाया गया है।

(घ) जी, हां।

(ङ) विभिन्न स्टेक होल्डरों के साथ उपयुक्त अंत:क्षेप सुझाने के लिए विचार-विमर्श किया गया और राज्य/संघ शासित सरकारों से अनुरोध किया गया कि वे उच्चतर लक्ष्य प्राप्त करें।

[हिंदी]

गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों (बीपीएल) के लिए विशेष राशन कार्ड

*279. **श्री कमला प्रसाद रावत:**
श्री धर्मेन्द्र प्रधान:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बी पी एल परिवारों में सबसे गरीब परिवार को विशेष ''गुलाबी राशन कार्ड'' जारी करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार ने राज्य सरकारों को ऐसे गुलाबी राशन कार्ड जारी करने हेतु परिवारों की पहचान करने का निदेश दिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अभी तक राज्यवार कितने कार्ड जारी किए गए हैं;

(घ) क्या कुछ राज्य सरकारें उक्त परिवारों की पहचान हेतु कोई कार्यवाही शुरू करने में असफल रही हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या सरकार का विचार यह सुविधा सभी बी पी एल परिवारों को देने का है; और

(छ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा ''गुलाबी राशन कार्ड'' समय पर जारी करना सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) से (ग) देश में निर्धनतम लोगों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले एक करोड़ परिवारों हेतु 25.12.2000 से अंत्योदय अन्न योजना प्रारंभ की गई थी। इस योजना में पहचान किए गए लाभभोगियों को 35 किलोग्राम खाद्यान्न अत्यधिक राजसहायता प्राप्त दरों अर्थात् 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर गेहूं और 3 रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर चावल मुहैया कराए जाते हैं। जून, 2003 में इस योजना में 50 लाख अतिरिक्त गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को शामिल करके इसका प्रथम विस्तार किया गया और अगस्त, 2004 में विशेष रूप से भुखमरी की कगार पर खड़े 50 लाख अतरिक्त गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को शामिल करके इसका दूसरा विस्तार किया गया है।

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन गरीबी रेखा से नीचे और अंत्योदय अन्न योजना परिवारों की पहचान का कार्य राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किया जाता है। अंत्योदय अन्न योजना परिवारों की पहचान करने और उन्हें राशनकार्ड जारी करने के लिए आवश्यक दिशानिर्देश सरकार द्वारा पहले ही जारी किए जा चुके हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अंत्योदय अन्न योजना और गरीबी रेखा से नीचे के तहत कवर किए गए लाभभोगियों को अलग प्रकार के राशनकार्ड जारी करने हैं। अंत्योदय अन्न योजना लाभभोगियों को दिए जाने वाले राशनकार्डों की विशिष्ट पहचान या रंग प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। 16.12.2004 की स्थिति के अनुसार विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अंत्योदय अन्न योजना के तहत पहचान किए गए परिवारों और उन्हें जारी किए गए राशनकार्डों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) और (ङ) अंत्योदय अन्न योजना और गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की पहचान का कार्य सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने कर लिया है और इसे संलग्न विवरण में दर्शाया गया है।

(च) और (छ) जी, नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

(आंकड़े लाख में)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पहचान किए गए अंत्योदय अन्न योजना परिवारों और उनको जारी किए गए राशन कार्ड
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	12.336
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.228
3.	असम	4.115
4.	बिहार	10.000
5.	छत्तीसगढ़	4.619
6.	दिल्ली	0.445
7.	गोवा	0.110
8.	गुजरात	4.654
9.	हरियाणा	1.815
10.	हिमाचल प्रदेश	1.182
11.	जम्मू और कश्मीर	1.693
12.	झारखंड	7.268
13.	कर्नाटक	7.197
14.	केरल	3.574
15.	मध्य प्रदेश	9.488
16.	महाराष्ट्र	15.028
17.	मणिपुर	0.255
18.	मेघालय	0.421
19.	मिजोरम	0.206
20.	नागालैंड	0.285
21.	उड़ीसा	5.055
22.	पंजाब	0.717
23.	राजस्थान	5.733
24.	सिक्किम	0.099
25.	तमिलनाडु	11.185
26.	त्रिपुरा	0.679
27.	उत्तर प्रदेश	32.423
28.	उत्तरांचल	0.763
29.	पश्चिम बंगाल	10.989
30.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.043
31.	चण्डीगढ़	0.035
32.	दादरा नगर हवेली	0.028
33.	दमन व द्वीव	0.006
34.	लक्षद्वीप	0.004
35.	पांडिचेरी	0.193
	जोड़	152.871

[अनुवाद]

दुग्ध उत्पादन

*280. **श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में दुग्ध का वार्षिक उत्पादन कितना है और दुग्ध उत्पादन में देश का विश्व में कौन सा स्थान है;

(ख) विश्व बाजार में दुग्ध के निर्यात और दुग्ध उत्पादों में भारत का हिस्सा कितने प्रतिशत है;

(ग) देश में दुग्ध का कम उत्पादन करने वाले राज्य कौन-कौन से हैं;

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा इन राज्यों में दुग्ध का उत्पादन बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या सरकार की योजना उच्च गुणवत्ता वाले प्रजनन केन्द्र शुरू करने की है जिससे प्रति पशु दुग्ध उत्पादन में बढ़ोत्तरी होगी; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) देश में 2003-04 के दौरान दुग्ध उत्पादन 88.1 मिलियन टन आंका गया है। दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान पर है।

(ख) भारत का सम्पूर्ण विश्व में दुग्ध तथा दुग्ध उत्पादों के निर्यात में अंशदान लगभग 0.24 प्रतिशत है।

(ग) पूर्वोत्तर राज्यों के अलावा, बिहार, गोवा, छत्तीसगढ़ तथा झारखंड राज्य इस समय दुग्ध उत्पादन में विशेष रूप से अभावग्रस्त है क्योंकि इन राज्यों में प्रति व्यक्ति दुग्ध उत्पादन राष्ट्रीय औसत के आधे से भी कम है।

(घ) यद्यपि यह राज्य का विषय है, केन्द्र सरकार दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए योजनाओं को क्रियान्वित करके राज्य सरकारों के प्रयासों की प्रतिपूर्ति कर रही है। प्रमुख योजनाएं इस प्रकार हैं:

(क) राष्ट्रीय गोपशु तथा भैंस प्रजनन परियोजना

(ख) समेकित डेयरी विकास परियोजना

(ग) सहकारिताओं को सहायता

(घ) पशु रोग नियंत्रण आदि के लिए राज्यों को सहायता

(ङ) और (च) राष्ट्रीय गोपशु तथा भैंस प्रजनन परियोजना के तहत हिमित वीर्य केन्द्रों तथा क्षेत्रीय कृत्रिम गर्भाधान नेटवर्क के सुदृढ़ीकरण, अच्छी किस्म के स्ट्रा आदि के उत्पादन आदि के लिए राज्यों को धनराशि जारी की जाती है। विभाग अन्य राज्यों की प्रजनन आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से श्रेष्ठ जर्मप्लाज्म की पहचान के लिए उच्च गुणवत्ता वाले प्रजनन सांडों की आपूर्ति तथा हिमित वीर्य स्ट्रा और केन्द्रीय पशुयूथ पंजीकरण योजना के लिए गोपशु प्रजनन फार्मों की केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं भी चला रहा है।

लिफ्ट सिंचाई योजना

*281. **श्री सुरेश कलमाडी:**
श्री सुनिल कुमार महतो:

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश के सूखे से प्रभावित क्षेत्रों विशेषकर महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में किसान काफी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्हें लिफ्ट सिंचाई योजना (एल.आई.एस.) अपनाने हेतु प्रेरित किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(घ) क्या विद्युत की अनियमित आपूर्ति के कारण एल.आई.एस. को बढ़ावा नहीं मिल रहा है; और

(ङ) सरकार द्वारा एल.आई.एस. को सफल बनाने हेतु क्या प्रयास किए गए हैं?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) से (ङ) जी, हां। किसानों को ग्रामीण विकास मंत्रालय की स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत लिफ्ट सिंचाई स्कीम अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। अन्यों में महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों में लघु सिंचाई क्षेत्र के माध्यम से सिंचाई सुविधाओं जैसे खुले खुदे हुए कुएं, बोर/ट्यूबवैल, लिफ्ट सिंचाई और चैक डैम के सृजन के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है।

इसके अलावा पूर्वोत्तर राज्यों, उड़ीसा के के.बी.के. जिले, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर और उत्तरांचल में लघु सिंचाई विकास को तेज करने के लिए जल संसाधन मंत्रालय के "त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम" के अन्तर्गत केन्द्रीय ऋण सहायता दी जाती है ताकि किसान सतही लिफ्ट सिंचाई सहित लघु सिंचाई स्कीम के माध्यम से जल संसाधनों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित हो सकें।

इसके अतिरिक्त, कृषि और सहकारिता विभाग भी 10 पूर्वी राज्यों, अर्थात् उत्तर प्रदेश (पूर्वी भाग), बिहार, झारखण्ड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और मिजोरम में वर्ष 2002-03 से "पूर्वी भारत में फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए आन फार्म जल प्रबन्धन" नामक एक स्कीम कार्यान्वित कर रहा है। इस स्कीम के वित्त पोषण का प्रतिमान

20:30:50 के आधार पर है अर्थात् 20% अंशदान लाभभोगियों द्वारा, 30% भारत सरकार की राजसहायता और शेष 50% बैंक ऋण। यह स्कीम राज्य सरकारों के समन्वयन से नाबार्ड के माध्यम से पश्च अन्त (बैक एन्डेड) राजसहायता आधार पर ऋण से जुड़ी स्कीम के रूप में कार्यान्वित की जा रही है। इस स्कीम के चार घटक हैं अर्थात् उथले नलकूप, लो लिफ्ट सिंचाई पाइंट, पम्पिंग सैट और खुदे कूंए।

बिजली की आपूर्ति तथा वितरण संवर्धन के लिए भारत सरकार ने ग्राम विद्युतीकरण और पम्पसैट एनर्जाइजेशन कार्यक्रमों तथा प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना में शामिल ग्रामीण विद्युतीकरण के माध्यम से किसानों को और अधिक बिजली प्रदान करने के लिए कदम उठाए हैं। बिजली की आपूर्ति में सुधार करने के लिए विभिन्न उपाय किए गए हैं जैसे–बिजली आधिक्य वाले क्षेत्रों से कमी वाले क्षेत्रों को आपूर्ति बढ़ाना, अन्तर क्षेत्रीय सम्पर्कों को स्थापित करना, भार (लोड) प्रबन्धन, ऊर्जा कुशलता का संवर्धन, विद्युत सृजन इकाइयों का आधुनिकीकरण और 10वीं योजना के दौरान 41110 मेगावाट क्षमता बढ़ाना।

कृषि कर्मचारी

*282. **श्री अजय चक्रवर्ती:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या किसी अन्य क्षेत्र की तुलना में कृषि क्षेत्र में, किसानों तथा कृषि कामगारों दोनों को मिलाकर कर्मचारियों की संख्या अधिक है;

(ख) यदि हां, तो देश में राज्यवार कुल कितने कृषि कामगार हैं; और

(ग) कृषि कामगारों के लिए अनेक केन्द्रीय कल्याण योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) और (ख) भारत की संगणना 2001 के अनुसार, खेतीहरों तथा कृषि श्रमिकों सहित कृषि कामगारों की संख्या 234.09 मिलियन थी जबकि अन्य क्षेत्रों में कामगारों की संख्या 168.15 मिलियन थी। कृषि कामगारों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) कृषि कामगार असंगठित क्षेत्र में आते हैं। श्रम कल्याण महानिदेशालय के माध्यम से कार्यान्वित कल्याण स्कीमें कामगारों के विशिष्ट समूहों जैसे बीड़ी कामगारों पर लागू होती हैं। तथापि, कल्याण स्कीमों जैसे लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, अन्त्योदय अन्न योजना और रोजगार सृजन स्कीमों जैसे संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के लाभ असंगठित क्षेत्र के कामगारों को प्राप्त होते हैं जिनमें कृषि कामगार भी शामिल हैं।

विवरण

कृषि कामगारों की राज्यवार संख्या

भारत की संगणना 2001

भारत/राज्य/संघ शासित क्षेत्र	खेतिहरों की संख्या	कृषि श्रमिकों की संख्या	कुल संख्या
1	2	3	4
भारत@	127312851	106775330	234088181
जम्मू और कश्मीर	1591514	246421	1837935
हिमाचल प्रदेश	1954870	94171	2049041
पंजाब	2065067	1489861	3554928
चंडीगढ़	2141	563	2704
उत्तरांचल	1570116	259683	1829799
हरियाणा	3018014	1278821	4296835

1	2	3	4
दिल्ली	37431	15773	53204
राजस्थान	13140066	2523719	15663785
उत्तर प्रदेश	22167562	13400911	35568473
बिहार	8193621	13417744	21611365
सिक्किम	131258	17000	148258
अरुणाचल प्रदेश	279300	18840	298140
नागालैंड	548845	30907	579752
मणिपुर@	379705	113630	493335
मिजोरम	256332	26783	283115
त्रिपुरा	313300	276132	589432
मेघालय	467010	171694	638704
असम	3730773	1263532	4994305
पश्चिम बंगाल	5653922	7362957	13016879
झारखंड	3889506	2851297	6740803
उड़ीसा	4247661	4999104	9246765
छत्तीसगढ़	4311131	3091358	7402489
मध्य प्रदेश	11037906	7400670	18438576
गुजरात	5802681	5161658	10964339
दमन और दीव	4034	1323	5357
दादरा व नगर हवेली	39470	14715	54185
महाराष्ट्र	11813275	10815262	22628537
आंध्र प्रदेश	7859534	13832152	21691686
कर्नाटक	6883856	6226942	13110798
गोवा	50395	35806	86201
लक्षद्वीप	0	0	0
केरल	724155	1620851	2345006

1	2	3	4
तमिलनाडु	5116039	8637630	13753669
पांडिचेरी	10900	72251	83151
अंडमान और निकोबार द्वीप	21461	5169	26630

@इसमें मणिपुर के सेनापती जिले के माओ-मराम, पैक्नाटा और पुरूल उपमंडल शामिल हैं।

[हिन्दी]

खाद्यान्नों को अल्कोहल में बदलना

2964. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के प्राधिकारियों ने खराब और कम कीमत वाले खाद्यान्नों को अल्कोहल में बदलने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने खाद्यान्नों को अल्कोहल में बदलने की आर्थिक व्यवहार्यता का कोई अध्ययन किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इससे क्या लाभ होंगे?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

जल निकायों से गाद निकालना

2965. श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने जल निकायों से गाद निकालने की एक पायलट परियोजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्ष 2004-2005 के दौरान कितनी राशि खर्च किए जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) और (ख) केन्द्रीय वित्त मंत्री द्वारा बजट भाषण 2004-05 में की गई घोषणा के अनुसार जल संसाधन मंत्रालय द्वारा जल निकायों की भंडारण क्षमता के संवर्धन के लिए कृषि से सीधे तौर पर जुड़े जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण और पुनरुद्धार संबंधी एक प्रायोगिक स्कीम का प्रस्ताव किया गया है।

(ग) खर्च की जाने वाली निधि परियोजना प्रस्तावों को अनुमोदन मिलने और उन्हें निष्पादन के लिए शुरू किए जाने पर निर्भर करती है।

नहर का निर्माण

2966. श्री सुरेश चन्देल: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा जिले में पोंग बांध का निर्माण करते समय हिमाचल प्रदेश में सिंचाई के लिए पंजाब में शाह नहर का निर्माण करने हेतु कोई करार किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो इस नहर का काम कब पूरा होने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) पंजाब द्वारा शाहनहर बैराज और मुकेरियन हाइडेल चैनल के निर्माण के समय न कि पोंग बांध के निर्माण के समय हिमाचल प्रदेश में 15,287 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई के वास्ते 4 अगस्त, 1983 को पंजाब और हिमाचल प्रदेश सरकारों के बीच शाहनगर कैनाल का निर्माण करने के बारे में एक समझौता हुआ।

(ख) सिंचाई राज्य का विषय होने के कारण, सिंचाई परियोजनाओं की आयोजना, तैयारी, निष्पादन और वित्तपोषण राज्य सरकारों के अपने संसाधनों से तथा उनकी अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार किया जाता है। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा दी गई सूचना

के अनुसार इस परियोजना को ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में पूरा किए जाने का कार्यक्रम है।

[अनुवाद]

चिल्का झील का विकास

2967. श्री जुएल ओराम: क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ीसा में चिल्का झील और उसके आसपास के क्षेत्रों को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की अपार संभावना है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) चालू वर्ष के दौरान इस प्रयोजनार्थ कितनी सहायता जारी की गई/जारी किए जाने की संभावना है?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) और (ख) पर्यटक स्थानों का विकास मुख्यतया राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों प्रशासनों द्वारा किया जाता है। तथापि, पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार अनेक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में उनके परामर्श से राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय महत्व वाले पर्यटक स्थलों पर पर्यटन परियोजनाएं भी स्वीकृत करता है।

(ग) चिल्का झील में और उसके आसपास के क्षेत्र में पर्यटन अवसंरचना के विकास हेतु उड़ीसा सरकार से अभी तक ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

भारत-भूटान नदी आयोग

2968. श्री हितेन बर्मन: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत-भूटान नदी आयोग अभी भी अस्तित्व में है;

(ख) यदि हां, तो इस आयोग का कार्य और क्षेत्राधिकार क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भूटान की तरफ से पश्चिम बंगाल में आने वाली नदियों में भारी पैमाने पर खनन कार्य हो रहा है जोकि बाढ़ तथा अन्य प्राकृतिक आपदा के समय काफी खतरनाक सिद्ध हो सकता है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस संबंध में सुधारात्मक उपाय करने तथा मामले पर भूटान सरकार के साथ बातचीत करने का है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) से (घ) भारत-भूटान संयुक्त नदी आयोग अस्तित्व में नहीं है। तथापि, भारत में भूटान की दक्षिणी तलहटियों और इससे जुड़े मैदानों में बार-बार आने वाली बाढ़ और कटाव के संभावित कारणों और प्रभावों पर विचार-विमर्श करने और मूल्यांकन करने को ध्यान में रखते हुए तथा भारत और भूटान के बीच दोनों सरकारों को उपयुक्त और परस्पर स्वीकार्य सुधारात्मक उपायों की सिफारिश करने के लिए बाढ़ प्रबंधन संबंधी एक संयुक्त विशेषज्ञ दल (जेजीई) का गठन अगस्त, 2004 में किया गया है। संयुक्त विशेषज्ञ दल की पहली बैठक नवम्बर, 2004 में भूटान में हुई थी। संयुक्त विशेषज्ञ दल ने कई बार विचार-विमर्श किया और कुछ प्रभावित क्षेत्रों के कई क्षेत्र दौरे भी किए जिनमें भूस्खलन और डोलोमाईट खनन क्षेत्रों से ग्रसित क्षेत्र शामिल हैं। संयुक्त विशेषज्ञ दल ने अपने विचार-विमर्शों और स्थल दौरों के आधार पर यह महसूस किया कि अधिक विस्तृत तकनीकी जांच किए जाने की आवश्यकता है और तदनुसार एक संयुक्त तकनीकी दल (जेटीटी) बनाने पर सहमत हुए जिससे संयुक्त विशेषज्ञ दल को अपनी रिपोर्ट मार्च, 2005 तक प्रस्तुत करने को कहा गया है।

"लघु वन उत्पाद व्यापार"

2969. श्री दलपत सिंह परस्ते: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को इस बात की जानकारी है कि मध्य प्रदेश में लघु वन उत्पाद व्यापार में आदिवासियों को बहुत शोषण हो रहा है और इससे अर्जित समस्त मुनाफा कुछ बिचौलियों की जेब में ही जा रहा है;

(ख) यदि, हां तो केंद्र सरकार का विचार इसे रोकने हेतु क्या कदम उठाने का है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का विचार राज्य सरकारों को प्रशासनिक ढांचे तथा लघु वन उत्पाद व्यापार में शोषण को दूर करने हेतु वैकल्पिक सहकारी ढांचे का निर्माण करने हेतु वित्तीय सहायता देने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना): (क) और (ख) इस मंत्रालय के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार मध्य प्रदेश में लघु वन उत्पाद व्यापार का नियंत्रण राज्य सरकार द्वारा राज्य वन विभाग, वन विकास निगम, लघु वन उत्पाद संघ, सहकारी सोसाइटियों आदि के माध्यम से किया जाता है और शुद्ध राजस्व का बड़ा हिस्सा उन लोगों के पास वापिस चला जाता

है जो लघु वन उत्पाद के संग्रहण में लगे हुए हैं। तथापि, आदिवासी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से और राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम की अनुपालना में संघ सरकार ने दिनांक 05-08-2004 को आयोजित राज्य वन मंत्रियों के सम्मेलन के दौरान मध्य प्रदेश सहित सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से लघु वन उत्पाद के संदर्भ में आदिवासियों तथा वन में रहने वाले अन्य परिणामस्वरूप, मंत्रालय ने सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों से अपने दिनांक 11-8-2004 तथा 01-09-2004 के पत्र के तहत उक्त विधान पर शीघ्र कार्रवाई करने का अनुरोध किया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग हेतु एकल खिड़की प्रणाली

2970. श्री महेश कनोडीया: क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार खाद्य प्रसंस्करण उद्योग हेतु एकल खिड़की प्रणाली शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय): (क) से (ग) खाद्य कानून और विनियमों के अंतर्गत एकल खिड़की प्रणाली के सृजन को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने समेकित खाद्य कानून के प्रयोजन हेतु एक ग्रुप आफ मिनिस्टर्स का गठन किया है।

[अनुवाद]

पेड़ों की कटाई करने पर एवजी वृक्षारोपण

2971. श्री बालेश्वर यादव: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष दिल्ली में परियोजनावार और स्थानवार कितने पेड़ों को काटने की अनुमति दी गई;

(ख) पेड़ों को काटने की निबंधन और शर्तें क्या हैं;

(ग) क्या यह अनुमति इस शर्त पर दी गई है कि प्रत्येक पेड़ काटने पर दस पेड़ लगाए जाएंगे;

(घ) यदि हां, तो इस प्रकार का वृक्षारोपण किन स्थानों पर किया जाएगा; और

(ङ) इन शर्तों के अंतर्गत वृक्षारोपण करने, उनके रख-रखाव तथा निगरानी आदि हेतु विद्यमान उपबंधों का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना): (क) से (ग) दिल्ली वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1994 और इस अधिनियम के अंतर्गत, बनाए गए नियमों के तहत वर्ष 2001-02 में 17,514 वृक्ष, वर्ष 2002-03 में 12,278 वृक्ष और वर्ष 2003-04 में 12,112 वृक्ष काटने की अनुमति प्रदान की गई थी बशर्ते कि काटे गए प्रत्येक वृक्ष के बदले में 10 वृक्ष लगाए जाएं।

(घ) दिल्ली में विभिन्न स्थानों पर कई एजेंसियों द्वारा 132 स्थानों पर एवजी पादपरोपण हेतु विचार किया गया है/शुरू हो चुका है। भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण, दिल्ली मैट्रो रेल निगम, दिल्ली विकास प्राधिकरण, लोक निर्माण विभाग और दिल्ली नगर निगम द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान लगभग 3,39,186 वृक्ष लगाए गए हैं।

(ङ) इस अधिनियम, के उपबंधों के तहत काटे गए अथवा बिक्री किए गए पेड़ों के बदले में वृक्ष लगाने का प्रावधान है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार द्वारा लगाए गए वृक्षों के रख-रखाव की नियमित मानीटरी की जाती है।

[हिन्दी]

वरूणा नदी के आसपास कृषि योग्य भूमि

2972. श्री अतीक अहमद: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उत्तर प्रदेश के फूलपुर जिले में वरूणा नदी के आसपास लाखों हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि पानी में डूबी रहती है जिसके कारण इन क्षेत्रों के किसानों को नुकसान होता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने क्षेत्र का सर्वेक्षण कराकर उपरोक्त भूमि के सुधार हेतु कोई योजना बनाई है; और

(ग) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (ग) जल संसाधन मंत्रालय के कार्यकारी दल की रिपोर्ट (1991) के अनुसार, उत्तर प्रदेश में 4.30 लाख हैक्टेयर क्षेत्र जल भराव से प्रभावित है। वरुणा नदी इलाहाबाद जिले के फूलपुर ब्लाक में मल्हम झील से निकलती है और वाराणसी जिले में गंगा नदी में गिरती है तथा उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में लगभग 0.20 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में जल प्लावन भूमि के पानी में डूबे रहने का कारण बनती है।

उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले के फूलपुर ब्लाक के जलप्लावित क्षेत्रों के सुधार हेतु कोई प्रस्ताव केन्द्रीय प्रायोजित कमान क्षेत्र विकास तथा जल प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत विचारार्थ तथा स्वीकृति हेतु उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त नहीं हुआ है।

आरक्षित श्रेणी के कर्मचारी

2973. श्री तूफानी सरोज: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय मानक ब्यूरो उसके मुख्यालय तथा पूरे देश में उनकी शाखाओं में सभी श्रेणियों के कुल कितने कर्मचारी कार्यरत हैं;

(ख) सभी शाखाओं में समूह ''क'', ''ख'', ''ग'' और ''घ'' में अनसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के कितने कर्मचारी हैं;

(ग) क्या उक्त संगठन में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षित कोटा भर दिया गया है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इसे कब तक भरे जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन): (क) भारतीय मानक ब्यूरो के मुख्यालय और पूरे देश में फैले उसकी शाखाओं में सभी श्रेणियों में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या इस प्रकार है:

समूह क	462
समूह ख	559
समूह ग	505
समूह घ	376
योग	1902

(ख) सभी शाखाओं में समूह क, ख और ग में कार्यरत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के कर्मचारियों की अलग-अलग संख्या इस प्रकार है:

समूह	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग
क	59	11	13
ख	94	06	02
ग	86	15	06
घ	134	18	03
योग	373	50	24

(ग) से (ङ) भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा केंद्र सरकार की आरक्षण नीति का अनुसरण किया जा रहा है।

अनुवांशिक रूप से संवर्धित सोया तेल का आयात

2974. श्री रामस्वरूप कोली: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आयात किया जा रहा ''अनुवांशिक रूप से संवर्धित'' सोया तेल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उक्त वस्तु के आयात पर प्रतिबंध लगाने का है; और

(ग) उक्त वस्तु पर कब तक प्रतिबंध लगाए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (ग) पर्यावरण तथा वन मंत्रालय से सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

अंतर्राष्ट्रीय चावल वर्ष

2975. श्री मणी कुमार सुब्बा: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र ने चावल की महत्वपूर्ण फसल के उन्नत उत्पादन तथा प्राप्ति पर ध्यान केंदित करने के उद्देश्य से वर्ष 2004 को ''अंतर्राष्ट्रीय चावल वर्ष'' घोषित किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत के "धान का कटोरा" समझे जाने वाले असम तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र में इस वर्ष चावल के उन्नत उत्पादन हेतु कोई विशेष अभियान या योजना शुरू की गई है; और

(ग) इस विशेष अभियान के अंतर्गत पूर्वोत्तर राज्यों ने कितनी विशेष सहायता मांगी तथा उन्हें कितनी धनराशि प्रदान की गई तथा गत दो वर्षों की तुलना में राज्यवार इस वर्ष चावल की कितनी पैदावार होने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) जी हां।

(ख) वर्ष 2004 को चावल का अंतरराष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाए जाने के लिए बहुत से कार्यकलाप शुरू किए गए हैं ताकि पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित देश में चावल के उत्पादन में सुधार किया जा सके। इनमें विभिन्न राज्यों में राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों/सेमिनारों/सम्मेलनों तथा प्रशिक्षणों का आयोजन अंतरराष्ट्रीय चावल वर्ष के बारे में जागरुकता लाने हेतु प्रचार और बैठकें आदि शामिल हैं।

(ग) अक्तूबर, 2000 से 26 अन्य स्कीमों के साथ कृषि के बृहत प्रबंधन के अंतर्गत समाहित चावल आधारित फसलन प्रणाली वाले क्षेत्रों में एकीकृत अनाज विकास कार्यक्रम (आईसीडीपी-चावल) की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत पूर्वोत्तर राज्यों सहित राज्यों को केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई है ताकि अंतरराष्ट्रीय चावल वर्ष मनाए जाने के लिए वे अपने स्तर पर विभिन्न कार्यकलाप कर सकें। इस स्कीम के अंतर्गत कृषि के बृहत् प्रबंधन के अंतर्गत समाहित सभी 27 स्कीमों के लिए राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के कार्य योजना प्रस्ताव के आधार पर उन्हें एकमुश्त निधियां निर्मुक्त की जाती हैं। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय और जोनल स्तर के कुछ कार्यकलाप भारत सरकार द्वारा सीधे समर्थित किए गए हैं। चावल की राज्यवार उपज निम्नानुसार है:

(कि./है.)

क्र.सं.	राज्य	2002-03	2003-04*	2004-05*
1.	अरुणाचल प्रदेश	1224	1196	1250
2.	असम	1471	1512	1642
3.	मणिपुर	2379	2264	2305
4.	मेघालय	1716	1667	1650
5.	मिजोरम	1912	1936	1964
6.	नागालैंड	1490	1603	1698
7.	सिक्किम	1436	1467	1500
8.	त्रिपुरा	2265	2396	2714

*आंकड़े अनन्तिम/संभावित उपज के हैं।

फसलों के विविधीकरण हेतु राजसहायता देना

2976. श्री असादुद्दीन ओवेसी: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राज्यों को फसलों के अधिक और विविधीकरण उत्पादन करने के लिए इनाम देने हेतु कोई प्रोत्साहन योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो आज की तारीख तक राज्यवार कुल कितनी राशि प्रदान की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) रबी उत्पादन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित करने के लिए चल रहे कार्यक्रमों के अलावा, सरकार द्वारा पुरस्कारों के रूप में प्रोत्साहन देने की घोषणा की गई है। राज्यों के 5 अभिज्ञात समूहों में से प्रत्येक में सर्वोत्तम परिणाम देने वाले राज्य को 1 करोड़ का अनुदान तथा एक चांदी का फलक दिया जाएगा। राज्य, अनुदान का उपयोग कुशलता बढ़ाने के लिए उपस्करों की खरीद तथा लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता करने वाले पात्र अधिकारियों/दलों/किसानों को मानदेय देने में कर सकते हैं।

(ख) यह एक नई स्कीम है।

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में वन क्षेत्र के अतिक्रमणकारी

2977. श्रीमती करूणा शुक्ला: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा 1978 के बाद वन क्षेत्र के अतिक्रमणकारियों को पैकेज के रूप में अंडमान और निकोबार प्रशासन को स्वीकृत की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है और यह धनराशि किस तारीख और किस वर्ष में स्वीकृत की गई;

(ख) क्या प्रशासन द्वारा अतिक्रमणकारियों को धनराशि का संवितरण किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) उक्त 4000 अतिक्रमणकारियों के परिवारों की वर्तमान में क्या स्थिति है और इनकी आजीविका के साधन क्या हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना): (क) भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसरण में अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह में वनभूमि से बेदखल किए जाने के लिए अभिनिर्धारित परिवारों का पुनर्वास किए जाने के बारे में केन्द्र सरकार ने भूमि की उपलब्धता की शर्त पर वैकल्पिक भूमि उपलब्ध करवाने के साथ निम्नलिखित सुविधाएं देने का निर्णय लिया है:

(1) अतिक्रमणकर्त्ताओं को नए स्थान पर स्थानांतरित होने के लिए 75000/-रुपये प्रति परिवार को एकमुश्त वित्तीय सहायता।

(2) प्रति व्यक्ति 12 किलोग्राम प्रतिमाह की दर से छह माह तक राशन की आपूर्ति।

(3) अधिकतम पांच सदस्यों के प्रत्येक परिवार के एक व्यक्ति और पांच सदस्यों से अधिक वाले प्रत्येक परिवार के दो सदस्यों को अधिकतम दो वर्षों की अवधि के लिए दैनिक मजदूरी की ग्राह्य दर पर रोजगार।

(4) प्रति परिवार स्कूल जाने वाले दो बच्चों में से प्रत्येक को 400 रुपये की दर से होस्टल फीस का भुगतान।

गृह मंत्रालय ने अपने दिनांक 7.3.2003 के पत्र के तहत राशन सप्लाई के लिए 0.94 करोड़ रुपये की राशि के व्यय की औपचारिक मंजूरी जारी की है। बाद में 10.10.2003 को इसे बढ़ाकर 2.02 करोड़ रुपये किया गया था। इसके अलावा 13.5.2003 को पुनर्वास पैकेज की अन्य मदों पर व्यय के लिए 48.84 करोड़ रुपये की वित्तीय मंजूरी जारी की गई थी।

(ख) और (ग) अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह द्वारा पुनर्वास पैकेज के लिए उठाए जा रहे कदमों के दौरान लोकल बोर्न एसोसिएशन और अन्य ने उक्त पुनर्वास पैकेज को माननीय उच्चतम न्यायालय में चुनौती देते हुए विशेष छुट्टी याचिका दाखिल की। माननीय उच्चतम न्यायालय ने पुनर्वास पैकेज के कार्यान्वयन पर रोक लगा दी है इसलिए पैकेज का अब तक कार्यान्वयन नहीं किया गया।

(घ) अतिक्रमणकर्त्ता परिवार राजस्व क्षेत्र में उनके रहने की किसी वैकल्पिक व्यवस्था के अभाव में अभी भी वन क्षेत्र में रह रहे हैं। वे जीविका के वैकल्पिक माध्यमों जैसे मछली पकड़ना, कृषि और खेतीहर मजदूर के रूप में कार्य करके जीवनयापन कर रहे हैं।

विदेशी सहायता प्राप्त सिंचाई परियोजना

2978. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गुजरात लवणता निवारण परियोजना की वर्तमान में क्या स्थिति है और इस परियोजना के कब तक पूरा होने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): गुजरात लवणता रोधी परियोजना बाह्य सहायता प्राप्त योजना नहीं है। गुजरात सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार अब तक इस परियोजना के तहत 218.00 करोड़ रुपये के 655 कार्य पूरे कर लिए गए है और 85.00 करोड़ रुपये के 7 कार्य प्रगति पर हैं। गुजरात सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार संबंधित कार्यों के लिए बजटीय आबंटन को निरंतर ध्यान में रखते हुए विभिन्न कार्यों का निर्माण बड़े पैमाने पर शुरू किया जाना और समस्त लवणता परियोजना पूरी करना अपेक्षित है। लक्ष्य निर्धारित नहीं है।

बंगाल पेपर मिल लिमिटेड का भविष्य निधि बकाया

2979. श्री विकास चौधरी: क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पश्चिम बंगाल के बर्दवान जिले में रानीगंज स्थित बंगाल पेपर मिल कंपनी लिमिटेड के सैकड़ों भूतपूर्व कामगारों को 1983 से मिल के बंद होने के बाद से भविष्य निधि की धनराशि प्राप्त नहीं हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इनके भविष्य निधि के शीघ्र भुगतान हेतु क्या कार्यवाही की गई है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) हाल ही में प्राप्त 1083 दावों में से 911 मामलों को निपटा लिया गया था, जबकि 172 दावों को आवश्यक सूचना/ब्यौरे न होने के कारण लौटा दिया गया।

संबंधित सूचना प्राप्त करने के लिए प्रवर्तन अधिकारियों की एक टीम बनाई गई है।

कृषि क्षेत्र में विविधीकरण हेतु योजना

2980. श्री वाई.जी. महाजन: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश के कृषि क्षेत्र में विविधीकरण हेतु कोई योजना तैयार करने का है;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस योजना के क्रियान्वयन के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (ग) हालांकि ऐसी कोई विशिष्ट स्कीम नहीं है लेकिन विभिन्न राज्यों में तिलहन, दलहन तथा बागवानी फसलों के विकासात्मक कार्यक्रमों के माध्यम से फसल विविधीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है।

ज्वार, चावल और गन्ने का उत्पादन

2981. श्री के.सी. पलनिसामी: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तमिलनाडु में इस मौसम के दौरान ज्वार, चावल और गन्ने का कितना उत्पादन होने का अनुमान है;

(ख) सरकार द्वारा तमिलनाडु में इन वस्तुओं के लिए नियत समर्थन मूल्य कितना है;

(ग) क्या तमिलनाडु सरकार ने ज्वार, चावल और गन्ने पर प्रति क्विंटल अधिक समर्थन मूल्य की मांग की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) वर्ष 2004-05 के प्रथम अग्रिम अनुमान के अनुसार तमिलनाडु में खरीफ मौसम में चावल, ज्वार और गन्ने का अनुमानित उत्पादन क्रमश: 34.07 लाख टन, 2.43 लाख टन और 160 लाख टन है।

(ख) सरकार ने वर्ष 2004-05 के लिए ज्वार का न्यूनतम समर्थन मूल्य 515 रु. प्रति क्विंटल निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया है जबकि धान (सामान्य) का 560 रु. प्रति क्विंटल और धान (ग्रेड ए) का 590 रु. प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया है। गन्ने के मामले में न्यूनतम समर्थन मूल्य 74.50 रु. प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है।

(ग) जी नहीं।

(घ) और (ङ) ये प्रश्न नहीं उठते।

उड़ीसा में तिलहन उत्पादन

2982. श्री अनंत नायक: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में तिलहन के उत्पादन को बढ़ावा दे रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन को क्रियान्वित किया गया है;

(ग) यदि हां तो पिछले तीन वर्षों के दौरान तिलहन के उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या विशेष कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या उड़ीसा के पहाड़ी जिलों में तिलहन की खेती की व्यापक संभावनाएं हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाये गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) जी हां, भारत सरकार द्वारा 1986 में तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन स्थापित किया गया था ताकि देश को तिलहन/खाद्य तेल के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाया जा सके।

(ग) वर्ष 2003-04 तक 28 राज्यों में कार्यान्वयनाधीन केन्द्रीय प्रायोजित तिलहन उत्पादन कार्यक्रम के अंतर्गत, कार्यान्वयन करने वाले राज्यों को विभिन्न घटकों जैसे बीजों के उत्पादन और वितरण, बीज मिनिकिटों के वितरण, पौध रक्षण रसायनों, पौध रक्षण उपकरणों, खरपतवार नाशियों के वितरण रुट ग्रब के नियंत्रण, बीज उपचार, उन्नत फार्म उपकरणों की आपूर्ति, सूक्ष्म पोषकों, प्रदर्शनों, राइजोबियम/फास्फेट घुलनशील जीवाणु कल्चर की आपूर्ति, छिड़कावक सैटों, जिप्सम/पाइराईट/लाइमिंग/डोलोमाइट के वितरण और कृषक प्रशिक्षण के लिए सहायता दी जाती है ताकि किसान बड़े पैमाने पर तिलहन की खेती आरंभ करने के लिए प्रोत्साहित हो सकें और देश में तिलहन का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाई जा सके।

(घ) और (ङ) उड़ीसा के पहाड़ी जिलों में रामतिल, सरसों और मूंगफली जैसी तिलहन फसलों की खेती को बढ़ाने की गुंजाइश है। भारत सरकार उड़ीसा के सभी जिलों, जिनमें पहाड़ी जिले शामिल है, में दसवीं योजना के दौरान 01.04.2004 से "तिलहन, दलहन, आयलपाम और मक्का की एकीकृत स्कीम" नामक (आईसोपाम) एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम कार्यान्वित कर रही है। इस स्कीम के अंतर्गत विभिन्न आदानों जैसे प्रमाणित बीजों के उत्पादन और वितरण, जिप्सम, राइजोबियम कल्चर, छिड़कावक

सैटों, पौध-रक्षण उपकरणों आदि के वितरण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है ताकि किसानों को बड़े पैमाने पर तिलहन की खेती के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।

राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा ''सफल'' परियोजना

2983. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने गुजरात के पांच केन्द्रों में ''सफल'' परियोजना को स्थापित करने की योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ये किन-किन स्थानों में स्थापित किए जाएंगे;

(ग) इसे कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) उक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

कार्बनिक खाद का उत्पादन

2984. डा. आर. सेनथिल: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कार्बनिक कृषि और इसके उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(ख) क्या इसके उत्पादन में निजी क्षेत्र को भी शामिल किया जाएगा; और

(ग) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) देश में जैव कृषि को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने निम्नलिखित मुख्य घटकों के साथ 10वीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के दौरान जैव कृषि के उत्पादन, उन्नयन, प्रमाणन और मंडी विकास के लिए 57.05 करोड़ रु. के परिव्यय से एक केंद्रीय क्षेत्र योजना स्कीम, राष्ट्रीय जैव कृषि परियोजना को हाल ही में अनुमोदित किया है:

* जैव कृषि के लिए निर्धारित राष्ट्रीय मानकों सहित जैव उत्पादन की प्रमाणन प्रणाली लाना।
* सेवा प्रदाताओं के माध्यम से जैव कृषि में दक्षता निर्माण।
* (क) फल और सब्जी अपशिष्ट कंपोस्ट इकाइयां, (ख) जैव उर्वरक; तथा (ग) वर्मीकल्चर के लिए हैचरी जैसे कृषि आदानों की वाणिज्यिक उत्पादन इकाइयों को वित्तीय सहायता।
* प्रशिक्षण, क्षेत्र प्रदर्शन, उन्नयन और मंडी विकास।

इसके अतिरिक्त, कृषि और प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (अपेडा) जैव उत्पादों के उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा दे रहा है।

(ख) और (ग) जी हां। निजी क्षेत्र, घरेलू बाजार और निर्यात दोनों ही क्षेत्रों में जैव कृषि के उत्पादन और उन्नयन में शामिल हो रहा है। गैर सरकारी संगठनों/निजी उद्यमियों/सहकारी समितियों द्वारा स्थापित कंपोस्ट, जैव उर्वरक और वर्मीकल्चर हैचरी उत्पादन इकाइयों को क्रेडिट लिंक्ड बैक-एन्डेड सब्सिडी के रूप में परियोजना लागत का 25% क्रमश: 40.00 लाख रु., 20 लाख रु. तथा 1.5 लाख रु. अधिकतम की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।

बांसों की तस्करी

2985. श्री वीरेन्द्र कुमार: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुछ राज्यों में बड़े पैमाने पर बांसों की तस्करी की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में ऐसी तस्करी का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) बांसों की तस्करी को रोकने और बांसों के वृक्षारोपण को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना): (क) जी नहीं। राज्यों से बांस की बड़े पैमाने पर तस्करी के किसी मामले की सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सुरक्षा तंत्र को मजबूत बनाने हेतु एकीकृत वन सुरक्षा स्कीम के तहत राज्य/संघ शासित प्रदेश की सरकारों को वित्तीय सहायता दी जा रही है। राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत बांस

पौधरोपण लोगों की सहभागिता के माध्यम से अवक्रमित वन क्षेत्रों में किया जा रहा है।

सामाजिक वानिकी कार्यक्रम

2986. श्री मदन लाल शर्मा: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार जम्मू और कश्मीर में सामाजिक, वानिकी कार्यक्रम चला रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया गया; और

(घ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना): (क) और (ख) जी नहीं। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय जम्मू और कश्मीर में सामाजिक वानिकी कार्यक्रम को क्रियान्वित नहीं कर रहा है। तथापि, मंत्रालय देश में राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (एन ए पी) को कार्यान्वयन कर रहा है। राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत जम्मू और कश्मीर राज्य में 1070 संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से 47,839 हैक्टेयर क्षेत्र को उपचार करने के लिए 74.61 करोड़ रुपए की कुल लागत से 31 वन विकास अभिकरण परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया है।

(ग) राज्य में राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (एन ए पी) के कार्यान्वयन की प्रगति संतोषजनक रही है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

एकल सामाजिक सुरक्षा विधान

2987. प्रो. एम. रामदास: क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारतीय श्रम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाए जाने की आवश्यकता का अनुभव किया है;

(ख) यदि हां, तो भारतीय श्रम में प्रतिस्पर्धात्मक सुधार के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या सरकार का विचार कर्मकारों को सुरक्षा प्रदान करने हेतु एकल अंशदान के साथ एकल सामाजिक सुरक्षा अधिनियमित करने का है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार वर्तमान श्रम प्राधिकरण के स्थान पर एक नए औद्योगिक विवाद समाधान प्राधिकरण को गठित करेगी; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव): (क) जी, हां।

(ख) श्रमिकों के कौशल विकास एवं उनकी रोजगार क्षमता में सुधार हेतु प्रशिक्षण के लिए विभिन्न उपाय पहले से ही किए जा रहे हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) उपर्युक्त (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

चीनी की बिक्री के संबंध में टुटेजा समिति की रिपोर्ट

2988. श्री राजेश कुमार मांझी: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने चीनी की खुली बिक्री के संबंध में टुटेजा समिति की सिफारिशों को स्वीकृति देने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर की गई कार्यवाही सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) से (ग) टुटेजा समिति की सिफारिश कि "केन्द्रीय सरकार पहली अक्टूबर, 2005 से खुली बिक्री की चीनी के रिलीज तंत्र को समाप्त कर दे" जांच की जा रही है।

मध्य प्रदेश द्वारा जल संचयन

2989. श्री रघुवीर सिंह कौशल: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश और राजस्थान से बहने वाली चंबल नदी पर निर्मित सिंचाई परियोजना के संबंध में मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच हुए समझौते के अंतर्गत मध्य प्रदेश में कुल कितना जल संचयन क्षेत्र है और इस परियोजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश द्वारा

अवैध रूप से कितने एनीकट्स छोटे और मध्यम आकार के बांध निर्मित किए गए हैं;

(ख) अवैध जल संचयन द्वारा कितनी मात्रा में जल का संचयन किया गया है;

(ग) क्या उक्त जल संचयन ढांचे को ध्वस्त करने के संबंध में राजस्थान सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो क्या उक्त संचयन के माध्यम से मध्य प्रदेश द्वारा अवैध रूप से संचित जल की मात्रा को मध्य प्रदेश को मिलने वाले जल के हिस्से से घटाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) और (ख) राजस्थान सरकार ने सूचित किया है कि मध्य प्रदेश सरकार ने 1.00 मिलियन एकड़ फीट से अधिक जल भंडारण के लिए गांधी सागर बांध के आवाह क्षेत्र में 152 से भी अधिक चेक बांध, एनिकटों और बैराजों का निर्माण किया है।

(ग) राजस्थान सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार से गांधी सागर बांध के प्रतिप्रवाह में स्थित जल संचयन संरचनाओं को विखंडित करने का अनुरोध किया है। तथापि, केन्द्र सरकार को राजस्थान सरकार से ऐसा कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) और (ङ) राजस्थान सरकार का इसके हिस्से से मध्य प्रदेश द्वारा डाइवर्टेड जल की मात्रा में कमी करने का प्रस्ताव है। मध्य प्रदेश-राजस्थान अन्तर्राज्यीय नियंत्रण बोर्ड की स्थायी समिति की बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया है कि राणा प्रताप सागर और गांधी सागर बांधों में पर्याप्त जल न रहने की स्थिति में पार्वती एक्वाडक्ट मध्य प्रदेश के हिस्से से गांधी सागर बांध में आवाह क्षेत्र में स्थित संरचनाओं में भंडारित जल में से 50 प्रतिशत की कटौती की जाएगी।

राष्ट्रीय वनरोपण योजना

2990. प्रो. रासा सिंह रावत: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा "राष्ट्रीय वनरोपण योजना" के अधीन वन विकास से संबंधित कार्यों को करने के लिए वन विकास एजेन्सी इत्यादि द्वारा पालन किए जाने हेतु कौन-कौन से मानदंड नियत किए गए हैं;

(ख) क्या ऐसे मानकों को तैयार करते समय विभिन्न राज्यों की भिन्न-भिन्न भौगोलिक स्थितियों का भी ध्यान रखा गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या राजस्थान सरकार से पिछले तीन वर्षों के दौरान और उसके बाद वनरोपण क्षेत्र में बाड़ लगाने हेतु स्वीकृत लागत मानकों के पुनरीक्षण के संबंध में कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भगोराधन मीना): (क) राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम के दिशा-निर्देश, वन विकास अभिकरण द्वारा शुरू की जाने वाली विभिन्न गतिविधियों के लिए लागत मानदंड उपलब्ध कराते हैं। लागत मानदंड राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित वर्तमान मजदूरी की दरों पर आधारित होते हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) से (च) राज्यों से बाड़ लगाने के प्रावधान में बढ़ोत्तरी की प्राय: मांग रहती है। तथापि, राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम में लोगों की सहभागिता की अवधारणा है, तथा इसलिए समुदाय द्वारा सामाजिक बाड़ के माध्यम से परियोजना क्षेत्र की सुरक्षा पर बल देता है।

[अनुवाद]

कृषि कर्मकारों हेतु अधिनियम

2991. श्री परसुराम माझी: क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कृषि कर्मकारों के हितों की सुरक्षा हेतु केन्द्र और राज्य द्वारा बनाए गए अधिनियम का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार द्वारा इन अधिनियमों के क्रियान्वयन के अनुवीक्षण के लिए कोई कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव): (क) से (ग) कृषि कामगारों के हितों के संरक्षण के लिए अलग से कोई केन्द्रीय विधान नहीं है। तथापि, अनेक श्रम कानूनों के अंतर्गत कृषि कामगारों के हितों का संरक्षण किया जाता है, जैसे कर्मकार

प्रतिकर अधिनियम, 1923; न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948; बंधित श्रम पद्धति उत्सादन अधिनियम, 1976; प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961; अंतर-राज्यिक प्रवासी कर्मकार अधिनियम, 1979 इत्यादि। केरल सरकार ने केरल कृषि कामगार अधिनियम, 1974 बनाया है और इसे क्रियान्वित कर रही है। केन्द्र/राज्य सरकारों के प्रवर्तन तंत्र द्वारा समय-समय पर इन अधिनियमों के क्रियान्वयन को मानीटर किया जाता है।

[हिन्दी]

मवेशी और भैंस प्रजनन संबंधी राष्ट्रीय परियोजना

2992. श्री सुरेश अंगड़ि: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मवेशी और भैंस प्रजनन संबंधी राष्ट्रीय परियोजना के अंतर्गत केन्द्रीय अनुदान का अनुरोध करने वाले राज्यों का ब्यौरा क्या है;

(ख) केन्द्र सरकार के पास लंबित प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके क्या कारण हैं और इन प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति मिलने की संभावना है; और

(घ) इन राज्यों को अनुदान जारी करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) 26 राज्यों ने अब तक राष्ट्रीय गोपशु तथा भैंस प्रजनन परियोजना (एनपीसीबीबी) के तहत केन्द्रीय अनुदान के लिए अनुरोध किया है।

(ख) से (घ) इस समय प्राप्त सभी प्रस्तावों पर कार्रवाई कर ली गई है। राज्यवार जारी धनराशि की सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

राष्ट्रीय गोपशु तथा भैंस प्रजनन परियोजना के तहत नवम्बर, 2004 तक जारी धनराशि का विवरण

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	2000-2001	2001-2002	2002-2003	2003-04	2004-05	कुल निर्मुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	339	741.75	934.57	718.18	241.38	2974.88
2.	अरुणाचल प्रदेश	140	—	—	—	—	140
3.	असम	—	—	—	—	129.5	129.5
4.	छत्तीसगढ़	—	274	—	98	100	472
5.	गुजरात	—	—	—	40	279.7	319.7
6.	गोवा	—	—	—	58.71	50	108.71
7.	हरियाणा	523	323	—	—	277	1123
8.	हिमाचल प्रदेश	—	—	220	100	270.2	590.2
9.	जम्मू एवं कश्मीर	—	—	—	—	135.91	135.91
10.	कर्नाटक	—	—	—	465	394.29	859.29
11.	केरल	—	209.75	230	220	401	1060.75

1	2	3	4	5	6	7	8
12.	मध्य प्रदेश	—	829.47	300	360	661.54	2151.01
13.	महाराष्ट्र	—	—	—	860	—	860
14.	मणिपुर	67.75	—	—	17.36	—	85.11
15.	मेघालय	—	—	—	65.64	—	65.64
16.	मिजोरम	—	18.93	17.97	40	—	76.9
17.	नागालैंड	—	97.3	96	182	139.67	514.97
18.	उड़ीसा	—	40	551.6	—	—	591.6
19.	पंजाब	501	—	120.83	—	111.27	733.1
20.	राजस्थान	—	559.3	—	—	—	559.3
21.	सिक्किम	—	168.93	—	—	—	168.93
22.	तमिलनाडु	—	—	570	—	204.82	774.82
23.	त्रिपुरा	—	—	—	95	—	95
24.	उत्तर प्रदेश	—	—	1063	—	524.11	1587.11
25.	उत्तरांचल	—	248	—	275	84.8	607.8
26.	पश्चिम बंगाल	—	677.02	—	—	133.54	810.56
	कुल	1570.75	4187.45	4103.97	3594.89	4138.73	17595.79

चावल उत्पादन में कमी

2993. श्री के.एस. राव: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान द्वारा हाल ही में दिए गए निष्कर्षों की ओर आकृष्ट किया गया है जिसमें कहा गया है कि ''ग्लोबल वार्मिंग'' से चावल के उत्पादन में कमी आ सकती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और अध्ययन के निष्कर्षों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) इस स्थिति का भारत के चावल उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ेगा; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जाने का विचार है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) जी हां।

(ख) ये परीक्षण फिलीपीन्स में सीमित आंकड़ों के आधार पर किए गए हैं जिनसे निर्दिष्ट होता है कि पिछले 15 वर्षों में रात के तापमान में मामूली वृद्धि हुई है तथा इससे चावल की पैदावार में कुछ सीमा तक संभवत: कमी आई होगी।

(ग) भारतीय चावल की पैदावार पर इस स्थिति के प्रभाव के कोई स्पष्ट सूचक नहीं हैं।

(घ) इन सभी विकासों पर निगरानी रखी जा रही है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने कृषि पर जलवायु के प्रभाव का अध्ययन करने तथा प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए नीतियां बनाने हेतु नेटवर्क कार्यक्रम आरंभ किए हैं जिसमें 15 अनुसंधान संस्थानों और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया है।

पर्यावरण संरक्षण अवसंरचना का विकास

2994. श्री किरिप चालिहा: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि घटिया अवसंरचना के कारण भारत में पर्यावरण संरक्षण को नुकसान हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण अवसंरचना के विकास के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) और (ख) देश में पर्यावरण संरक्षण के लिए अपेक्षित कानून और नीति फ्रेमवर्क है। विनियामक और प्रशासनिक कार्यों के लिए आवश्यक संस्थागत अवसंरचना पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पर्यावरण एवं वन के लिए राज्य विभाग, और केन्द्रीय तथा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है। यद्यपि देश की विशालता को ध्यान में रखते हुए उपलब्ध अवसंरचना को और सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता है।

(ग) पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों में सरकार एक ओर क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण, वास्तविक अवसंरचना उपलब्ध करवाकर, वर्तमान कानूनों, नीतियों और प्रणालियों में सुधार, ई-गवर्नेंस का प्रयोग आदि के माध्यम और दूसरी ओर अन्य उपायों जैसे जागरूकता निर्माण और जन भागीदारी, वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा, संसाधनों के संरक्षण के लिए वैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग, आर्थिक उपायों को लागू करना आदि के माध्यम से वर्तमान अवसंरचना को सुदृढ़ बनाने के प्रयास कर रही है।

[अनुवाद]

दुर्गापुर बैराज की गाद निकालना

2995. श्री सुनील खां: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार दुर्गापुर बैराज क्षेत्र में जल निकासी और गाद निकालने हेतु सहायता उपलब्ध कराने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) बाढ़ प्रबंधन, कटाव नियंत्रण राज्य का विषय होने के कारण बाढ़ प्रबंधन और कटाव नियंत्रण संबंधी स्कीमों की आयोजना, वित्तपोषण और निष्पादन राज्य सरकारों द्वारा उनकी अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार उनकी राज्य निधि से किया जाता है जोकि उन्हें योजना आयोग द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। केन्द्र सरकार द्वारा दी जानी वाली सहायता तकनीकी, उत्प्रेरणात्मक और संवर्धनात्मक स्वरूप की होती है। तथापि, राज्य सरकार से दुर्गापुर बैराज क्षेत्र के जल निकास और अवसादन के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

जलाशय परियोजनाएं

2996. प्रो. महादेवराव शिवनकर:
श्री मुन्शी राम:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार को राज्य सरकारों से जलाशय परियोजना हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2003-04 के दौरान जिलावार और राज्यवार कितनी परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है; और

(ग) इन परियोजनाओं पर अब तक कुल कितनी धनराशि खर्च हुई है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) से (ग) जी, हां। जिन सिंचाई परियोजनाओं को वर्ष 2003-04 के दौरान निवेश मंजूरी दी जा चुकी है और उनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। इन परियोजनाओं पर 557.06 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जा चुकी है।

विवरण

क्रम सं.	परियोजना का नाम	राज्य का नाम	लाभान्वित जिले
1.	पूर्णा सिंचाई परियोजना	महाराष्ट्र	अमरावती
2.	महानदी जलाशय परियोजना	छत्तीसगढ़	रायपुर और दुर्ग
3.	महान (गुलाब सागर) सिंचाई परियोजना	मध्य प्रदेश	सीधी
4.	रेत सिंचाई परियोजना	उड़ीसा	कालाहांडी
5.	छेलीगढ़ा बांध परियोजना	उड़ीसा	गजपति

निजी फर्मों को ऋण

2997. श्री रामस्वरूप कोली: क्या **पर्यटन मंत्री** दिनांक 4 अगस्त 2003 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2767 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान निजी फार्मों को वर्ष-वार कितनी ऋण राशि दी गई;

(ख) क्या किसी फर्म ने भारतीय वित्त निगम के ऋण की किस्त देने में चूक की है; और

(ग) अब तक निगम को फर्मों द्वारा चुकाए गए ऋण की कुल राशि कितनी है?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) पिछले 3 वर्षों के दौरान, भारतीय पर्यटन वित्त निगम (टी एफ सी आई) ने निम्न प्रकार से प्राइवेट पार्टियों को ऋण प्रदान किया है:

वर्ष	स्वीकृत ऋण (करोड़ रुपयों में)
2001-02	95.38
2002-03	77.86
2003-04	59.96

(ख) और (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान, भारतीय पर्यटन वित्त निगम द्वारा दिए गए ऋणों की वापसी अभी प्रारंभ नहीं हुई है, क्योंकि अधिकतर मामले या तो कार्यान्वयनाधीन है या ऋण स्थगन के अधीन है। सामान्यतया सभी पर्यटन परियोजनाओं की दो वर्षों के लगभग की एक कार्यान्वयन अवधि होती है और तत्पश्चात वापसी शुरू होने के लिए कम से कम डेढ़ वर्षों का समय अपेक्षित होता है।

भारतीय पर्यटन वित्त निगम ने अवगत कराया है कि 31.3.04 को निजी क्षेत्र के 59 संस्थानों ने देय के भुगतान में चूक की है। इन संस्थानों को नान-परफार्मिंग एसेस्टस के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

[अनुवाद]

सरकार द्वारा ताजमहल की जयंती का बहिष्कार

2998. श्री वाडिगा रामकृष्णा: क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ताजमहल की 355वीं जयन्ती समारोह में शामिल नही हुई; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) और (ख) ताजमहल का समारोह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और कार्यक्रम आयोजित करने में केन्द्र सरकार तथा उत्तर प्रदेश सरकार शामिल हैं।

इंटरनेशनल स्टैण्डर्ड कन्वेंशन सेन्टर

2999. श्री सी.के. चन्द्रप्पन:
श्री पी.के. वासुदेवन नायर:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल सरकार ने तिरुवनन्तपुरम में प्रस्तावित 'इंटरनेशनल स्टैण्डर्ड कन्वेंशन सेन्टर' स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार को कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

रोजगार अवसर हेतु कार्यक्रम

3000. **श्री गिरिधारी यादव:**
श्री हरिकेवल प्रसाद:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने नई आर्थिक नीति के अनुरूप रोजगार के नए अवसर सृजित करने के लिए कोई कार्यक्रम तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत वर्ष के दौरान इस कार्यक्रम के अंतर्गत क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया और कितनी उपलब्धियां प्राप्त की गई हैं; और

(घ) चालू वर्ष और आने वाले वर्ष के दौरान अलग-अलग रोजगार सृजन के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव): (क) और (ख) पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत नए रोजगार अवसरों का सृजन एक चल रही प्रक्रिया है। 10वीं योजनावधि के दौरान रोजगार सृजन हेतु सरकार द्वारा निम्नलिखित क्षेत्रों हेतु कार्यनीति बनाई गई है:

* कारोबार में 8% की सामान्य वृद्धि लगभग 3 करोड़ रोजगार अवसरों के सृजन में योगदान देगी।
* विशेष रोजगार सृजन कार्यक्रमों से 2 करोड़ रोजगार अवसर सृजित होंगे।
* कृषि, सिंचाई, कृषि-वानिकी, लघु एवं मझोले उद्यमों, सूचना संचार प्रौद्योगिकी, पर्यटन एवं अन्य सेवाओं पर विशेष बल।

(ग) और (घ) प्रतिवर्ष औसतन एक करोड़ रोजगार अवसरों के सृजन के लक्ष्य की तुलना में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा किए गए प्रतिदर्श सर्वेक्षण के अनुमानों के अनुसार उपलब्धि लगभग 84 लाख प्रतिवर्ष रही। इस अनुमान के सरसरे प्रतिदर्श की अपनी सीमा है।

[अनुवाद]

कीटनाशी परीक्षण प्रयोगशालाएं

3001. **श्री जी. करूणाकर रेड्डी:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित कीटनाशी परीक्षण प्रयोगशालाओं की राज्यवार और स्थलवार संख्या कितनी है;

(ख) विभिन्न श्रेणियों में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की प्रयोगशाला-वार संख्या कितनी है;

(ग) क्या सभी राज्यों में ऐसी प्रयोगशालाएं हैं;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) प्रत्येक राज्य में ऐसी प्रयोगशालाएं स्थापित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) केन्द्र सरकार द्वारा फरीदाबाद, हरियाणा में एक केन्द्रीय कीटनाशी प्रयोगशाला और चण्डीगढ़ तथा कानपुर, उत्तर प्रदेश में दो क्षेत्रीय कृमिनाशी परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना की गई है।

(ख) क्षेत्रीय कृमिनाशी परीक्षण प्रयोगशालाओं और केन्द्रीय कीटनाशी प्रयोगशाला में कार्यरत कर्मिकों की वर्गवार संख्या दर्शाने वाला ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है।

(ग) से (ङ) 18 राज्यों और 1 संघ शासित क्षेत्र में 46 राज्य कृमिनाशी परीक्षण प्रयोगशालाओं (एसपीटीएल) का तंत्र है। एसपीटीएल की राज्यवार सूची प्रदर्शित करने वाला ब्यौरा विवरण II पर देखा जा सकता है। कृषि मंत्रालय ने शेष सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से एसपीटीएल की स्थापना के लिए सहायता दिए जाने हेतु प्रस्ताव भेजने का अनुरोध किया है। नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मेघालय और त्रिपुरा की राज्य सरकारों को एसपीटीएल की स्थापना के लिए क्रमश: 40.00 लाख रुपए और 30.00 लाख रुपए की सहायता अनुदान राशि जारी की थी। वर्ष 2004-05 के दौरान एसपीटीएल की स्थापना के लिए छत्तीसगढ़, झारखण्ड और उत्तरांचल राज्य सरकारों को भी प्रत्येक को 45.00 लाख रुपए का सहायता अनुदान दिया है।

विवरण I

संघ सरकार द्वारा स्थापित प्रयोगशालाओं में अधिकारियों की विभिन्न श्रेणियों की संख्या

क्र.सं.	पदनाम	वेतनमान	पदों की कुल संख्या		
			रसायन प्रभाग, सीआईएल फरीदाबाद	आरपीटीएल, चण्डीगढ़	आरपीटीएल कानपुर
1.	संयुक्त निदेशक (रसायन)	12500-16400	1	1	1
2.	उप निदेशक (रसायन)	1000-15200	2	1	1
3.	सहायक निदेशक (रसायन)	8000-13500	5	—	—
4.	प्रशासनिक अधिकारी	6500-10500	—	1	1
5.	पौध संरक्षण अधिकारी (रसायन)	6500-10500	1	2	2
6.	इंस्ट्रूमेंट तकनीशियन	5500-9000	1	—	—
7.	वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक-II (रसायन)	5500-9000	14	6	6
8.	वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक-III (रसायन)	5000-8000	6	2	2
9.	उच्च श्रेणी लिपिक	4000-6000	1	2	2
10.	आशुलिपिक	5000-8000	1	1	1
11.	निम्न श्रेणी लिपिक	3050-4590	1	1	1
12.	प्रयोगशाला तकनीशियन	3050-4590	2	—	—
13.	प्रयोगशाला सहायक	3050-4590	7	2	2
14.	ड्राइवर	3050-4590	—	1	1
15.	दफ्तरी	2610-4000	1	—	—
16.	चपरासी	2550-3200	—	1	1
17.	चौकीदार	2550-3200	—	1	1
			43	22	22

विवरण II

राज्य/संघ शासित क्षेत्र में कीटनाशी परीक्षण प्रयोगशालाएं

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	प्रयोगशालाओं की संख्या	स्थान
1.	आंध्र प्रदेश	5	राजेन्द्र नगर, गुंटूर, अनंतपुर, तदेपल्लीगुदेम और वारंगल
2.	असम	1	गुवाहाटी
3.	बिहार	1	पटना
4.	गुजरात	2	जूनागढ़ और गांधीनगर
5.	हरियाणा	2	करनाल और सिरसा
6.	हिमाचल प्रदेश	1	शिमला
7.	जम्मू और कश्मीर	2	श्रीनगर और जम्मू
8.	कर्नाटक	5	बंगलौर, बेल्लारी, धारवाड़ सिमोगा और कुतनूर
9.	केरल	1	त्रिवेंद्रम
10.	मध्य प्रदेश	1	जबलपुर
11.	महाराष्ट्र	4	पुणे, अमरावती, थाने और औरंगाबाद
12.	मणिपुर	1	मंतरीपुखरी
13.	उड़ीसा	1	भुवनेश्वर
14.	पंजाब	3	अमृतसर, लुधियाना और भटिंडा
15.	राजस्थान	2	जयपुर, बीकानेर
16.	तमिलनाडु	9	कोयंबटूर, कोविलपट्टी, इरोड, मदुरै, त्रिची, अदुथुरई, सलेम, कुडलौर और कांचीपुरम
17.	उत्तर प्रदेश	3	मेरठ, लखनऊ वाराणसी
18.	पश्चिम बंगाल	1	मिदनापुर
19.	पांडिचेरी	1	पांडिचेरी
	कुल	46	

राज्य/संघ शासित क्षेत्र जहां एस.पी.टी.एल. नहीं है।

1.	मेघालय*
2.	त्रिपुरा*
3.	अरूणाचल प्रदेश
4.	छत्तीसगढ़**
5.	गोवा
6.	झारखंड**
7.	मिजोरम
8.	नागालैंड
9.	सिक्किम
10.	उत्तरांचल**
11.	अंडमान निकोबार
12.	दादरा और नागर हवेली
13.	चंडीगढ़
14.	दिल्ली
15.	दमन और दीव
16.	लक्षद्वीप

*राज्य कीटनाशी परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना के लिए IX पंचवर्षीय योजना के दौरान मेघालय और त्रिपुरा राज्य को 40.00 लाख और 30 लाख रु. की अनुदान सहायता दी गई थी।

**चालू वित्तीय वर्ष 2004-05 के दौरान छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तरांचल, प्रत्येक राज्य को राज्य कीटनाशी परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना हेतु 45.00 लाख रु. की अनुदान सहायता पहले ही दी जा चुकी है।

[हिन्दी]

उर्वरक की खरीद पर बीमा सुरक्षा

3002. श्री सीताराम सिंह: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने एक योजना शुरू की है जिसमें उर्वरक की खरीद पर किसानों को बीमा सुरक्षा मिल सकती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन राज्यों का ब्यौरा क्या है जहां उक्त योजना क्रियान्वित की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

भारतीय खाद्य निगम के डिपो बंद किया जाना

3003. श्री रामचन्द्र पासवान: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बेगूसराय शहर, बेगूसराय रोड और राज्य भांडागार निगम, तिलरथ स्थित भारतीय खाद्य निगम के तीन डिपों को कम खर्च में चला पाने की अव्यवहारिकता के मद्देनजर सारा कार्य अन्य दो डिपों को बंद करके बेगूसराय शहर डिपो से किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या स्थानीय प्रबंधन ने टेंगड़ा और बिशमपुर स्थित राज्य भाण्डागार निगम के दो डिपों को उच्च सम्भलाई और किराया दरों पर किराए पर लिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस संबंध में कोई जांच की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) जी, हां।

(ख) बिहार राज्य भाण्डागारण निगम से टेघरा और बिशनपुर (बेगुसराय) में दो गादाम उन्हीं भंडारण प्रभारों पर किराए पर लिए गए थे, जो बिहार राज्य भाण्डागारण निगम के अन्य गोदामों के लिए देय हैं।

(ग) बेगूसराय कस्बे के डिपो के संबंध में हैंडलिंग प्रभार वही थे जो दो डिपुओं को बंद किए जाने के पूर्व अर्थात् 145.25 रुपये प्रति 10 टन थे।

पूर्व में बेगूसराय कस्बे हेतु गोदाम का किराया 0.50 रुपए प्रति वर्ग फुट प्रति माह था, जिसे गोदाम मालिक के अनुरोध पर

मोल-भाव करके बढ़ा कर 0.80 रुपए प्रति वर्ग फुट प्रति माह कर दिया गया था। भारत सरकार और भारतीय खाद्य निगम मुख्यालय के अनुदेशों के अनुसार बिहार राज्य भाण्डागारण निगम के गोदामों के लिए किराया प्रभार 1.79 रुपए प्रति बोरी प्रति माह है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

बाल श्रमिकों हेतु कल्याणकारी योजना

3004. श्री देविदास पिंगले:
प्रो. महादेवराव शिवणकर:
श्री मुन्शी राम:
श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बाल श्रमिकों और संभावित बाल श्रमिकों को देश की मुख्य धारा में लाने के लिए सरकार ने उनकी शैक्षिक/व्यावसायिक प्रशिक्षण हेतु कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो क्या देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के लिए वर्ष 2002-03 में कोई कल्याणकारी योजना शुरू की गई थी;

(ग) यदि हां, गत दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान वर्षवार इस योजना के लिए कुल कितनी राशि का आबंटन किया गया है;

(घ) क्या उच्चतम न्यायालय ने इस धनराशि के व्यय पर रोक लगा दी है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव): (क) सरकार ने बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट जोखिमकारी व्यवसायों तथा प्रक्रियाओं में कार्य करने वाले बच्चों को पुनर्वासित करने के लिए राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना स्कीम तैयार की है। इस स्कीम के अंतर्गत, जोखिमकारी व्यवसायों तथा प्रक्रियाओं से हटाए गए कामकाजी बच्चों के लिए विशेष स्कूल खोले जाते हैं ताकि उन्हें औपचारिक शिक्षा व्यवस्था में शामिल होने के लिए तैयार किया जा सके। शैक्षिक अनुदेश, व्यावसायिक प्रशिक्षण, मध्याह्न भोजन, छात्रवृत्ति तथा स्वास्थ्य जांच इस स्कीम के आवश्यक घटक है।

(ख) प्रति बालक पोषणाहार की धनराशि को 2.50 रुपये से बढ़ाकर 5.00 रुपये प्रतिदिन करने; डाक्टर द्वारा बच्चों की नियमित तथा प्रभावी स्वास्थ्य देख-रेख का प्रावधान करने के लिए राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना स्कीम में वर्ष 2003 में संशोधन किया गया है तथा राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के स्कूलों में बच्चों/शिक्षकों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए प्रत्येक परियोजना हेतु एक मास्टर प्रशिक्षक की सेवाओं को भाड़े पर लेने के लिए बजटीय प्रावधान किया गया है।

(ग) वर्ष 2002-2003, 2003-2004 तथा 2004-2005 के लिए सभी बाल श्रम स्कीमों के लिए बजटीय आबंटन क्रमश: 8010 लाख रुपये, 7243 लाख रुपये तथा 9905 लाख रुपये है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

कृषि क्षेत्र पर आयात शुल्क में कटौती का प्रभाव

3005. श्री पी. मोहन: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्टार्च और साबूदाना उत्पाद पर आयात शुल्क को 30 प्रतिशत से घटाकर 20 प्रतिशत करने और 4 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क को पूरी तरह से समाप्त करना हमारे देश में कृषि क्षेत्र के लिए सहायक है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत दो वर्षों के दौरान और आज तक इन वस्तुओं का कितनी मात्रा में तथा किन-किन देशों से आयात किया गया है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान देश में जितने क्षेत्र में टैपियोका की खेती की जा रही है उसका राज्यवार ब्यौरा क्या है तथा इसका राज्यवार कुल उत्पादन कितना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) इन उत्पादों पर कस्टम शुल्क की अधिकतम दर घटाकर 2002 और 2004 में क्रमश: 30% और 20% कर दी गई। यह राजस्व विभाग द्वारा कस्टम शुल्कों की अधिकतम दर की सामान्य कमी का एक भाग था। मक्का (कार्न) स्टार्च, मैनिओक (कसावा) स्टार्च, सागो, टैपिओका और स्टार्चों

तथा संशोधित स्टार्चों से तैयार इसके अनुकल्पों पर आयात शुल्क के मामले पर राजस्व विभाग द्वारा इस वर्ष के बजट संबंधी कार्रवाई के भाग के रूप में विचार किया गया था। इन उत्पादों (संशोधित स्टार्चों के सिवाय) पर कस्टम शुल्क की प्रभावी दर 30% है। संशोधित स्टार्च पर कस्टम शुल्क की प्रभावी दर 20% है। तथापि, इन उत्पादों पर कस्टम शुल्क की टैरिफ दर 30%/20% से बढ़ाकर 50% कर दी गई। इन उत्पादों पर आयात शुल्क उपयुक्त रूप से बढ़ाने के लिए कुशन प्रदान करने हेतु ऐसा किया गया था कि यदि आयात अधिक होने की घटनाएं बढ़ जाती हैं तो स्वदेशी उत्पादकों और उद्योग के हितों की रक्षा हो सके। सुरक्षा महानिदेशालय (वित्त मंत्रालय) ने सुरक्षा शुल्क नियमों के अंतर्गत स्वयं अपनी ओर से एक जांच शुरू की है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि इन उत्पादों का वृद्धित आयात हुआ है अथवा नहीं। 4% के विशेष अतिरिक्त कस्टम शुल्क का समाप्त किया जाना एक नीतिगत निर्णय था और यह कस्टम टैरिफ के अंतर्गत सभी मदों के लिए प्रयोज्य है।

(ग) वर्ष 2002-03, 2003-04 और 2004-05 (अप्रैल 04 से जुलाई 04) के दौरान स्टार्चों के आयात का विवरण संलग्न विवरण-I पर दिया गया है।

(घ) वर्ष 2000-01, 2001-02 और 2002-03 के दौरान टैपिओका के क्षेत्र और उत्पादन का ब्यौरा संलग्न विवरण-II पर दिया गया है।

विवरण I

स्टार्चों का आयात (मात्रा मी. टन में)

देश	2002-03	2003-04	2004-05 (अप्रै. 04-जुलाई, 04)
1	2	3	4
		गेहूं के स्टार्च	
बेल्जियम	–	15.00	–
चीन पीआरपी	–	2.25	–
फ्रांस	2.00	13.50	4.00
जर्मनी एफ आरईपी	1.49	0.50	0.70
कोरिया आरपी	10.00	–	–
नीदरलैंड	0.25	0.05	0.30
पौलैंड	–	0.61	–
स्लोवेनिया	0.10	–	–
दक्षिण अफ्रीका	1.60	–	–
थाइलैंड	12.00	–	–
यूएसए	–	–	20.41
कुल	27.44	31.91	25.41
		मक्का के स्टार्च (कार्न)	
बेल्जियम	–	5.00	–
फ्रांस	25.88	79.34	50.00

1	2	3	4
जर्मनी एफ	20.10	10.00	–
इटली	18.85	–	–
नीदरलैंड	5.00	–	7.40
थाइलैंड	16.00	16.23	885.24
यूके	0.15	6.96	0.05
यूएसए	22.70	47.07	4.74
कुल	108.68	164.59	947.43
	आलू के स्टार्च		
डेनमार्क	42.00	213.02	63.00
फिनलैंड	3.00	–	–
फ्रांस	13.00	37.03	24.25
जर्मनी एफ आ.	132.50	219.00	7.93
मलेशिया	–	21.59	–
नीदरलैंड	85.03	344.74	79.52
थाइलैंड	–	228.00	–
तुर्की	–	0.25	–
यूके	0.03	–	–
यूएई	–	–	0.50
कुल	275.56	1063.63	175.20
	मनिओक का स्टार्च (कसावा)		
फिलिपींस		504.00	–
थाइलैंड		1,011.40	–
वियतनाम एसओसी		285.00	195.00
आरईपी		–	–
कुल		1800.40	195.00

1	2	3	4
	अन्य स्टार्च		
आस्ट्रेलिया	2.11	1.17	–
आस्ट्रिया	0.00	–	–
बेल्जियम	21.97	29.80	9.90
फ्रांस	11.20	–	–
जर्मनी एफ. आरईपी	577.04	170.00	0.35
इटली	16.44	–	–
जापान	16.00	14.45	4.30
कोरिया आरपी	1.42	1.02	–
नीदरलैंड	56.50	–	0.10
स्वीडन	–	0.27	–
स्विटजरलैंड	0.12	–	–
थाइलैंड	21.58	–	–
यूएसए	346.22	4795.40	2020.00
वियतनाम एसओसी	1.75	0.23	0.29
आरईपी	–	945.50	–
कुल	1072.35	5957.85	2034.94

विवरण II

टेपिओका का राज्यवार क्षेत्र और उत्पादन

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	क्षेत्र ("000 है.)			उत्पादन ("000 है.)		
	2000-01	2001-02	2002-03	2000-01	2001-02	2002-03
1	2	3	4	5	6	7
आंध्र प्रदेश	21.5	17.7	13.1	166.1	146.4	79.5
असम	3.0	3.0	2.8	14.0	14.0	13.5
कर्नाटक	1.0	0.9	0.9	8.0	7.2	6.9

1	2	3	4	5	6	7
केरल	114.6	111.2	110.3	2586.9	2455.9	2504.4
मणिपुर	—	0.0	0.0	—	0.0	0.2
मेघालय	4.1	4.0	4.0	21.9	20.6	20.6
मिजोरम	0.4	0.1	0.2	2.0	1.2	1.3
नागालैंड	1.3	1.3	1.3	16.0	16.1	16.1
राजस्थान	0.1	0.2	0.0	0.2	0.5	0.0
सिक्किम	0.5	0.5	0.5	1.2	1.2	1.2
तमिलनाडु	104.8	108.0	73.0	4295.5	4153.0	2772.5
अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	0.2	0.2	0.5	2.3	2.4	0.5
पांडिचेरी	0.3	0.5	0.4	9.7	15.5	9.5
सकल भारत	251.8	247.6	207.0	7123.8	6834.0	5426.2

[हिन्दी]

दलहन, तिलहन और गेहूं के किट

3006. श्री सुशील कुमार मोदी: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बाढ़ और सूखे से प्रभावित बिहार के लिए दलहन, तिलहन और गेहूं के किट देने के बारे में कोई निर्णय लिया है;

(ख) अब तक बिहार में कितने किट की आपूर्ति की गई है;

(ग) क्या बिहार सरकार ने 10 लाख छोटे किट की मांग की है; और

(घ) यदि हां, तो शेष कोटे की आपूर्ति कब तक किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) भारत सरकार केन्द्रीय प्रायोजित ''समेकित तिलहन, दलहन, आयलपाम और मक्का स्कीम (आईएसओपीओएम)'' के तहत नोडल एजेन्सियों अर्थात् राष्ट्रीय बीज निगम और भारतीय राज्य फार्म निगम के पास मौजूद संस्तुत पात्र किस्मों/संकर किस्मों की उपलब्धता के आधार पर बिहार सहित 14 मुख्य दलहन और तिलहन उत्पादक राज्यों में नियमित रूप से प्रत्येक मौसम हेतु नई निर्मुक्त किस्मों/संकर किस्मों जो 10 साल से कम पुरानी है, को लोकप्रिय बनाने के लिए दलहन और तिलहन के बीच मिनिकिटों को आपूर्ति कर रही है। तथापि, गेहूं के मामले में राज्यों को बीच मिनिकिट प्रदान करने के लिए इस समय कोई केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम नहीं है।

भारत सरकार ने राष्ट्रीय बीज निगम और भारतीय राज्य फार्म निगम के माध्यम से चालू रबी मौसम के दौरान बिहार राज्य को अभी तक दलहन और तिलहन के क्रमश: 59071 और 101165 बीज मिनिकिटों की आपूर्ति की है।

(ग) और (घ) बिहार सरकार ने बिहार के बाढ़ एवं सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए दलहन, तिलहन और गेहूं दिशानिर्देशों में अधिक पुरानी किस्मों को बदलने के लिए 10 वर्ष से कम पुरानी किस्मों के तिलहन तथा दलहन के बीज मिनिकिटों की आपूर्ति की व्यवस्था है, इस स्कीम के अंतर्गत इतनी बड़ी मांग को अचनाक पूरा नहीं किया जा सका क्योंकि नोडल एजेन्सियों के पास नई निर्मुक्त किस्मों के बीजों की कमी है। तथापि, बिहार राज्य को ''आईसोपोम'' के अंतर्गत पर्याप्त उच्चतर निधियां आवंटित की गई

है ताकि वर्तमान रबी मौसम के दौरान राजसहायता प्राप्त दरों पर किसानों को तिलहनों, दलहनों और मक्का के प्रमाणित बीजों की अपेक्षित मात्रा की आपूर्ति की जा सकी।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय सूखा नीति

3007. श्री दिनशा पटेल: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार उन राज्यों के लाभ के लिए एक राष्ट्रीय सूखा नीति तैयार करने का है जो लगातार सूखे का सामना कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (ग) सरकार ने सूखा पुस्तिका तैयार करने का कार्य राष्ट्रीय सूखा प्रबंधन संस्थान को सौंपा है जो क्रमिक सूखा सहित सूखे की स्थिति में तैयारी करने और उससे निपटने के लिए राज्यों को महत्वपूर्ण मार्गदर्शी सिद्धांत उपलब्ध करायेगा।

जठरोपा और कनुगा के पौधे

3008. श्री किन्जरपु येरनमायडु: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार वाहनों में डीजल के स्थान पर इस्तेमाल किए जाने वाले तेल प्राप्त करने के लिए बड़े पैमाने पर जठरोपा और कनुगा के पौधे उगाने के बारे में कोई लक्ष्य निर्धारित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पौधरोपण के एक वर्ष के बाद पौधों से लगभग कितना बायो डीजल तेल प्राप्त होगा।

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) जी हां।

(ख) 1563 हैक्टेयर क्षेत्र में पौध रोपण हेतु जठरोपा नर्सरी का विकास किया गया है और 1147 है. क्षेत्र में इसके पौधरोपण का कार्य किया गया है। तद्नुसार कृषि मंत्रालय द्वारा 1047 है. क्षेत्र में पौधरोपण हेतु करेन्जा नर्सरी का विकास किया गया है और 676 है. क्षेत्र में इसके पौधरोपण का कार्य पूरा कर लिया गया है। वर्ष 2004-05 के दौरान बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, मेघालय, नागालैण्ड, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल और पश्चिम बंगाल आदि राज्यों में जठरोपा के लिए 6020 है. क्षेत्र और करेन्जा के लिए 865 है. क्षेत्र में नर्सरी के विकास और पौधरोपण का कार्य किया जा रहा है।

(ग) एक वर्ष के बागान से कोई आय नहीं होगी, तथापि, जठरोपा के मामले में पौधरोपण के 3 वर्ष से और करेन्जा के मामले में 6 वर्ष से आर्थिक लाभ मिलना शुरू होगा।

[हिन्दी]

गंगा यमुना बेसिन में सर्वाधिक पैदावार दर

3009. श्री राजीव रंजन सिंह "ललन":
डा. चिन्ता मोहन:

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधानकर्त्ताओं ने पता लगाया है कि गंगा यमुना बेसिन में सर्वाधिक पैदावार प्राप्त की जा सकती है;

(ख) यदि हां, तो इस बेसिन में गेहूं, धान, तिलहन और दलहन रोप कर लगभग कितनी पैदावार प्राप्त की जा सकती है;

(ग) यह वास्तविक औसत अनुमान से कितनी अधिक है; और

(घ) क्या किसानों को पैदावार दर बढ़ाने में सहायता देने के लिए सरकार द्वारा किसी योजना को क्रियान्वित किया गया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) गंगा यमुना के बेसिन में परीक्षणात्मक भूखंडों/खेत परीक्षणों में उच्चतम पैदावार अलग-अलग है जो गेहूं में 5.7 से 6.6 टन/है., चावल में 8.3 से 10.4 टन/है., सरसों (प्रमुख तिलहन फसल) में 2.0 से 2.8 टन/है. तथा अरहर में 2.6 टन/है.; चने (प्रमुख दलहन फसल) में 1.8 टन/है. है।

(ग) परीक्षणात्मक भूखंडों/खेत प्रदर्शनों में प्राप्त उपरोक्त फसल की पैदावार से लगभग 100 से 300 प्रतिशत ज्यादा है।

(घ) पैदावार में वृद्धि लाने वाली प्रौद्योगिकी को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के खेत अनुसंधान तथा अग्रपंक्ति प्रदर्शन कार्यक्रमों के माध्यम से लोकप्रिय बनाया जा रहा है। पैदावार बढ़ाने वाली क्रियाओं के अंगीकरण के लिए कृषि एवं सहकारिता विभाग की केन्द्रीय सहायतार्थ स्कीम जैसे ''बृहद् प्रबंध, तिलहन एवं दलहन पर प्रौद्योगिकी मिशन और पूर्वी भारत में फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए फार्म जल प्रबंध'' के अन्तर्गत किसानों को सहायता प्रदान की जा रही है।

मजदूरी का भुगतान

3010. श्री रघुनाथ झा: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम कई निदेशों के बावजूद अपने मजदूरों को छोटी राशियों का भी भुगतान चेक के माध्यम से करता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस संबंध में कोई जांच बिठायी गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा कौन से निवारणात्मक उपाय किए गए हैं?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) और (ख) भारतीय खाद्य निगम के उड़ीसा के कामगारों को वेतन माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विशेष अनुमति याचिका संख्या 10953 और 10954 में दिए गए 14 जून, 2004 के निर्णय के अनुसार दिया जा रहा है।

माननीय उच्चतम न्यायालय ने भारतीय खाद्य निगम के उड़ीसा क्षेत्र में मार्च, अप्रैल और मई, 2004 के महीनों हेतु कामगारों को निम्नानुसार वेतन देने के लिए निदेश दिया था:

10,000 रुपये नकद दिए जाएं और शेष चेक द्वारा दिए जाएं।

अत: उपर्युक्त पैरा (क) में उल्लिखित माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय का कड़ाई से पालन करते हुए 10,000 रुपये से अधिक किसी भी राशि का भुगतान कामगारों को चेक द्वारा किया गया था।

(ग) से (ङ) उपर्युक्त (क) और (ख) भाग के उत्तरों को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

स्वास्थ्य व पर्यावरण पर शहरीकरण का प्रभाव

3011. श्री काशीराम राणा:
श्री इलियास आजमी:

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि देश में निर्बाध शहरीकरण से जनस्वास्थ्य और पर्यावरण संबंधी कई समस्याएं पैदा हो रही है;

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति को विशेषत: देश के महानगरों में नियंत्रित करने के लिए क्या कार्य योजना शुरू की गई है; और

(ग) यह योजना कितनी सफल रही है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीणा): (क) से (ग) भारत के रजिस्ट्रार (भारत की सांख्यिकीय रूपरेखा 2002-03) के अनुसार, शहरीकरण का स्तर 1951 में 17% से 2001 तक 28% बढ़ गया है। शहरीकरण से वायु और जल प्रदूषण, नगरपालिका ठोस अवशिष्ट और जल मल की निकास सहित पर्यावरण में कई समस्याएं सामने आई हैं। नगरपालिका जल मल की निकासी के कारण नदियों और झीलों की जल गुणवत्ता प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई हैं। शहरों की वायु गुणवत्ता पर बढ़ते हुए वाहनीय उत्सर्जन, शहरी क्षेत्रों के अंदर जैव-मात्रा और जैव-ईंधन को जलाने से दबाव पड़ा है। प्रदूषण की जांच करने हेतु सरकार ने कई कदम उठाए हैं जिनमें शामिल हैं-शीशारहित पेट्रोल की शुरुआत, मोटर वाहनों के लिए स्वच्छतर ईंधन का प्रयोग, ताप विद्युत संयंत्रों में लाभकारी कोयले का उपयोग और जैव ईंधन के उपयोग पर प्रतिबंध। सरकार के अंत:क्षेप द्वारा, अंत:श्वसनीय निलंबित विविक्त कण (आर.एस.पी.एम.) को छोड़कर, वायु प्रदूषकों के स्तर को नियंत्रित किया गया है। इसी प्रकार मल जल शोधन संयंत्रों को स्थापित करने और नगरपालिका ठोस अवशिष्ट के हथालन हेतु सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु भी कार्रवाई की गई है। विभिन्न महानगरों के लिए शहर-विशिष्ट कार्यवाही योजनाएं विकसित की गई है और क्रियान्वयन की विभिन्न अवस्थाओं में है। वायु प्रदूषकों को नियंत्रित करने के लिए और महानगरों और राज्य की राजधानियों के संदर्भ में नगरपालिका ठोस अवशिष्ट के प्रबंधन के लिए कार्रवाई योजनाएं भी विकसित की गई हैं। देश में स्वास्थ्य अभिव्यक्तिकरण प्रदूषकों के स्पष्ट कारण—प्रभाव संबंध का कोई निर्णायक प्रमाण उपलब्ध नहीं है।

उद्योगों द्वारा प्रदूषण मानदण्डों का उल्लंघन

3012. श्री मनसुखभाई डी. वसावा:
श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और प्रदूषण नियंत्रण समितियों द्वारा समीक्षा के दौरान राज्यवार कितने उद्योगों को प्रदूषण मानदण्ड के उल्लंघन का दोषी पाया गया है;

(ख) क्या इस संबंध में राज्यों द्वारा केन्द्र सरकार को जानकारी नहीं दी गयी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस मामले में केन्द्र सरकार द्वारा कौन से उपचारात्मक उपाय अपनाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना): (क) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सी पी सी बी) के अनुसार, प्रदूषक उद्योगों की अभिज्ञात 17 श्रेणियों में, 139 उद्योगों को चूककर्ता के रूप में पहचाना गया है। ऐसे उद्योगों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों तथा प्रदूषण नियंत्रण समितियों को चूककर्ता इकाइयों के विरूद्ध जल (निवारण तथा प्रदूषण नियंत्रण) अधिनियम, 1974, वायु, (निवारण तथा प्रदूषण नियंत्रण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत आवश्यक कार्रवाई करने, जैसी आवश्यक समझी जाए, के लिए सशक्त बनाया गया है।

विवरण

प्रदूषक उद्योगों की 17 श्रेणियों में प्रदूषण नियंत्रण की राज्यवार स्थिति (जून, 2004 तक की स्थिति)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	चूककर्ता इकाईयों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	0
2.	असम	1
3.	बिहार	0
4.	छत्तीसगढ़	2
5.	गोवा	0
6.	गुजरात	0
7.	हरियाणा	14
8.	हिमाचल प्रदेश	0
9.	जम्मू और कश्मीर	0
10.	झारखंड	2
11.	कर्नाटक	0
12.	केरल	0
13.	मध्य प्रदेश	2
14.	महाराष्ट्र	10
15.	मेघालय	0
16.	उड़ीसा	7
17.	पंजाब	27
18.	राजस्थान	4
19.	सिक्किम	0
20.	तमिलनाडु	27
21.	त्रिपुरा	0
22.	संघ शासित प्रदेश चंडीगढ़	0
23.	संघ शासित प्रदेश दिल्ली	0
24.	संघ शासित प्रदेश लक्षद्वीप	0
25.	संघ शासित प्रदेश पांडिचेरी	0
26.	उत्तरांचल	16
27.	उत्तर प्रदेश	4
28.	पश्चिम बंगाल	23
	कुल	139

[अनुवाद]

''सामाजिक और कृषि वानिकी में निजी क्षेत्र द्वारा निवेश''

3013. श्री रामकृपाल यादव: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार सामाजिक और कृषि वानिकी में निवेश हेतु निजी क्षेत्र को अनुमति देने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई दिशानिर्देश तैयार किए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना): (क) से (ग) वन और वृक्ष आवरण में वृद्धि करके वर्ष 2007 और 2012 तक वन और वृक्ष आवरण का क्रमश: 25 प्रतिशत और 33 प्रतिशत का लक्ष्य प्राप्त करने हेतु देश में वानिकी के क्षेत्र में संसाधन जुटाने के लिए वानिकी में सार्वजनिक निजी सहभागिता (पी पी पी) एक प्रस्तावित मध्यस्थता है। इस प्रयोजनार्थ भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, भोपाल को माडल दिशा निर्देश तैयार करने का काम सौंपा गया है।

नगरपालिका ठोस अपशिष्ट नियम, 2000 का क्रियान्वयन

3014. श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल:
श्री वी.के. दुग्मर:
श्री मधुसूदन मिस्त्री:
डा. राजेश मिश्रा:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नगरपालिका ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन और सम्भलाई) नियम, 2000 के क्रियान्वयन हेतु विभिन्न राज्यों को वित्तीय सहायता देने के लिए केन्द्र सरकार की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष में राज्यवार कितनी धनराशि का आबंटन किया गया है;

(ग) उन राज्यों के नाम क्या हैं जो शून्य अपशिष्ट/शून्य कचरा शहर विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं और उन राज्यों के नाम क्या हैं जो नगरपालिका ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन और सम्भलाई) नियम, 2000 का क्रियान्वयन नहीं कर रहे हैं; और

(घ) विभिन्न राज्यों विशेषत: कर्नाटक में पर्यावरण अनुकूल वातावरण हेतु शून्य कचरा आवासीय कालोनियों को विकसित करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना): (क) और (ख) नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियमावली, 2000 के कार्यान्वयन के लिए विभिन्न राज्यों को वित्तीय सहायता देने की कोई विशिष्ट स्कीम नहीं है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय और भारत सरकार के अधीन केन्द्रीय मंत्रालयों ने केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों का कार्यान्वयन आरम्भ किया है जिसके अंतर्गत नगरीय ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन से संबंधित कार्यों का समर्थन किया है जैसाकि संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के अनुसार कुछ स्थानीय निकायों द्वारा विभिन्न राज्यों में ''शून्य कचरा'' शहर बनाने का प्रयास किया गया है। ''शून्य कचरे'' का अभिप्राय नागरिकों द्वारा कचरे की छटनी करना और जैव अवक्रमित कचरे को खाद निर्माण जैसी जैवीय प्रक्रिया हेतु उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना है। नगरीय ठोस अपशिष्ट नियमावली के कार्यान्वयन के संबंध में यह कर्नाटक राज्य सहित राज्यों को संबंधित नगर निगमों द्वारा किया जाना अपेक्षित है। केन्द्रीय सरकार ने नगरीय ठोस अपशिष्ट के प्रभावी प्रबंधन के लिए नगरीय ठोस अपशिष्ट नियमावली को एस ओ 908 (ई) दिनांक 25 सितम्बर, 2000 के तहत अधिसूचित किया है और राज्य सरकारें/संघ शासित प्रशासन और उनकी एजेंसियां इन नियमों के उपबंधों के प्रवर्तन के लिए पूरी तरह से उत्तरदायी हैं। इन नियमों के अंतर्गत नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए स्थानीय नगर प्राधिकरण संग्रह, भंडारण, छंटनी करने, परिवहन, प्रसंस्करण, नगरीय ठोस अपशिष्टों के निपटान और किसी प्रकार के अवसंरचनात्मक विकास के लिए जिम्मेदार हैं।

विवरण

1. नगरीय ठोस अपशिष्ट नियमावली सहित विभिन्न नियमों के कार्यान्वयन के लिए अवसंरचना को दृढ़ करने हेतु राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है। इस प्रयोजनार्थ 33 प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों/समितियों के लिए वर्ष 2001-02, 2002-03, 2003-04 और 2004-05 के दौरान क्रमश: 126 लाख, 91 लाख, 126 लाख और 73 लाख रुपए की राशि रिलीज की गई है। इसके अतिरिक्त मंत्रालय ने 50% लागत वहन करने के आधार पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ मिलकर नगरीय ठोस अपशिष्टों के प्रबंधन पर प्रदर्शन परियोजनाओं की स्थापना की है। यह उत्तरी दम दम एवं नया बैरकपुर (पश्चिम बंगाल), चण्डीगढ़ (संघ शासित

क्षेत्र), कोजिकोड (केरल), अदमलपेट (तमिलनाडु) में आरम्भ हो चुकी हैं। इन परियोजनाओं के लिए अब तक 283.9 लाख रुपए की राशि रिलीज की जा चुकी है।

2. ''उर्वरकों के संतुलित एवं समेकित प्रयोग'' की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अन्तर्गत कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार ने जैव-अवक्रमित सिटी ठोस अपशिष्ट को कम्पोस्ट में बदलने के लिए यांत्रिक कम्पोस्ट संयंत्र स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की है। राज्य सरकारों को 8वीं और 9वीं योजना के दौरान 30 कम्पोस्ट संयंत्र स्थापित करने के लिए 789.72 लाख रुपये की राशि जारी की गई है। हाल ही में अनुमोदित ''आर्गेनिक फार्मिंग पर राष्ट्रीय परियोजना'' के अन्तर्गत 35 फल और सब्जी अपशिष्ट कम्पोस्ट उत्पादन यूनिटें स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता देने का भी प्रावधान है।

3. शहरी और औद्योगिक अपशिष्टों से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय, भारत सरकार ने अपशिष्ट से ऊर्जा प्राप्त करने की परियोजना स्थापित करने के लिए वित्तीय संस्थानों के माध्यम से ब्याज/पूंजी पर छूट देकर वित्तीय सहायता को बढ़ावा दे रहा है। यह सहायता आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और झारखण्ड को उपलब्ध करवाई गई है। वर्ष 2001-02, 2002-03, 2003-2004 के दौरान इस उद्देश्य के लिए क्रमशः 934.94 लाख रुपये, 999.76 लाख रुपये और 180.69 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है।

4. भारतीय वायुसेना के एयरफील्ड स्थित 10 चुने हुए शहरों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और ड्रेनेज सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम का कार्यान्वयन शुरू किया गया है।

अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद स्पर्धाओं में भागीदारी

3015. श्रीमती सुमित्रा महाजन: क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वित्त वर्ष के दौरान विदेशों में विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद स्पर्धाओं में कितने खिलाड़ियों और गैर-खिलाड़ियों ने भाग लिया;

(ख) ऐसी स्पर्धाओं में गैर-खिलाड़ियों के भाग लेने हेतु क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं;

(ग) उक्त अवधि के दौरान मंत्रालय तथा भारतीय खेल प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा कितने विदेशी दौरे किए गए; और

(घ) सरकार द्वारा गैर-खिलाड़ियों को ऐसी विदेशी दौरे पर जाने की सुविधा प्रदान करने के क्या कारण हैं?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री सुनील दत्त): (क) और (ख) राष्ट्रीय खेल परिसंघों को सहायता की योजना के अंतर्गत चालू वित्त वर्ष के दौरान सरकार ने 1878 खिलाड़ियों, 458 सहायक कार्मिकों जैसे प्रशिक्षक/रेफ्री/जजों/अंपायरों, मसाजियों, डाक्टरों, खेल वैज्ञानिकों/विशेषज्ञों तथा 26 गैर-खिलाड़ियों जैसे परिसंघों के पदाधिकारियों, तकनीकी/परियोजना निदेशकों, प्रतिनिधि, शिष्टमंडल के प्रधान इत्यादि तथा विदेश में होने वाली विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं के लिए 95 प्रबंधकों के दौरे का अनुमोदन किया है। गैर-खिलाड़ियों का चयन संबंधित राष्ट्रीय खेल परिसंघों द्वारा किया जाता है और गैर-खिलाड़ियों के लिए सरकार ने कोई मानदण्ड निर्धारित नहीं किए हैं।

(ग) चालू वित्त वर्ष के दौरान 7 सरकारी शिष्टमंडल जिसमें 6 मंत्री/जनप्रतिनिधि, 7 मंत्रालय के कार्मिक तथा भारतीय खेल प्राधिकरण के 4 वरिष्ठ अधिकारियों को शामिल किया गया था।

(घ) गैर-खिलाड़ियों के दौरे सरकार की बिना किसी लागत पर अनुमोदित किए गए हैं। राष्ट्रीय खेल परिसंघ (एन.एस.एफ.) ने उनके दौरे प्रेक्षक के रूप में अथवा खेल प्रतियोगिताओं इत्यादि के साथ उसी समय आयोजित होने वाली बैठकों में भाग लेने के लिए प्रस्तावित किए हैं।

[हिन्दी]

सब्जियों, फलों और फूलों के उत्पादन, विपणन और भण्डारण संबंधी योजनाएं

3016. श्री बीर सिंह महतो:
श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में सब्जियों, फलों और फूलों के उत्पादन, विपणन और भण्डारण संबंधी योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में इस उद्देश्य हेतु राज्यवार कितनी धनराशि का आबंटन किया गया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) सरकार देश में सब्जियों, फलों और फूलों का उत्पादन, विपणन और भण्डारण सहित बागबानी के विकास के लिए निम्नलिखित स्कीमें क्रियान्वित कर रही है:

क. कृषि मंत्रालय की स्कीमें

1. कृषि में वृहत प्रबंधन-कार्य योजना के माध्यम से राज्य के प्रयासों का सम्पूरण/अनुपूरण। इस स्कीम के तहत राज्य सरकारों को अपनी महसूस की गई आवश्यकताओं और प्राथमिकता के अनुसार कार्यक्रमों जिसमें बागवानी के कार्यक्रम भी शामिल हैं, को शुरू करने के लिए लचीलापन प्रदान किया गया है।

2. हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, उत्तरांचल सहित पूर्वोत्तर राज्यों में समेकित बागवानी विकास हेतु प्रौद्योगिकी मिशन।

3. राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड कार्यक्रम जैसे:-(1) उत्पादन और कटाई पश्चात प्रबंधन के माध्यम से वाणिज्यिक बागवानी का विकास, (2) बागवानी उत्पादों के लिए शीतागारों व भंडारगृहों के विनिर्माण/विस्तार/आधुनिकीकरण हेतु पूंजी निवेश राजसहायता स्कीम, (3) बागवानी के प्रोत्साहन के लिए प्रौद्योगिकी विकास व अंतरण।

4. जनजातीय व पर्वतीय क्षेत्रों में बागवानी का समेकित विकास।

5. ग्रामीण भंडार योजना।

6. कृषि विपणन अवसंरचना, ग्रेडिंग और मानकीकरण का विकास/सुदृढ़ीकरण।

ख. कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (अपेडा), वाणिज्य मंत्रालय की स्कीमें।

1. अवसंरचना विकास हेतु स्कीम

2. मंडी विकास की स्कीम।

(ख) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष हेतु वृहत प्रबंधन स्कीम और टी.एम.एन.ई. के तहत आवंटन का राज्यवार ब्यौरा क्रमशः संलग्न विवरण-I और II में दिया गया है। राज्यवार आवंटन अन्य स्कीमों के लिए नहीं किया गया है।

विवरण I

गत तीन वर्षों और चालू वर्ष हेतु कृषि में वृहत प्रबंधन स्कीम के तहत निधियों का राज्य-वार आवंटन

[आवंटन (लाख रु. में)]

क्र.सं.	राज्य	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	4500.00	3800.00	3400.00	3600.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	439.00	440.00	400.00	500.00
3.	असम	1047.00	700.00	700.00	800.00
4.	बिहार	3600.00	2500.00	1800.00	1800.00
5.	झारखण्ड	1400.00	1200.00	1200.00	1800.00
6.	गोवा	200.00	200.00	200.00	200.00
7.	गुजरात	3800.00	3200.00	2300.00	2300.00
8.	हरियाणा	1800.00	1600.00	1600.00	1600.00
9.	हिमाचल प्रदेश	1800.00	1600.00	1600.00	1600.00
10.	जम्मू और कश्मीर	1800.00	1600.00	1600.00	1600.00

1	2	3	4	5	6
11.	कर्नाटक	6500.00	5800.00	5500.00	1400.00
12.	केरल	3600.00	3000.00	2900.00	5700.00
13.	मध्य प्रदेश	5000.00	4500.00	4400.00	2900.00
14.	छत्तीसगढ़	1700.00	1400.00	1400.00	4500.00
15.	महाराष्ट्र	9000.00	8200.00	8000.00	8200.00
16.	मणिपुर	690.00	600.00	600.00	700.00
17.	मिजोरम	720.00	800.00	800.00	900.00
18.	मेघालय	405.00	600.00	600.00	700.00
19.	नागालैंड	1002.00	1000.00	800.00	900.00
20.	उड़ीसा	3000.00	2500.00	2300.00	2300.00
21.	पंजाब	2100.00	1700.00	1500.00	1500.00
22.	राजस्थान	7500.00	6700.00	6700.00	6800.00
23.	सिक्किम	422.00	513.00	500.00	600.00
24.	तमिलनाडु	4500.00	4200.00	4200.00	4300.00
25.	त्रिपुरा	700.00	800.00	800.00	800.00
26.	उत्तर प्रदेश	7500.00	6885.00	6800.00	7000.00
27.	उत्तरांचल	1400.00	1400.00	1400.00	1600.00
28.	पश्चिम बंगाल	2500.00	2400.00	2400.00	2400.00
29.	दिल्ली	200.00	160.00	100.00	100.00
30.	पांडिचेरी	300.00	200.00	100.00	100.00
31.	अंडमान और निकोबार द्वीप	200.00	200.00	100.00	100.00
32.	चंडीगढ़	100.00	100.00	50.00	25.00
33.	दादरा व नगर हवेली	300.00	200.00	100.00	50.00
34.	दमन व दीव	100.00	100.00	50.00	25.00
35.	लक्षद्वीप	200.00	200.00	100.00	100.00
	कुल	80025.00	70985.00	67000.00	69500.00

विवरण II

"सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तरांचल सहित पूर्वोत्तर राज्यों में समेकित बागवानी विकास हेतु प्रौद्योगिकी मिशन" पर केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के तहत आवंटित निधियां

आवंटन (लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05
1.	अरुणाचल प्रदेश	728.85	1099.00	1220.00	1500.00
2.	असम	611.12	1092.15	1400.00	1425.00
3.	मणिपुर	487.03	685.00	638.00	1100.00
4.	मेघालय	625.71	775.60	850.00	1211.00
5.	मिजोरम	508.95	1099.73	1089.00	1632.20
6.	नागालैण्ड	551.70	979.00	1256.00	1875.00
7.	सिक्किम	616.77	855.00	1000.00	1150.00
8.	त्रिपुरा	512.40	785.00	900.00	1012.80
9.	जम्मू एवं कश्मीर	—	—	650.00	1450.00
10.	हिमाचल प्रदेश	—	—	650.00	1300.00
11.	उत्तरांचल	—	—	564.72	1300.00

[अनुवाद]

हाथियों का अवैध शिकार

3017. डा. प्रसन्न कुमार पाटसाणी: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उड़ीसा में उन क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है जो जंगली हाथी के अवैध शिकार का प्रवण क्षेत्र हैं;

(ख) इसके विशेषण कारण क्या हैं;

(ग) ऐसी समस्याओं से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) ऐसी उपाय कितने सफल रहे हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना): (क) और (ख) उड़ीसा में सभी वन क्षेत्र जहां जहां हाथी वास करते हैं, अवैध शिकार संभावित क्षेत्र हैं। तथापि, हाल ही में, अथामल्लिक, अथगढ़ और धेनकनाल वन प्रभागों से हाथियों के अवैध शिकार की रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं। शिकारियों द्वारा हाथी दांत प्राप्त करने के लिए हाथियों को लक्ष्य बनाया जा रहा है।

(ग) राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार हाथी की मौत के प्रत्येक मामले की प्रभाग के राजपत्रित अधिकारी द्वारा शीघ्र जांच की जाती है और हाथियों के अवैध शिकार के सभी मामलों में, विस्तृत अन्वेषण के बाद अनुकूल कार्रवाई की जाती है। अन्वेषण और मुकदमों की प्रगति की मानीटरी हेतु उड़ीसा के प्रधान वन्य जीव वार्डन के कार्यालय में वन्यजीवों के विरुद्ध अपराध एकक स्थापित किया गया है। राज्य वन विभाग ने अवैध शिकार के विरुद्ध शिविर स्थापित किए हैं, फील्ड स्टाफ द्वारा गहन गश्त की जाती है और शिकारियों से हाथियों के समूह को सुरक्षा प्रदान करने हेतु उनकी गतिविधियों की मानीटरी के लिए ट्रैकर्स नियुक्त किए हैं।

भारत सरकार ने चालू वित्त वर्ष के दौरान हाथियों और उनके परिवासों की सुरक्षा हेतु और मानव-हाथी भिड़ंत को रोकने के लिए भी हाथी परियोजना के अंतर्गत राज्य सरकार को 121 लाख रुपये की धनराशि प्रदान की है।

(घ) राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, चालू वित्तीय वर्ष के दौरान हाथियों के अवैध शिकार की तीन घटनाएं हुई हैं। एक मामले में हाथी दांत प्राप्त हुए हैं। अवैध शिकार के दो मामले में जिम्मेदार पांच अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है जबकि तीसरे मामले में हाथी दांत प्राप्त हुए हैं। अवैध शिकार के दो मामले में जिम्मेदार पांच अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है जबकि तीसरे मामले में लिप्त अन्य दो व्यक्ति फरार हैं। 8-7-2004 से हाथियों के अवैध शिकार के किसी और मामले की सूचना नहीं मिली है।

विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक द्वारा वित्त पोषित परियोजनाएं

3018. **श्री लोनाप्पन नम्बाडन:** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक द्वारा वित्तपोषित जल परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित जल संसाधन परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा इस प्रकार है:

क्र.सं.	राज्य	परियोजनाओं की संख्या
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	6*
2.	बिहार	3
3.	छत्तीसगढ़	1*
4.	गुजरात	8*
5.	हरियाणा	3
6.	कर्नाटक	3*
7.	केरल	2*
8.	मध्य प्रदेश	4**
9.	महाराष्ट्र	7*
10.	उड़ीसा	7**
11.	पंजाब	2
12.	राजस्थान	2$
13.	तमिलनाडु	4**
14.	उत्तर प्रदेश	3
15.	पश्चिम बंगाल	1

* इसमें जल विज्ञान परियोजना से संबंधित कार्य शामिल हैं।

** इसमें जल विज्ञान परियोजना एवं बाध सुरक्षा आश्वासन व पुनर्वास परियोजना से संबंधित कार्य शामिल हैं।

$इसमें बांध सुरक्षा आश्वासन एवं पुनर्वास से संबंधित कार्य शामिल हैं।

इस समय विश्व बैंक की सहायता से पांच सिंचाई परियोजनायें अर्थात आंध्र प्रदेश आर्थिक पुनर्संरचना परियोजना (सिंचाई घटक), कर्नाटक समुदाय आधारित टैंक प्रबंधन परियोजना, मध्य प्रदेश जल क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना, राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना और उत्तर प्रदेश जल क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना कार्यान्वित की जा रही हैं।

अब तक एशियन विकास बैंक द्वारा जल क्षेत्र में कोई भी परियोजना वित्त पोषित नहीं की गई है।

धार्मिक पर्यटन

3019. **श्रीमती मनोरमा माधवराज:** क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जापान सरकार का विचार बिहार में बौद्ध तीर्थस्थलों में भारी निवेश करने का है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस पर क्या कार्रवाई की है?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

अंतिम तारीख के बाद खाद्यान्न की खरीद

3020. **श्री हरिकेवल प्रसाद:**
श्री इलियास आजमी:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम ने अंतिम तारीख के बाद भी वाराणसी और कानपुर में चावल खरीदा था;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच कराई है;

(घ) यदि हां, तो जांच के क्या परिणाम निकले;

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) और (ख) 2001-02 और 2002-03 के दौरान अंतिम तारीख निकलने के पश्चात वाराणसी और कानपुर में भारतीय खाद्य निगम द्वारा चावल की कोई खरीदारी नहीं की गई थी। 2003-04 में लेवी के अधीन चावल का कुछ स्टाक 30.06.2004 से पूर्व राज्य सरकार द्वारा सुपुर्द किया गया था। और इसे स्वीकार नहीं किया जा सका था क्योंकि फरुखाबाद (कानपुर) में तैनात संबंधित सहायक प्रबंधक (गुण नियंत्रण) अनधिकृत छुट्टी पर चले गए थे हालांकि सहायक प्रबंधक (गुण नियंत्रण) की सहायता के लिए तैनात तकनीकी कर्मचारी द्वारा इसकी गुणवत्ता की जांच कर ली गई थी। मिल मालिकों के अभ्यावेदन पर डिपो प्रभारी द्वारा पावती जारी कर दी गई थी और इस स्टाक को 30.6.2004 के बाद बही खाते में चढ़ाया गया था।

(ग) से (ङ) 13.7.2004 से 19.7.2004 तक की अवधि के दौरान खाद्य भंडारण डिपो, फरुखाबाद में छूट की सीमा से कम वाले चावल के 88 लाट खरीदने के बारे में एक शिकायत प्राप्त हुई है। कार्यकारी निदेशक (सतर्कता), भारतीय खाद्य निगम (मुख्यालय) से इस आरोप की जांच करने के लिए कहा गया है।

[अनुवाद]

पर्यटन स्थलों पर गाइड

3021. **श्री प्रभुनाथ सिंह:** क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली के ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों पर प्रशिक्षित गाइड नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या पर्यटकों को नकली गाइडों तथा दलालों से बचाने के लिए दिल्ली में कोई पर्यटन शिविर तथा सरकार द्वारा संचालित पर्यटन केन्द्र नहीं हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने दिल्ली में विमानपत्तन, रेलवे स्टेशनों और अन्य पर्यटन स्थलों पर सुनियोजित पर्यटन केन्द्र स्थापित करने के लिए क्या उपाय किए हैं?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) दिल्ली में 353 क्षेत्रीय स्तर के पर्यटक गाइड हैं, जिन्हें गहन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से प्रवेश दिया गया है। ये गाइड पर्यटक, स्थलों के बारे में अपनी जानकारी के उन्नयन के लिए, पुनश्चर्या पाठ्यक्रम भी अटैंड करते हैं।

(ख) और (ग) पर्यटकों में सूचना के प्रसार के लिए, पर्यटन विभाग के, अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू हवाईअड्डों तथा शहर में पर्यटक काउंटर हैं। दिल्ली सरकार ने पर्यटकों की सुरक्षा के लिए पर्यटक पुलिस भी तैनात की है।

मधुमक्खी पालन को प्रोत्साहन

3022. **श्री सनत कुमार मंडल:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा देश में मधुमक्खी पालन उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) पश्चिम बंगाल सहित विभिन्न राज्यों से पिछले तीन वर्षों के दौरान मधुमक्खी पालन संबंधी राज्यवार कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ग) आज की तारीख के अनुसार कितने प्रस्तावों को मंजूरी मिल चुकी है तथा कितने मंजूरी के लिए लंबित हैं; और

(घ) शेष परियोजनाओं को कब तक मंजूरी दिए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (के.वी.आई.सी.) देश में मधुमक्खी पालन को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है। इन कार्यक्रमों में निम्नलिखित शामिल हैं:

1. एपिस मेल्लिफेरा और सेराना के लिए दक्षता उन्नयन संबंधी प्रशिक्षण।
2. एपिस डोरसाटा के लिए दक्षता उन्नयन।
3. वैज्ञानिक शहद प्रसंस्करण इकाइयों के माध्यम से शहद प्रसंस्करण द्वारा गुणवत्ता उन्नयन।

इसके अलावा, कृषि और सहकारिता विभाग कृषि में वृहत प्रबन्धन-कार्य योजना के माध्यम से राज्यों के प्रयासों का सम्पूरण/अनुपूरण संबंधी एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम कार्यान्वित कर रहा है जिसके अन्तर्गत फसल उत्पादकता में सुधार करने के लिए मधुमक्खी पालन का विकास एक कार्यक्रम है। वार्षिक कार्य योजनाओं के आधार पर चिन्हित राज्य नामित एजेन्सियों द्वारा यह कार्यक्रम कार्यान्वित किया जाता है। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड भी उत्पादन और फसल कटाई पश्चात प्रबन्धन के माध्यम से बागवानी के विकास संबंधी अपनी स्कीम के जरिए मधुमक्खीपालन के संवर्धन हेतु सहायता प्रदान कर रहा है।

(ख) और (ग) गत तीन वर्षों के दौरान खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग और राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या के संबंध में राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। पश्चिम बंगाल से कोई परियोजना प्राप्त नहीं हुई।

(घ) स्वीकृति हेतु कोई परियोजना लम्बित नहीं है।

विवरण

मधुमक्खी पालन के लिए स्वीकृत परियोजनाओं का ब्यौरा

क्रम.सं.	राज्य का नाम	परियोजना की संख्या	
		के.वी.आई.सी.	एन.एच.बी.
1.	नागालैण्ड	39	–
2.	मेघालय	3	–
3.	असम	4	–
4.	अरुणाचल प्रदेश	4	–
5.	मणिपुर	3	–
6.	उड़ीसा	4	–
7.	आन्ध्र प्रदेश	3	–
8.	केरल	49	–
9.	उत्तरांचल	37	1
10.	तमिलनाडु (मदुरै)	23	–
11.	हरियाणा	10	–
12.	तमिलनाडु (चेन्नई)	17	–
13.	राजस्थान	–	8
14.	उत्तर प्रदेश	–	3
	कुल	239	12

[हिन्दी]

बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग

3023. श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:
श्री गिरिधारी यादव:
श्री डी. विट्टल राव:

क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग लगाए हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा इस वर्ष ऐसी कितनी इकाइयां लगाई गई; और

(घ) ये इकाइयां सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में फलों तथा सब्जियों के प्रसंस्करण उद्योगों के विकास के लिए किस सीमा तक कार्य कर रही हैं?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय): (क) से (घ) बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा देश में लगाए/स्थापित किए जा रहे खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों संबंधी सूचना की निगरानी केंद्रीय रूप से इस मंत्रालय में नहीं की जाती है।

पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए फूड बाजार तथा सांस्कृतिक मंच

3024. श्री सज्जन कुमार: क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वन क्षेत्रों में जिला प्रशासन के सहयोग से "फूड बाजार तथा सांस्कृतिक मंच" की स्थापना करने का है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) पर्यटन मंत्रालय में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

कपास की अच्छी फसल

3025. श्री टेक लाल महतो: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस वर्ष कपास की अच्छी फसल होने की आशा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद करने के लिए भारतीय कपास निगम (सी.सी.आई.) के साथ यह मुद्दा उठाएगी जिससे कि किसानों को इसे औने-पौने दामों पर न बेचना पड़े;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) वर्ष 2004-05 के लिए खाद्यान्नों और वाणिज्यिक फसलों के प्रथम अग्रिम अनुमानों के अनुसार कपास का उत्पादन प्रत्येक 170 कि.ग्रा. की 13.85 मिलियन गांठे होने का अनुमान है।

(ख) से (घ) भारत सरकार की नोडल एजेन्सी, भारतीय कपास निगम, कपास के मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे गिरने के कारण विपत्ति में बिक्री से बचाने के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्यों पर कपास की खरीद के लिए मण्डी में प्रवेश करती है। कपास के मूल्य, न्यूनतम समर्थन मूल्य के स्तर से नीचे गिरने को दृष्टिगत रखते हुए, भारतीय कपास निगम ने कपास उगाने वाले सभी राज्यों (महाराष्ट्र को छोड़कर) अर्थात् पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटक में न्यूनतम समर्थन मूल्य संबंधी कार्य आरम्भ किए। 15 दिसम्बर, 2004 की स्थिति अनुसार, भारतीय कपास निगम ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 28.25 लाख क्विंटल कपास की खरीद की है। महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र राज्य सरकारी कपास उत्पादन विपणन संघ ने एकाधिकार खरीद स्कीम के अन्तर्गत गारन्टीशुदा मूल्यों पर राज्य में अपने खरीद कार्य शुरू किए हैं।

[हिन्दी]

न्यूनतम समर्थन मूल्य की अग्रिम घोषणा

3026. श्री फग्गन सिंह कुलस्ते:
श्री चन्द्रभान सिंह:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने कृषि वस्तुओं के समर्थन मूल्य की घोषणा एक फसल मौसम से पहले करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार ने इस मांग पर क्या कार्रवाई की है;

(ग) क्या सरकार इस वर्ष समर्थन मूल्य की घोषणा एक फसल के मौसम पहले करेगी जैसा कि मध्य प्रदेश ने मांग की है;

(घ) यदि हां, तो कब तक;

(ङ) क्या बीमा इकाइयों द्वारा फसल बीमा योजना लागू करने संबंधी कोई प्रस्ताव लंबित है; और

(च) यदि हां, तो इसे कब तक लागू कर दिया जाएगा?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) यद्यपि उस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं मिला है तथापि, बुआई मौसम की शुरूआत और न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा के बीच के समय अंतराल को कम करने के लिए प्रत्येक प्रयास किया जा रहा है।

(ग) और (घ) सरकार कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों, राज्य सरकारों और संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों के विचारों और सरकार की राय में न्यूनतम समर्थन मूल्य के निर्धारण में महत्वपूर्ण ऐसे ही अन्य संबंधित घटकों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न कृषि जिंसों के न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करती है। चूंकि, न्यूनतम समर्थन मूल्य का उद्देश्य किसानों को फसलों के चयन में मूल्य संबंधी संकेत देना है, इसलिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा शीघ्र करने के लिए सभी प्रयास किये जाते हैं। वर्ष 2004-05 मौसम की खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा 10 अगस्त, 2004 को की गई थी, जबकि वर्ष 2005-06 में विपणन की जाने वाली वर्ष 2004-05 की रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा 3 नवंबर, 2004 को की गई।

(ङ) और (च) राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना 'क्षेत्र दृष्टिकोण (एरिया एप्रोच) आधार पर चलायी जाती है जो ग्राम पंचायत, मंडल, हुबली, सर्किल, फिरका, ब्लाक, तहसील आदि हो सकती है। फसल हानि का मूल्यांकन बीमा इकाई क्षेत्र के आधार पर किया जाता है, जो कार्यान्वयनकारी राज्य/संघ शासित प्रदेश द्वारा निश्चित किया जाता है। यदि कार्यान्वयनकारी राज्य के पास अपेक्षित संख्या में फसल कटाई प्रयोग करने की क्षमता है तो इस स्कीम

के प्रावधानों के अनुसार, प्रत्येक भागीदार राज्य/संघ शासित प्रदेश को पटवारी सर्किल सहित बीमा के किसी इकाई क्षेत्र को अधिसूचित करने की अनुमति है। कार्यान्वयन करने वाली एजेंसी ने राज्यों को पहले ही सूचित कर दिया है।

[अनुवाद]

खाद्यान्नों की खरीद

3027. **श्री ए. साई प्रताप:**
श्री अजेश पाठक:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान गेहूं, चावल, गन्ने तथा अन्य खरीफ फसलों की राज्यवार कितनी मात्रा में खरीद की गई तथा इसका मूल्य क्या था;

(ख) इस खरीद से राज्यवार कितने किसान लाभान्वित हुए;

(ग) क्या चालू मौसम के दौरान उत्पादन और खरीद पर्याप्त है; और

(घ) यदि नहीं, तो देश में चालू वर्ष के दौरान खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान खरीदे गए गेहूं, चावल और मोटे अनाजों की मात्रा तथा चीनी मिलों द्वारा पिराई किए गए गन्ने की मात्रा राज्यवार तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य सहित संलग्न विवरण-I, II और III में दिए गए हैं।

(ख) वे सभी किसान सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य से लाभान्वित हुए थे जो सरकार द्वारा खोले गए क्रय केन्द्रों पर अपना उचित औसत किस्म का उत्पाद लाए थे।

(ग) जी, हां।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण I

चावल, गेहूं और मोटे अनाजों की राज्यवार और विपणन मौसमवार वसूली*

(हजार टन में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2001-02				2002-2003				2003-04			
	चावल	गेहूं	मोटे अनाज	जोड़	चावल	गेहूं	मोटे अनाज	जोड़	चावल	गेहूं	मोटे अनाज	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
आन्ध्र प्रदेश	6425	—	15	6440	2635	—	4	2639	4230	—	277	4507
अरुणाचल प्रदेश	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
असम	—	—	—	—	—	—	—	—	17	—	—	17
बिहार	89	43	—	132	158	41	—	199	363	1	1	365
चण्डीगढ़	—	12	—	12	—	16	—	16	—	नगण्य	—	0
छतीसगढ़	1921	—	नगण्य	1921	1291	—	—	1291	2374	नगण्य	3	2377
दिल्ली	—	50	—	50	—	34	—	34	—	12	—	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
गुजरात	—	—	54	54	—	—	—	—	—	—	1	1
हरियाणा	1484	6407	—	7891	1325	5888	—	7213	1334	5122	199	6655
हिमाचल प्रदेश	12	2	—	14	7	2	—	9	3	1	—	4
जम्मू व कश्मीर	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
झारखंड	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	2
कर्नाटक	137	—	95	232	—	—	1	1	—	—	16	16
मध्य प्रदेश	274	294	56	624	159	438	3	600	112	188	21	321
महाराष्ट्र	130	—	58	188	152	—	52	204	308	—	60	368
उड़ीसा	1253	—	—	1253	890	—	—	890	1373	—	—	1373
पांडिचेरी	11	—	—	11	—	—	—	—	—	—	—	0
पंजाब	7282	10560	—	17842	7939	9880	—	17819	8662	8938	—	17600
राजस्थान	39	676	36	751	41	461	—	502	41	259	73	373
तमिलनाडु	852	—	—	852	107	—	—	107	207	—	—	207
उत्तर प्रदेश	1936	2446	—	4382	1360	2110	—	3470	2554	1213	—	3767
उत्तरांचल	235	140	—	375	232	184	—	416	223	67	—	390
पश्चिम बंगाल	48	—	—	48	126	—	—	126	925	—	—	925
जोड़	22128	20630	314	43072	16422	19054	60	35536	22828	15801	651	39280

नगण्य-500 टन से कम

विवरण II

पिछले तीन चीनी मौसमों के दौरान पेराई किए गए गन्ने का राज्यवार ब्यौरा

(आंकड़े लाख टन में)

राज्य	2000-2001	2001-2002	2002-2003* (अ)
1	2	3	4
पंजाब	51.13	62.81	60.35
हरियाणा	59.76	62.68	62.77
राजस्थान	0.66	0.54	0.24

1	2	3	4
उत्तर प्रदेश	489.61	552.09	592.40
उत्तरांचल	—	47.17	45.36
मध्य प्रदेश	10.12	7.18	7.17
छत्तीसगढ़	—	—	0.39
गुजरात	102.94	97.83	118.27
महाराष्ट्र	576.48	481.66	527.87
बिहार	31.61	38.42	44.22
असम	0.35	—	—
आन्ध्र प्रदेश	98.67	104.67	119.23
कर्नाटक	149.18	144.50	173.17
तमिलनाडु	184.79	191.41	166.31
केरल	0.84	0.61	0.21
उड़ीसा	3.55	2.78	4.26
पश्चिम बंगाल	0.49	0.62	0.91
नागालैण्ड	—	—	—
पांडिचेरी	4.65	4.62	3.54
गोवा	1.65	0.85	1.39
जोड़	1766.48	1800.44	1928.06

*444 चीनी मिलों के आंकड़े समेकित किए गए हैं

(अ) अनंतिम

विवरण III

गेहूं, धान, मोटे अनाज और गन्ने के लिए वसूली मूल्य (न्यूनतम समर्थन मूल्य)

(आंकड़े रु./क्विंटल)

वर्ष	गेहूं	धान		मोटे अनाज	गन्ना
		साधारण	ग्रेड ए		
2001-2002	610	530	560	485	62.05
2002-2003	620	530	560	#485	69.50
		20@	20@		
2003-2004	620@	550	580	505	73.00

@विशेष सूखा राहत

#खरीफ विपणन मौसम 2002-03 के लिए बाजरे हेतु 10 रुपये और ज्वार/मक्का/रागी के लिए 5 रुपये अधिक।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश की सिंचाई परियोजनाएं

3028. **श्री चंद्रभान सिंह:**
श्री गणेश सिंह:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नर्मदा प्राधिकरण द्वारा मध्य प्रदेश को आवंटित नर्मदा के 1825 एम ए एफ जल के उपयोग के लिए प्रस्तावित सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन परियोजनाओं के माध्यम से कितने हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाएगी और कितना विद्युत उत्पादन किया जायेगा?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) नर्मदा जल विवाद अधिकरण (एनडब्ल्यूडीटी) ने अपने अधिनिर्णय में सरदार सरोवर बांध स्थल पर 28 मिलियन एकड़ फुट (एमएएफ) के नर्मदा जल की प्रयोज्य मात्रा का विभाजन 75 प्रतिशत निर्भरता के आधार पर किया है तथा मध्य प्रदेश राज्य को 18.25 एमएएफ का आबंटन किया है। नर्मदा जल के 18.25 एमएएफ के अपने हिस्से को प्रयोग करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा निर्माण के लिए प्रस्तावित सिंचाई परियोजनाओं का विवरण निम्न प्रकार है:

परियोजना	परियोजनाओं की संख्या	जल उपयोग (एमएएफ)
वृहद	30	11.358
मध्यम	135	2.884
लघु (सूक्ष्म लघु एवं लिफ्ट स्कीम)	3000 से अधिक	2.508
नगर एवं औद्योगिक उद्देश्य	–	1.500
कुल	–	18.250

(ख) प्रस्तावित परियोजनाओं द्वारा सिंचाई के लिए प्रस्तावित भूमि तथा जल विद्युत उत्पादन निम्नलिखित है-

परियोजना	सिंचाई के लिए क्षेत्र (हेक्टेयर)	संस्थापित क्षमता (मेगा वाट)
वृहद	14,17,670	2178.5
मध्यम	5,23,368	–
लघु	3,96,170	–
छोटी तथा लघु जल विद्युत	–	286

उपरोक्त के अतिरिक्त एनडब्ल्यूडीटी पंचाट के अनुसार मध्य प्रदेश, सरदार सरोवर परियोजना के माध्यम से उत्पन्न विद्युत के 57 प्रतिशत हिस्से का उपयोग कर सकता है।

[अनुवाद]

कृषि क्षेत्र का पुनर्गठन

3029. **श्री अर्जुन सेठी:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार निर्यात को शामिल करके कृषि क्षेत्र का पुनर्गठन करने का विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा पुनर्गठन के कब तक क्रियान्वित हो जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) जैसाकि नीचे दी गई तालिका से देखा जा सकता है कृषि क्षेत्र से वर्तमान मूल्यों पर सकल स्वदेशी उत्पाद

में कृषि निर्यात के हिस्से में पिछले दशक के दौरान कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है। कृषि उत्पादों के निर्यात की वृद्धि को और अधिक बढ़ाने के लिए, विदेश व्यापार नीति 2004-09 में नई पहल किए जाने की घोषणा की गई है।

वर्ष	वर्तमान मूल्यों पर जी.डी.पी. कृषि (करोड़ रुपए)	कृषि निर्यात (करोड़ रुपए)	कृषि जी.डी.पी. के निर्यात का प्रतिशत
1993-94	221834	12586.55	5.67
1994-95	255193	13222.76	5.18
1995-96	277846	20397.74	7.34
1996-97	334030	24161.29	7.21
1997-98	353490	24832.45	7.02
1998-99	406498	25510.64	6.27
1999-2000	422392	25313.66	5.99
2000-01	423522	28657.37	6.76
2001-02	473004	29728.61	6.28
2002-03	456044	34653.94	7.59

स्रोत:-केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन, नई दिल्ली; कृषि सांख्यिकी-एक नजर में-2004 तथापि, कृषि निर्यात आदि के विद्यमान प्रबन्धों में कोई परिवर्तन अपेक्षित नहीं है।

वितरण नीति

3030. **श्री निखिल कुमार:**
श्री अधीर चौधरी:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एक समान राष्ट्रीय वितरण नीति के अभाव के कारण लोग भूख से मर रहे हैं जबकि भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में खाद्यान्न का विशाल सरप्लस भंडार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कई विशेषज्ञों ने सरकार से एक समान राष्ट्रीय खाद्यान्न वितरण नीति तैयार करने को कहा है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) और (ख) भारत सरकार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन एक समान आधार पर 35 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह खाद्यान्नों का आबंटन करती है। भारत सरकार ने अत्यधिक राजसहायता प्राप्त दरों पर गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को खाद्यान्न प्रदान करने के लिए गरीबों पर ध्यान केन्द्रित करके लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू की थी। गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों का निर्धारण 1.3.2000 की स्थिति के अनुसार भारत के महापंजीयक के आबादी अनुमानों और 1993-94 के लिए योजना आयोग के राज्यवार गरीबी अनुमानों के आधार पर किया जाता है। सभी के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों में से निर्धनतम को लाभ प्रदान करने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार करने हेतु दिसम्बर, 2000 में अंत्योदय अन्न योजना शुरू की गई थी ताकि 2 रुपये प्रति किलोग्राम गेहूं और 3 रुपये प्रति किलोग्राम चावल की अत्यधिक राजसहायता प्राप्त दरों पर खाद्यान्न प्रदान किए जा सकें। यह योजना जिसमें आरंभ में एक करोड़ निर्धनतम परिवारों को कवर किया गया था, का विस्तार करके उसमें अन्य बातों के साथ-साथ भुखमरी के खतरे के शिकार सभी परिवारों को शामिल करते हुए 2.00 करोड़ गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को कवर कर लिया गया है।

पिछले तीन वर्षों में गरीबी रेखा से नीचे के अधीन खाद्यान्नों का उठान 2001-02 के 117.31 लाख टन से बढ़कर 2003-04 में 199.69 लाख टन हो गया है और उठान में वृद्धि होने की यह प्रवृत्ति तथा यह तथ्य कि जुलाई, 2002 से गरीबी रेखा से नीचे के खाद्यान्नों केन्द्रीय निर्गम मूल्य स्थिर बने हुए है, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रभावी होने का संकेत करते हैं।

(ग) और (घ) फिलहाल एक समान राष्ट्रीय खाद्यान्न वितरण नीति तैयार करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की पूर्व की स्थिति में गरीबी रेखा से नीचे की आबादी की सेवा करने में विफल रहने, शहरों की ओर इसका झुकाव होने, घनी ग्रामीण आबादी वाले राज्यों में सीमित कवरेज होने और सुपुर्दगी के लिए पारदर्शी तथा जवाबदेह व्यवस्था का अभाव होने के लिए व्यापक रूप से आलोचना की गई थी। समाज के कमजोर वर्गों अर्थात गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को लक्षित करने की दृष्टि से जून, 1997 में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू की गई थी प्रणाली के तहत इन परिवारों को अत्यधिक राजसहायता प्राप्त दरों पर खाद्यान्न प्रदान किए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

चीनी मिलों को सहायता

3031. **श्रीमती कल्पना रमेश नरहिरे:**
श्री जसुभाई दानाभाई बारड़:
श्री अविनाश राय खन्ना:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने देश में गन्ना उत्पादकों तथा रुग्ण चीनी मिलों की सहायता के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एन सी डी सी) तथा चीनी विकास कोष का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो इस निगम तथा कोष द्वारा किस प्रकार की सहायता प्रदान की जा रही है;

(ग) इस उद्देश्यार्थ कितनी राशि का वार्षिक बजट बनाया गया है; और

(घ) इस निगम तथा कोष से लाभान्वित हुई चीनी मिलों का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) और (ख) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम और चीनी विकास निधि का गठन और उनके द्वारा प्रदान की जा रही सहायता का स्वरूप क्रमश: संलग्न विवरण-I और II में दिया गया है।

(ग) वर्ष 2004-2005 के लिए विभिन्न योजनाओं के अधीन राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा चीनी सहकारी समितियों की सहायता करने के लिए 150.00 करोड़ रुपये की राशि का प्रस्ताव किया गया है। इसी प्रकार इसी अवधि के दौरान चीनी विकास निधि की विभिन्न योजनाओं के अधीन चीनी यूनिटों की सहायता करने के लिए 952.5 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है।

(घ) निगम तथा चीनी विकास निधि से लाभ उठाने वाली चीनी मिलों के ब्यौरे दर्शाने वाले विवरण क्रमश: संलग्न विवरण-III और IV में दिए गए हैं।

विवरण I

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संसद के अधिनियम के अधीन गठित एक सांविधिक संगठन है और मूल रूप से प्रोन्नयन करने वाला संगठन है जो कृषि उत्पादन के विकास, कृषि आदानों की आपूर्ति, विपणन, सहकारी क्षेत्र में भण्डारण और प्रसंस्करण के काम में लगा हुआ है और इस प्रकार यह अंतत: किसानों तथा अन्य ग्रामीण आबादी के लाभ के लिए कृषि उत्पादन बढ़ाने में देश के प्रयासों का समर्थन कर रहा है।

अन्य बातों के साथ-साथ राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम सहकारी चीनी मिलों की स्थापना को बढ़ावा दे रहा है तथा इन मिलों में इक्विटी प्रतिभागिता के प्रति राज्य सरकारों को निवेश ऋण प्रदान करता है और मौजूदा सहकारी क्षेत्र की चीनी मिलों के आधुनिकीकरण सह विस्तार और विविधिकरण परियोजनाओं के लिए सावधि ऋण भी दे रहा है ताकि गन्ना उत्पादकों के लिए उपर्युक्त सुविधाओं का सृजन करके उन्हें मूल्यवर्धन का लाभ प्रदान किया जा सके।

रुग्ण चीनी मिलों की सहायता करने के संदर्भ में निगम ने देश में रुग्ण सहकारी चीनी मिलों के पुनर्स्थापन के प्रति वित्तीय सहायता देने की एक योजना तैयार की है जिसे मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति द्वारा अभी अनुमोदित किया जाना है।

इसके अलावा, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम सहकारी क्षेत्र में चीनी फैक्ट्रियों की स्थापना और विकास को बढ़ावा दे रहा है। विभिन्न योजनाओं के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

(1) नई सहकारी चीनी मिलों में इक्विटी प्रतिभागिता के लिए उनके संसाधनों का अनुपूर्ति करने के लिए राज्य सरकारों को निवेश ऋण सहायता।

(2) आधुनिकीकरण/विस्तार के लिए मौजूदा सहकारी चीनी मिलों को सावधि ऋण सहायता।

(3) शर्करा सह उत्पाद यूनिटें स्थापित करने के लिए सावधि ऋण सहायता।

(4) मौजूदा सहकारी चीनी मिलों के लिए मार्जिन राशि सहायता।

(5) सहकारी चीनी मिलों की कार्यशील पूंजी की आवश्यकता के प्रति अल्प/मध्यम अवधि ऋण।

विवरण II

चीनी विकास निधि

1. चीनी उपकर अधिनियम, 1982 के अधीन भारत में किसी भी चीनी कारखाने द्वारा उत्पादित समस्त चीनी पर 14 रुपये प्रति क्विंटल का उपकर लिया जा रहा है।

चीनी विकास निधि अधिनियम, 1982 में प्रावधान है कि चीनी उपकर अधिनियम, 1982 के अधीन ली गई है और एकत्र की गई उत्पाद शुल्क की राशि के समतुल्य राशि में से केन्द्र सरकार द्वारा यथा निर्धारित एकत्रण लागत घटाकर बची राशि में इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ केन्द्र सरकार द्वारा प्राप्त कोई अन्य राशि जोड़कर नियम द्वारा संसद द्वारा किए गए विधिवत समायोजन के बाद चीनी विकास निधि में जमा करा दी जाएगी।

2. चीनी विकास निधि अधिनियम के अधीन भारत सरकार द्वारा इस निधि का उपयोग निम्नलिखित के लिए किया जाना होता है:

1. व्यवहार्य बनने की सम्भावना वाले किसी चीनी उपक्रम सहित किसी चीनी फैक्ट्री अथवा उसकी किसी यूनिट के पुनर्स्थापन और आधुनिकीकरण के लिए ऋण प्रदान करना।

2. व्यवहार्य बनने की संभावना वाले किसी चीनी उपक्रम सहित जिस क्षेत्र में चीनी फैक्ट्री स्थिति है उसमें गन्ना विकास की कोई योजना चलाने के लिए ऋण देना।

3. चीनी उद्योग के किसी पहलू को बढ़ावा देने और उसका विकास करने के लिए लक्षित कोई अनुसंधान परियोजना चलाने के प्रयोजनार्थ अनुदान देना।

4. चीनी की निर्यात खेप पर आंतरिक ढुलाई और भाड़ा प्रभारों पर होने वाले खर्च की प्रतिपूर्ति करना।

5. किसी ऐसी चीनी फैक्ट्री को ऋण देना जिसकी संस्थापित क्षमता 2500 टीसीडी प्रति दिन अथवा अधिक है और खोई आधारित विद्युत सह उत्पादन करने की परियोजना क्रियान्वित करने के लिए उसे किसी वित्तीय संस्थान अथवा अनुसूचित बैंक से वित्तीय सहायता के लिए अनुमोदन प्राप्त है।

6. एल्कोहल अथवा शीरे से अनहाइड्रस एल्कोहल अथवा इथानाल का उत्पादन करने के लिए ऋण देना।

7. चीनी के मूल्य स्थिर रखने की दृष्टि से बफर स्टाक बनाने और उसका रखरखाव करने के प्रयोजनार्थ होने वाले खर्च की प्रतिपूर्ति करना।

8. इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ किसी अन्य खर्च की प्रतिपूर्ति करना।

विवरण III

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की सहायता से लाभ पाने वाली सहकारी चीनी मिलों की गतिविधि के अनुसार संख्या दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	राज्यों के नाम	इक्विटी प्रतिभागिता के लिए निवेश ऋण	आधुनिकीकरण विस्तार	सह-उत्पाद यूनिट	पुनर्स्थापन	एसडी के प्रति ब्रिज ऋण	कार्यशील पूंजी ऋण	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	11	2	—	—	1	—	14
2.	असम	1	—	—	1	—	—	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	छत्तीसगढ़	1	—	—	—	—	—	1
4.	गोवा	—	—	—	1	—	—	1
5.	गुजरात	11	4	1	4	—	2	22
6.	हरियाणा	8	2	1	2	—	—	13
7.	केरल	—	1	1	—	—	—	2
8.	कर्नाटक	23	7	—	—	—	—	30
9.	मध्य प्रदेश	4	—	—	1	—	—	5
10.	महाराष्ट्र	113	16	16	1	2	1	149
11.	उड़ीसा	2	1	1	1	—	—	5
12.	पंजाब	11	5	2	—	—	—	18
13.	राजस्थान	—	—	—	1	—	—	1
14.	तमिलनाडु	8	5	7	1	—	13	34
15.	उत्तर प्रदेश	25	14	5	4	—	—	48
16.	उत्तरांचल	3	3	—	—	—	—	6
17.	दादर व नगर हवेली	1	—	—	—	—	—	1
	जोड़	222	60	34	17	3	16	352

विवरण IV

चीनी विकास निधि से आधुनिकीकरण/पुनर्स्थापन, चीनी विकास, सह-उत्पादन और इथेनाल के लिए ऋण की स्वीकृति और वितरण की स्थिति

15.12.2004 की स्थिति के अनुसार

		आधुनिकीकरण/ पुनर्स्थापन के लिए ऋण	गन्ना विकास के लिए ऋण	खोई आधारित सह-उत्पादन के लिए ऋण	अल्कोहल अथवा शीरे से इथेनाल के लिए ऋण	जोड़
		ऋण मामलों की संख्या	ऋण मामलों की संख्या	ऋण मामलों की संख्या	ऋण मामलों की संख्या	ऋण मामलों की की संख्या
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	15	65	1	—	81
2.	असम	—	3	—	—	3

1	2	3	4	5	6	7
3.	बिहार	17	20	—	—	37
4.	गुजरात	10	15	—	—	25
5.	कर्नाटक	15	45	3	—	63
6.	केरल	—	1	—	—	1
7.	मध्य प्रदेश	4	14	—	—	18
8.	महाराष्ट्र	66	230	—	—	296
9.	पंजाब	6	23	—	-	29
10.	तमिलनाडु	13	68	3	—	84
11.	उत्तर प्रदेश	95	171	3	1	270
12.	उड़ीसा	1	9	—	—	10
13.	गोवा	—	1	—	—	1
14.	हरियाणा	4	30	—	—	34
15.	पश्चिम बंगाल	—	1	—	—	1
16.	पांडिचेरी	—	2	—	—	2
17.	राजस्थान	—	2	—	—	2
18.	उत्तरांचल	1	4	—	—	5
	जोड़	247	704	10	1	962

[अनुवाद]

जम्मू और कश्मीर में इंडोर और आऊटडोर स्टेडियमों का निर्माण

3032. श्री अब्दुल रशीद शाहीन: क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जम्मू कश्मीर सरकार ने इंडोर तथा आऊटडोर स्टेडियमों के निर्माण के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सभी प्रस्तावों को मंजूरी दी जा चुकी है तथा इस उद्देश्यार्थ कितनी धनराशि जारी की जा चुकी है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा इन्हें कब तक मंजूरी दिए जाने की संभावना है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री सुनील दत्त): (क) से (ग) "खेल अवस्थापना के सृजन हेतु अनुदानों" की योजना के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर सरकार से पिछले तीन वर्षों (2001-02 से 2003-04) के दौरान इंडोर तथा आऊटडोर स्टेडियमों के निर्माण के लिए प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा तथा स्थिति निम्नलिखित है:

क्र.सं.	परियोजना	वर्तमान स्थिति
1.	गांधी नगर जम्मू में (श्रेणी (2) का इंडोर स्टेडियम	67.50 लाख रुपये की केन्द्रीय सहायता अनुमोदित की गई
2.	इस्माइलपुर, जम्मू में श्रेणी-1 का आऊटडोर स्टेडियम	27.00 लाख रुपये की केन्द्रीय सहायता अनुमोदित की गई और जिसमें से 14.00 लाख रुपये पहली किस्त के रूप में जारी किए गए
3.	कांजी हाऊस, जम्मू में श्रेणी-3 का इंडोर स्टेडियम	30.00 लाख रुपये की केन्द्रीय सहायता अनुमोदित की गई
4.	बडगांव में श्रेणी-2 का इंडोर स्टेडियम	67.50 लाख रुपये की केन्द्रीय सहायता अनुमोदित की गई
5.	रामनगर, उधमपुर में आउटडोर स्टेडियम	1.4.2004 को कमियां बताई गई। राज्य सरकार द्वारा संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।
6.	बाली बाग, अनंतनांग में आउटडोर स्टेडियम	राज्य सराकर से 11.11.2002 को प्रस्ताव को दोबारा तैयार करने का अनुरोध किया गया।
7.	बडगांव में आउटडोर स्टेडियम	ऊपर क्रम संख्या 4 पर पहले स्वीकृत की गई परियोजना के पूरे न होने के कारण अनुमोदित नहीं किया गया और राज्य सरकार को 23.4.2003 को सूचित कर दिया गया था।
8.	देवाचन, लेह लद्दाख में इंडोर स्टेडियम	22.1.2003 को निरस्त कर दिया गया क्योंकि गैर-सरकारी संगठन इसकी संरचना की दृष्टि से पात्र नहीं थी।

अनुमोदन के बाद, पहली किस्त की धनराशि जारी करना, राज्य सरकार द्वारा परियोजना की संतोषजनक प्रगति का लिखित प्रमाणपत्र देने पर निर्भर करता है। पहली किस्त के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के बाद दूसरी किस्त जारी की जाती है।

जलपाइगुड़ी में एफ.सी.आई. कार्यालय का बंद किया जाना

3033. श्रीमती मिनाती सेन: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारतीय खाद्य निगम के जलपाइगुड़ी डी.एम. कार्यालय को बंद करने तथा बेस डिपो को स्थानांतरित करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने पश्चिम बंगाल में नए गोदामों का निर्माण नहीं किया है जबकि दसवीं पंचवर्षीय योजना में इसका प्रस्ताव था; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) बनाओ और चलाओ योजना के अधीन पश्चिम बंगाल में हुगली में 25000 टन की क्षमता के गोदाम का निर्माण करने का प्रस्ताव है।

असंगठित क्षेत्र के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना

3034. श्री एस. अजय कुमार: क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए जनवरी, 2004 में आरम्भ की गई सामाजिक सुरक्षा योजना की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त योजना को क्या सांविधिक सहायता प्रदान की गई है अथवा प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) योजना के अंतर्गत आज की तारीख एक लाभांवित हुए कामगारों की संख्या तथा खर्च की गई राशि का ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव): (क) और (ख) सरकार ने असंगठित क्षेत्र कामगार सामाजिक सुरक्षा स्कीम, 2004 प्रारम्भ की थी। इसके लाभों में स्वास्थ्य बीमा, व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर और वृद्धावस्था पेंशन शामिल थे। इस स्कीम को व्यवहार्य नहीं पाया गया और इसलिए इसे फिर से तैयार किया जा रहा है। इसका एक कारण यह था कि इसे कानूनी समर्थन नहीं प्राप्त था। ''सरकार असंगठित क्षेत्र कामगार विधेयक, 2004'' अधिनियमित करने के लिए कार्य कर रही है जिसमें, अन्यों के साथ-साथ देश में असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए कानूनी समर्थन प्राप्त सामाजिक सुरक्षा उपायों के प्रावधान हैं।

(ग) इस स्कीम के अंतर्गत लगभग 3500 असंगठित कामगार कवर किए गए हैं। भारत सरकार का इस स्कीम हेतु वर्ष 2003-2004 के लिए एक लाख रुपये का अंशदान था।

विज्ञापनों में वन्यजीवों का उपयोग

3035. श्रीमती मेनका गांधी: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कई कंपनियां अपने उत्पादों को बेचने के लिए विज्ञापनों में हाथी, पेंराकीट आदि सहित वन्यजीवों का उपयोग कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा ऐसी कंपनियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना): (क) इस मंत्रालय से ऐसी अनुमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

बहुराष्ट्रीय कंपनियों को खाद्य वस्तुएं बेचने की अनुमति

3036. श्री गणेश सिंह: क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ऐसी बहुराष्ट्रीय कंपनियां कौन-कौन सी हैं जिन्हें प्लास्टिक के पाउचों तथा कैनों में खाद्य वस्तुएं बेचने की अनुमति दी गई है;

(ख) उनके साथ हस्ताक्षर किए गए अनुबंधों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा कितनी राशि का निवेश किया गया है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय): (क) से (ग) प्लास्टिक के पाउचों तथा कैनों में खाद्य वस्तुएं बेचने की अनुमति प्रदत्त बहुराष्ट्रीय कंपनियों, उनके साथ हस्ताक्षर किए गए अनुबंधों और इस पर निवेश की गई धनराशि के बारे में सूचना केन्द्रीय रूप से नहीं रखी जाती।

[अनुवाद]

असम में पर्यटन विकास

3037. श्री सर्वानन्द सोनोवाल: क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या असम में कामाख्या मंदिर के लिए एक रोप ब्रिज को मंजूरी दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक क्रियान्वित किया जाएगा तथा इसमें कितना लागत आएगी?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

जापान से सहायता प्राप्त परियोजनाएं

3038. **श्री हरिश्चंद चव्हाण:**
श्री रतिलाल कालीदास वर्मा:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जापान ने पिछले पांच वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में देश में कुछ परियोजनाओं के लिए धनराशि उपलब्ध कराई है;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन परियोजनाओं को कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

पिछले पांच वर्ष के दौरान पर्यावरण से संबंधित परियोजनाओं के लिए जे.बी.आई.सी., जापान द्वारा ऋण देना

क्र.सं.	परियोजना का नाम	राज्य/राज्यों	ऋण राशि (येन मिलियन में)	हस्ताक्षर होने और बंद होने की तिथि
1.	पंजाब वनीकरण परियोजना-II	पंजाब	5054	31.3.2003 31.7.2009
2.	राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना	राजस्थान	9054	31.3.2003 31.7.2010
3.	यमुना कार्य योजना (IIII)	दिल्ली, उ.प्र. एवं हरियाणा	1333	31.3.2003 31.7.2010
4.	एकीकृत प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन और गरीबी उन्मूलन परियोजना	हरियाणा	6280	31.3.2004 18.6.2014

रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों का प्रयोग

3039. **श्री रघुराज सिंह शाक्य:**
श्री निखिल कुमार चौधरी:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों का कृषि पर खराब प्रभाव पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार जैव-कृषि को इसका विकल्प मानती है; और

(ग) यदि हां, तो जैव-कृषि के लाभ तथा हानियां क्या-क्या हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) रासायनिक उर्वरकों पोषकों और कीटनाशकों (तकनीकी ग्रेड) की प्रति हैक्टेयर औसत खपत क्रमश: 89.8 कि.ग्रा. प्रति हैक्टेयर और 0.22 कि.ग्रा. प्रति हैक्टेयर है। खपत के इस स्तर से कृषि पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। तथापि, यदि रासायनिक कृमिनाशियों का विवेकपूर्ण उपयोग नहीं किया जाता तो उसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है जैसे कृमिनाशियों के

कृमि प्रतिरोधी का विकास, कृमि की पुन: उत्पत्ति, गौण कृमियों का प्रकोप, कृषि उत्पादों में कृमिनाशी अवशिष्ट, पर्यावरणीय प्रदूषण और पारिस्थितिकीय असंतुलन।

(ख) जैविक खेती (जिसे जैव-कृषि के नाम से भी जाना जाता है) में पौध पोषकों के लिए जैविक आदानों के उपयोग और कृमियों तथा रोगों के जैव नियंत्रण की सलाह दी गई है। सरकार 'समेकित पोषक प्रबन्धन' (आई.एन.एम.) का संवर्धन कर रही है जिसमें जैविक खाद और जैव-उर्वरकों के संयोजन में रासायनिक उर्वरकों के मृदा परीक्षण आधारित संतुलित और विवेकपूर्ण उपयोग की सलाह दी गई है ताकि बुरे-प्रभावों से निपटा जा सके और मृदा स्वास्थ्य तथा इसकी उत्पादकता को कायम रखा जा सके और कृमिनाशियों के यांत्रिक, जैविक तथा जरूरत आधारित उपयोग की व्यवस्था के लिए एकीकृत कृमि प्रबन्धन भी किया जा सके।

(ग) जैव-कृषि प्राकृतिक जैविक आदानों पर आधारित पारिस्थितिकीय रूप से अनुकूल और सतत कृषि के लिए समग्र दृष्टिकोण है। तथापि, इसमें निम्न उत्पादकता की सीमाबद्धताएं हो सकती हैं परन्तु इसमें निर्यात बाजार और श्रेष्ठ स्वदेशी बाजार की क्षमता है। जैव नियंत्रण एजेन्टों/जैवकृमिनाशियों के अवगुण हैं:- उत्पाद की उच्च लागत, प्रजाति विशिष्ट कार्य और मौसम आधारित क्षमता।

[अनुवाद]

केरल में उपचार, भंडारण तथा निपटान सुविधा

3040. **श्री टी.के. हमजा:**
श्री अब्दुल्लाकुट्टी:
श्रीमती पी. सतीदेवी:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त समिति ने पाया कि केरल के औद्योगिक क्षेत्र में उपचार, भंडारण तथा निपटान सुविधा (टी एस डी एफ) नहीं है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मजदूर संगठनों तथा औद्योगिक प्रबंधन ने टी एस डी एफ के लिए सुविधाएं प्रदान करने हेतु और समय मांगा है; और

(घ) यदि हां, तो उद्योगों को बंद किए बिना इस मुद्दे को सुलझाने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) खतरनाक अपशिष्ट प्रबधन पर उच्चतम न्यायालय निगरानी समिति ने खतरनाक अपशिष्टों के शोधन, भण्डारण और निपटान सुविधाओं का विकास करने के लिए राज्य सरकार को निर्देश जारी किए हैं। केरल राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने विशेष रूप से कोची और पलक्काड में सामूहिक शोधन, भण्डारण और निपटान सुविधाओं के विकास के लिए भूमि अभिनिर्धारित करने के लिए मामला उद्योग विभाग, केरल सरकार के साथ उठाया है। केरल राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने साथ ही क्षेत्र में सभी औद्योगिक युनिटों की पर्यावरणीय लेखा परीक्षा करने के लिए एलोरआड्यार के लिए स्थानीय क्षेत्र पर्यावरण समिति भी गठित की है।

आरक्षित वनों का औद्योगिक उपयोग

3041. **श्री वी.के. दुम्मर:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मैसर्स अल्ट्रा टेक सीमेंट लि. कंपनी, जिसे औपचारिक रूप से मैसर्स एल एंड टी सीमेंट के नाम से जाना जाता है, गुजरात में आरक्षित वनों का औद्योगिक प्रयोजन हेतु उपयोग कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई/किए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) और (ख) जी, हां। मैसर्स अल्ट्रा टेक सीमेंट कंपनी लिमिटेड ने गांव कोवाया, राजुला तालुक, जिला अमरेली (गुजरात) में 3.10 हैक्टेयर वनभूमि के गैर-वानिकी प्रयोग के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत यथा अपेक्षित पूर्वानुमति 24.7.1998 को केन्द्र सरकार से ली हुई है। अन्य मामले में राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार प्रयोक्ता एजेंसी ने बाबरकोट, जिला अमरेली में 112.04 हैक्टेयर वनभूमि पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत पट्टे के नवीकरण के लिए प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया है। भूमि के प्रयोग के लिए राज्य सरकार द्वारा पहले ही अनुमति दी गई है। प्रयोक्ता एजेंसी 1995 की रिट याचिका (सी) संख्या 202 में उच्चतम न्यायालय के आदेश पर दिए गए पूर्व पट्टे के दौरान तैयार की गई अवसंरचना का प्रयोग कर रही है।

घरेलू सेवा प्रदाताओं के लिए सूचना केन्द्र

3042. **श्री पवन कुमार बंसल:** क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के सकल घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र कुशल और अकुशल कामगारों का कितना हिस्सा है;

(ख) क्या अन्य देशों में बाजार बहुंच संबंधी अवसरों से संबंधित सूचना/जानकारी प्राप्त करने के लिए घरेलू सेवा प्रदाताओं हेतु सूचना केन्द्र खोलने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव): (क) वर्ष 2001-2002 के लिए देश के सकल घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र का भाग (वर्तमान कीमतों पर) लगभग 49.3% था।

(ख) से (घ) इस समय श्रम और रोजगार मंत्रालय में अन्य देशों में बाजार पहुंच की सूचना/जानकारी प्राप्त करने हेतु घरेलू सेवा प्रदाताओं के लिए सूचना केन्द्र खोलने संबंधी कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रमों के अंतर्गत पश्चिम बंगाल की निधियां

3043. **श्री प्रबोध पाण्डा:** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पश्चिम बंगाल सिंचाई के लिए जल की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए लघु सिंचाई कार्यों पर जोर दे रहा है; और

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष के दौरान त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रमों के अंतर्गत पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा कितनी निधियों का अनुरोध किया गया है और केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को कितनी निधियां प्रदान की गईं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) जी, हां।

(ख) पश्चिम बंगाल में लघु सिंचाई के लिए त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) के तहत कोई स्कीम नहीं है और पश्चिम बंगाल सरकार ने एआईबीपी के तहत किसी निधि के लिए अनुरोध नहीं किया है। एआईबीपी के तहत केवल विशेष श्रेणी राज्यों तथा उड़ीसी के अविभाजित कोरापुट, बोलंगीर और कालाहांडी (केबीके) जिलों को सतही लघु सिंचाई स्कीमों के लिए केन्द्रीय ऋण सहायता दी जाती है।

पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 में संशोधन

3044. **श्री चन्द्रभूषण सिंह:**
श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मानव जीवन की रक्षा के लिए पशुओं पर चिकित्सकीय परीक्षण किए जाते हैं और यह परीक्षण केवल तभी किए जाते हैं जब इनकी सफलता दर 95 प्रतिशत होने की आशा होती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार उन पशुओं की जान बचाने के लिए पशुओं के लिए प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 में संशोधन करने का है जिन पर परीक्षण किए जाते हैं और इसके परिणामस्वरूप उनकी मृत्यु हो जाती है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में किए जाने वाले प्रस्तावित संशोधनों का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना): (क) और (ख) मानव जीवन की रक्षा के लिए पशुओं पर जब चिकित्सीय परीक्षण किए जाते हैं तब सफलता की दर, पशुओं पर प्रयोग नियंत्रण और पर्यवेक्षण के प्रयोजनार्थ समिति (सी.पी.सी.एस.ई.ए.) के दिशा-निर्देशों के अनुसार निर्धारित की जाती है।

(ग) पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 में संशोधन का कोई प्रस्ताव तैयार नहीं किया गया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

हिन्दी का प्रयोग

3045. **श्री निखिल कुमार चौधरी:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के अधिकतम अर्ध-शिक्षित किसानों को अपनी राष्ट्रीय भाषा हिन्दी का ज्ञान अंग्रेजी से बेहतर है;

(ख) यदि हां, तो क्या कृषि संबंधी कार्य से जुड़े कृषि मंत्रालय, विश्वविद्यालय और अनुसंधान संस्थाओं का कार्य हिन्दी की अपेक्षा अंग्रेजी में किया जाता है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार अपनी राष्ट्रीय भाषा को कृषि मंत्रालय, विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थाओं में लागू करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) देश में हिन्दी भाषी राज्यों, जैसे उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, बिहार आदि राज्यों के किसानों का हिन्दी का ज्ञान अंग्रेजी से बेहतर है किन्तु देश के अन्य भागों में क्षेत्रीय भाषाएं प्रचलित हैं।

(ख) और (ग) राज्य कृषि विश्वविद्यालयों में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी है तथापि उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश इत्यादि में स्थित विश्वविद्यालयों में शिक्षा का माध्यम द्विभाषी है (अंग्रेजी एवं हिन्दी)। विद्यार्थियों को प्रश्न पत्रों के उत्तर हिन्दी में लिखने की भी अनुमति दी गई है।

(घ) और (ङ) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद तथा इसके संस्थानों में दैनिक सरकारी कार्यों में हिन्दी को राजभाषा के रूप में उपयोग में लाया जा रहा है अर्थात् हिन्दी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिन्दी में दिए जाते हैं, मूल पत्राचार भी, जहां तक संभव हो, हिन्दी में किया जाता है, राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अन्तर्गत आने वाले कागजात द्विभाषी के साथ-साथ अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराए जाते हैं।

[अनुवाद]

एक सितारा होटलों का निर्माण

3046. श्री अशोक कुमार रावत: क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार राज्यों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए तीर्थ यात्रियों हेतु एक सितारा होटलों और शयनशालाओं का निर्माण करने पर जोर देने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) और (ख) पर्यटन विभाग ने राज्यों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान तीर्थयात्रियों सहित, पर्यटकों के लिए बजट श्रेणी के होटलों, अर्थात्, एक सितारा से तीन सितारा एवं हैरिटेज बेसिक श्रेणी में आवास में वृद्धि के लिए "आवास अवसंरचना को प्रोत्साहन" की एक योजना प्रारम्भ की है।

इस योजना के अंतर्गत, चार महानगरों, दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता तथा चेन्नई को छोड़कर, देश में एक से तीन सितारा तथा हैरिटेज बेसिक श्रेणी की नई होटल परियोजनाओं को पूंजीगत इमदाद प्रदान की जाती है। यह प्रोत्साहन विनिर्दिष्ट वित्तीय संस्थानों/अनुसूचित बैंकों से लिए जाने वाले कुल मूल ऋण के 10 प्रतिशत के पूंजीगत अनुदान, या एक सितारा होटलों के लिए 25 लाख रुपए, दो सितारा होटलों के लिए 50 लाख रुपए, तीन सितारा होटलों तथा हैरिटेज बेसिक श्रेणी परियोजना के लिए 75 लाख रुपए तक, जो भी कम हो, के रूप में प्रदान किया जाता है।

[हिन्दी]

कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों का आधुनिकीकरण

3047. श्री सूरज सिंह: क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों में आधुनिक सुविधाओं के अभाव के कारण बहुत से कर्मचारियों की मृत्यु हो चुकी है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान राज्यवार कितने कर्मचारियों की मृत्यु हुई;

(ग) गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों के आधुनिकीकरण के लिए राज्यवार क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है तथा इस कार्य पर कितनी धनराशि खर्च की गई;

(घ) क्या सरकार द्वारा प्रत्येक जिले में कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों का निर्माण करके कर्मचारियों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए कोई योजना बनाई गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव): (क) जी नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सभी कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पतालों/औषधालयों को आधुनिक उपस्करों से सुसज्जित करके उन्हें उन्नत करने के

लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने वर्ष 1998-99, 1999-2000, 2001-2002 और 2002-2003 में कार्रवाई योजनाएं बनाई। विभिन्न राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर उन्हें लगभग 50 करोड़ रुपये की कीमत के उपस्कर मंजूर किए गए।

इस 50 करोड़ रुपये की राशि में से पिछले तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में 30.11.2004 तक मंजूर की गई राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) और (ङ) कर्मचारी राज्य बीमा ने प्रत्येक जिले में एक कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल खोलने की कोई ऐसी स्कीम नहीं बनाई है। तथापि, कर्मचारी राज्य बीमा की चिकित्सा के बुनियादी ढांचे का विस्तार करने और इसकी गुणवत्ता में सुधार के लिए लगातार प्रयास किए जाते हैं।

विवरण

कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों/औषधालयों पर किए गए व्यय का ब्यौरा

(राशि लाखों में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	पिछले तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में 30.11.2004 तक विभिन्न राज्यों को दिए गए उपस्करों की मंजूरी			
		2001-2002	2002-2003	2003-2004	2004-2005
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	—	23.04	32.15	—
2.	असम	—	—	—	50.25
3.	बिहार	—	—	28.30	—
4.	चण्डीगढ़ प्रशासन	—	—	—	—
5.	छत्तीसगढ़	—	—	—	—
6.	दिल्ली/नौएडा	34.67	128.21	52.33	120.17
7.	गोवा	—	11.35	—	—
8.	गुजरात	32.51	13.77	28.36	1.30
9.	हरियाणा	—	—	—	—
10.	हिमाचल प्रदेश	7.68	—	—	—
11.	जम्मू और कश्मीर	5.70	—	5.00	—
12.	झारखंड	—	—	22.00	—
13.	कर्नाटक	—	69.75	132.70	67.50
14.	केरल	—	—	45.28	58.39
15.	मध्य प्रदेश	10.87	46.26	—	—

1	2	3	4	5	6
16.	महाराष्ट्र	14.52	—	—	—
17.	मेघालय	—	—	—	—
18.	उड़ीसा	—	9.00	3.87	53.20
19.	पांडिचेरी	—	—	—	—
20.	पंजाब	—	144.60	—	—
21.	राजस्थान	4.49	91.05	—	—
22.	तमिलनाडु	—	64.84	16.14	12.61
23.	उत्तर प्रदेश	307.44	58.51	—	—
24.	उत्तरांचल	—	—	—	—
25.	पश्चिम बंगाल	15.00	19.21	5.35	3.39
	कुल	432.88	679.59	371.48	366.81

[अनुवाद]

बांग्लादेश के साथ जल बंटवारे संबंधी समझौता

3048. श्री अवतार सिंह भडाना:
श्री देविदास पिंगले:
श्री पारसनाथ यादव:
श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल:
डा. राजेश मिश्रा:
श्री मधुसूदन मिस्त्री:
श्री रतिलाल कालीदास वर्मा:
श्री बृज किशोर त्रिपाठी:
श्री हरिश्चंद्र चव्हाण:
श्री वी.के. ठुम्मर:

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने भारत और बांग्लादेश के बीच जल बंटवारे हेतु वार्ता करने के लिए हाल ही में बांग्लादेश की यात्रा की है;

(ख) यदि हां, तो वार्ता, विशेषकर गंगा, तीस्ता, मोनु, खोवई, अवधकुमारी, धारला, मुहारी और गोमती नदियों के जल बंटवारे के क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) उक्त नदियों पर बनाए जाने वाले प्रस्तावित बांधों का ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) और (ख) जी, हां। तीस्ता और अन्य साझी नदियों के जल के बंटवारे के संबंध में सचिव स्तरीय संयुक्त विशेषज्ञ समिति (जे सी ई) की 7वीं बैठक 14 और 15 सितम्बर, 2004 को ढाका में आयोजित की गई। इस बैठक में मुख्यत: तीस्ता जल के बंटवारे के संबंध में चर्चा हुई। इस बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया कि संयुक्त तकनीकी दल (जेटीजी) जिसका गठन पूर्व में संयुक्त विशेषज्ञ समिति की छठी बैठक के दौरान किया गया था, वह पुन: बैठकें आयोजित कर सकता है और लंबित मुद्दों को हल करने का प्रयास कर सकता है। तदनुसार, संयुक्त तकनीकी दल की तीसरी बैठक 9 और 10 नवम्बर, 2004 को नई दिल्ली में आयोजित की गई जिसमें आगे भी चर्चा जारी रखने का निर्णय लिया गया।

मानु, खोवई, दुधकुमार, धारला, मुहुरी और गोमती नामक अन्य साझी नदियों के बारे में कोई चर्चा नहीं की गई। संयुक्त विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई चर्चा में गंगा नदी को शामिल किया गया है क्योंकि भारत और बंगलादेश के बीच दिसम्बर, 1996 में गंगा/गांगेय जल के बंटवारे के संबंध में संधि हो चुकी है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता है।

बाक्साइट अयस्क खनन के दुष्प्रभाव

3049. श्री गिरिधर गमांग: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ीसा में रायगढ़-कालाहांडी सीमा पर नियामगिरि पहाड़ियों में प्रस्तावित बाक्साइट अयस्क-खनन स्तल से इन भागों में रहने वाली आदिम जनजाति डोंगरिया कोंध के जीवन तथा इस क्षेत्र की जल प्रणाली पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है;

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) उड़ीसा में नियामगिरि और देवगिरी पहाड़ियों से कौन-कौन सी विभिन्न वन धाराओं, नदिकाओं और नदियों का उद्गम होता है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने रायगढ़-कालाहांडी सीमा पर नियामगिरी पहाड़ियों में बाक्साइट अयस्क खनन के किसी ऐसे प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

कृषि आय बीमा योजना के अंतर्गत किसानों के लंबित दावे

3050. श्री कुलदीप बिश्नोई:
श्री महादेव राव शिवनकर:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में कृषि आय बीमा योजना के अंतर्गत किसानों के राज्यवार कितने दावे लंबित है;

(ख) इनमें विलंब के क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त योजना में से विसंगतियों को दूर करने तथा तत्संबंधी अव्यवहारिक शर्तों को वापस लेने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) क्रियान्वयन एजेन्सी (आई.ए.) द्वारा सभी स्वीकार्य दावे निपटा दिये गए हैं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) वर्तमान फसल बीमा योजना में अपेक्षित सुधारों का अध्ययन करने के लिए गठित एक संयुक्त दल फार्म आय बीमा स्कीम की प्रासंगिकता सहित सभी संबंधित मामलों की जांच कर रहा है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय युवा नीति

3051. श्री लक्ष्मण सिंह: क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय विकास में युवाओं के अधिकतम योगदान के लिए राष्ट्रीय युवा नीति, 2003 को कार्यान्वित करने हेतु अवसंरचना निर्माण तथा उपयुक्त प्राथमिकताओं के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ख) उक्त नीति की आज तक की उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री सुनील दत्त): (क) और (ख) राष्ट्रीय युवा नीति, 2003 के अंतर्गत निम्नलिखित कदम उठाए गए है:

राष्ट्रीय कार्रवाई योजना का मसौदा तैयार करने हेतु नीति के कार्यान्वयन के लिए सचिव की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय अंतर-विभागीय समिति गठित की गई है।

नेहरू युवा केन्द्र संगठन (एन.वाई.के.एस.) के अंतर्गत युवा क्लबों की मजबूती के लिए मंत्रालय ने अनेक कदम उठाए हैं। इसमें, सदस्यता को व्यापक बनाने के लिए किशोरों को शामिल करना, गांधी ग्रामोद्योग संकल्प अभियान को प्रारंभ करना, सूचना प्रौद्यगिकी के माध्यम से ग्रामीण संपर्क की अवधारणा को शुरू करना, व्यावसायिक प्रशिक्षण इत्यादि पर जोर देना शामिल है। इस संबंध में, युवा विकास को बढ़ाने और राष्ट्रीय विकास में उनके अधिकतम योगदान के लिए मंत्रालय ने अन्य मंत्रालयों/विभागों जैसे मानव संसाधन विकास, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, महिला एवं बाल विकास तथा संस्कृति विभाग को भी शामिल करने की इच्छा जाहिर की है।

राष्ट्रीय युवा नीति के अंतर्गत किशोरों को एक मुख्य हिस्से के रूप में पहचान की गई है। मंत्रालय ने 10 से 19 वर्ष के आयु वर्ग के किशोरों के विकास और अधिकारिता के लिए एक योजना तैयार करके प्रारंभ की है। इस योजना के अंतर्गत किशोरों संबंधी मुद्दों से संबंधित परियोजनाओं और कार्यक्रमों को हाथ में लेने के लिए गैर-सरकारी संगठनों, शैक्षिक संस्थाओं इत्यादि को सहायता दी जा रही है।

शीतागारों के लिए सहायता

3052. श्री एम. शिवन्ना: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने कृषि उपज के नष्ट होने में कमी लाने के लिए भांडागार तथा शीतागारों की स्थापना करने हेतु केंद्र सरकार से 200 करोड़ रु. की सहायता मांगी है जिससे कि किसानों को लाभदायक मूल्य देना सुनिश्चित किया जा सके; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

नर्सों को लाभ

3053. श्री पी.सी. थामस: क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अस्पतालों में कार्यरत स्टाफ नर्सों को औद्योगिक विवाद अधिनियम सहित श्रम विधियों के अंतर्गत लाभ पाने का हक है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इन शिकायतों की जानकारी है कि अनेक अस्पताल प्रबंधन किसी प्रकार के लाभ दिए बिना नर्सों की सेवाएं समाप्त कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव): (क) और (ख) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अलावा समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976; उपदान संदाय अधिनियम, 1972; कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952; बोनस संदाय अधिनियम, 1965; प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 तथा संबंधित राज्य सरकार द्वारा बनाए गए दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम के उपबंध भी संबंधित अधिनियमों में उल्लिखित कवरेज संबंधी शर्तों के अध्यधीन अस्पतालों पर लागू हैं। उपर्युक्त श्रम कानूनों के अंतर्गत प्रदान किए जा रहे लाभ नर्सिंग स्टाफ को उपलब्ध हैं।

(ग) अधिकांश अस्पतालों के संबंध में राज्य सरकारें 'समुचित सरकार' हैं। केन्द्रीय क्षेत्र के अस्पतालों के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) उपर्युक्त (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

राज्यों को निधियां

3054. डा. सत्यनारायण जटिया:
श्री बी. विनोद कुमार:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान जल संसाधनों में वृद्धि हेतु राज्यों को स्वीकृत और जारी निधियों का राज्यवार और परियोजनावार ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): विगत तीन वर्षों के दौरान जल संसाधनों के संवर्द्धन के लिए जल संसाधन मंत्रालय की विभिन्न स्कीमों के तहत राज्यों को जारी की गई निधियों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

राज्यों को वर्ष 2001-02, 2002-03 और 2003-04 के दौरान स्वीकृत और जारी की गई निधियां

(रुपये करोड़ में)

क्र.सं.	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम	वर्षा जल संचयन और भू-जल के कृत्रिम पुनर्भरण के लिए प्रायोजित परियोजना	कमान क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन कार्यक्रम
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	520.38	0.10	0.00
2.	अरूणाचल प्रदेश	36.50	0.20	1.60

1	2	3	4	5
3.	असम	50.00	0.34	0.36
4.	बिहार	92.55	0.04	3.00
5.	छत्तीसगढ़	226.83	0.52	3.69
6.	गोवा	60.00	0.00	0.00
7.	गुजरात	2,232.38	0.09	0.00
8.	हरियाणा	25.74	0.39	29.43
9.	हिमाचल प्रदेश	26.09	0.17	4.56
10.	झारखंड	22.32	0.25	0.00
11.	जम्मू एवं कश्मीर	67.61	0.29	9.32
12.	कर्नाटक	1,379.83	0.36	87.30
13.	केरल	47.94	0.48	6.16
14.	मध्य प्रदेश	1,044.05	0.04	8.34
15.	महाराष्ट्र	336.63	0.07	12.91
16.	मणिपुर	44.36	0.00	3.35
17.	मेघालय	7.06	0.10	0.27
18.	मिजोरम	12.05	0.14	0.25
19.	नागालैंड	15.66	0.91	1.33
20.	उड़ीसा	502.73	13.39	10.69
21.	पंजाब	150.35	2.01	26.25
22.	राजस्थान	770.54	0.62	76.32
23.	सिक्किम	3.90	0.00	0.07
24.	तमिलनाडु	0.00	0.85	56.68
25.	त्रिपुरा	47.84	0.00	0.00
26.	उत्तर प्रदेश	988.48	1.28	92.98
27.	उत्तरांचल	50.72	0.00	0.75
28.	पश्चिम बंगाल	69.89	0.50	2.84
	कुल राज्य	8,792.39	23.16	438.46

1	2	3	4	5
1.	दिल्ली	0.00	0.66	0.00
2.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	0.00	0.13	0.00
3.	लक्षद्वीप	0.00	0.20	0.00
	कुल संघ राज्य क्षेत्र	0.00	0.98	0.00
	कुल (राज्य+संघ राज्य क्षेत्र)	8,792.39	24.15	436.46

कपास का उत्पादन और आयात

3055. श्री शिवराज सिंह चौहान:
श्री कृष्णा मुरारी मोघे:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2004 के दौरान देश में कपास का कुल उत्पादन कितना रहा;

(ख) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कुल कितनी मात्रा में कपास आयात किया गया;

(ग) वर्ष 2004-2005 के दौरान कपास की कुल कितनी मात्रा आयात करने की अनुमति दी गई;

(घ) कपास का वर्तमान मूल्य क्या है; और

(ङ) देश में कपास के उत्पादन को ध्यान में रखते हुए कपास के गिरते मूल्यों के संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) वर्ष 2004-05 के लिए प्रथम अग्रिम अनुमानों के अनुसार कपास का कुल उत्पादन प्रत्येक 170 कि.ग्रा. की 13.85 मिलियन गांठे होने का अनुमान है।

(ख) और (ग) कपास परामर्शी बोर्ड ने 2003-04 कपास मौसम के दौरान देश में कपास के आयात का प्रत्येक 170 कि.ग्रा. की 6.5 लाख गांठों का अनुमान लगाया है। इस समय देश में कपास का आयात मुक्त है और 19 अप्रैल, 2004 से इसे खुले सामान्य लाईसेंस (ओ.जी.एल.) के तहत रखा गया है। तथापि, कपास परामर्शी बोर्ड ने वर्ष 2003-04 के दौरान 6.50 लाख गांठों की तुलना में 2004-05 के दौरान 5.00 लाख गांठों के आयात का अनुमान लगाया है।

(घ) कपास के मूल्य किस्म पर निर्भर करते हुए एक मास दर मास और एक राज्य दर राज्य भिन्न-भिन्न होते हैं। वर्ष 2003-04 में मध्यम रेशे/बढ़ियां मध्यम रेशे वाली किस्म के लिए औसत मूल्य आन्ध्र प्रदेश में 2292 रुपए प्रति क्विंटल से पंजाब में 2667 रुपए प्रति क्विंटल के बीच रहीं। लम्बे रेशे/बढ़िया लम्बे रेशे वाली किस्म के औसत मूल्य आन्ध्र प्रदेश में 2408 रुपए प्रति क्विंटल से तमिलनाडु में 2604 रुपए प्रति क्विंटल के बीच रहे।

(ङ) भारत सरकार की नोडल एजेन्सी, भारतीय कपास निगम कपास के मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे गिरने के कारण विपत्ति में बिक्री से बचाने के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्यों पर कपास की खरीद के लिए मण्डी में प्रवेश करती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य के स्तर से नीचे कपास के मूल्य गिरने को दृष्टिगत रखते हुए, भारतीय कपास निगम ने कपास उगाने वाले सभी राज्यों (महाराष्ट्र को छोड़कर) अर्थात् पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटक में न्यूनतम समर्थन मूल्य संबंधी कार्य आरम्भ किए। 15 दिसम्बर, 2004 की स्थिति अनुसार, भारतीय कपास निगम ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 28.25 लाख क्विटंल कपास की खरीद की है। महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र राज्य सहकारी कपास उत्पादक विपणन संघ ने एकाधिकार खरीद स्कीम के अन्तर्गत गारन्टीशुदा मूल्यों पर राज्य में अपने खरीद कार्य शुरू किए हैं।

[अनुवाद]

पर्वतीय क्षेत्रों को बीज

3056. श्री डी. नरबुला: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पश्चिम बंगाल के पर्वतीय क्षेत्र के किसानों को सही समय पर बीज नहीं मिल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले सहित देश के पर्वतीय क्षेत्रों में बीजों को लाने-ले जाने के लिए परिवहन राज सहायता संबंधी केंद्रीय योजना सफलतापूर्वक नहीं चल रही है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) राज्य कृषि विभाग ने चालू वित्त वर्ष के दौरान सरकारी कार्यक्रमों के तहत बीजों का वितरण किया है। इस विभाग को या राज्य सरकार को पहाड़ी क्षेत्रों में बीजों के प्राप्त न होने की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) ऐसा कोई पुनर्निवेशन (फीड बैक) प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) और (ङ) ये प्रश्न नहीं उठते।

खेल योजनाओं की वित्तपोषण पद्धति में संशोधन

3057. डा. अरूण कुमार शर्मा: क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र में राज्य सरकार से अथवा गैर-सरकारी संगठनों से 10 प्रतिशत अंशदान के साथ खेल योजनाओं की वित्तपोषण पद्धति में संशोधन का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है;

(घ) खेलों की सुविधा के लिए असम के विभिन्न भागों में सृजित खेल अवसंरचना का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) गुवाहाटी में होने वाले आगामी राष्ट्रीय खेल के लिए निर्मित विभिन्न स्टेडियमों का ब्यौरा क्या है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री सुनील दत्त): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

(घ) खेल अवस्थापना के सृजन के लिए अनुदानों की योजना के अंतर्गत असम की खेल अवस्थापना संबंधी परियोजनाओं का अनुमोदन और उस समय की स्थिति का ब्यौरा संलग्न विवरण में दर्शाया गया है।

(ङ) ''खेल'' राज्य सूची का विषय होने के कारण, गुवाहाटी में आयोजित होने वाले आगामी राष्ट्रीय खेल के लिए स्टेडियम के निर्माण की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। तथापि, केन्द्र सरकार, इस दिशा में राज्य सरकार से विशेष व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त होने पर स्वीकार्य केन्द्रीय सहायता प्रदान करते हुए राज्य के प्रयासों को पूरा करती है। मंत्रालय ने, ''खेल अवस्थापना के सृजन हेतु अनुदानों की योजना'' के अंतर्गत गुवाहाटी में राज्य स्तर के खेल परिसर के लिए दिनांक 29.9.2003 को 391.23 लाख रुपये की केन्द्रीय सहायता का अनुमोदन किया है, जिसे संभवत: राष्ट्रीय खेलों के दौरान भी इस्तेमाल किया जा सकता है। राष्ट्रीय खेलों के दौरान इस्तेमाल किए जाने के लिए गुवाहाटी में सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक/हाकी सतह बिछाने के लिए असम सरकार से प्राप्त हुए विशेष प्रस्ताव भी तकनीकी रूप से सही पाए गए हैं। ''सिंथेटिक सतह की स्थापना के लिए अनुदानों'' की योजना के अंतर्गत स्वीकार्य केन्द्रीय सहायता के अनुमोदन पर विचार करने के लिए इसे सहायता अनुदान समिति के समक्ष रखा जाएगा।

राष्ट्रीय खेलों के लिए विभिन्न खेल अवस्थापना संबंधी परियोजनाओं के निर्माण हेतु सरकार ने समाप्त होने वाले केन्द्रीय संसाधनों के पूल से 55.10 करोड़ रुपये की अनुमानित धनराशि जारी करने के लिए अपना अनुमोदन दे दिया है। इसमें से 22.00 करोड़ रुपये की धनराशि असम राज्य सरकार को जारी की जा चुकी है।

विवरण

1.12.2004 की स्थिति के अनुसार

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	कार्यान्वयन एजेंसी सहित परियोजना का नाम व स्थान	तारीख सहित सिद्धांत रूप में अनुमोदित धनराशि	तारीख सहित जारी की गई धनराशि	बकाया देय	अभ्युक्तियां
1	2	3	4	5	6
1.	प्रधानाचार्य, डान बास्को स्कूल, गुवाहाटी द्वारा इंडोर खेल हाल का निर्माण, डान बास्को स्कूल, जिला कामरूप, गुवाहाटी। फा. सं. 6-3/90-खेल-।।	5.00 7.10.91	4.5 (20.4.93)	0.50	उपयोगिता/समापन प्रमाणपत्र प्रतीक्षित है।
2.	राज्य सरकार द्वारा जिमनेजियम/ तरणताल का निर्माण, जिला स्तर खेल परिसर, सिलचर फा. सं. 6-3/94-खेल-।।	46.75 15.11.94	20.00 (9.8.95) 22.00 (29.5.97)	4.75	-वही-
3.	अध्यक्ष, सरबन्दा सिंह स्टेडियम समिति (गैर-सरकारी संगठन) द्वारा आउटडोर स्टेडियम सरबन्दा सिंह नगर तिनसुकिया फा. सं. 6-2/94-खेल-।।	18.00 (28.11.94)	16.20 (19.5.95)	1.80	-वही-
4.	शिशु मंदिर सिलचर (गै.स.सं.) द्वारा सिलचर में खेल मैदान का विकास फा. सं. 6-3/93-खेल।	2.61 (30.11.94)	1.30,875 (24.5.99)	1.30875	-वही-
5.	जोरहाट तैराकी समिति (गै.स.सं.) द्वारा जोरहाट में तरणताल फा. सं. 6-2/95-खेल-।।	43.00 (15.2.96)	शून्य	43.00	-वही-
6.	सिवसागर खेल संघ (गै.स.सं.) द्वारा सिवसागर में आउटडोर स्टेडियम फा. सं. 6-145/86-खेल-।।	5.00 31.3.97	2.5 19.12.86	2.50	प्रगति रिपोर्ट/ समापन प्रमाण पत्र प्रतीक्षित है
7.	गौहपुर क्रीड़ा संस्था, गौहपुर (गै.सं.सं.) द्वारा गौहपुर में आउटडोर स्टेडियम फा. सं. 6-3/97-खेल-।।	31.41 (18.2.99)	23.55 (25.9.2000)	7.86	-वही-

1	2	3	4	5	6
8.	दक्षिण-पश्चिम रंगा कृषक विकास समिति (गै.स.सं.) द्वारा रंगिया में खेल मैदान फा. सं. 6-3/98-खेल-।।	1.95 (7.7.99)	1.7555 (20.6.2000)	0.195	प्रगति रिपोर्ट/समापन प्रमाण पत्र प्रतीक्षित है
9.	खानपाड़ा खेल एवं सांस्कृतिक संगठन गोवाहाटी (गै.स.सं.) द्वारा गणेश मंदिर इंडोर स्टेडियम, खानपाड़ा फा. सं. 6-5/97-खेल-।।	67.50 (1.1.2000)	30.0 लाख 14.12.2001 30.00 (18.9.2002)	7.50	-वही-
10.	तेजपुर जिला खेल संघ (गै.स.सं.) द्वारा इंडोर स्टेडियम, तेजपुर फा.स. 6-2/98-खेल-।।	30.00 (28.3.2000)	20.00 (31.3.2002) 7.00 6.6.2003	3.00	-वही-
11.	लखीमपुर जिला खेल संघ (गै.स.सं.) द्वारा इंडोर स्टेडियम श्रेणी-2-उत्तर लखीमपुर फा.सं. 6-64/97-खेल-।।	67.50 (8.9.2000)	30.00 (18.7.2002)	37.50	-वही-
12.	विश्वनाथ जिला खेल संघ (गै.स.सं.) द्वारा विश्वनाथ चरयाली, मधुपुर जिला सोनीतपुर में आउटडोर स्टेडियम श्रेणी-1 फा.सं. 6-4/2000-खेल-।।	27.00 (5.2.2001)	13.50 (18.9.2002)	13.50	-वही-
13.	जिला खेल संघ हयलकंडी (गै.स.सं.) द्वारा हयलकंडी में इंडोर स्टेडियम श्रेणी-3 फा.सं. 6-3/2001-खेल-।।	30.00 (31.3.2002)	15.00 6.9.2004	15.00	उपयोगिता/समापन प्रमाणपत्र प्रतीक्षित है।
14.	राज्य सरकार द्वारा ललित चन्द्र राजखोहा स्टेडियम जगदौर, टियोक जिला जोरहाट, असम (सरकार) में आउटडोर स्टेडियम श्रेणी-1 फा.सं. 6-3/2000-खेल-।।	18.63 (3.10.2001)	-	18.63	प्रगति रिपोर्ट प्रतीक्षित है।
15.	पुरानीगुडम (गै.स.सं.) में बाबूजी हाल एवं पुस्तकालय द्वारा पुरानीगुडम जिला नागौर में लघु स्टेडियम एवं प्रेक्षागृह फा.सं. 6-4/98-खेल-।।	90.00 26.11.2002	-	90.00	-वही-
16.	शैक्षिक फाउण्डेशन (गै.स.सं.) द्वारा कोलोंगपुर, जिला नौगांव, असम में इंडोर स्टेडियम श्रेणी-3 का निर्माण फा.सं. 6-3/2002-खेल-।।	30.00 27.11.2002	10.00 20.10.03 13.00 24.9.2004	7.00	-वही-

1	2	3	4	5	6
17.	छायागांव खेल संघ, छायागांव जिला कामरूप (गै.स.सं.) द्वारा छायागांव इंडोर स्टेडियम श्रेणी-2 फा.सं. 6-5/2002-खेल-I	67.50 14.5.2003	30.00 30.9.2004	37.50	प्रगति रिपोर्ट प्रतीक्षित है
18.	राज्य सरकार द्वारा सोनारी, जिला सिवसागर में जिला खेल परिसर फा.सं. 6-5/2002-खेल-I	144.43 29.9.2003	30.00 1.7.2004	114.43	-वही-
19.	राज्य सरकार द्वारा गोलाघाट (सरकार) जिला गोलाघाट में इंडोर स्टेडियम श्रेणी-2 फा.सं. 6-2/2003-खेल-I	67.50 29.9.2003	-	67.50	-वही-
20.	राज्य सरकार द्वारा गोवाहाटी में राज्य स्तरीय खेल परिसर फा.सं. 6-10/99-खेल-I	391.23 29.9.2003	-	391.23	-वही-
21.	राज्य सरकार द्वारा हाफलोंग, जिला एन.सी. हिल्स में जिला खेल परिसर फा.सं. 6-11/2002-खेल-I	109.58 9.10.2003	42.08 19.7.2004	67.50	-वही-
22.	संकल्प (गै.स.सं.) द्वारा नजीरा, जिला सिवसागर में इंडोर स्टेडियम श्रेणी-2 फा.सं. 6-3/2003-खेल-I	67.50 29.7.2004	-	67.50	-वही-
23.	राज्य सरकार द्वारा गोलाघाट, जिला गोलाघाट में गोलाघाट जिला स्तरीय खेल परिसर फा.सं. 6-12/2003-खेल-I	150.00 29.7.2004	-	150.00	-वही-
24.	एस.पी. मेमोरियल शिक्षा समिति (गै.स.सं.) द्वारा उमरांगशू, जिला एन.सी. हिल्स में आउटडोर स्टेडियम श्रेणी-1 फा.सं. 6-2/2004-खेल-I	27.00 29.7.2004	-	27.00	-वही-
	कुल			1176.70375	

बी.टी. काटन की खेती के लिए स्वीकृति

3058. श्री बृज किशोर त्रिपाठी: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने विभिन्न राज्यों में बी.टी. काटन की खेती के लिए स्वीकृति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में किए गए परीक्षण तथा परिषद द्वारा विभिन्न राज्यों से प्राप्त उनके परिणामों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने बी.टी. काटन की खेती की स्वीकृति किन-किन राज्यों को दी है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत के मध्य तथा दक्षिण क्षेत्र में खेती के लिए केन्द्रीय पर्यावरण तथा वन मंत्रालय की आनुवंशिक अभियांत्रिकी अनुमोदन समिति के चार बी टी कपास संकरों अर्थात् एम ई सी एच 184 बी टी, एम ई सी एच 162 बी टी, एम ई सी एच 12 बी टी तथा आर सी एच 2 बी टी की सिफारिश की।

(ख) खण्डवा (मध्य प्रदेश), सूरत तथा जूनागढ़ (गुजरात), नागपुर तथा नान्देड (महाराष्ट्र) गुन्टूर तथा नन्दयाल (आंध्र प्रदेश), धारवाड़ (कर्नाटक) तथा कोयम्बटूर (तमिलनाडु) में विभिन्न वर्षों में परीक्षण किये गये थे। परीक्षणों के परिणामों से निम्नलिखित पहलुओं में इन सामग्रियों की उत्कृष्टता के बारे में पता लगता है: (1) बालवार्म के प्रकोप में कमी तथा (2) 2-6 तक कीटनाशी रसायनों के छिड़कावों में कमी। सामान्य तौर पर इन बी टी संकरों में बिनौलों की पैदावार गैर बी टी कपास किस्मों से बेहतर पायी गयी।

(ग) परीक्षणों के परिणामों पर विचार करने के बाद कृषि पर्यावरण तथा वन मंत्रालय, भारत सरकार की आनुवंशिक अभियांत्रिकी अनुमोदन समिति ने व्यावसायिक रिलीज के लिए इन बी टी कपास संकरों को स्वीकृति दी है।

[हिन्दी]

होटलों में आयुर्वेदिक पार्क

3059. श्री अधीर चौधरी: क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में होटलों में आयुर्वेदिक पार्क स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) और (ख) पर्यटन विभाग, भारत सरकार के पास देश के होटलों में आयुर्वेदिक पार्कों की स्थापना की कोई योजना नहीं है। तथापि, आयुर्वेदिक चिकित्सा सुविधा के साथ स्पास की स्थापना करना होटल उद्योग में एक निरंतर चलने वाली गतिविधि है। देश में अनेक होटलों ने, अपने ग्राहकों के लिए अपने सेवा पैकेजों के भाग के रूप में, ऐसी सुविधाएं स्थापित करने की सूचना दी है।

बीड़ी कामगारों हेतु ई.पी.एफ. योजना

3060. श्री गुरूदास दासगुप्त:
श्री मोहन रावले:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 1997 में पूरे देश के बीड़ी कामगारों को कर्मचारी भविष्य निधि (ई.पी.एफ.) योजना की सुविधा दी गई थी;

(ख) यदि हां, तो देश में कुल कितने बीड़ी कामगार हैं तथा आज की स्थिति के अनुसार राज्यवार कितने बीड़ी कामगार ई.पी.एफ. योजना द्वारा लाभान्वित हैं; और

(ग) कम बीड़ी कामगारों को ई.पी.एफ. योजना के अंतर्गत लाने के क्या कारण हैं तथा सभी बीड़ी कामगारों को समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार ई.पी.एफ. योजना के अंतर्गत लाना सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) कुल 40,50,893 बीड़ी कामगारों को पहचान पत्र जारी किए गए हैं। कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 बीड़ी बनाने वाले सभी प्रतिष्ठानों पर लागू है जिनमें 20 या उससे अधिक व्यक्ति नियोजित हैं। दिनांक 31.03.2004 की स्थिति के अनुसार 4158 बीड़ी प्रतिष्ठान अधिनियम के अंतर्गत शामिल हैं और 17,96,358 कामगार अंशदाता के रूप में नामांकित किए गए हैं। क्षेत्रवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

बीड़ी कामगारों को कवर करने में आने वाली कठिनाइयां निम्नवत् हैं:

1. बीड़ी विनिर्माण कार्य मूलत: असंगठित क्षेत्र में हैं।
2. घर पर कार्य करने वाले कामगार दूरस्थ क्षेत्रों में रहते हैं।
3. हालांकि पूरा परिवार बीड़ी बनाने के काम में लगा है, परन्तु केवल परिवार का मुखिया ही कर्मचारी भविष्य निधि सदस्य के रूप में पंजीकृत है।

तथापि, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा बीड़ी कामगारों की कवरेज बढ़ाने के सभी प्रयास किए जाते हैं।

विवरण

क्र.सं.	क्षेत्र	प्रतिष्ठान			सदस्य		
		छूट प्राप्त	छूट न प्राप्त	कुल	छूट प्राप्त	छूट न प्राप्त	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	0	393	393	0	423474	423474
2.	पश्चिम बंगाल	0	216	216	0	366946	366946
3.	तमिलनाडु	0	2083	2083	0	298975	298975
4.	कर्नाटक	0	276	276	0	252661	252661
5.	मध्य प्रदेश	0	256	256	0	150807	150807
6.	महाराष्ट्र	2	150	152	4592	87313	91905
7.	केरल	0	126	126	0	61030	61030
8.	उड़ीसा	0	181	181	0	58845	58845
9.	झारखंड	0	38	38	0	29780	29780
10.	बिहार	0	27	27	0	28246	28246
11.	राजस्थान	0	133	133	0	13668	13668
12.	उत्तर प्रदेश	0	153	153	0	9415	9415
13.	छत्तीसगढ़	0	43	43	0	8250	8250
14.	उत्तर-पूर्वी	0	21	21	0	1254	1254
15.	गुजरात	0	60	60	0	1102	1102
16.	दिल्ली	0	0	0	0	0	0
17.	गोवा	0	0	0	0	0	0
18.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8
19.	हरियाणा	0	0	0	0	0	0
20.	पंजाब	0	0	0	0	0	0
21.	उत्तरांचल	0	0	0	0	0	0
	कुल	2	4,156	4,158	4,592	1,791,766	1,796,358

राष्ट्रीय बागवानी मिशन

3061. श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या फसलोपरांत प्रबंधन हेतु प्रौद्योगिकी का विविधीकरण और उन्नयन करने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने हेतु विचार किए गए राष्ट्रीय बागवानी मिशन के लिए 50 प्रतिशत राज सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) सरकार किसानों को बागवानी फसलों की खेती करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय बागवानी मिशन संबंधी एक नई स्कीम शुरू करने का प्रस्ताव रखती है जिसमें पश्च और अग्र सम्पर्कों को सुनिश्चित करते हुए अनुसंधान, उत्पादन, फसल कटाई पश्चात प्रबन्धन, प्रसंस्करण तथा विपणन को कवर किया जाएगा।

(ग) यह मिशन वर्तमान पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किए जाने का प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

नहर का निर्माण

3062. श्री सुबोध मोहिते: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश में केन्द्रीय सहायता से चंदोली, रामनगर, मुगल सराय में नहर का निर्माण करने के लिए किसी योजना को स्वीकृति दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) नहर निर्माण कार्य के कब तक पूरा होने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) से (ग) राष्ट्रीय सम विकास योजना (आरएसवीवाई) के तहत वर्ष 2004-05 से 2006-07 तीन वर्षों के लिए 15 करोड़ रुपये प्रति वर्ष की दर से चन्दौली जिले की जिला योजना के निष्पादन के लिए 45 करोड़ रुपये का अनुमोदन किया गया। कृषि और सम्बद्ध क्षेत्र में आरएसवाई जिला योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित कार्य शामिल हैं:

(रुपये लाख में)

1.	लघु सिंचाई-3 चेक बांधों का निर्माण	25.30
2.	नलकूप-16 नलकूपों की संस्थापना	169.60
3.	मृदा और जल संरक्षण (2700 हेक्टेयर)	94.98
4.	वन विभाग-चेक बांध का निर्माण	16.00
5.	नियामक का निर्माण	77.07
6.	लघु लिफ्ट सिंचाई-रेरुआ, चारी और नेवालगंज पम्प नहरों की क्षमता बढ़ाना	119.87
7.	बाईं कर्मनाशा नहर प्रणाली और सिधाना रजवाहा का उन्नयन	106.98
	कुल	609.80

उपरोक्त सभी कार्य तीन वर्षों की परियोजना अवधि के भीतर पूरा किये जाने का कार्यक्रम है।

रेड आयल पाम का पौध-रोपण

3063. श्री मनोरंजन भक्त: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में रेड आयल पाम के पौध-रोपण हेतु आरक्षित क्षेत्र को अनारक्षित करने हेतु कोई विशिष्ट नीति बनाई है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक द्वीप से संबंधित ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान रेड आयल पाम के पौध रोपण हेतु केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत तथा जारी की गई धनराशि और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह प्रशासन द्वारा वास्तव में खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) और (ख) संघ सरकार ने अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में रेड आयल पाम पौधे लगाने के लिए संरक्षित वन क्षेत्र को अनारक्षित करने के लिए कोई विशिष्ट नीति तैयार नहीं की है।

(ग) संघ सरकार ने अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में रेड आयल पाम पौधे लगाने के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष के दौरान कोई राशि स्वीकृत और जारी नहीं की है।

[हिन्दी]

झारखंड की उत्तर कोयल तथा बटानी परियोजनाएं

3064. श्री चन्द्र शेखर दूबे: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने उत्तर कोयल तथा बटानी परियोजनाओं का प्रबंधन एवं नियंत्रण बिहार सरकार को सौंपने की अधिसूचना जारी कर दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या झारखंड सरकार ने केन्द्र सरकार से पूर्व में जारी अधिसूचना को रद्द करने तथा उत्तर कोयल तथा बटानी परियोजनाओं के "मुख्य कार्यों" का प्रबंधन एवं नियंत्रण झारखंड सरकार को सौंपने का अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में अन्तिम निर्णय कब तक ले लिये जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) से (ग) बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 में गंगा और इसकी वितरिकाओं तथा सोन एवं इसकी वितरिकाओं से संबंधित जल संसाधन परियोजनाओं के प्रशासन, निर्माण, रखरखाव एवं प्रचालन के लिए गंगा एवं सोन प्रबंधन बोर्ड के गठन का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त इस अधिनियम की धारा 63 में यह व्यवस्था है कि इस अधिनियम के भाग-II के प्रावधान के अनुसार किसी क्षेत्र को की जाने वाली जल आपूर्ति संबंधी व्यवस्था में संशोधन से किसी अन्य क्षेत्र को इस कारण से नुकसान न हो कि वह आवाह क्षेत्र, जलाशयों और जल आपूर्ति संबंधी अन्य कार्यों, जैसी भी स्थिति हो, वाले राज्य से बाहर स्थिति है। अत: इस अधिनियम की धारा 63 के तहत 14 नवम्बर, 2000 को उत्तर कोयल और बताने जलाशय परियोजनाओं सहित 7 जल संसाधन परियोजनाओं के संबंध में उत्तरवर्ती राज्य बिहार और झारखण्ड के लिए जल आपूर्ति से संबंधित मौजूदा व्यवस्था को जारी रखने के हित में एक अधिसूचना जारी की गई थी। मौजूदा व्यवस्था को तब तक जारी रखा जाना था जब तक कि गंगा और सोन प्रबन्धन बोर्ड कार्य करना शुरू नहीं कर देता अथवा कोई अन्य उपयुक्त व्यवस्था नहीं की जाती।

झारखण्ड राज्य सरकार ने नवंबर, 2000 की मौजूदा अधिसूचना में संशोधन करते हुए उत्तर कोयल और बताने जलाशय परियोजना का दायित्व झारखण्ड सरकार को हस्तांतरित करने का अनुरोध किया है। जल संसाधन मंत्रालय ने 22 सितम्बर, 2004 को झारखण्ड और बिहार राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ एक अन्तर-राज्यीय बैठक आयोजित की जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ झारखण्ड के उत्तर-कोयल और बताने जलाशय परियोजनाओं के निर्माण तथा प्रबंधन पर विचार-विमर्श किया गया। इस बैठक में केन्द्रीय जल आयोग द्वारा तैयार किए गए दिशा निर्देशों के अनुसार दोनों राज्यों के प्रतिनिधियों ने इन परियोजनाओं की लागत और लाभ में हिस्सेदारी के लिए तथा बिहार की ओर से झारखण्ड राज्य द्वारा मुख्य कार्यों का निर्माण एक डिपोजिट कार्य के रूप में करने के लिए भी सहमति जतायी। पहले की अधिसूचना को रद्द करना बिहार और झारखण्ड की सहमति प्राप्त होने पर निर्भर करता है।

[अनुवाद]

आन्ध्र प्रदेश में नेहरू युवा केन्द्र

3065. श्री मधुसूदन रेड्डी: क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में आन्ध्र प्रदेश में विशेषकर तेलंगाना क्षेत्र में कार्यरत नेहरू युवा केन्द्रों (एन.वाई.के.) की संख्या कितनी है;

(ख) क्या इनके कार्यकलापों का मूल्यांकन किया है;

(ग) यदि हां, तो इन केन्द्रों ने लक्ष्य हासिल कर लिए हैं;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान इन नेहरू युवा केन्द्रों पर कितनी धनराशि खर्च की गई?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री सुशील दत्त): (क) आन्ध्र प्रदेश में 23 नेहरू युवा केन्द्र (एन.वाई.के.) कार्यरत हैं इनमें से 12 केन्द्र तेलंगाना क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं।

(ख) जी, हां। देश में कार्यक्रमों की नियमित निगरानी और आवधिक मूल्यांकन प्रारंभ कर दिया गया है।

(ग) जी, हां।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान इन 23 नेहरू युवा केन्द्र पर खर्च की गई राशि संलग्न विवरण में दर्शायी गई है।

विवरण

गत तीन वर्षों के दौरान आन्ध्र प्रदेश में नेहरू युवा केन्द्रों पर खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा

(रकम रुपयों में)

नाम	2001-2002	2002-2003	2003-2004
1	2	3	4
अनंतपुर	1015861	1840463	959896
विजयवाड़ा	476371	564881	544527
चित्तोड़	783046	837358	1021240
गुडप्पा	405147	467210	906396
गुंटुर	482675	569824	503124
काकीनाडा	1620484	1871998	775185
करीमनगर	1511151	1866272	516454
खम्माम	526356	821214	614022
कुरनूल	676374	693111	705307
मेहबूबनगर	689341	2010463	913850
निजामाबाद	426374	1112418	671036
सिद्दीपेट	569493	777978	531783
श्रीकाकुलम	902213	736501	731930

1	2	3	4
विशाखापटनम	1751178	1934365	1402598
आदिलाबाद	431940	417509	458942
विजयनगरम	516319	1242676	469851
नेल्लौर	608490	450228	616592
वारांगल	442924	495739	1285812
हैदराबाद	1709976	1984461	624618
नालगोण्डा	500747	770576	716942
एलुरू	588916	1045119	710994
ओंगोले	465983	217488	598523
रंगारेड्डी	535627	3737217	2367985

बाल श्रम उन्मूलन

3066. **श्री दुष्यंत सिंह:**
श्री परसुराम माझी:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बाल श्रम नियमों का देश में प्रभावी रूप से क्रियान्वयन नहीं हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो बाल श्रम अधिनियमों के कार्यान्वयन के अनुवीक्षण के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने बाल श्रम करने के लिए बाध्य बच्चों की सहायता एवं पुनर्वास के लिए कोई कार्य योजना बनाई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव): (क) और (ख) 1986 के बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम को संबंधित राज्य सरकारों द्वारा लागू किया जा रहा है तथा केन्द्रीय सरकार इसके क्रियान्वयन की निगरानी करती है और इस अधिनियम के उपबंधों के क्रियान्वयन के संबंध में राज्य सरकारों से अपेक्षित रिपोर्टें प्राप्त करती है।

(ग) और (घ) बाल श्रम की समस्या के समाधान के लिए सतत प्रयासों की आवश्यकता है और सरकार हर प्रकार के बाल श्रम को समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस समस्या के स्वरूप और इसकी व्यापकता को देखते हुए, जोखिमकारी व्यवसायों और प्रक्रियाओं में कार्यरत बच्चों से शुरूआत करते हुए, बाल श्रमिकों को कार्य से हटाने और उनके पुनर्वास हेतु एक क्रमिक और श्रेणीबद्ध दृष्टिकोण अपनाया गया है। बाल श्रम के उन्मूलन हेतु सरकार द्वारा अपनायी गयी कार्ययोजना में विधायी उपाय, बच्चों के लाभार्थ सामान्य विकास कार्यक्रम और बाल श्रम की अधिकता वाले क्षेत्रों में एक परियोजना आधारित कार्य योजना शामिल हैं। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना स्कीम के अंतर्गत, कार्य से हटाए गए बच्चों को विशेष स्कूलों में डाला जाता है। उन्हें प्राथमिकता शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, मध्याह्न भोजन और स्वास्थ्य जांच की सुविधा दी जाती है ताकि उन्हें औपचारिक स्कूल प्रणाली की मुख्यधारा में शामिल करने हेतु तैयार किया जा सके। 9वीं योजना के दौरान राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना स्कीम बाल श्रम की अधिकता वाले 13 राज्यों के 100 जिलों में लागू की गयी थी। 10वीं योजना के दौरान जिलों की संख्या बढ़ाकर अब 20 राज्यों में 250 कर दी गयी है।

दूध के परिरक्षण के लिए हाइड्रोजन परआक्साइड का प्रयोग

3067. **मो. मुकीम:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खाद्य पदार्थों जैसे दूध के परिरक्षण के लिए हाइड्रोजन परआक्साइड के प्रयोग पर प्रतिबंध है चूंकि इससे विटामिन तथा अन्यत आवश्यक तत्व नष्ट होते हैं;

(ख) क्या सरकारी तथा निजी क्षेत्र के बहुत से बड़े तथा लघु दुग्ध उत्पादक एवं डेयरी सहकारी समितियां दूध के परिरक्षण विशेषकर टैंकरों में लम्बी दूर तक परिवहन के लिए हाइड्रोजन परआक्साइड का प्रयोग अभी भी कर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अमूल जैसी वृहद दुग्ध सहकारी समिति भी अपने प्रचालन से इस घातक अवैध परिरक्षण का प्रयोग कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (घ) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने सूचित किया है कि खाद्य अपमिश्रण रोकथाम अधिनियम, 1955 के नियम 44(1) के अंतर्गत ऐसे दुग्ध एवं किसी दुग्ध उत्पाद की बिक्री प्रतिबंधित है जिसमें नियमों में व्यवस्थित वस्तुओं के अलावा दूध में न पाए जाने वाले तत्व शामिल हों। खाद्य अपमिश्रण रोकथाम अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के अंतर्गत दूध के संरक्षण के लिए हाईड्रोजन परआक्साइड के प्रयोग की अनुमति नहीं दी जाती है। दूध के संरक्षण के लिए हाईड्रोजन परआक्साइड के प्रयोग से संबंधित कोई भी मामला भारत सरकार के ध्यान में नहीं लाया गया है।

होटल प्रबंधन पाठ्यक्रमों के संस्थान

3068. श्री नवीन जिन्दल: क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में होटल प्रबंधन पाठ्यक्रम चलाने वाले संस्थानों की संख्या कितनी है;

(ख) इन संस्थानों में अधिक विद्यार्थी आकर्षित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) रोजगार सृजन में ये संस्थान किस प्रकार योगदान दे रहे हैं?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) राष्ट्रीय होटल प्रबंध एवं केटरिंग तकनालाजी परिषद् से सम्बद्ध होटल प्रबंधन पाठ्यक्रम चलाने वाले संस्थानों की संख्या निम्न प्रकार हैं:

- पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन इक्कीस होटल प्रबंध संस्थान।
- राज्य सरकारों के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन तीन होटल प्रबंध संस्थान तथा छह भोजन कला संस्थान।

(ख) डिग्री कार्यक्रम में प्रवेश के लिए, परिषद केन्द्रीकृत रूप से अखिल भारतीय संस्थान प्रवेश परीक्षण कराने को अधिसूचित करती है। पिछले 2 वर्षों में इस पाठ्यक्रम के प्रति रूझान बढ़ा है तथा उम्मीदवारों की संख्या 15653 से बढ़कर 17417 हो गई है। विस्तृत प्रचार के लिए मुख्य समाचार पत्रों तथा परिषद् के वेबसाइट में प्रवेश सूचना के विज्ञापन ने, विवेकी युवकों में आतिथ्य पाठ्यक्रमों की दृष्टिगोचरता को बढ़ाया है।

(ग) इन संस्थानों द्वारा प्रशिक्षित जनशक्ति को उद्योग में तुरंत रोजगार उपलब्ध हो जाता है, और इस प्रकार यह देश के बढ़ते आतिथ्य उद्योग द्वारा सृजित रोजगार के अवसरों में योगदान देता है।

[हिन्दी]

फ्लाई एश के दुष्प्रभाव

3069. श्री किशन सिंह सांगवान:
श्री कैलाश मेघवाल:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आवासों के निर्माण में फ्लाई एश के प्रयोग से पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई सर्वेक्षण करवाया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस सम्बन्ध में सरकार को कोई नोटिस जारी किया है; और

(च) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) भाभा आणविक अनुसंधान केन्द्र द्वारा किए गए अध्ययन से यह पता चलता है कि 74 से 159 के बीच बीक्वीरील्स प्रति क्यूबिक मीटर फ्लाई ऐश ईंटों से बने कमरों में राडोन की सान्द्रता पाई गई है। यह भाभा आणविक विनियामक बोर्ड द्वारा निर्धारित 1000 बीक्वीरील्स प्रति क्यूबिक मीटर की सीमा से बहुत कम है।

(ङ) माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने चल रही जनहित याचिका में अंतरित आवेदन के उत्तर में भारत सरकार को नोटिस जारी किया है।

(च) सरकार ने उक्त के उत्तर में एक शपथपत्र दाखिल किया है जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कुरूक्षेत्र द्वारा हाल ही में किए गए अध्ययन से यह पता चलता है कि राडोन की सान्द्रता आणविक ऊर्जा विनियामक बोर्ड द्वारा अनुमत सीमा से बहुत कम है। इसके अतिरिक्त यह भी कहा गया था कि आणविक ऊर्जा विनियामक बोर्ड ने निर्माण सामग्री के रूप में भी फ्लाई ऐश के प्रयोग की अनुमति दी है।

[हिन्दी]

चम्बल बेसिन में खेती

3070. श्री कृष्णा मुरारी मोघे: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को चम्बल बेसिन में बीहड़ों को कृषि योग्य बनाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार से 400 करोड़ रुपये का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह प्रस्ताव कब तक अनुमोदित हो जाने की सम्भावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (ग) "चम्बल घाटी में दरों के सुधार हेतु एक जैन्डर अवेयर पनधारा दृष्टिकोण" संबंधी परियोजना प्रस्ताव 400 करोड़ रुपए की लागत से 2 लाख हैक्टेयर क्षेत्र के सुधार हेतु मध्य प्रदेश सरकार से प्राप्त हुआ था। इस प्रस्ताव की जांच की गई और इसे योजना आयोग को अग्रेषित किया गया है। मध्य प्रदेश सरकार से अनुरोध किया गया है कि वे योजना आयोग की टिप्पणियों के आधार पर प्रस्ताव को संशोधित करें और संशोधित प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

रायगढ़, महाराष्ट्र में माथेरान रोपवे परियोजना का निर्माण

3071. श्री संजय धोत्रे: क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को महाराष्ट्र सरकार से महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में माथेरान रोपवे परियोजना के निर्माण हेतु अनुमोदन के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव कब तक अनुमोदित हो जाने की संभावना है?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

कृषि-निर्यात जोनों की स्थापना

3072. श्री हरिभाऊ राठौड़: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने कृषि-निर्यात जोन की स्थापना के लिए अनुमोदन मांगा है; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र से कुल कितनी मात्रा में अंगूर तथा अंगूर की शराब का निर्यात किया गया तथा इससे कुल कितना राजस्व अर्जित हुआ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) महाराष्ट्र राज्य में कृषि निर्यात जोनों की सूची संलग्न विवरण-I में दी गई है। अंगूरों और अंगूर की शराब (ग्रेपवाइन) का निर्यात मुक्त है। केंद्र सरकार इन मदों का निर्यात सीधे नहीं कर रही है। वाणिज्यिक आसूचना व सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआई एण्ड एस) द्वारा राज्यवार निर्यात आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत से अंगूर व ग्रेपवाइन का निर्यात संलग्न विवरण-II में दर्शाया गया है।

विवरण I

क्र.सं.	उत्पाद	राज्य	जिला/क्षेत्र
1.	अंगूर व ग्रेपवाइन	महाराष्ट्र	नासिक सांगली, सोलनपुर, सतारा, अहमदनगर
2.	आम	महाराष्ट्र	रत्नागिरी, सिन्धुदुर्ग, रायगढ़ और ठाणे
3.	केसर आम	महाराष्ट्र	औरंगाबाद, बीड, जालन, अहमदनगर एवं लातूर
4.	फूल	महाराष्ट्र	पुणे, नासिक, कोल्हापुर एवं सांगली
5.	प्याज	महाराष्ट्र	नासिक, अहमदनगर, पुणे, सतारा, जलगांव, सोलापुर
6.	अनार	महाराष्ट्र	सोलापुर, शांगली, अहमदनगर, पुणे, नासिक, ओस्मानाबाद व लातूर
7.	केला	महाराष्ट्र	जलगांव, धुले, नादुरबाद, बुलधाना, परभनी, हिन्डोली, नान्देड और वर्धा
8.	संतरा	महाराष्ट्र	नागपुर एवं अमरावती

विवरण II

(मात्रा: मी.टन और कीमत: करोड़ रुपए में)

मद	2001-02		2002-03		2003-04	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
अंगूर	14606	60.21	25681	110.15	26784	105.89
ग्रेपवाइन	-	2.43	-	2.92	-	2.22

स्रोत: अपीडा

भारतीय खेल प्राधिकरण के केन्द्र

3073. श्री संतोष गंगवार: क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में भारतीय खेल प्राधिकरण के केन्द्र किन-किन स्थानों पर कार्यरत हैं;

(ख) इन केन्द्रों पर कौन से खेलों की सुविधाएं उपलब्ध हैं; और

(ग) इन्हें उपयोगी बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री सुनील दत्त): (क) से (ग) भारतीय खेल प्राधिकरण (एस.ए.आई.) के बंगलौर, गांधीनगर, कोलकाता, चण्डीगढ़, भोपाल और इम्फाल में 6 क्षेत्रीय केन्द्र और गुवाहाटी, हजारीबाग, नागरकवायल और लखनऊ में 4 उपकेन्द्र हैं।

भारतीय खेल प्राधिकरण (एस.ए.आई.) इस समय 8-25 वर्ष के आयु वर्ग में विभिन्न खेल विधाओं में प्रतिभा का पता लगाने के लिए पूरे देश में निम्नलिखित खेल संवर्धनकारी योजनाओं को कार्यान्वित कर रहा है ताकि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्टता प्राप्त की जा सके।

1. राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतियोगिता (एन.एस.टी.सी.) योजना के अंतर्गत (8-14 वर्ष)
   83 स्कूल और अपनाए गए
   16 अखाड़े

2. 08 सेना बाल खेल कंपनी (ए.वी.एस.सी.) (8-14 वर्ष)

3. 17 विशेष क्षेत्र खेल (एस.ए.जी.) (14-21 वर्ष)

4. 58 भा.खे.प्रा. प्रशिक्षण केन्द्र (एस.टी.सी.) (14-21 वर्ष)

5. 08 उत्कृष्टता केन्द्र (सी.ओ.एक्स.) (17-25 वर्ष)

भारतीय खेल प्राधिकरण की उपर्युक्त योजनाओं के अंतर्गत, 28 खेल विधाओं में 8-25 वर्ष के आयु वर्ग में प्रतिभावन खिलाड़ियों का चयन, प्रत्येक योजना के लिए अपनाए गए चयन मानदण्ड योजना द्वारा किया जाता है और उन्हें नियमित रूप से खेल प्रशिक्षण देने के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण के केन्द्रों में प्रवेश दिया जाता है। वर्ष 2003-04 के दौरान भारतीय खेल प्राधिकरण के 190 केन्द्रों में प्रत्येक केन्द्र में उपलब्ध खेल अवस्थापना की मदद के साथ कुल 10,046 प्रतिभावन खिलाड़ियों (7292 पुरुष और 2754 महिलाओं) को प्रशिक्षित किया गया था। चालू वर्ष के दौरान, 10 सेना बाल खेल कंपनी स्वीकृत की गई हैं।

इन केन्द्रों में खेल मैदान, जिम्नाजियम, तरणताल, स्वस्थता केन्द्र, चिकित्सा सुविधाओं जैसी इन प्रशिक्षण सुविधाओं में, उनको आबंटित खेल सुविधाओं से संबंधित प्रशिक्षण और वैज्ञानिक समर्थन सुविधाएं प्रदान की जाती है।

भारतीय खेल प्राधिकरण, इन केन्द्रों में अपनी प्रशिक्षण अवस्थापना की सुविधाओं का उन्नयन भी सतत प्रक्रिया के रूप में कर रहा है।

त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत नदियां

3074. **श्री रूपचन्द मुर्मु:** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राज्यों में त्वरित सिंचाई-लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत आने वाली नदियों के नाम क्या हैं;

(ख) क्या केन्द्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई धनराशि को राज्यों द्वारा पूर्णतया उपयोग में लाया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) के अन्तर्गत केन्द्रीय ऋण सहायता (सीएलए) सभी राज्यों की विभिन्न नदियों पर स्थित अनुमोदित निर्माणाधीन वृहद, मध्यम एवं लघु सिंचाई परियोजनाओं के लिए मुहैया कराई जाती है।

(ख) और (ग) किसी भी राज्य सरकार ने सीएलए के रूप में संघ सरकार द्वारा जारी की गई राशि का उपयोग न किए जाने की सूचना नहीं दी है। हालांकि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने 1996-2003 की अवधि को शामिल करते हुए अपनी 2004 की रिपोर्ट संख्या 15 में उल्लेख किया है कि कुछ राज्यों ने एआईबीपी के अन्तर्गत परियोजनाओं को अपने हिस्से में से कम राशि जारी की है। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) के अन्तर्गत केन्द्रीय ऋण सहायता (सीएलए) 2 बराबर किस्तों में जारी की जाती है। मौजूदा एआईबीपी मानकों के अनुसार दूसरी किस्त तभी जारी की जाती है जब राज्य सरकार राज्य के हिस्से सहित पहली किस्त का 70 प्रतिशत व्यय कर लेता है तथा उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर देते हैं। 1 अप्रैल, 2004 से लागू संशोधित दिशा-निर्देशों में यह व्यवस्था है कि राज्य सरकार को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वित्त मंत्रालय द्वारा सीएलए जारी करने से पन्द्रह दिनों के अन्दर यह परियोजना प्राधिकरण को मुहैया करा दी जाए।

चीनी उद्योग क्षेत्र को अर्थक्षम बनाना

3075. **श्री आलोक कुमार मेहता:**
श्री सीता राम यादव:
श्री मोहन रावले:
श्रीमती कल्पना रमेश नरहिरे:
श्री हरिकेवल प्रसाद:
श्री बालासाहिब विखे पाटील:
श्री इकबाल अहमद सरडगी:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने चीनी उद्योग और गन्ना क्षेत्र के लिए किसी नीति/पैकेज की घोषणा की है अथवा बनाई है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित नीति/पैकेज का ब्यौरा क्या है;

(ग) तत्संबंधी नीति/पैकेज से क्या लाभ प्राप्त होने की संभावना है और इसके कार्यान्वयन के लिए अब तक क्या प्रयास किए गए हैं; और

(घ) इस योजना पर सरकार द्वारा कितनी धनराशि खर्च किए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) से (घ) गन्ना किसानों सहित सभी किसानों के लिए संघ सरकार ने निम्नलिखित पैकेज की घोषणा की है:

(1) छोटे और सीमान्त किसानों के लिए वन टाइम सेटलमेंट स्कीम;

(2) पिछले पांच वर्षों में कम से कम लगातार दो वर्षों तक प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों को राहत देने की विशेष योजना; और

(3) बकायों के मामले में किसानों को राहत देने की योजना।

ये उपाय 31.3.2004 की स्थिति के अनुसार ऋणों पर लागू हैं।

सभी चीनी उत्पादक राज्यों को वर्ष 2002-03 चीनी मौसम के गन्ना मूल्य बकायों का निपटान करने के लिए चीनी कारखानों की मदद हेतु शर्तों के अधीन रहते हुए खुले बाजार से ऋण के जरिए सहायता की पेशकश की गई है। यह सहायता उन राज्यों में स्थित सहकारी और सार्वजनिक क्षेत्र की चीनी मिलों को उपलब्ध होगी, जहां गन्ने के राज्य द्वारा सुझाए गए मूल्यों की पद्धति प्रचलित है। यह सहायता उन राज्यों में सभी चीनी मिलों को उपलब्ध होगी, जहां इस प्रकार की कोई पद्धति प्रचलित नहीं है। तमिलनाडु और महाराष्ट्र राज्यों ने क्रमशः 229.97 करोड़ रुपए और 300 करोड़ रुपए की सहायता का लाभ उठाया है। इसके अलावा नाबार्ड, भारतीय रिजर्व बैंक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम आदि जैसी संबंधित वित्तीय संस्थाएं चीनी उद्योग की ऋण से संबंधित समस्याओं का निरन्तर आधार पर समाधान करती रहती हैं।

नारियल विकास बोर्ड

3076. डा. पी.पी. कोया: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान नारियल विकास बोर्ड द्वारा लक्षद्वीप में किए गए कार्यकलापों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान बोर्ड द्वारा सहायता-प्राप्त लाभार्थियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) लक्षद्वीप, जहां नारियल मुख्य कृषि उत्पाद है, में अपनी गतिविधियों के विस्तार के लिए नारियल विकास बोर्ड की क्या योजनाएं हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार लक्षद्वीप में नारियल विकास बोर्ड का एक कार्यकलाप खोलने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (ग) कृषि मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत नारियल विकास बोर्ड लक्षद्वीप द्वीपसमूह में नारियल प्रौद्योगिकी मिशन सहित भारत में समेकित नारियल उद्योग विकास स्कीम का कार्यान्वयन कर रहा है। पिछले तीन वर्षों के दौरान लक्षद्वीप में नारियल विकास बोर्ड के क्रियाकलापों के कार्यान्वयन के लिए आवंटित एवं निर्मुक्त राशि के ब्यौरे निम्न प्रकार से हैं:

(लाख रुपये में)

वर्ष	आवंटन	निर्मुक्ति
2001-02	21.00	8.50
2002-03	16.40	*
2003-04	8.38	*

*आवंटित राशि लक्षद्वीप प्रशासन से प्रशासनिक अनुमोदन न मिलने के कारण निर्मुक्त नहीं की जा सकी।

चालू वर्ष 2004-05 के दौरान भारत सरकार ने "उच्च मूल्य वाली कृषि" कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए 106.805 लाख रुपए की संस्वीकृति दी है जिसमें लक्षद्वीप द्वीपसमूह में समेकित नारियल विकास कार्यक्रम भी शामिल है।

(घ) और (ङ) वर्तमान में लक्षद्वीप द्वीपसमूह में नारियल विकास बोर्ड का कार्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

कृषि क्षेत्र में विनियामक ढांचा

3077. श्री जी.वी. हर्ष कुमार: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार कृषि क्षेत्र में विनियामक ढांचे की समीक्षा कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) जी हां।

(ख) कृषि क्षेत्र में विनियामक ढांचे की समीक्षा के लिए इस मंत्रालय ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

बीज अधिनियम, 1966 के अंतर्गत अधिसूचित प्रकारों/किस्मों के स्वैच्छिक प्रमाणीकरण और अनिवार्य लेबलीकरण के माध्यम से किसानों को गुणवत्ताप्रद बीजों की बिक्री/वितरण को नियमित किया जाता है। 1966 से बीज क्षेत्र में आए परिवर्तनों के आधार पर वर्तमान बीज अधिनियम, 1966 के स्थान पर एक नई तथा उपयुक्त विधि को लाने का प्रस्ताव किया गया है। बीज विधेयक, 2004 को राज्य सभा में 10.12.2004 को पेश कर दिया गया है।

प्रस्तावित बीज अधिनियम में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित प्रमुख बातें शामिल हैं:

(1) सस्य वैज्ञानिक निष्पादन आंकड़ों के आधार पर किस्मों का अनिवार्य पंजीकरण

(2) आई सी ए आर के केन्द्रों, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों और निजी संगठनों को सस्य वैज्ञानिक परीक्षण करने के लिए अधिमान्य करना;

(3) प्रमाणीकरण के लिए संगठन को अधिमान्यता देना;

(4) किस्मों की राष्ट्रीय पंजिका की व्यवस्था करना;

(5) बीजों के आयात और निर्यात को विनियमित करना;

(6) किसानों को बिना पंजीकरण के अपने बीजों को बचा कर रखने, उपयोग करने, विनिमय करने या बिक्री करने की छूट प्रदान करना;

(7) निजी बीज परीक्षण प्रयोगशालाओं को अधिमान्यता प्रदान करना।

(8) छोटे तथा बड़े अपराधों के लिए दंड बढ़ाना।

(9) जी एम फसलों को विनियमित करने तथा टर्मिनेटेड बीजों पर प्रतिबंध लगाने के प्रावधानों को शामिल करना।

डिस्ट्रक्टिव इन्सेक्टस एण्ड पेस्ट्स एक्ट, 1914 के अंतर्गत जारी किये गये पादप संगरोधक (भारत में आयात का विनियमन) आदेश 2003 के माध्यम से पादप/पादप रोपण सामग्री के आयात को विनियमित किया जाता है। इस आदेश का मूल उद्देश्य आयातित पादप/पादप रोपण सामग्रियों से संबंधित विदेशी कीटों और रोगों का देश में प्रवेश के जोखिम को समाप्त करना जिससे देश के कृषि संसाधनों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। पादप संगरोधन आदेश 2003 को हाल ही में 1 जनवरी, 2004 से लागू किया गया है जिससे पादप, फल और बीज (भारत में आयात का विनियमन) आदेश 1989 समाप्त हो गया है। विश्व व्यापार संगठन की दृष्टि से कृषि की बढ़ती भूमिका और पादप तथा पादप स्वच्छता (एस पी एस) समझौते के प्रावधानों के मद्देनजर विनियामक प्रावधानों में संशोधन किया गया है।

वर्तमान ए पी एम सी अधिनियम के अंतर्गत, केवल राज्य सरकार को ही अधिकार है कि वह अधिसूचित क्षेत्रों में कृषि जिंसों की बाजारों की स्थापना के लिये कार्यवाही शुरू कर सके। प्रसंस्करण उद्योग किसानों से सीधे खरीददारी नहीं कर सकते हैं। किसान अपने उत्पादों को विनिर्माताओं को सीधे नहीं बेच सकते हैं क्योंकि उनके उत्पादों को विनियमित बाजारों के माध्यम से गुजरना होता है। ये प्रतिबंध किसानों, व्यापारियों और उद्योगों को हतोत्साहित करते हैं। इसलिए राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे अपने-अपने ए पी एम सी अधिनियमों में संशोधन करें जिससे कि सीधे विपणन और अनुबंधित खेती को अनुमति दी जा सके और निजी तथा सहकारी क्षेत्रों के बीच प्रतिस्पर्धात्मक बाजारों की स्थापना की जा सके। इस मंत्रालय ने सभी राज्यों को एक माडल ए पी एम सी अधिनियम परिचालित किया है ताकि उनको सुझाये गये सुधारों को क्रियान्वित करने में मार्गदर्शन मिल सके। इस माडल अधिनियम से कोई भी व्यक्ति, उत्पादक या स्थानीय प्राधिकरण किसी क्षेत्र में नये बाजारों की स्थापना कर सकता है, सीधी बिक्री के लिए प्रत्येक खरीद केन्द्रों और किसान बाजारों की स्थापना की अनुमति दी जा सकती है, बाजारों के प्रबंधन और विकास में सार्वजनिक व निजी भागीदारी को बढ़ावा दिया जा सकता है और प्याज, फल, सब्जी, फूल आदि जिंसों के लिए विशेष बाजारों की स्थापना की जा सकती है। इस मामले पर आगे भी 19.11.2004 को हुए राज्यों के मंत्रियों के सम्मेलन में भी चर्चा हुई थी। राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे सम्पूर्ण राष्ट्र/राज्य के हित में तथा उससे भी अधिक किसानों के हित में तीन महीने की अवधि के भीतर अपने-अपने ए पी एम सी अधिनियम में संशोधन की प्रक्रिया पूरी कर ले।

उड़ीसा में समुद्री मत्स्यन को बढ़ावा

3078. श्री सुग्रीव सिंह: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ीसा में समुद्री मत्स्यन को बढ़ावा देने की असीम संभावनाएं हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या पारंपरिक मछुआरे केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं में शामिल हो रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) चालू वित्त वर्ष के दौरान समुद्री मत्स्यन के लिए लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

नवग्रह मंदिरों को पर्यटन वृत में शामिल किया जाना

3079. श्री एस.के. खारवेलथन: क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का नवग्रह मंदिरों तथा तमिलनाडु के तंजावूर जिले में आसपास के महत्वपूर्ण मंदिरों को इनके विकास के लिए इन्हें पर्यटन वृत में शामिल किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, पर्यटन विभाग, तमिलनाडु सरकार ने 50.00 लाख रु. की लागत पर वर्ष 2003-04 में नवग्रह मंदिर पर्यटन वृत का विकास हाथ में लिया है।

मोटी चमड़ी वाले पशुओं की मृत्यु

3080. श्री सुव्रत बोस:
श्री जोवाकिम बखला:
श्री रबेन बर्मन:

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अप्रैल एवं अक्तूबर, 2004 के बीच कर्नाटक के नागरहोल क्षेत्र में सतहत्तर मोटी चमड़ी वाले पशु मृत पाए गए;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले की जांच के लिए कोई जांच आयोग गठित किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा आयोग के निष्कर्ष क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनाराचन मीना): (क) जैसा कि राज्य सरकार ने सूचित किया है, अप्रैल से अक्तूबर, 2004 की अवधि के दौरान नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान से केवल 13 हाथियों की मौत की सूचना मिली है।

(ख) एक हाथी शिकारियों द्वारा मारा गया है। शेष 12 हाथी प्राकृतिक कारणों नामश: वृद्धावस्था, दुर्घटनाओं, बीमारियों इत्यादि से मर गए हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) 13 हाथियों में से, 12 हाथी प्राकृतिक कारणों से मर गए हैं, अत: जांच आयोग के स्थान पर अधिकारियों द्वारा की गई जांच पर्याप्त है।

(च) कर्नाटक वन विभाग ने नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान में शिकार के विरुद्ध शिविर स्थापित किए हैं और फील्ड स्टाफ द्वारा गहन गश्त प्रारंभ कर दी है। वन्य हाथियों में बीमारियों की रोकथाम हेतु सीमांत क्षेत्रों में मवेशियों का टीकाकरण किया जा रहा है। भारत सरकार ने बाघ परियोजना के अंतर्गत, चालू वित्तीय वर्ष के दौरान बाघों और अन्य वन्य पशुओं और उनके पर्यावास की सुरक्षा और प्रबंधन के लिए 150 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की है।

चीनी सहकारिता क्षेत्र के लिए धनराशि

3081. श्री राजेश वर्मा: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश के चीनी सहकारिता समितियों ने केंद्र सरकार से धनराशि प्राप्ति के लिए संपर्क किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) धनराशि कब तक उपलब्ध करा दिए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) से (ग) उत्तर प्रदेश सहित सभी चीनी उत्पादक राज्यों को चीनी मौसम 2002-03 से संबंधित गन्ने के मूल्य की बकाया धनराशि का भुगतान करने के लिए चीनी फैक्ट्रियों की सहायता करने हेतु बाजार उधारियों के

जरिए वित्तीय सहायता की पेशकश की गई है। यह सहायता उन राज्यों में सहकारी और सार्वजनिक क्षेत्रों की मिलों के लिए उपलब्ध होगी जहां गन्ने के राज्य द्वारा सुझाए गए मूल्य की घोषणा करने की पद्धति मौजूद है और ऐसे राज्यों में उन सभी मिलों के लिए होगी जहां ऐसी पद्धति नहीं है बशर्ते वे योजना की शर्तों और निबंधनों की अनुपालना करें। उत्तर प्रदेश सरकार ने योजना के अधीन सहायता प्राप्त करने हेतु अभी तक कोई अनुरोध नहीं किया है।

[हिन्दी]

कृषि में चीन का मॉडल अपनाना

3082. श्री नरेश कुमार कुशवाहा: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार कृषि के विकास के लिए चीन का माडल अपनाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या सरकार ने इस संबंध में राज्य सरकारों से विचार-विमर्श किया है; और

(ङ) यदि हां, तो राज्य सरकारों के क्या विचार हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) कृषि एवं सहकारिता विभाग में कृषि के विकास के लिए चीनी मॉडल को अपनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

विनिवेश से रोजगार पर प्रभाव

3083. श्री अजीत जोगी: क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विनिवेश तथा लघु उद्योगों के बंद हो जाने से बेरोजगारी में वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो कर्मचारियों के कल्याणार्थ रोजगार के अधिक अवसर सृजित करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव): (क) वर्ष 1993-94 तथा 1999-2000 के राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) के सर्वेक्षण परिणाम, सामान्य स्थिति दृष्टिकोण के अनुसार बेरोजगारी में आंशिक वृद्धि दर्शाते हैं। इस वृद्धि का मुख्य कारण अर्थव्यवस्था में रोजगार वृद्धि का श्रम बल वृद्धि के समतुल्य न होना है।

(ख) सरकार का दसवीं योजनावधि के दौरान, 5 करोड़ रोजगार अवसर सृजित करने का लक्ष्य है। इनमें से लगभग 3 करोड़ रोजगार अवसर सामान्य विकास प्रक्रिया के माध्यम से तथा शेष 2 करोड़ कृषि, सिंचाई, कृषि-वानिकी, लघु एवं मझोले उद्यमों, सूचना संचार प्रौद्योगिकी, पर्यटन तथा अन्य सेवाओं पर विशेष बल देने वाले विशेष रोजगार सृजन कार्यक्रमों के माध्यम से सृजित किए जाएंगे।

प्रवासी पक्षियों का संरक्षण

3084. श्री मणि शारेनामे: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि प्रतिवर्ष नवम्बर तथा दिसंबर में टेमेंगलोंग के निकट बराक घाटी में रेड लेग्ड फाल्कन नामक प्रवासी पक्षी आते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या बड़ी संख्या में इन प्रवासी पक्षियों को स्थानीय ग्रामीणों द्वारा मारा जाता है तथा टेमेंगलोंग कस्बे के बाजार में बेचा जाता है;

(ग) यदि हां, तो इन पक्षियों तथा इनके घोसलों के संरक्षण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं तथा इनके संरक्षण के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है;

(घ) क्या सरकार का विचार टेमेंगलोंग के निकट बराक नदी किनारे को पक्षी विहार घोषित करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीणा): (क) और (ख) राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, प्रतिवर्ष टेमेंगलोंग के निकट बराक घाटी में प्रवासी पक्षी आया करते थे। तथापि, इन राज्यों द्वारा इनकी संख्या तथा प्रजातियों के रिकार्ड का कोई रखरखाव नहीं किया जाता है। बाजार में बेचने के लिए पक्षियों की हत्या की रिपोर्टें भी राज्य सरकार को नहीं मिली है।

(ग) पक्षियों तथा उनके पर्यावासों को वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षा प्रदान की जाती है। राज्य सरकारों को उनकी मांग के आधार पर तथा राज्य सरकारों द्वारा प्रति वर्ष दी गई प्रचालन की वार्षिक योजना के आधार पर ''राष्ट्रीय उद्यानों तथा अभयारण्यों का विकास'' नामक केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता मुहैया कराई जाती है।

(घ) और (ङ) बराक नदी के समीप 21 वर्ग किमी. क्षेत्र को वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 की धारा 18 के अंतर्गत पक्षी अभयारण्य अधिसूचित किया गया है।

कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालयों हेतु योजना/कार्यक्रम

3085. श्री अनंत गुढे: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विशेषकर महाराष्ट्र में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और केन्द्र सरकार द्वारा वित्त-पोषित कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालयों के योजनाओं/कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान आबंटित धनराशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उपलब्धियों के मूल्यांकन हेतु वहां कोई तंत्र है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी क्या परिणाम निकले?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) देश के समस्त 38 राज्य कृषि विश्वविद्यालय संबंधित राज्यों के सीधे वित्तीय एवं प्रशासनिक नियंत्रण में हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा अनुसंधान, विस्तार तथा शिक्षा से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं के अंतर्गत इन विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। राज्य कृषि विश्वविद्यालयों को अन्य केन्द्रीय वैज्ञानिक संगठन भी विशिष्ट परियोजनाओं के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करते हैं।

महाराष्ट्र के विश्वविद्यालयों में भा.कृ.अ.प. और केन्द्रीय सरकार द्वारा विभिन्न स्कीमों/कार्यक्रमों के लिए दी जा रही वित्तीय सहायता से संबंधित सूचना विवरण-I के रूप में संलग्न है।

(ख) सूचना विवरण-II में संलग्न है।

(ग) और (घ) विभिन्न प्रणालियों जैसे वार्षिक कार्यशालाएं, वैज्ञानिक पैनल, पंचवर्षीय समीक्षा दलों और इस प्रयोजन से गठित विशिष्ट समितियों द्वारा स्कीमों का नियमित रूप से मूल्यांकन किया जाता है। इनकी सिफारिशों तथा निष्कर्षों को उचित कार्यान्वयन हेतु कार्रवाई करने वाली संस्थाओं को नियमित रूप से भेजा जाता है।

विवरण I

महाराष्ट्र के राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई.सी.ए.आर.) तथा केन्द्र सरकार द्वारा प्रदत्त निधि स्कीमों/कार्यक्रमों पर सूचना

(रु. लाख में)

राज्य कृषि विश्वविद्यालय	स्कीम/कार्यक्रम	तीन वर्षों के लिए आबंटन		
		2002-03	2003-04	2004-05*
1	2	3	4	5
महात्मा फूले कृषि विद्यापीठ, राहूरी	भा.कृ.अ.प. अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजनाएं	640.49	771.66	740.85
	भा.कृ.अ.प. तदर्थ अनुसंधान परियोजना	36.90	57.00	70.84
	भा.कृ.अ.प. राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी परियोजना (एन ए टी पी)	238.48	245.29	70.00

1	2	3	4	5
	कृषि विज्ञान केन्द्र (के वी के)	43.36	28.45	38.90
	शिक्षा एवं भारत सरकार की अन्य स्कीमों के लिए भा.कृ.अ.प. विकास अनुदान एवं	110.43	184.25	210.37
	कुल	1069.66	1286.65	1130.96
डा. बालासाहेब सावंत कोंकण कृषि विद्यापीठ, दपोली जिला, रत्नागिरी	भा.कृ.अ.प. अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजनाएं	155.00	193.83	203.52
	भा.कृ.अ.प. तदर्थ अनुसंधान परियोजना	9.40	19.69	20.67
	भा.कृ.अ.प. राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी परियोजना (एन ए टी पी)	61.68	168.89	50.96
	कृषि विज्ञान केन्द्र (के वी के)	26.20	29.59	74.80
	शिक्षा के अनुसार भा.कृ.अ.प. विकास अनुदान	155.10	103.00	70.00
	भारत सरकार की अन्य स्कीमें	31.06	24.11	29.22
	कुल	438.44	539.11	449.17
मराठवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय, परभनी	भा.कृ.अ.प. अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजनाएं	319.23	326.59	345.85
	भा.कृ.अ.प. तदर्थ अनुसंधान परियोजना	214.40	158.71	118.03
	भा.कृ.अ.प. राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी परियोजना (एन ए टी पी)	193.20	178.13	150.71
	कृषि विज्ञान केन्द्र (के वी के)	70.39	25.67	7 .80
	शिक्षा एवं भारत सरकार की अन्य स्कीमों के लिए भा.कृ.अ.प. विकास अनुदान	47.23	57.20	3.65
	कुल	844.45	746.30	732.04
महाराष्ट्र पशु विज्ञान एवं मात्स्यिकी विज्ञान विश्वविद्यालय, नागपुर	भा.कृ.अ.प. अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजनाएं	15.00	19.52	8.18
	भा.कृ.अ.प. तदर्थ अनुसंधान परियोजना	16.27	39.77	90.56
	भा.कृ.अ.प. राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी परियोजना (एन ए टी पी)	257.37	180.47	57.61

1	2	3	4	5
	शिक्षा के लिए भा.कृ.अ.प. विकास अनुदान	—	—	74.00
	कुल	306.64	239.76	230.35
डा. पंजाबराव देशमुख कृषि विश्वविद्यालय, अकोला	भा.कृ.अ.प. अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजनाएं	313.12	340.69	180.39
	भा.कृ.अ.प. तदर्थ अनुसंधान परियोजना	12.15	6.18	1.84
	भा.कृ.अ.प. राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी परियोजना (एन ए टी पी)	132.97	160.35	79.06
	कृषि विज्ञान केन्द्र (के वी के)	7.26	44.14	144.60
	शिक्षा सहित भारत सरकार की अन्य स्कीमों के लिए भा.कृ.अ.प. विकास अनुदान	34.64	224.05	110.72
	कुल	500.14	775.41	516.61
कुल योग		3159.33	3587.23	3059.13

*यह सूचना नवम्बर, 2004 तक है।

विवरण II

*देश के अन्य राज्यों में स्थित राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा प्रदत्त निधि की सूचना**

(रु. मिलियन में)

क्र.सं.	राज्य	आबंटित निधियां		
		2000-01	2001-02	2002-03
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	175.04	187.00	199.15
2.	असम	202.44	123.80	90.61
3.	बिहार	91.09	**	**
4.	छत्तीसगढ़	42.18	55.44	55.84
5.	गुजरात	282.57	160.89	163.26
6.	हरियाणा	239.93	185.89	128.12
7.	हिमाचल प्रदेश	103.01	116.39	116.73

1	2	3	4	5
8.	जम्मू-कश्मीर	36.25	20.46	**
9.	झारखंड	45.71	47.88	52.75
10.	कर्नाटक	253.55	181.97	240.01
11.	केरल	237.20	108.00	100.48
12.	मध्य प्रदेश	126.55	141.96	164.31
13.	उड़ीसा	101.08	176.86	129.59
14.	पंजाब	195.00	254.50	238.20
15.	राजस्थान	396.87	247.90	261.12
16.	तमिलनाडु	186.15	169.88	181.96
17.	उत्तर प्रदेश	137.71	110.85	104.40
18.	उत्तरांचल	214.25	123.12	115.55
19.	पश्चिम बंगाल	55.61	58.47	**
20.	असम के अलावा अन्य उत्तर पूर्वी राज्य	180.00	194.50	179.20

*स्रोत एग्रीकल्चरल रिसर्च डाटा बुक, 2004, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, लाईब्रेरी एवेन्यू, नई दिल्ली-110012 द्वारा प्रकाशित।
**स्रोत द्वारा आंकड़े प्रदान नहीं किये गए।

कृषि का वृहत प्रबंधन

3086. श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कृषि के वृहत प्रबंधन (एम एम ए) के अंतर्गत महाराष्ट्र में नदी घाटी परियोजनाओं के आवाह क्षेत्र तथा बाढ़ प्रवण नदियों में मृदा संरक्षण के केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रम कार्यन्वित किए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो गत पांच वर्षों के दौरान महाराष्ट्र को एम एम ए के अंतर्गत इस कार्यक्रम के लिए निधियों का वर्ष-वार आबंटन क्या है;

(ग) क्या इस प्रयोजनार्थ आबंटन कम हो रहा है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या महाराष्ट्र सरकार ने चालू वर्ष के दौरान एमएमए के अंतर्गत इस कार्यक्रम के लिए अतिरिक्त धनराशि की मांग की है; और

(च) यदि हां, तो इस कार्यक्रम के लिए एमएमए के अंतर्गत अतिरिक्त धनराशि की मांग को पूरा करनें के लिए, केन्द्र सरकार तथा महाराष्ट्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (घ) नदी घाटी परियोजना और बाढ़ प्रवण नदियों के स्रवण क्षेत्रों से अपरदित भूमि की उत्पादकता में सुधार लाने संबंधी केन्द्रीय प्रायोजित मृदा संरक्षण कार्यक्रम (आर वी पी एवं एफ पी आर) को नवम्बर, 2000 से महाराष्ट्र सहित पूरे देश में कृषि संबंधी वृहद् प्रबंधन (एम एम ए) के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है। कृषि के बृहद प्रबंधन के लागू कर दिये जाने

से राज्य सरकारें इसके (एम एम ए के) अंतर्गत कवर किए जाने वाले विभिन्न कार्यक्रमों/स्कीमों के लिये धन आवंटित करती हैं जिसमें आर वी पी और एफ पी आर भी आती हैं जोकि एमएमए के अंतर्गत किये जाने वाले कुल आवंटन के अंतर्गत ही आती हैं।

पिछले 4 वर्षों (2000-01 से 2003-04) के दौरान, महाराष्ट्र के राज्य कृषि विभाग ने आर.वी.पी. और एफ.पी.आर. कार्यक्रम को 34.00 करोड़ रुपये का आवंटन किया है जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

(राशि करोड़ रुपये में)

वर्ष	एम एम ए* के अंतर्गत आवंटन	आर वी पी एवं एफ पी आर के अंतर्गत आवंटन
2000-01	100.00	9.70
2001-02	90.00	8.30
2002-03	82.00	9.00
2003-04	80.00	7.00
कुल	352.00	34.00

*एम एम ए को नवम्बर, 2000 में लागू किया गया था।

वर्ष 2004-05 के दौरान एम एम ए के अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य को 82.00 करोड़ रुपये की धनराशि का आवंटन किया गया है जिसमें से 7.00 करोड़ रुपये राज्य कृषि विभाग ने आर वी पी एवं एफ पी आर के लिए आवंटित किये हैं।

(ङ) और (च) चालू वर्ष के दौरान, महाराष्ट्र राज्य सरकार ने एम एम ए के अंतर्गत आर वी पी एवं एफ पी आर के लिये अतिरिक्त धनराशि की मांग की है। बजट संबंधी अड़चनों के कारण, इस अतिरिक्त धनराशि को उपलब्ध कराना संभव नहीं है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय परियोजना के रूप में पोलावरम परियोजना

3087. श्री एस.पी.वाई. रेड्डी: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को आंध्र प्रदेश सरकार से पोलावरम को एक सष्ट्रीय परियोजना घोषित करने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयप्रकाश नारायण यादव): (क) और (ख) पोलावरम परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित कराने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार से केन्द्र सरकार को हाल में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। हालांकि, जनवरी 2001 में आंध्र प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ने पोलावरम परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित कराने के लिए केन्द्र सरकार से आग्रह किया था। आग्रह की जांच करने के पश्चात् आंध्र प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री को फरवरी, 2001 में सूचित कर दिया गया था कि पोलावरम परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना समझने संबंधी कोई प्रस्ताव नहीं था।

सिंचाई क्षमता

3088. श्री कैलाश मेघवाल: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजस्थान सरकार ने राज्य के टोंक जिले में बिसलपुर सिंचाई परियोजना से सृजित सिंचाई क्षमता का उपयोग करने के संबंध में केन्द्र सरकार को अनुमोदन हेतु प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयप्रकाश नारायण यादव): (क) जी, हां।

(ख) सरकार के निर्णय के अनुसार, राज्य सरकारों से परामर्श करने के पश्चात् केन्द्र प्रायोजित कमान क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन कार्यक्रम के तहत केवल सीमित संख्या में परियोजनाओं को शामिल किया गया है जिसे 1.4.2004 से कार्यान्वित किया गया है। चल रही परियोजनाओं में से जब तक कोई पूरी नहीं कर ली जाती और इस कार्यक्रम से वापस नहीं ले ली जाती तब तक नई परियोजनाओं को शामिल नहीं किया जा सकता।

[अनुवाद]

राज्यों को विश्व बैंक सहायता

3089. श्री वी. विनोद कुमार: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विश्व बैंक द्वारा वर्ष 2004-2005 के दौरान प्रत्येक राज्य सरकार को विशेषकर आंध्र प्रदेश को कृषि के विकास हेतु प्रदान को गई/की जाने वाली वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ख) इससे क्या प्रमुख लाभ मिलने की संभावना है;

(ग) क्या विश्व बैंक ने इस संबंध में कोई शर्त रखी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

मछलियों का उत्पादन

3090. श्री जुएल ओराम:
श्री अनन्त नायक:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान मछलियों के उत्पादन का राज्यवार निर्धारित लक्ष्य तथा वास्तविक उत्पादन क्या है;

(ख) क्या देश में मछलियों के उत्पादन में कमी आई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) मछली उत्पादन के लिए राज्यवार वार्षिक लक्ष्य तैयार नहीं किए जाते हैं। वर्ष 2001-02, 2002-03 तथा 2003-04 के दौरान राज्यवार वास्तविक मछली उत्पादन संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) उक्त (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

('000 टन में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	2001-2002	2002-2003	2003-2004 (अनन्तिम)
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	676.11	827.90	944.64
2.	अरुणाचल प्रदेश	2.60	2.60	2.65
3.	असम	161.45	165.52	181.00
4.	बिहार	240.40	261.00	266.49
5.	गोवा	69.92	76.53	87.36
6.	गुजरात	710.60	777.91	654.62
7.	हरियाणा	34.57	35.18	39.13
8.	हिमाचल प्रदेश	7.22	7.24	6.53
9.	जम्मू और कश्मीर	18.85	19.75	19.75
10.	कर्नाटक	249.61	266.42	257.00
11.	केरल	671.82	678.32	684.7

1	2	3	4	5
12.	मध्य प्रदेश	47.46	42.17	50.82
13.	महाराष्ट्र	537.05	514.10	545.13
14.	मणिपुर	16.45	16.60	17.60
15.	मेघालय	4.97	5.37	5.15
16.	मिजोरम	3.15	3.25	3.38
17.	नागालैंड	5.20	5.50	5.56
18.	उड़ीसा	281.95	287.53	306.9
19.	पंजाब	58.00	66.00	83.65
20.	राजस्थान	14.27	25.60	14.3
21.	सिक्किम	0.14	0.14	0.14
22.	तमिलनाडु	485.00	473.50	474.14
23.	त्रिपुरा	29.45	29.52	17.98
24.	उत्तर प्रदेश	225.37	249.84	267.00
25.	पश्चिम बंगाल	1100.10	1120.00	1169.60
26.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	27.08	28.30	31.15
27.	चंडीगढ़	0.04	0.08	0.08
28.	दादर एवं नगर हवेली	0.05	0.05	0.05
29.	दमन एवं दीव	21.52	11.26	13.77
30.	दिल्ली	3.20	2.25	2.10
31.	लक्षद्वीप	13.65	7.50	10.03
32.	पांडिचेरी	44.50	45.02	48.00
33.	छत्तीसगढ़	95.76	99.80	111.05
34.	उत्तरांचल	6.42	2.55	2.56
35.	झारखंड	101.00	45.38	75.38
	सकल भारत	5955.93	6199.68	6399.39

टिप्पणी: 2003-04 के लिए आंकड़े अनन्तिम हैं।

जल बचाव और जल संरक्षण

3091. श्री हितेन बर्मन: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार जल के प्रयोग तीन क्षेत्रों अर्थात् घरेलू, सिंचाई और औद्योगिक में जल बचाव और जल संरक्षण हेतु मसौदा दिशानिर्देश तैयार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयप्रकाश नारायण यादव): (क) और (ख) जल संसाधन मंत्रालय ने 30 जनवरी, 2004 को नई दिल्ली में जल बचाव और जल संरक्षण के संबंध में एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की। इस कार्यशाला की सिफारिशों के आधार पर, घरेलू, सिंचाई और औद्योगिक उपयोगों को शामिल करते हुए जल बचाव और जल संरक्षण संबंधी एक सामान्य दिशानिर्देश तैयार किया गया है। जल बचाव और जल संरक्षण संबंधी सामान्य दिशानिर्देशों का प्रारूप विभिन्न राज्य सरकारों और केन्द्र सरकार के संबंधित विभागों को उनकी टिप्पणियों/सुझावों के लिए परिचालित कर दिया गया है।

एशियाटिक चीता की क्लोनिंग

3092. श्री दलपत सिंह परस्ते: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लुप्त हो रहे एशियाटिक चीता को क्लोन किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सेंटर फोर सेलूलर एंड मोलेकुलर बायोलाजी के वैज्ञानिक ऐशियाटिक चीते का एक जोड़ा लाने की प्रक्रिया को अंतिम रूप देने के लिए ईरान का दौरा करने हेतु स्वीकृति का इंतजार कर रहे है;

(घ) यदि हां, तो उन्हें कब तक अनुमति मिल जाएगी; और

(ङ) इनकी क्लोनिंग के लिए सरकार की भावी योजना क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) और (ख) एशियाटिक चीता (ऐसिनोमिक्स जुबाटस) जो कभी भारतीय मैदानों में हुआ करते थे, अब हमारे देश में से विलुप्त हो चुके हैं। प्रजातियों के पुनरुत्थान कार्यक्रम में क्लोनिंग भी एक संभावना के रूप में सम्मिलित है।

(ग) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने ईरान का दौरा करने तथा अपने ईरानी प्रतिपक्षयों के साथ वार्ता शुरू करने तथा उस देश में एशियाटिक चीतों के वर्तमान पर्यावासों का अध्ययन करने के लिए विशेषज्ञों की एक टीम का गठन किया है जिसमें सदस्य सचिव, केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, सेंटर फोर सैल्यूलूर एण्ड मोलेकुलर बायोलाजी (सी सी एम बी) से एक वैज्ञानिक, भारतीय वन्य जीव संस्थान से एक वैज्ञानिक और अहमदाबाद चिड़ियाघर के अधीक्षक को शामिल किया गया है। इस स्तर पर एशियाटिक चीतों का एक जोड़ा लाने की कोई योजना नहीं है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

इंडोर वायु प्रदूषण

3093. श्री ए.के. मूर्ति: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत में घरों में ऊर्जा उपयोग से इंडोर वायु प्रदूषण को कम करने के लिए समुदाय आधारित कार्यक्रमों के लिए संयुक्त राज्य अमरीका ने 230000 डालर का अनुदान दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रस्तावित अनुदान को किस तरह उपयोग में लाया जाएगा तथा उन स्थानों को ब्यौरा क्या है जहां इसका उपयोग किया जाएगा?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) से (ग) भारत में इंडोर वायु प्रदूषण के संबंध में यूनाइटेड स्टेट्स एशिया एवनायरनमेंटल पार्टनरशिप (यू एस ए ई पी) के अनुसार लगभग 2,32,351 अमरीकी डालर हाल ही में मंजूर किए गए हैं। डेवलपमेंट आल्टरनेटिव्स और एप्रोप्रिएट रूरल टेक्नोलाजी संस्थान द्वारा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के ग्रामीण/अर्द्धशहरी क्षेत्रों में इन परियोजनाओं को कार्यान्वित किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावों में जो परिकल्पना की गई है उनमें शामिल हैं ईंधन से जलने वाले उन्नत स्टोव, जागरूकता पैदा करने के लिए सामाजिक विपणन अभियान को कार्यान्वित करने को बहुविध स्टेक होल्डरों को शामिल करना, डिजाइनिंग और मानकीकरण समेत कम्पैक्ट बायो गैस सिस्टम की फील्ड जांच करना।

[हिन्दी]

रिक्त पद

3094. श्री बालेश्वर यादव: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उपभोक्ता फोरमों के अध्यक्ष तथा सदस्यों के पद रिक्त पड़े हैं और कुछ राज्यों में जिला फोरमों में बुनियादी सुविधाओं की कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन): (क) से (ग) राज्य आयोगों और जिला मंचों में अध्यक्षों/सदस्यों के रिक्त पदों के संबंध में राष्ट्रीय आयोग द्वारा उपलब्ध कराई गई राज्यवार सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

जिला मंचों को आधार ढांचा और बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने सहित उनके उचित कार्यकरण की जिम्मेदारी राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की है।

इन एजेंसियों के रिक्त पदों की निगरानी और आधार ढांचे के सुदृढ़ीकरण के लिए उठाए गए कुछ कदम इस प्रकार हैं:-

(1) उपभोक्ता विवाद प्रतितोष एजेंसियों के आधार ढांचे को मजबूत बनाने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों को संबल प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा उन्हें 61.80 करोड़ रुपए का एकबारगी अनुदान मंजूर किया गया है। केंद्र सरकार स्कीम के अनुसार आधार-ढांचे के विस्तार के लिए इसका इष्टतम उपयोग करने हेतु सरकार पर दबाव डाल रही है।

(2) राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के जरिए अध्यक्षों/सदस्यों के रिक्त पदों को भरने सहित उपभोक्ता विवाद प्रतितोष एजेंसियों के कार्यकरण की निगरानी की जाती है।

(3) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से समय-समय पर उपभोक्ता विवाद प्रतितोष एजेंसियों में अध्यक्षों/सदस्यों के खाली पदों को भरने के लिए तत्परता से कदम उठाने तथा भावी रिक्त पदों पर अध्यक्ष/सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए उपयुक्त अभ्यर्थियों का एक पैनल तैयार रखने का अनुरोध किया गया है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य	राज्य आयोग		जिला मंच		की स्थिति
		अध्यक्ष	सदस्य	अध्यक्ष	सदस्य	
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	0	0	2	20	30.6.2004
2.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	30.6.2004
3.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	6	30.6.2004
4.	असम	0	1	0	20	30.6.2004
5.	बिहार	0	1	7	20	30.6.2004
6.	चंडीगढ़	0	0	0	0	30.6.2004
7.	छत्तीसगढ़	0	0	0	4	30.6.2004
8.	दादरा व नगर हवेली/दमन व दीव	0	1	0	0	30.6.2004
9.	दिल्ली	0	0	1	4	30.6.2004

1	2	3	4	5	6	7
10.	गोवा	0	0	0	0	30.6.2004
11.	गुजरात	0	0	2	7	30.6.2004
12.	हरियाणा	1	0	1	1	30.9.2004
13.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	1	30.9.2004
14.	जम्मू-कश्मीर	0	0	0	0	31.12.2003
15.	झारखंड	0	0	3	11	30.6.2004
16.	कर्नाटक	0	0	4	1	30.6.2004
17.	केरल	0	1	3	3	30.6.2004
18.	लक्षद्वीप	0	0	1	0	30.9.2004
19.	मध्य प्रदेश	0	0	1	28	30.9.2004
20.	महाराष्ट्र	0	0	0	0	30.9.2004
21.	मणिपुर	1	2	0	0	31.1.2003
22.	मेघालय	0	0	0	0	
23.	मिजोरम	1	0	0	2	30.6.2004
24.	नागालैंड	0	0	0	0	30.6.2004
25.	उड़ीसा	0	0	4	18	30.6.2004
26.	पांडिचेरी	0	1	0	1	30.9.2004
27.	पंजाब	0	0	0	0	30.9.2004
28.	राजस्थान	0	0	2	2	30.6.2004
29.	सिक्किम	0	0	0	0	30.6.2004
30.	तमिलनाडु	0	1	9	9	30.6.2004
31.	त्रिपुरा	0	0	0	0	30.6.2004
32.	उत्तर प्रदेश	0	0	37	80	30.6.2004
33.	उत्तरांचल	0	0	1	6	30.6.2004
34.	पश्चिम बंगाल	0	0	1	1	30.6.2004
	योग	3	8	79	245	

[अनुवाद]

नेफेड के माध्यम से कोपरा की खरीद

3095. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार केरल सरकार के सहयोग से क्रमश: 50-50 प्रतिशत का निवेश करके नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग फेडरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (नेफेड) के माध्यम से कोपरा खरीदने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का आंध्र प्रदेश में यही प्रणाली कार्यान्वित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (ग) कोपरा उन जिन्सों में से एक है जिनके न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम एस पी) सरकार द्वारा घोषित किए जाते हैं। जब कभी मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे आ जाते हैं तो केन्द्रीय अभिकरण के रूप में राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नैफेड) द्वारा मूल्य समर्थन स्कीम (पी एस एस) के अंतर्गत कोपरा की खरीद की जाती है। यदि कोई हानि होती है तो भारत सरकार द्वारा उसे 100 प्रतिशत वहन किया जाता है। जब तक मूल्य स्थिर नहीं हो जाते तब तक अधिप्रापण जारी रहता है। स्कीम पूरे भारत में लागू है।

[हिन्दी]

इलाहाबाद का पर्यटन स्थल के रूप में विकास

3096. श्री अतीक अहमद: क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने इलाहाबाद को एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसे तीर्थ पर्यटन से जोड़ने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) पर्यटक स्थानों का विकास मुख्यतया राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा किया जाता है। तथापि, पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में, उनके परामर्श से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व वाले पर्यटक स्थलों पर पर्यटन परियोजनाएं भी स्वीकृत करता है।

वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान केन्द्रीय वित्तीय सहायता हेतु इलाहाबाद को तीर्थ पर्यटन से जोड़ने का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में पर्यटन का विकास

3097. श्री मणी कुमार सुब्बा: क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम लिमिटेड (एन ई डी एफ आई) ने इस क्षेत्र के दूर-दराज वाले क्षेत्रों में छोटा वायुयान चलाने के लिए 'एयर डेकन' के साथ कोई समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें शामिल किए जाने वाले क्षेत्रों तथा लागत शेयरिंग पैट्रन तथा इसकी समयावधि सहित पर्यटन और अन्य स्थलों का ब्यौरा देते हुए समझौते की शर्तें तथा ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

बागवानी तथा कृषि परियोजनाओं का विकास

3098. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नौवीं तथा दसवीं पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान बागवानी तथा कृषि परियोजनाओं के विकास के लिए आबंटित, जारी तथा उपयोग की गई केंद्रीय निधियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस प्रयोजनार्थ महाराष्ट्र के लिए निधियां बढ़ाने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) विभाग देश में कृषि एवं बागवानी फसलों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए कई स्कीमों का कार्यान्वयन कर रहा है।

नौवीं योजना और दसवीं योजना के प्रथम दो वर्षों के दौरान कृषि, बागवानी एवं अन्य सम्बद्ध क्षेत्रों से संबंधित विभाग की प्लान स्कीमों पर किया गया व्यय और बजटीय परिव्यय नीचे दिया गया है:-

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	बजट प्राक्कलन	व्यय
1997-98	1416.00	1208.00
1998-99	1941.00	1344.00
1999-2000	1941.00	1457.00
2000-01	1950.00	1649.00
2001-02	1970.00	1777.92
2002-03	2167.00	1656.78
2003-04	2167.00	2055.95

(ख) विभाग बागवानी उत्पादन सहित कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र राज्य में कई केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों का कार्यान्वयन कर रहा है। इन स्कीमों के अंतर्गत 2002-03 में 87.83 करोड़ रुपए और 2003-04 में 101.46 करोड़ रुपए महाराष्ट्र राज्य को निर्मुक्त किए गए थे।

निर्माण कार्य में फ्लाई ऐश का अनिवार्य उपयोग

3099. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ताप विद्युत संयंत्र की 100 कि.मी. की परिधि में सभी सड़कों तथा फ्लाईओवरों के इंबैंकमेंट्स के निर्माण में फ्लाई ऐश के प्रयोग को अनिवार्य बना दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो दिल्ली, जहां प्रति माह कुल 160000 मीट्रिक टन फ्लाई ऐश पैदा करने वाले राजघाट, इन्द्रप्रस्थ तथा बदरपुर में तीन संयंत्र हैं, के संबद्ध प्राधिकारियों द्वारा पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के निदेशों को किस हद तक क्रियान्वित किया जा रहा है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना): (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली प्रशासन ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में कार्यरत सभी एजेंसियों को सड़क परियोजनाओं में फ्लाई ऐश का प्रयोग करने के निर्देश दिए हैं। भारतीय विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा मूलचन्द ऊपरीमार्ग के निकट सादिक नगर में बनाए जा रहे ऊपरी मार्ग के रैम्प भाग में फ्लाई ऐश का प्रयोग किया जा रहा है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राष्ट्रीय राजमार्ग-8 पर बन रहे ऊपरी मार्गों के निर्माण में फ्लाई ऐश को प्रयोग करने के लिए आवश्यक कदम उठाने शुरू किए हैं। वर्ष 2003-04 में सड़क भराव और ऊपरी मार्ग निर्माण के लिए लगभग 3,30,000 टन फ्लाई ऐश का प्रयोग किया गया था।

प्राकृतिक आपदा के कारण क्षति

3100. श्री ब्रजेश पाठक: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के अचेपुर गांव में प्राकृतिक आपदा (पेड़ो का गिरना) के कारण हुई क्षति का कोई आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (ग) इस विषय का संबंध गृह मंत्रालय से है और उस मंत्रालय से सूचना एकत्रित की जा रही है।

विभिन्न स्थापनाओं से भविष्य निधि की राशि का भुगतान न किया जाना

3101. श्री विकास चौधरी: क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को विभिन्न स्थापनाओं के कर्मियों की भविष्य निधि की राशि का भुगतान न किए जाने के संबंध में अनेक शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो उन कर्मियों तथा उनके नामितियों की संख्या कितनी है जिन्हें उनकी सेवानिवृत्ति तथा मृत्यु के बाद भुगतान प्राप्त नहीं हुआ है;

(ग) इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार ने संबद्ध कर्मियों को भविष्य निधि तथा पेंशन के शीघ्र भुगतान हेतु क्या कदम उठाए हैं?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव): (क) जी नहीं। सभी प्रकार से पूर्ण दावों का योजना के उपबंधों के अनुसार सामान्य तौर पर 30 दिन के भीतर निपटान कर दिया जाता है। तथापि, नियोजक द्वारा अंशदान जमा न कराने/विवरणी प्रस्तुत न कराने, सदस्यों द्वारा पूरे भरे हुए फार्म प्रस्तुत न करने तथा लम्बी निपटान प्रक्रिया के कारण कतिपय मामलों में विलम्ब होता है।

(ख) और (ग) वर्ष 2003-04 के दौरान, 31.3.2004 की स्थिति के अनुसार सदस्यों/नामितियों द्वारा दायर किए गए कुल 24,57,176 दावों में केवल 59,357 मामले लम्बित थे। चूंकि लगातार दावे प्राप्त होते रहते हैं अत: ऐसे भी मामले होंगे जो किसी निर्धारित समय पर निपटान किए जाने के लिए लम्बित हों।

(घ) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के सभी क्षेत्रीय अधिकारियों को अनुदेश दिए गए हैं कि वे मृत्यु से संबंधित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाएं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, भविष्य निधि तथा पेंशन के मामलों को नियमित रूप से मानीटर कर रहा है।

गुजरात में विशेष पर्यटन जोन

3102. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम: क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को राज्यों में पर्यटन जोन स्थापित करने के लिए गुजरात सहित राज्य सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) से (ग) वेली-कोवलम-पूवार क्षेत्र में विशेष आर्थिक पर्यटन जोन की स्थापना हेतु केरल राज्य सरकार से पर्यटन मंत्रालय में एक संकल्पना प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। तथापि, पर्यटन मंत्रालय में ऐसे जोनों की स्थापना के लिए कोई योजना नहीं है।

पितृ पक्ष मेले को राष्ट्रीय दर्जा

3103. श्री राजेश कुमार मांझी: क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार बिहार में गया के पितृ पक्ष मेले को राष्ट्रीय दर्जा देने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) और (ख) किसी राज्य में आयोजित किसी उत्सव को राष्ट्रीय दर्जा प्रदान करने का पर्यटन मंत्रालय के पास कोई योजना नहीं है।

बागवानी के विकास हेतु निधियां

3104. श्री रघुवीर सिंह कौशल: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बागवानी के विकास के लिए राज्यों को राज्य-वार कितना आबंटन किया गया है;

(ख) क्या राष्ट्रीय बागवानी मिशन ने देश में बागवानी के अंतर्गत क्षेत्र को चिन्हित कर दिया है;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परिषद, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों तथा निजी, सरकारी क्षेत्र के संस्थानों में अनुसंधान कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं;

(ङ) यदि हां, तो अनुसंधान संस्थानों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या उक्त संस्थानों को अनुदान दिया गया है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार तथा संस्थान-वार ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बागवानी के विकास के लिये जिसमें कृषि में वृहत प्रबंध-कार्य योजना के जरिये राज्यों के प्रयासों का सम्पूरण/अनुपूरण, संबंधी केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के तहत कार्यान्वित किये जा रहे बागवानी संबंधी कार्यक्रम शामिल नहीं है, 2105 करोड़ रुपये का कुल आबंटन किया गया है। दसवीं योजना के लिये वृहत प्रबंधन स्कीम के लिये 4313.00 करोड़ रु. का आबंटन किया गया है जिसमें से 25% की राशि बागवानी के विकास पर खर्च किये जाने की आशा है। तथापि, 10वीं योजना के लिये राज्यवार आबंटन नहीं किया गया है।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय बागवानी मिशन मौजूदा क्षेत्र और क्षमता पर उचित तरीके से ध्यान देते हुये बागवानी के विकास के लिये एक समूह (क्लस्टर्ड) पद्धति अपनाने का प्रस्ताव करता है। देश के विभिन्न राज्यों में बागवानी के तहत क्षेत्र के संबंध में उपलब्ध जानकारी संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(घ) और (ङ) फल संबंधी फसलों, सब्जी फसलों, आलू तथा अन्य कन्द फसलों, पुष्प कृषि तथा औषधीय पादपों, रोपणी फसलों तथा मसालों से संबंधित अनुसंधान कार्यक्रम भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तहत संस्थानों, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों तथा सार्वजनिक व निजी क्षेत्र के संस्थानों के जरिये संचालित किये जा रहे हैं, जो स्थान विशिष्ट अनुसंधान में भी लगे हुये हैं। अनुसंधान संस्थानों/राज्य कृषि विश्वविद्यालयों की सूची संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(च) और (छ) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा बागवानी पर अनुसंधान के लिये आबंटित किये गये कोष का राज्यवार तथा संस्थानवार ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

विवरण I

विगत तीन वर्षों के दौरान फलों व सब्जियों के तहत राज्यवार क्षेत्र

(क्षेत्र 000 हैक्टेयर में)

	2000-01	2001-02	2002-03
	1	2	3
अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	6.8	6.8	7.3
आंध्र प्रदेश	697.9	798.3	822.9
अरुणाचल प्रदेश	72.1	62.4	61.3
असम	345.3	348.2	323.8
बिहार	976.2	851.2	904.7
चंडीगढ़	0.2	0.2	0.2
छत्तीसगढ़	96.0	118.5	113.1
दादरा व नगर हवेली	2.2	2.2	2.2
दमन व दीव	0.5	0.5	0.5
दिल्ली	114.9	111.1	43.8
गोवा	18.1	18.3	17.2
गुजरात	376.5	381.2	449.6
हरियाणा	172.4	181.7	195.0
हिमाचल प्रदेश	257.8	257.6	209.5
जम्मू-कश्मीर	186.6	193.0	144.5
झारखंड	170.7	190.0	150.9
कर्नाटक	670.6	615.2	609.0
केरल	349.3	348.8	277.0

	1	2	3
लक्षद्वीप	0.5	0.5	0.5
मध्य प्रदेश	301.7	183.0	184.3
महाराष्ट्र	938.3	985.3	991.1
मणिपुर	34.4	36.7	38.3
मेघालय	61.8	59.7	53.4
मिजोरम	25.9	25.8	21.5
नागालैंड	51.6	51.3	15.2
उड़ीसा	917.9	868.4	851.4
पांडिचेरी	4.8	4.8	5.2
पंजाब	165.2	172.5	178.8
राजस्थान	115.1	121.4	112.8
सिक्किम	22.9	26.4	24.0
तमिलनाडु	443.0	441.2	390.1
त्रिपुरा	60.7	59.6	60.0
उत्तर प्रदेश	955.9	1066.2	1133.8
उत्तरांचल	296.6	291.3	126.2
पश्चिम बंगाल	1208.7	1286.6	1360.7
योग	3869.0	4010.2	3787.9

विवरण II

अनुसंधान संस्थानों/राज्य कृषि .विश्वविद्यालयों की सूची

क. अनुसंधान संस्थान

1. फल संबंधी फसलें

- भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, बंगलौर
- केन्द्रीय उपोष्ण कटिबंधीय बागवानी संस्थान, लखनऊ
- केन्द्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पोर्ट ब्लेयर
- केन्द्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, बीकानेर
- केन्द्रीय सम शीतोष्ण बागवानी संस्थान, श्रीनगर
- राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र, त्रिची
- राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केन्द्र, मुजफ्फरपुर
- राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केन्द्र, पूणे
- उष्ण कटिबंधीय फलों पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना, बंगलौर
- उपोष्ण कटिबंधीय फलों पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना, लखनऊ
- शुष्क फलों पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना, बीकानेर

2. सब्जी फसलें

- भारतीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, वाराणसी
- भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, बंगलौर
- राष्ट्रीय खुम्बी अनुसंधान केन्द्र, सोलन
- राष्ट्रीय प्याज व लहसुन अनुसंधान केन्द्र, राजगुरुनगर, पूणे
- सब्जियों संबंधी अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना, वाराणसी
- खुम्बी संबंधी अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना, सोलन
- सब्जी फसलों संबंधी राष्ट्रीय बीज परियोजना, वाराणसी

3. आलू व कंद फसलें

- केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, शिमला
- केन्द्रीय कंद फसल अनुसंधान संस्थान, तिरूवनन्तपुरम
- अखिल भारतीय समन्वित आलू अनुसंधान परियोजना, शिमला
- कन्द फसलों संबंधी अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना, तिरूवनन्तपुरम

4. पुष्प कृषि तथा औषधीय पादप

- भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, बंगलौर
- राष्ट्रीय उद्यान अनुसंधान केन्द्र, पोकयांग
- राष्ट्रीय औषधीय व सुगन्धित पादप अनुसंधान केन्द्र, आनन्द
- पुष्पकृषि संबंधी अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना, नई दिल्ली
- औषधीय तथा सुगन्धित पादपों संबंधी अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना, आनन्द
- पान की बेल से संबंधित अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना, आनन्द

5. रोपणी फसलें

- राष्ट्रीय रोपणी फसल अनुसंधान संस्थान, कासरगोड
- राष्ट्रीय आयल पाम अनुसंधान केन्द्र, पेडावेगी
- पाम संबंधी अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना, कासरगोड
- राष्ट्रीय मसाला अनुसंधान संस्थान, कालीकट
- राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केन्द्र, ताबीजी, अजमेर

ख. राज्य कृषि विश्वविद्यालय

1. आचार्य एन जी रंगा कृषि विश्वविद्यालय, हैदराबाद
2. असम कृषि विश्वविद्यालय, जोरहट
3. विधानचन्द्र कृमि विश्वविद्यालय, नादिया, पश्चिम बंगाल
4. गुजरात कृषि विश्वविद्यालय, आनन्द
5. हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार
6. जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर, मध्य प्रदेश
7. केरल कृषि विश्वविद्यालय, त्रिचूर
8. एन डी कृषि व प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर
9. पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना, पंजाब
10. राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर, राजस्थान
11. राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, बिहार
12. तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर
13. कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, बंगलौर, कर्नाटक
14. डा. वाई.एस. परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, सोलन, शिमला, हिमाचल प्रदेश
15. क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, जोरहट, असम
16. क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, भुवनेश्वर, असम
17. क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, जम्मू
18. जी बी पन्त हिमालयन पर्यावरण एवं विकास संस्थान, अल्मोड़ा (नया)
19. बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, रांची, झारखण्ड

विवरण III

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा बागवानी अनुसंधान के लिये कोष के आवंटन का राज्यवार तथा संस्थानवार ब्यौरा

(लाख रुपये में)

राज्य	10वीं योजना
1	2
कर्नाटक	
आई आई एच आर, बंगलौर	1741.00
उष्णकटिबंधीय फलों पर ए आई सी आर पी	1309.70
काजू संबंधी एन आर सी, पुत्तुर	568.00
ए आई सी आर पी (काजू), पुत्तुर	454.50
कुल	4073.20
उत्तर प्रदेश	
केन्द्रीय उपोष्ण कटिबंधीय बागवानी संस्थान, लखनऊ	1200.00
उपोष्ण कटिबंधीय फलों पर ए आई सी आर पी	820.00
आई आई वी आर, वाराणसी	1380.00
सब्जी विषयक ए आई सी आर पी, वाराणसी	950.00
सब्जी संबंधी एन एस पी, वाराणसी	600.00
कुल	4950.00
महाराष्ट्र	
साइट्रस के लिये एन आर सी, नागपुर	843.00
अंगूर के लिये एन आर सी, पूणे	855.00
प्याज, लहसून के लिये एन आर सी, पूणे	680.00
कुल	2378.00
तमिलनाडु	
केला के लिये एन आर सी, त्रिची	665.00
कुल	665.00
बिहार	
लीची के लिये एन आर सी, मुजफ्फरपुर	870.00
कुल	870.00

1	2
जम्मू व कश्मीर	
केन्द्रीय उष्णकटिबंधीय बागवानी संस्थान, श्रीनगर	1040.00
कुल	1040.00
सिक्किम	
उद्यानों के लिये एन आर सी, पोकयांग	671.00
कुल	671.00
राजस्थान	
केन्द्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, बीकानेर	1180.00
ए आई सी आर पी, शुष्क अंचल	547.00
बीज मसाला संबंधी एन आर सी, अजमेर	620.00
कुल	2347.00
हिमाचल प्रदेश	
केन्द्रीय रोपणी फसल अनुसंधान संस्थान, शिमला	1505.00
आलू संबंधी ए आई सी आर पी, शिमला	701.85
खुम्बी संबंधी एन आर सी, सोलन	540.00
खुम्बी संबंधी ए आई सी आर पी सोलन	350.00
कुल	3096.85
केरल	
केन्द्रीय कन्द फसल अनुसंधान संस्थान, त्रिवेन्द्रम	1000.00
ए आई सी आर पी (कन्द फसले)	337.46
सी पी सी आर आई, कासरगोड	1420.00
पाम संबंधी ए आई सी आर पी, कासरगोड	675.00
भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान, कालीकट	735.00
मसाला संबंधी ए आई सी आर पी, कालीकट	700.00
कुल	4867.46
आंध्र प्रदेश	
आयल पाम के लिये एन आर सी पोडावेगी	749.00
कुल	749.00

1	2
गुजरात	
एम एण्ड ए पी के लिये एन आर सी	1150.00
एम एण्ड ए पी संबंधी नेटवर्क	650.00
बीटल वाइन संबंधी नेटवर्क	450.00
कुल	2250.00
अंडमान व निकोबार	
केन्द्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पोर्टब्लेयर	1450.00
कुल	1450.00
दिल्ली	
पुष्प कृषि संबंधी ए आई सी आर पी	920.78
कुल	920.78

आई आई एच आर - भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान
ए आई सी आर पी - अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना
एन आर सी - राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र
आई आई वी आर - भारतीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान
एन एस पी - राष्ट्रीय बीज परियोजना

नई पर्यावरणीय नीति के मसौदे की आलोचना

3105. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विख्यात पर्यावरणविदों ने नई पर्यावरण नीति के मसौदे की आलोचना की है जैसा कि 2 दिसंबर, 2004 के 'द हिन्दु' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो पर्यावरणविदों द्वारा उठाई गई प्रमुख आपत्तियां कौन सी हैं;

(ग) विशेषज्ञों तथा गैर-सरकारी संगठनों को चर्चा हेतु आमंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं;

(घ) इस विषय पर चर्चा में भाग लेने के लिए अनुमति दिए गए विशेषज्ञों के नाम तथा गैर-सरकारी संगठनों की संख्या कितनी है;

(ङ) क्या पर्यावरणविदों ने दावा किया है कि मसौदे के प्रयास से पर्यावरण की सुरक्षा के लिए बनाई गई पहले की अपर्याप्त तंत्र इससे कमजोर होगी;

(च) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(छ) राष्ट्रीय पर्यावरणीय हितों की रक्षा करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किए जा रहे हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना): (क) जी, हां। जैसा 2 दिसम्बर, 2004 के 'द हिन्दु' में प्रकाशित हुआ है, कुछ पर्यावरणविदों ने राष्ट्रीय पर्यावरण नीति (एन ई पी) के मसौदे की आलोचना की है।

(ख) इन पर्यावरणविदों द्वारा उठाई गई प्रमुख आपत्तियां ये हैं कि एन ई पी के मसौदे को तैयार करने की प्रक्रिया गैर-विचार-विमर्श कर रहा है और मसौदे से ऐसा प्रतीत होता है कि मार्केट व आर्थिक लिखतों से पर्यावरणीय समस्याओं का समाधान किया जाएगा।

(ग) और (घ) तृण मूल स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर के गैर-सरकारी संगठनों (एन जी ओ) से सामुक्त क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के आधार पर विविध हित समूहों के प्रतिनिधियों सहित कुछ विशेषज्ञों/अनुसंधान संस्थानों को राष्ट्रीय पर्यावरण नीति के मसौदे पर चर्चा के लिए आमंत्रित किया गया था। इन आमंत्रित व्यक्तियों/संस्थानों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है। सभी आमंत्रित व्यक्तियों/संस्थानों को चर्चा में भाग लेने के लिए अनुमति किया गया था।

(ङ) जी, हां। कुछ गैर-सरकारी संगठनों ने इस मुद्दे को उठाया है।

(च) और (छ) राष्ट्रीय पर्यावरण नीति का मसौदा संविधान में आदेशित स्वच्छ पर्यावरण की हमारे वचनबद्धता का प्रत्युत्तर है। राष्ट्रीय पर्यावरण नीति को जब अंतिम रूप दिया जाएगा तब वह राष्ट्रीय पर्यावरणीय हितों की रक्षा करने के लिए मौजूदा तंत्र को और अधिक सुदृढ़ बनाएगी।

विवरण

पर्यावरण और वन मंत्रालय (एम ओ ई एफ) में राष्ट्रीय पर्यावरण नीति के मसौदे पर चर्चा के लिए आमंत्रित किए गए गैर-सरकारी संगठनों (एन जी ओ) और विशेषज्ञों/अनुसंधान संस्थानों की सूची

1. सुश्री सुनीता नारायण, पर्यावरण और विज्ञान केन्द्र, नई दिल्ली।
2. डा. अशोक खोसला, डेवलपमेंट आलटरनेटिव, नई दिल्ली।
3. सुश्री वन्दना शिवा, रिसर्च फाउन्डेशन फार साईंस, टैक्नोलाजी एंड इकोलोजी, नई दिल्ली।
4. सुश्री सुमन सहाय, जी ई एन ई कम्पैन, नई दिल्ली।
5. चिंतन, एन्वायरमेंट रिसर्च एंड एक्शन ग्रुप, नई दिल्ली।
6. श्री आर.के. रामचन्द्रन, निदेशक, सोसायटी फार एक्शन रिसर्च आन एप्रोप्रिएट, रायपुर (उ.प्र.)
7. श्री जी.एस. ठाकुर, महासचिव, जम्मू और कश्मीर पर्यावरण और परती भूमि विकास समिति, जम्मू (जम्मू और कश्मीर)
8. सेन्टर फार कन्ज्यूमर एक्शन, रिसर्च एंड ट्रेनिंग (सी यू टी एस), जयपुर (राजस्थान)
9. श्री राजेन्द्र सिंह, निदेशक, कृषि और ग्राम विकास संगठन, जयपुर (राजस्थान)
10. महासचिव, एस ई डब्ल्यू ए सेल्फ इम्प्लाईड वीमेन (एसोसिएशन), अहमदाबाद (गुजरात)
11. डा. नारायण हेगड़े, मैनेजिंग ट्रस्टी और अध्यक्ष, पुणे (महाराष्ट्र)
12. मानद सचिव, बंबई प्राकृतिक इतिहास समिति (बी एन एच एस), मुंबई (महाराष्ट्र)
13. अध्यक्ष, बंबई पर्यावरणीय कार्य ग्रुप (बी ई ए जी), मुम्बई, (महाराष्ट्र)
14. सचिव, फ्रेन्ड्स आफ अर्थ एंड सन्स आफ सायल (एफ ई एस एस), माथेरान, महाराष्ट्र
15. सोसायटी फार प्रमोशन आफ एरिया रिसोर्स सेंटर (एस पी ए आर सी), मुंबई, (महाराष्ट्र)
16. निदेशक, फाउन्डेशन फार रिहेबिलिटेशन आफ लोकल हेल्थ ट्रेडिशन्स (एफ आर एल एच टी), बंगलौर (कर्नाटक)
17. श्री लियो एफ सल्दाना, एनवायरमेंट सपोर्ट ग्रुप, बंगलौर (कर्नाटक)
18. डा. ए. रविन्द्रा अध्यक्ष, सतत विकास केन्द्र, बंगलौर (कर्नाटक)
19. श्री अलोयसियस पी फर्नान्डीज, कार्यकारी निदेशक, बंगलौर (कर्नाटक)
20. डा. जयप्रकाश नारायण, अभियान समन्वयक, लोकसत्ता, हैदराबाद (आंध्र प्रदेश)
21. श्री वेंकट रामनय्या, यूथ फार एक्शन, हैदराबाद (आंध्र प्रदेश)
22. डा. सम्बाशिवराव यारू, एक्शन फार इन्टीग्रेटेड रूरल एंड ट्राईबल डेवलपमेंट सोशल सर्विस सोसायटी, तेनाली (आंध्र प्रदेश)
23. डा. नन्दिता कृष्णा, सी पी आर पर्यावरणीय शिक्षा केन्द्र, चेन्नई (तमिलनाडु)
24. श्री जर्नादन, अध्यक्ष, केरल शास्त्र साहित्य परिषद, त्रिशूर (केरल)
25. श्री बी.के. सेनापति, सचिव उड़ीसा पर्यावरणीय समिति, भुवनेश्वर, (उड़ीसा)
26. स्वामी असकटनंदा, राम कृष्ण मिशन, कोलकाता (पश्चिम बंगाल)

27. श्री तुशार कन्जीलाल, टैगोर ग्रामीण विकास समिति, कोलकाता (पश्चिम बंगाल)

28. श्री अश्नीकुमार मोयरन्गथेरम, सचिव, सेंटर फार सस्टेनेबल सोसायटी, इम्फाल (मणिपुर)

29. महासचिव, असम जनरल साईंस सोसायटी, गुवाहाटी (असम)

30. श्री ए.सी. जोन्यून्माविआ, समन्वयक, पर्यावरण सुरक्षा केन्द्र (सी ई पी), ऐजवाल (मिजोरम)

31. सुश्री केवियु के. येपथोमी, महासचिव, नागालैंड स्वास्थ्य, पर्यावरण और सामाजिक कल्याण संस्थान कोहिमा (नागालैंड)।

32. प्रो. कंचन चोपड़ा, अध्यक्ष इन्स्टीट्यूट आफ इकनोमिक ग्रोथ (आई ई जी), दिल्ली।

33. निदेशक, महिला विकास अध्ययन केन्द्र, नई दिल्ली।

34. निदेशक, नीति अनुसंधान केन्द्र (सी पी आर), नई दिल्ली।

35. निदेशक, राष्ट्रीय शहरी मामले संस्थान (एनआईयू ए), नई दिल्ली।

36. सेक्रेटरी जनरल एंड सी ई ओर, वर्ल्ड वाइल्ड फंड, नई दिल्ली।

37. निदेशक, नेशनल काउन्सिल फार एप्लाईड इकनोमिक रिसर्च, नई दिल्ली।

38. महानिदेशक, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान, नई दिल्ली।

39. नेशनल इन्स्टीट्यूट फार पब्लिक फाईनेंस एंड पालिसी (एन आई पी एफ पी), नई दिल्ली।

40. निदेशक, वाइल्डलाईफ इंस्टीट्यूट आफ इंडिया, देहरादून (उत्तरांचल)।

41. निदेशक, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान (आई आई एफ एम), भोपाल।

42. निदेशक और सदस्य सचिव, ग्रामीण प्रबंधन संघ संस्थान, आनंद।

43. निदेशक, भारतीय प्रबंध संस्थान (आई आई एम), अहमदाबाद।

44. निदेशक, इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान, मुम्बई-400065

45. निदेशक, राष्ट्रीय पर्यावरणीय अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान (एन ई ई आर आई), नागपुर

46. निदेशक, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान, डौना पौला, (गोवा)

47. निदेशक, इन्स्टीट्यूट फार सोशल एंड इकनोमिक चेंज, बंगलौर (कर्नाटक)

48. निदेशक, नेशनल ला स्कूल आफ इंडियन यूनिवर्सिटी, बंगलौर (कर्नाटक)

49. निदेशक, एडमिनिस्ट्रैटिव स्टाफ कालेज आफ इंडिया, (ए एस सी आई), हैदराबाद (आंध्र प्रदेश)

50. महानिदेशक, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान (एन आई आर डी), हैदराबाद (आंध्र प्रदेश)

51. सलीम अली सेंटर फार आर्निथोलोजी एंड नेचुरल हिस्ट्री (एस ए सी ओ एन), कोयम्बटूर।

52. निदेशक, सेंटर फार अर्थ साईंस स्टडीज (सीईएसएस), थिरूवनन्थपुरम (केरल)

53. निदेशक, मद्रास स्कूल आफ इकनोमिक्स, चेन्नई (तमिलनाडु)

54. निदेशक, भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण (बी एस आई), हावड़ा (पश्चिम बंगाल)

55. निदेशक, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण (जेड एस आई), कलकत्ता (पश्चिम बंगाल)

लघु दाल मिलें

3106. प्रो. एम. रामदास: क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में स्थापित लघु दाल मिलों की राज्य-वार संख्या क्या है;

(ख) क्या सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में शीत भण्डारण की जगह वाष्पणिक शीत अथवा जीरो एनर्जी भण्डारण स्थापित करने के लिए पर्याप्त उपाए किए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय): (क) देश में निजी उद्यमियों द्वारा स्थापित लगभग 1000 लघु दाल मिलें हैं। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकीय अनुसंधान

संस्थान से प्राप्त सूचना के अनुसार, इस मंत्रालय की 50% सब्सिडी स्कीम के अंतर्गत और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत लगभग 283 मिनी दाल मिलों की स्थापना की गई है। जिसका ब्यौरा विवरण में संलग्न है।

(ख) और (ग) वाष्पणिक शीत अथवा जीरो इनर्जी शीतागारों की स्थापना संबंधी प्रौद्योगिकी, केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकीय अनुसंधान संस्थान और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जैसे अनुसंधान और विकास संस्थानों के पास उपलब्ध है। यह मंत्रालय स्वयं शीतागारों की स्थापना नहीं करता लेकिन गैर बागवानी आधारित शीतागारों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता देता है। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड ने ग्रामीण क्षेत्रों में पौषणिक उद्यानों की स्थापना संबंधी अपनी स्कीम के तहत वर्ष 2002-03 में वित्तीय सहायता दी है।

विवरण

मंत्रालय और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की वित्तीय सहायता से स्थापित लघु दाल मिलें

1.	आंध्र प्रदेश	–	13
2.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	–	1
3.	असम	–	1
4.	बिहार	–	14
5.	गुजरात	–	6
6.	हरियाणा	–	6
7.	जम्मू एवं कश्मीर	–	6
8.	कर्नाटक	–	23
9.	केरल	–	3
10.	मध्य प्रदेश	–	26
11.	महाराष्ट्र	–	29
12.	मणिपुर	–	7
13.	नागालैण्ड	–	1
14.	उड़ीसा	–	15
15.	पाण्डिचेरी	–	1
16.	पंजाब	–	3
17.	राजस्थान	–	22
18.	सिक्किम	–	1
19.	तमिलनाडु	–	8
20.	उत्तरांचल	–	1
21.	उत्तर प्रदेश	–	88
22.	पश्चिम बंगाल	–	8
	कुल	–	283

[अनुवाद]

आयात शुल्क मुक्त प्रणाली

3107. श्री सुनिल कुमार महतो:
श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा आयात शुल्क मुक्त प्रणाली के कार्यान्वयन के पश्चात् बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा देश में लाए जा रहे खाद्य वस्तुओं से भारतीय किसान प्रभावित हो रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उन खाद्य वस्तुओं के नाम क्या हैं जो उक्त प्रणाली की परिधि में आते हैं;

(ग) क्या सरकार इस प्रणाली पर पुन: विचार करेगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (घ) शुल्क छूट स्कीम के तहत निर्यात उत्पादन के लिये अपेक्षित आदानों के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति है। इन आयातों की अनुमति केवल निर्यात उत्पादन में उपयोग के लिये है तथा पुन: बिक्री के लिये घरेलू बाजार में इसके प्रवेश की अनुमति नहीं है। श्रीलंका के साथ मुक्त व्यापार करार के तहत और नेपाल के साथ संधि के तहत कृषि मदों सहित मदों के शुल्क मुक्त आयात की भी अनुमति है। सरकार को ऐसे अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं जिसमें नेपाल से वनस्पति और श्रीलंका से काली मिर्च के शुल्क मुक्त आयात के प्रतिकूल प्रभाव का उल्लेख किया गया है। नेपाल से शुल्क मुक्त वनस्पति के आयात के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिये 6.3.2002 से कुल मात्रा को केवल 1,00,000 टन प्रति वर्ष तक सीमित कर दिया गया है। काली मिर्च से संबंधित अभ्यावेदनों पर उचित सुधारात्मक उपाय

हेतु, यदि आवश्यक समझा जाता है, सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है।

राज्यों को ई.एफ.सी. अनुदान

3108. श्री सुरेश अंगड़ि: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2002-2003 तथा 2003-2004 के लिए ड्रिफंक्ट लिफ्ट इरिगेशन योजनाओं के पुनरुद्धार हेतु ई.एफ.सी. अनुदान प्राप्त करने/आवंटन प्राप्त राज्यों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक राज्य को कुल कितनी धनराशि जारी की गई;

(ग) ऐसे राज्य कौन से हैं जिन्होंने राशि का बिल्कुल उपयोग नहीं किया है;

(घ) इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सराहनीय कार्य करने वाले तथा ई.एफ.सी. अनुदान का सोच-समझकर उपयोग करने वाले कुछ राज्यों को शेष ई.एफ.सी. अनुदान जारी नहीं किया गया है;

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) सरकार द्वारा ऐसे राज्यों को शेष राशि जारी करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) ग्यारहवें वित्त आयोग ने राज्य की विशेष समस्या के रूप में रुग्ण एवं निष्क्रिय लिफ्ट सिंचाई स्कीम के पुनरुद्धार के लिए कर्नाटक सरकार को 2000-05 के लिए 55 करोड़ रुपये के अनुदान की सिफारिश की है।

(ख) कर्नाटक सरकार को 41.25 करोड़ रुपये की अनुदान राशि जारी की गई है (2000-01 के दौरान 11.06 करोड़ रुपये, 2001-02 के दौरान 11.06 करोड़ रुपये तथा 2004-05 के दौरान आज तक 19.13 करोड़ रुपये)।

(ग) से (छ) कर्नाटक सरकार ने सितंबर 2004 के अंत तक 32.82 करोड़ रुपये अनुदान के उपयोग कर लेने की सूचना दी है। राज्य द्वारा संतोषजनक उपयोग एवं दिशानिर्देश में दी गई अन्य शर्तों के पूरा करने की रिपोर्ट देने पर ही आगे की रकम जारी की जा सकती है। राज्य सरकार द्वारा 31.3.2005 तक अनुदान का उपयोग कर लिया जाना है तथा उपयोग के पश्चात् शेष राशि, यदि कोई हो, को प्रोत्साहन निधि में अंतरित कर दिया जाएगा।

कृषि विश्वविद्यालयों को अनुदान

3109. श्री सी.के. चन्द्रप्पन: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय कृषि विश्वविद्यालय एसोसिएशन ने दसवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान देश के कृषि विश्वविद्यालयों में अनुसंधान एवं शिक्षा को सुदृढ़ करने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) देश के प्रत्येक कृषि विश्वविद्यालय को प्रदान की जाने वाली प्रस्तावित वित्तीय सहायता कितनी है; और

(घ) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिया जायेगा?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) जी हां, भारतीय कृषि विश्वविद्यालय एसोसिएशन ने योजना आयोग को प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया है।

(ख) भारतीय कृषि विश्वविद्यालय एसोसिएशन द्वारा तैयार किए गए तथा योजना आयोग को प्रस्तुत प्रस्ताव के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:

1. ग्रामीण कृषि कार्यदल ने विविध परिदृश्य के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने वाले कार्यक्रम विकसित करना;
2. कृषि समुदाय के सामाजिक-आर्थिक स्तर को ऊंचा उठाने के लिए समेकित अनुसंधान सहित सस्ती प्रौद्योगिकियों का विकास तथा उनका परिष्करण व प्रसार;
3. प्रौद्योगिकीय क्रियाओं के कारगर हस्तांतरण हेतु समन्वित दृष्टिकोण अपनाने के लिए वैज्ञानिक संगठनों, संबंधित विभागों, पंचायती राज संस्थानों, औद्योगिक घरानों के साथ पूर्ववर्ती और भावी (दो तरफा) संपर्क स्थापित करना;
4. गुणवत्ता सुविधाएं मुहैया कराने के लिए आधारभूत ढांचे का विकास।

इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रस्ताव में निम्नलिखित कार्यक्रमों को शामिल किया गया:

1. ग्रामीण रोजगार सृजित करने के लिए पाठ्यक्रम;

2. अभिभाषण के माध्यम से प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए कौशल सशक्तिकरण;

3. संसाधन (लक्ष्यपरक);

4. संसाधनों के विकास और बेहतर सेवाओं के लिए व्यावसायिक कार्यकलाप।

(ग) और (घ) भारतीय कृषि विश्वविद्यालय एसोसिएशन ने विश्वविद्यालयवार वित्त पोषण का प्रस्ताव नहीं है तथा योजना आयोग ने इस उद्देश्य के लिए आवंटन नहीं किया है।

[हिन्दी]

सिंचाई परियोजनाओं हेतु राज्यों को धनराशि

3110. श्री रामदास आठवले: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान से आज तक सिंचाई परियोजनाओं हेतु राज्य सरकारों को जारी की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ख) दिल्ली सहित अन्य राज्य सरकारों द्वारा प्रयुक्त धनराशि कितनी है और उक्त अवधि के दौरान अप्रयुक्त शेष धनराशि वर्ष-वार कितनी है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) सिंचाई परियोजनाओं के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य सरकारों को त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए आई बी पी) के अंतर्गत 8792.185 करोड़ रुपये की केन्द्रीय ऋण सहायता (सी एल ए) तथा 50.50 करोड़ रुपये अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में जारी किए गए।

(ख) ए आई बी पी के अंतर्गत सी एल ए के रूप में सिंचाई परियोजनाओं के लिए जारी राशि में से राज्य सरकारों ने 586.959 करोड़ का उपयोग नहीं किया है। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए आई बी पी) के अंतर्गत केन्द्रीय ऋण सहायता (सीएलए) 2 बराबर किस्तों में जारी की जाती है। एआईबीपी वर्तमान मानकों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा राज्य के हिस्से सहित 70 प्रतिशत व्यय कर लेने तथा उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही दूसरी किस्त जारी की जाती है।

आवश्यक वस्तु अधिनियम

3111. श्री पंकज चौधरी: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार कृषकों एवं व्यापारियों के लाभ हेतु आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के प्रावधानों में छूट देने के लिए किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन): (क) से (ग) जी, नहीं। प्रश्न नहीं उठता। तथापि, विभिन्न कृषि उत्पादों की उपलब्धता में सुधार के परिणामस्वरूप सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत गेहूं, धान/चावल, मोटे अनाज, चीनी, खाद्य तिलहन और खाद्य तेल, दाल, गुड़, गेहूं-उत्पाद (मैदा, रवा, सूजी, आटा, परिणामी आटा और चोकर) तथा हाइड्रोजिनेटेड वनस्पति तेल अथवा वनस्पति जैसे अधिकांश खाद्य पदार्थों पर से लाइसेंसिस अपेक्षाओं, स्टाक सीमाओं और संचलन प्रतिबंधों जैसे नियंत्रणों को वर्ष 2002 और 2003 के दौरान पहले ही हटा दिया है। अब डीलर इन वस्तुओं की स्वतंत्र रूप से कितनी भी मात्रा में खरीद, स्टाक बिक्री, परिवहन, वितरण, निपटान, उपयोग तथा उपभोग कर सकते हैं और उसके लिए उन्हें आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अंतर्गत जारी किसी भी आदेश के तहत परमिट या लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होगी। खाद्यान्नों के मुक्त व्यापार और संचलन की सुविधा मिलने से किसानों को अपने उत्पादों के बेहतर मूल्य मिल सकेंगे, मूल्यें में स्थिरता आ सकेगी और अभावग्रस्त क्षेत्रों में खाद्यान्नों की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी।

[अनुवाद]

तम्बाकू कामगारों की शिकायतें

3112. श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी:
श्री हन्नान मोल्लाह:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अखिल भारतीय बीड़ी, सिगार और तम्बाकू कामगार महासंघ ने अपनी मांगों और शिकायतों के संबंध में सरकार को ज्ञापन दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव): (क) और (ख) जी, हां। ज्ञापन में पूरे देश में एक समान मजदूरी, बीड़ी लपेटने वालों को तेंदू पत्तों और तम्बाकू की पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति आदि जैसे अनेक विषय उठाए गए हैं। यह भी सुझाव दिया गया है कि इन विषयों पर विचार-विमर्श करने के लिए एक त्रिपक्षीय समिति का गठन किया जाए। बीड़ी कामगारों की संयुक्त कार्रवाई समिति ने भी त्रिपक्षीय समिति गठित करने का अनुरोध किया है।

(ग) अखिल भारतीय बीड़ी, सिगार तथा तम्बाकू कामगार महासंघ द्वारा ज्ञापन में उठाए गए कुछ विषयों पर अन्य के साथ बीड़ी कामगार कल्याण निधि संबंधी केन्द्रीय सलाहकार समिति की बैठकों में विचार-विमर्श किया गया है। सरकार, दिए गए सुझाव के अनुसार, त्रिपक्षीय समिति गठित करने की कार्रवाई कर रही है।

तिब्बत झील से भारत को खतरा

3113. **श्री इकबाल अहमद सरडगी:**
श्री रायापति सांबासिवा राव:
श्री एस.के. खारवेनथन:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत के लिए खतरा उत्पन्न करने वाली तिब्बत झील के जल स्तर में कमी आने लगी है;

(ख) यदि हां, तो क्या चीन ने भारत को ल्हासा में बातचीत के लिए आमंत्रित किया है;

(ग) यदि हां, तो क्या विशेषज्ञ दल ने तिब्बत झील का अध्ययन करने के लिए चीन का दौरा किया था;

(घ) यदि हां, तो बातचीत के क्या परिणाम निकले;

(ङ) भविष्य में हमारे, क्षेत्र पर इसके प्रभाव को रोकने के लिए कदम उठाने हेतु भारत किस हद तक सहमत हो गया है;

(च) क्या भारत और चीन के बीच संयुक्त कदम उठाने हेतु कोई समझौता हुआ है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) से (ग) 18-20 सितम्बर, 2004 के दौरान एक भारतीय तकनीकी दल के ल्हासा के दौरे के समय चीन के प्राधिकारियों ने सूचित किया कि 8 जुलाई, 2004 को भूस्खलन द्वारा पारिछू नदी के अवरुद्ध होने के कारण बनी कृत्रिम झील 20 अगस्त, 2004 से कम होनी शुरू हो गई थी।

(घ) विचार-विमर्श के दौरान तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र प्राधिकारी इस बात से सहमत थे कि अगले बाढ़ मौसम की शुरूआत से पहले झील को खाली करने के लिए नियंत्रित रूप से अवरोध हटाने के वास्ते संरचनात्मक उपाय आवश्यक थे और यह कि इस मामले को राजनयिक चैनलों के माध्यम से उनकी केन्द्र सरकार के साथ उठाया जाना चाहिए।

(ङ) से (छ) इस मामले को राजनयिक चैनल के माध्यम से चीन के प्राधिकारियों के साथ उठाया गया और आगे विचार-विमर्श के लिए दिसम्बर, 2004 के अंतिम सप्ताह के दौरान भारतीय दल के बीजिंग दौरे की योजना है।

समेकित खाद्य कानून

3114. **श्री रायापति सांबासिवा राव:**
श्री चन्द्रभूषण सिंह:
श्री इकबाल अहमद सरडगी:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या समेकित खाद्य कानून के लिए कोई योजना सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो क्या विभिन्न मंत्रालयों के अधीन खाद्य संबंधी कानूनों की बहुलता को दूर करने के लिए अप्रैल, 2002 में गठित मंत्री समूह ने हाल ही में इस संबंध में वार्ता की थी;

(ग) यदि हां, तो उक्त वार्ता में किन मुख्य मुद्दों पर चर्चा हुई;

(घ) क्या इस समूह द्वारा खाद्य कानून से संबंधित कोई ठोस रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इसकी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में विधान के कब तक पुर:स्थापित किए जाने की संभावना है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय): (क) से (च) समेकित खाद्य कानून और उससे संबंधित विनियमों को अन्तिम रूप देने के लिए आवश्यक समझे गए विधायी और अन्य परिवर्तन करने के लिए सरकार ने एक ग्रुप आफ मिनिस्टर्स (जी ओ एम) का गठन किया है। इस ग्रुप आफ मिनिस्टर्स ने समेकित खाद्य कानून के मसौदे पर विचार किया है।

यह मामला अभी भी ग्रुप आफ मिनिस्टर्स के विचाराधीन है इसलिए विधान की पुर:स्थापना के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती।

शैलो ट्यूबवैल स्कीम

3115. **श्री सुशील कुमार मोदी:** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा वित्त पोषित बिहार की शैलो ट्यूबवैल स्कीम को क्रियान्वित कर रही है;

(ख) यदि हां, तो यह योजना कब से चल रही है और नाबार्ड द्वारा इसे किस सीमा तक वित्त पोषित किया गया है और इस पर कितना खर्च हुआ है; और

(ग) इस संबंध में क्या लक्ष्य निर्धारित किये गए और कितनी उपलब्धि हासिल की गई?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) यह स्कीम वर्ष 2001-02 से प्रचालन में है। वर्ष 2004-05 तक 3,77,111 ट्यूबवैल सेटों के लक्ष्य की तुलना में अक्तूबर, 2004 की समाप्ति तक 2,23,900 ट्यूबवैल सेटों के लिए बैंकों द्वारा ऋण के रूप में कुल 414.78 करोड़ रुपये की राशि वितरित की गई है। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने अब तक इस कार्यक्रम के तहत भाग लेने वाले बैंकों के लिए 90.001 करोड़ रुपये का पुन: वित्तपोषण किया है और अब तक बैंकों के लिए जारी छूट संबंधी व्यय 199.796 करोड़ रुपये है।

चार्टर नीति में संशोधन

3116. **श्री कीर्ति वर्धन सिंह:**
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:
श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव:
श्री बृज किशोर त्रिपाठी:
श्री असादुद्दीन ओवेसी:

क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में विदेशी पर्यटकों को अनुमति देने के लिए मौजूदा चार्टर नीति में संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर नागर विमानन मंत्रालय की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) इस सर्दी के मौसम में सरकार को कितने विदेशी पर्यटकों के आने की आशा है; और

(घ) विश्व के अन्य भागों से उन चार्टेड उड़ानों की संख्या कितनी है जिन्होंने विदेशी पर्यटकों को लाने हेतु अनुमति मांगी है और सरकार द्वारा ऐसी चार्टेड उड़ानों और विदेशी पर्यटकों हेतु अवसंरचना में सुधार के लिये क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी): (क) और (ख) टूरिस्ट चार्टर दिशा-निर्देशों को हाल में संशोधित किया गया है, जिसमें "इनक्लूसिव टूअर चार्टर्स" के संचालन के लिए अनुमति प्रदान की गई है, जिसके अंतर्गत आवृत्ति, हवाई जहाज के आकार तथा गंतव्य स्थल की कोई सीमा नहीं है। भारतीय पासपोर्ट धारकों को भी इनक्लूसिव टूअर चार्टरों पर यात्रा करने की अनुमति प्रदान की गई है। आउटबाउंड टूअर चार्टरों के संबंध में उड़ानों की आवृत्ति तथा हवाई जहाजों के आकार पर कोई प्रतिबंध नहीं हैं, बशर्ते कि संबंधित आउटबाउंड टूअर आपरेटर, इनबाउन्ड तथा आउटबाउन्ड प्रचालनों के मध्य 2:1 पर्यटक अनुपात के साथ इनबाउन्ड चार्टर भी आयोजित करें। वर्तमान में इन दिशा-निर्देशों को और संशोधित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) वर्ष 2004 के पिछले 11 महीनों के दौरान वर्ष 2003 की तुलना में विदेशी पर्यटकों के आगमन में 24.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

(घ) अक्तूबर, 2004 से मई, 2005 के सीजन के लिए, अभी तक महानिदेशालय, नागर विमानन ने गोवा के लिए 975 चार्टर उड़ानों, त्रिवेन्द्रम के लिए 21 चार्टर उड़ानों, दिल्ली के लिए 26 चार्टर उड़ानों तथा अमृतसर के लिए 44 पर्यटक चार्टर उड़ानों (दिसम्बर 2004 तक) की अनुमति प्रदान की है। जहां तक अवसंरचना का संबंध है, सीमाशुल्क तथा आप्रवासन सुविधाएं उपलब्ध होने की शर्त पर, सभी एयरपोर्टों पर पर्यटक चार्टर उड़ानों की अनुमति प्रदान की जाती है।

निर्माण कामगार

3117. **श्री चंद्रकांत खैरे:** क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 'द बिल्डिंग एण्ड अदर कंसट्रक्शन वर्कर्स (रेगुलेशन आफ इम्प्लायमेंट एण्ड कंडीशन्स आफ सर्विसिज) एक्ट, 1996' के अंतर्गत वस्तुओं, खनन, लदान और परिवहन से जुड़े निर्माण कामगार शामिल नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन कामगारों को उक्त अधिनियम के अंतर्गत कब तक शामिल किया जाएगा?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव): (क) और (ख) भवन तथा अन्य निर्माण श्रमिक (रोजगार तथा सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 की धारा 2 (घ) तथा (ङ) के अनुसार 'भवन निर्माण श्रमिक' का अर्थ उस व्यक्ति से है जिसे 'भवन या अन्य निर्माण कार्य' में कुशल, अर्द्ध-कुशल या अकुशल, मैनुअल, पर्यवेक्षकी, तकनीकी या लिपिकीय कार्य आदि के लिए नियोजित किया जाता है जिसमें निर्माण, परिवर्तन, मरम्मत, रखरखाव या ढहाना या पथ, सड़क, रेलमार्ग, ट्राममार्ग, एयर फील्ड, सिंचाई, जल निकास निर्माण कार्य एम्बैंकमेंट और नेविगेशन कार्य, बाढ़ नियंत्रण कार्य, बिजली उत्पादन, प्रेषण व वितरण; जल कार्य, तेल तथा गैस ठिकाने, इलेक्ट्रिक लाइनें, वायरलैस, रेडियो, टेलीविजन, दूरभाष, टेलीग्राफ तथा विदेशी संचार, बांध, नहर रिजवायर, जलमार्ग, सुरंग, पुल, वायडक्ट्स, एक्वाडक्ट्स, पाइप लाइन, टावर, प्रशीतक टावर, प्रेषण टावर आदि शामिल हैं किन्तु कोई ऐसा भवन या अन्य निर्माण कार्य शामिल नहीं है जिस पर कारखाना अधिनियम, 1948 या खान अधिनियम, 1952 के उपबंध लागू होते हों।

(ग) फिलहाल, उक्त अधिनियम की धारा 2 (घ) तथा (ङ) में संशोधन का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

गिर राष्ट्रीय उद्यान से शेरों का स्थानांतरण

3118. श्री किन्जरपु येरननायडु:
श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम:

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात के जूनागढ़ स्थित गिर राष्ट्रीय उद्यान में महामारी के खतरे को देखते हुए शेरों को स्थानांतरित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) शेरों के लिए आदर्श अधिवास हेतु पहचान किये गए उन स्थानों का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीणा): (क) से (ग) मध्य प्रदेश में क्यूनो पालपुर वन्यजीव अभयारण्य की गुजरात के गिर वन में एशियायी शेरों की एकमात्र एकाकी संख्या के लिए वैकल्पिक आवास के रूप में पहचान की गई है। कुछ शेरों को वैकल्पिक आवास में स्थानांतरित करने का निर्णय महामारी के खतरे सहित कई सोच-विचारों पर आधारित था।

अधिग्रहण विनिर्देशों में छूट

3119. श्री तथागत सतपथी: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ीसा सहित विभिन्न राज्यों में कृषकों से चावल/धान की खरीद के लिए खाद्य अधिग्रहण गुणवत्ता (एफ.ए.क्यू.) में छूट देने के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई;

(ग) क्या सरकार सभी राज्यों के अनुरोधों को स्वीकार करने में असमर्थ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके राज्यवार क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) से (घ) जी, हां। तमिलनाडु, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और हरियाणा की सरकारों ने अनिश्चित वर्षा और खराब मौसम से धान की गुणवत्ता के प्रभावित होने के कारण खरीफ विपणन मौसम 2004-05 के लिए धान/चावल की एक समान विनिर्दिष्टियों में छूट देने का अनुरोध किया है। राज्य सरकारों के अनुरोधों की विस्तृत जांच करने और समस्या पर गहराई से विचार करने के बाद तथा धान की मजबूरन बिक्री को रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित राज्यों को वैल्यू कट के साथ खरीफ विपणन मौसम 2004-05 हेतु धान की एकसमान विनिर्दिष्टियों में छूट की अनुमति दी गई है:-

तमिलनाडु

(1) 17% की मौजूदा सीमा की तुलना में 20% तक नमी तत्व।

उड़ीसा

(1) 3% की मौजूदा सीमा की तुलना में 5% तक क्षतिग्रस्त/बदरंग/अंकुरित/घुने हुए अनाज।

(2) 3% की मौजूदा सीमा की तुलना में 5% तक अपरिपक्व/सिकुड़ा हुआ अनाज।

मध्य प्रदेश

(1) 1% की मौजूदा सीमा की तुलना में 2% तक कार्बनिक बाह्य पदार्थ।

(2) 3% की मौजूदा सीमा की तुलना में 7% तक क्षतिग्रस्त/बदरंग/अंकुरित/घुना हुआ अनाज, बशर्ते क्षतिग्रस्त खाद्यान्न 4% से अधिक नहीं हो।

(3) 3% की मौजूदा सीमा की तुलना में 7% तक अपरिपक्व/सिकुड़ा हुआ अनाज।

तथापि, उपर्युक्त तीन रिफ्रेक्सनों का जोड़ 7% की मौजूदा सीमा की तुलना में 12% से अधिक नहीं होना चाहिए। इसके अलावा, छूट दी गई विनिर्दिष्टियों के अधीन वसूल किए गए धान से प्राप्त चावल के आउट टर्न अनुपात को कच्चे और सेला चावल के लिए 2% तक कम कर दिया गया है। खरीफ विपणन मौसम 2004-05 के लिए कच्चे चावल के संबंध में आउट टर्न अनुपात 65% और सेला चावल के लिए 66% होगा, जबकि, मौजूदा अनुपात क्रमशः 67% और 68% है।

[हिन्दी]

आर्थिक सुरक्षा संबंधी आईएलओ का प्रतिवेदन

3120. **श्रीमती करूणा शुक्ला:**
श्री हंसराज जी. अहीर:
श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने हाल ही में 'इकोनोमिक सिक्युरिटी फार ए बेटर वर्ल्ड' शीर्षक से प्रतिवेदन जारी किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा के मामले में इस प्रतिवेदन में भारत की आलोचना की गई है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव): (क) जी, हां।

(ख) इस रिपोर्ट के अनुसार चीन और भारत दोनों ने ही भूमंडलीकरण के दौरान में उच्च आर्थिक विकास तथा आर्थिक अनिश्चितता में कमी का अनुभव किया है।

(ग) देश में कामगारों की सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा सरकार के लिए एक चिंता का विषय है। सरकार ने उनके हितों की रक्षा के लिए विभिन्न कदम उठाये हैं जैसे-रोजगार के अवसरों में सुधार, असंगठित क्षेत्र के लिए एक व्यापक विधान तैयार करना, मजदूरी का संरक्षण आदि।

खरदाहा डिपो को बन्द किया जाना

3121. **श्री रघुनाथ झा:** क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम का खरदाहा डिपो पिछले एक वर्ष से बंद पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो क्या किराये, कर्मचारियों के वेतन आदि की अदायगी पर बहुत अधिक धनराशि का अपव्यय किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे अपव्यय को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) गोदामों को खाली करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। कर्मचारियों और श्रमिकों को अन्य लाभप्रद कार्यों में लगाने हेतु स्थानांतरित करने के लिए आगे प्रबंध किए जा रहे हैं।

[अनुवाद]

द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग की सिफारिश

3122. **श्री अजय चक्रवर्ती:** क्या श्रम और रोजगार मंत्री 23 अगस्त, 2004 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3715 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने द्वितीय श्रम आयोग की क्रमशः 7500/- रु. और 3500/- रु. के बोनस की पात्रता एवं गणना हेतु अधिकतम सीमा में समुचित वृद्धि संबंधी सिफारिशों पर कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव): (क) से (ग) दूसरे राष्ट्रीय श्रम आयोग की सिफारिश के अनुसार बोनस गणना की अधिकतम सीमा को 2500/- रुपये से बढ़ाकर

3500/- रुपये करने और पात्रता सीमा को 3500/- रुपये से बढ़ाकर 7500/- रुपये करने के लिए बोनस संदाय अधिनियम, 1965 में संशोधन के संबंध में एक प्रस्ताव की यह विचार करते हुए जांच की जा रही है कि निजी क्षेत्र के अलावा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (केन्द्र और राज्य दोनों), केन्द्रीय और राज्य सरकारों तथा स्वायत्त संगठनों के कर्मचारियों को बोनस का लाभ दिया जाना अपेक्षित है जिसके परिणामस्वरूप सरकारी राजकोष पर भारी वित्तीय बोझ पड़ेगा।

राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ के बीच संयुक्त उद्यम

3123. **श्री काशीराम राणा:**
श्री मनसुखभाई डी. वसावा:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ के बीच संयुक्त उद्यम संबंधी शेयर धारण पद्धति पर कोई निर्णय लिया है;

(ख) क्या इस संयुक्त उद्यम योजनाओं के अंतर्गत राज्य महासंघ अपने उत्पादों को बाजार में बेचने के लिए स्वतंत्र होंगे अथवा संयुक्त उद्यम के प्रस्ताव से अलग रहने का विकल्प भी चुन सकते हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या दुग्ध उत्पादन में 9% की दर से वार्षिक वृद्धि हो रही है और बाजार में केवल 4% ही बेचा जा रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (ग) जी, नहीं। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की पूर्ण स्वामित्व वाली एक कंपनी में अपनी सहायक यूनिटों के माध्यम से अपने तरल दूध तथा संबंधित परिसंघों के ब्रांड नाम से अभिज्ञात उत्पादों के विपणन को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से राज्य सहकारी डेयरी परिसंघों के साथ संयुक्त उद्यम लगाने का फैसला किया है। ये संयुक्त उद्यम विशुद्ध रूप से स्वैच्छिक प्रवृत्ति के हैं। मदर डेयरी कंपनी और संबंधित राज्य डेयरी परिसंघ के बीच शेयर होल्डिंग की प्रणाली 51:40 के अनुपात में होगी।

(घ) और (ङ) देश में दुग्ध उत्पादन नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लगभग 4% बढ़ा है। देश में लगातार तीन सूखों के कारण इस समय यह घटकर लगभग 2.2% हो गया है। तथापि, 2002-03 की तुलना में 2003-04 के दौरान विपणन 8.5% बढ़ा है।

तिलहनों की खेती में कमी

3124. **श्री मनसुखभाई डी. वसावा:**
श्री हरिकेवल प्रसाद:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तिलहन की खेती में 40% की कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार तिलहन के क्षेत्र में भारी निवेश हेतु कृषि आधारित उद्योगों को सभी सुविधाएं और अन्य रियायतें प्रदान करने जा रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) भारत सरकार खाद्य तेल उद्योगों की स्थापना/आधुनिकीकरण/विस्तार के लिये खाद्य प्रसंस्करण और तकनीकी सिविल कार्यों पर आने वाली लागत का 25% होती है और साधारण क्षेत्रों में अधिकतम 50.00 लाख रुपये तथा कठिन क्षेत्रों में 33.33% और अधिकतम 75.00 लाख रुपये होती है। इसके अलावा, भारत सरकार "तिलहन, दलहन और मक्का से संबंधित फसलोपरांत प्रौद्योगिकी का अनुसंधान और विकास" नामक एक योजना भी चला रही है जिसके अंतर्गत वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सी एस आई आर) के माध्यम से तिलहनों से संबंधित फसलोपरांत प्रौद्योगिकियों का विकास किया जा रहा है, जिसके लिए 100% अनुदान सहायता दी जाती है और प्रौद्योगिकी अंतरण के एक अंश स्वरूप चुनिंदा निजी लाभानुभोगियों के लिए रिआयती दर पर पाम आयल मिलों, राइस ब्रान आयल रिफाइनरीज की सहायता/आधुनिकीकरण और रेड पामोलीन और वनस्पति तेल ब्लेड आदि के प्रदर्शन के लिए सहायता दी जाती है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

श्वेत एस्बेस्ट्स पर प्रतिबंध

3125. **श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल:**
श्री वी.के. ढुम्मर:
श्री मधुसूदन मिस्त्री:
डा. राजेश मिश्रा:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ गैर-सरकारी संगठन देश में श्वेत एस्बेस्ट्स पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाने के लिए अभियान चला रहा है क्योंकि इससे फेफड़ों का कैंसर होता है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है;

(ग) क्या सरकार ने गैर-सरकारी संगठनों के उक्त दावे के सत्यापन के लिए कोई वैज्ञानिक अध्ययन कराया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना): (क) और (ख) जी, हां। सरकार को देश में सफेद एस्बेस्ट्स पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए कुछ गैर-सरकारी संगठनों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। यद्यपि किसी भी वैज्ञानिक अध्ययन से यह स्थापित नहीं हुआ है कि सफेद एस्बेस्ट्स के प्रयोग से फेफड़ों का कैंसर हो रहा है। इसलिए सफेद एस्बेस्ट्स के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाना वांछनीय नहीं समझा गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

कर्नाटक में खाद्यान्न उत्पादन में कमी

3126. **श्री जी. करूणाकर रेड्डी:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक के जनजातीय क्षेत्रों में खाद्यान्नों के उत्पादन में कमी आई है क्योंकि इन क्षेत्रों की सिंचाई वर्षा पर निर्भर है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार प्रभावित जनजातीय लोगों को पर्याप्त खाद्यान्न उपलब्ध करवा रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (ङ) कर्नाटक में इसके जनजातीय क्षेत्रों सहित खाद्यान्न उत्पादन 1998-99 के 99.96 लाख मी. टन से कम होकर 2002-03 से 68.31 लाख मी. टन हो गया है।

राज्य में खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के लिए कृषि की बृहत पद्धति के अंतर्गत सहायता उपलब्ध कराई जाती है। दलहनों का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए "समेकित तिलहन, दलहन पाम आयल और मक्का (आइसोपोम) स्कीम" के अंतर्गत भी सहायता दी जाती है।

भारत सरकार जनजातियों सहित पात्र लोगों के लिए राज्यों को सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एस जी आर वाई) की स्कीमों के अंतर्गत एस जी आर वाई के विशेष घटक, अन्नपूर्ण, समेकित बाल विकास, मध्याह्न भोजन स्कीम और अनाज बैंक के अंतर्गत पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्नों का आबंटन करती है।

प्रवासी पक्षियों का अवैध शिकार

3127. **श्री परसुराम माझी:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उड़ीसा में चिल्का झील में प्रवासी पक्षियों के अवैध शिकार की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष के दौरान सरकार के ध्यान में ऐसे कितने मामले आए हैं; और

(ग) ऐसे शिकार और पक्षियों के विपणन को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना): (क) सरकार को चिल्का झील में प्रवासी पक्षियों के अवैध शिकार की घटनाओं की जानकारी है। तथापि, राज्य सरकार की रिपोर्ट के अनुसार कोई प्रवृत्ति दिखाई नहीं दी है।

(ख) राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार चालू वर्ष (2004-05) के दौरान सात मामले ध्यान में आए हैं।

(ग) पक्षियों को मारने और उनके विपणन को रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदम संलग्न विवरण में है।

विवरण

(1) पक्षियों के अवैध शिकार और उन्हें विष देने के मामलों का सक्रिय रूप से निवारण करने के लिए तथा पक्षियों को मारने के बारे में वन विभाग को सूचना देने के लिए मछुआरा और अन्य समुदायों के सदस्यों को शामिल करके झील के निकटवर्ती 20 गांवों में पक्षी-सुरक्षा समितियां गठित की हैं।

(2) तांगी रेंज, जो उत्तरी चिल्का पेटी को कवर करती है, ऐसा क्षेत्र है जहां पक्षियों के अवैध शिकार की अधिकांश गतिविधियां सम्पन्न होती है। पक्षियों की सुरक्षा हेतु सभी प्रवर्तन कार्यकलापों की दिन-रात मानीटरी हेतु इस रेंज के कार्यालय में नोडकीय केन्द्र के रूप में एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। पक्षियों की शूटिंग, विषायण (विष देना), ट्रैपिंग अथवा जाल में फंसाने की गतिविधियों पर लगातार नजर रखने के लिए बाह्य गांवों में स्थापित 7 शिविरों के माध्यम से इस झील में पक्षियों के एकत्र होने के स्थानों पर गश्त लगाई जाती है।

(3) इस झील में चलने वाली नौकाओं की लगातार अकस्मात जांच की जाती है। इसी प्रकार, पक्षियों के मांस का पता लगाने के लिए गांव की सड़कों और राष्ट्रीय राजमार्गों पर चलते वाहनों की भी अकस्मात जांच की जाती है।

(4) चार गश्ती दस्ते बनाए गए हैं और प्रत्येक दस्ता बंदूकों, वी एच एफ सैटों से लैस हैं तथा स्थानीय क्षेत्र अस्थायी कार्मिकों को संविदा आधार पर नियुक्त करके उन्हें प्रबलित किया गया है।

(5) झील के आस-पास धान के खेतों में, जहां पक्षी चारे की खोज में और बसेरा बनाने के लिए आते हैं, चौकसी बढ़ाई गई है।

(6) पक्षियों के अवैध और विषायण में लगे व्यक्तियों को अलग रखने के लिए चिल्का वन्यजीव प्रभाग द्वारा आयोजित अभिप्रेरणा शिविरों के माध्यम से युवा-क्लब, स्थानीय गैर-सरकारी संगठन, पक्षी सुरक्षा समितियां और मछुआरा सहकारी समितियां संघटित की गई हैं। सड़क के आस-पास जलपान गृहों के निकट लोगों को सूचना के लिए प्रचार बोर्ड और सिग्नेज लगाए गए हैं कि वे पक्षियों का मांस खाना बंद करें, जिसमें विष हो सकता है।

(7) अपराधियों की खोज, आक्रमण और गिरफ्तारी के दौरान कानून और व्यवस्था संबंधी समस्याओं से निपटने में वन कर्मचारियों की मदद करने के लिए सोराना गांव में ए.पी.आर. फोर्स की (सशस्त्र पुलिस कार्मिक) एक टुकड़ी तैनात की गई है।

राष्ट्रीय मत्स्य पालन विकास बोर्ड की स्थापना

3128. श्री जसुभाई दानाभाई बारड़:
श्री बृज किशोर त्रिपाठी:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में मत्स्य उत्पादन में वृद्धि करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का राष्ट्रीय मत्स्य पालन विकास बोर्ड की स्थापना संबंधी कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त बोर्ड कब तक कार्य करना आरंभ कर देगा?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) मात्स्यिकी उत्पादों के उत्पादन, प्रसंस्करण तथा विपणन में सुधार लाने के लिए मात्स्यिकी एवं जलकृषि से संबंधित सभी कार्यकलापों को एक छत्र के नीचे लाने के व्यापक उद्देश्य से राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड स्थापित करने की व्यवहार्यता की जांच की जा रही है।

[हिन्दी]

प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उपलब्धता में कमी

3129. श्री बीर सिंह महतो:
श्री सुनिल कुमार महतो:
श्री प्रबोध पाण्डा:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान से आज तक देश में प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उपलब्धता कितनी है;

(ख) क्या गत तीन वर्षों के दौरान देश में प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उपलब्धता में कमी आई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उपलब्धता की कमी को पूरा करने के लिए क्या प्रभावी कदम उठाए गए हैं अथवा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उपलब्धता के संकलित आंकड़े नीचे दिए गए हैं-

वर्ष	प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति उपलब्धता (कि.ग्रा.)
2000-01	151.9
2001-02	180.4
2002-03	159.2

(ख) और (ग) मौसम संबंधी परिस्थितियों में होने वाले असामान्य बदलाव के कारण खाद्यान्न के उत्पादन में होने वाले उतार-चढ़ाव के कारण खाद्यान्नों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता में भी उतार-चढ़ाव आया है। वर्ष 2002 में देश के कई भागों में पड़े भीषण सूखे के कारण 2002-03 में खाद्यान्नों के उत्पादन में भारी कमी आ गयी थी जिससे देश में प्रति व्यक्ति खाद्यान्न की उपलब्धता भी कम हो गई थी।

(घ) उपलब्धता का मतलब पहुंच तक ही नहीं होता है बल्कि मुख्य रूप से ये क्रय शक्ति पर निर्भर करता है। सरकार इसीलिए रोजगार सृजक और कल्याणकारी स्कीमें चला रही है ताकि खाद्यान्न जरूरतमंद लोगों की पहुंच तक हो सकें। इन योजनाओं में शामिल हैं-संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टी पी डी एस), मध्याह्न भोजन योजना और अन्त्योदय अन्न योजना। इसके अलावा, देश भर में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार बफर स्टाक मेकेनिज्म के माध्यम से भी व्यवस्था करती है।

किसानों को खाद्यान्नों सहित प्रमुख कृषि जिंसों के उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से जिससे कि बढ़ती हुई जनसंख्या की मांग को पूरा किया जा सके, सरकार हर साल न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम एस पी) निर्धारित करती है। इसके अलावा, खाद्यान्नों सहित सभी कृषि जिंसों के सकल उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार ने निम्नलिखित क्षेत्रों को अभिज्ञात किया है जिन पर विशेष ध्यान और प्राथमिकता दिए जाने की जरूरत है यथा-

* तीन वर्षों में ग्रामीण को दुगुना करना जिससे ऋण के बोझ और ब्याज की उच्च दर को कम किया जा सके।
* बारानी खेती/बागवानी उत्पादन तथा जल प्रबंधन को बढ़ावा।
* अतिरिक्त सिंचाई सुविधाओं का सृजन।
* उचित तथा लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए कृषक उत्पादों को विपणन समर्थन।
* विभिन्न कृषि तथा बागवानी उत्पादन कार्यक्रमों के अंतर्गत किसानों को सहायता।
* प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाले फसल क्षति के एवज में फसलों का बीमा करना।

[अनुवाद]

चिल्का झील में जलकुक्कुट के अवैध शिकार में कमी

3130. डा. प्रसन्न कुमार पटसाणी:
श्री गिरिधर गमांग:

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2000 से उड़ीसा की चिल्का झील में जलकुक्कुट के अवैध शिकार/शिकार में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है;

(ग) क्या इस कार्य में अवैध शिकारियों/शिकारियों/स्थानीय समुदायों/सरकार और गैर-सरकारी संगठनों ने भाग लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा उनको किस प्रकार से पुरस्कृत किया गया है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना): (क) और (ख) राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार कड़े अवैध शिकार रोधी उपायों तथा बढ़ी निगरानी के कारण पक्षियों के अवैध शिकार/शिकार में कमी आई है। मामलों का विवरण नीचे दिया जाता है:-

वर्ष	दर्ज किए गए मामलें			गिरफ्तार किए गए अपराधियों की संख्या
	मुकदमा	पता न लगाए गए	कुल	
2000-01	4	33	37	8
2001-02	6	28	34	13
2002-03	5	53	58	9
2003-04	7	18	25	17
2004-05	7	2	9	7

(ग) और (घ) जी, हां। पक्षियों के अवैध शिकार तथा उनका विष देने में शामिल तत्वों को अलग-अलग करने के लिए चिल्का वन्यजीव प्रभाग द्वारा आयोजित अभिप्रेरण कैम्पों के माध्यम से युवा क्लबों, स्थानीय गैर-सरकारी संगठनों, पक्षी सुरक्षा समितियों तथा मछुआरा सहकारी समितियों को संगठित किया गया है।

(ङ) चिल्का विकास प्राधिकरण सूचना देने वालों को उपयुक्त रूप से पुरस्कृत करता है।

[हिन्दी]

लखनऊ में चावल की जांच

3131. श्री हरिकेवल प्रसाद:
श्री इलियास आजमी:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में खाद्यान्नों की खरीद और वितरण हेतु उनकी गुणवत्ता की जांच करवाती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान, एफ.सी.आई., लखनऊ क्षेत्र द्वारा चावल के कितने नमूनों को अस्वीकृत किया गया है;

(घ) क्या अनेक नमूनों को स्वीकृति देने में कुछ विसंगतियां पायी गयी हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या उत्तरदायित्व निर्धारित कर दिया गया है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गयी है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन): (क) और (ख) जी, हां। सरकार द्वारा निर्धारित की गई गुणवत्ता विनिर्दिष्टियों के अनुसार वसूली के समय और वितरण के समय भी खाद्यान्नों की गुणवत्ता का आकलन किया जाता है। वसूली के दौरान भारतीय खाद्य निगम द्वारा एक समान विनिर्दिष्टियों के अनुसार स्टाक स्वीकार किया जाता है। उत्तर प्रदेश में विकेन्द्रीकृत वसूली योजना के अधीन प्रारंभ में राज्य सरकार द्वारा स्टाक की खरीद की जाती है और उसे भारतीय खाद्य निगम के डिपुओं में भेजा जाता है, जहां उसे स्वीकार करने से पूर्व तकनीकी सहायक/सहायक प्रबंधक (गुण नियंत्रण) स्टाक का विश्लेषण करते हैं। निर्गम के समय, भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से उठान करने के पूर्व राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र के अधिकारियों को स्टाक की जांच करने हेतु पर्याप्त अवसर दिए जाते हैं।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय खाद्य निगम लखनऊ की क्षेत्रीय प्रयोगशाला में अस्वीकृति की सीमा से बाहर (बी.आर.एल.) पाए गए चावल के नमूनों की संख्या निम्नानुसार है-

वर्ष	अस्वीकृत की सीमा से बाहर पाए गए नमूनों की संख्या
2001-02	21
2002-03	15
2003-04	38

(घ) से (छ) विश्लेषण करने पर जब कभी भी नमूने अस्वीकृति की सीमा से बाहर (बी.आर.एल.) पाए जाते हैं, तो ऐसे मामलों को भारतीय खाद्य निगम की सतर्कता शाखा में, चूककर्त्ताओं, जिन्होंने इस प्रकार के अस्वीकृति की सीमा से बाहर (बी.आर.एल.) के स्टाक को स्वीकार किया है, के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए भेज दिया जाता है। 39 अधिकारियों/कर्मचारियों को अस्वीकृति की सीमा से बाहर (बी.आर.एल.) के स्टाक की खरीद हेतु जिम्मेदार पाया गया है और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुमति दे दी गई है और इन मामलों को भारतीय खाद्य निगम की सतर्कता शाखा को भेज दिया गया है। अधिकारियों/कर्मचारियों का विवरण निम्नानुसार है-

1.	सहायक प्रबंधक (गुण नियंत्रण)	25
2.	सहायक प्रबंधक (पी.पी.)	1
3.	तकनीकी सहायक-1	8
3.	तकनीकी सहायक-2	2
5.	सहायक ग्रेड-1 (पी.पी.)	1
6.	सहायक ग्रेड-2 (पी.पी.)	2
		39

[अनुवाद]

पूर्वी भारत में पर्यटन विकास

3132. श्री सनत कुमार मंडल: क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पूर्वी भारत में पर्यटकों को आकर्षित करने वाले स्थानों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन स्थानों का भ्रमण करने वाले स्वदेशी/विदेशी पर्यटकों की राज्य-वार संख्या कितनी है; और

(ग) ऐसे संस्थानों पर पर्यटन के विकास हेतु राज्य-वार प्रस्तावित पैकेज क्या हैं?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) और (ख) राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों की मुख्यतया यह जिम्मेदारी है कि वे अपने-अपने राज्यों में, मानव निर्मित एवं प्राकृतिक दोनों, पर्यटक आकर्षण के स्थानों का अभिनिर्धारण करें।

पिछले प्रत्येक तीन वर्षों के दौरान, राज्य-वार, पूर्वी भारत की यात्रा करने वाले स्वदेशी/विदेशी पर्यटकों की संख्या निम्न प्रकार है:

राज्य	वर्ष	स्वदेशी	विदेशी
बिहार	2001	6061168	85673
	2002	6860207	112873
	2003	6044710	60820
झारखंड	2001	353177	2979
	2002	313134	2244
	2003	398346	3223
उड़ीसा	2001	3109976	22854
	2002	3269205	23279
	2003	3701245	25020
पश्चिम बंगाल	2001	4943097	284092
	2002	8844232	529366
	2003	11300763	705457

(ग) पैकेज का विकास करना टूअर आपरेटरों से संबंधित है। फिर भी, अभी तक चालू वित्तीय वर्ष के दौरान स्वीकृत की गई परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा निम्न प्रकार है:-

(रुपए लाखों में)

क्र.सं.	परियोजना का नाम	स्वीकृत राशि	अवमुक्त राशि
1	2	3	4
	बिहार		
1.	मायासरोवर झील, बोधगया में नए हाई स्कूल भवन का निर्माण और झील के सामने मौजूदा हाई स्कूल का स्थानान्तरण।	33.11	33.11
2.	भीमबांध (मुंगेर) में इको-टूरिज्म विकास	370.00	296.00
3.	मानेर में पर्यटक रिजार्ट का विकास	407.20	325.76

1	2	3	4
4.	बाल्मिकी नगर में इको-टूरिज्म विकास	300.06	240.00
	झारखण्ड		
5.	मसानजोर (जिला-दुमका) का एकीकृत विकास	474.97	379.97
	उड़ीसा		
6.	जिला भुवनेश्वर में पिपली गांव का ग्रामीण पर्यटन विकास	17.30	14.00
7.	धौली में पीस पार्क का विकास और एम्पी-थियेटर	488.51	391.00
8.	रघुराजपुर ग्राम (पुरी-जिला) का ग्रामीण विकास	22.00	17.60

[हिन्दी]

बेरोजगारी भत्ता

3133. **श्री खीरेन रिजीजू:**
श्री मनोरंजन भक्त:
श्री ब्रजेश पाठक:
श्री अजय चक्रवर्ती:
श्री रामदास आठवले:
श्री बालासाहिब विखे पाटील:
श्री मंजुनाथ कुन्नुर:
श्री दलपत सिंह परस्ते:
श्री कैलाश मेघवाल:
श्रीमती कल्पना रमेश नरहिरे:
श्री तुकाराम गंगाधर गदाख:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में देश में बेरोजगार युवकों हेतु कोई बेरोजगारी भत्ता योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या इस योजना को लागू करने हेतु राज्य सरकारों से कहा गया है;

(घ) यदि हां, तो राज्य सरकारों की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता दे रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

पर्यटन मानचित्र में पक्षी अभ्यारण्य को शामिल करना

3134. **श्री पी.एस. गढ़वी:** क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार गुजरात के कच्छ में छरी-ढांढा को पर्यटन मानचित्र में शामिल करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्रियान्वयन हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

कृषि उत्पादों में कमी

3135. श्री सज्जन कुमार: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले पांच वर्षों के दौरान कृषि उत्पादों की प्रतिशतता में कमी आयी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने कृषि उत्पादों की प्रतिशतता में कमी के कारणों की समीक्षा की है; और

(ग) इस समीक्षा के क्या निष्कर्ष निकले तथा इस कमी के क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा संकलित राष्ट्रीय खातों की सांख्यिकी से जाहिर होता है कि वानिकी और मात्स्यिकी समेत कृषि क्षेत्र के सकल घरेलू उत्पाद (जी डी पी) के आंकड़े वर्तमान मूल्यों पर सकल जी डी पी के आंकड़ों के प्रतिशत की तुलना में गिरावट की प्रवृत्ति दर्शाते हैं जोकि 1999-2000 के 26.2% से घटकर 2003-04 में 22.2% हो गये हैं। 1999-2000 से 2003-04 के दौरान सकल जी.डी.पी. में वानिकी और मात्स्यिकी समेत कृषि क्षेत्र (कृषि उत्पाद) के जी.डी.पी. के प्रतिशत को नीचे दिए गए विवरण में दर्शाया गया है।

चालू कीमतों पर जी.डी.पी. (करोड़ रु. में)

वर्ष	कृषि वानिकी और मात्स्यिकी	सभी क्षेत्र (सकल जी डी पी)	सकल जी डी पी में कृषि वानिकी और मात्स्यिकी का %
1999-2000	461964	1761838	26.2
2000-01	468479	1902998	24.6
2001-02	521907	2090957	25.0
2002-03	509907	2249493	22.7
2003-04	560482	2523872	22.2

(ख) और (ग) सभी क्षेत्रों को कवर करते हुए सकल जी डी पी में कृषि के हिस्सा में उतार-चढ़ाव कृषि क्षेत्र की विकास दर और अन्य क्षेत्रों जैसे कि उद्योग तथा सेवाओं की विकास दर की तुलनात्मक स्थिति पर निर्भर करता है। वर्ष 2002-03 के दौरान कृषि क्षेत्र की जी डी पी के हिस्से में आयी तेजी से कमी से प्रकट होता है कि देश के कई राज्यों में भीषण सूखे के कारण कृषि उत्पादन और उत्पादकता पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा था। कृषि में विकास दर के घटते रूख को पलटने के लिए कृषि क्षेत्र में तेजी से निवेश किए जाने की जरूरत है ताकि सभी राज्यों/क्षेत्रों और फसलों के उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि की जा सके। इसलिए सरकार ने कृषि क्षेत्र में निवेश और विकास को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं-

(1) तीन वर्षों में कृषि ऋण को दुगुना करना जिससे ऋण और भारी ब्याज वृद्धि दर को कम किया जा सके, और सहकारी समितियों में सुधार करके उन्हें सुचारू बनाना।

(2) देश के शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में बारानी खेती के लिए, तथा बागवानी और जल प्रबंधन के लिए विशेष कार्यक्रम चलाना।

(3) कृषि अनुसंधान और विस्तार, ग्रामीण अवसंरचना तथा सिंचाई में सार्वजनिक निवेश को बढ़ाना।

(4) राज्यों में विपणन व्यवस्था में सुधार ताकि लाइसेंसधारी व्यापारियों और विनियमित बाजारों की मध्यस्थता के बिना ही किसानों के खेतों से उनके उत्पादों का सीधे ही विपणन किया जा सके।

(5) सुधार कार्य करने वाले राज्यों की विपणन अवसंरचना परियोजनाओं को निवेश सब्सिडी प्रदान करना।

[अनुवाद]

भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा ओलंपिक के पहले डोप टेस्टिंग

3136. श्री टेक लाल महतो: क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत की डोप टेस्टिंग प्रणाली एक ढोंग है और इसमें हेराफेरी की गुंजाइश है जैसा कि 16 अक्तूबर, 2004 के "इंडियन एक्सप्रेस" में खबर छपी है;

(ख) यदि हां, तो भारतीय खेल प्राधिकरण (एस.ए.आई.) द्वारा एथेंस ओलंपिक के पहले की गयी डोप टेस्टिंग का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा भारतीय खेल प्राधिकरण की विसंगतियों को दूर करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री सुनील दत्त): (क) से (ग) जी, नहीं। तथापि, डोप परीक्षण क्रियाओं आदि में लगे भारतीय खेल प्राधिकरण (एस.ए.आई.) के वैज्ञानिकों को प्रशिक्षण, प्रणाली में सुधारों के माध्यम से धोखेबाजी की संभावना की रोकथाम के लिए नियमित रूप से समीक्षा की जाती है।

व्यक्तिगत प्रतियोगिताओं और एथेंस ओलंपिक खेल, 2004 के लिए भारतीय टीम के सदस्यों के रूप में चुने गए सभी खिलाड़ियों का डोप संबंधी परीक्षण किया गया था। दो भारतीय भारोत्तोलकों जिनको एथेंस ओलंपिक खेलों में डोप के लिए सकारात्मक पाया गया था उनके नमूनों का परीक्षण उनके जाने से पहले भी किया गया था तथा वे डोप के लिए नकारात्मक पाए गए।

विरल वन क्षेत्र का विकास

3137. **श्री फग्गन सिंह कुलस्ते:**
श्री शिवराज सिंह चौहान:
श्री चन्द्रभान सिंह:
श्रीमती नीता पटैरिया:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्य-वार कितनी भूमि वनों से आच्छादित है;

(ख) विरल वनों को सघन वनों में बदलने हेतु केन्द्र सरकार की योजनाएं क्या हैं;

(ग) क्या पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान केन्द्र सरकार को विभिन्न राज्यों से विरल वनों के विकास हेतु कोई योजनाएं प्राप्त हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) केन्द्र सरकार द्वारा इन योजनाओं को कब तक स्वीकृति दी जाएगी?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना): (क) भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित वन स्थिति रिपोर्ट, 2001 के अनुसार देश में राज्य-वार वन आवरण संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय वन विकास अभिकरणों (एफ डी ए) के तंत्र के माध्यम से देश भर में वन विकास हेतु राष्ट्रीय नवीकरण कार्यक्रम का कार्यान्वयन कर रहा है।

(ग) से (ङ) अधिकतर राज्यों से वनों के विकास तथा सुरक्षा के लिए केन्द्रीय सहायता की सामान्य मांग है। राज्यों से प्राप्त हुई कुल 660 परियोजनाओं में से 561 एफ डी ए को राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत अनुमोदित कर दिया गया है। प्राप्दित हुई अनुमोदित किए गए एफ डी ए परियोजना प्रस्तावों का राज्यवार आंकड़' संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं। मंत्रालय के पास उपलब्ध बजट को ध्यान में रखते हुए, राज्यों से प्राप्त मांगों को यथासंभव पूरा करने का प्रयास किया जाता है।

विवरण I

वन स्थिति रिपोर्ट, 2001 के अनुसार राज्य/संघ शासित प्रदेशवार वन आवरण

(क्षेत्र वर्ग कि.मी.)

राज्य/संघ शासित प्रदेश	भौगोलिक क्षेत्रफल	वन आवरण	
		कुल	प्रतिशत
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	275,069	44,637	16.2?
अरुणाचल प्रदेश	83,743	68,045	81.25
असम	78,438	27,714	35.33
बिहार	94,163	5,720	6.07

1	2	3	4
छत्तीसगढ़	135,191	56,448	41.75
दिल्ली	1,483	111	7.51
गोवा	3,702	2,095	56.59
गुजरात	196,022	15,152	7.73
हरियाणा	44,212	1,754	3.97
हिमाचल प्रदेश	55,673	14,360	25.79
जम्मू और कश्मीर	222,236	21,327	9.56
झारखंड	79,714	22,637	28.40
कर्नाटक	191,791	36,991	19.29
केरल	38,863	15,560	40.04
मध्य प्रदेश	308,245	77,265	25.07
महाराष्ट्र	307,713	47,482	15.43
मणिपुर	22,327	16,926	75.81
मेघालय	22,429	15,584	69.48
मिजोरम	21,081	17,494	82.98
नागालैंड	16,579	13,345	80.49
उड़ीसा	155,707	48,838	31.36
पंजाब	50,362	2,432	4.83
राजस्थान	342,239	16,367	4.78
सिक्किम	7,096	3,193	45.00
तमिलनाडु	130,058	21,482	16.52
त्रिपुरा	10,486	7,065	67.38
उत्तर प्रदेश	240,928	13,746	5.71
उत्तरांचल	53,483	23,938	44.76
पश्चिम बंगाल	88,752	10,693	12.05
अंडमान निकोबार द्वीप समूह	8,249	6,930	84.01
चंडीगढ़	114	9	7.51

1	2	3	4
दादर एवं नगर हवेली	491	219	44.60
दमन एवं दीव	112	6	5.53
लक्षद्वीप	32	27	8591
पांडिचेरी	480	36	7.45
कुल	3,287,263	675,538	20.55

विवरण II

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	दिनांक 30.11.2004 तक प्राप्त हुए एफ.डी.ए. परियोजना प्रस्तावों की संख्या	दिनांक 30.11.2004 तक स्वीकृत एफ.डी.ए. परियोजना प्रस्तावों की संख्या
1	2	3	4
1.	हरियाणा	15	15
2.	उड़ीसा	29	28
3.	जम्मू और कश्मीर	31	31
4.	उत्तर प्रदेश	61	56
5.	हिमाचल प्रदेश	26	25
6.	उत्तरांचल	30	28
7.	पंजाब	9	4
8.	बिहार	9	6
9.	गुजरात	15	13
10.	झारखंड	27	26
11.	महाराष्ट्र	41	38
12.	राजस्थान	14	13
13.	तमिलनाडु	32	31
14.	पश्चिम बंगाल	20	14
15.	आंध्र प्रदेश	32	24
16.	छत्तीसगढ़	27	26
17.	गोवा	3	3
18.	कर्नाटक	41	35
19.	केरल	25	14
20.	मध्य प्रदेश	42	30
21.	अरुणाचल प्रदेश	16	13
22.	असम	28	17
23.	मणिपुर	12	11
24.	मेघालय	7	7
25.	मिजोरम	30	19
26.	नागालैंड	18	16
27.	सिक्किम	7	7
28.	त्रिपुरा	13	11
	कुल	660	561

[हिन्दी]

न्यूनतम समर्थन मूल्य नीति

3138. श्री सुरेश चन्देल: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) नीति, लागू है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान सभी कृषि उत्पादों और खाद्यान्नों हेतु निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) बाजार मूल्यों को न्यूनतम समर्थन मूल्य के कम होने की स्थिति में सरकार द्वारा किसानों के हितों की रक्षा के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और

(घ) उन फसलों का ब्यौरा क्या है जिनके मूल्य पिछले तीन वर्षों के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम रहे?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) जी, हां।

(ख) हाल के वर्षों में कृषि जिंसों के निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्यों का विवरण संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) कृषि उत्पादों के लिए मूल्य नीति का प्रमुख उद्देश्य उत्पादकों को उनके उत्पाद के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना है। किसानों के हितों की सुरक्षा के लिए सरकार राज्य सरकारों द्वारा उन जिंसों की अधिप्राप्ति के लिए, जिनके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किए गए हैं, अभिनामित अन्य एजेंसियों के अलावा सार्वजनिक तथा सहकारी एजेंसियों, जैसे—भारतीय खाद्य निगम (गेहूं, धान तथा मोटे अनाज), भारतीय पटसन निगम (पटसन), भारतीय कपास निगम (कपास), भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नैफेड) (दलहन तथा तिलहन) तम्बाकू बोर्ड (तम्बाकू), के जरिए खरीद संबंधी क्रियाकलाप आयोजित करती है।

कृषि जिंसों के थोक मूल्यों की सतत मानीटरिंग की जाती है तथा बाजार मूल्यों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों से नीचे गिरने की स्थिति में इन मामलों को संबंधित अभिनामित केन्द्रीय नोडल एजेंसियों को अधिप्राप्ति संबंधी क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए भेजा जाता है। सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य के स्तर से मूल्यों के नीचे गिरने की स्थिति में मूल्य समर्थन क्रियाकलाप करने के लिए अभिनामित केन्द्रीय नोडल एजेंसियों से बाजार में हस्तक्षेप की अपेक्षा की जाती है। कटाई पश्चात् की तत्काल अवधि में कुछ फसलों के मामले में कुछ केन्द्रों पर मूल्यों में न्यूनतम समर्थन मूल्यों से नीचे गिरने की प्रवृत्ति होती है। विगत तीन वर्षों में धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का, जौ के मूल्य विभिन्न अवधियों में न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम हो गए थे। दालों के मूल्य सामान्य रूप से न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक ही रहे हैं किन्तु अरहर (तुर), उड़द, मूंग और चना के मामले में कुछ केन्द्रों पर कभी-कभी इनके मूल्य गिरकर न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम हो गए हैं।

विवरण

न्यूनतम समर्थन मूल्य
(फसल वर्ष के अनुसार)

(रु. प्रति क्विंटल)

क्र. सं.	जिंस	किस्म	1998-99	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03	विशेष सूखा राहत	2003-04	2004-05	(#)2003-04 की तुलना में 2004-05 में न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	धान	सामान्य	440	490	510	530	530	20	550	560	10(1.8)
		श्रेणी 'क'	470	520	540	560	560	20	580	590	10(1.7)
2.	ज्वार		390	415	445	485	485	5	505	515	10(2.0)
3.	बाजरा		390	415	445	485	485	10	505	515	10(2.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	मक्का		390	415	445	485	485	5	505	525	20(4.0)
5.	रागी		390	415	445	485	485	5	505	515	10(2.0)
6.	गेहूं		550	580	610	620	620	10	630	640	10(1.6)
7.	जौ		385	430	500	400	400	5	525	540	15(2.9)
8.	चना		895	1015	1100	1200	1220	5	1400	1425	25(1.8)
9.	अरहल (तुर)		960	1105	1200	1320	1320	5	1360	1390	30(2.2)
10.	मूंग		960	1105	1200	1320	1330	5	1370	1410	40(2.9)
11.	उड़द		960	1105	1200	1320	1330	5	1370	1410	40(2.9)
12.	मसूर (लेटिल)*		—	—	1200	1300	1320	5	1500	1525	25(1.7)
13.	गन्ना@		52.70	56.10	59.50	62.05	69.50	—	73	74.50	1.50(2.0)
14.	कपास	एफ-414/एच-777/जे34	1440	1575	1625	1675	1675	20	1725	1760	35(2.0)
		एच-4	1650	1775	1825	1875	1875	20	1925	1960	35(1.8)
15.	छिलके सहित मूंगफली		1040	1155	1220	1340	1355	20	1400	1500	100(7.1)
16.	पटसन	टीडी-5	650	750	785	810	850	—	860	890	30(3.5)
17.	तारिया/सरसों		1000	1100	1200	1300	1330	10	1600	1700	100(6.3)
18.	सूरजमुखी बीज		1060	1155	1170	1185	1195	15	1250	1340	90(7.2)
19.	सोयाबीन	काला	705	755	7765	795	795	10	840	900	60(7.1)
		पीला	795	845	865	885	885	10	930	1000	70(7.5)
20.	कुसुम		990	1100	1200	1300	1300	5	1500	1550	50(3.3)
21.	तोरिया		965	1065	1165	1265	1295	10	1565	1665	100(6.4)
22.	तम्बाकू (वीएफसी)	काली मिट्टी (एफ2 ग्रेड)	22.50	25.00	26.00	27.00	28.00	—	31.00	—	
	(रु. प्रति कि.ग्रा.)	हल्की मिट्टी (एल्ल2 ग्रेड)	25.50	27.00	28.00	29.00	30.00	—	33.00	—	
23.	खोपरा	मिलिंग	2900	3100	3250	3300	3300	—	3320	3500	180(5.4)
	(कलैण्डर वर्ष)	बाल	3125	3325	3500	3550	3550	—	3570	3750	180(5.0)
24.	तिल		1060	1205	1300	1400	1450	5	1485	1500	15(1.0)
25.	राम तिल		850	915	1025	1100	1120	—	1155	1180	25(2.2)

@सांविधिक न्यूनतम मूल्य 8.5% की मूल वसूली से जुड़ा है जिसमें उस स्तर से ऊपर की वसूली में प्रत्येक 0.1% की वृद्धि के लिए समानुपातिक प्रीमियम की व्यवस्था है। वर्ष 2002-03 के सांविधिक न्यूनतम मूल्य में सी.ए.सी.पी. द्वारा संस्तुत 5 रुपये प्रति क्विंटल का एक बारगी सूखा राहत शामिल है।

*मसूर (लेटिल) हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य फसल वर्ष 2000-01 से निर्धारित किया गया है।

$कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े प्रतिशत वृद्धि दर्शाते हैं।

सोयाबीन किसानों को राहत

3139. श्री चन्द्रभान सिंह: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश में सोयाबीन की फसल सूंड़ियों की भरमार की वजह से नष्ट हो गयी है जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार किसानों की परेशानियों को दूर करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गयी है;

(घ) क्या नकली उर्वरकों और कीटनाशकों के प्रयोग की वजह से किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ता है;

(ङ) यदि हां, तो नकली उर्वरकों और कीटनाशकों के वितरण को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(च) किसानों के हितों की रक्षार्थ अन्य क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (ग) मध्य प्रदेश ने सूचना दी है कि अनुमानत: 9,81,167 हैक्टेयर क्षेत्र में सोयाबीन की फलों पर कैटरपिलर्स का प्रकोप हो गया है जिसमें से 1,37,228 हेक्टेयर क्षेत्र की फसल को 50% से ज्यादा का नुकसान हुआ है। ऐसी किसान जिनकी फसलें कैटरपिलर्स से प्रभावित हो गई हैं राष्ट्रीय कृषि बीमा स्कीम के अंतर्गत मुआवजा प्राप्त कर सकते हैं। समेकित तिलहन, दलहन, आयलपाम और मक्का योजना (आइसोपाम) और मैक्रोमैनेजमेंट स्कीम के अंतर्गत राज्यों को आवंटित धनराशि का उपयोग इस कीट की रोकथाम के लिए किया जा सकता है।

(घ) से (च) पर्यावरण के अनुकूल समेकित कीट प्रबंधन (आई पी एम) दृष्टिकोण के पूरे तत्वावधान में गुणवत्ताप्रद कीटनाशियों के सही और न्यायसंगत प्रयोग के बारे में किसानों को प्रशिक्षण देकर तथा कानूनों को लागू करके किसानों को गुणवत्ताप्रद आदानों की आपूर्ति सुनिश्चित की जाती है। इसके अलावा, राज्यों से अपनी कीटनाशी परीक्षण प्रयोगशालाओं और जैव नियंत्रण प्रयोगशालाओं की बुनियादी सुविधाओं को अद्यतन करने के लिए कह दिया गया है। केन्द्रीय सरकार इस प्रयोजनार्थ सहायता अनुदान दे रही है।

किसानों को उचित मूल्य पर तथा पर्याप्त मात्रा में गुणवत्ताप्रद उर्वरकों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने उर्वरक को आवश्यक जिंस अधिनियम 1955 के अंतर्गत एक आवश्यक जिंस घोषित किया है और देश में उर्वरकों के व्यापार, मूल्य और गुणवत्ता तथा वितरण को विनियमित करने के लिए उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 जारी किया है। राज्य सरकार की क्रियान्वयनकारी एजेंसी को यह अधिकार प्रदान किया गया है कि वह ऐसे व्यक्ति के खिलाफ समुचित प्रशासनिक तथा कानूनी कार्यवाही को जोकि ऐसे उर्वरक के उत्पादन और बिक्री में संलग्न हैं जो उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 में विनिर्दिष्ट मानदण्डों को पूरा नहीं करते हैं।

नकली सामान पर रोक

3140. श्री निखिल कुमार:
श्री अधीर चौधरी:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नकली उत्पादों को रोकने के लिए हाल ही में एक नई प्रौद्योगिकी शुरू की गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वर्तमान तंत्र नकली सामान के प्रसार को रोकने में विफल रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) नई प्रौद्योगिकी नकली सामान को रोकने में किस हद तक सफल रही है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन): (क) भारतीय मानक ब्यूरो को नकली उत्पादों को रोकने के लिए शुरू की गई किसी नई प्रौद्योगिकी की जानकारी नहीं है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

कृषि विज्ञान केन्द्र

3141. श्री अब्दुल रशीद शाहीन: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान कृषि विज्ञान केन्द्र की मुख्य उपलब्धियों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इन केन्द्रों को आवंटित और जारी की गयी निधियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ कृषि विज्ञान केन्द्र जम्मू और कश्मीर राज्य में कुछ गैर-सरकारी संगठनों की निगरानी के तहत कार्य कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो इन गैर-सरकारी संगठनों के नाम क्या हैं तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष इन्हें आवंटित धनराशि और उनके योगदान का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) कृषि विज्ञान केन्द्र का लक्ष्य प्रौद्योगिकी/उत्पाद के प्रदर्शन के माध्यम से प्रौद्योगिकी का मूल्यांकन और परिशोधन करना है और किसानों और विस्तार कार्मिकों को प्रशिक्षण के माध्यम प्रसार करना है। 31.3.2004 को 376 कृषि विज्ञान केन्द्र थे। पिछले तीन वर्षों के दौरान कृषि विज्ञान केन्द्रों की प्रमुख उपलब्धियां निम्न प्रकार है:-

* उन्नत कृषि प्रौद्योगिकी की उत्पादन क्षमताओं का पता लगाने के लिए किसानों के खेतों में 74,286 प्रदर्शन किए गए।
* 17.04 लाख किसानों को प्रशिक्षण दिया गया।
* 1.53 लाख विस्तार कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया गया।
* विस्तार गतिविधियों में 27.04 लाख किसानों ने भाग लिया।

राज्यवार विवरण संलग्न विवरण-I में दिया गया है। इसके अलावा, कृषि विज्ञान केन्द्र ने 12431 टन बीज और 94.09 लाख रोपण सामग्री किसानों को उपलब्ध कराने के लिए उत्पन्न की।

(ख) इस अवधि के दौरान 235.97 करोड़ रु. की राशि आबंटित की। राशि के उपयोग और निष्पादन के आधार पर 233.65 करोड़ रु. रिलीज किए गए। तीन वर्षों में प्रत्येक का राज्यवार विवरण संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) जम्मू व कश्मीर में गैर-सरकारी संगठनों के तहत कार्य कर रहे कृषि विज्ञान केन्द्रों को बंद करने और इसके बाद शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जम्मू में स्थानांतरण के आदेश दे दिए गए। तथापि, कोर्ट के आदेश से स्थानांतरण आदेश स्थगित कर दिए गए।

(घ) 376 कृषि विज्ञान केन्द्रों में से 77 कृषि विज्ञान केन्द्र गैर-सरकारी संगठनों के साथ हैं जिनके नाम संलग्न विवरण-III में दिए गए हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान 74.08 करोड़ रु. इन कृषि विज्ञान केन्द्रों के आबंटित किए गए। पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष का राज्यवार विवरण संलग्न विवरण-IV में दिया गया है। कृषि विज्ञान केन्द्रों को 100 प्रतिशत के आधार पर वित्तीय सहायता दी जाती है।

विवरण I

वर्ष 2001-02 से वर्ष 2003-04 के दौरान कृषि विज्ञान केन्द्रों की राज्यवार उपलब्धियां

क्र. सं.	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	स्वीकृति कृषि विज्ञान केन्द्रों की संख्या	प्रशिक्षण कार्यक्रम के लाभार्थियों की संख्या		किए गए प्रदर्शनों की संख्या	किए गए गतिविधियों के लाभार्थियों की संख्या
			किसान	विस्तार कार्मिक		
1	2	3	4	5	6	7
1.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	1	2458	245	208	14042
2.	आंध्र प्रदेश	22	101048	8088	4152	108499
3.	बिहार	23	109225	17185	4504	168913

1	2	3	4	5	6	7
4.	छत्तीसगढ़	4	8334	2660	962	41256
5.	दिल्ली	1	629	34	232	463
6.	गोवा	1	4085	187	149	17745
7.	गुजरात	13	54938	2665	3259	140400
8.	हरियाणा	15	108850	12418	2679	63147
9.	हिमाचल प्रदेश	12	66200	2039	5585	21532
10.	जम्मू-कश्मीर	9	17625	2404	686	9107
11.	झारखंड	7	43227	3090	4155	74135
12.	कर्नाटक	21	175882	8701	4346	300965
13.	केरल	13	124230	8868	337	180049
14.	लक्षद्वीप	1	3451	1310	—	1066
15.	मध्य प्रदेश	31	53374	8726	4953	162309
16.	महाराष्ट्र	31	173845	18749	6128	222545
17.	उड़ीसा	16	22869	4512	6737	51441
18.	पांडिचेरी	2	12022	1627	139	44707
19.	पंजाब	10	54413	4530	1336	218950
20.	राजस्थान	31	153739	6455	2194	51351
21.	तमिलनाडु	22	199672	10953	5202	157041
22.	उत्तर प्रदेश	41	111083	19687	7429	476650
23.	उत्तरांचल	8	6040	584	851	48971
24.	पश्चिम बंगाल	12	41795	3755	5202	115268
25.	उ. पूर्वी राज्य	29	55214	3534	2861	13194
	कुल	376	1704248	153006	74286	2703736

विवरण II

वर्ष 2001-02 से वर्ष 2003-04 के दौरान कृषि विज्ञान केन्द्रों के लिए आबंटित एवं जारी की गई राशि

(राशि लाख में)

क्र.सं.	राज्य	कृ.वि.के. की संख्या	आबंटित राशि			जारी की गई राशि		
			2001-02	2002-03	2003-04	2001-02	2002-03	2003-04
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	1	43.05	37.57	30.60	43.05	37.57	30.60
2.	आंध्र प्रदेश	22	413.58	585.96	564.32	413.58	585.96	564.32
3.	बिहार	23	356.00	385.90	476.37	356.00	385.90	476.37
4.	छत्तीसगढ़	4	95.90	137.30	117.50	86.64	137.30	117.50
5.	दिल्ली	1	22.50	—	—	22.50	—	—
6.	गोवा	1	23.55	25.90	29.10	23.55	25.90	29.10
7.	गुजरात	13	237.00	258.20	223.70	226.60	258.20	223.70
8.	हरियाणा	15	289.00	417.40	415.58	282.65	417.40	415.58
9.	हिमाचल प्रदेश	12	263.13	359.64	474.13	263.13	359.64	382.17
10.	जम्मू-कश्मीर	7	94.71	103.81	97.42	94.71	103.81	97.42
11.	झारखंड	9	80.70	128.60	205.90	66.48	128.60	205.90
12.	कर्नाटक	21	250.43	271.66	325.89	250.43	268.16	325.84
13.	केरल	13	215.50	242.08	253.90	215.50	242.08	253.90
14.	लक्षद्वीप	1	17.34	18.60	18.90	17.34	18.60	18.90
15.	मध्य प्रदेश	31	383.90	565.47	647.16	364.09	558.07	646.74
16.	महाराष्ट्र	31	538.82	850.00	848.73	538.82	850.00	839.43
17.	उड़ीसा	16	308.60	486.66	483.81	299.90	486.66	483.81
18.	पांडिचेरी	2	62.10	54.20	68.13	62.10	54.20	63.13
19.	पंजाब	10	246.60	317.40	326.32	246.60	317.40	297.35
20.	राजस्थान	31	746.73	1119.22	791.15	746.73	1119.22	791.15
21.	तमिलनाडु	22	298.77	401.52	400.85	297.62	389.98	400.85

1	2	3	4	5	6	7	8	9
22.	उत्तर प्रदेश	41	806.10	912.06	1009.06	806.10	908.92	1009.06
23.	उत्तरांचल	8	47.60	64.70	62.65	47.60	64.70	62.85
24.	पश्चिम बंगाल	12	238.91	245.55	242.35	238.91	245.55	242.35
25.	उ. पूर्वी राज्य	29	340.00	228.50	844.80	340.00	28.50	844.80
	कुल	376	6420.52	8217.80	8958.32	6350.63	8192.32	8822.62

विवरण III

कृषि विज्ञान केन्द्रों सहित गैर-सरकारी संगठनों की राज्यवार सूची

क्र.सं.	नाम
1	2
	आंध्र प्रदेश
1.	कार्रवाई के लिए युवा, दोमालियोदा, हैदराबाद-500029
2.	अरविन्दों ग्रामीण विकास संस्थान, गद्दीपल्ली नालगौंडा-508201
3.	रायलसीमा सेवा समिति, तिरूपति, चित्तूर-517520
4.	ग्राम वन निर्माण समिति, विद्यानगर, हैदराबाद
5.	श्री हनुमंतराय शिक्षा एवं चैरीटेबल सोसायटी, कोथापेटा, कुरनूल
6.	भगवतुल्ला चैरीटेबल ट्रस्ट, येलामनचल्ली-531055, विशाखापटनम
7.	देक्कन डेवलपमैंट सोसायटी, वसीरबाग, हैदराबाद
8.	विनय आश्रम, चेरूपुपल्ली, मंडल गुन्तूर-522309
	बिहार
9.	ग्राम निर्माण मंडल आश्रम, सोकोडेरा-805106, नवादा
10.	बनवासी सेवा केन्द्र, अघोरा, भभुआ, कैमूर-821116
11.	खादी ग्रामोद्योग संघ, खादी एवं ग्राम जमूई-811313
12.	एस के चौधरी एजुकेशन ट्रस्ट-141, सुखदेव विहार, मथुरा रोड, नई दिल्ली-110025
13.	चार्वाक सोसिय्यो-इको डेवलपमेंट ट्रस्ट, कोसिकोलीन, खगरिया
	गुजरात
14.	भारतीय एग्रो इंडस्ट्रीज फाउंडेशन, पुणे
15.	भंगल भारती, बहादुरपुर, बड़ौदा-391125
16.	सरस्वती ग्राम विद्यापीठ, समोदा, मेहसाना
17.	रूरल एग्रो रिसर्च एंड डेवलपमेंट सोसायटी, जूहू, मुम्बई
	हरियाणा
18.	सोसायटी आफ क्रिएशन आफ हैवन आन नार्थ, अम्बाला-133104
19.	भगवतभक्ती आश्रम, रामपुरा, रेवाड़ी-123401
	झारखण्ड
20.	संथाल पहाड़िया सेवा मंडल, वेदघर-814152
21.	रामाकृष्ण मिशन आश्रम, मोराबादी, रांची-834008
22.	होलीकास, वी टी आई, हजारीबाग-825301
	कर्नाटक
23.	जे एस एस रूरल डेवलपमेंट फाउंडेशन, मैसूर
24.	बैलगाम इंटिग्रेटिड रूरल डेवलपमेंट सोसायटी, बेलगाम
25.	के एच पाटिल एग्री साईंसिस फाउंडेशन, गडक-582205

1	2
	केरल
26.	मित्रा निकेतन, वेलांद-696543, तिरूवनंतपुरम
27.	बापूजी सेवा समाज, चकोपल्लम, इडुकी
28.	क्रश्चियन एजेन्सी फोर रूरल डेवलपमेंट, तिरूवल्ला, पेथेनमथिता
	मध्य प्रदेश
29.	कालूखेड़ा शिक्षा समिति, कालूखेड़ा, रतलाम
30.	दीन दयाल रिसर्च इंस्टीट्यूट, रानी झांसी रोड, नई दिल्ली
31.	कस्तूरबा गांधी नेशनल मेमोरियल ट्रस्ट, इंदौर
32.	सैंटर फोर रूरल डेवलपमेंट एंड एनवायरमैंट, भोपाल
33.	प. दीन दयाल कृषि विकास और अनुसंधान संस्थान, भोपाल
	महाराष्ट्र
34.	जीवन ज्योति चैरीटेबल ट्रस्ट, परभनी-431401
35.	डी वाई पाटिल एजुकेशन सोसायटी, तालाशैंडे, कोल्हापुर
36.	सतपुड़ा एजुकेशन सोसायटी, जलगांव, जमोद, बुलदाना-443402
37.	श्रम साधना ट्रस्ट, अमरावती-444602
38.	श्रम साफल्य फाउंडेशन, अमरावती-447701
39.	जे एन इंस्टीट्यूट आफ एजुकेशन साईंस एंड टैक. रिसर्च, नांदेड़-431602
40.	शबरी कृषि प्रस्थान, शोलापुर-413001
41.	सुविदे फाउंडेशन, रिसोद, अकोला-444506
42.	पोइप फलोत्पादन संकर समिति, सिन्धुदुर्ग (महाराष्ट्र) 416616
43.	गोखले एजुकेशन सोसायटी, नासिक
44.	सतपुड़ा विकास मंडल पाल रावेड़, जलगांव-425508
45.	दीन दयाल रिसर्च इंस्टीट्यूट, रानी झांसी मार्ग, नई दिल्ली

1	2
46.	कल्याणी गोरक्षण ट्रस्ट, पुणे-411001
47.	एग्रीकल्चर डेव. ट्रस्ट, बारामती-413115, पुणे
48.	प्रवर इंस्टीट्यूट आफ रिसर्च एंड एजुकेशन इन नैचुरल एंड सोशल साईंस, अहमदनगर
49.	वसंत प्रकाश विकास प्रतिष्ठान, सांगली-416416
50.	मराठवाड़ा शेथी सहाया मंडल, जालना-431203
51.	संत नामदेव सेवाभावी संस्था, हिंगोली
52.	डा. हेडगेवार सेवा समिति, नंदुरबार-425412
	मणिपुर
53.	फाउंडेशन फोर एनवायरमैंट एवं इको. डेव. सर्विसिस, इम्फाल
54.	उटाव ज्वाइंट फार्मिंग कम पिस्की कल्चर कोओपरेटिव सोसायटी, बिसनुपुर
	राजस्थान
55.	प्रगति ट्रस्ट, चोमू, जयपुर-303702
56.	विद्याभवन सोसायटी, वदगांव, उदयपुर-313001
57.	गांधी विद्या मंदिर, सरदार शहर, चुरू-331401
58.	सोसायटी टू अपलिफ्ट रूरल इकोनोमी, बाड़मेड़-334001
59.	केश्यानंद मेमोरियल ट्रस्ट, हनुमानगढ़-335065
	तमिलनाडु
60.	सैंटर फोर डेवलपमैंट एंड कम्यूनिकेशन ट्रस्ट, मदुरै
61.	उपासी, ग्लेनव्यू, कुन्नूर-643101, नीलगिरी, जिला
62.	तलिमनाडु बोर्ड आफ रूरल डेवलपमेंट, मद्रास-500017
63.	आर वी एस एजुकेशन ट्रस्ट, दिंदीगुल, अन्ना
64.	तमिलनाडु बोर्ड आफ रूरल डेवलपमेंट, मद्रास-500012
65.	भक्वा मेमोरियल ट्रस्ट, मद्रास-600080
66.	मृदा, डोमलर लेआउट, बंगलौर-560071
67.	स्कैड, चरणदेवी, तिरूनेवेल्ली

1	2
	त्रिपुरा
68.	श्री रामकृष्ण सेवा केन्द्र, कोलकाता, उत्तर प्रदेश
69.	कमला नेहरू मेमोरियल ट्रस्ट, सुल्तानपुर-228118
70.	दीन दयाल रिसर्च इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली (के वी के, गौंडा)
71.	दीन दयाल रिसर्च इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली (के वी के, चित्रकूट)
72.	कुंवर राम बक्स सिंह एजुकेशन सोसायटी, लखनऊ-226006
73.	राजा अवदेश सिंह मेमोरियल सोसायटी, प्रतापगढ़
74.	पी जी कालेज, रविन्द्रपुरी, गाजीपुर-233002
	पश्चिम बंगाल
75.	श्री रामकृष्ण आश्रम, साउथ, 24 परगना-743338
76.	सेवा भारती, कैपगड़ी, मिदनापुर-721505
77.	कल्याण, पी ओ विवेकानन्द नगर, पुरूलिया-735219

विवरण IV

वर्ष 2001-02 से वर्ष 2003-04 के दौरान गैर-सरकारी संगठनों के कृषि विज्ञान केन्द्रों को आबंटित राज्यवार राशि

(राशि लाख में)

क्र.सं.	राज्य	कृ.वि.के. की संख्या	आबंटित राशि		
			2001-02	2002-03	2003-04
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	8	195.40	261.95	270.40
2.	बिहार	4	89.20	114.68	126.07
3.	गुजरात	4	118.70	144.80	130.55
4.	हरियाणा	2	43.55	50.50	53.95
5.	झारखंड	3	54.71	63.66	70.70
6.	कर्नाटक	3	84.18	86.20	101.88
7.	केरल	3	310.47	431.50	431.33
8.	मध्य प्रदेश	5	120.23	105.43	140.07
9.	महाराष्ट्र	19	387.37	587.35	643.18
10.	राजस्थान	5	173.00	161.10	166.30
11.	तमिलानडु	9	161.24	269.20	251.95
12.	उत्तर प्रदेश	6	165.95	215.12	183.04

1	2	3	4	5	6
13.	पश्चिम बंगाल	3	82.11	85.60	95.50
14.	उ. पूर्वी राज्य	3	33.55	25.10	121.70
	कुल	77	2019.66	2602.19	2786.62

फिल्म सेंसर समिति में पशु कल्याण संगठनों के प्रतिनिधि

3142. श्रीमती मेनका गांधी: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि आज की स्थिति के अनुसार विभिन्न फिल्म सेंसर समितियों में पशु कल्याण संगठनों से कितने व्यक्ति लिए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): आज की तारीख तक विभिन्न फिल्म सेंसर समितियों में पशु कल्याण संगठनों से कोई व्यक्ति नहीं है।

असम में चाय श्रमिक

3143. श्री सर्वानन्द सोनोवाल: क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चाय कंपनियों द्वारा असम लेबर प्लांटेशन एक्ट, 1957 का कार्यान्वयन इसकी शुरूआत से ही नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा असम में चाय श्रमिकों के हितों की रक्षा हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव): (क) बागान श्रम अधिनियम, 1951 असम में चाय कंपनियों द्वारा लागू किया जा रहा है।

(ख) उक्त (क) के मद्देनजर, प्रश्न नहीं उठता।

(ग) असम राज्य सरकार से प्राप्त सूचनानुसार, राज्य सरकार ने निरीक्षण रिपोर्टों में उल्लिखित अनियमितताओं को समय रहते दूर करने के लिए अनुदेश जारी किए हैं तथा वह रीकैल्सिट्रेंट बागान नियोक्ताओं पर कानूनी अदालतों में अभियोग दायर कर रही है, राज्य आवास सलाहकार बोर्ड, राज्य चिकित्सा सलाहकार बोर्ड, राज्य शिक्षा सलाहकार बोर्ड और बागान श्रमिक संबंधी राज्य स्थायी श्रम समिति की त्रिपक्षीय वार्षिक बैठकों और बागान श्रम अधिनियम, 1951 के कार्यान्वयन की प्रगति के अनुवीक्षण हेतु जिला स्तरीय समिति की तिमाही बैठकों में लिए गए निर्णयों को लागू कर रही है ताकि बागान श्रमिकों के हित सुरक्षित रहें।

राष्ट्रीय परियोजना के रूप में नर्मदा परियोजना

3144. श्री वी.के. थुम्मर: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का नर्मदा परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना के रूप में घोषित करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) और (ख) नर्मदा परियोजना को एक राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

पश्चिम बंगाल में खेलों के विकास हेतु नई परियोजनाएं

3145. श्री प्रबोध पाण्डा: क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार को पश्चिम बंगाल से खेलों के विकास हेतु कोई नयी परियोजनाएं प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रयोजनार्थ आवंटित निधियों का परियोजनावार ब्यौरा क्या है;

(घ) अब तक कितनी परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है; और

(ङ) शेष परियोजनाओं को कब तक स्वीकृत किए जाने की संभावना है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री सुनील दत्त): (क) से (घ) जी, हां। ''खेल अवस्थापना के सृजन हेतु अनुदानों'' की योजना के अंतर्गत, वर्ष 2001-02 से 2004-05 (15.12.2004 की स्थिति के अनुसार) के दौरान पश्चिम बंगाल सरकार से 41 परियोजना प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। जिनमें से 33 प्रस्तावों का अनुमोदन हो गया है। उपर्युक्त परियोजनाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ङ) शेष प्रस्तावों का निर्णय पश्चिम बंगाल सरकार से अपूर्ण स्वीकृत परियोजनाओं पर प्रत्युत्तर एवं प्रगति रिपोर्ट प्राप्त होने पर निर्भर करता है।

विवरण

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	कार्यान्वयन एजेंसी के साथ परियोजना का नाम/स्थिति	तारीख सहित सैद्धांतिक रूप में अनुमोदित राशि	तारीख सहित जारी की गई राशि	शेष भुगतान	अभ्युक्तियां
1	2	3	4	5	6
1.	जलपाईगुड़ी में इंडोर स्टेडियम (श्रेणी-2)	20.00 18.12.2001	20.00 तीन किस्तों में	-	परियोजना पूरी कर ली गई
2.	शीरमपुर नगरपालिका, हुगली में फुटबाल मैदान और एथलेटिक्स ट्रैक	2.25 25.9.2002	2.25 6.10.2003	-	परियोजना पूरी कर ली गई
3.	तरुण संघ, फकीरचक, जिला मिदनापुर द्वारा बजकुल में फुटबाल/क्रिकेट मैदान का विकास	1.385 22.3.2002	1.20 2.6.03	0.185	उपयोगिता प्रमाणपत्र/समापन प्रमाणपत्र का प्रतीक्षा है।
4.	विधाननगर नगरपालिका द्वारा विधाननगर नगरपालिका, कलकुटल में खेल मैदान का विकास	3.25 25.5.2002	-	3.25	प्रगति रिपोर्ट/लेखा परीक्षित लेखें प्रतीक्षित है।
5.	कूचबेहर नगरपालिका द्वारा बेहर नगरपालिका, जिला कूच में खेल मैदान का विकास	4.00 25.9.2002	2.00 2.12.2003	2.00	उपयोगिता प्रमाणपत्र/समापन प्रमाणपत्र की प्रतीक्षा है।
6.	रायपुर-सोनारपुर नगरपालिका, जिला चौबीस परगना (दक्षिणी) में खेल मैदान का विकास	2.25 25.9.2002	1.13 18.11.2003	1.12	-वही-
7.	न्यू बैरकपुर, नगरपालिका जिला चौबीस परगना (उत्तर) में खेल मैदान का विकास	1.50 25.9.2002	1.00 2.12.2003	0.05	-वही-
8.	हल्दिया नगरपालिका जिला मिदनापुर में खेल मैदान का विकास	1.50 25.9.2002	0.75 3.10.2003	0.75	-वही-

1	2	3	4	5	6
9.	तारकेश्वर नगरपालिका, जिला हुगली में फुटबाल मैदान का विकास	2.25 25.9.2002	1.12 18.11.2003	1.13	-वही-
10.	भद्रेश्वर नगरपालिका जिला हूगली में वालीबाल का विकास	0.30 25.9.2002	-	0.30	प्रगति रिपोर्ट/लेखा परीक्षित लेखें प्रतीक्षित हैं।
11.	चन्देनागौर नगरपालिका, जिला हुगली	3.00 25.9.2002	1.50 3.10.2003	1.50	उपयोगिता प्रमाणपत्र/समापन प्रमाणपत्र की प्रतीक्षा है।
12.	रिसरा नगरपालिका, जिला हुगली	3.25 25.9.2002	-	3.25	प्रगति रिपोर्ट/लेखा परीक्षित लेखें प्रतीक्षित हैं।
13.	जोयनगर-मोजीपुर नगरपालिका जिला चौबीस परगना (दक्षिणी)	2.50 25.9.2002	-	2.50	-वही-
14.	अधिसूचित क्षेत्र प्राधिकरण जिला नोएडा द्वारा तेहरपुर नाएडा में खेल मैदान का विकास	1.50 25.9.2002	0.75 2.12.2003	0.75	उपयोगिता प्रमाणपत्र/समापन प्रमाणपत्र की प्रतीक्षा है।
15.	इगरा नगरपालिका जिला मिदनापुर में खेल मैदान का विकास	2.25 25.9.2002	1.12 14.11.2003	1.13	उपयोगिता प्रमाणपत्र/समापन प्रमाणपत्र की प्रतीक्षा है।
16.	इंगलिश बाजार नगरपालिका जिला मलादह में फुटबाल मैदान का विकास	1.50 25.9.2002	-	1.50	प्रगति रिपोर्ट/लेखा परीक्षित लेखें प्रतीक्षित हैं।
17.	गंगारकनगर नगरपालिका द्वारा गंगाराम नगर नगरपालिका, जिला दक्षिणी दिनाजपुर में गंगाराम नगर नगरपालिका	1.67 25.9.2002	-	1.67	-वही-
18.	दार्जिलिंग नगर पालिका द्वारा राजकीय उच्च विद्यालय दार्जिलिंग में फुटबाल/हाकी मैदान का विकास	1.50 25.9.2002 (राजकीय स्कूल के नाते स्वीकार्य अनुदान लागत का 50% अथवा	0.75 3.10.2003	0.75	उपयोगिता प्रमाणपत्र/समापन प्रमाणपत्र की प्रतीक्षा है।

1	2	3	4	5	6
19.	बशीर हाट नगरपालिका द्वारा बशीर हाट नगरपालिका जिला चौबीस परगना (उत्तर) में खेल मैदान का विकास	2.25 25.9.2002	–	2.25	प्रगति रिपोर्ट/लेखा परीक्षित लेखें प्रतीक्षित हैं।
20.	दुमदुम नगरपालिका जिला चौबीस परगना (उत्तर) द्वारा दुमदुम में वालीबाल का विकास	0.30 25.9.2002	–	0.30	-वही-
21.	नैहाटी नगरपालिका द्वारा नैहाटी नगरपालिका, जिला चौबीस परगना (उत्तर) में खेल मैदान का विकास	3.00 25.9.2002	1.50 14.11.2003	1.50	उपयोगिता प्रमाणपत्र/समापन प्रमाणपत्र की प्रतीक्षा है।
22.	दक्षिण दुमदुम नगरपालिका जिला चौबीस परगना (उत्तर) में खेल मैदान का विकास	1.05 25.9.2002	–	1.05	प्रगति रिपोर्ट/लेखा परीक्षित लेखें प्रतीक्षित हैं।
23.	बैरकपुर नगरपालिका जिला चौबीस परगना (उत्तर) में खेल मैदान का विकास	2.25 25.9.2002	–	2.25	-वही-
24.	उत्तर बैरकपुर नगरपालिका जिला चौबीस परगना (उत्तर) में फुटबाल मैदान का विकास	1.50 25.9.2002	–	1.50	-वही-
25.	बाड़ानगर नगरपालिका जिला चौबीस परगना (उत्तर)	1.75 25.9.2002	–	1.75	-वही-
26.	बरसात नगरपालिका द्वारा बरसात नगरपालिका, जिला चौबीस परगना (उत्तर) में वालीवाल मैदान का विकास	0.30 25.9.2002	–	0.30	-वही-
27.	अशोक नगर कल्याणगढ़ नगरपालिका जिला चौबीस परगना (उत्तर) द्वारा फुटबाल मैदान का विकास	1.50 25.9.2002	1.00 2.12.2003	0.05	उपयोगिता प्रमाणपत्र/समापन प्रमाणपत्र की प्रतीक्षा है।
28.	गोबरडंगा नगरपालिका जिला चौबीस परगना (उत्तर) में फुटबाल मैदान का विकास	1.50 25.9.2002	–	1.50	प्रगति रिपोर्ट/लेखा परीक्षित लेखें प्रतीक्षित हैं।

1	2	3	4	5	6
29.	कल्याणी नगरपालिका द्वारा कल्याणी नगरपालिका, कल्याणी नादिया में खेल मैदान	4.05 21.11.02	2.00 2.12.2003	2.05	उपयोगिता प्रमाणपत्र/समापन प्रमाणपत्र की प्रतीक्षा है।
30.	विवेकानंद मिशन आश्रम हल्दिया द्वारा विवेकानंद मिशन आश्रम हल्दिया जिला मिदनापुर	1.50 14.5.2003	1.35 24.5.2004	0.15	-वही-
31.	भोलपुर, जिला वीरभूम में श्रीनिकेतन विकास प्राधिकरण द्वारा भोलपुर में इंडोर स्टेडियम (श्रेणी-1)	84.00 26.9.2003	-	84.00	प्रगति रिपोर्ट/लेखा परीक्षित लेखें प्रतीक्षित हैं।
32.	बहुमुखी संघ शंखाडीहा द्वारा शंखाडीहा जिला मिदनापुर में फुटबाल/क्रिकेट मैदान का विकास	1.50 24.12.2003	1.35 24.5.2004	0.15	उपयोगिता प्रमाणपत्र/समापन प्रमाणपत्र की प्रतीक्षा है।
33.	हल्लयान संघ हावड़ा द्वारा हल्लयान जिला हावड़ा में फुटबाल/वालीवाल मैदान	1.786 24.12.2003	-	1.786	प्रगति रिपोर्ट/लेखा परीक्षित लेखें प्रतीक्षित हैं।
34.	खरदाह नगरपालिका जिला चौबीस परगना (उत्तर) में खेल मैदान का विकास	-	-	-	21.08.2002 को कमियां संप्रेषित की गई।
35.	सिल्लीगुड़ी नगरपालिका जिला दार्जिलिंग में खेल मैदान का विकास	-	-	-	22.08.2002 को कमियां संप्रेषित की गई।
36.	खड़गपुर नगरपालिका जिला मिदनापुर में खेल मैदान का विकास	-	-	-	18.09.2002 को कमियां संप्रेषित की गई।
37.	पनिहटटी नगरपालिका जिला चौबीस परगना (उत्तर) में खेल मैदान का विकास	-	-	-	18.09.2002 को कमियां संप्रेषित की गई।
38.	देशबंधु पार्क उत्तर कोलकाता में तरणताल और इंडोर स्टेडियम	-	-	-	27.01.2004 को कमियां संप्रेषित की गई।
39.	रघुनाथ स्मृतिसंघ कालीतला चौबीस परगना (दक्षिण) में खेल मैदान का विकास	-	-	-	मिदनापुर तथा

1	2	3	4	5	6
40.	मैताना जनसेवक संघ, बटटाला मिदनापुर				चौबीस परगना (दक्षिणी) के किसी नए प्रस्ताव पर तब तक विचार नहीं किया जाएगा जब तक इन दो जिलों की लम्बित परियोजनाएं पूरी नहीं हो जाती जिसमें 11 साल पहले अनुमोदित की गई तीन परियोजनाएं शामिल है। तदनुसार राज्य सरकार को दिनांक 27.09.2004 को सूचित कर दिया गया था।
41.	तुकनगंज जिला कूच विहार में तरणताल परिसर				14.12.2004 को कमियां संप्रेषित की गई।

कपास उत्पादन हेतु प्रोत्साहन

3146. श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पूरे देश में विशेषकर महाराष्ट्र के कपास उत्पादन हेतु दिए गए प्रोत्साहन का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): कपास के उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि करने और इसकी गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए राज्य सरकारों के प्रयासों को अनुपूरित करने के लिए कपास प्रौद्योगिकी मिशन के तहत मिनी मिशन-II संबंधी केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम महाराष्ट्र सहित देश के 13 कपास उत्पादक राज्यों में क्रियान्वित की जा रही है। मिनी-मिशन-II के तहत विस्तार कार्मिकों और किसानों के प्रशिक्षण, क्षेत्रीय प्रदर्शन के जरिए उन्नत उत्पादन प्रौद्योगिकियों के अंतरण तथा बीजों, स्प्रेयरों, स्प्रिंकलरों/ड्रिप सिंचाई प्रणाली, फेरोमोन ट्रैप्स, जैव एजेंटों आदि के उपयोग पर सहायता दी जाती है। इसके अलावा, जैव-एजेंट उत्पादन यूनिटों, सीड डिलिंटिंग संयंत्रों की स्थापना तथा रोगों व कीटों की निगरानी के लिए भी राज्यों को सहायता दी जाती है।

बेसल प्रतिबंध संशोधनों की समीक्षा

3147. श्री चन्द्र भूषण सिंह: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 28 नवम्बर, 2004 को जिनेवा में ट्रांसबाउन्डरी मूवमेण्ट आफ हैजार्डस वेस्ट्स और उनके निपटान संबंधी बेसल सम्मेलन के कारण गैर-लौहयुक्त धातु कचरा को प्राप्त करने में तेजी से औद्योगिकीकरण की तरफ बढ़ रहे देश कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं जिसकी वजह से भारत ने पुनर्चक्रण योग्य कचरे की मुक्त ढुलाई के मार्ग में आने वाली रूकावटों को हटाने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत ने बेसल प्रतिबंध संशोधन की समीक्षा करने की मांग की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामोनारायन मीना): (क) से (घ) परिसंकटमय अपशिष्टों की सीमापार

आवाजाही के नियंत्रण और उनके निपटान पर बेसल कन्वेंशन के पक्षकारों की 7वीं बैठक 25-29 अक्तूबर, 2004 को जिनेवा में हुई थी। भारत ने इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाया कि तेजी से औद्योगिकृत हो रहे देशों में अलौह धातु अपशिष्टों को प्राप्त करने में कठिनाईयों का सामना किया जा रहा है। भारत ने निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए बेसल रोक संशोधन की पुनरीक्षा करने के लिए कहा है:-

- बेसल कन्वेंशन के अनुच्छेद-VII के अंतर्गत देशों को सूचीबद्ध करने के लिए मानदण्ड वास्तविक और सीमा में नहीं हैं; और
- बेसल कन्वेंशन के अनुच्छेद-VII से बाहर के देशों के पास अलौह धातु अपशिष्टों के पुन: चक्रण की पर्यावरण के अनुरूप क्षमता है और बेसल कन्वेंशन के उद्देश्यों के अनुरूप विनियामक पद्धति भी शुरू की हुई है।

उत्तर प्रदेश में पशुओं की प्रजातियों का संरक्षण

3148. श्री अशोक कुमार रावत: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश में पशुधन की संख्या में लगातार कमी हो रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) वर्तमान में उत्तर प्रदेश में विभिन्न प्रकार के पशुधन की कुल संख्या कितनी है तथा पशुओं की संख्या और जनसंख्या के बीच अनुपात के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं;

(घ) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश में पशुओं की कतिपय प्रजातियों के संरक्षण हेतु कोई कार्य योजना तैयार की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इस समय उत्तर प्रदेश में पशुधन की कुल संख्या संलग्न विवरण में दी गई है। 2003 की पशुधन गणना के अनन्तिम अनुमान के अनुसार उत्तर प्रदेश में पशुधन एवं जनसंख्या के बीच 0.35 का अनुपात है।

(घ) जी, हां।

(ङ) भारत सरकार अक्तूबर, 2000 से राष्ट्रीय गोपशु तथा भैंस प्रजनन परियोजना (एन पी सी बी बी) क्रियान्वित कर रही है जिसमें महत्वपूर्ण स्वदेशी नस्लों के संरक्षण और उनके विकास के उद्देश्य को भी शामिल किया गया है। इसके अलावा, उत्तर प्रदेश सरकार भी गोपशु एवं भैंस के लिए राज्य प्रजनन नीति क्रियान्वित कर रही है।

विवरण

उत्तर प्रदेश में पशुधन की अनुमानित संख्या

क्र.सं.	पशु के प्रकार	संख्या* (000 में)
1.	संकर पशु	1804
2.	स्वदेशी पशु	17317
	कुल पशु	19121
3.	भैंस	21550
4.	भेड़	1660
5.	बकरियां	12416
6.	घोड़े तथा टट्टू	174
7.	खच्चर	63
8.	गधे	186
9.	ऊंट	20
10.	सूअर	2679
	कुल पशुधन	57869
11.	कुत्ते	5132
12.	खरगोश	22

*स्रोत: 17वीं पशुधन गणना-2003 (अनन्तिम प्रमुख परिणाम)

[हिन्दी]

फैक्ट्री मालिकों द्वारा पर्यावरण संबंधी कानूनों का उल्लंघन

3149. श्री सूरज सिंह: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पर्यावरण संबंधी कानूनों का उल्लंघन करने वाले फैक्ट्री मालिकों के विरुद्ध कार्रवाई करने का कोई प्रावधान है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान राज्यवार कितने मामले दर्ज किए गए हैं और उन पर किस प्रकार की कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या सरकार का चूककर्त्ताओं/दोषियों के विरुद्ध वित्तीय दंड का प्रावधान करने वाले कानूनों को अधिनियमित करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) पर्यावरण संरक्षण हेतु सरकार की भावी योजनाएं कौन-कौन सी है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना): (क) जल (प्रदूषण नियंत्रण व निवारण) अधिनियम, 1974, वायु (प्रदूषण नियंत्रण व निवारण) अधिनियम, 1981 और पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986, में चूककर्त्ता उद्योगों के विरुद्ध कार्रवाई करने हेतु शक्तियों का प्रावधान है।

(ख) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (एस पी सी बी)/प्रदूषण नियंत्रण कमिटियों (पी पी सी) से प्राप्त सूचना के अनुसार, पिछले 3 वर्षों के दौरान उद्योगों के विरुद्ध कुल 364 मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें से 114 मामलों पर निर्णय लिया गया है। चूककर्त्ता उद्योगों के विरुद्ध की गई कार्रवाई में पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत नोटिस/निदेश जारी करना और राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण कमेटी के माध्यम से ऐसी इकाइयों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करना शामिल है। प्रदूणष नियंत्रण सुविधाएं स्थापित करने हेतू चूककर्त्ता इकाइयों के लिए समयबद्ध कार्य योजना तैयार की गई है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। मौजूदा अधिनियमों में चूककर्त्ता उद्योगों के विरुद्ध अर्थदंड सहित कार्रवाई करने का पर्याप्त रूप से प्रावधान है।

(ङ) प्रदूषण नियंत्रण सुविधाएं स्थापित करने हेतु चूककर्त्ता इकाइयों के लिए समयबद्ध कार्य योजना तैयार की गई है। उद्योगों के 17 वर्गों के लिए सुरक्षा हेतु निगमित उत्तरदायित्व पर चार्टर (सी आर ई पी) के अंतर्गत, पर्यावरण प्रबंधन प्रक्रियाओं में स्वच्छतर प्रौद्योगिकियों के अंगीकरण के माध्यम से प्रगतिशील सुधार हेतु एक रोड मैप भी तैयार किया गया है।

[अनुवाद]

कृषि हेतु समुद्री जल का उपयोग

3150. श्री वाडिगा रामकृष्णा: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार कृषि हेतु खारापन दूर करने के पश्चात् समुद्र जल के उपयोग की सम्भावना का पता लगाने का है; और

(ख) यदि हां, तो इसके लिए क्या योजना तैयार की गई है और किन-किन क्षेत्रों में की गई है तथा किन-किन क्षेत्रों की पहचान की गई है तथा किन-किन क्षेत्रों में विशेषकर आंध्र प्रदेश की तटीय लाइन में यह प्रक्रिया पहले ही शुरू कर दी गई है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम में अन्य बातों के साथ-साथ कहा गया है कि "शहरों, विशेषकर दक्षिणी राज्यों में पेयजल की अत्यधिक कमी को समाप्त करने के लिए चेन्नई से प्रारंभ करते हुए समग्र कोरोमंडल तट के साथ-साथ अलवणीकरण संयंत्र संस्थापित किए जाएंगे।"

नलबाना पक्षी अभयारण्य में पक्षियों की संख्या

3151. श्री गिरिधर गमांग: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अरखाखुदा में नए माउथ के खोले जाने के कारण उड़ीसा में चिल्का झील में नलबाना पक्षी अभयारण्य में पक्षियों की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ा है;

(ख) यह माउथ कब खोला गया था; और

(ग) तब से इस अभयारण्य में पक्षियों की संख्या का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना): (क) और (ख) चिल्का समुद्रताल का नया माउथ 23.9.2000 को रामभारतिया में खोला गया था। राज्य सरकार द्वारा प्राप्त सूचना के अनुसार, नया माउथ खोलने से नलबाना पक्षी अभयारण्य पर पड़ने वाले प्रभाव का कोई विस्तृत वैज्ञानिक अध्ययन नहीं किया गया है।

(ग) नलबाना पक्षी अभयारण्य में पक्षियों की संख्या का ब्यौरा निम्नलिखित है।

गणना का वर्ष	पक्षियों की संख्या (लाखों में)
2000-01	5.56
2001-02	2.33
2002-03	2.03
2003-04	1.81

स्पोर्ट्स टेक्नोलाजी मिशन प्रोग्राम

3152. श्री कुलदीप बिश्नोई:
श्री नवजोत सिंह सिद्धू:

क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार खिलाड़ियों के प्रदर्शन को सुधारने के लिए स्पोर्ट्स टेक्नोलाजी मिशन प्रोग्राम स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री सुनील दत्त): (क) सरकार के विचाराधीन ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

खाद्यान्नों की जांच

3153. श्री लक्ष्मण सिंह: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में भंडारित खाद्यान्नों की गुणवत्ता की जांच पर्याप्त संख्या में प्रयोगशालाओं के न होने के कारण नहीं की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा और अधिक संख्या में प्रयोगशालाओं की स्थापना करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) जी, नहीं। भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में भंडारण के दौरान खाद्यान्नों की गुणवत्ता बनाई रखी जाती है और इस प्रकार की कोई रिपोर्ट नहीं है कि समुचित संख्या में प्रयोगशालाओं के न होने के कारण गुणवत्ता की जांच नहीं की जाती है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

कर्नाटक में स्टेडियम का निर्माण

3154. श्री एम. शिवन्ना: क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को चमराजा नगर जिले में स्टेडियम के निर्माण हेतु कर्नाटक सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजना हेतु कुल कितनी धनराशि जारी की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस स्टेडियम को कब तक निर्मित किए जाने की संभावना है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री सुनील दत्त): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) कर्नाटक के चमराजा नगर जिले में स्टेडियमों के निर्माण के लिए 2001-2002 से 2004-2005 (30.11.2004 तक की स्थिति के अनुसार) के दौरान खेल अवस्थापना के सृजन हेतु अनुदानों की योजना के अंतर्गत कर्नाटक सरकार से प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा तथा स्थिति नीचे दी गयी है। यह कर्नाटक राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि अनुमोदित परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करवाए तथा सरकार से अनुमोदित अनुदान प्राप्त करने के लिए उपयोग प्रमाणपत्र/प्रगति रिपोर्ट/समापन प्रमाणपत्र आदि भेजे।

क्र.सं.	परियोजना	अनुमोदित अनुदान	जारी किया गया अनुदान	अभ्युक्तियां
1	2	3	4	5
		(लाख रुपये में)		
1.	हनूर कोल्लेगाल, चमराजा नगर में तालुक स्टेडियम	16.00	8.00	राज्य सरकार से उपयोग/समापन प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हुए हैं।

1	2	3	4	5
2.	तालुक स्टेडियम, गुंडलुपेट, चमराजा नगर में बास्केटबाल/वालीबाल कोर्ट	1.95	शून्य	राज्य सरकार से प्रगति रिपोर्ट/लेखा परीक्षित लेखे प्राप्त नहीं हुए हैं।
3.	गंडलुपेट, चमराजा नगर में इंडोर स्टेडियम श्रेणी-3	30.00	शून्य	-वही-
4.	चमराजा नगर में जिला स्तरीय खेल परिसर	-	-	कमियां 18.12.2003 को संप्रेषित की गई।

मछुआरों की समस्याएं

3155. श्री पी.सी. थामस: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को देश के मछुआरों की गंभीर दुर्दशा की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या केरल तट के मछुआरे बहुत बड़ी वित्तीय कठिनाई से जूझ रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या पारंपरिक मछुआरे ट्रौलिंग एवं अन्य आधुनिकीकरण कार्यों सहित उदारीकृत नीतियों के कारण संकट में हैं;

(ङ) क्या बहुराष्ट्रीय और निजी कंपनियों ने उक्त उदारीकृत नीतियों का फायदा उठाया है;

(च) यदि हां, तो क्या इससे पारंपरिक मछुआरे प्रभावित हुए हैं;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) पारपंरिक मछुआरों को ऐसे संकट और कठिनाइयों से बचाने हेतु क्या उपाय किए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (ज) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु रोड शो

3156. श्री सीताराम सिंह: क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार भारत को पर्यटकों के लिए लोकप्रिय गंतव्य बनाने हेतु दूसरे देशों में ''रोड शो'' आयोजित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वे देश कौन से हैं जिनमें ऐसे शो आयोजित किए गए हैं अथवा आयोजित किए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) से (ग) भारत की एक वांछनीय पर्यटक गंतव्य के रूप में मार्केटिंग और संवर्धन के लिए, विदेशों के महत्वपूर्ण पर्यटक सृजक बाजारों में रोड शो आयोजित करना, पर्यटन मंत्रालय का एक सतत एवं आगे चलने वाला संवर्धनात्मक कार्यकलाप है।

[अनुवाद]

बागवानी के विकास हेतु एकीकृत कार्यक्रम

3157. श्री डी. नरबुला: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत जनजातीय/पर्वतीय क्षेत्रों में बागवानी के विकास से संबंधित एकीकृत कार्यक्रमों का कार्यान्वयन किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वर्तमान वित्तीय वर्ष और दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकार द्वारा राज्यवार कितना वित्तीय आबंटन किया गया है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान आज तक पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में क्रियान्वित की गई योजनाओं और वित्तीय आबंटन और धन के उपयोग का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) जी, हां।

(ख) जनजातीय/पहाड़ी क्षेत्रों में बागवानी के विकास के लिए 2000-01 से 'जनजातीय/पहाड़ी क्षेत्रों में समेकित बागवानी विकास' नामक एक केन्द्र क्षेत्रीय स्कीम क्रियान्वित की जा रही है। इस कार्यक्रम में शामिल हैं-फसल उत्पादन, प्रौद्योगिकी का अंतरण, सिंचाई सुविधाएं, बागवानी मशीनरियां, आन-फार्म हैण्डलिंग, वैकल्पिक विपणन व्यवस्था और अन्य आवश्यकता आधारित क्रियाकलाप। चालू वर्ष के लिए 1600.00 लाख रु. और दसवीं पंचवर्षीय योजना के लिए 4500.00 करोड़ रु. का आवंटन किया गया है। यह कार्यक्रम परियोजना आधारित है और राज्यवार कोई निर्धारित आवंटन नहीं किया जाता है।

(ग) पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में 2002-03 से अब तक 215.75 लाख रु. की राशि स्वीकृत की जा चुकी है। 2004-05 तक 156.75 लाख रु. पहले ही जारी किए जा चुके हैं जिनमें से 97.75 लाख रु. की राशि 2003-04 तक खर्च की जा चुकी थी।

प्रतिकारी वनरोपण

3158. श्री बृज किशोर त्रिपाठी: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों, विशेषकर उड़ीसा में खनन गतिविधियों में संलिप्त सरकारी और निजी क्षेत्र की प्रत्येक कंपनी द्वारा पर्यावरण और वन को पहुंचाई गई क्षति का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन कंपनियों के द्वारा खनन के पश्चात् छोड़ दिए गए गड्ढ़ों में वृक्ष लगाए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ममोनारायन मीणा): (क) से (घ) पूरे देश में पिछले तीन वर्षों के दौरान वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत खनन के लिए 20,295 हेक्टेयर वनभूमि वाले 297 परियोजना प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया है। उड़ीसा के संबंध में इस अवधि के दौरान खनन के लिए 2482 हैक्टेयर वनभूमि वाले 26 परियोजना प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया। अत: खनन कार्यों के कारण 20,295 हैक्टेयर भूमि पर वन आवरण और वन संसाधन प्रभावित हुए हैं। उक्त अधिनियम के अंतर्गत खनन के लिए अनुमोदन प्रदान करते समय वृक्षों के काटने और उस वन क्षेत्र में बाद में खनन के दुष्प्रभावों को कम करने के लिए प्रतिपूरक वनीकरण, सुरक्षा क्षेत्र सृजन, संवर्धन के लिए वृक्षारोपण, पहले से प्रयोग किए गए क्षेत्र का पुनरुद्धार, अधिक भरण का स्थिरीकरण जैसी विशिष्ट शर्तें लगाई जाती हैं। प्रयोक्त एजेंसियां राज्य वन विभाग की निगरानी में इन शर्तों का अनुपालन करती हैं जिसके बाद इस मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा निगरानी की जाती है। पिछले तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा को खनन के लिए दी गई वन भूमि के बदले 5,240 हैक्टेयर पर प्रतिपूरक वनीकरण की शर्त लगाई गई है।

ई.एस.आई. के भुगतान में चूक

3159. श्री गुरूदास दासगुप्त: क्या श्रम और रोजगार मंत्री दिनांक 19 जुलाई, 2004 के अतारांकित प्रश्न संख्या 173 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अदा न की गई धनराशि कितनी है;

(ख) अब तक चूककर्त्ता नियोक्ताओं से कितने बकाए की वसूली की गई है; और

(ग) चूककर्त्ता नियोक्ताओं के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव): (क) 31.03.2004 की स्थिति के अनुसार कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अंशदान की ब्याज सहित अदा न की गई संचयी राशि 918.47 करोड़ रुपये थी।

(ख) चालू वित्त वर्ष के दौरान अप्रैल 2004 से नवंबर, 2004 तक लगभग 100.23 करोड़ रुपये वसूल किए गए हैं।

(ग) चूककर्त्ता नियोक्ताओं द्वारा क.रा.बी. अंशदान का भुगतान न करने पर, क.रा.बी. अधिनियम की धारा 85/85 क तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 406/409 के अंतर्गत अभियोजन चलाए जाने के अलावा क.रा.बी. अधिनियम की धारा 45-ग से 45-झ के प्रावधानों के अनुसार क.रा.बी. निगम के वसूली अधिकारियों द्वारा भू-राजस्व के बकायों के रूप में देयों की वसूली की जाती है।

सब्जियों का मूल्य

3160. डा. एम. जगन्नाथ: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अंतर्राष्ट्रीय बाजार की तुलना में यहां प्याज और आलू का मूल्य अधिक है;

(ख) यदि हां, तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्याज और आलू का क्या मूल्य है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान निर्यातित प्याज और आलू की देशवार मात्रा कितनी है;

(घ) इनसे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई है; और

(ङ) सरकार द्वारा प्याज और आलू के मूल्यों को नियंत्रण में रखने हेतु क्या उपचारात्मक उपाय करने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यात किए गए प्याज एवं आलू की मात्रा एवं मूल्य क्रमश: विवरण-I व II पर दिए गए हैं।

(ङ) इस वर्ष आलू एवं प्याज का उत्पादन पहले से अधिक होने की आशा है और इनके मूल्यों में हाल ही में गिरावट दर्ज की गई है।

विवरण I

वर्ष 2001-02 से 2003-04 के दौरान देश से गंतव्य स्थानवार प्याज का निर्यात

(मात्रा मी. टन में)
(मूल्य लाख रु. में)

गंतव्य	2001-02		2002-03		2003-04	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1	2	3	4	5	6	7
दुबई	81711	6539.55	108039	7540.98	104361	10078.35
बहरीन	14336	1179.59	21658	1542.52	23145	2512.85
दोहा/कतर	1297	100.21	3210	244.51	1722	174.6
शारजाह	1397	111.44	9099	666.91	13110	1188.63
कुवैत	1332	109.07	1450	105.35	3407	408.72
अबुधबी	8725	706.48	4063	310.18	7264	720.06
पाकिस्तान	1391	98.72	15583	1003.79	0	0
री यूनियन	3151	441.93	5530	623.29	6093	779.31
दम्माम	7236	608.84	15943	1131.96	14592	1510.59
सिंगापोर	16432	1510.19	20484	1612.20	37356	3590.33
मलेशिया	83551	7683.6	111402	8239.32	161695	18383.41

1	2	3	4	5	6	7
मालदीव	3347	369.3	3901	442.31	3937	533.68
श्रीलंका	84236	6781.73	102668	7160.66	113788	10729.07
बंगला देश	187104	13571.76	94132	5602.82	303325	26944.31
नेपाल	1488	99.51	6750	334.73	26882	1985.60
सीचेलिस	645	89.41	688	88.35	375	57.37
मारीशस	7842	927.48	9587	1138.39	11230	1553.42
मसक्ट	182	15.21	1773	131.66	2451	236.8
मनिला	541	79.09	0	0	52	6.21
ग्रीस	—	—	—	—	1170	166.26
अन्य	980	117.42	9251	798.77	4706	610.94
कुल	506924	41140.53	545211	38718.70	840661	82170.51

विवरण II

वर्ष 2001-02 से 2003-04 के दौरान देश से आलू का गंतव्य स्थानवार निर्यात

(मात्रा कि.ग्रा. में)
(मूल्य रु. में)

ताजे आलू	2001-02		2002-03		2003-04	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1	2	3	4	5	6	7
आस्ट्रेलिया	3015	14367	0	0	0	0
बंग्लादेश	184020	1018146	0	0	160300	484958
बहरीन आईएस	0	0	0	0	41410	200282
कनाडा	0	0	10000	48229	0	0
डेनमार्क	0	0	0	0	200000	865920
जर्मनी	0	0	0	0	630000	2019938
यू.के.	0	0	24414	1074753	8000	35569
इटली	14400	154231	0	0	388440	1810320

1	2	3	4	5	6	7
जापान	0	0	0	0	7000	11300
कुवैत	0	0	0	0	3520	16780
श्रीलंका	386910	2430243	7800769	51179544	3816200	24598666
मालदीव	0	0	333329	2517684	803037	5004632
मारीशस	20000	82411	1129250	9889079	3021100	26965918
मलेशिया	265800	1409778	41000	215558	97000	555984
नार्वे	0	0	0	0	3000	23228
नेपाल	6432769	18847089	14687638	50127322	55234659	198915211
ओमान	1200	12703	0	0	131597	836543
कतर	0	0	70000	485905	43000	215423
सउदी अरबिया	5310	24801	1700	20613	9000	31383
सिंगापोर	87000	432700	121131	1617146	114520	910169
स्वीटजरलैंड	0	0	1000	11005	0	0
सीचेलिस	0	0	0	0	216000	1820064
यू.ए.ई.	941902	8884430	144900	1049208	312090	1871175
यू.एस.ए.	30000	95496	0	0	800000	3535212
यमन गणतंत्र	0	0	0	0	500000	2031698
अनस्पेसीफाइड	0	0	0	0	1200000	5104759
उत्पाद कुल	8282326	33406395	24365131	118236046	67739873	277865132

राष्ट्रीय जल कार्यक्रम

3161. श्री देविदास पिंगले:
प्रो. महादेवराव शिवनकर:
श्री मुन्शी राम:

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार भूमि संसाधन और जल संसाधन विभागों का विलय कर राष्ट्रीय जल कार्यक्रम तैयार करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या जल संरक्षण की परियोजनाओं में कमियां पाई गई हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) से (घ) जी, नहीं। तथापि, भारत सरकार ने राष्ट्रीय जल मिशन के माध्यम से जल संरक्षण कार्यसूची पर ध्यान देने के लिए अनेक मंत्रालयों से चुनिंदा निर्माणाधीन स्कीमों

के समेकन पर ध्यान देने तथा विभिन्न कार्यक्रमों को संयोजित करने के लिए विशेष सिफारिश/सुझाव देने के वास्ते एक अंतर्मंत्रालयी कार्यदल का गठन किया है।

[हिन्दी]

उन्नत भंडार-गोदामों के लिए प्रौद्योगिकी

3162. प्रो. महादेवराव शिवनकर:
श्री देविदास पिंगले:
श्री मुन्शी राम:
श्रीमती अनुराधा चौधरी:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र ने खाद्यान्नों, फलों और सब्जियों की शेल्फ-लाईफ, संरक्षण की गुणवत्ता को बढ़ाने और पोषक तत्वों को बनाए रखने हेतु कोई भंडारण तकनीक विकसित की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार विभिन्न राज्यों में ऐसे गोदामों को स्थापित करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान उचित भंडारण सुविधा के अभाव में बर्बाद होने वाले खाद्यान्नों फलों और सब्जियों की वर्षवार और राज्य-वार मात्रा कितनी है?

कृषि मंत्रालय तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) जी, हां। भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र ने जन्तुबाधा बचाव के लिए अनाजों, फलों और सब्जियों के विकिरण प्रसंस्करण हेतु प्रौद्योगिकी विकसित की है। यह प्रौद्योगिकी ट्यूबर्स, बल्ब और राइजोम में अंकुरण के अवरोधन में मदद करती है और फलों तथा सब्जियों के पकने की प्रक्रिया में विलंब करती है। यह भोजन के सड़ने के लिए जिम्मेदार सूक्ष्म जीवाणुओं और परजीवियों को नष्ट करने और भोजन में जन स्वास्थ्य की महत्ता के तत्वों में लगने वाले रोगजनकों को समाप्त करने में भी मदद करती है।

(ख) और (ग) जी, नहीं। सरकार का फिलहाल विभिन्न राज्यों में विकिरण प्रसंस्करण संयंत्र लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, परमाणु ऊर्जा विभाग ने दो अर्थात् वाशी, नवी मुम्बई और नासिक के निकट लसाईगांव में प्रत्येक में एक-एक विकिरण प्रसंस्करण संयंत्र लगाये हैं।

(घ) खाद्यान्नों, फलों और सब्जियों के लिए अनुपयुक्त भंडारण सुविधा सहित फसल उपरान्त हानियों के लिए कोई अधिकृत अनुमान उपलब्ध नहीं है। तथापि, खाद्यान्नों में 10% तक और फलों और सब्जियों में 20-40% तक फसल कटाई उपरान्त हानियां बताई जाती हैं।

[अनुवाद]

किसानों के लिए कारोबार योजना

3163. श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय किसान आयोग ने किसानों की स्थिति में सुधार लाने से संबंधित अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो इस आयोग की मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) किसानों, विशेषकर छोटे और सीमान्त किसानों की स्थिति में सुधार करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) छोटे और सीमांत किसानों सहित किसानों की स्थिति में सुधार करने के लिए कई स्कीमें कार्यान्वित की जा रही हैं। बीजों, समेकित कीट प्रबंध, अवसंरचनात्मक विकास, पौध संरक्षण उपायों व उपस्करों, कृषि उपस्करों व मशीनरी, सूक्ष्म सिंचाई पोषक तत्वों आदि जैसे विभिन्न घटकों के लिए विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत किसानों को सहायता प्रदान की जाती है।

प्रतिबंधित समुद्री सीपियों का उपयोग

3164. श्री मनोरंजन भक्त: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि वर्ष 2001 के बाद से कतिपय समुद्री सीपियों पर लगे प्रतिबंध के कारण अंडमान निकोबार द्वीप-समूह से कतिपय मोलस्का समुद्री सीपियों के उत्पादन और निर्यात में भारी गिरावट आई है और चेन्नई, रामेश्वरम एवं कोलकाता आदि से इसके उत्पादन एवं निर्यात में दोगुनी वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह हस्तशिल्प संघ से कतिपय प्रतिबंधित मोलस्का समुद्री सीपियों पर स्थानीय मदों के अनुसार छूट देने से संबंधित कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो हस्तशिल्पियों द्वारा राजस्व अर्जित करने हेतु प्रचुर स्थानीय समुद्री सीपियों के उपयोग को सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना): (क) से (ग) सरकार ने अपनी दिनांक 11 जुलाई, 2001 की अधिसूचना के अंतर्गत मोलस्का की 52 प्रजातियों को वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 की अनुसूची-I में शामिल किया था। तत्पश्चात्, अंडमान समुद्री सीपी हथकरघा संघ, पोर्ट ब्लेयर सहित कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए जिनमें अनुरोध किया गया था कि हथकरघा मदों की तरह प्रयोग की जाने वाली कतिपय मोलस्का प्रजातियों के लिए छूट दी जाए। केन्द्रीय सरकार ने ध्यानपूर्वक विचार-विमर्श करने के पश्चात् 28 प्रजातियों को वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 की अनुसूची से बाहर निकाल दिया।

मोलस्का की कतिपय प्रजातियों के निर्यात पर लगाया गया प्रतिबंध पूरे देश में लागू है। अत:, इन प्रतिबंधित प्रजातियों के निर्यात में बढ़ोत्तरी/कमी का कोई प्रश्न नहीं उठना चाहिए।

[हिन्दी]

भोज-वृक्षों की तस्करी

3165. श्री निखिल कुमार चौधरी: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भोज पृक्षों की अंधाधुंध कटाई और तस्करी से इसके लुप्त होने का खतरा पैदा हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस वृक्ष के संरक्षण हेतु क्या ठोस कार्य-योजना तैयार की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना): (क) जी नहीं।

(ख) भोज के वृक्षों सहित वन संरक्षण हेतु निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

(1) भारतीय वन अधिनियम, 1927, वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972, वन संरक्षण अधिनियम, 1980 और पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम, 1986 तथा उनके तहत नियम, दिशा-निर्देश जैसे कानूनी उपाय।

(2) अनुमोदित कार्य योजनाओं के अनुसार वनों की कार्य प्रणाली, वन विकास अभिकरण और संयुक्त वन प्रबंधन जैसे प्रबंधन उपाय।

(3) केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं और विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के अंतर्गत राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को वित्तीय सहायता देने जैसे वित्तीय उपाय।

वर्ष 2002-2003 से लागू 'एकीकृत वन सुरक्षा योजना' नामक केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को मुख्य रूप से अवैध कटाई, आग, अतिक्रमण आदि से वनों को बचाने के लिए अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण हेतु निधियां दी जाती हैं।

(4) सुरक्षित क्षेत्रों का एक नेटवर्क स्थापित किया गया है।

[अनुवाद]

यमुना नदी जल बंटवारा

3166. श्री दुष्यंत सिंह: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यमुना नदी जल बंटवारे के संबंध में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के बीच किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या राजस्थान को समझौता ज्ञापन में किए गए प्रावधान के बावजूद यमुना नदी जल से उसका हिस्सा प्राप्त नहीं हो रहा है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस मामले में हस्तक्षेप करने और इसका समाधान करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) जी, हां।

(ख) ओखला तक यमुना नदी के सतही प्रवाह के बंटवारे के संबंध में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के बीच 12 मई, 1994 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए थे। अपनी सिंचाई और खपतकारी पेयजल आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बेसिन राज्य यमुना नदी के माध्य वर्ष

उपलब्धता के आधार पर आकलित प्रयोज्य जल संसाधन के निम्नानुसार आबंटन पर सहमत हुए।

1.	हरियाणा	5.730 बीसीएम (बिलियन घनमीटर)
2.	उत्तर प्रदेश	4.032 बीसीएम
3.	राजस्थान	1.119 बीसीएम
4.	हिमाचल प्रदेश	0.378 बीसीएम
5.	दिल्ली	0.724 बीसीएम

नदी की ऊपरी पहुंचों में भंडारणों के लंबित निर्माण के कारण राज्यों के लिए एक अंतरिम मौसमी आबंटन का निर्णय भी किया गया। राजस्थान के संबंध में निर्णय किया गया मौसमी आबंटन नीचे दिए गए अनुसार था:

राज्य	जुलाई-अक्तूबर	नवम्बर-फरवरी	मार्च-जून	वार्षिक
राजस्थान	0.963 बीसीएम	0.07 बीसीएम	0.086	1.119 बीसीएम

(ग) से (ङ) यमुना नदी के जल में अपने हिस्से के उपयोग के लिए राजस्थान ने ''भरतपुर जिले में यमुना नदी के जल का उपयोग'' और ''झुंझुनू और चुरू जिलों में यमुना नदी के जल का उपयोग'' नामक दो स्कीमें तैयार की हैं। जल संसाधन मंत्रालय की तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा इन स्कीमों को 7.2.2003 को स्वीकृत कर दिया गया है। तथापि, इन स्कीमों को हरियाणा द्वारा उनके क्षेत्र में किए जाने वाले कार्यों की लागत और हरियाणा तथा राजस्थान में एक साथ निर्माण कार्य शुरू करने के संबंध में सहमति देने के अधीन स्वीकृत किया गया था। इन दोनों स्कीमों के लिए हरियाणा की स्वीकृति अभी प्राप्त नहीं हुई है। तदनुसार राजस्थान ने ऊपरी यमुना नदी बोर्ड की 6.8.2004 को हुई बैठक में विचार के लिए इस मामले को प्रस्तुत किया था जहां पर हरियाणा ने अपनी असहमति का उल्लेख किया। इसके पश्चात् हरियाणा ऊपरी यमुना समीक्षा (यूवाईआरसी) की बैठक के लिए अनुरोध किया जिसमें इस मामले पर कार्यसूची की एक मद के रूप में विचार-विमर्श किया जा सके। इस पर सहमति हो गई और यूआईआरसी की अगली बैठक के लिए सभी पक्षकार राज्य से कार्यसूची मदें आमंत्रित की गई हैं।

उपभोक्ता अदालतों का गठन

3167. श्री हरिभाई राठौड़:
श्री रामदास आठवले:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जिला और राज्य स्तर के उपभोक्ता अदालतों/मंचों का गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केंद्र सरकार द्वारा उक्त अदालतों/मंचों का गठन करने हेतु राज्यों को कोई सहायता उपलब्ध कराई जाती है;

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इस प्रयोजन हेतु राज्यवार कितनी धनराशि आबंटित की गई है; और

(ङ) विद्यमान उपभोक्ता अदालतों/मंचों का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन): (क) और (ख) राष्ट्रीय आयोग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार देश में 34 राज्य आयोग और 582 जिला मंच कार्य कर रहे हैं।

(ग) और (घ) उपभोक्ता विवाद प्रतितोष एजेंसियों के आधार ढांचे को मजबूत बनाने के लिए राज्य सरकारों के प्रयासों को संबल प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने वर्ष 1995-99 के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 61.80 करोड़ रुपए का एकबारगी अनुदान प्रदान किया गया। पिछले तीन वर्षों के दौरान इस प्रयोजन हेतु कोई अनुदान नहीं दिया गया।

(ङ) राज्य आयोगों और जिला मंचों की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य	राज्य आयोग	जिला मंच
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	1	25
2.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	1	2
3.	अरुणाचल प्रदेश	1	13
4.	असम	1	23
5.	बिहार	1	37
6.	चंडीगढ़	1	2
7.	छत्तीसगढ़	1	16

1	2	3	4
8.	दादरा व नगर हवेली/दमण व दीव	1 (संयुक्त)	2
9.	दिल्ली	1	9
10.	गोवा	1	2
11.	गुजरात	1	19
12.	हरियाणा	1	19
13.	हिमाचल प्रदेश	1	12
14.	जम्मू-कश्मीर	1	2
15.	झारखंड	1	22
16.	कर्नाटक	1	30
17.	केरल	1	14
18.	लक्षद्वीप	1	1
19.	मध्य प्रदेश	1	45
20.	महाराष्ट्र	1	34
21.	मणिपुर	1	8
22.	मेघालय	1	7
23.	मिजोरम	1	8
24.	नागालैंड	1	8
25.	उड़ीसा	1	31
26.	पांडिचेरी	1	1
27.	पंजाब	1	17
28.	राजस्थान	1	33
29.	सिक्किम	1	4
30.	तमिलनाडु	1	30
31.	त्रिपुरा	1	3
32.	उत्तर प्रदेश	1	70
33.	उत्तरांचल	1	13
34.	पश्चिम बंगाल	1	20
	योग	34	582

[हिन्दी]

तिलहन और दलहन का उत्पादन

3168. श्री कृष्णा मुरारी मोघे: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में जी आई सी ए की सहायता से तिलहन और दलहन के उत्पादन में वृद्धि करने हेतु मध्य प्रदेश सरकार से 145.74 करोड़ रुपये का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह प्रस्ताव केन्द्र सरकार के विचाराधीन है; और

(ग) यदि हां, तो अपेक्षित मंजूरी कब तक प्रदान किए जाने की संभावना है और इस हेतु कितने बजट का प्रावधान किया गया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (ग) मध्य प्रदेश सरकार ने "मध्य प्रदेश राज्य में बुंदेलखण्ड क्षेत्र में तिलहन एवं दलहन उत्पादन को अधिकतम बनाने" पर परियोजना अवधारणा दस्तावेज भेजा था। परियोजना की जांच की गई। राज्य सरकार से संशोधित परियोजना प्रस्ताव जापानी सहायता के लिए निर्धारित प्रपत्र में और कृषि एवं सहकारिता विभाग की टिप्पणियों का विधिवत जवाब देते हुए प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है। राज्य सरकार से संशोधित प्रस्ताव अभी प्राप्त नहीं हुआ है।

उत्तर प्रदेश में हाकी के लिए एस्ट्रोटर्फ बिछाना

3169. श्री संतोष गंगवार: क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश में किन जगहों पर हाकी के लिए एस्ट्रोटर्फ बिछाने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या झांसी और बरेली में भी एस्ट्रोटर्फ बिछाने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो इसे कब तक बिछाए जाने की संभावना है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री सुनील दत्त): (क) से (ग) सिंथेटिक हाकी सतहों को बिछाने के लिए स्वीकार्य

केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने हेतु ''सिंथेटिक सतहों को बिछाने के लिए अनुदानों'' की योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों से प्राप्त व्यवहार्य प्रस्तावों पर मंत्रालय द्वारा विचार किया जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार/भारतीय खेल प्राधिकरण से नौवीं योजना के बाद से मंत्रालय में प्राप्त व्यवहार्य प्रस्तावों के आधार पर, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में सिंथेटिक हाकी सतहों को बिछाने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त हुआ है:-

क्र.सं.	परियोजना	अनुमोदित केन्द्रीय सहायता (लाख रुपयों में)
1.	ध्यानचंद स्टेडियम, झांसी में सिंथेटिक हाकी सतह	100.00
2.	भाखंप्रा उप केन्द्र, लखनऊ में सिंथेटिक खेल सतह	100.00
3.	सफाई, इटावा में सिंथेटिक खेल सतह	100.00
4.	ध्यानचंद स्टेडियम, लखनऊ	50.00

पिछले तीन वर्षों (2001-02 से 2003-04 तक) तथा चालू वर्ष (31.12.2004 तक की स्थिति के अनुसार) के दौरान बरेली में सिंथेटिक हाकी सतह बिछाने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। उपर्युक्त क्रम संख्या 4 पर दी गई परियोजना पूरी हो चुकी है।

अन्य स्थानों पर एस्ट्रोटर्फ बिछाने का कार्य पूरा करना राज्य सरकार से प्रगति रिपोर्ट तथा अन्य अपेक्षित दस्तावेज प्राप्त होने तथा उनकी कार्यपालन अनुसूची पर निर्भर करेगा।

[अनुवाद]

क्रय हेतु विशेष अभिकरण

3170. **श्री रूपचन्द मुर्मू:** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को कुछ राज्य सरकारों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान और मोटे अनाज का क्रय करने के विशेष उद्देश्य से भारतीय खाद्य निगम के अंतर्गत एक विशेष अभिकरण नियुक्त करने हेतु अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

कृषि मंत्रालय तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

रिज एरिया में खनन का प्रभाव

3171. **श्री अवतार सिंह भड़ाना:** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली का रिज एरिया, हरियाणा के रिज क्षेत्र में खनन गतिविधियों और भू-जल की अत्यधिक निकासी के कारण सूख रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय ने इसकी प्राकृतिक सुंदरता को बनाए रखने हेतु सघन वन क्षेत्र अथवा हरित पट्टी विकसित करने के आदेश दिए थे;

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा न्यायालयों के आदेशों के अनुपालन हेतु की जा रही कार्रवाईयों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) न्यायालयों के आदेशों का अनुपालन न करने पर दोषी पाए गए व्यक्तियों, यदि कोई हों, के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना): (क) केन्द्रीय भू-जल बोर्ड ने सूचित किया है कि दिल्ली-हरियाणा सीमा के हरियाणा की तरफ 5 किलोमीटर में स्थित खानों से पम्पिंग रोकने के बाद हरियाणा की सीमा के साथ दिल्ली रिज क्षेत्र में जल स्तर में वृद्धि देखने की मिली है।

(ख) उच्चतम न्यायालय ने एम.सी. मेहता बनाम भारत सरकार मामले में अपने आदेश में रिज की पुरानी भव्यता को बनाए रखने का निर्देश दिया है।

(ग) दिल्ली रिज के संरक्षण के लिए (1) दिल्ली रिज प्रबंधन बोर्ड का गठन, (2) रिज के 7777 हैक्टेयर को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 4 के अंतर्गत आरक्षित वन अधिसूचित करना और (3) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के वन विभाग के पास पड़ी दक्षिण रिज में स्थित ग्राम सभा की कृषि न की गई 4206 हैक्टेयर फालतू भूमि को वनीकरण उद्देश्यों के लिए अधिसूचित करने की कार्रवाई करना शामिल है।

(घ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा इस संबंध में किए गए कार्यों के साथ-साथ (1) ट्रकों और उपकरणों को जब्त करना और (2) उपयुक्त न्यायालयों में रिपोर्टें दाखिल करना शामिल है।

[अनुवाद]

फार्म आउटपुट

3172. श्री जी.वी. हर्ष कुमार: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत वर्ष के दौरान फार्म आउटपुट में गिरावट आई है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) जी नहीं, कृषि में वानिकी एवं लौगिंग तथा मात्स्यिकी सहित कारक (फैक्टर) लागत (1993-94 के मूल्यों पर) पर सकल घरेलू उत्पाद के संदर्भ में कृषि आउटपुट 2003-04 में 315635 करोड़ रु. था जबकि यह 2002-03 में 289385 करोड़ रु. था जोकि पिछले वर्ष के मुकाबले 2003-04 में 9.1% की वृद्धि दर्शाता है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

लंदन में पर्यटन कार्यालय में अनियमितता

3173. श्री वाई.जी. महाजन:
श्री कमला प्रसाद रावत:
श्री रतिलाल कालीदास वर्मा:
श्री पंकज चौधरी:
श्री देविदास पिंगले:
श्री मुन्शी राम:

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को अपने लंदन स्थित पर्यटन कार्यालय में गंभीर वित्तीय अनियमितता की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले की कोई जांच करायी है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(ङ) दोषी अपराधियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गयी है?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) से (ङ) लंदन में भारत पर्यटन कार्यालय के आवधिक निरीक्षण के दौरान, आडिट पार्टी द्वारा वित्तीय एवं प्रक्रियात्मक मामलों से संबंधित कुछ टिप्पणियां की गई। इन्हें अनुपालन हेतु, कार्यालय को संसूचित कर दिया गया है। एक ऐसे मामले में सतर्कता जांच का आदेश दिया गया है।

खाद्य अपमिश्रण

3174. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खाद्य निरीक्षकों द्वारा खाद्य नमूने एकत्र किए जाने के बावजूद देश में खाद्य अपमिश्रण जारी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और गत तीन वर्षों के दौरान उन्होंने कितने नमूने एकत्र किए;

(ग) कुल कितने खाद्य निरीक्षकों की आवश्यकता है और उनकी वर्तमान संख्या कितनी है;

(घ) कितने मामलों में नमूनों में अपमिश्रण पाया गया और संबंधित खाद्य सामग्री क्या थी;

(ङ) खाद्य निरीक्षकों द्वारा उचित मूल्यांकन हेतु पर्याप्त मात्रा में नमूने एकत्र न करने के क्या कारण हैं; और

(च) सरकार ने अपमिश्रण वाले नमूनों के मामले में क्या कार्यवाही की है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

भूजल की उपलब्धता

3175. श्री मोहन रावले: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में भूजल की उपलब्धता सतही जल की उपलब्धता से बहुत कम है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या मूल्यांकन किया गया?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) और (ख) किये गये आकलन के अनुसार भारत की नदी प्रणालियों में औसत वार्षिक प्रवाह 1869 बिलियन घनमीटर (बीसीएम) होने का अनुमान लगाया गया है। उपयोग योग्य वार्षिक जल संसाधन 1122 बीसीएम होने का अनुमान लगाया गया है जिसमें 690 बीसीएम सतही जल संसाधन और 432 बीसीएम भूजल संसाधन शामिल हैं।

तेंदुओं की मौतें

3176. श्री किरिप चालिहा: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को गत तीन वर्षों के दौरान असम में गिब्बन वन्य जीव अभयारण्य के निकटवर्ती क्षेत्रों में 12 तेंदुओं के मृत पाये जाने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या असम में तेंदुए लुप्तप्राय होने की स्थिति में हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा विधि अनुसार उनके संरक्षण के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीणा): (क) और (ख) राज्य सरकार द्वारा यथासूचित असम में गिब्बन वन्यजीव अभयारण्य के निकटवर्ती क्षेत्रों में पिछले तीन वर्षों के दौरान 9 तेंदुओं की मृत्यु हुई। ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) तेन्दुओं की सुरक्षा और संरक्षण हेतु की गई कार्रवाई में शामिल है:-

* तेंदुए को वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 की अनुसूची में शामिल किया गया है जिससे उन्हें अधिकतम सुरक्षा प्राप्त हुई है। तेंदुओं का शिकार और उनके उत्पादों का व्यापार प्रतिबंधित है।
* भारत सरकार की आयात-निर्यात नीति के तहत वन्यजीवों की सभी प्रजातियों और उनके उत्पादों के निर्यात पर पूरा प्रतिबंध लगाया गया है।
* वनस्पतिजात और प्राणिजात की संकटापन्न प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से कन्वेंशन (साइट्स), जिसका, भारत भी एक हस्ताक्षरकर्त्ता है, उसके प्रावधानों के तहत तेंदुओं के व्यापार को नियंत्रित किया जाता है।
* राज्य सरकारों ने तेंदुओं के प्रमुख निवास स्थानों को राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के रूप में अधिसूचित किया है।

विवरण

क्र.सं.	वर्ष	लिंग	संख्या	तारीख	स्थान	मृत्यु का कारण
1	2	3	4	5	6	7
1.	2002	मादा	1	26.4.2002	गिब्बन अभयारण्य के अंदर कम्पार्टमैंट सं. 3	वृद्धावस्था के कारण
2.		मादा	1	29.4.2002	कोटीपानी गांव	वृद्धावस्था के कारण
3.		मादा	1	20.8.2002	मीलेंग गांव	चाय उद्यान के मजदूर द्वारा मारा गया
4.	2003	मादा	1	12.11.2003	काकोजन चाय-एस्टेट	विष देने से मृत्यु का संदेह लेकिन फोरेन्सिक जांच से यह प्रमाणित नहीं हुआ
5.		नर	1	4.11.2003	काकोजन टी एस्टेट	लड़ाई में मारा गया

1	2	3	4	5	6	7
6.		नर	1	15.11.2003	काकोजन टी एस्टेट	विष देने से मृत्यु का संदेह लेकिन फोरेन्सिक जांच से यह प्रमाणित नहीं हुआ
7.	2004	मादा	1	24.3.2004	केरिया गोअन	वृद्धावस्था के कारण
8.		मादा	1	2.8.2004	चेनीजन चाय एस्टेट	दुर्घटना में
9.		नर	1	7.12.2004	वेलियोगुड़ी चाय एस्टेट	विष देने से मृत्यु का संदेह लेकिन फोरेन्सिक जांच से यह प्रमाणित नहीं हुआ

[हिन्दी]

सार्वजनिक वितरण प्रणाली का परिचालन

3177. प्रो. रासा सिंह रावत:
श्री गिरिधारी यादव:
श्री जी. करूणाकर रेड्डी:
श्री इलियास आजमी:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र सरकार द्वारा चलायी जा रही उन कल्याणकारी योजनाओं का ब्यौरा क्या है जिनके लिए भारतीय खाद्य निगम खाद्यान्न की आपूर्ति या तो नि:शुल्क या अत्यधिक राजसहायता प्राप्त दरों पर कर रहा है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान योजनावार कितने खाद्यान्न और अन्य आवश्यक वस्तुओं की राज्य-वार आपूर्ति की गयी;

(ग) क्या कर्नाटक सहित कतिपय राज्य विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत आबंटित खाद्यान्न को नहीं उठा रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार ने भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से खाद्यान्नों के बहुत पुराने भंडार के निपटान के लिए कौन-कौन से नये कदम उठाये हैं;

(ङ) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत कितनी दुकानें और उपभोक्ता पटल चलाये जा रहे हैं; और

(च) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत कितने व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) और (ख) संघ सरकार द्वारा चलाई जा रही उन कल्याण योजनाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं जिनके लिए भारतीय खाद्य निगम मुफ्त अथवा अत्यधिक राजसहायता प्राप्त दरों पर खाद्यान्नों की आपूर्ति कर रहा है।

(ग) जी, नहीं। कर्नाटक सहित राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन विभिन्न कल्याण योजनाओं के अधीन उन्हें आबंटित खाद्यान्नों का उठान कर रहे हैं।

(घ) भारतीय खाद्य निगम द्वारा खाद्यान्नों के पुराने स्टाक की बिक्री खुली बाजार योजना (घरेलू) और निविदा बिक्री के माध्यम से की जाती है।

(ङ) चार लाख छियत्तर हजार नौ सौ तिहत्तर (4,76,973)।

(च) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन 22.47 करोड़ परिवारों को लाभ प्राप्त होता है। देश में प्रत्येक परिवार का औसत आकार 5.51 है।

विवरण-I

विभिन्न कल्याण योजनाओं के अधीन खाद्यान्नों के आबंटन और उठान

(आंकड़े लाख टन में)

1. लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन शामिल किए गए उन लोगों के लाभार्थ जो राशनकार्ड धारक है और जिन्हें राजसहायता प्राप्त दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध करवाए जा रहे हैं।

	आबंटन			उठान		
वर्ष	चावल	गेहूं	जोड़	चावल	गेहूं	जोड़
2001-02	170.76	129.32	300.08	80.42	55.24	135.67
2002-03	358.60	384.68	743.28	102.40	96.16	198.55
2003-04	343.14	369.18	712.32	132.67	106.64	239.31

2. सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना

विभिन्न रोजगार सृजन कार्यक्रम में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को खाद्यान्नों का मुफ्त आबंटन

	आबंटन			उठान		
वर्ष	चावल	गेहूं	जोड़	चावल	गेहूं	जोड़
2001-02	23.64	11.14	34.78	11.69	5.64	17.33
2002-03	28.01	13.90	41.91	21.15	18.87	40.02
2003-04	30.58	16.58	47.16	30.94	20.83	51.17*

*उठान में बैकलाग के प्रति उठान शामिल है।

3. सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का विशेष घटक

काम के बदले अनाज परियोजना चलाने के लिए सूखा/बाढ़ प्रभावित परिवारों के लिए राज्यों को किया गया आबंटन

	आबंटन			उठान		
वर्ष	चावल	गेहूं	जोड़	चावल	गेहूं	जोड़
2001-02	21.66	9.68	31.34*	20.51	8.52	29.03
2002-03	37.02	26.38	63.40	31.89	13.33	45.22
2003-04	43.05	22.79	65.84	32.55	21.89	54.44

*काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अधीन किया गया आबंटन अब सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के विशेष घटक के रूप में जाना जाता है।

4. काम के बदले अनाज का राष्ट्रीय कार्यक्रम-अक्तूबर, 2004 में शुरू किया गया नया कार्यक्रम

देश के 150 जिलों के लिए रोजगार सृजन योजना के अधीन खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है।

	आबंटन		
वर्ष	चावल	गेहूं	जोड़
2004-05	14.80	5.14	19.94

5. मध्याह्न भोजन योजना

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के प्रारंभिक शिक्षा विभाग द्वारा प्राथमिक स्तर तक के बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन योजना चलाने हेतु खाद्यान्न उपलब्ध करवाया जाता है।

	आबंटन			उठान		
वर्ष	चावल	गेहूं	जोड़	चावल	गेहूं	जोड़
2001-02	18.67	9.96	28.63	13.48	7.28	20.76
2002-03	18.84	9.40	28.24	13.75	7.45	21.20
2003-04	17.72	9.08	26.80	13.49	7.20	20.69

6. अन्नपूर्णा योजना

राज्य योजनाओं के अधीन अन्नपूर्णा योजना चलाने के लिए असहाय वरिष्ठ नागरिकों हेतु खाद्यान्नों का आबंटन

क्र.सं.	वर्ष	खाद्यान्नों का आबंटन (चावल और गेहूं)	खाद्यान्नों का उठान (चावल और गेहूं)
1.	2001-02	1.62	0.93
2.	2002-03	0.78	1.15
3.	2003-04	1.23	1.09

7. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग छात्रावास/कल्याण संस्थानों को खाद्यान्नों की आपूर्ति की योजना

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग छात्रावासों जिनमें दो तिहाई निवासी इन वर्गों से हैं तथा कल्याण संस्थान के लिए

	आबंटन			उठान		
वर्ष	चावल	गेहूं	जोड़	चावल	गेहूं	जोड़
2001-02	—	1.96	1.96	0.76	0.07	0.83
2002-03	6.58	4.53	11.11	1.30	0.14	1.44
2003-04	7.88	5.19	13.07	3.15	0.23	3.38

8. गेहूं आधारित पोषाहार कार्यक्रम

6 वर्ष से कम बच्चों और गर्भवती/स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए खाद्यान्न

	आबंटन			उठान		
वर्ष	चावल	गेहूं	जोड़	चावल	गेहूं	जोड़
2001-02	0.80	1.75	2.55	0.32	1.03	1.35
2002-03	1.47	3.27	4.74	0.69	2.13	2.82
2003-04	1.04	5.00	3.72	4.76	2.47	3.08

9. किशोरियों के लिए पोषाहार कार्यक्रम

कुपोषित किशोरियों, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए खाद्यान्नों का आबंटन

	आबंटन			उठान		
वर्ष	चावल	गेहूं	जोड़	चावल	गेहूं	जोड़
2002-03	0.41	0.22	0.63	0.17	0.01	0.18
2003-04	2.23	0.28	2.51	0.63	0.02	0.65

10. आपात पोषण कार्यक्रम

राज्य योजना के अधीन उड़ीसा के 8 केबीके जिलों में वृद्धि, कमजोर और असहाय परिवारों के लिए खाद्य सुरक्षा प्रदान करना

	आबंटन			उठान		
वर्ष	चावल	गेहूं	जोड़	चावल	गेहूं	जोड़
2001-02	0.13	0	0.13	0.05	0	0.05
2002-03	0.14	0	0.14	0.13	0	0.13
2003-04	0.14	0	0.14	0.14	0	0.14

11. अनाज बैंक योजना

आदिवासी क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदाओं के दौरान भुखमरी के विरुद्ध सुरक्षा के लिए खाद्यान्नों का प्रावधान

	आबंटन			उठान		
वर्ष	चावल	गेहूं	जोड़	चावल	गेहूं	जोड़
2002-03	0.02	0.01	0.03	0.005	0	0.005
2003-04	0.05	0.13	0.18	0.01	0	0.01

12. विश्व खाद्य कार्यक्रम

अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा चलाई जाने वाली विकास योजनाओं के अधीन गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी के लिए गरीबी रेखा से नीचे की दरों पर खाद्यान्नों की बिक्री

	बिक्री		
वर्ष	चावल	गेहूं	जोड़
2001-02	0.108	0.389	0.497
2002-03	0.062	0.594	0.656
2003-04	0.063	0.235	0.298

विवरण-II

2001-02, 2002-03 और 2003-04 के दौरान अन्य आवश्यक वस्तुओं का आबंटन

(आंकड़े लाख टन में)

1. चीनी

चीनी मौसम	मात्रा
2001-02	27.79
2002-03	22.59
2003-04	26.08

2. मिट्टी का तेल (एस.के.ओ.)

(आंकड़े लाख टन में)

वर्ष	मात्रा
2001-02	100.22
2002-03	96.07
2003-04	92.76

[अनुवाद]

रिइन्वैन्टिंग ई.पी.एफ. इंडिया कार्यक्रम

3178. श्री असादुद्दीन ओवेसी: क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भविष्य निधि खाता धारकों को अपने खाते से धन निकालने में कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने वर्ष 2001 में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा "रिइन्वैन्टिंग ई.पी.एफ. इंडिया" नामक आधुनिकीकरण कार्यक्रम आरंभ किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) आज की स्थिति के अनुसार इस योजना के अंतर्गत भविष्य निधि की स्थिति क्या है और योजना के अंतर्गत भविष्य निधि के कितने अंशदाताओं को शामिल किया गया;

(च) क्या इस योजना ने भविष्य निधि से इसके अंशदाताओं द्वारा धनराशि निकालने के अच्छे परिणाम प्रस्तुत किये हैं; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जा रहे हैं?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव): (क) और (ख) जी, नहीं। योजना के उपबंधों के अनुसार, हर प्रकार से पूर्ण दावे सामान्यत: 30 दिन के भीतर निपटा दिए जाते हैं। तथापि, नियोक्ता द्वारा अंशदान जमा न करने/विवरणी प्रस्तुत न करने, सदस्यों द्वारा पूर्ण रूप से भरा प्रपत्र जमा न करने तथा लंबी निपटान प्रक्रिया के कारण कतिपय मामलों में विलंब हो जाता है।

(ग) और (घ) जी, हां। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने वर्ष 2001 में "रिइन्वेंटिंग ई.पी.एफ., इंडिया" नामक परियोजना के जरिए आधुनिकीकरण का कार्य शुरू किया है जिसके लक्ष्य निम्नांकित हैं:

(1) कवर किए गए प्रतिष्ठानों और नामांकित अंशदाताओं की संख्या में भारी वृद्धि।

(2) प्रत्येक सदस्य के लिए "कभी भी कहीं भी" अपने खातों की स्थिति, पेंशन सूचना आदि से अवगत होने की सुविधा।

(3) दावा प्राप्ति और चैक जारी करने के बीच 2-3 दिन की समय-सीमा स्थापित करना।

(4) स्वैच्छिक अनुपालन में सुधार करना।

(5) संगठित और असंगठित नियोजन-दोनों में बढ़ते सचल कार्यबल को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराना।

(ङ) 31.3.2004 की स्थिति के अनुसार, कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 में 400.92 लाख सदस्य थे।

(च) जी, हां। वर्ष 2003-2004 के अनुसार, निधि से आहरण के लिए सदस्यों/नामितों ने कुल 24,57,176 दावे दायर किए हैं।

(छ) उक्त (च) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रमंडल खेलों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की खेलकूद सुविधाएं

3179. **श्री के.एस. राव:**
श्री कैलाश मेघवाल:

क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास भारत में वर्ष 2010 में आयोजित किये जाने वाले राष्ट्रमंडल खेलों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की खेलकूद सेवाएं प्रदान करने हेतु पश्चिमी आस्ट्रेलिया से विशेषज्ञता प्राप्त करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री सुनील दत्त): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

राष्ट्रमंडल खेल

3180. **श्री एस.के. खारवेलथन:**
श्री अजीत जोगी:
श्री अनन्त नायक:

क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2010 में भारत में प्रस्तावित राष्ट्रमंडल खेलों से संबंधित विचाराधीन योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) राष्ट्रमंडल खेल, 2010 आयोजित करने के लिए संरचनात्मक प्रावधानों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या खेलों के आयोजन की लागत का पता लगाने के लिए कोई निर्धारण किया गया है;

(घ) यदि हां, तो उक्त प्रयोजन हेतु विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत कुल कितनी धनराशि खर्च होने का अनुमान है;

(ङ) क्या उक्त प्रयोजन हेतु धनराशि जुटाने के संबंध में कोई निर्णय लिया गया है; और

(च) यदि हां, तो यह धनराशि किन स्रोतों से जुटाई जाएगी?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री सुनील दत्त): (क) और (ख) राष्ट्रमंडल खेल, 2010 भारत को आवंटित किए गए हैं तथा दिल्ली में आयोजित किए जाने हैं। 2010 में आयोजित किए जाने वाले राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजन से संबंधित कार्य को करने के लिए मंत्रियों का एक कोर समूह (जी.ओ.एम.) गठित किया गया है। दावा संबंधी दस्तावेज के अनुसार, गठित की जाने वाली अपेक्षित आयोजन समिति पंजीकृत नहीं हुई है। भारतीय खेल प्राधिकरण की अवस्थापना के उन्नयन के लिए एक कार्यदल का गठन किया गया है तथा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (के.लो.नि.वि.) को इस संदर्भ में परामर्शदाता के रूप में रखा गया है।

(ग) और (घ) राष्ट्रमंडल खेलों के दावे के लिए सरकारी अनुमोदन के समय, भारतीय ओलम्पिक संघ (आई.ओ.एम.) ने 399.05 करोड़ रुपये का व्यय प्रस्तावित किया था। इसके अलावा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार ने खेल गांव के निर्माण की लागत 186.00 करोड़ रुपये तथा यमुना खेल परिसर में इंडोर एवं आऊटडोर स्टेडियम के निर्माण तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण की विद्यमान अवस्थापना के उन्नयन के लिए 32.50 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए है। प्रस्तावित अनुमानों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। तथापि, जमैका में दावा संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत करते

समय व्यय के प्रस्तावित अनुमानों को बढ़ाकर संशोधित किया गया था। व्यापक छटनी के बाद इन अनुमानों को और अधिक संशोधित किए जाने की संभावना है।

(ङ) और (च) आई.ओ.एम. ने सरकार को प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय परामर्शदाताओं के आकलन के आधार पर, 100 मिलियन अमरीकी डालर का राजस्व उत्पन्न करने का प्रस्ताव रखा था।

विवरण

क्र.सं.	वर्णन	करोड़ रुपये में
I.	**भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा दिए गए प्रारंभिक अनुमान**	
1.	खेल अवस्थापना: इसमें (1) विद्यमान अवस्थापना का उन्नयन और (2) नए स्टेडियमों का निर्माण शामिल है। उन्नयन: खेलों को किफायती बनाने के लिए भाखेप्रा के प्रबंधन के अंतर्गत विद्यमान खेल संरचना तथा डी.डी.ए., एम.सी.डी., एन.डी.एम.सी. की खेल अवस्थापना तथा दिल्ली में स्थित शैक्षणिक संस्थाओं का उपयोग किया जा सकता है। सभी जगह अंतर्राष्ट्रीय मानव सुविधाओं को पूरा करने के लिए सभी विद्यमान अवस्थापना का उन्नयन करने की जरूरत है, जिसकी लागत इलैक्ट्रोनिक स्कोरबोर्डस तथा नवीनतम संचार सुविधाओं सहित लगभग 150 करोड़ रुपये हो सकती है।	
2.	खेलों का आयोजन	
3.	सहभागियों का खान-पान	
4.	विदेशों तथा भारत के परिसंघ के अधिकारियों के लिए हवाई यात्रा आवास तथा खान पान	
5.	परिवहन	
6.	उद्घाटन तथा समापन समारोह	
7.	खेल सचिवालय	
8.	अन्य व्यय (मेहमाननवाजी-प्रचार-कार्यालय फर्नीचर-मुद्रण-लेखनसामग्री-दूरभाष-फैक्स-स्मारिकाएं-विद्युत-यात्रा आदि)	
9.	सी.जी.एफ. लाइसेंस फीस	
10.	सहभागियों को यात्रा अनुदान	
भारतीय ओलंपिक संघ के प्रारंभिक अनुमानों का उप-जोड़		399.05
II.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार द्वारा खेल गांव की प्रस्तावित प्रारंभिक अनुमानित लागत	186.00
III.	यमुना खेल परिसर में इण्डोर तथा आऊटडोर स्टेडियम के निर्माण तथा डी.डी.ए. की विद्यमान अवस्थापना के उन्नयन की अनुमानित लागत	32.50
	कुल	617.50

पेंशन संबंधी वित्तीय कठिनाई

3181. **श्री अधीर चौधरी:**
श्री निखिल कुमार:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ई.पी.एफ.ओ.) ने यह आशंका जताई है कि देश को वित्तीय कठिनाईयों का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि देश के पास पर्याप्त पेंशन योजनाएं नहीं हैं, जैसा कि दिनांक 1 नवम्बर, 2004 के "स्टेट्समैन" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव): (क) और (ख) योजना आयोग के समक्ष एक प्रस्तुति में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने बताया था कि देश में 60 वर्ष और इससे अधिक उम्र वाले वृद्ध व्यक्तियों की संख्या बढ़ रही है और वृद्धों की जनसंख्या में इस वृद्धि के कारण वृद्धावस्था आय सुरक्षा की आवश्यकता होगी।

(ग) कर्मचारी भविष्य निधि तथा प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के तहत कर्मचारी पेंशन योजना में सेवानिवृत्त सदस्यों को पेंशन और विधवाओं/अनाथों आदि को परिवार पेंशन दिए जाने की व्यवस्था है। अधिनियम के तहत कवरेज में सुधार हो रहा है।

केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान

3182. **श्री सुग्रीव सिंह:**
प्रो. एम. रामदास:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकीय अनुसंधान संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई थी;

(ख) इसके मुख्य उद्देश्य क्या हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान उक्त संस्थान द्वारा क्या अनुसंधान कार्य किया गया?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय): (क) केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकीय अनुसंधान संस्थान की स्थापना वर्ष 1950 में की गई थी।

(ख) इस संस्थान के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं:-

(1) अपनाई जा सकने वाली उपयुक्त प्रौद्योगिकी के जरिए खाद्य की बरबादी' को रोकना।

(2) नवप्रवर्तक उत्पाद विकास और मूल अनुसंधान के जरिए बेहतर पोषण सुनिश्चित करना।

(3) लागत प्रभावी प्रक्रियाओं के जरिए कृषि-संसाधनों का मूल्यवर्धन करना।

(4) नवप्रवर्तन के जरिए अप्रयुक्त खाद्य संसाधनों का उपयोग करना।

(5) लागत प्रभाविता के लिए गौण उत्पादों का उपयोग करना।

(6) खाद्य प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में मानव संसाधन विकास करना।

(7) खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में क्षमता निर्माण और मूल अध्ययन।

(8) अंतर्राष्ट्रीय निर्देश चिह्न समेत प्राप्ति योग्य प्रोटोकाल्स और मानकों के जरिए खाद्य गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना।

(ग) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इस संस्थान द्वारा किए गए अनुसंधान और विकास कार्यकलापों के प्रमुख क्षेत्र निम्नलिखित हैं:-

(1) स्वास्थ्य, पारम्परिक और सुविधाजनक खाद्य।

(2) प्राकृतिक, प्रकृति-समान, प्रकृति के अनुरूप बायोमालिक्यूल्स, बायोएक्टिव सामग्री तथा मेटाबालाइट्स।

(3) उत्पाद प्रक्रियाओं और प्रोटोकाल का विकास।

(4) दीर्घकालीन अनुसंधान रणनीति।

(5) प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त योगजों पर जोर देते हुए मसालों से बायोएक्टिव कंपोनेन्ट की जैव उपलब्धता।

(6) चुनिन्दा कृषि सामग्री का मूल्यवर्धन।

(7) नई और अभिनव-प्रक्रियाएं।

(8) किण्वकों सहित दीर्घकालीन अनुसंधान रणनीति।

(9) शैल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए समाज से संबंधित परियोजनाएं।

कृषि उत्पादों का न्यूनतम समर्थन मूल्य

3183. श्री राजेश वर्मा:
श्री कीर्ति वर्धन सिंह:
श्री विजय कृष्ण:
श्री एस.के. खारवेलथन:

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में गेहूं, चावल और अन्य कृषि उत्पादों/फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी वस्तु-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार अन्य कृषि उत्पादों/फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने और अभी तक बिना किसी आश्वासन मूल्य वाले कुछ अन्य उत्पादों/फसलों को भी शामिल करने का है ताकि उनका उत्पादन बढ़ाया जा सके;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) सरकार ने गेहूं एवं धान सहित विभिन्न कृषि उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्यों (एम एस पी) में बढ़ोत्तरी की है जैसा कि 2004-05 की खरीफ एवं रबी फसलों के लिए मूल्य नीति में घोषित किया गया है।

(ख) हाल के वर्षों में कृषि उत्पादों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। पूरे देश में न्यूनतम समर्थन मूल्य एक समान होते हैं।

(ग) और (घ) सरकार कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफारिशों, राज्य सरकारों और संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों के विचारों और कुछ अन्य संगत कारकों जो सरकार के मत में न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण हैं, को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम एस पी) का निर्णय करती है। सरकार का अतिरिक्त उत्पादों/फसलों का शामिल करने का कोई इरादा नहीं है।

(ङ) सरकार बागवानी जिंसों के अधिप्रापण के लिए मण्डी हस्तक्षेप स्कीम (एम आई एस) का कार्यान्वयन कर रही है। बागवानी जिन्सों के उत्पादकों को फसल के बहुतायत में होने की स्थिति में उन्हें संकटकालीन बिक्री से बचाने के लिए राज्य सरकार के अनुरोध पर जो इसके कार्यान्वयन में यदि कोई हानि होती है ति उसका 50% (पूर्वोत्तर राज्यों के मामले में 25%) वहन करने के लिए तैयार है, किसी विशिष्ट जिस के लिए मंडी हस्तक्षेप स्कीम कार्यान्वित की जाती है।

विवरण

न्यूनतम समर्थन मूल्य
(फसल वर्ष के अनुसार)

(रु. प्रति क्विंटल)

क्र. सं.	जिंस	किस्म	1998-99	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03	विशेष सूखा राहत	2003-04	2004-05	(#)2003-04 की तुलना में 2004-05 में न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	धान	सामान्य	440	490	510	530	530	20	550	560	10(1.8)
		ग्रेणी 'क'	470	520	540	560	560	20	580	590	10(1.7)
2.	ज्वार		390	415	445	485	485	5	505	515	10(2.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	बाजरा		390	415	415	445	485	10	505	515	10(2.0)
4.	मक्का		390	415	445	485	485	5	505	525	10(4.0)
5.	रागी		390	415	445	485	485	5	505	515	10(2.0)
6.	गेहूं		550	580	610	620	620	10	630	640	10(1.6)
7.	जौ		385	430	500	400	400	5	525	540	15(2.9)
8.	चना		895	1015	1100	1200	1220	5	1400	1425	25(1.8)
9.	अरहल (तुर)		960	1105	1200	1320	1320	5	1360	1390	30(2.2)
10.	मूंग		960	1105	1200	1320	1330	5	1370	1410	40(2.9)
11.	उड़द		960	1105	1200	1320	1330	5	1370	1410	40(2.9)
12.	मसूर (लेंटिल)*		—	—	1200	1300	1320	5	1500	1525	25(1.7)
13.	गन्ना@		52.70	56.10	59.50	62.05	69.50	—	73	74.50	1.50(2.0)
14.	कपास	एफ-414/एच-777/जे34	1440	1575	1625	1675	1675	20	1725	1760	35(2.0)
		एच-4	1650	1775	1825	1875	1875	20	1925	1960	35(1.8)
15.	छिलके सहित मूंगफली		1040	1155	1220	1340	1355	20	1400	1500	100(7.1)
16.	पटसन	टौडी-5	650	750	785	810	850	—	860	890	30(3.5)
17.	तोरिया/सरसों		1000	1100	1200	1300	1330	10	1600	1700	100(6.3)
18.	सूरजमुखी बीज		1060	1155	1170	1185	1195	15	1250	1340	90(7.2)
19.	सोयाबीन	काला	705	755	7765	795	795	10	840	900	60(7.1)
		पीला	795	845	865	885	885	10	930	1000	70(7.5)
20.	कुसुम		990	1100	1200	1300	1300	5	1500	1550	50(3.3)
21.	तोरिया		965	1065	1165	1265	1295	10	1565	1665	100(6.4)
22.	तम्बाकू (वीएफसी)	काली मिट्टी (एफ2 ग्रेड)	22.50	25.00	26.00	27.00	28.00	—	31.00	—	
	(रु. प्रति कि.ग्रा.)	हल्की मिट्टी (एल2 ग्रेड)	25.50	27.00	28.00	29.00	30.00	—	33.00	—	
23.	खोपरा	मिलिंग	2900	3100	3250	3300	3300	—	3320	3500	180(5.4)
	(कलैण्डर वर्ष)	बाल	3125	3325	3500	3550	3550	—	3570	3750	180(5.0)
24.	तिल		1060	1205	1300	1400	1450	5	1485	1500	15(1.0)
25.	राम तिल		850	915	1025	1100	1120	—	1155	1180	25(2.2)

@सांविधिक न्यूनतम मूल्य 8.5% की मूल वसूली से जुड़ा है जिसमें उस स्तर से ऊपर की वसूली में प्रत्येक 0.1% की वृद्धि के लिए समानुपातिक प्रीमियम की व्यवस्था है। वर्ष 2002-03 के सांविधिक न्यूनतम मूल्य में सी.ए.सी.पी. द्वारा संस्तुत 5 रुपये प्रति क्विंटल का एक भारगी सुखा राहत शामिल है।

*मसूर (लेंटिल) हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य फसल वर्ष 2000-01 से निर्धारित किया गया है।

#कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े प्रतिशत वृद्धि दर्शाते हैं।

[हिन्दी]

क्रिकेट खिलाड़ियों के लिए ठेका प्रणाली लागू किया जाना

3184. **श्री रघुराज सिंह शाक्य:**
श्री निखिल कुमार चौधरी:
श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद:

क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (बी.सी.सी.आई.) ने क्रिकेट खिलाड़ियों के लिए ठेका प्रणाली लागू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है; और

(ग) भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड के लगातार कानूनी विवादों में घिरे रहने के क्या कारण है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री सुनील दत्त): (क) जी, हां।

(ख) भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (बी.सी.सी.आई.) से प्राप्त सूचना के अनुसार यह एक वार्षिक अनुबंध है जो कि प्रति वर्ष बीस क्रिकेट खिलाड़ियों तक सीमित है। क्रिकेट खिलाड़ियों का चयन एक समिति द्वारा किया जाता है जिसमें अध्यक्ष बी.सी.सी.आई., सचिव बी.सी.सी.आई., चयन समिति के अध्यक्ष और भारतीय टीम का प्रशिक्षक शामिल हैं। इस मामले पर भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान की भी सलाह ली जाती है।

चयनित खिलाड़ियों को तीन श्रेणियों 'क', 'ख', 'ग' में रखा जाता है और इन श्रेणियों में क्रमश: 50 लाख रुपये, 35 लाख रुपये और 20 लाख रुपये, मैच फीस के अलावा दिये जाते हैं।

अनुबंध पद्धति का उद्देश्य खिलाड़ियों की अधिक जवाबदेही सुनिश्चित करना और साथ ही साथ उन्हें चोट लगने आदि जैसी आकस्मिकताओं से सुरक्षित करना है।

(ग) हाल ही में बी.सी.सी.आई. के खिलाफ कई मामले अदालत में दायर किए गए हैं। इनका संबंध मुख्यत: बी.सी.सी.आई. की चयन नीति, प्रबंधन और कार्य का तरीका और प्रक्रियाओं में पारदर्शिता की कमी से है। इनमें से कुछ मुद्दे बी.सी.सी.आई. के सहायक सदस्यों के संबंध में भी उठाये गये हैं।

गांवों में तालाब का निर्माण

3185. **श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा:**
श्री मोहन रावले:
श्री राजेश पाठक:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के प्रत्येक गांव में सिंचाई हेतु तालाब का निर्माण करने की कोई योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक आरंभ किए जाने की संभावना है और इस प्रयोजनार्थ चालू वर्ष के दौरान राज्य सरकारों के लिए कितनी धनराशि जारी की गयी है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) जी, नहीं। तथापि, केन्द्रीय वित्त मंत्री द्वारा बजट भाषण 2004-05 में की गई घोषणा के अनुसार राज्यों के प्रस्तावों को शामिल करते हुए, कृषि से सीधे तौर पर जुड़े हुए जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण और पुनरुद्धार संबंधी एक प्रायोगिक स्कीम शुरू किए जाने का प्रस्ताव है।

(ख) इसरी शुरूआत और चालू वर्ष के दौरान राज्यों को जारी की जाने वाली निधि का ब्यौरा परियोजना प्रस्तावों के अनुमोदन और उन्हें निष्पादन के लिए शुरू किए जाने पर निर्भर करता है।

[अनुवाद]

उड़ीसा में जल संचयन परियोजना

3186. **श्री अनन्त नायक:** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार उड़ीसा में विशेषकर सूखा प्रवण क्षेत्रों में कोई जल संचयन परियोजना आरंभ करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कदम उठाये गये है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) और (ख) जल राज्य का विषय होने के कारण जल संसाधनों के संवर्धन के लिए योजनाएं तैयार करना मुख्यत: संबंधित राज्य सरकार का दायित्व है। जल संसाधन मंत्रालय के तहत केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) ने भी दसवीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के दौरान भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण और वर्षा जल संचयन के लिए 175 करोड़ रुपये की

अनुमानित लागत से एक केन्द्र प्रायोजित स्कीम की संकल्पना की है। इस स्कीम में सूखा प्रवण क्षेत्रों पर विशेष बल देते हुए उड़ीसा राज्य भी शामिल है।

[हिन्दी]

बांध सुरक्षा परियोजना

3187. श्री अजीत जोगी: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार असुरक्षित बांधों के रखरखाव के लिए बांध सुरक्षा प्राधिकरण की स्थापना पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) और (ख) वर्तमान में असुरक्षित बांधों के रखरखाव के लिए बांध सुरक्षा प्राधिकरण के गठन का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, भारत सरकार ने जल संसाधन मंत्रालय के तहत मई, 1979 में केन्द्रीय जल आयोग में बांध सुरक्षा संगठन का गठन किया है। जिसका कार्य बांधों के स्वामी राज्यों/संगठनों को बांध सुरक्षा के लिए परामर्शी सेवा मुहैया कराना है।

अमानत बराज परियोजना

3188. श्री चन्द्रशेखर दूबे: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या झारखंड के पलामू के सूखा प्रभावित जिलों में अमानत बराज परियोजना कार्यान्वित की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस परियोजना को कब तक पूरा किये जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) और (ख) औरंगा जलाशय स्कीम जिसमें अमानत नदी पर "अमानत बैराज" नामक एक लेवल क्रासिंग शामिल है को योजना आयोग ने सितम्बर, 1983 में 185.40 करोड़ रुपये की लागत से स्वीकृत किया था। इसके पश्चात् वर्ष 1993 में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय तथा जनजातीय मामला मंत्रालय की स्वीकृति के अधीन जल संसाधन मंत्रालय की सलाहकार समिति द्वारा 247.61 करोड़ रुपये का संशोधित लागत प्राक्कलन स्वीकार किया गया। राज्य सरकार ने अमानत नदी पर औरंगा जलाशय स्कीम के लिए 914.24 करोड़ रुपये की लागत वाले संशोधित प्रस्ताव को मूल्यांकन के वास्ते केन्द्रीय जल आयोग को प्रस्तुत किया है। इस स्कीम को स्वीकृति दिया जाना राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय मूल्यांकन अभिकरणों की टिप्पणियों के अनुपालन पर निर्भर करता है तथा उसके पश्चात् इस स्कीम का पूरा होना राज्य सरकार द्वारा इस स्कीम को दी जाने वाली प्राथमिकता पर निर्भर करता है।

मणिपुर में संतरा उत्पादन

3189. श्री मणि चारेनामै: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि मणिपुर का तमिंगलौंग जिला संतरा उत्पादक जिला है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने जिले में इसकी अधिक उपज, भंडारण और प्रसंस्करण इकाइयों के लिए और देश के अन्य भागों में इसके परिवहन के लिए कोई तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार के पास संतरा उत्पादन और इसके निर्यात की संभावनाओं का पता लगाने के लिए विशेषज्ञों का दल भेजने की कोई योजना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (ग) जी, हां। तमिंगलौंग मणिपुर राज्य का संतरा उत्पादन करने वाला एक महत्वपूर्ण जिला है। पूर्वोत्तर राज्यों में संतरे सहित बागवानी फसलों को उगाने की क्षमता का दोहन करने के लिए कृषि मंत्रालय, भारत सरकार 2001-02 से सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों में समेकित बागवानी विकास प्रौद्योगिकी मिशन पर एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम का कार्यान्वयन कर रहा है।

सरकार मणिपुर राज्य में बागवानी उत्पादन के कटाई पश्चात् रखरखाव भण्डारण, विपणन, निर्यात और प्रसंस्करण के लिए बुनियादी सुविधाओं के साथ-साथ उपज में बढ़ोत्तरी के लिए तकनीकी एवं वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है जिसमें प्रौद्योगिकी मिशन के चार मिनी मिशनों के माध्यम से संतरे को बढ़ावा देने के लिए मणिपुर का तमिंगलौंग जिला भी शामिल है। मिनी मिशन-I अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी विकास से संबंधित है जिसे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा समन्वित एवं कार्यान्वित किया जाता है। मिनी मिशन-II उत्पादन और उत्पादकता में सुधार लाने से संबंधित है जिसे कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा समन्वित किया जाता है और राज्यों के कृषि/बागवानी विभाग द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। मिनी मिशन-III कटाई पश्चात् प्रबंधन, विपणन और निर्यात से संबंधित है जिसे कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा समन्वित किया जाता है और राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लि. और कृषि एवं संसाधित खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। मिनी मिशन-IV प्रसंस्करण से संबंधित है जिसे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा समन्वित एवं कार्यान्वित किया जाता है।

मणिपुर राज्य में मिशन के अंतर्गत उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता के ब्यौरे निम्न प्रकार से हैं-

वर्ष	रुपये लाख में
2001-02	487.03
2002-03	731.67
2003-04	837.26
2004-05	825.00

(2004-05 के लिए आबंटन 1100 लाख रुपये)

तमिंगलौंग जिले के उपलब्ध कराई गई सहायता के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) और (ङ) राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र, नागपुर, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद मणिपुर केन्द्र और राज्य विभाग, मणिपुर के अधिकारियों के एक विशेषज्ञ दल ने तमिंगलौंग जिले में संतरे के उत्पादन का आकलन किया है। दल ने टिप्पणी दी है कि आदर्श कृषि जलवायवीय स्थितियों द्वारा तमिंगलौंग जिला वाणिज्य पैमाने पर संतरे उगाने के लिए उपयुक्त है। मणिपुर राज्य में संतरे सहित बागवानी उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए वाणिज्य मंत्रालय कृषि एवं संसाधित खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (अपेडा) नियमित रूप से किसानों एवं निर्यातकों के लिए जागरूकता कार्यक्रमों को आयोजित कर रहा है।

विवरण

2001-02 से मणिपुर राज्य के तमिंगलौंग जिले में बागवानी प्रौद्योगिकी मिशन के अंतर्गत उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता के ब्यौरे

क्र.सं.	घटक	इकाई	वास्तविक (लाख रु. में)	वित्तीय
1.	संतरा (क्षेत्र विस्तार)	है.	435	56.550
2.	कम लागत वाले ग्रीन हाउस	वर्ग मी.	7031	5.625
3.	मध्यम लागत वाले ग्रीन हाउस	वर्ग मी.	1000	0.8000
4.	ड्रिप सिंचाई	है.	2	0.570
5.	शेड नैट	वर्ग मी.	27500	3.850
6.	एन्टी हेल नैट	वर्ग मी.	20200	101.000
7.	मल्चिंग	है.	12	0.840
8.	छोटी नर्सरी	सं.	2	6.000
9.	सामुदायिक टैंक	सं.	12	12.000
10.	हस्तचालित स्प्रेयर	सं.	65	0.975
11.	विद्युत चालित स्प्रेयर	सं.	4	0.200
12.	आई पी एम को अपनाना	है.	65	0.650
	कुल			189.06

प्रशिक्षकों के चयन हेतु मानदंड

3190. **श्री रामचन्द्र पासवान:** क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिताओं के लिए टीमों के साथ प्रशिक्षक भेजने के लिए कोई मानदंड निर्धारित किए गये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वर्ष 2000 से आज की तिथि तक विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी प्रतियोगिताओं के लिए कित्ने प्रशिक्षक भेजे गये;

(ग) विभाग चयन समिति द्वारा स्लोवानिया में आयोजित निशानेबाजी के फाइनल दौर के अंतिम फाइनल के लिए खिलाड़ियों के साथ कौन-कौन से प्रशिक्षकों की सिफारिश की गयी; और

(घ) उक्त समिति की सिफारिशों को न मानने के क्या कारण है और खिलाड़ियों द्वारा उक्त प्रतियोगिता में भाग न लेने के क्या कारण हैं?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री सुनील दत्त): (क) और (ख) अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं के लिए जाने वाले टीमों के साथ प्रशिक्षक प्रतिनियुक्त करने के लिए कोई निर्धारित मानदण्ड नहीं है। प्रतिनियुक्त किए गए प्रशिक्षकों की संख्या खिलाड़ियों के दल के आकार और प्रतियोगिता/प्रतिस्पर्धा के महत्व पर निर्भर करता है।

वर्ष 2000 से अभी तक विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी प्रतियोगिताओं के लिए भेजे गए प्रशिक्षकों का विवरण दर्शाने वाली सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) और (घ) उपर्युक्त प्रतिस्पर्धा के लिए विभागीय समिति ने श्री श्याम सिंह यादव के नाम की सिफारिश, प्रशिक्षक के रूप में की थी। विभागीय समिति की सिफारिशें केवल सिफारिश है। तथापि सरकार ने स्लोवानिया में आई.एस.एफ.एफ. विश्व कप फाइनल 2004 के लिए मेजर आर.वी.एस. राठौर के साथ प्रोफेसर सनी थामस की प्रतिनियुक्ति के लिए अनुमोदन किया था क्योंकि वे राष्ट्रीय प्रशिक्षक थे और यह सही चुनाव समझा था। भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ (एन.आर.ए.आई.) ने टीम नहीं भेजी थी और उसे इसके कारण स्पष्ट करने के लिए कहा गया था। भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ का जवाब संतोषजनक नहीं था इसलिए यह निर्णय लिया गया कि वर्ष 2005 के दौरान भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ को संपूर्ण व्यय पर स्वीकार्य एक प्रदर्शन की कटौती की जाए।

विवरण

क्र.सं.	खेल विधा	प्रशिक्षक का नाम
1	2	3
	2000	
1.	26-30 जनवरी, 2000 तक मिलानो और म्यूनिख में राइफल पिस्टल प्रतियोगिता में आई.एस.एस.एफ. विश्व कप	श्री संजय चक्रवर्ती श्री दीप भाटिया
2.	22-31 जनवरी, 2000 तक मलेयिा में 9वीं एशियाई शूटिंग चौंपियनशिप	प्रो. सन्नी थामस श्री टिबोर गोनजोल श्री लासजलो सजुसक श्री तेमूराज मतोयन श्री मारसेलो दरादी
3.	22-31 मार्च, 2000 तक सिडनी में आई.एस.एस.एफ. विश्व कप	श्री लासजलो सजुसक श्री मोहिन्दर लाल
4.	1 मई से 12 जून, 2000 तक यूरोप में प्रशिक्षण-सह-प्रतियोगिता	प्रो. सन्नी थामस श्री लासजलो सजुसक

1	2	3
5.	5-20 मई, 2000 तक लोनेटो और मिश्र में विश्व कप	श्री मारसेलो दरादी श्री रिमुराज मतोही
6.	29 जून-2 जुलाई, 2000 तक प्लेजन (चेक गणराज्य) में शूटिंग जूनियर होप्स की मीटिंग	श्री लासजलो सजुसक श्री दीप भाटिया
7.	25 जुलाई-20 अगस्त, 2000 तक इटली में विदेशी प्रशिक्षक श्री दरादी देख-रेख में ट्रेप शूटर्स का प्रशिक्षण-सह-प्रतियोगिता	श्री मारसेलो दरादी
8.	14-22 जुलाई, 2000 तक अटलांटा में आई.एस.एस.एफ. विश्व कप	प्रो. सन्नी थामस
9.	14-19 नवंबर, 2000 तक म्यूनिख में विश्व कप फाइनल, 2000 में अभिनव बिन्द्रा और श्री लासजलो सजुसक की प्रतिभागिता	श्री लासजलो सजुसक
10.	15-25 सितंबर, 2000 तक आस्ट्रेलिया सिडनी में 27वें ओलंपिक खेल	श्री मारसेलो दरादी श्री लासजलो सजुसक
	2001	
1.	28 जून-1 जुलाई, 2001 तक प्लेजन (चेक गणराज्य) शूटिंग होप्स की 11वीं मीटिंग	श्री संजय चक्रवर्ती श्री वीरेन भट्ट
2.	28 मई-4 जून, 2001 तक मिलानो (इटली) में और 4-11 जून, 2001 तक म्यूनिख (जर्मनी) में आई.एस.एस.एफ. विश्व कप	प्रो. सन्नी थामस श्री डी. लिंगम श्री रणधीर सिंह श्री टी.एस. ढिल्लों
3.	13-23 जून, 2001 और 24-30 जून, 2001 तक बोलोगना में प्रशिक्षण और आई.एस.एस.एफ. विश्व कप	श्री मारसेलो दरादी श्री इरशाद काजिम
4.	22 अगस्त-1 सितंबर, 2001 तक बिसले कैंप में राष्ट्रमंडल शूटिंग चैंपियनशिप और 25.8.2001 को म्यूनिख में आई.एस.एस.एफ. विश्व कप फाइनल	श्री श्याम सिंह यादव श्री दीप भाटिया प्रो. सन्नी थामस श्री टिबोर गोनजोल श्री मोहिन्दर लाल श्री ए.के. बालाषणमुगम श्री मारसेलो दरादी
	2002	
1.	यूरोपियन टूर अंतर्राष्ट्रीय एयर गन शूटिंग, 2002, म्यूनिख (24-27 जनवरी, 2002) और 29 जनवरी-1 फरवरी, 2002 तक अरहस में 11वां अंतर्राष्ट्रीय बाल्टिक कप	प्रो. सन्नी थामस श्री यूव रियस्टियर्र श्री कुंवर रणधीर सिंह

1	2	3
2.	20-29 अप्रैल, 2002 तक सिडनी और संघाई में आई.एस.एस.एफ. विश्व कप	श्री डी.वी.एस. राव श्री डी.एस. चंदेल श्री टिबोर गोनजोल
3.	7-12 मई, 2002 तक सुहल (जर्मनी) में अंतर्राष्ट्रीय जूनियर शूटिंग प्रतियोगिता	श्री संजय चक्रवर्ती श्री रणधीर सिंह
4.	18-23 मई, 2002 तक अटलांटा और मिलानों में आई.एस.एस.एफ. विश्व कप	प्रो. सन्नी थामस
5.	13-16 जून, 2002 तक प्लेजन (चेक गणराज्य) में शूटिंग होप्स की 12वीं मीटिंग	श्री डी. लिंगम श्री वीरेन भट्ट
6.	26 जून-1 जुलाई, 2002 तक सुहल (जर्मनी) में आई.एस.एस.एफ. विश्व कप	श्री जुआन गिहा यरूर
7.	2-16 जुलाई, 2002 तक लहती (फिनलैण्ड) में 48वीं आई.एस.एस.एफ. विश्व शूटिंग चैंपियनशिप	प्रो. सन्नी थामस श्री टिबोर गोनजोल श्री मारसेलो दरादी
8.	12-21 अगस्त, 2002 तक बैकांक में एशियन क्ले शूटिंग चैंपियनशिप	श्री पी.एस. सोढी श्री सुशील चौधरी
9.	20-25 अगस्त, 2002 तक म्यूनिख में आई.एस.एस.एफ. विश्व कप फाइनल	श्री संजय चक्रवर्ती
10.	25 जुलाई-4 अगस्त, 2002 तक बिसले (यू.के.) में 17वें राष्ट्रमंडल खेल, 2002	प्रो. सन्नी थामस श्री टिबोर गोनजोल श्री जगजीत सिंह सेठी
	2003	
1.	3-10 मई, 2003 तक फोर्ट वेनिंग (अमेरिका) में आई.एस.एस.एफ. विश्व कप	प्रो. सन्नी थामस
2.	27 मई-1 जून, 2003 तक सुहल में जूनियर अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता	श्री संजय चक्रवर्ती श्री एम. पद्मनाभन
3.	2-16 जून, 2003 तक जगराव और म्यूनिख में आई.एस.एस.एफ. विश्व कप	प्रो. सन्नी थामस श्री ए.के. बालाषणमुगम
4.	30 जून-8 जुलाई, 2003 तक चांगवोन में आई.एस.एस.एफ. विश्व कप	प्रो. सन्नी थामस कंवर रणधीर सिंह
5.	26-29 जून, 2003 तक प्लेजन में शूटिंग होप्स, 2003 की मीटिंग	श्री टी.एस. ढिल्लन

1	2	3
6.	22-29 जून, 2003 तक स्पेन में आई.एस.एस.एफ. विश्व कप	श्री सुशील चौधरी
7.	2-8 सितंबर, 2003 तक लुनेटो में और 10-17 सितंबर, 2003 तक निकोसिया में आई.एस.एस.एफ. विश्व कप	श्री जगजीत सिंह
8.	7-12 अक्तूबर, 2003 तक मिलानो (इटली) में आई.एस.एस.एफ. विश्व कप फाइनल	प्रो. सन्नी थामस
	2004	
1.	6-18 फरवरी, 2004 तक क्वालालम्पुर में 10वीं एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप और 19-27 फरवरी, 2004 तक बैंकाक में और 28 फरवरी-8 मार्च, 2004 तक सिडनी में आई.एस.एस.एफ. विश्व कप	प्रो. सन्नी थामस श्री स्टेनिस्ले लेपिडस श्री टिबोर गोनजोल श्री जगजीत सिंह कंवर रणधीर सिंह श्री एन.एस. राणा श्री एस.एस. यादव श्री पी.एस. सोढी
2.	10-30 अप्रैल, 2004 तक कैरिओ और एथेंस में आई.एस.एस.एफ. विश्व कप	प्रो. सन्नी थामस श्री स्टेनिस्ले लेपिडस श्री एम. पद्मनाभन
3.	18-23 मई, 2004 तक सुहल में अंतर्राष्ट्रीय जूनियर प्रतियोगिता	श्री डी.एस. चंदेल श्री संजय चक्रवर्ती श्री ए.के. बालाषणमुगम
4.	28 मई-6 जून, 2004 तक अमेरिकना (ब्राजील) में आयोजित आई.एस.एस.एफ. विश्व कप	श्री जगजीत सिंह
5.	14-21 जून, 2004 तक मिलानो में आई.एस.एस.एफ. विश्व कप	प्रो. सन्नी थामस
6.	17-20 जून, 2004 तक प्लेजन (चेक गणराज्य) में शूटिंग होप्स-2004 की 14वीं मीटिंग	सुश्री आभा ढिल्लन कंवर रणधीर सिंह
7.	1-10 जुलाई, 2004 तक बैकांक में एशियन क्ले शूटिंग चैंपियनशिप	श्री दीप भाटिया श्री सुशील चौधरी
8.	15 जुलाई-3 अगस्त, 2004 तक एथेंस ओलंपिक के लिए चयनित निशानेबाजों के लिए हंगरी में प्रशिक्षण	प्रो. सन्नी थामस श्री स्टेनिस्ले लेपिडस
9.	25-31 अक्तूबर, 2004 तक बैकांक में आई.एस.एस.एफ. विश्व कप फाइनल	प्रो. सन्नी थामस

1	2	3
10.	28 मार्च-8 अप्रैल, 2004 तक इस्लामाबाद में 9वें सैफ खेल	श्री सैयद मोहम्मद इसपाहानी श्री धीरेन भाटिया श्री सैयद वाजिद अली श्री वीरेन भट्ट श्री संजीव बहल सुश्री आभा ढिल्लन

[अनुवाद]

खान कर्मियों के लिए आवासीय सुविधाएं

3191. श्री जुएल ओराम: क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में, विशेष रूप से उड़ीसा में लौह अयस्क, मैग्नीज तथा फेरोक्रोम खान कर्मियों के लिए कोई आवासीय/शेल्टर योजना मौजूद है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव): (क) और (ख) सरकार बीड़ी कामगारों के लिए एकीकृत आवास योजना कार्यान्वित कर रही है। इस योजना का विस्तार लौह अयस्क, मैगनीज अयस्क तथा क्रोम अयस्क खान (आई ओ एम सी) श्रमिकों तथा चूना पत्थर व डोलोमाइट खान श्रमिकों के लिए भी किया गया है। इस योजना के तहत अपने घर के निर्माण के लिए मिलने वाली 20,000/- रुपए प्रति श्रमिक की वित्तीय सहायता जिसे हाल ही में 1 जुलाई, 2004 से बढ़ाकर 40,000/- रुपए प्रति श्रमिक कर दिया गया है, या वास्तविक निर्माण लागत की 50 प्रतिशत राशि, जो भी कम हो, विभिन्न राज्यों के पात्र श्रमिकों को उपलब्ध कराई जाती है। इसके अलावा, नाममात्र के मासिक किराए पर खान श्रमिकों को आश्रय उपलब्ध कराने के लिए खान प्रबंधनों को टाइप-I के लिए 40,000/- रुपए की दर से और टाइप-II के लिए 50,000/- रुपए की दर से (विकास प्रभारों सहित) अथवा प्रति मकान की वास्तविक निर्माण लागत की 75 प्रतिशत राशि, जो भी कम हो, आर्थिक सहायता के रूप में दी जाती है। पिछले तीन वर्षों के दौरान खान श्रमिकों के लिए संस्वीकृत आवास आर्थिक सहायता का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

आई ओ एम सी श्रमिक कल्याण निधि के तहत खान श्रमिकों के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान संस्वीकृत आवासों की राज्य-वार संख्या

क्र.सं.	राज्य का नाम	2001-2002			2002-2003			2003-2004		
		टाइप-I	टाइप-II	आईएचएस	टाइप-I	टाइप-II	आईएचएस	टाइप-I	टाइप-II	आईएचएस
1.	उड़ीसा	90	10	565	20	–	–	–	–	–
2.	कर्नाटक	–	–	–	–	–	01	–	–	–
	कुल	90	10	565	20	–	01	–	–	–

चंदन की लकड़ी की चोरी

3192. श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान संयुक्त वन प्रबंध कार्यक्रम के अंतर्गत महाराष्ट्र को कितनी निधियां आबंटित की गई और राज्य में जिलेवार कितनी प्रतिशत वन भूमि है;

(ख) क्या सरकार को महाराष्ट्र के सतना जिले में संगठित गिरोहों द्वारा वन भूमि से चंदन की लकड़ियों की चोरी किए जाने की बढ़ती घटनाओं की जानकारी है;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान जिला वन प्रशासन द्वारा ऐसी कितनी घटनाओं की रिपोर्ट दी गई तथा इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या वन अधिकारियों तथा चंदन तस्करों के बीच सांठगांठ का पता चला है; और

(ङ) यदि हां, तो उक्त स्थिति पर काबू पाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) महाराष्ट्र राज्य में अवक्रमित वनों और निकटवर्ती क्षेत्रों के पुनरुद्भव और पारि-विकास के लिए संयुक्त वन समितियों को शामिल करके मंत्रालय के राष्ट्रीय नवीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत वन विकास एजेंसियों (एफ डी ए) को पिछले तीन वर्षों के दौरान 18.63 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की गई है। राज्य में जिलावार वन आच्छादन के प्रतिशत का विस्तृत ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) जी, हां।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान और वर्तमान वर्ष में नवम्बर, 2004 तक जिला वन प्रशासन द्वारा 284 चंदन के वृक्षों की अवैध कटाई की सूचना दी गई है। 50 आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं और 41 अभियुक्तों पर न्यायालय में मुकदमा चलाया गया है।

(घ) और (ङ) मंत्रालय को वन अधिकारियों और चंदन तस्करों के बीच सांठ-गांठ की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

विवरण

महाराष्ट्र में जिलेवार वन आच्छादन का प्रतिशत

क्र.सं.	जिले का नाम	वनाच्छादन का प्रतिशत
1	2	3
1.	अहमदनगर	1.83
2.	अकोला	6.70
3.	अमरावती	25.69
4.	औरंगाबाद	4.84
5.	भंडारा	25.84
6.	बीड़	2.44
7.	मुम्बई सिटी	0.64
8.	मुम्बई सबर्ब	18.39
9.	बल्दाना	6.41
10.	चंद्रपुर	34.49
11.	धुले	6.86
12.	गढ़चिरोली	69.78
13.	गोन्दिया	37.92
14.	हिंगोली	2.50
15.	जलगांव	10.56
16.	जैना	1.32
17.	रायगढ़	31.99
18.	कोल्हापुर	23.60
19.	लातूर	0.92
20.	नागपुर	19.83
21.	नांदेड़	8.10
22.	नंदरबार	24.12
23.	नासिक	7.07
24.	उस्मानाबाद	1.22

1	2	3
25.	परभानी	2.11
26.	पुणे	8.40
27.	रत्नागिरि	26.94
28.	सांगली	1.75
29.	सतारा	8.67
30.	शोरापुर	0.36
31.	सिंधूदुर्ग	45.67
32.	थाणे	27.95
33.	वर्धा	13.41
34.	वाशिम	6.46
35.	यावतमल	18.77
	राज्य में वन आच्छादन	15.43

फार्म एक्सटेंशन में परिवर्तन

3193. श्री ए.के. मूर्ति: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या फार्म एक्सटेंशन प्रणाली में परिवर्तन करने की मांग की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (ग) कृषि एवं सहकारिता विभाग ने परिवर्तनशील विस्तार आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए देश में कृषि विस्तार पद्धति के संरेखण (एलाइनिंग) के लिए कृषि विस्तार संबंधी नीतिगत ढांचा (पी.एफ.ए.ई.) तैयार किया है। पी.एफ.ए.ई. के प्रमुख घटक इस प्रकार हैं-

* सार्वजनिक क्षेत्र विस्तार का सुधार करना।
* विस्तार में निजी क्षेत्र को बढ़ावा देना।
* विस्तार के लिए प्रचार तंत्र और सूचना प्रौद्योगिकी समर्थन को बढ़ावा देना।
* विस्तार में महिलाओं को मुख्य धारा से जोड़ना।
* किसानों और विस्तार कर्मियों का क्षमता निर्माण/दक्षता उन्नयन।

मध्याह्न 12.00 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

कृषि मंत्रालय तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) (एक) ब्यूरो आफ इंडियन स्टैण्डर्ड्स, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ब्यूरो आफ इंडियन स्टैण्डर्ड्स, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 1281/2004]

जल संसाधन मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं-

(1) नर्मदा कंट्रोल अथारिटी, इंदौर के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 1282/2004]

(2) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) केरल लैंड डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, तिरुअनंतपुरम के वर्ष 1998-1999 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) केरल लैंड डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, तिरुअनंतपुरम के वर्ष 1998-1999 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 1283/2004]

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री सुनील दत्त): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं-

(1) (एक) राजीव गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट आफ यूथ डेवलपमेंट, श्री पेरम्बदूर के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राजीव गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट आफ यूथ डेवलपमेंट, श्री पेरम्बदूर के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 1284/2004]

(2) (एक) स्पोर्ट्स अथारिटी आफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) स्पोर्ट्स अथारिटी आफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 1285/2004]

(4) (एक) स्पोर्ट्स अथारिटी आफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) स्पोर्ट्स अथारिटी आफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 1286/2004]

(6) (एक) लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट आफ फिजीकल एजूकेशन, ग्वालियर के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट आफ फिजीकल एजूकेशन, ग्वालियर के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(तीन) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 1287/2004]

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): महोदय, मैं श्री कांतिलाल भूरिया की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) नेशनल कोआपरेटिव यूनियन आफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल कोआपरेटिव यूनियन आफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल कोआपरेटिव यूनियन आफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 1288/2004]

(2) (एक) नेशनल फेडरेशन आफ लेबर कोआपरेटिव्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल फेडरेशन आफ लेबर कोआपरेटिव्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 1289/2004]

(3) (एक) नेशनल फेडरेशन आफ अर्बन को-आपरेटिव बैंक्स एण्ड क्रेडिट सोसायटीज लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल फेडरेशन आफ अर्बन को-आपरेटिव बैंक्स एण्ड क्रेडिट सोसायटीज लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल फेडरेशन आफ अर्बन को-आपरेटिव बैंक्स एण्ड क्रेडिट सोसायटीज लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 1290/2004]

(4) (एक) नेशनल हार्टिकल्चर बोर्ड, गुड़गांव के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल हार्टिकल्चर बोर्ड, गुड़गांव के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 1291/2004]

(6) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट आफ एग्रीकल्चरल एक्सटेन्सन मैनेजमेंट, हैदराबाद के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट आफ एग्रीकल्चरल एक्सटेन्सन मैनेजमेंट, हैदराबाद के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल इंस्टीट्यूट आफ एग्रीकल्चरल एक्सटेन्सन मैनेजमेंट, हैदराबाद के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 1292/2004]

(7) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट आफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, जयपुर के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट आफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, जयपुर के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 1293/2004]

(9) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट आफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, जयपुर के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट आफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, जयपुर के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की

सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 1294/2004]

(11) (एक) नेशनल काउंसिल फार का-आपरेटिव ट्रेनिंग, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल काउंसिल फार का-आपरेटिव ट्रेनिंग, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल काउंसिल फार का-आपरेटिव ट्रेनिंग, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 1295/2004]

(12) (एक) राष्ट्रीय तिलहन और वनस्पति तेल विकास बोर्ड, गुड़गांव के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय तिलहन और वनस्पति तेल विकास बोर्ड, गुड़गांव के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 1296/2004]

(13) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 1297/2004]

(ख) (एक) स्टेट फार्म्स कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) स्टेट फार्म्स कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 1298/2004]

(14) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) कर्नाटक मीट एण्ड पाल्ट्री मार्केटिंग कारपोरेशन लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कर्नाटक मीट एण्ड पाल्ट्री मार्केटिंग कारपोरेशन लिमिटेड, बंगलौर का वर्ष 2003-2004 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 1299/2004]

(15) कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिह्नांकन) अधिनियम, 1937 की धारा (3) की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) वरमिसेली मकारोनी और स्पाघेटी श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 2003 जो 6 सितम्बर, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 317 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) सूर्य अवशोषित कच्चा आम फांक और पाउडर श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 2003 जो 29 नवम्बर, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 416 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) गेहूं आटा श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 2003 जो 20 दिसम्बर, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 450 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) दाल श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 2003 जो 17 अप्रैल, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 129 में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) फल और सब्जियां श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 2004 जो 26 जून, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 220 में प्रकाशित हुए थे।

(छह) मखाना श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 2004 जो 24 जुलाई, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 244 में प्रकाशित हुए थे।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 1300/2004]

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना): महोदय मै, निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 26 के अंतर्गत पर्यावरण (संरक्षण) दूसरा संशोधन नियम, 2004 जो 12 जुलाई, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 448(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उसका एक शुद्धिपत्र जो 12 अगस्त, 2004 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 520(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 1301/2004]

(3) (एक) इंडियन प्लाईवुड इंडस्ट्रीज रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट, बंगलौर के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन प्लाईवुड इंडस्ट्रीज रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट, बंगलौर के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 1302/2004]

(4) (एक) भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, भोपाल के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, भोपाल के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 1303/2004]

(5) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 23 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1211(अ) जो 3 नवम्बर, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के अंतर्गत अधिसूचना में उल्लिखित बोर्ड के चेयरमैन को किसी उद्योग या अन्य स्थानीय या अन्य प्राधिकारियों को, कतिपय शर्तों के अध्यधीन, खतरनाक अपशिष्ट के संबंध में मानकों तथा नियमों के उल्लंघन के लिए निदेश जारी करने के लिए शक्ति का प्रत्यायोजन किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 1304/2004]

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): महोदय, मैं डा. अखिलेश प्रसाद सिंह की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) चीनी (2003-2004 के उत्पादन के लिए मूल्य अवधारण) संशोधन आदेश, 2004 जो 24 सितम्बर, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 640(ई)/इएसएस सीओएम./सुगर में प्रकाशित हुए थे।

(दो) सा.का.नि. 727(अ) ईएसएस. सीओएम/शुगरकेन, जो 2 नवम्बर, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा वर्ष 2003-2004 के चीनी मौसम के लिए उनमें यथा उल्लिखित चीनी कारखानों द्वारा गन्ने के लिए देय न्यूनतम समर्थन मूल्य को अधिसूचित किया गया है।

(तीन) चीनी (1999-2000 के उत्पादन के लिए मूल्य अवधारण) संशोधन आदेश 2004, जो 2 नवम्बर, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 428(अ) में ईएसएस. सीओएम./शुगरकेन में प्रकाशित हुआ था तथा उसका एक शुद्धिपत्र जो 23 नवम्बर, 2004 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 762(अ) ईएसएस. सीओएम./शुगर में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 1305/2004]

अपराह्न 12.03 बजे

राज्य सभा से संदेश

[अनुवाद]

महासचिव: मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना सभा को देनी है:-

(एक) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 127 के उपबंधों के अनुसरण में, मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा 16 दिसम्बर, 2004 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 7 दिसम्बर, 2004 को हुई अपनी बैठक में पारित किए गये प्रतिभूति विधि (संशोधन) विधेयक, 2004 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।"

(दो) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 127 के उपबंधों के अनुसरण में लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा 16 दिसम्बर, 2004 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 7 दिसम्बर, 2004 को हुई अपनी बैठक में पारित प्रतिभूति हित का प्रवर्तन और ऋण वसूली विधि (संशोधन) विधेयक, 2004 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई है।"

(तीन) राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 186 के उप-नियम (6) के उपबंधों के अनुसरण में, मुझे केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ (संशोधन) विधेयक, 2004 को जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 3 दिसम्बर, 2004 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था वापस लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के संबंध में कोई सिफारिशें नहीं करनी है।"

अपराह्न 12.03$^{1}/_{2}$ बजे

याचिका समिति

पहले से चौथा प्रतिवेदन

[हिन्दी]

डा. एम. जगन्नाथ (नगर कुरनूल): अध्यक्ष महोदय, मैं याचिका समिति का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.04 बजे

मंत्री द्वारा वक्तव्य

जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति के पहले प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री प्रियरंजन दासमुंशी, मैं आपको इस प्रयोग में अगुवा होने हेतु बधाई देता हूं। मैं बहुत खुश हूं।

जल संसाधन मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): धन्यवाद महोदय।

मैं, लोक सभा द्वारा दिनांक 1 सितम्बर, 2004 को जारी लोक सभा समाचार-भाग II में माननीय अध्यक्ष महोदय के निदेश 73क के अनुसरण में जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति के पहले प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति पर यह वक्तव्य दे रहा हूं।

जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति ने वर्ष 2004-05 के लिए जल संसाधन मंत्रालय की अनुदान मांगों की जांच की और 23 अगस्त 2004 को लोक सभा में इस संबंध में पहली रिपोर्ट प्रस्तुत की। रिपोर्ट में 17 सिफारिशों के पैराग्राफ है। समिति की सिफारिशें मुख्यत: मंत्रालय की योजनागत स्कीमों के लिए कम आवंटन, प्रमुख/मझौले सिंचाई क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली स्कीमों के अनुमोदन और निष्पादन में विलम्ब; नदियों को आपस में जोड़ने की सम्भावना और डीपीआर आगे की तैयारी की रिपोर्ट, भूमिगत जल के स्तर में कमी को रोकने के लिए भूजल का कृतिक पुनर्भरण; केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित पुनर्गठित कमाण्ड एरिया डेवलपमेंट और जल प्रबंधन कार्यक्रम का कार्यान्वयन और चालू बाढ़ नियंत्रण और भू-क्षरण को रोकने वाली स्कीमों के कार्यान्वयन में शीघ्रता से संबंधित है।

उक्त प्रतिवेदन के 17 सिफारिशों के पैराग्राफों में मोटे तौर पर 20 सिफारिशें की गई हैं। जल संसाधन मंत्रालय में समिति की सभी सिफारिशों पर विचार किया गया, समिति द्वारा यथा प्रस्तावित 8 सिफारिशों पर कार्यवाही पहले ही की जा चुकी है और आरम्भ की गई है। राज्य सरकारों या योजना आयोग द्वारा 9 सिफारिशों पर कार्रवाई की जानी है, जल संसाधन मंत्रालय राज्य सरकारों और योजना आयोग से बात कर रहा है। अन्य सिफारिशें प्रक्रियाधीन है। समिति को की गई कार्रवाई से संबंधित उत्तर भेजे गए है।

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़): अध्यक्ष महोदय, हमें आपको और सरकार को भी इस नई प्रैक्टिस के लिए बधाई देनी है।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): अध्यक्ष महोदय, जिस मिनिस्टर ने जो स्टेटमेंट दिया है, वह स्टैडिंग कमेटी में तो जाएगा न?

[अनुवाद]

तत्पश्चात्, समिति ही कहेगी कि वह इस की गई कार्रवाई से संबंधित उत्तरों को स्वीकृत करती है कि नहीं। की गई कार्रवाई से संबंधित रिपोर्ट स्थायी समिति को जाएगी। यह मामले का अन्त नहीं होना चाहिए। इसे स्थायी समिति को भेजना ही होगा।

अध्यक्ष महोदय: स्थायी समिति ने अपनी सिफारिशें देनी है चाहे वे सर्वसम्मति से हो या और कुछ मैं इसके बारे में नहीं जानता हूं। अब एक नया नियम जोड़ा गया है और उसके अनुसार संबंधित मंत्रालय के माननीय मंत्री को इस बारे में रिपोर्ट देनी होती है कि मंत्रालय ने क्या किया है।

आमतौर से पिछली की गई कार्रवाई से संबंधित रिपोर्ट को अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए। वह बनी रहेगी, लेकिन अब तक माननीय मंत्री जानते हैं कि रिपोर्ट क्या है और वह सिफारिशों को भी जानते है।

श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी (पुरी): महोदय, लेकिन वास्तव में कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आपने अभी सुना है कि क्या कहा गया है।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप इसे उचित तरीके से रख सकते हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: एक नया प्रयोग आरम्भ हुआ है। हम मंत्री जी को बधाई दे रहे हैं। सभी सभापतियों को इसके लिए बधाई दी जाएगी।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: निश्चित रूप से आप समिति में इस पर चर्चा कर सकते हैं। मैं समिति में चर्चा को रोक नहीं रहा हूं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि अपने मंत्रालय में हमने इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया है। हमने तीन फार्मों को सभा पटल पर रखा है, जिन्हें कि योजना आयोग, केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों को सम्बोधित किया जाना चाहिए। इसके अनुसार हमने मामले पर हर दिन तेजी से कार्रवाई करने के लिए प्रकोष्ठ स्थापित किया है और इसका परिणाम यथोचित समय पर सभा को बताया जाएगा। *...(व्यवधान)*

श्री पी.सी. थामस (मुवत्तुपुजा): महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं और मैं अनुरोध करता हूं कि सभी माननीय मंत्रियों को ऐसे वक्तव्य सभा में देने चाहिए। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यदि वे इसे नहीं करेंगे, नहीं तो उन्हें विशेषाधिकार हनन के लिए उपस्थित होना पड़ेगा।

...(व्यवधान)

अपराह्न 12.07 बजे

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के आस्थगन के बारे में

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों, यहां दो ध्यानाकर्षण नोटिस हैं। पहला श्री गुरूदास दासगुप्त का बैंकिंग नीति में परिवर्तन से संबंधित है जो कि 15 दिसम्बर, 2004 को अपूर्ण रहा था और वह आज के कार्यवाही पत्र में क्रम संख्या 11 पर सूचीबद्ध है। इसके पश्चात् क्रम संख्या 12 में सूचीबद्ध श्री अजय माकन द्वारा 'एम्स' में तेजी से बिगड़ रही स्वास्थ्य देखरेख सेवाएं से संबंधित ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है।

माननीय वित्त मंत्री ने अनुरोध किया है कि हमारे देश के प्रतिष्ठित अतिथि मलेशिया के प्रधानमंत्री से आज 12.15 बजे उनकी एक बैठक है इसलिए उनका ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दोपहर के भोजन के पश्चात् तक स्थगित किया जाए। अब यदि सभा सहमत हो तो हम इसे स्वीकृत कर सकते हैं।

जहां तक दूसरे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का संबंध है उसे हम कल ले सकते हैं।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): अध्यक्ष जी, मैंने आपसे कहा था कि देश में अजीबो-गरीब घटना हुई है। पहली बार लोगों ने टी.वी. पर देखा कि एक केन्द्रीय मंत्री लालू प्रसाद जी ने झुग्गी-झोंपड़ियों में जाकर लोगों को 100-100 रुपए के नोट बांटे। रुपए बांटने के बाद उन्होंने कहा कि आप जाइए मिठाई खाइए, हमारी रैली में आइए और हमारी पार्टी को सपोर्ट करिए। उसके बाद उनका दूसरा बयान आया *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अन्य सदस्यों की बातें सुनने के लिए धैर्य रखिए यह आवश्यक नहीं है कि आप उनके वक्तव्य से सहमत हो।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: यह आवश्यक नहीं है कि सभी सदस्य इससे सहमत हों।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री मल्होत्रा, सामान्यत: आप विशेषाधिकार हनन का मामला उठाते हैं। तो यह निर्वाचन आयोग के निर्णय का मामला है लेकिन मैं आपको इस मामले को संक्षिप्त में उठाने की अनुमति दे रहा हूं। कृपया इस मामले को यथाशीघ्र समाप्त कीजिए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: उन्होंने दूसरी बात कही कि मैं कोई घूस नहीं ले रहा हूं, कोई पैसा थोड़े ही लिया है। अध्यक्ष जी, घूस लेना और देना दोनों ही अपराध है। उन्होंने यह बात कही कि जो यह मैं कर रहा हूं यह कोई घूस का सवाल नहीं है। अध्यक्ष जी, कोड आफ कंडक्ट का इतना सवाल नहीं है, जितना यह सवाल है कि प्रधान मंत्री जी ने उन्हें अपनी केबिनेट में रखा हुआ है। क्या प्रधान मंत्री जी इसको एप्रूव कर रहे हैं कि कोई मंत्री जाकर रुपया बांटे और लोगों से अपनी रैली में आने के लिए कहे? हम प्रधान मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि क्या वह यहां आएंगे और यहां स्थिति स्पष्ट करेंगे?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप अपनी बात कह चुके हैं।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: अगर प्रधान मंत्री जी ऐसे मंत्री को नहीं हटाते तो जो दोष मंत्री का है, जो अपराध किया है, क्या प्रधान मंत्री जी भी उस दोष के अपराध के भागी नहीं बनते, क्योंकि ऐसे मंत्री को उन्होंने अपनी केबिनेट में बना रखा है जो खुलेआम रुपया बांट रहा है, कलेक्टर को दिया जा रहा है और लोगों को रैली में आने के लिए रेलगाड़ियां मंगाई जा रही हैं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह क्या हो रहा है, मैं कोशिश करूंगा कि सबको बोलने का मौका दिया जाए।

[अनुवाद]

मैं आपसे बैठने का अनुरोध करूंगा।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: ये चुनाव लगता है मजाक बनकर रह जाएंगे। ...*(व्यवधान)*

श्री अनिल बसु (आरामबाग): क्या इस तरह के काम करना आपकी ही मोनोपली थी ...*(व्यवधान)*

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: अध्यक्ष जी, प्रधान मंत्री जी जवाब दें कि वह आ रहे हैं या नहीं? सरकार की तरफ से इसके बारे में कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा है। हम इसके प्रोटेस्ट में इसके खिलाफ वाकआऊट करते हैं।

अपराह्न 12.09 बजे

(इस समय प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए)

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं आपसे बैठने की विनती करता हूं। उन्हें बहिर्गमन का अधिकार है। प्रत्येक दल को बहिर्गमन का अधिकार है। हमने भी यह काम किया है। आपने भी किया है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: आप ऐसा क्यों करते हैं?

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): अध्यक्ष जी, बीजेपी के समय में साड़ियां बांटी गयीं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: सभा में चिल्लाने की अनुमति नहीं है।

...(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: श्री रामदास आठवले, आप नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): अध्यक्ष जी, भारत में चल रहे फर्जी विश्वविद्यालयों की एक लम्बी फैहरिस्त मेरे पास है। जिन विश्वविद्यालयों को फर्जी चिन्हित किया गया है उनके लिए हमारे देश में 1956 का कानून है। इस कानून के अनुसार अगर कोई फर्जी विश्वविद्यालय पकड़ा जाता है तो एक हजार रुपये दंड का प्रावधान है। जैसे हमारे देश में ये फर्जी विश्वविद्यालय चल रहे हैं, ठीक उसी तरह से विदेशी विश्वविद्यालयों के कैम्पस भी दिल्ली में स्थित हैं तथा उनके द्वारा जो डिग्रियां दी जाती हैं, उनकी कोई वैद्यता नहीं है। यह लाखों बच्चों के भविष्य का सवाल है। इन डिग्रियों से न कहीं प्रवेश मिलता है और न ही नौकरी मिलती है। तीन साल से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय के पास एक प्रारूप बनाकर भेजा हुआ है कि इन फर्जी विश्वविद्यालयों के खिलाफ कठोर कार्रवाई के दण्ड की व्यवस्था की जाए। जब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार चल रही थी और अब सात महीनों से यह सरकार चल रही है। इन फर्जी विश्वविद्यालयों के खिलाफ कठोर दंड का प्रावधान करने में सरकार विलम्ब क्यों कर रही है? मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि ये जो फर्जी विश्वविद्यालय चल रहे हैं जिनमें विदेशी विश्वविद्यालय, जिनके कैम्पस हमारे यहां हैं, जिनकी डिग्रियों की वैधता नहीं है, इन सब के खिलाफ, सरकार अविलम्ब कठोर कानून बनाने का प्रावधान करे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: केवल 35 सदस्यों को बोलना है। कृपया हर किसी को मत टोकिए।

[हिन्दी]

चौधरी लाल सिंह (उधमपुर): अध्यक्ष जी, मैं आपकी इजाजत से पीओके के रिफ्युजीज का मसला सदन के सामने रखना चाहूंगा। आप जानते ही हैं कि हमारे जम्मू-कश्मीर का एरिया 2 लाख 22 हजार 236 वर्ग किलोमीटर है। इसमें से 78,114 वर्ग किलोमीटर पर पाकिस्तान और चीन ने गैरकानूनी ढंग से कब्जा कर रखा है। इसमें से 5 हजार 180 वर्ग किलोमीटर पाकिस्तान ने चीन को गैरकानूनी ढंग से हैंडओवर कर दिया है। चीन ने अपने पास 37,555 वर्ग किलोमीटर एरिया रखा हुआ है। जो लोग मीरपुर और मुजफ्फराबाद से आये थे, उनको रिफ्यूजी स्टेटस भी नहीं मिला है।

मीरपुर में हमारे हिंदू और सिख भाई थे जिनकी तादाद 96,575 है। मुजफ्फराबाद, पुंछ और मीरपुर से जिन लोगों को निकाल दिया गया था, उन लोगों के पास न जमीन है, न मिल्कियत है और न ही वे वापस जा पाये हैं। मीरपुर में मंगला डैम बन गया लेकिन मीरपुर के लोगों को कहा गया कि आप मीरपुर वापस जाएंगे, तो क्या वे पानी में जाएंगे? पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के हमारे रिफ्युजीज को क्या कोई कम्पनशेसन दिया? मैं कहना चाहता हूं कि इस बारे में एक कमीशन बनाना चाहिए।

कमीशन बना कर इन लोगों को रखा जाए। असैंबली में 24 सीटें खाली पड़ी हैं। इनका वहां प्रतिनिधित्व नहीं है। इन लोगों को ड्यू रिप्रैंजेटेशन मिले।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब, श्री मल्लिकार्जुनैया।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया उन्हें परेशान मत कीजिए। वह अति सम्मानित सदस्य हैं। वह कभी-कभार बोलते हैं।

श्री एस. मल्लिकार्जुनैया (तुमकुर): महोदय, हरिजनों के बीच दो समूह हैं-एक मधिग हैं और दूसरे 'राइट-हैंड' व्यक्ति हैं। इनमें से, मधिगा समुदाय के व्यक्ति बड़ी संख्या में है और इन 'राइट-हैंड' व्यक्तियों द्वारा हरिजनों को दी जाने वाली सुविधाओं को लिया जा रहा है। आईएएस, आईपीएस और अन्य ऐसे अधिकारियों द्वारा उनका हिस्सा ले लिया गया है। इसलिए, ये वह कह रहे हैं कि हरिजनों और मधिगों को अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के बीच जनसंख्या के अनुसार प्राथमिकता दी जाए। इस समुदाय के व्यक्तियों की यही मांग है।

अध्यक्ष महोदय: बात यह है कि इसको कैसे उठाया जाए। हम सभी को वरिष्ठ सदस्य से सीख लेनी चाहिए वह कभी अध्यक्षपीठ की अवज्ञा नहीं करते हैं।

श्री अजय चक्रवर्ती (बसीरहाट): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस महान सभा का ध्यान एक अति महत्वपूर्ण मामले की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। कोलकाता देश के सबसे बड़े शहरों में से एक है। कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन न केवल हमारे देश के पूर्वी और दक्षिण पूर्व क्षेत्रों का प्रवेश द्वार है बल्कि दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों और आशियान देशों का भी प्रवेश-द्वार है। जहां तक आर्थिक मामलों का संबंध है तो इनमें से कुछ देश बहुत अधिक आर्थिक उन्नति कर रहे हैं। हमारे माननीय प्रधान मंत्री ने आसियान शिखर सम्मेलन में भाग लिया और अन्य आसियान देशों के साथ और अधिक व्यापार और अन्य व्यवसाय की बात कही।

चूंकि कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन दक्षिण-पूर्व एशियाई देश का प्रवेश द्वार है इसलिए, महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से नेताजी सुभाष चंद्र अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन का उन्नयन, आधुनिकीकरण और विस्तार करने की मांग करता हूं। महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी मांग करता हूं कि कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन से विश्व में अन्य महत्वपूर्ण देशों को और अधिक बार अंतर्राष्ट्रीय उड़ाने शुरू की जाए।

मैं आशा करता हूं कि मंत्री जी इस विषय पर ध्यान देंगे। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: वह यहां नहीं है।

श्री अजय चक्रवर्ती: महोदय, यह एक आवश्यक एवं महत्वपूर्ण मामला है, और यह पूरे देश के हित में है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अध्यक्षपीठ सहित प्रत्येक सदस्य अपने को इस विषय से संबद्ध कर रहा है।

अब, श्री रविचन्द्रन।

श्री रविचन्द्रन सिप्पीपारई (शिवकाशी): माननीय अध्यक्ष महोदय, दूरदर्शन भारत में सुनिश्चित टेलीविजन मीडिया है। यह एक मुफ्त चैनल के रूप में भारत के हर कोने-कोने में पहुंचता है। पहले, डीडी-1 और पोधीगाई (तमिल) चैनलों पर तमिल समाचार का प्रसारण रात्रि 8.30 बजे और 9 बजे के बीच होता था। अब, 30 मिनट की इस अवधि को घटाकर 15 मिनट कर किया गया है और समाचार बुलेटिन का समय बदलकर रात्रि 8.15 बजे और 8.30 बजे कर दिया गया है। घटाए गए और बदले गए समय की हिंदी धारवाहिकों को आबंटित कर दिया गया है।

अत: मैं केंद्र सरकार से आवश्यक कार्रवाई करने और तमिल समाचार बुलेटिन के पक्ष में प्रसारण के समय और अवधि को पुन: पहले जैसा करने का आग्रह करता हूं।

[हिन्दी]

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश में भुखमरी से हुई मौतों की ओर भारत सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अब तक उत्तर प्रदेश के जनपद कुशीनगर, संत कबीर नगर और बस्ती में तीन मौतें भूख से हुई हैं। अध्यक्ष महोदय, पिछली एनडीए सरकार ने देश में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के लिए

बीपीएल राशन कार्ड की व्यवस्था की थी। अन्नपूर्णा योजना के माध्यम से वरिष्ठ नागरिक अन्न योजना, काम के बदले अनाज योजना और सूखा प्रभावित क्षेत्रों में मुफ्त में अनाज बांटने की एक व्यवस्था लागू की थी लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज भी देश में कभी उड़ीसा के कालाहांडी में, कभी पश्चिम बंगाल में, कभी बिहार में और आज उत्तर प्रदेश में भूख से मौतें होनी प्रारम्भ हो गई हैं। निश्चित ही प्रशासन वहां पंगु हो चुका है, शासन संवेदनशील हो चुका है और इस देश में गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले नागरिकों के लिये जो योजनायें लागू की गई थीं, उन्हें लागू नहीं किया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से एक बार पुनः अनुरोध करूंगा कि इन सभी योजनाओं की समीक्षा होनी चाहिये। जिन जनपदों में भूख से मौतें हो रही हैं, वहां प्रशासन के खिलाफ कार्यवाही करने के लिये उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिये जायें।

अध्यक्ष महोदय, उच्चतम न्यायालय ने भी उत्तर प्रदेश में भूख से हुई मौतों को संज्ञान में लिया है और केन्द्र तथा राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। यह मामला गम्भीर है, निश्चित रूप से इस ओर ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है जिससे भुखमरी से मौतें न हों। एक तरफ भारत सरकार के भंडार अन्न से भरे पड़े हैं लेकिन दूसरी तरफ भूख से मौतें हों, निश्चित रूप से इससे शर्मनाक बात और नहीं हो सकती है। इसलिये इस बात को संज्ञान में लिया जाये। *...(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन: अध्यक्ष महोदय, जो बात सरकार के संज्ञान में आई है, उसकी जानकारी केन्द्र सरकार को जरूर होनी चाहिये। ऐसी कोई योजना नहीं जिसे उत्तर प्रदेश में न क्रियान्वित किया जा रहा हो *...(व्यवधान)* माननीय सदस्य बेवजह आरोप लगा रहे हैं *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब, श्री वरकला राधाकृष्णन।

...(व्यवधान)

श्री अजय चक्रवर्ती: उन्हें पश्चिम बंगाल के बारे में सूचना कहां से मिली है। हम विरोध कर रहे हैं। उन्होंने सभा को पश्चिम बंगाल के बारे में गुमराह किया है। वह गुमराह करने वाली सूचना दे रहे हैं। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन: अध्यक्ष महोदय, बगैर तथ्यों के कोई आरोप लगाये *...(व्यवधान)* भारत सरकार की ऐसी कौन सी योजना है जिसे राज्य सरकार द्वारा लागू नहीं किया जा रहा है *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री वरकला राधाकृष्णन के भाषण के अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: कृपया आप बैठ जाइए।

किसी माननीय सदस्य द्वारा वक्तव्य दिए जाने के समय के संबंध में यह अर्थ नहीं है कि जो उनके साथ सहमत नहीं है वे वक्तव्य की सच्चाई या उससे अन्य प्रकार से बंधे होंगे। दूसरे सदस्यों को सुनिए। आपको उसको विरोध करने का अवसर दिया जाएगा। वहां माननीय मंत्री है। अन्य यह काम उचित समय पर कर सकते हैं, लेकिन आप इस प्रकार से कमेंटरी नहीं देते रह सकते। अध्यक्षपीठ यह निर्णय नहीं कर सकते कि जो कुछ कहा जा रहा है वह सही है या नहीं। मैं यह मानता हूं कि माननीय सदस्य वक्तव्य देते समय उत्तरदायी होता है। लेकिन विरोध करने का यह तरीका नहीं है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री वरकला राधाकृष्णन के भाषण के अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: कृपया आप बैठ जाइए। आपने सूचना दी है, और मैं आपको अनुमति दूंगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। इसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित मत कीजिए। केवल श्री वरकला राधाकृष्णन का भाषण कार्यवाही-वृत्तांत में रखा जाएगा। कृपया हमें कुछ कार्य करने दीजिए। मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं।

अब, श्री वरकला राधाकृष्णन अपनी बात संक्षिप्त में कहिए।

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): महोदय, मैं एक अति महत्वपूर्ण विषय वर्तमान सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं। अब सामूहिक सौदेबाजी श्रमिक वर्ग का अपृथक्करणीय अधिकार है। इस अधिकार को कार्यान्वित करने के लिए, उनके पास हड़ताल

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

करने का अधिकार होना अनिवार्य है। लेकिन दुर्भाग्यवश, उच्चतम न्यायालय के एक निर्णय के द्वारा अब कामगारों और सरकारी कर्मचारियों से कम से कम हड़ताल करने का अधिकार छीन लिया गया है। अत: इसे एक मौलिक अधिकार बनाया जाना अनिवार्य है।

मैं केन्द्र सरकार अर्थात् संप्रग सरकार से हड़ताल के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाने के लिए एक विधेयक लाने का अनुरोध करता हूं। यह उनता ही महत्वपूर्ण होना चाहिए जितनी कि राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम की अन्य कोई कार्यसूची महत्वपूर्ण है। इसलिए, मैं एक बार फिर संप्रग सरकार से संसद के आगामी सत्र में विधेयक लाने का अनुरोध करता हूं। शायद बजट सत्र में उन्हें हड़ताल के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाने संबंधी विधेयक लाना चाहिए। मेरे विचार में वे ऐसा करेंगे ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप की बात पूरी हो गई।

श्री ए.के.एस. विजयन (नागापट्टिनम): हम स्वयं को उनसे संबद्ध कर रहे हैं।

श्री अजय चक्रवर्ती: हम भी स्वयं को उनसे सम्बद्ध कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय: सभी सम्बद्ध कर रहे हैं।

[हिन्दी]

प्रो. महादेवराव शिवनकर (चिमूर): अध्यक्ष महोदय, पिछले 25 वर्षों से जन स्वास्थ्य रक्षकों ने देश में सराहनीय कार्य किया है। देश में 6 लाख 17 हजार जन स्वास्थ्य रक्षक पद थे जिनमें 3 लाख 97 हजार पद रिक्त हैं। महाराष्ट्र में जन स्वास्थ्य रक्षक योजना ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: क्या यह केन्द्र सरकार का मामला है अथवा राज्य सरकार?

[हिन्दी]

प्रो. महादेवराव शिवनकर: यह केन्द्र सरकार की योजना है। महाराष्ट्र में जन स्वास्थ्य रक्षकों के 45 हजार 427 पद हैं, जिनमें से 34,566 लोग आज जीवित हैं।

महाराष्ट्र राज्य सरकार ने इसे किसी भी प्रकार से पिछले तीन-चार वर्षों से मानधन या अन्य कोई धनराशि नहीं दी है। केन्द्र सरकार ने कहने के बाद उन्हें पत्र भेजा है। ऐसी स्थिति में वहां पाड़ा स्वयं सेवक योजना तैयार की गई, लेकिन उसमें भी उन्हें नहीं लिया गया। अब ऐसी चर्चा है कि केन्द्र सरकार जन स्वास्थ्य रक्षक योजना बंद करने जा रही है और उसके स्थान पर ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजना अप्रैल माह से शुरू करने वाली है। अगर यह सच है कि केन्द्र सरकार जन स्वास्थ्य रक्षक योजना बंद करके उसके स्थान पर ग्रामीण स्वास्थ्य योजना शुरू करने वाली है तो हमारा कहना है कि जो 3 लाख 97 हजार जन स्वास्थ्य रक्षक इस योजना में हैं, उन्हें ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजना में प्राथमिकता दी जाए, उनका इसमें समावेश किया जाए। जो लोग पहले नियुक्त हुए हैं, उनकी सुरक्षा की जाए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो 3 लाख 97 हजार लोगों के साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा। इसलिए मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट कर रहा हूं।

चौधरी विजेन्द्र सिंह (अलीगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे लोक महत्व के प्रश्न पर बोलने का अवसर दिया। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। कृषि इस देश की ऐसी राष्ट्रीय सम्पदा है जो सारी सम्पदाओं को जन्म देती है। यदि कृषि भूमि के साथ खिलवाड़ होता है तो राष्ट्र का अहित होता है। यमुना नदी मेरठ से निकल कर बागपत, गौतम बुद्ध नगर होते हुए मथुरा, आगरा तक जाती है। मानसून के समय जब इसमें बाढ़ आती है तो हमारे राज्य की लाखों हैक्टेअर भूमि उसके कटाव में बह जाती है। जिसके कारण वहां के किसानों का बहुत बड़ा अहित होता है, राष्ट्रीय उत्पादन में कमी आती है और राष्ट्र की हानि होती है। यही नहीं जब कभी उत्तर प्रदेश और हरियाणा में इस पर भूमि विवाद होता है तो उस विवाद में कई बार गोलियां तक चली हैं और लोगों की जानें भी गई हैं। यह एक अहम् मसला है और इसलिए यहां पर सीमांकन होना भी नितांत आवश्यक है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि भविष्य में इस तरह की वीभत्स दुर्घटनाओं को रोकने के लिए तथा भूमि के क्षरण को बचाने के लिए कोई एक बड़ी योजना लाई जाए और यदि कोई योजना चालू की जा रही है तो विकास की दृष्टि से उसे वहां लागू किया जाए। यदि ऐसी कोई योजना नहीं है तो इस तरह की योजना वहां लागू की जाए, ताकि आपस में विवाद की घटनाएं न हो सकें और उसका लाभ राष्ट्र को तथा किसानों को भी मिल सके।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह एक महत्वपूर्ण मामला है।

श्री अबदुल्लाकुट्टी (कन्नानौर): महोदय, मैं इस सभा का ध्यान तमिलनाडु राज्य के गुडालूर जिले के पंडालूर तालुक में उत्पन्न हुई सबसे गम्भीर समस्या की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं।

दशकों पूर्व वहां बसे कृषकों के लगभग 25,000 परिवारों को वन विभाग उन्हें अतिक्रमण करने वाले कहकर वहां से विस्थापित कर रहा है। इस मामले में तथ्य यह है कि ये कृषक अपने दादा-परदादाओं के समय से कई दशकों पूर्व से वहां बसे हुए हैं। उनके पास राशन कार्ड, विद्युत कनेक्शन, दूरभाष की सुविधा तथा भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा जारी परिचय पत्र भी हैं।

मैंने और भूतपूर्व संसद सदस्य, श्री रामचन्द्रन पिल्लई ने गत वर्ष इन गांवों का दौरा किया था। यह मामला बहुत गम्भीर है। कई वर्षों पूर्व लोक सभा में विपक्ष के भूतपूर्व वरिष्ठ नेता, श्री ए.के. गोपालन ने भी स्वयं इस क्षेत्र के कृषकों के अधिकारों के संरक्षण के लिए संघर्ष किया था। मैं सरकार से गुडालूर जिले में बसे इन लोगों द्वारा सामना की जा रही समस्याओं के प्रति सहानूभूति पूर्ण रवैया अपनाने तथा मामले के तथ्यों के सत्यापन और गुडालूर जिले के कृषकों की सहायता के लिए तत्काल संसद सदस्यों का एक दल वहां भेजने का अनुरोध करता हूं।

श्री के. फ्रांसिस जार्ज (इदुक्की): महोदय, मैं माननीय सदस्य ने जो कहा है, उससे स्वयं को सम्बद्ध करता हूं।

अपराह्न 12.30 बजे

सदस्यों द्वारा निवेदन

जम्मू-कश्मीर के सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों, जिनकी भूमि पर रक्षा बलों द्वारा सुरक्षा संबंधी उपकरण लगाए गए हैं, को क्षतिपूर्ति दिए जाने की आवश्यकता के बारे में

[हिन्दी]

श्री मदन लाल शर्मा (जम्मू): मोहतरम स्पीकर साहब, मैं आपकी विसातत से सरहदी रियासत जम्मू-कश्मीर की सरहदों पर बसने वाले लाखों लोगों की समस्या की तरफ सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, जिनकी जमीनें माइन एरिया, डिच लाइन और फौजी कैम्पों में आ गई हैं, उसके एवज में उन्हें जमीनें दी गई हैं।

महोदय, जो कंपैन्सेशन अथवा मुआवजा दिया जाता है वह बरवक्त नहीं मिलता है। वे लोग फाकाकशी कर रहे है। मर्कजी सरकार और डिफेंस मिनिस्ट्री कंपैन्सेशन सैंक्शन करती है। यहां से वह पैसा रियासती सरकार के पास जाता है। वहां वह सरकार फिर देरी करती है। मेरी मर्कजी सरकार और खासतौर से डिफेंस मिनिस्टर साहब से यह अपील है कि कोई ऐसा तरीका इजाद किया जाए, मुआवजा देने के प्रासीजर को स्ट्रीमलाइन किया जाए, जिससे किसानों को उनकी जमीनों का मुआवजा बरवक्त मिल सके।

महोदय, जिन लोगों की जमीने डिच में चली गईं या जिनकी जमीनों पर फौजी कैम्प कायम हो गए, माइन में चली गईं या फेंसिंग से आगे भी जमीनें चली गईं, वे अब वापस तो आनी नहीं है। उनको हम बरवक्त कंपैन्सेशन नहीं देंगे, मुआवजा नहीं देंगे, तो किसान को बहुत मुश्किलात झेलनी पड़ेंगी। इसलिए मेरी इल्तिजा है कि रियासती सरकार को भी इस बारे में इंस्ट्रक्शन्स दी जाएं कि वह जल्दी से जल्दी मुआवजा दे तथा मेरी दुबारा मर्कजी सरकार और डिफेंस मिनिस्ट्री से गुजारिश है कि जिनकी जमीनें ली जाएं, उन्हें बरवक्त मुआवजा अदा किया जाए ताकि जिनकी जमीनें गई हैं, वे अपने बच्चों का गुजारा कर सकें।

[अनुवाद]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): मैं स्वयं को उनसे सम्बद्ध करता हूं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: उनका नाम सम्मिलित कर लिया जाए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री शिवराज वि. पाटील, आपको उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपको कुछ कहना है तो आप विवरण-पत्र बाद में दे सकते हैं। क्या आप कुछ कहना चाहते हैं?

...*(व्यवधान)*

गृह मंत्री (श्री शिवराज वि. पाटील): हम इस पर विचार करके उचित निर्णय लेंगे। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी आपके माध्यम से रेल मंत्री जी से प्रार्थना है कि जयपुर में रेलवे या जोनल कार्यालय स्थापित होना था। भू.पू. प्रधान मंत्री श्री देवेगौड़ा जी ने शिला-पूजन भी किया। मैंने उस समय कहा था कि शिला-पूजन करने के लिए आए हैं या भूमि-पूजन करने के लिए? मुझे निवेदन करना यह है कि आज तक जयपुर में रेलवे के जोनल कार्यालय हेतु जमीन नहीं दी गई है। रेलवे में जोनल

कार्यालय की जो स्थापना की गई है वह न के बराबर है। मेरा आग्रह है कि कोटा को भी इसमें शामिल किया जाए क्योंकि कोटा वालों को भी मुम्बई जाने में कष्ट होगा।

महोदय, मेरी आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से प्रार्थना है कि शीघ्र रेलवे के जोनल कार्यालय को जमीन दी जाए। वह यहां खुला या नहीं, लेकिन जयपुर शहर में खुल गया। इसके लिए तो मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद दे रहा हूं। जोनल कार्यालय के साथ-साथ वहां रेलवे कर्मचारियों के क्वार्टर भी बनने हैं। उसे भी शीघ्र बनाया जाए। जयपुर में जोनल कार्यालय खुलने से लोगों को रोजगार मिलेगा।

महोदय, जयपुर से चंडीगढ़ और हरिद्वार जाने के लिए कोई भी सीधा रेल लिंक नहीं है। जयपुर से हरिद्वार अथवा चंडीगढ़ जाने के लिए कोई रेल नहीं चलाई जा रही है। मेरा निवेदन है कि हरिद्वार तो हर व्यक्ति को जाना ही पड़ता है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि जयपुर से हरिद्वार के लिए सीधी रेल चलाने की व्यवस्था करें और इसके साथ ही साथ जयपुर से चंडीगढ़ के लिए भी रेल चलाई जाए।

अध्यक्ष महोदय, आप सर्वोच्च हैं और हमारे संरक्षक हैं। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप तो सरकार को बाध्य कर सकते हैं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: हम सरकार को बाध्य नहीं कर सकते, लेकिन आप हमारी मार्फत अपनी बात कह सकते हैं।

श्री गिरधारी लाल भार्गव: अध्यक्ष महोदय, सरकार जयपुर में जमीन देकर शीघ्र रेलवे का जोनल कार्यालय खोले, वहां रेलवे की कालोनी बनाए और जयपुर से हरिद्वार तथा चंडीगढ़ के लिए सीधी रेल चलाने की व्यवस्था करे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मेरी इच्छा है कि सभी उनका अनुसरण करें। वह शांतिपूर्वक और धैर्यपूर्वक बैठे रहते हैं जो मैं कहता रहता हूं। वे कभी कोई समस्या पैदा नहीं करते हैं। मैं उनके इस सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूं। वे हमेशा जयपुर से संबंधित मुद्दे उठाते हैं।

श्री अलकेष दास (नवद्वीप): बी.आई.एस. दिशानिर्देशों के निदेशक द्वारा गठित प्रतिष्ठित उद्यमियों वाली एक समिति ने प्रस्ताव किया है कि माप एवं तोल प्रणाली तथा करों का संग्रहण निजी संगठन द्वारा किया जाना चाहिए। सम्पूर्ण प्रणाली राज्य सरकार के बजाय केन्द्र सरकार नियंत्रित की जानी चाहिए, इससे प्रत्येक राज्य सरकार को पृथक रूप से 10 करोड़ रु. से अधिक की वार्षिक हानि होगी। पुन:, नियंत्रक और निरीक्षकों के वेतन और यात्रा भत्ते राज्य सरकारों द्वारा दिए जाने चाहिए। इसके आलावा, इन निजी कम्पनियों को राष्ट्रीय चिह्न 'अशोक स्तम्भ' धारण करके सत्यापन का अधिकार प्रदान किया जा रहा है। भार मापने के उपस्कर विनिर्माताओं को लाइसेंस के लिए 5 से 20 गुना अधिक तथा अलग से गारन्टी के रूप में एक लाख रुपये अदा करने पड़ते हैं। अंशशोधन प्रमाणपत्र के लिए फीस वृद्धि दस गुना है। वास्तव में माप एवं तोल उद्योग से जुड़े 40 लाख व्यक्ति रोजगार-विहीन हो जायेंगे और हमारे देश की माप एवं तोल प्रणाली समाप्त होने के कगार पर होगी।

इसलिए, मैं आपका और संबंधित माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं।

[हिन्दी]

श्री राजनरायन बुधौलिया (हमीरपुर, उ.प्र.): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री जी का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र बुन्देलखंड के हमीरपुर और महोबा की तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि वह सबसे पिछड़ा क्षेत्र है। वहां प्रमुख रेलगाड़ियों के ठहराव के संबंध में मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं और निवेदन करना चाहता हूं कि एक संपर्क क्रांति ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया था जिसका नंबर 2448 एवं 2447 है जिससे हजरत निजामुद्दीन-चित्रकूट (उत्तर प्रदेश) चलाया जाना था और महोबा में ठहराव दिया जाना था। जब मैंने रेलवे के अधिकारियों के इस बारे में जानकारी मांगी, तो मुझे बताया गया कि उत्तर प्रदेश में महोबा पर इस गाड़ी का ठहराव निश्चित है। लेकिन इस बार जो नई समय-सारिणी आई है, उसके अनुसार महोबा स्टेशन पर ठहराव नहीं दर्शाया गया, इस कारण हमारे क्षेत्र की जनता बहुत आंदोलनरत है।

अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से हमारी सरकार से मांग है कि इसका ठहराव महोबा पर सुनिश्चित किया जाए। इसके साथ ही दो अन्य ट्रेनें हैं, कानपुर से दुर्ग एक्सप्रैस का ठहराव रागोल स्टेशन पर सुनिश्चित किया जाए और जगन्नाथपुरी की तरफ जाने वाली *...(व्यवधान)* ट्रेन को सप्ताह में एक दिन झांसी से महोबा होकर जाने की व्यवस्था की जाये।

अध्यक्ष महोदय: आपको इसके बारे में रेल बजट में बोलना चाहिए था।

...(व्यवधान)

श्री राजनरायन बुधौलिया: अध्यक्ष महोदय, हमारे बुंदेलखंड में आजादी के बाद से रेल के संबंध में कोई काम नहीं हुआ है। हमारी हमीरपुर से राठ होती हुई हरपालपुर तक और भिण्ड (मुरैना) से उरई होते हुए महोबा तक दो प्रस्तावित रेल लाइनें हैं। इनके संबंध में सर्वेक्षण करा कर इन्हें सुनिश्चित करवाया जाए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मेरा विचार है कि हमने अविलम्बनीय राष्ट्रीय महत्व के मामलों को उठाने का निर्णय लिया था।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: सभी मामले महत्वपूर्ण है। अब श्री अधीर चौधरी अपनी बात कहेंगे।

श्री अधीर चौधरी: धन्यवाद, महोदय। भारत को सुरक्षा परिषद की स्थाई सदस्यता से नकार दिए जाने से भारतीयों को गहरा आघात लगा है।

अध्यक्ष महोदय: किसने इंकार किया है? कहां इससे इंकार किया गया है? इससे अभी तक इंकार नहीं किया गया है। मामले को जटिल मत बनाइये। आपने कुछ और मामला उठाया है। इसे जटिल मत बनाइये।

श्री अधीर चौधरी: जी, हां।

अध्यक्ष महोदय: हमारा देश इस स्थिति को स्वीकार नहीं करेगा।

श्री अधीर चौधरी: सुरक्षा परिषद में स्थाई सदस्यता का निर्धारण आम महासभा में क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के आधार पर होगा। यह देखा गया है कि अफ्रीका और एशिया दोनों के पास केवल एक स्थाई सदस्यता है, जबकि आम महासभा की सदस्यता का 55% हिस्सा पांच गैर स्थाई सदस्यों के पास है। दूसरी ओर, लातिनी अमेरिका और केरिबियन राष्ट्रों के पास कुल मिलाकर केवल दो गैर स्थाई सदस्यता है।

अध्यक्ष महोदय: इन बातों का निर्णय यहां नहीं किया जा सकता है।

...(व्यवधान)

श्री अधीर चौधरी: किन्तु अमेरिका सहित यूरोपीय देशों के पास तीन स्थाई सदस्यता और दो गैर-स्थाई सदस्यता हैं जबकि उनके पास आम महासभा की 26 प्रतिशत सदस्यता ही है।

अध्यक्ष महोदय: आप कहते हैं कि भारत का मामला न्यायोचित है और हम इस बारे में अपनी बात कहेंगे।

श्री अधीर चौधरी: महोदय, सुरक्षा परिषद में स्थाई सदस्य के रूप में भारत के पक्ष में विश्व समर्थन को जुटाने के लिए पिछली सरकारों ने लगातार प्रयास किये हैं।

हालांकि, पी-5 दल, सुरक्षा परिषद में वीटों के अधिकार के साथ भारत की स्थायी सदस्यता का जानबूझकर विरोध कर रहा है।

अध्यक्ष महोदय: इसे हमारे विदेश मंत्रालय और अन्यों पर छोड़िए।

...(व्यवधान)

श्री अधीर चौधरी: इसलिए, हम संयुक्त राष्ट्र महासभा को अपनी भावनाओं से अवगत करा देंगे, ताकि भविष्य में भारत को सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया जा सके। धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय: हम आपकी भावनाओं का सम्मान करते हैं। अब श्री पी.सी. थामस बोलेंगे।

श्री पी.सी. थामस (मुवत्तुपुजा): महोदय, भारत को 1.1.2005 से पहले पेटेंट उत्पादों के बारे में एक कानून बनाकर प्रसन्नता होगी। परन्तु, अब तक कोई कानून सामने नहीं आया है तथा कोई मसौदा नहीं दिया गया है और सरकार की ओर से विधेयक को पारित करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया है तथा यह सदा तीन-चार दिन में समाप्त होने वाला है। हमें आशंका है कि यह एक अध्यादेश के रूप में आएगा जोकि निसंदेह एक बहुत ही गंभीर मामला होगा क्योंकि इस संबंध में बहुत विचार-विमर्श की आवश्यकता है। इसे स्थायी समिति के पास भेजा जाएगा तथा इसे जनता के सामने रखना होगा। इस पर विस्तारपूर्वक चर्चा होनी चाहिए। हम बहुत ही महत्वपूर्ण बातों के बारे में सुझाव देना चाहेंगे जिशेषकर गंभीर मामलों को ध्यान में रखा जाना चाहिए कि जीवन रक्षक दवाओं के मूल्य बहुत अधिक न होने पाएं तथा वे आसानी से उपलब्ध और स्वीकार्य हों।

अध्यक्ष महोदय: आप क्या कहना चाहते हो?

...(व्यवधान)

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है।

अध्यक्ष महोदय: मुझे मालूम है, इसलिए मैंने इसकी अनुमति दी है।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: इस पेटेंट मुद्दे पर सभा में चर्चा नहीं हो रही है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मल्होत्रा जी, आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं। मैं चाहूंगा कि वह आपकी बात कहें। श्री थामस आप क्या कहना चाहते हैं?

श्री पी.सी. थामस: महोदय, दवाइयों, कृषि किसानों तथा साफ्टवेयर से संबंधित सभी मामले महत्वपूर्ण हैं। हमें इसकी आशंका है कि चर्चा के बिना ही एक अध्यादेश जारी कर दिया जाएगा। हमने कुछ सदस्यों को यह कहते हुए सुना कि "मैं इस कानून का समर्थन करने के पक्ष में नहीं हूं, परन्तु यह एक अध्यादेश के रूप में आ रहा है, इसलिए मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है।" हमने कुछ सहयोगी दलों की तरफ से यह बातें सुनीं।

अध्यक्ष महोदय: बहुत अच्छा आप यह कहना चाहते थे।

...(व्यवधान)

श्री पी.सी. थामस: इसलिए, मेरा अनुरोध यह है कि यदि सरकार कानून लाना चाहती है तो उसे इस सत्र की समाप्ति से पहले लाना चाहिए। दूसरे, यदि सरकार ऐसा नहीं कर सकती तो उसे तत्काल, संसद का विशेष सत्र बुलाना चाहिए, ताकि इस पर विस्तारपूर्वक चर्चा हो सके। इसे स्थायी समिति के पास भेजा जाना है तथा और चर्चा के लिए इसे जनता के सामने भी रखा जाना है ...*(व्यवधान)*

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: सरकार की क्या प्रतिक्रिया है? ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: सरकार को उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। यह बहुत गलत है।

...(व्यवधान)

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: महोदय, पूरा देश प्रभावित होगा। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: 35 मामले उठाए गए और 17 मामलों पर आप चाहते है कि सरकार उत्तर दे। नहीं, मैं सरकार से ऐसा नहीं कह सकता। यह पूरी तरह सरकार के ऊपर है कि वह उत्तर दे या नहीं। मैं उन्हें विवश नहीं कर सकता।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री सांताश्री चटर्जी।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं उन्हें रोक नहीं रहा हूं, परन्तु मैं उन्हें विवश नहीं कर सकता। आप यह अच्छी तरह जानते हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री सांताश्री चटर्जी।

कुछ और कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

श्री सांताश्री चटर्जी (सेरमपुर): महोदय, मैं माननीय रेल मंत्री महोदय का ध्यान आम यात्रियों के समक्ष आ रही समस्याओं की ओर दिलाना चाहता हूं। यह गंभीर चिंता का मामला बन गया है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपने मजबूती के साथ अपनी बात कह दी और क्या करेंगे।

...(व्यवाधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए। आपने बहुत स्पष्ट रूप से अपनी बात कर दी है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैंने माननीय सदस्य को अनुमति दी है। उन्होंने मजबूती से अपनी बात कह दी है। आप इससे स्वयं को संबद्ध कर सकते हैं। आप क्या बात करते हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही में व्यवधान न डालें। उसके साथ स्वयं को संबद्ध करें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: क्षमा कीजिए, मैं निर्देश नहीं दे सकता।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: नहीं, इस सभा में पिछले 58 वर्ष में ऐसा एक भी उदाहरण नहीं है। मैं ऐसा नहीं करूंगा। कृपया आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदयः आप स्वयं को संबद्ध कर सकते हैं। मैं नोटिस के बिना भी आपको संबद्ध होने की अनुमति देता हूं।

...(व्यवधान)

श्री सांताश्री चटर्जी (सेरमपुर): विभिन्न समाचार-पत्रों में वह समाचार प्रकाशित हुआ है कि शयनयान श्रेणी में यात्रा करने वाले यात्रियों को कुछ अवांछित तत्वों द्वारा खाना दिया जाता है। खाना खाने के बाद उन्हें नींद आ जाती है तथा ये तत्व यात्रियों का सारा सामान लूट लेते हैं *...(व्यवधान)* हाल ही में एक परिवार कालका मेल से दिल्ली से हावड़ा जा रहा था। इसी प्रकार से मुगलसराय स्टेशन पर उस परिवार को लूट लिया गया। सौभाग्य से महिला पूरी तरह बेहोश नहीं हुई थी। वह उनसे भिड़ गई तथा उसने कुछ सीमा तक परिवार को बचा लिया और दोषियों को आसनसोल में गिरफ्तार कर लिया गया। परन्तु ऐसी घटनाएं अब भी घट रही हैं।

महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वह इस पर ध्यान दें और आम यात्रियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करें।

श्री जुएल ओराम (सुन्दरगढ़): अध्यक्ष महोदय, उड़ीसा के विभिन्न भागों में लगभग 22,000 भूतपूर्व सैनिक अति निर्धनता में जी रहे हैं। आजीविका के लिए उन्हें कोई सहायता प्रदान नहीं की जा रही है। राज्य सरकार के भर्ती नियमों में तीन प्रतिशत रिक्तियों को भूतपूर्व सैनिकों से भरने का प्रावधान है। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में उन्हें आरक्षण प्रदान करने हेतु ऐसा ही प्रावधान है। परन्तु उचित तालमेल के अभाव के कारण भूतपूर्व सैनिकों की, उनके लिए आरक्षित पदों पर भर्ती नहीं की जा रही। राज्य सरकार ने 26 अक्तूबर 1962 और 31 जनवरी 1964 के बीच युद्ध में शामिल हुए प्रत्येक भूतपूर्व सैनिक को पांच एकड़ भूमि प्रदान करने का निर्णय लिया था। अग्रिम क्षेत्र में युद्ध में शामिल, पहचान किए गए प्रत्येक भूतपूर्व सैनिक के मामले में इस निर्णय का पालन नहीं किया गया। सरकार के निर्णय को लागू करने में उचित तालमेल के अभाव तथा केन्द्र की ओर से किसी निर्देश के अभाव के कारण भूतपूर्व सैनिक तथा उनके परिवार के सदस्य बहुत तंगहाली में अपने दिन गुजार रहे हैं।

जब तक कि केन्द्र सरकार इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करती तो भूतपूर्व सैनिक, जिन्होंने राष्ट्र के लिए अपना बहुत कुछ बलिदान कर दिया है, उनकी समस्याओं का अंत नहीं होगा। इसलिए मैं यह मांग करता हूं कि केन्द्र सरकार को अपने अनुदान और उड़ीसा राज्य सरकार से प्राप्त होने वाले उतने ही अनुदान से भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के उचित पुनर्वास के लिए एक प्रकोष्ठ की स्थापना करनी चाहिए।

श्री के.सी. सिंह 'बाबा' (नैनीताल): अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तरांचल में नैनीताल में भवाली टी.बी. चिकित्सालय को तत्काल केन्द्रीय वित्तीय सहायता देने संबंधी मुद्दे को उठाना चाहता हूं। यह चिकित्सालय सौ वर्ष पुराना है। यह चिकित्सालय देश के सभी भागों से आने वाले, विशेषकर उत्तरांचल के दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले हजारों टी.बी. रोगियों की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। डाट्स योजना यहां पर अच्छी तरह चल रही है लेकिन टी.बी. की चौथी और गंभीर अवस्था वाले मामलों में अर्थात् मल्टी ड्रग रेजिडेंट्स वाले टी.बी. रोगियों का उचित इलाज नहीं हो पाता क्योंकि यहां पर चिकित्सा की आधारिक सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। ऐसे मामलों में उचित इलाज की सुविधा प्रदान करने के लिए तत्काल प्रभावी कदम उठाए जाने की आवश्यकता है।

वित्तीय संसाधनों के अभाव में यह चिकित्सालय बंद होने के कगार पर है। इसलिए इस स्थिति के मद्देनजर चिकित्सालय को तत्काल केन्द्रीय सहायता जारी करने की आवश्यकता है ताकि नैनीताल स्थित भवाली चिकित्सालय का उन्नयन दिल्ली के चेस्ट इंस्टीट्यूट की तर्ज पर किया जा सके जहां पर मल्टी ड्रग रेजिसटेंट्स टी.बी. रोगियों का उचित इलाज किया जा सके।

अध्यक्ष महोदयः श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी-उपस्थित नहीं है। प्रो. रासा सिंह रावत।

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): मान्यवर अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि देश में सूचना और प्रसारण के क्षेत्र में वैसे तो महत्वपूर्ण क्रांति आ गयी है लेकिन अभी तक देश के लगभग 67 हजार से ज्यादा गांव दूरभाष की बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं, विशेषकर राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ सहित लगभग 13 राज्यों के अधिकांश गांव अभी तक टेलीफोन की बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। इसमें वे क्षेत्र शामिल नहीं हैं जिनकी आबादी 100 से कम है, जो घने जंगलों के अंदर हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में हैं या उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान राजस्थान के 12,386 गांवों की ओर आकर्षित करना चाहूंगा जहां पर अभी तक दूर संचार सेवा पहुंच नहीं पाई है। हमने सरकार से डब्ल्यूएलएल के लिए प्रार्थना की थी। पिछली सरकार ने इस संबंध में काफी कुछ किया लेकिन वर्तमान सरकार के आने के बाद डब्ल्यूएलएल, गांवों के अंदर जो नई संचार प्रणाली लगानी थी, जिससे लोगों को संचार सुविधाएं उपलब्ध हो सकें, उसके लिए धन आवंटित नहीं कराया गया। एक तरफ तो 'एमएआरआर' पहले वाली दोषपूर्ण प्रणाली थी, उसे भी पूरा बदला नहीं गया।

दूसरी ओर ग्रामीणों को पैसा जमा कराये हुए सात-आठ साल हो गये हैं लेकिन अभी तक उन लोगों को दूर संचार सेवा प्रदान नहीं की गयी।

मैं आपके माध्यम से सरकार से प्रार्थना करना चाहता हूं कि भारत संचार निगम लिमिटेड को यूनिवर्सल फंड से ज्यादा से ज्यादा पैसा आवंटित करके गांवों के अंदर विशेषकर राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में संचार सुविधा उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश प्रदान करें। धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री दुष्यंत सिंह (झालावाड़): महोदय, मैं इनके साथ सम्बद्ध होना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय: इसके लिए आपने नोटिस नहीं दिया है।

[हिन्दी]

प्रो. चन्द्र कुमार (कांगड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार के समक्ष प्रस्ताव रखना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश के पुनर्गठन के समय केन्द्र सरकार के साथ हुए समझौते के अनुसार, पुनर्गठन के पूर्व और बाद में, केन्द्र सरकार, पंजाब और अन्य सरकारों द्वारा हिमाचल प्रदेश में निर्मित सभी परियोजनाओं में हिमाचल सरकार का 7.19 परसेंट शेयर तत्काल दिया जाये।

श्री बची सिंह रावत 'बचदा' (अल्मोड़ा): अध्यक्ष जी, अभी हाल ही में केन्द्रीय कर्मचारियों के जी.पी.एफ. ब्याज दर में वृद्धि का एक विषय सामने आया है। मैं कहना चाहता हूं कि सरकारी कर्मचारी के अलावा जो सामान्य कर्मचारी हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: इस मुद्दे को पहले भी उठाया गया है।

[हिन्दी]

श्री बची सिंह रावत 'बचदा': उन कर्मचारियों का ईपीएफ का इन्टरेस्ट रेट साढ़े आठ परसेंट से बढ़ाकर साढ़े नौ परसेंट करने की बात आ रही है जबकि लाखों केन्द्रीय कर्मचारियों का मानना है कि उनका जीपीएफ रेट भी आठ परसेंट से अधिक होना चाहिए। इस भेदभाव की आशंका के कारण उनमें असंतोष व्याप्त है। मेरा सरकार से यही निवेदन है कि सरकार इसे गंभीरता से ले और इस पर विशेष ध्यान दे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री हन्नान मोल्लाह, आपने दो मुद्दे उठाने के लिए दो नोटिस दिए है लेकिन आप केवल एक ही मुद्दा उठा सकते हैं।

श्री हन्नान मोल्लाह: (उलूबेरिया): महोदय, मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान अपने देश की गंभीर समस्या की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। हमारे देश में एसिस्टिड रीप्रोडक्टिव टेकनोलाजी (एआरटी) केन्द्रों के कार्यों को विनियमित करने संबंधी कानून के अभाव में हजारों लोगों को शारीरिक, मानसिक और वित्तीय हानि हो रही है। एक आकलन के अनुसार देश के विभिन्न भागों में सैकड़ों ए आर टी क्लिनिक कार्य कर रहे है और इन केन्द्रों द्वारा लगभग 50,000 करोड़ रुपए का कारोबार किया जा रहा है। इस आकलन में यह भी बताया गया है कि इन केन्द्रों को बहुत ही अयोग्य चिकित्सकों द्वारा चलाया जा रहा है।

इस आकलन में यह भी बताया गया है कि लगभग 10 से 15 प्रतिशत भारतीय दम्पत्ति सन्तानोपत्ति नहीं कर सकते। इसलिए उन्हें इन गर्भाधान केन्द्रों में जाना पड़ता है लेकिन इन केन्द्रों को अण्डाणु, शुक्राणु और भ्रूण इत्यादि को संरक्षित करने के अधिकार नहीं है।

उन्हें ऐसा अधिकार नहीं है लेकिन वे दानकर्त्ता की सहमति के बिना अवैध रूप से ऐसा कर रहे है और वे इसे भारी मूल्यों पर बेचते हैं। वे यूरोप के देशों को इसका निर्यात करते हैं क्योंकि उन देशों में इसका निषेध है। यह एक बहुत ही गंभीर मामला है। ये ए आर टी केन्द्र न केवल अवैध और अनैतिक कार्य कर रहे हैं बल्कि वित्तीय मामलों में भी भ्रष्ट व्यवहार अपनाते है।

मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह इस पर ध्यान दे और इन चीजों को रोकने के लिए उचित कानून बनाए। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने इस संबंध में एक समिति गठित की है और इस समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। यह रिपोर्ट भी सही नहीं है। इस मामले की उचित जांच की जानी चाहिए। इससे संबंधित सभी पक्षों से विचार-विमर्श करके सही निर्णय लिया जाना चाहिए और इस सभा में एआरटी केन्द्रों पर नियंत्रण के लिए एक विनियामक अधिनियम प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी (रीवा): अध्यक्ष महोदय, आपने मेरा नाम बुलाया था।

अध्यक्ष महोदय: अब वेट करिए। लास्ट में आएगा। लास्ट में आपको बुलाएंगे। सबको मालूम होना चाहिए कि आप टाइम पर सदन में नहीं रहते हैं।

श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी: अध्यक्ष महोदय, मैं माफी चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय: ठीक है। माफ किया। आपको बुलाएंगे।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप अपनी इच्छानुसार बीच में नहीं बोल सकते।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): अध्यक्ष महोदय, देश में गरीबी का प्रतिशत बढ़ता जा रहा है। सरकारी आंकड़े के मुताबिक 26 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं और रिजर्व बैंक के मुताबिक 25 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। मेरा सरकार से निवेदन है कि जब श्रीमती इंदिरा गांधी जी देश की प्रधान मंत्री थीं, तब उन्होंने शैड्यूल्ड कास्ट के लिए स्पेशल कंपोनेंट प्लान चालू किया था। ट्राईबल के लिए सब-प्लान चालू किया था और उसमें यह प्रोवीजन था कि जितनी पोपुलेशन शैड्यूल्ड कास्ट की है, प्रोजेक्ट में उतना प्रोवीजन होना चाहिए। इसलिए मेरी मांग है कि आने वाले बजट में शैड्यूल्ड कास्ट के लिए 15 प्रतिशत और ट्राईबल के लिए 17.5 प्रतिशत बजट में प्रोवीजन करना चाहिए और प्लानिंग कमीशन के लिए इसी तरह की गाइडलाइन्स देकर स्टेट का बजट जब मंजूर करते हैं तो उसमें स्टेट में भी शैड्यूल्ड कास्ट और शैड्यूल्ड ट्राईब्स की पोपुलेशन के मुताबिक बजट में प्रोवीजन करना चाहिए तभी देश से गरीबी हट सकती है, यही मेरी सरकार से मांग है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आज अब और व्यवधान नहीं।

श्री पी.के. वासुदेवन नायर (तिरूअनन्तपुरम): अध्यक्ष महोदय, यह राष्ट्रीय महत्व का मामला है जिस पर हम कई बार चर्चा कर चुके है और यह मुद्दा हाल ही में पेट्रोलियम पदार्थों की मूल्यवृद्धि का है। इस संबंध में तर्क दिया गया था कि कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोत्तरी हो रही है। लेकिन कुछ समय से सरकार को पता है कि इसके मूल्य में कमी आ रही है। अब वे स्थिर हो गए है। ऐसा सुनने में आया था कि कच्चे तेल की कीमतों में आई गिरावट के मद्देनजर पेट्रोल और डीजल के मूल्यों को कम किया जाएगा।

मैं माननीय मंत्री और सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि वह प्रेस में बयान देने के बजाय सभा को विश्वास में ले। जब सभा का सत्र चल रहा हो तो ऐसे महत्वपूर्ण मामलों को सभा के सम्मुख लाना चाहिए और सभा को विश्वास में लेना चाहिए। यदि 'डीजल' के मूल्य को कम किया जा सकता है; मैं 'डीजल मूल्य' पर जोर दे रहा हूं तो इसके मूल्य को तत्काल कम किया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: आप सही कह रहे है जब सभा का सत्र चल रहा हो तो हमें नीति से संबंधित कोई भी बयान, बाहर नहीं देना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा (धंधुका): अध्यक्ष महोदय, गुजरात के अंदर आज किसान सी.सी.आई. की नीति के कारण बहुत परेशान हैं। हजारों की संख्या में उन्होंने जुलूस निकाला और काटन को रास्ते पर जलाया। इसलिए मुझे कहना पड़ रहा है कि:

"किसान देश की शान हैं, किसान देश की आन हैं,
फिर भी वे परेशान हैं, पूरे देकर दाम, करो उनका सम्मान,
मत करो उनका अपमान, किसान हैं महान।"

वे सपोर्टिंग प्राइस चाहते हैं। वे काटन का निर्यात चाहते हैं।

वे काटन के आयात पर ड्यूटी बढ़ाना चाहते हैं और सी.सी.आई. के द्वारा गुजरात में अधिक केन्द्र खोलना चाहते हैं। दूसरे राज्यों से जो काटन हमारे प्रदेश में आ रही है, वे चाहते हैं कि वे राज्य खुद अपने यहां उसे पर्चेज करें। इसके साथ-साथ उन्होंने बड़ा अच्छा नारा गुजरात में दिया है-देश के हम भंडार भरेंगे, लेकिन दाम पूरे लेंगे। गुजरात का किसान, देश का किसान इस देश के लिए काम करता है, मरता है। लेकिन फिर भी वह आत्महत्या करने को मजबूर हो रहा है। यह मौका गुजरात के किसानों को न मिले इसके लिए मैं भारत सरकार से निवेदन करूंगा कि वह इस संबंध में कदम उठाए।

श्री महेश कनोडीया (पाटन): अध्यक्ष महोदय, मैं भी इसका समर्थन करता हूं इसलिए मेरा नाम भी इसके साथ एसोसिएट किया जाए। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप लोग चुप बैठेंगे तो सभी को बोलने का अवसर दूंगा।

[अनुवाद]

यह बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसकी अनुमति मिलनी चाहिए। लेकिन यह सामान्य प्रक्रिया नहीं बननी चाहिए। अगले सत्र से यदि मैं यहां पर हुआ तो मैं बी.ए.सी. संकल्प का कड़ाई से पालन करूंगा। मैं प्रतिदिन केवल जनहित से जुड़े और वह अधिकतम 15 मामलों की अनुमति दूंगा।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रभूषण सिंह (फर्रुखाबाद): अध्यक्ष महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहूंगा। उत्तर प्रदेश में एक जिला फर्रुखाबाद है, जहां से मैं सांसद हूं। वहां से मात्र कालिंदी एक्सप्रेस नाम से एक रेलगाड़ी दिल्ली के लिए चलती है। दुर्भाग्य यह है कि कभी कोहरे के नाम पर और कभी यमुना में बाढ़ के नाम पर विगत तीन वर्षों में उस रेलगाड़ी को दसियों मर्तबा सस्पेंड किया गया है। वहां से काफी तादाद में व्यापारी अक्सर दिल्ली आते रहते हैं। मुझे अभी पता चला है कि 27 तारीख से पुनः उस रेलगाड़ी को बंद किया जा रहा है। वहां से दिल्ली के लिए केवल वहीं एक रेलगाड़ी है। मैं चाहूंगा कि आप सरकार को निर्देशित करें कि उस रेलगाड़ी को सस्पेंड न किया जाए, क्योंकि उसको बंद करने से वहां से दिल्ली आने-जाने वाले लोगों को भारी असुविधा होगी। इसलिए मेरा अनुरोध है कि उस रेलगाड़ी को चालू रखें।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (चित्तौड़गढ़): अध्यक्ष महोदय, यह देश का सबसे बड़ा सदन है। इस सदन में हम हमेशा ला एंड आर्डर पर चर्चा करते रहते हैं।

अध्यक्ष महोदय: क्या सबको याद रहता है?

श्री श्रीचन्द कृपलानी: मेरा निवेदन है कि जैसा आपने भी आज अखबारों में पढ़ा होगा कि साउथ एवेन्यू में कई सांसदों के घरों में चोरी हुई है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य, यह एक गंभीर मामला है। मैंने इस संबंध में पहले ही रिपोर्ट देने के लिए कहा है। मैंने पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी को बुलाया है ताकि मैं उनसे बात कर सकूं। लेकिन मैं आज इसकी अनुमति दे रहा हूं। क्योंकि मैं इसे गंभीर मामला मानता हूं।

[हिन्दी]

श्री श्रीचन्द कृपलानी: जब मैं नार्थ एवेन्यू में रहता था तो वहां चड्ढी-बनियान चोरी होते तो मैंने देखा है, चोर पाइप वगैरह भी तोड़ कर ले जाते थे, लेकिन सांसदों के घरों में घुसकर इस तरह से चोरी हो, यह नहीं देखा। यहां पर हिन्दुस्तान के गृह मंत्री शिवराज जी पाटील साहब बैठे है। सांसदों के घरों में चोर घुसे और ताला लगाकर तीन-तीन घंटे तक सेंध मारते हैं, तो हम देश को इस तरह क्या संदेश दें।

अध्यक्ष महोदय: चोर किसी के भी मकान में नहीं घुसने चाहिए।

श्री श्रीचन्द कृपलानी: मेरा निवेदन है कि घर में घुस कर चोर आइसक्रीम खा गए और मोबाइल ले गए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैंने पुलिस आयुक्त को बुलाया है वह 1.00 बजे आ रहे है।

[हिन्दी]

श्री श्रीचन्द कृपलानी: अभी तो सिर्फ चोरी की है, अगर किसी सांसद के घर में घुस कर गोली मार देंगे तो वहां उनकी रक्षा करने वाला कोई नहीं है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह एक गंभीर मामला है। मैंने पुलिस आयुक्त को बुलाया है और मैं उनसे मिलने जा रहा हूं।

[हिन्दी]

श्री श्रीचन्द कृपलानी: यह पूरे सदन का मामला है, अकेले मेरा ही नहीं है।

अध्यक्ष महोदय: अब समाप्त करें, आपने सही मामला उठाया है।

श्री श्रीचन्द कृपलानी: आप सरकार को निर्देश दें, गृह मंत्री जी को इस पर बयान देना चाहिए। यह बहुत गम्भीर मामला है इसलिए इसका जवाब आना चाहिए। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप इनकी बातों में नहीं आए। आप इनकी बातों में आकर अपने मामले को खराब कर रहे हैं।

[हिन्दी]

हम इसे देखेंगे। आपने सही ढंग से मामला उठाया है इसलिए मैंने आपको अनुमति दी थी।

श्री चन्द्रशेखर साहु (बरहामपुर-उड़ीसा): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। सिर्फ एक महीने पहले ही देश में एक क्रांतिकारी कार्यक्रम राष्ट्रीय फूड फार वर्क सरकार द्वारा चलाया गया है। उसके जरिए देश के गरीब लोगों को फायदा होगा। इस मामले में एक पूरक प्रश्न मंत्री जी से पूछा गया था, लेकिन उसका जवाब नहीं मिला। नेशनल फूड फार वर्क में जो पिछड़े जिले लिए गए हैं, उसके लिए एक क्राइटेरिया बनाया गया है। मेरे क्षेत्र में गजपति जिला है, जो उड़ीसा का सबसे पिछड़ा हुआ जिला है। लेकिन मंत्री जी ने यह कहा कि राज्य सरकार ने जो लिस्ट दी है, उसमें मेरे जिले का नाम नही है। गजपति जिले में सबसे ज्यादा एस.सी., एस.टी. के लोग रहते हैं और गरीब 70 प्रतिशत आबादी गरीबी रेखा से नीचे रहती है। इसके अलावा उस जिले में पिछड़ापन भी है और नक्सलवादी प्रभावित भी वह इलाका है। इस कारण भी वह आपके द्वारा तय क्राइटेरिया के तहत उस योजना में आता है। इसलिए मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि देश के जो 150 जिले आपने इस योजना के लिए चुने हैं, उसमें इस जिले को भी शामिल किया जाए।

अपराह्न 1.00 बजे

[अनुवाद]

डा. के.एस. मनोज (अलेप्पी): महोदय, मैं माननीय मंत्री का ध्यान केरल के मछुआरों द्वारा पिछले एक सप्ताह से की जा रही हड़ताल की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। आज वे वास्तव में कोचीन के मत्स्यग्रहण बंदरगाहों पर धरना दे रहे है। उनकी समस्या, उन्हें प्राप्त होने वाले डीजल और मिट्टी के तेल की आपूर्ति न होना है। राज्य सरकार मछुआरों को 6.55 रुपए प्रतिलीटर उपकर लगा कर डीजल की आपूर्ति कर रही है। मछली पकड़ने वाली एक नौका को प्रति सप्ताह 1,500 लीटर डीजल की आवश्यकता होती है। जिसका अर्थ है कि एक मछुआरों को अपनी मछली पकड़ने वाली नौका के लिए प्रति सप्ताह लगभग 60,000 रुपए खर्च करने पड़ते है। इसलिए वे पिछले एक सप्ताह से हड़ताल पर है। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह मछली पकड़ने वाली नौकाओं के लिए दिए जाने वाले डीजल पर राजसहायता प्रदान करें।

परम्परागत मछुआरे मिट्टी के तेल का भी उपयोग करते है। अब परम्परागत मछुआरों को मिट्टी के तेल की आपूर्ति सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से की जा रही है। वास्तव में राशनकार्ड धारकों की संख्या दिनोदिन बढ़ती जा रही है जिसके परिणामस्वरूप सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से मछुआरों को दिये जा रहे मिट्टी के तेल की मात्रा से उनकी आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो पा रही है। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि विशेष रूप से परम्परागत मछुआरों को पर्याप्त मात्रा में मिट्टी का तेल उपलब्ध करायें।

श्री एम.एम. पल्लमराजू (काकीनाडा): महोदय, मैं अपने आपको डा. मनोज द्वारा उठाए गए मुद्दे से सम्बद्ध करता हूं।

अध्यक्ष महोदय: हां, लेकिन भविष्य में अन्य सदस्य द्वारा उठाए गए मुद्दे से अपने आपको सम्बद्ध करने के लिए आपको नोटिस देना चाहिए।

श्री के.एस. राव (एलूरू): महोदय, हमें इस समय सकल घरेलू उत्पाद की 8 प्रतिशत की महत्वाकांक्षी वृद्धि दर प्राप्त करने के लिए कुशल जनशक्ति और प्रौद्योगिकीय जनशक्ति की आवश्यकता है। आंध्र प्रदेश बड़ी संख्या में महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकीय जनशक्ति का योगदान कर रहा है। आंध्र प्रदेश में प्रबंधन, फार्मेसी इत्यादि के अलावा इंजीनियरिंग के 240 महाविद्यालय हैं। लेकिन आंध्र प्रदेश में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (ए आई सी टी ई) का कोई क्षेत्रीय केन्द्र नहीं है। आंध्र प्रदेश के लोगों की यही मांग है। इन सभी संस्थानों को अनुमति लेने के लिए या गुणवत्ता और मानक संबंधी अनुवीक्षण के लिए पहले चेन्नै स्थित क्षेत्रीय केन्द्र में जाना पड़ता है तत्पश्चात् दिल्ली जाना पड़ता है। मैं माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह हैदराबाद में शीघ्रातिशीघ्र अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद का क्षेत्रीय केन्द्र शुरू करे। हमें तत्काल इसकी आवश्यकता है।

अध्यक्ष महोदय: श्रीमती निवेदिता माने-उपस्थित नहीं।

श्री नारायण चन्द्र बरकटकी (मंगलदोई): महोदय, पिछले सप्ताह के दौरान असम में अर्थात् गुवाहाटी, नागांव, तिनसुकिया, मोरीगांव और डिगबोई में लगातार बम विस्फोट हुए। वहां की स्थिति बहुत ही गंभीर है। वास्तव में गुवाहाटी शहर को पुलिस स्टेशन परिसर में एक बम धमाका हुआ था जिसके परिणामस्वरूप एक सिपाही, एक होमगार्ड के जवान की मौत हो गई थी जबकि पांच अन्य व्यक्ति घायल हो गए थे। नागांव में एक व्यक्ति की मौत हुई थी। मोरीगांव में 2 व्यक्तियों की मौत हुई थी जबकि 50 अन्य व्यक्ति घायल हुए थे। इनमें से पांच व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुए थे। पिछले कुछ महीनों में ऐसा देखा गया है कि बम विस्फोट एक आम मामला बन गया है। राज्य सरकार ऐसे जघन्य अपराधों को समाप्त करने के प्रति गंभीर नहीं है। असम में जारी आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए राज्य सरकार द्वारा उठाए गए सुरक्षा उपाय भी पर्याप्त नहीं है। इन स्थितियों के मद्देनजर असम में स्थिति बहुत गंभीर है। मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए इसकी सी.बी.आई.

जांच शुरू कराएं। पिछले स्वतंत्रता समारोह के दौरान धीमाजी में एक बम विस्फोट हुआ था जिसमें 10 बच्चों सहित 13 व्यक्तियों की मौत हो गयी थी। ऐसा कहा गया था कि इस बम विस्फोट में असम के दो मंत्री शामिल थे। इन सभी पर विचार करते हुए मैं माननीय गृह मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए इसकी सी.बी.आई. जांच शुरू कराएं और तदनुसार इस सभा को इस जांच से अवगत कराए।

अध्यक्ष महोदय: श्री अजित कुमार सिंह-उपस्थित नहीं।

श्री लक्ष्मण सिंह बोलेंगे। यह कोई पूर्वोदाहरण नहीं है। भविष्य में, मैं आपको नहीं बुलाऊंगा।

श्री लक्ष्मण सिंह (राजगढ़): महोदय, मैं क्षमा चाहता हूं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय, हाल ही में दिल्ली पब्लिक स्कूल के एक छात्र-छात्रा की अश्लील तस्वीरें मोबाइल फोन में दिखायी गई। इस घटना ने देश की संस्कृति को झकझोर कर रख दिया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आपने ऐसा नोटिस नहीं दिया है।

श्री लक्ष्मण सिंह: मैंने नोटिस दिया था।

अध्यक्ष महोदय: ठीक है।

[हिन्दी]

श्री लक्ष्मण सिंह: अध्यक्ष महोदय, आज छात्र-छात्राओं के माता-पिता पर अजीब तरह का मनोवैज्ञानिक दबाव है। सरकार ने प्रयास करके कुछ लोगों को पकड़ा है लेकिन मुख्य आरोपी अभी भी फरार है। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री सुबोध मोहिते ने पिछले शुक्रवार को इस मुद्दे को उठाया था।

श्री अनंत नायक (बंगलौर दक्षिण): यह एक अलग मामला है।

[हिन्दी]

श्री लक्ष्मण सिंह: श्री मनीष बजाज, जो बाजी डाट काम के सीईओ हैं, को गिरफ्तार किया गया है। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि सैक्रेटरी आफ यूनाइटेड स्टेट्स उसकी तरफदारी कर रहा है। अमेरिका में कोई भारतीय बंद हो और भारत का राजदूत उसकी पैरवी करेगा तो यूनाइटेड स्टेट्स की क्या प्रतिक्रिया होगी? इस तरह की अश्लील घटनाएं भविष्य में न हों, शासन उसके लिए सख्त से सख्त कानून बनाए। हम चाहते हैं कि सरकार का मंत्री इस बारे में वक्तव्य दे। सैक्रेटरी आफ स्टेट ने जो दखल दिया है, वह उचित नहीं है। उनसे कहा जाए कि यह हमारे देश का अन्दरूनी मामला है और देश की संस्कृति से जुड़ा है। यह इसमें हस्तक्षेप न करें तो बेहतर होगा। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्रीमती तेजस्विनी शीरमेश (कनकपुरा): मैं अपने आपको श्री लक्ष्मण सिंह द्वारा उठाए गए मुद्दे से सम्बद्ध करती हूं। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

मोहम्मद सलीम (कलकत्ता-उत्तर पूर्व): अमेरिकी दबाव में नहीं आना चाहिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी बोलेंगे। श्री त्रिपाठी मेरी टिप्पणियां आप पर भी लागू होती है। जब आप नाम पुकारा जाए तब आपको यहां होना चाहिए था।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी (रीवा): अध्यक्ष महोदय, मैंने माफी मांगी है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप बुजुर्ग आदमी हैं।

[अनुवाद]

यह सब पर लागू होता है।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों की दुर्दशा की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। क्षेत्रीय बैंक के कर्मचारियों को अलग-अलग स्थानों पर अलग-अलग वेतन और सुविधाएं मिलती हैं। मैं चाहता हूं कि समस्त क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों का पुनर्गठन करके उनके लिए एक राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की जाए ताकि समान काम के लिए समान वेतन की नीति का क्रियान्वयन हो सके। इसके साथ-साथ मैं क्षेत्रीय

ग्रामीण बैंक के कर्मचारियों को प्रवर्तक बैंक के कर्मचारियों की भांति वेतन, भत्ता और सुविधाएं दिलाए जाने की मांग करता हूं।

अध्यक्ष महोदय: आपकी सही डिमांड है।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आज हमने 38 मामले लिए है।

[हिन्दी]

श्री अवतार सिंह भड़ाना (फरीदाबाद): अध्यक्ष महोदय, एक मिनट के लिए मुझे भी बोलने दीजिए।

अध्यक्ष महोदय: मैंने जो अच्छा काम किया है, उसके बारे में भी बोलिए।

[अनुवाद]

अब लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2.10 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 1.08 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2.10 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.14 बजे

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् अपराह्न 2.14 बजे पुन: समवेत हुई।

(उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन* हुए)

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

सरकार की बैंकिंग नीति में परिवर्तन संबंधी सरकार की पहल से उत्पन्न स्थिति

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अब सभा में मद संख्या 11-ध्यानाकर्षण को उठाया जाएगा। माननीय मंत्री पहले ही वक्तव्य दे चुके हैं। अब श्री गुरुदास दासगुप्त केवल स्पष्टीकरण मांगेंगे।

श्री गुरूदास दासगुप्त (पंसकुरा): महोदय, मैं सर्वप्रथम यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि सरकार का समर्थन करने वाले दल का सदस्य होने के बावजूद मुझे यह कहते हुए दु:ख हो रहा है और मैं क्षमा चाहता हूं कि मैं माननीय वित्त मंत्री की बातों से सहमत नहीं हूं। मुझे लगता है कि यह एक विपथन है। मुझे लगता है कि सरकार ने अपनी महत्वपूर्ण नीति में संसद, अपने सहयोगियों और समर्थकों को विश्वास में लिए बिना अघोषित परिवर्तन किया है।

महोदय, माननीय मंत्री के विरुद्ध यह मेरी शिकायत नहीं है। उन्हें अपना रास्ता चुनने का पूरा हक है लेकिन एक गठबंधन सरकार होने के नाते सरकार का यह कर्त्तव्य है कि वह हमसे सलाह-मशविरा करे। सरकार का समर्थन करने वाले दलों का यह हक बनता है कि सरकार उनसे सलाह-मशविरा करें। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। माननीय मंत्री ने पांच आधारों पर अपनी बात कही है मैं पंचशील की बात नहीं कर रहा हूं। मैं उन पांच विवादास्पद आधारों की बात कर रहा हूं, जिनके आधार पर माननीय मंत्री ने अपनी नीति का बचाव करते हुए बैंकिंग नीति में परिवर्तन या सुधार की बातें की है। यह किसके निर्देशों से किए गए है यह तो माननीय मंत्री ही बता सकते हैं।

आरम्भ में उन्होंने कहा है, "भारतीय बैंकों को विश्व स्तरीय बनाने के लिए परिवर्तन किये गये हैं।" राष्ट्रीयकृत भारतीय बैंकों को विश्व स्तरीय बनाया जाना है। किन्तु किस लिये? मैं दक्षता अथवा बेहतर कार्यप्रणाली के लिए सहमत हूं। किन्तु क्या यह सच नहीं है कि विश्व के वैश्विक बैंकों की प्रगति बेरोजगारी अथवा गरीबी से लड़ने की न के बराबर सामाजिक प्रतिबद्धता है? यदि वैश्विक बैंकों की कोई सामाजिक प्रतिबद्धता नहीं है तो जो माननीय वित्त मंत्री जी जो कह रहे हैं उसका तात्पर्य है कि भारतीय बैंकों को विश्वस्तरीय बनाकर वे सामाजिक प्रगति के लिए अपनी प्रतिबद्धता का परित्याग कर देंगे।

क्या मैं माननीय मंत्री जी से यह जान सकता हूं कि क्या वैश्विक मानक बैंकों, जैसाकि वे भारतीय बैंकों को बनाना चाहते हैं, की ग्रामीण शाखाएं खोलने की प्रतिबद्धात होगी? क्या वे ग्रामीण लोगों को राजसहायता की दरों पर अग्रिम ऋण प्रदान करने की कोई प्रतिबद्धता दिखायेंगे? क्या वे भारत के प्राथमिक क्षेत्र के विकास के प्रतिबद्ध होंगे? क्या ये बैंक लोगों के धन को जनमानस के कल्याण हेतु उपयोग करने के लिए कदम उठाने हेतु बाध्य होंगे? यह हमारे समक्ष प्रमुख सोच विचार का मुद्दा है। बैंकों 16 लाख करोड़ रुपये जमा है। हम जनमानस की धनराशि उनके कल्याण के लिए प्रयुक्त करना चाहते हैं। वैश्विक बैंक बन जाने से बैंक की नीति में सामाजिक पक्ष को आघात पहुंचाना और इसका कमजोर होना तय है। इसलिए, क्या मैं माननीय मंत्री से इसका कारण जान सकता हूं?

हमें वैश्विक बैंकों की आवश्यकता नहीं है। हमें विकास और निवेश दर में वृद्धि करवाने वाले बैंकों की आश्यकता है। हमें मजबूत एवं सक्षम राष्ट्रीयकृत ऐसे बैंकों की आवश्यकता है जो राष्ट्र के विकास के लिए प्रतिबद्ध हो। यही हम बैंक की नीति का हिस्सा चाहते हैं। ऐसा लगता है कि वैश्विक बैंकों के पक्ष में जाकर माननीय मंत्री जी श्रीमती इंदिस गांधी द्वारा राष्ट्रीयकरण के मूलभूत सिद्धान्तों को नजरअंदाज करना चाहते हैं जो श्री चिदम्बरम आज तक भी नहीं भूले होंगे।

महोदय, उनका दूसरा तर्क यह है कि इससे समेकितीकरण को बढ़ावा मिलेगा। आर्थिक सुधार की मूल सिद्धांत प्रतिस्पर्धा की भावना को उत्पन्न करना था। आर्थिक सुधारों के लिए 'प्रतिस्पर्धा' सबसे प्रचलित शब्द था। किन्तु माननीय मंत्री जी समेकितीकरण का पक्ष ले रहे हैं अर्थात् एकाधिकारात्मक वृद्धि। अब 27 राष्ट्रीयकृत बैंकों को पांच-पांच एकाधिकारी बैंकों में समेकित करने का प्रस्ताव है। इसलिए, आर्थिक सुधारों का मूल सिद्धांत क्या था? क्या यह प्रतिस्पर्धा था अथवा एकाधिकार? मुझे यह कहने में खेद होता है कि यदि बैंकों को विलय कर दिया जाता है, यदि बैंकों की संख्या में कटौती कर दी जाती है, यदि बैंकों को समेकित कर दिया जाता है, तो यह बैंक के क्षेत्र में एकाधिकारात्मक वृद्धि को बढ़ावा देगा जो मेरे विचार में बैंकों की सामाजिक प्रतिबद्धता को आघात पहुंचायेगी। मैं निश्चित तौर पर कहता हूं कि समेकितीकरण इस नीति को कमजोर बनायेगा जो देश की वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है।

महोदय, दूसरी ओर माननीय वित्त मंत्री समेकितिकरण क्यों चाहते हैं? वे अपने दावे के प्रति बहुत सुनिश्चित है। हम श्री चिदम्बरम को रहस्य बनाये रखने का दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। इस मामले में वे बहुत पारदर्शक है। जो वे कहते हैं समेकितिकरण का कारण वही है? जनशक्ति और अन्य संसाधनों के मामले में उत्पादन लागत में कमी का लाभ उठाना समेकितिकरण का कारण है, जिसका यह अर्थ है कि वे जनशक्ति में कटौती करना चाहते हैं। उत्पादन लागत में कमी लाभ उठाने के उद्देश्य से माननीय वित्त मंत्री जी जनशक्ति में कटौती करना चाहते हैं। दुर्भाग्यवश, यह जनादेश नहीं है। श्री चिदम्बरम अब लोक सभा के सदस्य हैं और हममें से कई और लोग भी लोक सभा सदस्य हैं क्योंकि हमने भी आर्थिक नीतियों में परिवर्तन की वकालत की थी। हमने वैकल्पिक नीति की वकालत की थी। श्री चिदम्बरम द्वारा समेकितिकरण की बातों से ऐसा लगता है कि वे स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना चाहते हैं, वे छंटनी और अधिक बेरोजगारी चाहते हैं। इससे देश में कम नौकरियों की स्थिति उत्पन्न हो जायेगी। क्या हम इसे सह सकते हैं? जनशक्ति में उत्पादन लागत में कमी का लाभ उठाने के उद्देश्य से वे अप्रत्यक्ष रूप से जनशक्ति में कटौती की वकालत कर रहे हैं और फालतू जनशक्ति की बातें कर रहे हैं। इससे रोजगार के अवसर कम हो जायेंगे और देश में बेरोजगारी की स्थिति बदतर हो जायेगी। क्या हम इसे सह सकते हैं?

महोदय, यही सब कुछ नहीं है। इसका अर्थ ठेकेदारी भी है। हम विदेशी बैंकों में ठेकेदारी देखते हैं। श्री चिदम्बरम को विदेशी बैंक बहुत प्रिय हैं। वे भारतीय बैंकों से विदेशी बैंकों का अनुसरण करवाना चाहते हैं। भारत में विदेशी बैंक क्या कर रहे हैं? विदेशी बैंक देश में आतंकवादियों के वित्त पोषण में लिप्त पाए गए हैं। अस्सी के दशक में भारतीय रिजर्व बैंक ने आर.बी.आई. के भूतपूर्व गवर्नर, श्री अमिताभ घोष की अध्यक्षता में इस पहलू की जांच के लिए एक समिति गठित की थी। इसने स्पष्टत: विदेशी बैंकों की आपराधिकता को सूचीबद्ध किया था। अब, श्री चिदम्बरम भारतीय बैंकों से वैश्विक बैंकों का अनुसरण करवाना चाहता है जिसका अर्थ है कि विदेशी बैंक और यदि यह हो जाता है तो इससे ठेकेदारी, आउटसोर्सिंग और श्रम लागत में कटौती को बढ़ावा मिलेगा और इस प्रक्रिया से उत्पादन लागत में कमी का लाभ मिलेगा। इसलिए, हम मन, वचन और कर्म से इसके विरुद्ध हैं।

महोदय, तीसरा तर्क यह है कि बैंकों के पास पूंजी पर्याप्तता अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की होनी चाहिए। इसलिए उन्होंने दो चीजों का उल्लेख किया है-पूंजी पर्याप्तता और गैर-निष्पादनकारी आस्तियां-जो समेकितिकरण और बैंक के क्षेत्र में सम्भाव्य परिवर्तन लाने का भी कारण है। देश के अधिकांश बैंक, मुझे सभा को सूचित करने दिया जाए, यदि सभी नहीं तो उनके पास पूंजी पर्याप्तता है-पूंजी का नौ प्रतिशत अग्रिम जोखिम-अंतर्राष्ट्रीय मानक तय होना चाहिए। तो इसमें और संशोधन की आवश्यकता क्यों है? माननीय वित्त मंत्री क्यों और अधिक चाहते हैं? वे पूंजी पर्याप्तता में सुधार के मानदण्ड को राष्ट्रीयकृत बैंकों को आघात पहुंचाने के लिए करना चाहते हैं और इन बैंकों को वैश्विक बैंकों की दिशा में अग्रसर करना चाहते हैं। समेकितिकरण के लिए इस तर्क की वकालत बहुत कमजोर है जो एकाधिकारात्मक वृद्धि को बढ़ावा देगा।

महोदय, सरकार को गैर-निष्पादनकारी आस्तियों के बारे में बात करने का अधिकार है। चूककर्ता कौन हैं? श्री चिदम्बरम भारतीय रिजर्व बैंक से चूककर्ताओं की सूची प्राप्त कर सकते हैं। बहुत चूककर्त्ता सत्ता के गलियारों में विद्यमान है। सरकार उनके प्रति बहुत नरम है। गैर-निष्पादनकारी आस्तियों की धनराशि को उगाहने के लिए सरकार ने चूककर्ताओं के विरुद्ध कोई आपराधिक कार्यवाही आरम्भ नहीं की है। चूककर्ता व्यक्तियों को दण्डित करने के लिए विधि में पर्याप्त प्रावधान नहीं हैं। तथाप पूर्व राजग सरकार ने गैर निष्पादनकारी आस्तियों को उगाहने के लिए उपाय किये, तथापि श्री चिदम्बरम को वित्त मंत्रालय की कमान सम्भाले हुए छह माह से अधिक समय हो गया है, फिर भी गैर-निष्पादन आस्तियों से कितनी धनराशि उगाही गई है? केवल एक वर्ष में कुल गैर-

निष्पादनकारी आस्तियां 18000 करोड़ रु. हो गई है। क्या माननीय वित्त मंत्री चूककर्ताओं के नामों से अवगत करवायेंगे? वित्त मंत्री कभी भी चूककर्ताओं के नाम नहीं जानना चाहते हैं, ऐसा क्यों? चूककर्ताओं के प्रति इतनी नरमी क्यों? मैं यहां दुरभिसंधि शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहता हूं क्योंकि यह बहुत ही निकृष्ट शब्द है। किन्तु यह अनुकम्पा क्यों? माननीय वित्त मंत्री जी ने एक दिन संयम शब्द का इस्तेमाल किया था और मैं उसी शब्द का प्रयोग यहां करना चाहता हूं। वे इतने संयमी क्यों हैं? केवल उन चूककर्त्ताओं के नामों से अवगत करवाया गया है जिनके विरुद्ध मुकदमा चल रहा है। इसलिए, गैर-निष्पादनकारी आस्तियों में वृद्धि होना बैंक प्रबंधन और चूककर्त्ताओं के बीच दुरभिसंधि, भारतीय रिजर्व बैंक की अनुकम्पा एवं संयम तथा वित्त मंत्री की नरमी है। किसी कुत्ते को मारने के लिए उसे बदनाम कर दीजिए। कुछ ऐसा ही तर्क वे बैंक प्रणाली में गुणवत्ता रूपी परिवर्तन लाने के लिए दे रहे हैं।

महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी का चौथा तर्क क्या है? वह उनका वास्तविक तर्क है। उनकी कोई भी छुपी कार्य सूची नहीं है किन्तु यह उनकी वास्तविक कार्यसूची है और यही वही स्थान है जहां वे रहस्य बनाये हुए हैं अर्थात् प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का मुद्दा। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रति उनका अगाध प्रेम है और वे ऐसा मानते हैं कि अर्थव्यवस्था में विकास को बढ़ावा देने में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सर्वोत्तम हथियार हो सकता है और इसीलिए वे ये परिवर्तन कर रहे हैं। सिर्फ प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की वजह से ये सब परिवर्तन किये जा रहे हैं। उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट रूप से इस बात को स्वीकार किया। मैं उनके वक्तव्य को पढ़कर सुनाना चाहता हूं। वह कहते हैं:

''प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से नई प्रौद्योगिकी और प्रबंध प्रौद्योगिकी सहित उच्च प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह के लिए समर्थ वातावरण का सृजन होगा।''

महोदय, हमारे देश की जनसंख्या 110 करोड़ है। हमें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से प्रौद्योगिकी की आवश्यकता है। हमें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के माध्यम से उन्नत प्रौद्योगिकी की आवश्यकता है और हम यह कार्य अपने आप नहीं कर सकते। बेहतर प्रौद्योगिकी के लिए हमें प्रत्यक्ष विदेशी निवेशकों के पैर छूने चाहिए। मुझे यह कहते हुए खेद है। लेकिन उनके पास इसके कारण हैं। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए अन्य कारण है।

उनका कहना है: ''जब तक अर्थव्यवस्था में निवेश का स्तर नहीं बढ़ता है तब तक उच्च विकास दर को प्राप्त नहीं किया जा सकता और न बनाए रखा जा सकता। उन्हें यह विश्वास नहीं है कि घरेलू संसाधन जुटाए जा सकते हैं। इसके लिए, वह कहते हैं कि निजी क्षेत्र को निरंतर बढ़ाते हुए सम्मिलित करने और विदेशी निवेश को भी आमंत्रित करने की आवश्यकता है। इसलिए, नई नीति की पूर्ण प्रभावोत्पादकता का पूरा प्रेम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए है। मेरी दलील है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भारत के विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा सकता। हमें यह विश्वास करने की आवश्यकता है कि हमारे पास अपने संसाधन हैं। सरकार में घरेलू संसाधनों को जुटाने की राजनीतिक इच्छा नहीं है। कृपया अमीर लोगों पर कर लगाइये। ग्रीनफील्ड एरिया को कर के दायरे में लाने के संबंध में सरकार की कोई प्रतिबद्धता नहीं है क्योंकि सरकार अमीर लोगों को छूने से डरती है। इसलिए, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए उनकी बहस तर्कविरुद्ध है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेशकों को प्रसन्न करने के लिए बैंकों का निजीकरण करने की आवश्यकता है, बैंकों को वैश्वीकृत और समेकित करने की आवश्यकता है।

उपाध्यक्ष महोदय: आप 20 मिनट से अधिक समय ले चुके हैं। कृपया अब समाप्त कीजिए।

...(व्यवधान)

श्री गुरूदास दासगुप्त: माननीय मंत्री को अनिच्छा व्यक्त नहीं करनी चाहिए।

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): इस चर्चा के बाद, अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर एक अन्य चर्चा होती है *...(व्यवधान)*

श्री गुरूदास दासगुप्त: यह जिम्मेदारी माननीय अध्यक्ष महोदय किं है न कि माननीय वित्त मंत्री की। आप मेरी तरह ही सदस्य हैं।

श्री पी. चिदम्बरम: मेरा कार्य पूरा होना अनिवार्य है।

श्री गुरूदास दासगुप्त: मैं जानता हूं। हम आपका कार्य पूरा होने तक देर तक बैठेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया अध्यक्षपीठ को सम्बोधित कीजिए और अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री गुरूदास दासगुप्त: मेरा मुद्दा यह है। वह अपनी बात ग्राहकों के लाभ और उनके विश्वास की रक्षा करने के लिए बैंकिंग क्षेत्र को मजबूत बनाने की बात कहते हुए समाप्त करते हैं। ग्राहक कौन है? उधार लेने वाले ग्राहक हैं। महोदय, उन्हें जमाकर्ताओं की कोई चिंता नहीं है। उन्हें इस अग्रणी भूमिका की कोई चिंता नहीं है, जो बैंकों को भारत के विकास के लिए निभानी चाहिए। उन्हें केवल उधार लेने वालों की चिंता है। हम यहीं पर असहमत हैं। श्री चिदम्बरम राष्ट्रीयकरण के मूलभूत सिद्धांतों से भटक रहे हैं। वह प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतर्वाह के लिए राष्ट्रीयकृत क्षेत्र की भूमिका के मूल सिद्धांतों को भी त्यागने को तैयार हैं।

मैं केवल दो उदाहरण दूंगा। श्री चिदम्बरम ने निजी बैंकों के 74 प्रतिशत नियंत्रण की बात कही। देश में 29 निजी बैंक है। उनकी पूंजी 3250 करोड़ रु. और जमा राशि 2,62,000 करोड़ रुपये है। यदि वे 74 प्रतिशत शेयर खरीदें तो वे निवेश क्या करेंगे? वे केवल 2000 करोड़ रुपये का निवेश करेंगे। 2000 करोड़ रुपये का निवेश करके विदेशी कारपोरेट भारत की जनता की 2,62,000 करोड़ रुपये की मेहनत की बचत पर नियंत्रण पा सकते हैं।

आखिरकार, हमारे 27 बैंक हैं। कुल पूंजी 14000 करोड़ रुपये है और जमाराशि 12,27,000 करोड़ रुपये है। वह इसे कम करना चाहेंगे। अधिकांश बैंकों के पास 70 प्रतिशत शेयर हैं। वह इसे घटाकर 49 प्रतिशत शेयर करना चाहते हैं जिसका अर्थ है कि यदि निजी क्षेत्र करीब 3000 करोड़ रुपये खर्च करें तो उसके पास बोर्ड में 49 प्रतिशत प्रतिनिधित्व होगा और इस क्षेत्र की बैंकिंग नीति पर पर्याप्त नियंत्रण होगा। मैं यह केवल इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं यह महसूस करता हूं कि बैंकों में जमा भारत की जनता की मेहनत की बचत का निजीकरण करने की तथा विदेशी कोरपोरेटों और निजी कारपोरेटों को सौंपने की आवश्यकता महसूस की जा रही है।

मैं आपको सिर्फ एक और उदाहरण दूंगा। एक निजी बैंक में एक व्यक्ति ने 100 करोड़ रुपये का ऋण लिया है। उसने ऋण नहीं चुकाया। लेकिन, उसके उस ऋण के 50 करोड़ रुपये से बैंक के शेयर खरीदे और वह उस निदेशक मंडल का सदस्य बन गया जिसके सदस्य बैंकों के धन की चोरी कर रहे हैं। हम बैंकों के शेयर खरीदेंगे और बोर्ड की बैठक में सदस्य बनेंगे। और श्री चिदम्बरम को हमारे 16 लाख करोड़ रुपये विदेशी कारपोरेटों या निजी कारपोरेटों को सौंपकर संतुष्टि होगी।

महोदय, श्री चिदम्बरम यह जान लें कि हम इस कदम का विरोध करेंगे। हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे। 21 तारीख को साधारण बीमा निगम में हड़ताल होने वाली हैं। 22 तारीख को देना बैंक में हड़ताल होनी है। वहां उस दिन हड़ताल होने वाली है जिस दिन शेयरों को सूचीबद्ध किया जाएगा। मैं श्री चिदम्बरम से अनुरोध करता हूं कि वह उस जनता को नाराज न करें जिससे उन्हें सत्ता मिली है। कृपया उन लोगों के बारे में सोचिए जिन्होंने आपको वोट दिया। उन लोगों को नाराज मत कीजिए। आप जानते हैं कि यदि आपने उन्हें नाराज किया तो उसका क्या असर होगा। मैं आशा करता हूं कि श्री चिदम्बरम इस नीति पर पुनर्विचार करेंगे।

श्री पी. चिदम्बरम: उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पिछले सप्ताह वक्तव्य दिया था। यदि माननीय सदस्य ने मेरे वक्तव्य के तथ्यों पर ध्यान दिया होता और वक्तव्य में मेरे द्वारा छोड़ी गई बात छोड़ी गई किसी द्विअर्थक स्थिति को स्पष्ट करने के लिए कहा होता तो मुझे बहुत प्रसन्नता होती। उनके हस्तक्षेप का मुख्य उद्देश्य प्रश्न पूछना नहीं बल्कि इस विषय पर अपने व्यक्तिगत विचार व्यक्त करना है, जिनकी मै कद्र करता हूं यद्यपि यह जरूरी नहीं कि मैं उन सभी विचारों से सहमत होऊं, और इसे लघु वाद-विवाद में तब्दील करूं। यदि मैं कहूं तो, मेरे वक्तव्य में कुछ भी द्विअर्थक नहीं है। मेरा वक्तव्य स्पष्ट है, श्रेणीवार और वह सरकार की नीति का वर्णन करता है जोकि राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम के अनुरूप है।

नरसिंहम समिति को नियुक्त किया गया और उसने वर्ष 1991 में अपनी रिपोर्ट दी। कांग्रेस सरकार उसके बाद संयुक्त मोर्चा सरकार, उसके बाद राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार ने अपने तर्क से तथा अब संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार ने बैंकिंग सुधार सहित अनेक सुधार कार्यान्वित किये हैं। प्रत्येक माननीय सदस्य के अपने आप से जो प्रश्न पूछना चाहिए वह यह है: क्या हमारा बैंकिंग क्षेत्र मजबूत हुआ है, सुधारों को धन्यवाद या नहीं? 40 बैंकिंग सुधारों का विरोध करने वाले किसी सदस्य का वैचारिक मत हो सकता है। लेकिन सर्वत्र यह बात स्वीकार की जाती है कि आज हमारे बैंकों की स्थिति मजबूत है। विशेषकर सरकारी क्षेत्र के बैंकों की स्थिति आज काफी मजबूत है।

मुझे याद है कि वर्ष 1997-98 में कई बैंकों की स्थिति खराब हो रही थी। उनमें से दो बैंकों के मुख्य मेरे तमिलनाडु राज्य के चेन्नई में हैं और तीन बैंकों के मुख्यालय कोलकाता, पश्चिम बंगाल में है। आज, उन सभी पांचों बैंकों की स्थिति बदल गई है और अब उनकी स्थिति मजबूत हो गई है, सुधारों का धन्यवाद। यदि माननीय सदस्य को बैंकिंग क्षेत्र को मजबूत करने की मेरी प्रतिबद्धता पर कोई संदेह हो तो उन्हें केवल एक काम करने की जरूरत है वह कोलकाता जाएं और यूको बैंक की यूनियन से मिलें, युनाइटेड बैंक आफ इंडिया की ट्रेड यूनियन और इलाहाबाद बैंक की ट्रेड यूनियन से मिलें ...*(व्यवधान)* वे आपको बताएंगे कि कैसे सरकारी हस्तक्षेप के लिए धन्यवाद, बैंकों की स्थिति मजबूत हुई, सुधारों के लिए धन्यवाद, बैंकों की स्थिति मजबूत हुई है।

इन आंकड़ों को इस सभा में कई बार प्रस्तुत किया गया है। मैंने पिछले सप्ताह भी बैंकों से संबंधित प्रश्न का उत्तर देते हुए इन आंकड़ों को प्रस्तुत किया। मैं इन आंकड़ों का दोहराते हुए थकान महसूस नहीं करता। मैं यह आंकड़े पुन: दोहराता हूं। माननीय सदस्य ने कहा कि गैर-निष्पादक आस्तियों में बढ़ोत्तरी हुई है। स्पष्टत: वह अपने आंकड़ों पर भरोसा करते हैं। मैं केवल अधिकारिक आंकड़ों पर भरोसा कर सकता हूं।

वर्ष 2002-03 और 2003-04 में सरकारी क्षेत्र की निवल गैर-निष्पादक आस्तियों में 4.53 प्रतिशत से घटकर 2.98 प्रतिशत हो गई है। क्या यह वृद्धि है या कमी? क्या यह मजबूती है या कमजोरी? राष्ट्रीयकृत बैंकों की निवल गैर-निष्पादक आस्तियां 4.74 प्रतिशत से घटकर 3.13 प्रतिशत हो गई है। भारतीय स्टेट बैंक समूह की निवल गैर-निष्पादक आस्तियां 4.12 प्रतिशत से घटकर 2.71 प्रतिशत तथा निजी क्षेत्र के उन बैंकों की निवल गैर-निष्पादक आस्तियों का प्रतिशत भी 2.32 से घटकर 1.32 प्रतिशत हो गया जिनकी सेवाएं लेना लोग पसंद नहीं करते। यह सूचना निवल गैर-निष्पादक आस्तियों के संबंध में है। सकल गैर-निष्पादक आस्तियां में भी कमी आई है। मैं आपको लाभप्रदता के आंकड़े दे सकता हूं, मैं आपको प्रसार, विस्तार और ब्याज दरों के आंकड़े दे सकता हूं।

हमारे बैंक प्रत्येक मानदंड पर सुदृढ़ हुए हैं, इसका श्रेय नरसिम्हम समिति के वर्ष 1999 के प्रतिवेदन के पश्चात् किये गये सुधारों के क्रियान्वयन को जाता है। हमें सिर्फ इस सुधार प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है तथा जब हम ऐसा करेंगे तो निश्चित तौर पर हम अपने सहयोगियों, विपक्षी दलों से परामर्श करेंगे तथा संसद को विश्वास में लेंगे। निस्संदेह, मेरे पास संसदीय स्वीकृति लिये वगैर किसी कानून को संशोधित करने का कोई रास्ता नहीं है।

मैं उन तीन मुद्दों का शीघ्र उल्लेख करता हूं जिनके बारे में माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछे थे। पहली बात उन्होंने कही है कि यदि कोई राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा सरकारी क्षेत्र का बैंक वैश्विक बैंक बन जाता है तो वह अपने सामाजिक उद्देश्यों का गंवा देगा। मैं यह तर्क समझ नहीं पा रहा हूं। यदि सरकारी क्षेत्र का कोई बैंक सरकारी क्षेत्र का बैंक बना रह जाता है तथा यदि सरकारी क्षेत्र के बैंक की अधिकांश अंशधारिता सरकार के पास रहती है तो यह अपने सामाजिक उद्देश्यों को क्यों गंवाएगा? इसके विपरीत अनेक लेखों में समेकन, प्रतियोगिता और संकेन्द्रन के बारे में उल्लेख किया गया है क्योंकि ये तीनों चीजें पूरी दुनिया में बैंकिंग क्षेत्र का संचालन कर रही है और पूरे विश्व में जो घटित हो रहा है उससे भारत अछूता नहीं रह सकता है। समेकन, प्रतियोगिता और संकेन्द्रन तीन मंत्र हैं जिनको भारत के सरकारी क्षेत्र के बैंकों सहित सभी बैंकों को अपनाना पड़ता है। यदि ऐसा होता है तो सरकारी क्षेत्र के हमारे बैंक कमजोर होने के बजाय और सुदृढ़ ही होंगे। इनकी सेवाएं नगरों और शहरी क्षेत्रों तक सीमित न होकर भारत के अधिकांश भाग में उपलब्ध होगी। वे और अधिक ग्राहकों को अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे। उदाहरण के लिए, हमारे बैंकों से ऋण लेने वाले लोगों में से चार करोड़ लोग कृषि क्षेत्र से है। इस वर्ष, हमने 18 जून को घोषित अपनी नीति में इस क्षेत्र के 50 लाख और लोगों को शामिल करने घोषणा की है। एक वर्ष में, हम 50 लाख और संस्थागत कर्जदारों को शामिल करने जा रहे हैं। यह उन्नति तभी हो सकती है जब हमारे बैंक सुदृढ़ बने। और यह सुदृढ़ता उनके स्कैल और आकार से आती है।

महोदय, विश्व के शीर्ष 200 बैंकों में भारत का मात्र एक बैंक शामिल है तथा भारतीय बैंक ताइवान के बैंकों से भी छोटे हैं। विश्व के शीर्ष 200 बैंकों में भारत का मात्र एक बैंक, भारतीय स्टेट बैंक शामिल है और उसका स्थान 82वां है। भारत के दूसरे बैंक, आईसीआईसीआई बैंक का स्थान आकार के आधार पर 400 से 450 के बीच कहीं है। आर्थिक शक्ति बनने की इच्छा रखने वाले महान राष्ट्र के रूप में क्या हम यह नहीं चाहेंगे कि विश्व के शीर्ष 200 बैंकों में कम से कम हमारे आधे दर्जन बैंक शामिल हो? संक्षिप्त में, समेकन का यही अभिप्राय है। बैंकिंग क्षेत्र, बैंक प्रबंधन, वित्त संबंधी स्थायी समिति, जिसे मैं अभी उद्धृत करूंगा, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार तथा समन्वय समिति, सभी ने इस बात को महसूस किया है तथा माननीय सदस्य द्वारा कही गयी बात के विपरीत, हमने समन्वय समिति में इस विषय पर चर्चा की है और समन्वय समिति में दलों का प्रतिनिधित्व कर रहे नेताओं को इस चर्चा में पूरी तरह शामिल किया है।

श्री गुरूदास दासगुप्त: उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस वक्तव्य के प्रति अपना विरोध दर्ज करता हूं कि समन्वय समिति ने स्वीकृति दी है। ...*(व्यवधान)* यह बात सच नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया उन्हें बाधित न करें।

श्री पी. चिदम्बरम: महोदय, मैं अपनी बात समाप्त नहीं कर रहा हूं। वह यहां पर इस बात को नकार नहीं सकते हैं ...*(व्यवधान)* वह समन्वय समिति में नहीं है। वह इस बात को नकार नहीं सकते।

श्री गुरूदास दासगुप्त: हमने आपको कभी भी अपनी सहमति नहीं दी।

श्री पी. चिदम्बरम: मैं अपनी व्यक्तिगत जानकारी से कह रहा हूं।

श्री गुरूदास दासगुप्त: मैं भी अपनी व्यक्तिगत जानकारी से कह रहा हूं।

श्री पी. चिदम्बरम: वह व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर नहीं कह सकते क्योंकि वह समिति में नहीं थे।

श्री गुरूदास दासगुप्त: यह समिति में शामिल रहने का प्रश्न नहीं है। यह विगत समय की जानकारी होने का प्रश्न है। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया व्यवधान पैदा न करें।

श्री पी. चिदम्बरम: उन्होने कतिपय स्पष्टीकरण मांगें हैं और मैंने उनका उत्तर दे दिया है।

दूसरी बात जो माननीय सदस्य ने कही है वह यह है कि समेकन प्रतिस्पर्धा का विरोधी है। मुझे पुन: विस्मय हो रहा है। समेकन प्रतिस्पर्धा का विरोधी क्यों है? जैसाकि मैंने कहा है समेकन मेरे बैंकों को और प्रतिस्पर्धात्मक बनायेगा। यह उन्हें और प्रतिस्पर्धात्मक बनाता है। यह समेकन है जो हमारे बैंकों को सिर्फ भारतीय संदर्भ में ही नहीं बल्कि वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धात्मक बनाएगा।

उन्होंने अंतिम बात यह रही है कि 'स्केल के लाभों को प्राप्त करने संबंधी वक्तव्य का अभिप्राय जनशक्ति को कम करना है। मैं पुन: अचंभित हूं। स्केल के लाभों को प्राप्त करने का अर्थ जनशक्ति को कम करना कैसे हो सकता है? स्केल के लाभों को प्राप्त करने का अर्थ बैंक शाखाओं की संख्या बढ़ाना, बैंकिंग व्यवसाय को बढ़ाना, कारोबार को बढ़ाना, जमाओं को बढ़ाना और ऋण राशि व उसके क्षेत्र को बढ़ाना है तथा बैंक यथापेक्षित जनशक्ति की भर्ती करेंगे। उदाहरण के लिए, 18 जून की नीति के पश्चात्, लम्बे अर्से के बाद करीब पांच अथवा छह वर्षों में पहली बार इस सरकार व मेरे निदेश के अंतर्गत बैंक कृषि क्षेत्र को और अधिक ऋण देने के प्रयोजन से कृषि स्नातकों को नियुक्ति कर रहे हैं। अनेक बैंक कृषि ऋण सुनिश्चित करने हेतु सैकड़ों कृषि स्नातकों को नियुक्त कर रहे हैं।

मैं इनमें से किसी भी आलोचना को नहीं समझ पा रहा हूं क्योंकि ये मुझे तर्कसंगत नहीं लग रहे हैं। इन आलोचनाओं में मेरे वक्तव्यों को सही अर्थों में नहीं लिया गया है। वस्तुत: इस सभा के माननीय सदस्य व सदस्यों को यह पता होना चाहिए कि बैंकिंग सुधार तथा हमारे द्वारा उठाये जा रहे ये कदम समय-समय पर घोषित कदमों की निरंतरता में है। उदाहरणार्थ, बैंकिंग विनियमन अधिनियम की धारा 12, उप धारा (2) को इस सभा में एक विधेयक लाकर संशोधित करने का प्रयास किया गया है। विधेयक को स्थायी समिति के पास भेजा गया था। स्थायी समिति में भाकपा (मा.) के तीन सदस्य और भाकपा के एक सदस्य सहित सभी दलों के सदस्य शामिल हैं। मैं इस समिति द्वारा सर्वसम्मति से जारी किये गये प्रतिवेदन को उद्धृत करता हूं:

> ''समिति विधेयक के प्रावधानों की जांच करने तथा सरकार और सरकारी एवं निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा प्रस्तुत सामग्रियों व साक्ष्यों पर विचार करने के पश्चात् विधेयक के उद्देश्यों एवं कारणों के कथन से सहमत है। समिति का यह मानना है कि यह विधेयक विदेशी बैंकों की अनुषंगी इकाइयों की स्थापना की ही मात्र व्यवस्था नहीं करेगा बल्कि यह भारतीय निजी बैंकों की समेकन प्रक्रिया के लिए भी मार्ग प्रशस्त करेगा। समिति महसूस करती है कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम की धारा 12 की उपधारा 2 के समाप्त होते ही सभी निवेशकों को अवसर उपलब्ध हो जाएंगे तथा निवेश सिर्फ विदेशी बैंकों तक ही सीमित नहीं रह जाएगा। समिति यह गौर कर दु:खी है कि इस महत्वपूर्ण सूचना का उद्देश्यों और कारणों के कथन में उल्लेख होना चाहिए था। समिति यह चाहती है कि सरकार इस संबंध में समुचित संशोधन करे।''

समेकन, प्रतिस्पर्धा व सेकन्द्रन के कारण पूरे विश्व में बैंकिंग सुधार हो रहे हैं। समेकन का सुझाव नरसिम्हम समिति द्वारा काफी पहले वर्ष 1991 में दिया गया था। हम बैंकों को आपस में समेकित होने हेतु प्रोत्साहित कर रहे हैं। हम कोई निदेश नहीं दे रहे हैं। बैंकों ने समेकन की प्रक्रिया स्वयं शुरू की है। यदि कोई बैंक अन्य बैंकों के साथ समेकित होना चाहता है तो सरकार निश्चित रूप से इस पर सकारात्मक रूप से विचार करेगी।

जहां तक वैधानिक परिवर्तन किये जाने का प्रश्न है तो ऐसी जरूरत पड़ने पर मैं निश्चित रूप से इस सभा से तत्संबंधी स्वीकृति लेने का यत्न करूंगा। इस सभा की स्वीकृति के बगैर किसी भी बैंकिंग कानून में परिवर्तन नहीं कर सकता हूं। मैं जब कभी भी वैधानिक परिवर्तन करने हेतु तत्संबंधी विषय इस सभा के समक्ष लाऊंगा तो सभा को निश्चित रूप से विषय पर वाद-विवाद करने का अवसर प्राप्त होगा।

मैं यह कहते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं कि 1991 से सभी उत्तरोत्तर सरकारों द्वारा क्रियान्वित बैंकिंग सुधारों ने बैंकों को और अधिक मजबूत, और अधिक प्रतिस्पर्धात्मक तथा कर्जदारों और जमाकर्ताओं के सभी वर्गों के लिए और अधिक लाभकारी बनाया है। मेरी समझ से, हमें बैंकिंग क्षेत्र के सुधारों सहित सभी प्रकार के सुधारों को जारी रखना चाहिए

अपराह्न 2.49 बजे

नियम 377 के अधीन मामले*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: मैं समझता हूं, माननीय सदस्य मेरी इस बात से सहमत होंगे कि नियम 377 के अधीन मामले सभा पटल

---

*सभा पटल पर रखे गये।

पर रखे माने जाएं ताकि समय की बचत की जा सके क्योंकि आज हमें अन्य कार्य भी करने हैं।

(एक) किसानों के फायदे के लिए गुजरात के साबरकंठा जिले में हाईबैंक नहर का निर्माण किये जाने की आवश्यकता

श्री मधुसूदन मिस्त्री (साबरकंठा): गुजरात में साबरकंठा जिला, बनासकंठा जिले के उत्तरी और उत्तर-पश्चिमी भागों में सदैव सूखे की स्थिति बनी रहती है। कृषि वर्षा पर निर्भर है और सिंचाई सुविधाएं कम हैं। इस क्षेत्र में अनेक बांध बनाए गए हैं, फिर भी, राजस्थान की सीमा से लगे इन बांधों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र बिना सिंचाई के ही रह जाते हैं। यह क्षेत्र नर्मदा नहर के कमान क्षेत्र में भी नहीं आता।

इसके मद्देनजर, साबरकंठा जिले में गजुरात-राजस्थान की सीमा से सटे हाईबैंक नहर का निर्माण किया जाना चाहिए ताकि इस क्षेत्र में गरीबी हटाने के लिए किसानों के लिए फसलें सुनिश्चित की जा सकें। जल संसाधन मंत्रालय को गुजरात सरकार के साथ मिलकर इस दिशा में कदम उठाने चाहिए और साबरकंठा जिले और बनासकंठा जिले के भागों के लिए हाईबैंक नहर के निर्माण के लिए उचित धनराशि आबंटित की जानी चाहिए।

(दो) तमिलनाडु में ग्राम पंचायत अध्यक्षों को उनके क्षेत्र में विकास कार्यों को चलाने के लिए सीधे निधियां जारी किये जाने की आवश्यकता

श्री एस.के. खारवेनथन (पलानी): तमिलनाडु में 5 नगर निगम, 102 नगर पालिकाएं, 611 शहरी पंचायतें, 385 यूनियनें और 12618 ग्राम पंचायतें हैं। वर्तमान में, केन्द्र सरकार जिला ग्रामीण विकास एजेन्सी के लिए धनराशि जारी करती है जो राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन होती है। वह धन को ग्राम पंचायतों को भेजे देती है। गत तीन वर्षों से राज्य सरकार ग्राम पंचायतों को कोई राशि प्रदान नहीं कर रही है। दसवें वित्त आयोग द्वारा तमिलनाडु सरकार ने प्रत्येक पंचायत के लिए प्रतिमाह 32,000 से 50,000 रुपये तक की राशि आबंटित की जिसमें से राज्य सरकार 90 प्रतिशत राशि को विद्युत की देयराशि के रूप में काट लेती है। शेष अल्पराशि से ग्राम पंचायतें अपने कर्मचारियों का वेतन तक नहीं दे पाती। गंभीर वित्तीय संकट के चलते ग्राम पंचायतों में सारा विकास कार्य ठप पड़ जाता है। जनता को पंचायतों से पेयजल, सफाई जैसी बुनियादी सुविधाएं भी नहीं मिल पायी। पंचायतों के अध्यक्ष अपनी मजबूरी के कारण जनता का सामना करने में बहुत कठिनाई का अनुभव करते हैं। राज्य में स्थिति बहुत भयावह है और लगभग 4000 पंचायत अध्यक्ष पहले ही अपने पदों से त्यागपत्र दे चुके हैं।

महोदय, मैं ग्राम पंचायतों के अध्यक्षों को उनके क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए प्रतिवर्ष 10 लाख रुपये से कम राशि जारी न किये जाने की मांग करता हूं।

(तीन) राजस्थान के जयपुर डिवीजन के खैरथल रेलवे स्टेशन में रेल आरक्षण सुविधा का कम्प्यूटरीकरण कराए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

डा. करण सिंह यादव (अलवर): अध्यक्ष महोदय, उत्तर पश्चिम रेलवे के जयपुर डिवीजन में खैरथल एक प्रमुख रेलवे स्टेशन है, जहां से रेल विभाग को प्रतिवर्ष एक करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व प्राप्त हो रहा है। यहां तथा आसपास की जनसंख्या एक लाख से अधिक है। राष्ट्रीय राजधानी परियोजना का उपकेन्द्र भी भारत सरकार ने खैरथल को ही घोषित किया हुआ है।

खैरथल में इस समय लम्बी दूरी की 5 जोड़ी 10 एक्सप्रेस तथा सुपरफास्ट एक्सप्रेस गाड़ियां ठहरती हैं, जिनसे प्रतिदिन यात्री जम्मू, दिल्ली, अम्बाला, हरिद्वार, देहरादून, अहमदाबाद, मुम्बई, पोरबंदर, न्यूभुज, पालनपुर, महसाना, आबूरोड तथा अजमेर तक की यात्रा रेल द्वारा ही करते हैं। परन्तु, आरक्षण सुविधा नहीं होने की वजह से आरक्षण हेतु अलवर, जयपुर या दिल्ली जाना पड़ता है। इस प्रकार यात्रियों को समय तथा पैसे की बरबादी करनी पड़ती है। यहां का करीब 50 लाख रुपये का राजस्व अन्य स्टेशनों की आय को बढ़ा रहा है जबकि यह पैसा खैरथल से जा रहा है तथा खैरथल के प्रतिवर्ष के राजस्व में 50-60 लाख की कमी आ रही है, जिसकी वजह से खैरथल अन्य सुविधाओं से वंचित है।

इस समय खैरथल स्टेशन पर करोड़ों रुपये का निर्माण कार्य चल रहा है। अगर इसी के तहत कम्प्यूटराईज आरक्षण केन्द्र का कमरा भी बन जाये तो यहां के हजारों नागरिकों को आरक्षण करवाने अन्यत्र नहीं जाना पड़ेगा। यहां से औसतन प्रतिदिन 2000 यात्री जाते हैं तथा इतने ही आते हैं रेल विभाग ने अन्य कम महत्वपूर्ण स्टेशनों पर जब आरक्षण सुविधा प्रदान कर दी है तो फिर खैरथल को इस सुविधा से वंचित रखने का कोई औचित्य नहीं है।

अत: मैं माननीय रेल मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कर निवेदन करना चाहूंगा कि खैरथल-अलवर में कम्प्यूटराइज्ड आरक्षण की सुविधा शीघ्र अति शीघ्र प्रारंभ की जाये।

(चार) राजस्थान के दौसा और अन्य जिलों में गिरते हुए भूजल स्तर की रोकथाम के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता

श्री सचिन पायलट (दौसा): अध्यक्ष महोदय, निरंतर पड़ रहे सूखे से और अत्यधिक मांग के कारण मेरे निर्वाचन क्षेत्र दौसा एवं लगभग सम्पूर्ण राजस्थान में जमीनी जल स्तर लगातार गिरता जा रहा है।

यह क्षेत्र कृषि प्रधान क्षेत्र है और पानी की किल्लत के कारण किसानों एवं खेत मजदूरों का जीवन दुश्वार हो रहा है। पानी की उपलब्धता न होने के कारण कृषि के अतिरिक्त पशुपालन करने वालों को भी अत्यंत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

राज्य सरकार प्रतिवर्ष करोड़ों रुपये अकाल राहत में खर्च कर रही है लेकिन इस समस्या का स्थायी रूप से समाधान करने के लिए जल संरक्षण करने की और जल संसाधनों को विकसित करने की सख्त आवश्यकता है। मेरे क्षेत्र में कई ऐसी नदियां व नहरें हैं जिन पर छोटे बांध बनाए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त नियमित दूरी पर छोटे-छोटे एनीकट का निर्माण भी एक लाभदायक कदम होगा।

जहां एक ओर अकाल और सूखे जैसी स्थिति उत्पन्न हो रही है वहीं कुएं, हैंडपम्प और ट्यूब वेल सूखे जा रहे हैं। इसके ऊपर बिजली की पूर्ति न के बराबर हो रही है। इस कारण सिंचाई के विकल्प खत्म होते जा रहे हैं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मैं विशेष रूप से कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों से विनम्र आग्रह करना चाहता हूं कि अतिशीघ्र ऐसी परियोजना को परिणाम दें, जिनसे जलस्तर को बढ़ाने के अलावा उपलब्ध पानी को व्यर्थ होने से बचाया जा सके।

(पांच) इंदौर रेलवे स्टेशन के आसपास की भूमि का अर्जन करके स्टेशन का विस्तार किये जाने की आवश्यकता

श्रीमती सुमित्रा महाजन (इन्दौर): अध्यक्ष महोदय, नयी जनगणना के अनुसार वर्तमान में इन्दौर की आबादी करीब 25 लाख के आसपास पहुंच गयी है व वर्तमान में रेलवे के प्रस्थान हेतु जो स्थान उपलब्ध हैं वह बढ़ी हुयी जनसंख्या तथा भविष्य की आवश्यकता को देखते हुए अपर्याप्त है। वर्तमान में 18 जोड़ी बड़ी लाइन तथा इतनी ही मीटर गेज की गाड़ियां इन्दौर स्टेशन से चलती हैं। इन्दौर में एन.टी.सी. की तीन मिलें थीं, जो बंद हो गयी हैं तथा इनकी जमीनें बेच कर प्रदेश की दूसरी मिलें चालू करना तथा मजदूरों को भुगतान करने का प्रस्ताव कपड़ा मंत्रालय द्वारा किया गया है। इनमें से स्वदेशी तथा कल्याण भील की जमीन रेलवे लाइन से लगी हुई है और इन्दौर के भावी विकास की दृष्टि से तथा रेलवे स्टेशन का विस्तार, गाड़ियों के रखरखाव की सुविधा का विस्तार, की दृष्टि से यह उपयुक्त है। दोनों ही उपक्रम केन्द्रीय शासन के अधीन होने से रेलवे मंत्रालय को इनका अधिग्रहण करने में सुविधा रहेगी। मेरा रेल मंत्री से अनुरोध है कि इस जमीन को खरीद कर रेलों की विकास की दृष्टि से योजना बनायी जाये।

(छह) गुजरात सरकार को राज्य में जनजातीय क्षेत्रों के गांवों का पुनः सर्वेक्षण कराने के लिए केन्द्रीय सहायता दिये जाने की आवश्यकता

श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर (वड़ोदरा): गुजरात के जनजातीय क्षेत्रों के 3750 गांवों में से 2788 गांवों के पुनः सर्वेक्षण का परियोजना प्रस्ताव 350.65 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर तैयार किया गया है और इसे दिनांक 30.12.2003 को केन्द्र सरकार को भेजा गया है। तत्पश्चात्, इस संबंध में दिनांक 5.2.2004 और 4.3.2004 को दो अनुस्मारक भेजे गये। दुर्भाग्यवश, केन्द्र सरकार ने अभी तक कोई केन्द्रीय सहायता जारी नहीं की है।

मैं सरकार से बिना समय गंवाये तत्काल राशि जारी करने का आग्रह करती हूं।

[हिन्दी]

(सात) राजस्थान सरकार को राज्य में मेवाड काम्प्लेक्स परियोजना को पूरा करने के लिए शेष स्वीकृत राशि का उपयोग करने की अनुमति दिये जाने की आवश्यकता

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उदयपुर): अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा मेवाड़ काम्पलैक्स से संबंधित कार्यों के लिए वर्ष 1998-99 एवं 1999-2000 में 3 करोड़ रुपये तीन किस्तों में स्वीकृत किये गये थे। लेकिन इस राशि में से 2.8 करोड़ बिना उपयोग के बचे हुए हैं क्योंकि भारत सरकार ने राजस्थान सरकार को निर्देशित किया था कि बिना केन्द्र सरकार के विशिष्ट अनुमोदन के आगे कोई खर्च न किया जाये।

इस संदर्भ में केन्द्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय के स्तर पर अक्तूबर, 2003 में बैठक हुई, जिसमें राजस्थान सरकार के पर्यटन सचिव ने भी भाग लिया था, उसमें सिद्धान्तः यह सहमति हुई कि राज्य सरकार उक्त शेष उपलब्ध राशि से अपूर्ण कार्यों को पूर्ण करा सकेगी। तदनुसार, निविदाएं आमंत्रित की गयी थी, फिर भी संस्कृति विभाग, भारत सरकार ने अपने पत्र दिनांक 31.12.2003 द्वारा राज्य सरकार को शेष राशि लौटाने हेतु लिखा। इस पर 8 अप्रैल, 2004 को आहुत एक बैठक में पुनर्विचार किया गया, जिसमें सहमति हुई कि राज्य सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करते हुए

कि भारत सरकार द्वारा करवाये जा रहे हैं, उनको छोड़ते हुए शेष कार्यों के लिए यह राशि उपयोग में ली जावे। इस स्कीम में महाराणा प्रताप की जीवनी से जुड़े निम्न स्थलों के विकास हेतु 12.44 करोड़ रुपये की योजना बनायी गयी है।

1. हल्दीघाट (जहां पर लड़ाई लड़ी गयी)
2. गोगुन्दा (जहां पर राज्याभिषेक किया गया)
3. चावड (महाराणा प्रताप ने वहां वीरगति प्राप्त की)

सदन के मार्फत मेरा माननीया पर्यटन मंत्री से अनुरोध है कि राज्य सरकार को अपूर्ण कार्यों को पूरा करने के लिए शेष राशि को व्यय करने हेतु सहमति दी जाये तदैव केन्द्र सरकार द्वारा प्रताप स्मारक हल्दीघाटी में जो विशिष्ट कार्य किये जा रहे हैं, उसे अतिशीघ्र पूरा किया जाये एवं वर्ष 2004-05 के लिए पर्यटन विकास प्रस्ताव पारित किया जाये।

[अनुवाद]

(आठ) उड़ीसा में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 215 को पानीकोइली से राजमुंडा तक चार लेन वाला बनाए जाने की आवश्यकता

श्री अनन्त नायक (क्योंझर): पानीकोइली से राजामुंडा तक राज्य सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में जून 1998 में स्वीकृति दी गयी थी। तबसे मेरे निर्वाचन क्षेत्र में इस सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में विकसित करने के लिए कोई महत्वपूर्ण कदम नहीं उठाये गये हैं जबकि राज्य के कई भागों के लोग खनिजों की ढुलाई के लिए इसी मार्ग पर निर्भर हैं। प्रतिदिन इस मार्ग पर ग्यारह हजार ट्रक निर्यात उद्देश्यों के लिए दूर देहात से पारादीप पत्तन तक लौह अयस्क और मैगनीज की ढुलाई करते हैं। चूंकि इसे राष्ट्रीय मार्ग घोषित किया गया है। लेकिन राज्य सरकार इसके रखरखाव के लिए कोई कदम नहीं उठा रही है। इसके परिणामस्वरूप ट्रैफिक की आवाजाही बहुत कठिन हो गयी है।

यदि इस राजमार्ग को चार लेन वाला नहीं बनाया गया तो ट्रैफिक की भीड़ को कम नहीं किया जा सकता। इस राष्ट्रीय राजमार्ग के प्रयोगकर्त्ताओं की दशा और खराब हो जायेगी क्योंकि यह कटक, वाणिज्यिक राजधानी और भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी को सीधे जोड़ने वाला एकमात्र मार्ग है। राष्ट्रीय राजमार्ग को चार लेन वाला बनाने का प्रस्ताव काफी समय से लंबित है।

इस बात को ध्यान में रखते हुए, मैं यह मांग करता हूं कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 215 को चार लेन वाला बनाया जाए और यह सारा कार्य दसवीं योजना के अंत तक पूरा किया जाए। राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए बिना किसी विलंब के पर्याप्त धनराशि आवंटित की जाए।

(नौ) केन्द्रीय विद्यालयों के बड़ी संख्या में प्रधानाचार्यों को पदावनत करने के निर्णय की पुनरीक्षा किये जाने की आवश्यकता

श्री पी. मोहन (मदुरै): पूरे देश के केन्द्रीय विद्यालयों में कार्य कर रहे लगभग 300 प्रधानाचार्यों की अचानक मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा पदावनति कर दी गई। इन सभी प्रधानाचार्यों का चयन पहले अस्थायी तौर पर चार या पांच वर्ष पहले किया गया था तथा तत्पश्चात् विशेष परीक्षा संचालित करके इन्हें नियमित कर दिया गया और ये पिछले चार वर्षों से कार्य कर रहे थे।

इतना ही नहीं इनकी नियुक्तियों का अनुमोदन मानव संसाधन विकास मंत्री की अध्यक्षता में निदेशक मंडल द्वारा किया गया था। इन परिस्थितियों में किसी पूर्व सूचना या स्पष्टीकरण के बिना इन्हें पदावनत कर दिया गया तथा यह आयुक्त द्वारा किया गया। आयुक्त माननीय मानव संसाधन मंत्री की अध्यक्षता में निदेशक मंडल के निर्णय में हेर-फेर नहीं कर सकता।

दूसरी बात, जो भी गलती हुई है वह प्रबंधन की है और यह संबद्ध प्रधानाचार्यों की गलती नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रधानाचार्यों को दोषी ठहराना तथा उन्हें पदावनत करना उचित और न्यायसंगत नहीं है। इससे इन संस्थानों के शिक्षा संबंधी कार्यकलापों पर असर पड़ेगा। अत: मानव संसाधन विकास मंत्रालय को इन 300 प्रधानाचार्यों की पदावनति करने के निर्णय पर पुनर्विचार करके इसे वापस ले लेना चाहिए।

[हिन्दी]

(दस) देश में गिरते हुए भूजल स्तर को रोकने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता

श्री शैलेन्द्र कुमार (चाचल): अध्यक्ष महोदय, देश में भूमिगत जल का दोहन होने से भूजल का स्तर खतरनाक सीमा तक नीचे चला गया है। केन्द्र सरकार इसे गंभीरता से ले। इस पर कानून बनाए। कानूनों को देश के सम्पूर्ण राज्यों को भेजा जाये। भूमिगत जल का दोहन औद्योगिक और घरेलू दोनों तरह की जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जा रहा है। भूमिगत जल के इस अनाप-शनाप दोहन पर रोक लगाने के लिए केन्द्रीय भूगिमत जल प्राधिकरण को एक अधिसूचना जारी करे, जिसका कड़ाई से पालन हो। जिन क्षेत्रों में भूमिगत जल का स्तर खतरनाक सीमा तक पहुंच गया है, राज्यों को भूमिगत जल का दोहन रोकने हेतु पूरा अधिकार दिया जाये। कुछ राज्य केन्द्र द्वारा भेजे गये मॉडल विधेयक पर भी ध्यान

नहीं दे रहे हैं। पानी का मामला बहुत नाजुक है, पानी के बिना एक दिन चल नहीं सकता है।

(ग्यारह) बिहार के बांका क्षेत्र में चंदन नदी के ऊपरी भाग में जलाशय का निर्माण किये जाने की आवश्यकता

श्री गिरधारी यादव (बांका): अध्यक्ष महोदय, सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि बिहार के बांका क्षेत्र में हर साल बाढ़ का खतरा बना रहता है, जिससे गांव के गांव डूब जाते हैं और कई लोगों की मौत हो जाती है। मवेशी मारे जाते हैं और किसानों के खेतों में पानी भर जाता है। यह सिलसिला हर साल चलता है। बाढ़ का मुख्य कारण चंदन नदी से पानी छोड़ने के कारण होता है और इसका तटबंध बहुत ही कमजोर है। अगर सरकार की ओर से अपर जलाशय बना दिया जाये तो नि:संदेह इस बाढ़ को रोका जा सकता है। लाखों लोगों को राहत पहुंचाने के लिए अपर जलाशय बनने के साथ केन्द्र स्तर पर अन्य उपाय करने होंगे, जिससे बाढ़ पर नियंत्रण किया जाये।

सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि बांका में चंदन नदी पर एक अपर जलाशय बना दिया जाये और बाढ़ नियंत्रण हेतु केन्द्र स्तर पर प्रयास किये जाने चाहिए।

(बारह) उत्तर प्रदेश के फतेहपुर शहर में समुचित जल निकास प्रणाली के निर्माण के लिए धन उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद (फतेहपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं अपने संसदीय क्षेत्र के जनपद फतेहपुर, उत्तर प्रदेश की ओर माननीय शहरी विकास मंत्री का ध्यान आकृष्ट करते हुए यह कहना चाहता हूं कि ग्रामीण क्षेत्र के शहरी जनपदों की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है जितनी कि महानगर व नगरों के दायरे में आने वाले क्षेत्र/शहर आज बने हैं। जनपद फतेहपुर 7 कि.मी. लम्बा व 7 कि.मी. चौड़ा क्षेत्रफल में बसा हुआ शहर है, जिसकी आबादी लगभग 3 लाख है। शहर में गंदे पानी व मल की निकासी हेतु कोई ठोस साधन नहीं होने के कारण लगभग सारे शहर में गंदे पानी के फैलाव के कारण आम जन-जीवन अस्त-व्यस्त रहता है। सन 1989 में तत्कालीन माननीय प्रधान मंत्री जी ने इस जनपद में गंदे पानी व मल की निकासी हेतु बड़े पैमाने पर सीवर लाइन बनाने की घोषणा की थी, जो आज तक कार्यान्वित नहीं हो सकी है।

अत: मैं माननीय शहरी विकास मंत्री, भारत सरकार से मांग करता हूं कि जनपद फतेहपुर शहर, उत्तर प्रदेश के शांतीनगर से बड़ा पुल तक सीवर लाइन बनाने हेतु आवश्यक धनराशि आबंटन करने का कष्ट प्रदान करें ताकि कार्य प्रारंभ हो सके।

(तेरह) बिहार के सारन और सिवान जिलों में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत निष्पादित कार्य की जांच कराए जाने की आवश्यकता

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार): अध्यक्ष महोदय, कहा जाता है भारत गांवों का देश है। भारत की आत्मा गांवों में बसती है। परन्तु, भारत के गांव विकास से कोसों दूर हैं। जीवन जीने की मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति आजादी के इतने दिन बाद भी गांवों में नहीं हो पायी है।

इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए केन्द्र सरकार प्रधान मंत्री ग्राम्य सड़क योजना का शुभारंभ किया ताकि गांवों को मुख्य धारा में लाया जा सके। परन्तु, केन्द्र सरकार के इस लक्ष्य की पूर्ति पूरे देश में नहीं हो पा रही है। खासकर बिहार राज्य के सारण और सिवान जिले में। बिहार के सारण और सिवान जिले में सड़क के नाम पर अवशेष मात्र शेष बचा है। वाहन तो क्या पैदल यात्रा करना भी कठिन है। जो सड़क प्रधानमंत्री ग्राम्य सड़क योजना के अंतर्गत बन चुकी है, उस सड़क का भी बहुत बुरा हाल है। जिन सड़कों पर काम चल रहा है, वह वर्षों से अधूरा पड़ा हुआ है।

मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि बिहार के सारण एवं सिवान जिले में प्रधानमंत्री ग्राम्य सड़क योजना के अंतर्गत किये गये कार्यों की जांच निगरानी विभाग से कराने का कष्ट करेंगे।

[अनुवाद]

(चौदह) शीतल पेय में कीटनाशक अवशिष्टों की उपस्थिति की समस्या का समाधान किये जाने की आवश्यकता

श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार (कालीकट): मीडिया रिपोर्टों के अनुसार किसान अपने खेतों में शीतल पेय कोक, पेप्सी तथा अन्य ऐसी शीतल पेय पदार्थों का उपयोग कीटनाशक के रूप में कर रहे हैं। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश तथा आंध्र प्रदेश के कई जिलों के किसानों ने कहा है कि ये पेय पदार्थ उनके खेतों में कीटों को मारने के लिए काफी प्रभावी हैं और उन्होंने पारम्परिक कीटनाशकों की जगह इन उत्पादों का उपयोग करना शुरू कर दिया है। इन समाचारों में बताया गया है कि वैज्ञानिक किसानों की इस खोज से हैरान है परन्तु वह यह बताने में असमर्थ है कि लोगों द्वारा पिए जाने वाले ये पेय पदार्थ कीटनाशकों को मारने में कैसे प्रभावी हैं।

यह भी नोट किया जाएगा कि फरवरी 2004 में शीतल पेय पदार्थों, फलों के रस तथा अन्य पेय पदार्थों में कीटनाशक अवशिष्टों

तथा सुरक्षा मानकों संबंधी संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) ने निर्णय दिया कि वह रिपोर्ट ठीक है जिसमें इसका विश्लेषण किया गया और जिसमें शीतल पेय पदार्थों में कीटनाशक पाए गए। राजस्थान उच्च न्यायालय ने निदेश दिया है कि शीतल पेय बनाने वाली कम्पनी अपने लेबल पर बोतल में मिलाए गए कीटनाशक की मात्रा मुद्रित करके इसके बारे में उपभोक्ताओं को जानकारी दे। उच्चतम न्यायालय ने भी इस फैसले का समर्थन किया है जिसका अर्थ यह है कि लोगों को कम से कम कीटनाशकों के उपयोग की जानकारी होगी तथा वे अब चयन कर सकते हैं।

परन्तु स्पष्ट रूप से यह पर्याप्त नहीं है। सच तो यह है कि हमारे देश में बच्चे इन शीतल पेय पदार्थों को पीते हैं और यह चिन्ता का विषय है कि किसान इन पेय पदार्थों का कीटनाशकों के रूप में उपयोग कर रहे हैं। जेपीसी की सिफारिशों का कार्यान्वयन नहीं किया गया है ताकि उपभोक्ता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इन शीतल पेय पदार्थों के तैयार उत्पाद के लिए मानकों को आवश्यक बनाया जा सके। केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने केवल उस पानी की गुणवत्ता को आवश्यक बनाया है, जिसका उपयोग इन शीतल पेय को बनाने के लिए किया जाता है, जिससे लोगों के स्वास्थ्य की सुरक्षा नहीं होगी क्योंकि इससे उपभोक्ताओं को इस बात का आश्वासन नहीं मिलेगा कि कीटनाशकों की कुल मात्रा नियंत्रित कर ली गई है।

(पन्द्रह) मिजोरम में टूरियल जल विद्युत परियोजना पर कार्य पुनः आरम्भ करने के लिए "निपको" को आदेश दिये जाने की आवश्यकता

श्री वनलाल जावमा (मिजोरम): मैं सरकार का ध्यान मिजोरम में टूरियल जल विद्युत परियोजना (60 मेगावाट) को अस्थायी रूप से बन्द किये जाने की ओर दिलाना चाहूंगा। यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि 'निपको' ने परियोजना में पहले ही लगभग 250 करोड़ रुपये का निवेश कर दिया है।

'निपको' स्थानीय लोगों को 8 करोड़ रुपये मुआवजा देने पर सहमत हुआ था। निपको पहले ही समय पर 4 करोड़ रुपये के मुआवजे का भुगतान कर चुका है। परन्तु परेशानी तब शुरू हुई जब देय तिथि के तीन महीने बाद भी बकाया 4 करोड़ रुपये का मुआवजा नहीं दिया गया। स्थानीय लोगों ने 'निपको' द्वारा बकाया मुआवजा न देने के लिए जून, 2004 को शांतिपूर्ण प्रदर्शन शुरू किया। सितम्बर 2004 में स्थानीय लोगों ने देश हित में परियोजना फिर से शुरू करने के लिए प्रदर्शन वापस लिया।

अब तक 'निपको' ने कार्य शुरू नहीं किया है। 'निपको' परियोजना को अस्थायी रूप से बन्द करने के कारण परियोजना आकलन में वृद्धि होने का दावा कर रहा है। यदि 'निपको' तत्काल परियोजना शुरू नहीं करता, तो परियोजना की लागत और बढ़ जाएगी। उस स्थिति में वापस आना मुश्किल हो जाएगा। यदि मुआवजा अड़चन है, तो राज्य सरकार ने पहले ही मुआवजे का पुनः आकलन करने के लिए विद्युत मंत्रालय को लिखा है।

मैं भारत सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप करने तथा 'निपको' को तत्काल परियोजना शुरू करने और मुआवजे के मामले को सुलझाने का निदेश देने का अनुरोध करूंगा।

अपराह्न 2.50 बजे

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य) 2004-2005—*जारी*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अब सभा मद सं. 14 अनुदानों की अनुपूरक मांगों 2004-05 पर आगे चर्चा करेगी। श्री अधीर चौधरी अपना भाषण जारी रखेंगे।

श्री अधीर चौधरी (बरहामपुर, पश्चिम बंगाल): महोदय, अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर अपने अधूरे भाषण को आगे बढ़ाते हुए मैं कुछ और कहना चाहूंगा।

महोदय, सर्वप्रथम मैं संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार को बधाई देना चाहूंगा क्योंकि स्वतंत्रता के बाद से ऐसा पहली बार हुआ है कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार ने मृदा अपक्षरण रोकने के लिए विशेष कदम उठाए हैं। इस अपक्षरण से पश्चिम बंगाल के विभिन्न भाग नष्ट हो गए हैं तथा मुर्शीदाबाद, माल्दा तथा अन्य जिलों में भी भौगोलिक रूप से काफी परिवर्तन आया है। सरकार ने पहले ही इस दिशा में एक कृतक बल का गठन किया है तथा अपक्षरण पीड़ित लोगों ने वर्षों से विद्यमान इस अपक्षरण से मुक्ति के बाद राहत की सांस लेना शुरू कर दिया है।

मैं पुनः माननीय वित्त मंत्री के माध्यम से सरकार को अनुरोध करूंगा कि वह यह बात समझे कि पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जोकि असैनिक संदूषण से प्रभावित है। पश्चिम बंगाल राज्य में करीब चार करोड़ लोग आर्सेनिक के खतरे में रह रहे हैं। मुर्शीदाबाद जिले में 26 खण्डों में से 22 खण्ड आर्सेनिक संदूषण से प्रभावित हैं, जोकि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्धारित सहन सीमा से काफी अधिक है।

विपक्ष हमारे माननीय वित्त मंत्री के उत्कृष्ट कार्य की प्रतिष्ठा घटाने का प्रयास कर रहा है। परन्तु महोदय, कुछ दिन पहले नोबेल पुरस्कार विजेता प्रो. अमर्त्य सेन ने संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार की काफी प्रशंसा की है।

मैं 'द स्टेट्समैन' से कुछ पंक्तियां पढ़ता हूं:

''सामाजिक क्षेत्रों विशेषकर मौलिक शिक्षा और स्वास्थ्य परिचर्या में और अधिक सरकारी कार्यकलाप का आह्वान करते हुए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रो. अमर्त्य सेन ने आज 'इंडिया हैबिबेट सेंटर' में बोलते हुए कहा कि एक ओर भारतीय अर्थव्यवस्था इन क्षेत्रों में चिरकालिक कम-क्रियाकलाप से और दूसरी ओर अधिक क्रियाकलाप विशेषकर लाइसेंस राज से प्रभावित हुई है। प्रो. सेन ने कहा कि 1992 के सुधारों ने समस्या के समाधान का प्रयास किया था किंतु वे उससे प्रभावी रूप से नहीं निपट पाए। किंतु अब इस बात के पर्याप्त सबूत है कि वर्तमान सरकार सामाजिक क्षेत्र में उस असंतुलन को दूर करने हेतु अधिक प्रतिबद्ध है।''

हमारे माननीय वित्त मंत्री ने समानता, स्थिरता और विकास के पारस्परिक प्रबल उद्देश्य के बीच एक संतुलन कायम किया है। सामाजिक उन्नयन, रोजगार सृजन और विनिवेश पर से निर्भरता कम करने पर विशेष बल दिया गया है। महोदय, इसलिए विपक्ष इस सरकार के कार्य-निष्पादन से नाराज हो सकता है।

वृहत आर्थिक सिद्धान्त हमारी अर्थव्यवस्था के विकास के परिचायक हैं। मूल सामग्री, पूंजीगत माल, मध्यवर्ती माल और उपभोक्ता वस्तुओं में लगातार वृद्धि हो रही है। 6 अवसंरचना उद्योगों की सूची में 4.2 प्रतिशत की तुलना में अप्रैल-अगस्त में 5.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, निर्यात वृद्धि में 8.1 प्रतिशत की तुलना में 24.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई; नवम्बर तक अप्रत्यक्ष कर वसूली में 11.73 प्रतिशत की वृद्धि हुई; सीमा शुल्क में 12.10 प्रतिशत की वृद्धि दिखाई पड़ी और उत्पाद-शुल्क 7.5 प्रतिशत तक बढ़ा। पहले 8 महीनों में सेवा कर 62.13 प्रतिशत तक बढ़ा। विनिर्माण क्षेत्र में वृद्धि दर गत वर्ष की सादृश्य अवधि में निरन्तर 8 प्रतिशत रही। उपभोक्ता वस्तुओं में दो संख्या तक वृद्धि हुई। पहली तिमाही में चालू और पूंजी खातों दोनों के संदर्भ में बीओपी में 1.9 बिलियन और 5.6 बिलियन की अतिरिक्त वृद्धि हुई। अप्रैल-जून 2004 के दौरान विदेशी मुद्रा भंडार 7.5 बिलियन हो गया। मार्च 2004 के अंत तक विदेशी ऋण 112.5 बिलियन से बढ़कर 112.66 बिलियन हो गया।

दीर्घकालीन ऋण 106.7 से घटकर 1.1 बिलियन हो गया है। भारी आयात के कारण कारोबार संबंधी क्रेडिट के कारण अल्पकालिक ऋण में 1.2 बिलियन की वृद्धि हुई।

अप्रैल-सितम्बर, 2004 के दौरान सरकार का कुल व्यय वर्ष 2003-04 हेतु 2,17,101 करोड़ रुपये या बजट अनुमान के 49 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2004-05 के लिए 1,95,573 करोड़ रुपये अथवा बजट अनुमान का 41 प्रतिशत था। अप्रैल-सितम्बर, 2004 के दौरान पूंजीगत व्यय और अप्रैल-सितम्बर, 2003 में 25,074 करोड़ रुपये की तुलना में 29,115 करोड़ रुपये था।

वास्तविक अर्थ में योजनागत व्यय बढ़कर 6,384 करोड़ रुपये हो गया। अप्रैल-सितम्बर तक गैर-योजनागत व्यय 1,70,211 करोड़ रुपये से बढ़कर 1,42,299 करोड़ रुपये हो गया।

व्यय सुधार आयोग की सिफारिश के अनुसार पूर्वार्द्ध में केन्द्रीय पूल निरन्तर बफर स्टॉक मानदंडों से ऊपर रहा। 1 अक्तूबर, 2004 को स्टॉक 20.3 मिलियन टन था जो 18.1 मिलियन टन के बफर स्टाक मानदंड से 12 प्रतिशत अधिक था और खाद्यान्न के अतिरिक्त स्टॉक में भाड़ा लागत के रूप में राजसहायता की गई है।

महोदय, जैसाकि आप यह जानते हैं कि वर्तमान सरकार ने सूक्ष्म और मामूली सिन्ड्रोम को समाप्त कर दिया है। हम यह नहीं चाहते हैं कि हमारे गोदामों में खाद्यान्न सड़ता रहे।

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक क्रेडिट 4 प्रतिशत की तुलना में 11.3 प्रतिशत बढ़ा। खाद्य क्रेडिट पूर्ववर्ती वर्ष के 12,107 करोड़ रुपये की तुलना में 2,677 करोड़ रुपये बढ़कर लगभग 14,800 करोड़ रुपये हो गया।

गैर-खाद्य क्रेडिट 6 प्रतिशत की तुलना में बढ़कर 11.5 प्रतिशत हो गया।

व्यय के संबंध में केन्द्र ने राजसहायता खर्च को 21,995 करोड़ रुपये से घटाकर 26,439 करोड़ रुपये कर दिया।

केन्द्रीय बजट में राष्ट्रीय लोक वित्त संस्थान द्वारा तैयार राजसहायता संबंधी ब्लू प्रिंट का प्रावधान किया गया है।

महोदय, हम अपव्यय को कम करके और कल्याणकारी अर्थव्यवस्था पर बल देते हुए विकास की गति को सतत रखते हुए वित्तीय विचार-विमर्श द्वारा गुणवत्तापरक व्यय पर काफी ध्यान दे रहे हैं। तथापि, तेल की ऊंची कीमतों, तेल की ऊंची तथा अनिश्चित कीमतों के संयुक्त जोखिम के कारण मुद्रास्फीति का रुझान काफी स्पष्ट हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय तरलता परिवेश में अचानक परिवर्तन होना चिंता का विषय बना हुआ था। तथापि, इस्पात और धातु के बढ़ते मूल्य से यह मुद्रास्फीति रूझान काफी जटिल हो गया है। अत: क्या मैं माननीय वित्त मंत्री से यह पूछ सकता हूं कि क्या वह मुद्रास्फीति रुझान को काबू में रखने के लिए किसी बात पर विचार कर रहे हैं?

महोदय, जैसाकि हम जानते हैं, भारत एक तेल आयातक देश हैं। इराक युद्ध, वेनेजुएला में हड़ताल और रूस में यूकोस के नियंत्रण के बारे में विवाद के कारण तेल स्थिति और बिगड़ गई। अत: क्या मैं मानीय वित्त मंत्री से यह पूछ सकता हूं कि क्या वे तेल पूल खाते को बचाने के लिए राशि के स्थायीकरण पर विचार कर रहे हैं? ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए। आप 18 मिनट तक बोल चुके हैं।

श्री अधीर चौधरी: मैं और कुछ मिनट लूंगा।

महोदय, हम भलीभांति यह जानते हैं कि वस्त्र और कपड़ा संबंधी करार को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के मद्देनजर हमारे बहु-फाइबर सामग्री आधार को देखते हुए भारत व्यापक अवसर प्राप्त करने के कगार पर है। तथापि, विश्व में हमारा वस्त्र हिस्सा चीन के 25 प्रतिशत हिस्से की तुलना में मात्र तीन प्रतिशत है। मैं माननीय वित्त मंत्री से यह पूछना चाहता हूं कि क्या स्थिति को देखते हुए भारतीय वस्त्र बाजार को चीन से बंगलादेश के जरिए रेशम अथवा सूती धागे से पाटा जा सकता है।

अपराह्न 3.00 बजे

मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस पर पुनर्विचार किया गया है अथवा नहीं। क्या यह सरकार कोई पूर्वोपाय कर रही है? विपक्षी दल ऐसे तर्क दे रहे है जिन पर यकीन नहीं किया जा रहा है। क्या उन्हें एक कहानी बताऊं?

[हिन्दी]

निगाहें जिनकी नहीं है, उभरते हुए सूरज पर,
वे डूबते हुए तारों की बात करते हैं,
कांग्रेस के साथ, हम जनता के साथ,
कांग्रेस का हाथ, आम जनता के साथ।

[अनुवाद]

श्री समिक लाहिरी (डायमंड हार्बर): महोदय, अनुदानों की अनुपूरक मांगों, जिन पर चर्चा हो रही है, पर मेरी पार्टी के विचार व्यक्त करने का अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

महोदय, मैं इस बात से सहमत हूं कि छह महीनों में किसी भी सरकार को परखा नहीं जा सकता है। हमें वित्त प्रबंधन, आय और व्यय, समग्र बजट और सरकार की नीति जानने अथवा उसका पता लगाने के लिए कम से कम एक वित्तीय वर्ष का इंतजार करना होगा। अत: मैं इन सब बातों पर विस्तार से चर्चा नहीं करना चाहता हूं। जब माननीय वित्त मंत्री ने इस सभा के समक्ष इस वर्ष 8 जुलाई को बजट प्रस्तुत किया तो वे दो बातों के कारण काफी आशावान थे। पहले, उन्होंने बड़े स्पष्ट रूप से यू.पी.ए. सरकार का यह मत व्यक्त किया कि यह बजट इस देश की ग्रामीण और गरीब लोगों के हित को बरकरार रखेगा। गत छह वर्षों से उनकी उपेक्षा की गई है। दूसरे, उन्हें इस बात की काफी आशा थी कि राजस्व स्रोतों में वृद्धि होगी।

यदि मैं वित्त मंत्री को उद्धृत करूं तो अपना बजट पेश करते हुए, अपने बजट भाषण के पैरा 52 में उन्होंने राजस्व आय के बारे में कहा था "इसके अतिरिक्त, मेरे कर प्रस्तावों में, मैंने राजस्व के अन्य स्रोत का भी ध्यान दिया है। प्रत्यक्ष करों और अप्रत्यक्ष करों, दोनों में, काफी वसूली योग्य बकाया राशि है।" उन्होंने फिर यह कहा, "यहां तक कि अविवादित बकाया राशि भी काफी अधिक है। अत: मेरा यह अनुमान है कि इस वर्ष मैं काफी राशि की वसूली कर पाऊंगा।" इससे हमने अपनी पार्टी का यह मत भी व्यक्त कर दिया है कि इस अतिरिक्त आय से निश्चित रूप से इस राशि का एक भाग हमारे देश की गरीब और ग्रामीण जनसंख्या पर खर्च होगा या किया जाएगा।

अब, यदि हम राजस्व संग्रहण संबंधी दूसरे पहलू पर विचार करें तो यह सच है कि जहां तक अप्रत्यक्ष कर का संबंध है, यदि हम पूर्ववर्ती वर्ष के अक्तूबर माह की तुलना इस वर्ष के अक्तूबर से करें तो निश्चित रूप से प्रतिशत तथा मात्रा के संदर्भ में सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर की वसूली काफी अधिक है। यहां तक कि यदि हम गत वर्ष के अप्रैल से अक्तूबर की तुलना में इस वर्ष से करें तो यहां भी हम यह देखेंगे कि निश्चित तौर पर सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर में 69 प्रतिशत की वृद्धि होगी। लेकिन समाचार पत्रों में कुछ समाचार प्रकाशित हुए हैं कि सरकार ने विभिन्न राजस्व संग्रह विभागों से आंतरिक रूप में बजट बढ़ाने के लिए कहा है और सरकार को भय है कि कर संग्रह में कमी होगी। सेवा कर के मामले में 2,000 करोड़ रुपये के रूप में यह निर्धारित है। प्रत्यक्ष कर संघटक 5,000 करोड़ रुपये को संशोधित किया गया है, और उनको अपना लक्ष्य अतिरिक्त 5000 करोड़ रुपये निर्धारित करने का निर्देश दिया गया है।

माननीय वित्त मंत्री ने निश्चित रूप से हमारे समक्ष कहा कि कर संग्रह संतोषजनक है या नहीं। हमें आशंका है कि जब भी भारी वित्तीय घाटा होता है और जब भी कम राजस्व संग्रह होता है, तो स्वास्थ्य, शिक्षा आदि जैसे सामाजिक व्यय में सभी सामाजिक क्षेत्रो पर अधिकतम प्रभाव पड़ता है। यहां तक कि पूर्व वर्ष के बजट में जब राजग की सरकार थी तब हमने देखा कि संशोधित प्राक्कलन में सामाजिक क्षेत्र के व्यय को काफी कम कर दिया गया था। इसलिए, निश्चित रूप से, हम चाहेंगे कि माननीय वित्त मंत्री हमें यह बताएं कि वास्तव में किस तरह से कर संग्रहण हो रहा है ...*(व्यवधान)*

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): महोदय, पहले मुझे सभा को आश्वस्त करने दें, अद्यतन आंकड़ों से पता चलता है कि हमने लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। आयकर निगमित कर और सीमा शुल्क में हम लक्ष्य तक पहुंच गए हैं।

ऐसा क्यों हुआ, आंतरिक रूप से, ऐसा हो सकता है। विभाग ने कुछ शीर्षों में लक्ष्य बढ़ा दिया है क्योंकि हम अच्छा कर रहे हैं, और इसलिए उन्होंने आंतरिक रूप से लक्ष्य बढ़ा दिया है। मैं लक्ष्य में किसी वृद्धि की बात स्वीकार नहीं कर रहा हूं लेकिन आंतरिक रूप से यदि विभाग ने ऐसा किया है तो वह पक्ष में है।

व्यक्तिगत आय कर, निगमित कर और सीमा शुल्क में हम लक्ष्य के बहुत करीब हैं। सिर्फ सीमा शुल्क के मामले में हम थोड़ा पीछे चल रहे हैं। इसका एक प्रमुख कारण यह है कि हमने पेट्रोलियम उत्पादों पर सीमा शुल्क में कटौती की है। यह कई कारणों में से एक है लेकिन मुझे विश्वास है कि हम यथासंभव सीमा शुल्क की भी भरपाई करने की कोशिश करेंगे सेवा कर पर, जैसा कि माननीय सदस्य ने भी कहा, कर संग्रह काफी उत्साहवर्धक है।

जब मैं वाद-विवाद का जवाब दूंगा तब वास्तविक आंकड़े दूंगा, लेकिन जब उन्होंने कहा कि ऐसा समाचार-पत्रों में प्रकाशित हुआ है, तो मैं समझता हूं, यह स्पष्टीकरण भी कल के समाचार-पत्रों में प्रकाशित होना चाहिए। व्यक्तिगत आयकर, निगमित कर और सीमा शुल्क में हमने लक्ष्य प्राप्त कर लिया है, वस्तुतः हमने लक्ष्य से कुछ ज्यादा संग्रह किया है।

श्री समिक लाहिरी: मैं माननीय वित्त मंत्री को इस सकारात्मक और सही हस्तक्षेप के लिए धन्यवाद देता हूं। माननीय वित्त मंत्री द्वारा स्पष्टीकरण देने के बाद भी, जब तक सीमा शुल्क का संबंध है, तो वहां निश्चित रूप से सुधार की गुंजाइश है इस्पात और पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें बढ़ रही थीं और इसलिए सरकार ने इन क्षेत्रों में कर कटौती का निर्णय लिया है लेकिन यह भी सही है कि पिछले वर्ष की तुलना में निर्माण क्षेत्र का विकास हुआ है और औसत औद्योगिक विकास ज्यादा था। फिर भी, सीमा शुल्क का संग्रह कम क्यों हुआ? मुझे लगता है, सरकार को इस पक्ष पर भी ध्यान देना चाहिए।

जहां तक प्रत्यक्ष कर का संबंध है, निगमित आयकर और व्यक्तिगत आय कर के बारे में माननीय वित्त मंत्री द्वारा यह स्पष्ट रूप से कहा गया कि कर संग्रहण लक्ष्य के अनुरूप ही है। यह सही है कि संग्रह लक्ष्य के अनुरूप है लेकिन यदि हम लंबित बकाए पर और इस वर्ष कुल वसूली पर नजर डालें तो यह निश्चित रूप पिछले वर्ष की तुलना में बहुत ज्यादा है। इस वर्ष, मुझे 3,462 करोड़ रुपये का आंकड़ा मिला है, गत वर्ष यह 2780 करोड़ रुपए था. अभी भी बहुत ज्यादा राशि बकाया है। सी.आई.टी. बकाया 1 सितंबर, 2004 तक की स्थिति के अनुसार 40,392 करोड़ रुपये था, इस वर्ष बकाया व्यक्तिगत आय कर 43,190 करोड़ रुपए था। इसलिए, मैं जानना चाहूंगा कि बकाये की वसूली के लिए क्या किया जा रहा है। बजट भाषण में माननीय वित्त मंत्री ने सभा को आश्वस्त किया कि बकाए जैसे अन्य स्रोतों जो गैर विवादित बकाए सहित लंबित है, की सक्षमता के साथ संग्रह किया जाएगा। इसलिए, सरकार को इस पक्ष पर भी अवश्य ध्यान देना चाहिए और हमें बताएं कि अभी भी इतने ज्यादा बकाए लंबित क्यों है।

जब पेट्रोलियम की कीमत बहुत ज्यादा थी, तो सरकार ने कर कटौती का निर्णय लिया। मुझे एक मूलभूत प्रश्न पूछना है। पेट्रोलियम क्षेत्र पर कर लगाना आसान है क्योंकि सरकार को स्रोत पर ही राजस्व मिल जाता है। इसलिए, सरकार अन्य स्रोतों की खोज क्यों नहीं करती? अभी कर के दायरे में कितने व्यक्ति हैं?

जहां तक मुझे आंकड़े याद हैं यह ठीक 3 करोड़ से ऊपर है। प्रत्यक्ष कर, आय कर का भुगतान करने वाले लोगों की संख्या तीन करोड़ से नीचे है। उन लोगों का बाजार आकार क्या है जो किसी भी चीज को खरीदने का सामर्थ्य रखते हैं? वित्त मंत्री अथवा माननीय प्रधान मंत्री द्वारा कई अवसरों पर दिए गए भाषणों के अनुसार कुल बाजार आकार करीब 18 करोड़ से 20 करोड़ तक है, जो भी उपभोक्ता उत्पाद खरीद सकते हैं। वे कर के दायरे से बाहर क्यों हैं? सरकार उनको किस तरह से कर के दायरे में लाने जा रही है? सरकार उनसे क्यों नहीं कर संग्रह कर रही है?

पेट्रोलियम उत्पादों पर कर लगाना और राष्ट्र पर बोझ बढ़ाना सबसे आसान है। यह बहुत आसान तरीका है। अब, निश्चित रूप से, यह चीज बहुत पीड़ादायक है। मैं यहां जिस तरह से बोल रहा हूं इसे वसूल करना या उन सभी वर्गों को कर के दायरे में लाना आसान नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से, हमें संप्रग सरकार से इसकी आशा करनी चाहिए कि वे उन लोगों को कर दायरे में लाने का कष्ट उठाएंगे। इसके परिणामस्वरूप, कुल राजस्व आय निश्चित रूप से बढ़ेगी और बोझ, जो लोगों के कंधे पर पड़ेगा, उससे अच्छी तरह से बचा जा सकता है, सरकार द्वारा यह रास्ता क्यों नहीं अपनाया जा रहा है? मैं इसे जानना चाहता हूं। हमें यह कदम उठाने की आवश्यकता है। यह दूसरी बात है।

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया अपनी बात समाप्त करें। आपने 11 मिनट से अधिक समय ले लिया।

...(व्यवधान)

श्री समिक लाहिरी: महोदय दूसरी बात है कि जहां तक अप्रत्यक्ष कर संघटक में बकाए का संबंध है।

उपाध्यक्ष महोदय: मेरे पास बोलने वाले 20 माननीय सदस्यों की सूची है।

श्री समिक लाहिरी: महोदय, मेरे दल के सिर्फ दो सदस्य हैं।

मोहम्मद सलीम (कलकत्ता-उत्तर पूर्व): चर्चा करोड़ों रुपये के बारे में है और मात्र 20 सदस्य बोलने वाले हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री समिक लाहिरी : महोदय, यदि हम अप्रत्यक्ष करों पर बकाये की भी चर्चा करें तो हम पाएंगे कि सीमा शुल्क में 3,702 करोड़ रुपये बकाया हैं और उत्पाद शुल्क में भी भारी राशि बकाया है। सरकार द्वारा इन बकायों की वसूली कैसे की जा रही है? इन बकायों की वसूली के लिए आपकी क्या योजनाएं हैं? मैं यह जानना चाहता हूं।

अब, मैं मध्यावधि बजट के व्यय पक्ष पर आता हूं। मैं इस सभा के समक्ष एक बात अवश्य कहना चाहता हूं कि मध्यावधि-समीक्षा में भी, यह कहा गया है कि 4,444 करोड़ रुपये की भारी राजसहायता की कमी की गई है, किस कारण से इतनी राशि की राजसहायता की कटौती की गई? इनकी कटौती खाद्यान्नों और पेट्रोलियम विशेष रूप से मिट्टी तेल और रसोई गैस पर की गई। इन सब चीजों का उपयोग कौन कर रहे हैं? इन पर दी जा रही राजसहायता को वापस ले लिया गया तो संप्रग सरकार उन लोगों की कैसे सेवा करने जा रही है जिन्हें अन्य सरकार, राजग सरकार द्वारा पिछले छः वर्षों से धोखा दिया जा रहा था? निश्चित रूप से हमें लोगों की समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए, मतदान करते समय और इस सरकार को चुनते समय लोगों का विचार क्या था और लोगों का एजेंडा कहां चला गया। यदि आम लोगों, निर्धन लोगों, दलित लोगों और मध्यवर्गीय लोगों द्वारा उपयोग की जाने वाली चीजों पर से राजसहायता वापस ली जाती है और दूसरी तरफ उन पर कर लगाया जाता है तो संप्रग सरकार की वचनबद्धता कैसे पूरी होगी? मैं इस सरकार से पुनः इस विशेष मद पर लिये गये अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने का अनुरोध करता हूं।

यदि हम वित्तीय घाटे पर नजर डालें, तो हम पाते हैं कि वित्तीय घाटा कम होने के कोई संकेत नहीं हैं। यह क्या हो रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है कि यह वही हो रहा है जो पहले होता रहा है। ऐसा हमेशा से होता रहा है, जैसाकि मैंने पहले ही बताया, कि इससे सामाजिक सेवा क्षेत्र पर ही हमेशा सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है, हमेशा शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास पर होने वाले व्यय को कम किया जाता है। यदि मैं ग्रामीण विकास का ही उदाहरण लूं तो मैं माननीय वित्त मंत्री को उद्धृत कर सकता हूं। एक वाद-विवाद में ग्रामीण विकास पर व्यय अथवा आवंटन के मुद्दे पर वित्त मंत्री ने यह कहा है इसकी तुलना पुनरीक्षित बजट से करें क्यों कि यहां ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया अपना भाषण समाप्त करें।

श्री समिक लाहिरी: मैं पांच मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: पांच मिनट में नहीं, एक मिनट के भीतर अपनी बात समाप्त करें।

श्री समिक लाहिरी: वित्त मंत्री ने कहा था: इसकी तुलना पुनरीक्षित बजट से करें। अब, हमारे द्वारा मूल आवंटन अर्थात बजट अनुमान (बी.ई.) पर विचार करने के बाद भी और ग्रामीण विकास के लिए अब जो भी आवंटित किये जाने का प्रस्ताव है, उसको इसमें जोड़ें, तो कुल राशि सिर्फ 7000 करोड़ रुपये से थोड़ी ऊपर है।

यदि हम ग्रामीण जनसंख्या की समस्याओं का समाधान करने में असफल रहे तो क्या होगा? यदि हम अपने देश की मूलभूत समस्याओं का समाधान करने में असफल रहे तो क्या होगा? हम विकास के बारे में बहुत बात कर सकते हैं जैसे, हमारे देश में विकास का प्रतिशत अमुक-अमुक है, इस तरह की चीजें हो रही हैं आदि। हमारे देश की जमीनी हकीकत क्या है, फिर भी हम इसके लिए अनेक प्रकार की शब्दावली का उपयोग कर रहे हैं?

यदि हम मानव विकास रिपोर्ट पर नजर डालें, तो हमारा रैंक 127वां है। यदि हम स्वास्थ्य संबंधी सार्वजनिक व्यय पर नजर डालें, तो यह एक प्रतिशत से कम है। यदि हम शिक्षा संबंधी सार्वजनिक व्यय पर नजर डालें तो यह चार प्रतिशत के करीब है। यह अच्छा है कि सरकार ने उपकर लगाने का निर्णय लिया है। बजट पर वाद-विवाद के दौरान भी हमने उल्लेख किया था कि सरकार को इस उप कर पर नजर डालना चाहिए। क्या इस उपकर पूरे-पूरी तरह शिक्षा पर खर्च किया गया या इसका कुछ अन्य स्थानों पर खर्च कर दिया गया? यह सरकार इस बात को कैसे सुनिश्चित करेगी? यह सरकार विभिन्न सामाजिक क्षेत्रों संबंधी सार्वजनिक व्यय पर किस तरह से ध्यान दे रही है? दुर्भाग्य से यह सब मध्यावधि समीक्षा या अनुपूरक बजट में नहीं प्रतिबिम्बित नहीं हो रहा है, जोकि हमारे समक्ष है।

महोदय, हम सुधारों के बारे में बात कर रहे हैं, और यह सही भी है। सुधार जारी हैं, लेकिन हम भूमि सुधारों के बारे में बात कर रहे हैं। बंगाल में, हम अपने अनुभवों से यह कह सकते हैं कि भूमि सुधारों की मदद से बाजार के आकार का विस्तार हो रहा है। हम भूमि सुधार क्यों नहीं करा रहे हैं? यह सरकार भूमि

सुधारों के एजेंडे को क्यों नहीं ले रही है? वे बाजार का विस्तार कर सकते हैं, लोगों की क्रय शक्ति अधिक होगी, चहुंमुखी औद्योगिक वृद्धि होगी और अन्य आर्थिक गतिविधियां भी बढ़ेंगी।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री समिक लाहिरी, आपकी पार्टी के और मैम्बर भी बोलने वाले हैं। इसलिए आप अपना भाषण समाप्त करिए। यदि आप इसी प्रकार बोलते रहे, तो श्री वरकला राधाकृष्णन को बोलने के लिए समय नहीं मिलेगा।

श्री समिक लाहिरी: महोदय मैं सिर्फ दो मिनट में अपना भाषण खत्म कर दूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय: मिस्टर लाहिरी, आपने 16-17 मिनट ले लिये हैं। आपकी पार्टी का कुल टाइम 19 मिनट है। अब आप देख लीजिए क्या करना है।

[अनुवाद]

श्री समिक लाहिरी: महोदय, मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। सरकार भूमि सुधार के मुद्दे को क्यों नहीं ले रही है? इसे लिया जाना चाहिए।

दूसरी बात, सरकार उदारीकरण के मुद्दे को बहुत जोर-शोर से उठा रही है। मैं एक अर्थशास्त्री द्वारा की गई टिप्पणी को विश्व बैंक की मासिक समीक्षा से उद्धृत करना चाहूंगा। मुझे विश्वास है कि हमारे माननीय वित्त मंत्री उन्हें अच्छी तरह से जानते हैं। मार्च, 2004 की मासिक समीक्षा में श्री ब्रेको मिलानोविक ने पाया कि विश्व के 1 प्रतिशत धनी व्यक्तियों को 57 प्रतिशत निर्धनतम लोगों से भी ज्यादा आय होती है। वर्ष 1993 में धनी 5 प्रतिशत लोगों को निर्धनतम 5 प्रतिशत लोगों से 114 गुना ज्यादा औसत आय हुई थी, वर्ष 1998 में इसका अनुपात 78 गुना था। अपनी 25 प्रतिशत वास्तविक आय गंवाकर निर्धनतम 5 प्रतिशत और गरीब होते गए, जबकि धनी 20 प्रतिशत लोगों ने अपनी वास्तविक आय को 12 प्रतिशत की दर से बढ़ते देखा, औसत विश्व आय के दोगुने से भी ज्यादा इस समय विश्व में यही हो रहा है। हमें अपने लोगों की अवश्य रक्षा करनी चाहिए और हमें अपनी अर्थव्यवस्था को भी अवश्य बचाना चाहिए। हमें आम आदमी की समस्याओं पर अवश्य नजर रखनी चाहिए।

मैं पुन: यू.पी.ए. सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह हमारे देश की ग्रामीण जनसंख्या, निर्धन लोगों, विद्यालय न जाने वाले बच्चों, कुपोषण के शिकार बच्चों पर ध्यान दे। सरकार को पैसे वाले लोगों पर कर लगाने की कोशिश करनी चाहिए। सरकार को काले धन को बाहर निकलवाने की कोशिश करनी चाहिए। सरकार काले धन की वसूली की बात क्यों नहीं कर रही है, जो हमारी अर्थव्यवस्था के विकास में अवरोध बनती जा रही है?

महोदय, मैं और ज्यादा समय नहीं लूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री लाहिरी, आपने पहले ही अपने दल का पूरा समय ले लिया है। आपके दल के किसी अन्य माननीय सदस्य को बोलने की अनुमति नहीं मिलेगी।

श्री समिक लाहिरी: महोदय, मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): उपाध्यक्ष महोदय, यह सदन अनुदान की अनुपूरक मांगों पर विचार कर रहा है और जिस तरह से सरकार इस सम्मानित सदन की स्वीकृति अनुदान की अनुपूरक मांगों पर चाहती है, उसका सीधा मतलब यह है कि जिन अनुमानों के आधार पर चिदम्बरम साहब ने इस वर्ष का बजट प्रस्तुत किया था, जो लेखाजोखा देश के सम्मुख प्रस्तुत किया था, संभवत: वे अनुमान गलत साबित हुए। इसी वजह से सरकार सदन में आई है। सकल अतिरिक्त व्यय को प्राधिकृत करने हेतु 38,621.77 करोड़ रुपए की स्वीकृति सरकार संसद से चाहती है।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे लायक दोस्तों ने अभी चर्चा की, मैं खास तौर से यह कहना चाहूंगा कि सबसे अधिक चिन्ता का विषय गैर योजना व्यय है। अब तक जो बजट सदन में प्रस्तुत हुए। उनमें यह देखा गया कि जो योजना व्यय होता है, उससे कहीं ज्यादा गैर-योजना व्यय होता है। हम विकास के नाम पर जो दौलत गरीब लोगों के पास भेजना चाहते हैं या भेजते हैं, उसके भेजने में जितना पैसा खर्च होता है, उसके कम दौलत पात्र व्यक्ति को मिलती है। आज सबसे बड़ा चिन्ता का विषय यह है कि जो बजटीय घाटा और गैर-योजना व्यय बराबर बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण हम देशी और विदेशी कर्जे लेते हैं और फिर उसका ब्याज बढ़ता है। इसका मतलब यह होता है कि देश पर लगातार अतिरिक्त बोझ बढ़ता जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, अभी वार्षिक मध्यावधि समीक्षा हुई है, उसमें भी इस बात पर चिन्ता व्यक्त की गई कि जिस प्रकार बजटीय घाटे पर अंकुश लगना चाहिए, उस पर अंकुश लगाने में सरकार नाकामयाब रही है। बजटीय घाटे को शून्य करने के लिए सरकार ने जो अवधि तय की है, वह अवधि 2008, 2009 है। सरकार बजटीय घाटे को कैसे शून्य कर पाएगी, यह मेरी समझ

[श्री रामजीलाल सुमन]

से परे है, क्योंकि क्रमशः उसकी शुरूआत एक साल या छः महीने में होनी चाहिए। सरकार का उस बजटीय घाटे को पूरा करने का क्या लक्ष्य है? मैं समझता हूं कि सरकार का उसकी तरफ जो सकारात्मक प्रयास होना चाहिए, यह प्रयास अभी नहीं हुआ है।

उपाध्यक्ष महोदय, 2004-2005 में बजट में सेवा-कर का विस्तार, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन और खास कर शिक्षा का विस्तार करने के लिए दो प्रतिशत का उप-कर लगाया गया था, उस पर मिलने वाली राशि अक्तूबर तक 2,723 करोड़ रुपए की है। यह अलग बात है कि वह शिक्षा पर कितनी खर्च हुई है, लेकिन ये सारी राशि कंसोलिडेटेड फंड में जमा हुई है। शिक्षा के नाम पर सरकार ने जो दौलत इकट्ठी की, उसके लिए अलग से कोष बनाना चाहिए था और वह राशि शिक्षा पर खर्च होनी चाहिए थी, लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं होता। सर्वशिक्षा अभियान पर दो हजार करोड़ रुपए की ये लोग मांग कर रहे हैं। महोदय, मैं आपकी मार्फत निवेदन करना चाहूंगा, यह बात सही है कि विद्यालय नहीं हैं, शिक्षा का स्तर ऊपर उठना चाहिए, लेकिन एक बार नहीं, बल्कि अनेकों बार सदन में चर्चा हुई है कि देश की दौलत जब विभिन्न प्रांतों में जाती है तो उसका सही इस्तेमाल सूबे की सरकार करे। उसके लिए सरकार को एक तंत्र विकसित करना चाहिए, वह तंत्र आज तक विकसित नहीं हुआ है। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि जो कांग्रेस शासित राज्य हैं, सबसे महत्वपूर्ण दिल्ली राज्य में श्री चिदम्बरम जी ने जो दौलत सर्वशिक्षा अभियान के लिए सरकार को भेजी, उसमें से सिर्फ 25 फीसदी दौलत खर्च हुई। राजस्थान में 82 प्रतिशत, बिहार में 62 प्रतिशत खर्च हुई। उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार है, हिन्दुस्तान में सबसे अधिक दौलत 98 प्रतिशत सर्वशिक्षा अभियान पर उत्तर प्रदेश में खर्च हुई है, यह एक अच्छी बात है। मैं श्री चिदम्बरम जी से निवेदन करना चाहूंगा कि सूबे की सरकारों को आप दौलत भेजें, यह काफी नहीं है, उसका सही इस्तेमाल हो रहा है या नहीं, वह दौलत पूरी खर्च हो रही है या नहीं, आपने जिस मकसद से दौलत भेजी है, उसकी वहां सही इस्तेमाल हो रहा है या नहीं, इसकी तरफ आप देखते भी नहीं हैं। मैं समझता हूं कि इसकी तरफ देखने की आवश्यकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने मिड-डे-मील शुरू किया। उसमें एक बच्चे पर एक रुपए 20 पैसा खर्च होते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इतने पैसे में बच्चे के स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए, जो कैलोरीज और पौष्टिक आहार उसे दिया जाना चाहिए, वह प्राप्त हो सकता है? उस 1.20 रुपये में कौन सा पौष्टिक आहार बच्चे को दिया जा सकता है और खास तौर से गांवों के जो विद्यालय हैं, उनके लिए जब तक अलग से आप कोई व्यवस्था नहीं करेंगे, तब तक मिड डे मील नहीं मिलेगा, जो कि मिलना चाहिए। सरकार को ज्यादा पैसा उस पर खर्च करना चाहिए, लेकिन अध्यापकों का अधिकांश समय उसी में निकल जाता है। मैं समझता हूं कि इस ओर भी देखने की आवश्यकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन बच्चों को कैसा खाना मिल रहा है। अभी दिल्ली सरकार के बारे में अखबारों में छपा कि जो मिड डे मील मिल रहा है, उससे दिल्ली के स्कूलों के तमाम बच्चे बीमार हो गये। न्यूट्रीशन फाउण्डेशन आफ इंडिया के सर्वेक्षण के मुताबिक जिन कम्पनियों के पास खाना आपूर्ति करने का ठेका था, उनमें 14 में से 10 कम्पनियों के बारे में न्यूट्रीशन फाउण्डेशन आफ इंडिया ने जो निष्कर्ष निकाला, कम्पनियों के बारे में जो जानकारी हासिल की, उनमें 14 में से 10 कम्पनियां ऐसी थीं, जिनके खाने का स्तर अच्छा नहीं था, खराब था। मजे की बात है कि दोबारा उन्हीं कम्पनियों को खाने की आपूर्ति का आर्डर दे दिया गया है। मैं वित्त मंत्री जी से जरूर चाहूंगा कि इन सब चीजों की आप जांच करा लें। जिन कम्पनियों के बारे में सर्वेक्षण हुआ, जिन कम्पनियों के बारे में सुनिश्चित हो गया कि ये खराब खाना दे रही हैं, जिन कम्पनियों के बारे में यह ज्ञात हो गया कि उनकी साख ठीक नहीं है, फिर उन्हीं कम्पनियों को ठेका देना किसी भी कीमत पर न्यायसंगत नहीं है। ऐसे लोगों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे कम से कम बच्चों के मरने के या बच्चों के बीमार होने के जो समाचार अखबारों में प्रकाशित होते हैं, वे प्रकाशित न हों।

चिदम्बरम साहब बड़े भारी अर्थशास्त्री हैं, जैसा हम लोग सुनते हैं, देखते हैं। देश के जो 20 बड़े औद्योगिक घराने हैं, 20 बड़े उद्योगपति हैं, उन पर वित्तीय संस्थाओं का 41,800 करोड़ रुपया बाकी है। आप लोगों की इन लोगों से क्या मौहब्बत है? कितनी अजीब बात है कि गांव का गरीब आदमी अगर किसी वित्तीय संस्था से पांच हजार या 10 हजार रुपया भी ऋण लेता है तो उसकी जो दुर्गति होती है, उसे आप भली-भांति समझते हैं। लेकिन ये जो बड़े परिवार हैं, बड़े दौलत वाले हैं, इन 20 परिवारों पर 41,800 करोड़ रुपया है, उसे वसूला न जाये और फिर आप आर्थिक संतुलन की बात करें तो मैं समझता हूं कि यह विरोधाभास इस देश में नहीं चल सकता। इसलिए इन लोगों के खिलाफ सख्ती से पेश आने की जरूरत है, उनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने की आवश्यकता है।

वित्त मंत्री जी का भाषण हुआ और उस भाषण में वित्त मंत्री जी ने कहा कि हमारे देश में आर्थिक हालत सुधर रही है। उनके अनुसार कहा गया कि शेयर बाजार का सूचकांक हमारे देश में बढ़ा है, सुरक्षित भंडार की राशि हमारे देश में बढ़ी है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रुपये की कीमत डालर के मुकाबले बढ़ी है। कृषि क्षेत्र

में ऋण की मात्रा में बढ़ोत्तरी हुई है, इन सब चीजों में वृद्धि हुई है, फिर वित्त मंत्री जी ने यह कहा, लेकिन हमारे देश में महंगाई बढ़ी है। आम आदमी अगर परेशान होता है तो विभिन्न क्षेत्रों में हम चाहे कितनी ही उपलब्धियां गिनायें, लेकिन उस पर जो मार पड़ रही है, उस मार के चलते एक आम धारणा हिन्दुस्तान के आदमी की यह बनेगी कि सरकार के चलने का रास्ता ठीक नहीं है।

अभी क्रूड आयल और पैट्रोलियम उत्पादों की बात हुई, इनमें दाम बड़े, लेकिन मैं विनम्रता से आपके मार्फत कहना चाहूंगा कि जहां इन चीजों के दाम बढ़े हैं, वहीं कर भी हमने बढ़ाया है। सन् 2002-2003 और 2003-2004 की तुलना में पैट्रोलियम उत्पादों पर कर वसूली में वृद्धि 20 फीसदी हुई है और क्रूड आयल पर यह कर वृद्धि 33 परसेंट हुई है। यह जो कर वृद्धि की है और इससे जो दौलत हमें मिली, अगर हम इसी दौलत को आम उपभोक्ता को दे देते तो मैं समझता हूं कि देश की स्थिति किसी हद तक ठीक हो सकती थी। महंगाई पर नियंत्रण लग सकता था।

गरीब देश में सरकारी सहायता का बहुत बड़ा मतलब होता है और उस सहकारी सहायता का मतलब होता है कि जो गरीब आदमी होता है, उसे हम संकट से उबारने की कोशिश कर रहे हैं। खास तौर से मैं सब्सिडी की बात करना चाहता हूं। दुनिया के तमाम देश सब्सिडी को बढ़ा रहे हैं और हमारे देश की सरकार सब्सिडी को आहिस्ता-अहिस्ता समाप्त करने में लगी हुई है। इस साल खाद्य पर जो सब्सिडी है, उसकी मात्रा में 17 फीसदी कमी हुई है। पिछले साल यह राशि 26,439 करोड़ रुपये थी और इस वर्ष यह राशि 21,995 करोड़ रुपये रह गई है। मैं समझता हूं कि खाद्य पर सब्सिडी खत्म करना देश की गरीब जनता के साथ मजाक करना है।

फिर हम स्पर्धा में रहने की बात कहते हैं। सरकार का जो आचरण है, इससे गरीब आदमी की तकलीफें और बढ़ेंगी, मुसीबतें और बढ़ेंगी।

मैं अंत में कहना चाहूंगा कि सरकार ने जो अनुदानों की मांगें रख रही हैं, मैंने उसके विभिन्न मदों को पढ़ा है। आप बिहार को इंदिरा आवास के लिए 400 करोड़ रुपये दे रहे हैं, जो देना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि वहां चुनाव आ रहे हैं, इस वजह से आप उन्हें पैसा दे रहे हैं, हालांकि आप वहां पूरी तरह लालू जी पर निर्भर हैं। उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री बराबर कहते हैं कि हमारे सूबे की माली हालत ठीक नहीं है। लेकिन हमारे बार-बार फरियाद करने के बाद भी हमें विकास कार्यों के लिए पैसा नहीं मिलता। कांग्रेस पार्टी के नेता बराबर कहते हैं कि उत्तर प्रदेश का विकास नहीं हो रहा है। हम पूरे प्रदेश का विकास करना चाहते हैं। लेकिन राज्य सरकार के पास सीमित आर्थिक संसाधन होते हैं और उन्हीं सीमित आर्थिक संसाधनों के चलते राज्य सरकार को काम करना पड़ता है। आखिर हमारे साथ यह कंजूसी क्यों है? हमारे साथ इस तरह का व्यवहार क्यों है? लगता है कि ये चीजें राजनीति से प्रेरित हैं। मैं आपके मार्फत निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार कम से कम पूर्वाग्रहों से ग्रस्त होकर कोई काम न करे। जो लोग उपेक्षित हैं, पीड़ित हैं, बेसहारा हैं, उनका हक बनता है। जहां गरीबी का प्रतिशत ज्यादा है, गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का प्रतिशत ज्यादा है, जहां शिक्षा की औसत दर अन्य प्रान्तों की तुलना में कम है, उत्तर प्रदेश के साथ, जहां हमारे दल की सरकार है, लगता है कि पिछले सात महीने से उस प्रदेश की बराबर उपेक्षा करने का काम इस सरकार ने किया है। मैं आपके मार्फत बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं, हमारे दो-तीन मित्रों ने कहा था कि सांसद निधि के नाम पर जो दो करोड़ रुपये दिए जाते हैं, उसे तत्काल खत्म कर देना चाहिए या बढ़ा देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की नीतियां क्या रहीं, कांग्रेस पार्टी की नीतियां क्या रहीं, हमारी पार्टी की नीतियां क्या रहीं, यह एक अलग सवाल है। लेकिन जो सांसद हार गए हैं, अगर उसका पूरा विश्लेषण करें तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सांसदों से लोगों को जो अपेक्षाएं होती हैं, वे दो करोड़ रुपये में पूरी नहीं हो रही हैं।

मैं 1977 में इस सभा का सदस्य था। उस समय कोई सांसद निधि नहीं थी। गांव में जाने से काम चल जाता था। लोग मांग नहीं करते थे। अब जिस गांव में जाते हैं, लगता है कि सांसद नोटों की गठरी बांधकर लाया है। जो मांग होती है, दो करोड़ रुपये में उसे पूरा करना किसी भी कीमत पर संभव नहीं है। इसलिए मेरा सरकार से विनम्र आग्रह है कि या यह राशि खत्म कर दी जाए या इतनी बढ़ा दी जाए कि कम से कम सांसद थोड़ा-बहुत विकास का काम तेजी के साथ कर सके।

उपाध्यक्ष महोदय: आप एक बात कहना भूल गए कि पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और यूपी के गांवों की ऐजूकेशन टोटील कोलैप्स हो गई है। विलेज ऐजूकेशन का खास ख्याल रखें।

[अनुवाद]

श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु (राजापुर): महोदय, यह पहली बार है कि वित्त मंत्री ने राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम के लागू होने के पश्चात् संसद को जानकारी के लिए यह बात बताई है कि सरकार किस तरह से इस अधिनियम का अनुपालन कर रही है। पहली बार बजट की मध्यावधि समीक्षा हुई है जिसे सभा के समक्ष भी रखा गया है। महोदय, मैं अवश्य उनकी प्रशंसा करूंगा क्योंकि उन्होंने पहले ही कहा है कि वह

[श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु]

वास्तविक रूप से राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम की भावना में विश्वास करते हैं। इस वर्ष का यह एक सिद्धांत रहा है कि छः माह की अवधि में इस वित्तीय वर्ष की शुरूआत से राजस्व घाटा 45 प्रतिशत होना चाहिए। इस समय, उन्होंने बताया कि बजट प्राक्कलन का यह 78.7 प्रतिशत होगा। हमने पहले से ही इसे ज्यादा बताया है। ठीक इसी समय, राज्य सरकारों द्वारा प्रमुख रूप से ऋण जाल के कारण इस वर्ष गैर ऋण प्राप्तियों में वृद्धि हुई है। इसलिए, मैं समझता हूं कि कुछ समय बाद, जैसे-जैसे वर्ष बीतता जाएगा, आपको संभवत: अधिक कर संग्रह करने का लक्ष्य प्राप्त करना पड़ेगा। यही बात उन्होंने कही है और मैं समझता हूं वित्त मंत्री लक्ष्य के अनुसार ही आगे बढ़ रहे हैं। मैं उन्हें बहुत-बहुत शुभकामनाएं देता हूं।

इस वर्ष 56,000 नए लोगों ने आयकर रिटर्न दाखिल किए। हम हमेशा से कहते आ रहे हैं कि हमें कर जी.डी.पी. आधार बढ़ाए जाने की जरूरत है। सिर्फ 56,000 नए लोगों ने आयकर रिटर्न दाखिल किया है। मैं जानना चाहूंगा कि उन आयकर रिटर्न भरने वालों से कितना कर संग्रह किया गया है क्योंकि एक व्यक्ति जो आयकर भरता है, वह आयकर रिटर्न भरने वाला हो जाता है। चाहे वह आयकर का भुगतान करता है या नहीं यह भिन्न मुद्दा है। जब हम कर जी.डी.पी. अनुपात बढ़ाने की सोच रहे हैं तो हमारा प्रयास नए आयकर रिटर्न भरने वालों से संग्रहण राशि बढ़ाने का होना चाहिए। इसलिए, उस दिशा में, मैं जानना चाहूंगा कि वास्तव में वे कैसे उचित होंगे।

12वें वित्त आयोग ने अभी-अभी दो दिन पूर्व राष्ट्रपति को अपना रिपोर्ट सौंपी है। मुझे विश्वास है, इसी वर्ष के दौरान केन्द्रीय वित्तीय संसाधनों पर व्यापक प्रभाव पड़ने जा रहा है। इस पर किस तरह से प्रभाव पड़ने जा रहा है? चालू वित्त वर्ष के वित्तीय घाटे पर इसका कैसे प्रभाव पड़ेगा, मैं इसी बारे में उनसे जानना चाहता हूं। वर्ष के लिए कितने विकास दर का अनुमान लगाया जा रहा है?

हम हमेशा यह विश्वास करते है कि जब तक हमें वास्तव में सतत तीव्र विकास नहीं करते जो हमने पिछले वर्ष 8 प्रतिशत प्राप्त किया गया तब तक हम वास्तव में विभिन्न सामाजिक लक्ष्यों जो हमारे दिमाग में है, को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए, इस वर्ष हम विकास दर को बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। वस्तुत: भारतीय रिजर्व बैंक पहले से ही यह कह रहा है कि विकास दर पहले के अनुमान से कही अधिक होनी चाहिए। इसलिए, मैं इस बारे में वित्त मंत्री से जानना चाहूंगा क्योंकि यह पहली बार है वह इस अधिनियम के अंतर्गत बता रहे हैं।

इस बात पर पहले से ही जोर दिया जा रहा है कि बचत बढ़ाने की आवश्यकता है क्योंकि हमें और निवेश की जरूरत है। अधिक निवेश के लिए और सतत विकास के लिए बचत को थोड़ी देर से व्यय किया जाए, कोई चालू खाता घाटा नहीं होना चाहिए। हमें विदेशी ऋण नहीं लेना चाहिए। हमें सचमुच और अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की जरूरत है। दुर्भाग्यवश इस वर्ष में, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 2.1 बिलियन डालर से घटकर 1.3 बिलियन हो गया है। मैं जानना चाहूंगा कि वर्ष के दौरान क्या प्रयास किए जाएंगे क्योंकि प्रधान मंत्री ने पहले ही घोषणा की है कि अगले दस वर्षों के लिए 100 बिलियन डालर का लक्ष्य रखा जाना चाहिए। मैं समझता हूं कि जब इसमें सचमुच गिरावट आई है, तो विकास दर भी बढ़ा होगा। निश्चिय ही, राजकोषीय उत्तरदायित्व अधिनियम इसका ध्यान रखेगा। इससे बचत घट रही है। यह राजस्व घाटे में बदल जाएगा। तब सरकार की बचत बढ़ेगी। कुल मिलाकर बचत दर बढ़ाने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भी बढ़े तो क्या वे यह सुनिश्चित करेंगे कि निवेश लक्ष्य प्राप्त करने से नहीं चूकना है? मैं उनसे यह जानना चाहूंगा। उन्होंने इस बात पर बल दिया है कि भारत में विनिर्माण अब थीम बेसिस पर हो रहा है। सिर्फ 24 प्रतिशत या 26 प्रतिशत जी.डी.पी. पर्याप्त नहीं है। इसे बढ़ाने का कैसे प्रयास किया जाएगा? पुन: सरकार को अपनी पूरी रणनीति बताने की आवश्यकता है कि भारत में विनिर्माण में कैसे वृद्धि होगी।

कृषि के बारे में, जब कभी कृषि उत्पादन बढ़ता है जैसा कि पिछले वर्ष हुआ है, विकास दर में सुधार होता है। वास्तव में हमें एक मौसम प्रूफ तथा मानसून प्रूफ कृषि की जरूरत है। यह एक ऐसी चीज है जो महत्वपूर्ण है। अन्यथा हर बार जब मानसून फेल होता है तो कृषि उत्पादन कम हो जाता है और फिर हमारी विकास दर नीचे चली जाती है। मैं यह बात भी जानना चाहता हूं।

हम लोग वित्त के काफी गंभीर चरण में प्रवेश कर रहे हैं। भारत सरकार का कुल ऋण जी.डी.पी. का 64 प्रतिशत है। विदेशी ऋण अधिक नहीं है किंतु घरेलू ऋण बहुत तेजी से बढ़ रहा है। मैं समझता हूं कि हमें इस बारे में कुछ करने की जरूरत है। मैं इसके बारे में जानना चाहता हूं। राजस्व घाटे को कम करके हम ऋण कम नहीं कर सकते हैं। अत: हमें यह देखने के लिए एक कार्य योजना की आवश्यकता है कि किस प्रकार हमारा ऋण पूरी तरह कम होगा?

इस वर्ष हमने यह देखा है कि हमारे निगम क्षेत्र का बाह्य वाणिज्यिक ऋण बढ़ा है। विदेशी ऋण 1.12 से 1.6 प्रतिशत तक रहा। दूसरी ओर, हमारे पास काफी विदेशी मुद्रा भंडार है और विदेशी मुद्रा भंडार के बढ़ने से भी चिंता बढ़ रही है क्योंकि रुपया मजबूत हो रहा है। हम यह देखने के लिए खुली बाजार प्रणाली

अपना रहे हैं कि रुपया मजबूत न हो। इसके फलस्वरूप, हमारी प्रणाली में तरलता बढ़ रही है। लोग बाहरी ऋण का सहारा ले रहे हैं। क्या आप एक ऐसी प्रणाली के बारे में नहीं सोचते हैं जिसमें बाह्य वाणिज्यिक ऋण को हमारे संसाधनों के रूप में प्रयोग किया जा सके? हम अपनी अवसंरचना के विकास में उसका संसाधनों के लिए किस प्रकार प्रयोग कर सकते हैं? वास्तव में योजना आयोग ने एक ऐसा प्रस्ताव तैयार किया है कि इसके लिए हर वर्ष पांच बिलियन डालर का प्रयोग किया जा सकता है। यह ऐसी चीज है जिसे हमें अपनी अवसंरचना परियोजनाओं विशेषकर विद्युत क्षेत्र और अन्य अवसंरचना क्षेत्रों के लिए पहचान करने की जरूरत है। अवसंरचना क्षेत्र में निवेश की मांग की जा रही है। इसके साथ-साथ विदेश मुद्रा में वृद्धि हो रही है। यह एक ऐसी चीज है जिससे संबद्ध किए जाने की जरूरत है। मुझे विश्वास है कि सरकार इसके लिए एक योजना बनाएगी।

इस वर्ष एन.आर.आई. प्रेषण 5.2 बिलियन डालर तक हो गया है। वास्तव में, यह हमारी सफलता की कहानियों में से एक है। कोई भी अनिवासी भारतीय जो विदेश में काम कर रहा है, विशेषत: वे कामगार जो अपने देश में रुपया भेजते हैं, वे इस समस्या का समाधान करने में हमारी सहायता कर रहे है। अत: हमारे पास एक चालू खाता अधिशेष है। इन लोगों को किसी वित्तीय प्रोत्साहन या सरकार से किसी रूप में कोई प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है। वास्तव में, सरकार द्वारा नियुक्त निवेश आयोग में एन.आर.आई. का एक भी प्रतिनिधि नहीं है। इस देश में जितना धन आना चाहिए उसमें से अधिकांश धन एन.आर.आई. से आएगा जैसा कि चीन में हुआ है, विदेश में रहने वाले चीनियों ने इसमें काफी योगदान दिया है।

निर्यात से अर्थव्यवस्था में वृद्धि हो रही है क्योंकि घरेलू मांग से उतनी वृद्धि नहीं हो रही है जितनी की होनी चाहिए। अब केवल 8 मुख्य मदें ही निर्यात का 66 प्रतिशत भाग बन गई हैं।

इसलिए यह एक अन्य चुनौती है जिस पर हमें काम करने की जरूरत है कि हम अपने निर्यात पोर्टफोलियों का किस प्रकार विविधीकरण करेंगे। अन्यथा, यह हमें काफी महंगा पड़ेगा।

महोदय, अवसंरचना क्षेत्र में, जैसा कि माननीय वित्त मंत्री ने भी कहा है, विद्युत अधिनियम ने विद्युत क्षेत्र संबंधी नीतियों में स्थिरता लाने में हमारी सहायता की है। किंतु विद्युत अधिनियम की समीक्षा करने के बारे में सदैव बात होती है। इससे भी कुछ भ्रांति उत्पन्न हो रही है। अत: मैं समझता हूं कि अब समय आ गया है कि सरकार यह स्पष्ट करे कि क्या अधिनियम की समीक्षा की जाएगी। यदि इसकी समीक्षा की जाएगी तो यह समीक्षा कब तक पूरी होगी? यदि इसका निष्कर्ष कुछ परिवर्तन करना होगा तो यह सुनिश्चित करने के लिए कि इससे जो वातावरण बना है उसमें अस्थिरता न आए, क्या परिवर्तन किए जा रहे हैं?

महोदय, अन्य चिंता कोयला क्षेत्र की है। भारत में कोयले के मूल्य में काफी वृद्धि हुई है। अब यदि हम भारत के कोयले की तुलना दक्षिण अफ्रीका के कोयले से करें तो संभवतया उस कोयले को खरीदने में उसकी कीमत भारत में छह गुना अधिक होगी। अत: यह बात समझ से बाहर है। यह अवसंरचना क्षेत्र की ऐसी बात है जिस पर हमें काम करने की जरूरत है।

चिंता की दूसरी बात जिस पर हमें सबको चिंतित होना चाहिए और मेरे कई मित्रों ने इस बारे में कहा है। वह राज्य वित्तपोषण के बारे में है। राज्यों का गत 10 वर्षों का विकास संबंधी व्यय जीडीपी के 10.17 प्रतिशत भाग से घटकर 8.9 प्रतिशत पर आ गया है। मान लीजिए, यदि यह कम नहीं होता तो राज्यों को विकास हेतु निवेश करने के लिए 29.000 करोड़ रुपये की और जरूरत पड़ती। अत: केन्द्र सरकार से राज्य सरकारों को हुआ निवल अंतरण जीडीपी 5.57 प्रतिशत से घटकर 3.35 प्रतिशत आ गया और इसके फलस्वरूप, पुन: राज्यों की और अधिक निवेश करने की क्षमता 50,500 करोड़ रुपये कम हो गई है। इसलिए राज्यों की ऋण सेवाएं 9,175 करोड़ रुपये से बढ़कर 43,128 करोड़ रुपये हो गई है और राज्य केन्द्र सरकार से कुछ भी प्राप्त किए बिना 18,468 करोड़ रुपये अधिक का पुनर्भुगतान कर रहे हैं। वास्तव में, राज्यों की ब्याज देयता 8.32 करोड़ प्रतिशत से बढ़कर 12-96 प्रतिशत हो गई है। अत: राज्यों द्वारा अदा किए गए ब्याज और केन्द्र सरकार द्वारा प्राप्त ब्याज के बीच भारी अंतर है। केन्द्र सरकार जिस ब्याज दर पर उधार लेती है और जिस दर पर वह राज्य सरकारों को वापस देती है, उसका अंतर 0.31 प्रतिशत से बढ़कर 4.99 प्रतिशत हो गया है। इसका अर्थ है कि आज केन्द्र सरकार इस ऋण लेने वाले राज्यों से 5 प्रतिशत अधिक ब्याज वसूल रहे हैं। अत: यह राज्यों की विकास लाने की योग्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहे हैं जो यह बता रहा है कि वे नई अवसंरचना का विकास नहीं कर पा रहे हैं। हम कहते हैं कि केन्द्रीय क्षेत्र में अवसंरचना सृजित की जाए। किंतु राज्यों को भी संसाधनों की आवश्यकता है।

महोदय, ये अनुपूरक मांगें उन कतिपय व्यय के लिए प्रदान की जानी चाहिए जिसके लिए सरकार बचनबद्ध है। उदाहरण के लिए राष्ट्रीय रोजगार विधेयक को संसद में पुर: स्थापित किया जाना है। एक अनुमान के अनुसार एक आदमी के लिए रोजगार सृजित करने की गारंटी हेतु 126 रुपये की जरूरत होगी। राष्ट्रीय सलाहकार समिति यह कह रही है कि एक आदमी के रोजगार के लिए 100 रुपये की जरूरत है। यदि हम इसमें से कम से कम भी लें तो 34 मिलियन परिवारों हेतु रोजगार गारंटी के लिए

[श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु]

42,840 करोड़ रुपये की जरूरत होगी। यदि सरकार इस विधेयक को शीघ्र पुर: स्थापित करेगी तो संभवतया कुछ राशि उपलब्ध कराई जानी चाहिए। क्या इसे इस वर्ष लागू किया जाएगा? यदि इसे इस वर्ष लागू नहीं किया जाएगा तो इसका वित्त और राजकोषीय घाटे पर भारी प्रभाव पड़ेगा।

महोदय, वर्ष 1999 में तपस मजूमदार समिति ने यह कहा था कि अगले 10 वर्षों के लिए शिक्षा हेतु प्रत्येक वर्ष 13,700 करोड़ रुपये की जरूरत होगी ताकि स्कूल छोड़ने वाले सभी बच्चों को पुन: स्कूल में लाया जा सके। इसके लिए अपेक्षित राशि काफी अधिक होगी। यह उपलब्ध नहीं कराई गई जिसके फलस्वरूप पुन: राजकोषीय घाटा काफी अधिक होगा।

मेरा अगला प्रश्न सरकारी क्षेत्र के उपक्रम का विनिवेश करने से संबंधित है। सरकारी क्षेत्र के उपक्रम का विनिवेश करने के संबंध में सरकार ने चालू वर्ष के दौरान 4,000 करोड़ रुपये रखने का श्रेय लिया है। किंतु अभी तक इस लक्ष्य हेतु केवल 5 प्रतिशत राशि ही जारी की गई है। क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रम में विनिवेश होगा? यदि ऐसा नहीं होगा तो पुन: राजकोषीय घाटा बढ़कर लगभग 4,000 करोड़ रुपये हो जाएगा।

महोदय, माननीय वित्त मंत्री ने यह घोषणा की है कि एक मिलियन नए जल निकायों के अस्तित्व में लाया जाएगा। मैं इस संबंध में हुई प्रगति के बारे में जानना चाहता हूं। मैं इस वर्ष की मध्यावधि समीक्षा की अनुपालन रिपोर्ट देख रहा था और उसमें इन जल निकायों के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है।

स्वास्थ्य देख भाल के बारे में स्वास्थ्य और सम्बद्ध योजना केन्द्र ने कहा है कि पांच प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में से दो केन्द्रों में बहुत ही मामूली स्टाफ है और गत वर्ष के लिए बजट में केवल 5 प्रतिशत का सुधार हुआ है। अत: पुन: यह लक्ष्य को पूरा करने हेतु पर्याप्त नहीं होगा। इसलिए मैं अन्त्योदय अन्न योजना में हुई प्रगति के बारे में जानना चाहता हूं।

मैं यह कह रहा हूं कि हमारे चालू बजट की मध्यावधि समीक्षा और राजकोषीय उत्तरदायित्व अधिनियम के अंतर्गत की गई रिपोर्टिंग में ये सभी मुद्दे होने चाहिए और यह सुनिश्चित किया जाए कि हमारे सामने यह जानने हेतु एक व्यापक परिदृश्य हो कि क्या सरकार अधिनियम में परिकल्पित लक्ष्यों को प्राप्त कर पाएंगे और सरकार द्वारा किए गए इन सभी वादों हेतु अनुदानों की अनुपूरक मांगें उपलब्ध कराई जाएंगी।

यदि इस बजट में इस वादों की पर्याप्त मुद्रीकरण परिलक्षित होती है तो संभवतया राशि काफी अधिक होगी ...*(व्यवधान)* विपक्षी दल का सदस्य होने के नाते में और अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: आपकी पार्टी से अभी एक और सदस्य को बोलना है। यदि वह नहीं बोलना चाहें तो आप और समय ले सकते हैं।

[अनुवाद]

श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु: नहीं, मैं अन्य सदस्यों को भी एक मौका दूंगा।

श्री मिलिन्द देवरा (मुंबई-दक्षिण): धन्यवाद महोदय। संसद में यह मेरा पहला भाषण है।

शुरूआत में मेरे विचार से यदि हम मध्यावधि समीक्षा देखें तो उच्च वृद्धि दर के लिए माननीय वित्त मंत्री की प्रशंसा की जानी चाहिए। हमने देखा है कि पिछले वर्ष पहली तिमाही में हुई पांच प्रतिशत वृद्धि की तुलना में इस वर्ष पहली तिमाही में सात प्रतिशत वृद्धि हुई। देश की वित्तीय स्थिति के संबंध में कुछ चिन्ताएं भी है जैसा कि कुछ माननीय सदस्यों ने बताया है। परन्तु समग्र रूप में, मेरा विचार है कि यह सरकार, मेरी पार्टी वृद्धि को समाहित करने के आधार के साथ सत्ता में आई, यह आधार लोगों को वृद्धि प्रक्रिया के दूर करने की बजाय लोगों को वृद्धि प्रक्रिया में एकीकृत करता है। इस राष्ट्र को सर्वोत्तम आर्थिक नेतृत्व प्रदान करने के लिए मैं अपनी पार्टी अध्यक्षा श्रीमती गांधी की भी प्रशंसा करना चाहूंगा। आज हमारे माननीय वित्त मंत्री एक निवेश मंत्री भी हैं, जो मेरे विचार से एक मंत्र है। एक दर्शन एक नया दृष्टिकोण है, जिसकी इस देश को आवश्यकता है। तथापि एक निवेश मंत्री के रूप में मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। कोई हाल ही में कह रहा था कि वे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के हिमायती मैं इससे सहमत हूं। परन्तु निवेश आयोग राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मक परिषद जैसी एजेंसियां का गठन करते हुए निवेश पर ध्यान देना होगा ये पूरे देश की वृद्धि को वास्तविक रूप से बढ़ाने के लिए प्रमुख क्षेत्र हैं।

मैं माननीय वित्त मंत्री के ध्यान में एक मुद्दा लाना चाहता हूं जिसकी संसद में उचित रूप से चर्चा नहीं हुई है, जो कि शहरी अवसंरचना से जुड़ा है। मैं एक शहरी चुनाव क्षेत्र से हूं। मैं मुम्बई से हूं। यह शहर राजकोष में सर्वाधिक योगदान देता है। सीमा शुल्क, उत्पादन शुल्क कर के यौगदान के रूप में यह प्रत्येक वर्ष राजकोष में 50,000 करोड़ रुपये का योगदान करना है तथा इसे लगभग एक प्रतिशत लाभ प्राप्त होता है। यदि ऐसे शहर, जो कि निवेश के दृष्टिकोण से भारत का द्वार है, चाहे वो घरेलू निवेश हो या अंतर्राष्ट्रीय निवेश ऐसा शहर जहां स्टाक एक्सचेंज है निजी क्षेत्र के उद्यम हैं, में वृद्धि की आवश्यकता है। हमें न केवल मुम्बई के लिए बल्कि देश के प्रत्येक शहर के लिए एक व्यापक शहरी

नवीकरण कार्यक्रम बनाने की आवश्यकता है। हम निरंतर समाचार पत्रों में बंगलौर तथा अन्य शहरों के बारे में पढ़ते रहते हैं जहां कि शहरी मूलभूत ढांचा ध्वस्त हो रहा है। इसलिए शहरी नवीकरण को युद्धस्तर पर आरम्भ किया जाना चाहिए। कई पोल पण्डितों की अपेक्षा के विपरीत विभिन्न शहरी क्षेत्रों, विभिन्न शहरों द्वारा इस सरकार को चुना गया तथा मेरे विचार से इस अपेक्षा पर खरा उतरने के लिए एक व्यापक शहरी नवीकरण कार्यक्रम को एक विशेष पैकेज मिलना चाहिए।

विशिष्ट तौर पर मुंबई के संदर्भ में, दो दशक पहले तत्कालीन प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी ने मुम्बई शहर के लिए 100 करोड़ रुपये के अनुदान के लिए प्रधान मंत्री अनुदान परियोजना शुरू की थी। आज भी हमारी 75 प्रतिशत आबादी झुग्गी झोपड़ी या टूटे-फूटे मकानों में रहती है और फिर भी हम इसे राष्ट्र की वाणिज्यिक राजधानी मानते हैं। अत: वास्तव में आंवास, परिवहन आदि सभी चीजों की समीक्षा की जानी चाहिए। महोदय, एक मुद्दा जो मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री के समक्ष उठाना चाहूंगा कि पिछले बजट ने मुम्बई का जिक्र उस समय आया था जब पुरानी जर्जर ईमारतों का पुनर्विकास करने के लिए कर की छूट दी गई थी। मैं वित्त मंत्री जी से इस अनुदान पर पुनर्विचार करने का अनुरोध करूंगा तथा क्या आप कर की इस छूट से वास्तव में मदद मिली तथा क्या यह किराए दार तथा पुनर्विकास अनुकूल थी या बिल्डर अनुकूल थी। यदि यह बिल्डर-अनुकूल थी, तो मैं यह भी कहूंगा कि यह छूट समाप्त कर दी जाए।

अपराह्न 3.49 बजे

[**श्री वरकला राधाकृष्णन** *पीठासीन हुए*]

विभिन्न क्षेत्रों की वृद्धि के बारे में पूरे देश की वृद्धि के लिए सबसे महत्वपूर्ण पूर्व अर्हता मूलभूत सुविधाएं होती हैं। बुनियादी सुविधाएं, चाहे वे सड़क हो, टेली-घनत्व हो-जो कि गांव को गांव से, गांव को नगरों से, किसानों को बाजार से, शहर को शहर से जोड़ती हैं, माल एवं सेवाओं की निर्मुक्त आवाजाही सुनिश्चित करती हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के प्रथम भाग में 8.5 प्रतिशत वृद्धि देखी गई है। विद्युत उत्पादन में आठ प्रतिशत की वृद्धि हुई है। आज राष्ट्र में टेली-घनत्व 8.2 प्रतिशत पर है। हमने अन्तत: वह रूझान प्राप्त कर लिया है जो हम चीन जैसे देशों में देखते हैं, जो हम अफ्रीका जैसे महाद्वीपो में देखते हैं जहां सेलुलर टेलिफोनी, वायरलैस टेलिफोनी ने विरुद्ध लाइन टेलिफोनी की जगह ले ली है।

तथापि, अवसंरचना के कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे है जिनका तत्काल समाधान किए जाने की आवश्यकता है। चूंकि भारत उत्पादन का केन्द्र बनता जा रहा है तथा हमारी निर्यात क्षमताओं को बढ़ाने के लिए राष्ट्र में विभिन्न माल एवं सेवाओं को बाहर से लेने का स्रोत का बन रहा है, दो प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। सर्वप्रथम, जवाहर लाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट आता है। जो कि एक सरकारी पत्तन न्यास तथा दूसरा एक एस.आई.सी.टी. है, जो कि एक निजी पत्तन न्यास है। मध्यावधि समीक्षा में यह उल्लेख किया गया है कि लघु अवधि नीतियां कार्यान्वित की गई है। दीर्घावधि मुद्दे जैसे तीसरा बल्क टर्मिनल तथा चौथा बल्क टर्मिनल विकसित करने पर जोर देने की आवश्यकता है। परन्तु आज जे एन पी टी देश के कुल कार्गो ट्रैफिक में से 50 प्रतिशत की संभलाई करता है। फिर भी इसमें सड़कों के अभाव के कारण विलम्ब होता है। सड़कों को पक्का और चौड़ा नहीं किया गया है। इसलिए इस कार्य को युद्धस्तर पर क्रियान्वित किए जाने की आवश्यकता है।

रेल मंत्रालय के स्वामित्व में कंटेनर कार्पोरेशन आफ इंडिया जे एन पी टी से संपर्कों की संख्या बढ़ा रहा है। इससे इस पोर्ट के आधुनिकीकरण में तथा वास्तव में हमारी निर्यात क्षमता को बढ़ाने में काफी सहायता मिलेगी। मुम्बई विमानपत्तन राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय कार्गो के 80 प्रतिशत ट्रैफिक को नियंत्रित करता है। मैं इस सरकार, माननीय वित्त मंत्री तथा माननीय नागर विमानन मंत्री की प्रशंसा करता हूं। जो इस कार्य को युद्ध स्तर पर कर रहे हैं। परन्तु मैं आशा करता हूं कि यह आधुनिकीकरण न केवल मेरे चुनाव क्षेत्र या मुम्बई में हो बल्कि यह पूरे देश में किया जाना चाहिए।

मुख्यत: तीन क्षेत्र है नामत: सेवाएं, कृषि तथा उद्योग। सेवाओं के संबंध में पहली तिमाही में पिछले वर्ष में सात प्रतिशत वृद्धि की तुलना में इस वर्ष 10 प्रतिशत वृद्धि देखी गई है। सूचना प्रौद्योगिकी के अलावा सबसे महत्वपूर्ण सेवा क्षेत्र आई टी आधारित सेवाएं तथा मनोरंजन है। मैं यह कहूंगा कि ये मुख्यत: स्वत: कार्य कर रहे हैं। कुछ समय पहले ऐसा कहा गया था कि चूंकि सरकार इन क्षेत्रों पर ध्यान नहीं दे रही है, ये क्षेत्र योगदान नहीं कर पा रहे हैं तथा अच्छी तरह से कार्य नहीं कर रहे हैं। मेरे विचार से ये स्वत: कार्य कर रहे है और अच्छा कार्य कर रहे हैं।

जहां तक पूंजी बाजार का संबंध है हमने देखा है कि वर्ष के पहले छ: माह के दौरान 25 आई पी ओ के द्वारा 11000 करोड़ रुपया एकत्रित किया गया जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि के लिए 15 आई पी ओ के द्वारा 2000 करोड़ रु. ही एकत्रित किए गए थे। इसमें 400 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। मेरे विचार से इसका प्रमुख कारण दीर्घावधि पूंजी लाभ कर में 10 प्रतिशत से 0 प्रतिशत तक की कमी और लघु अवधि लाभ कर को 30 प्रतिशत से कम कर 10 प्रतिशत तक लाना है।

[श्री मिलिन्द देवरा]

कृषि क्षेत्र में भी विकास हुआ है। कई पहले की गई हैं जैसे पंचायती राज मंत्रालय की स्थापना, जल निकायों की पुन: बहाली आदि। किसी अन्य सदस्य ने भी इसका उल्लेख किया है। शहरी दृष्टिकोण से मैं सहमत हूं कि 70 प्रतिशत आबादी कृषि अर्थ व्यवस्था पर निर्भर है। यदि हम केवल ग्रामीण अर्थ व्यवस्था को सुदृढ़ करते हैं तो हम शहरीकरण की प्रक्रिया को रोक सकते हैं जिसके देश के विभिन्न शहरों में भार बढ़ता जा रहा है।

तथापि, मैं कुछ सुझाव देना चाहूंगा। समाचार पत्रों में सहकारी बैंकों के कार्य करण को वास्तव में सुदृढ़ करने के बारे में चर्चा की गई है। आज सहकारी बैंक नाबार्ड द्वारा विनियमित हैं। नाबार्ड एक ऋण दाता और साथ ही डाक विनियामक है। इसकी वाणिज्यिक तथा विनियामक भूमिका है। अत: स्पष्ट रूप से हितों का टकराव हो सकता है। इन दोनों को अलग-अलग करना तथा नाबार्ड के पुनर्गठन से काफी सहायता मिलेगी।

दूसरा मुद्दा जो उठाया गया है वह किसानों तथा उत्पादकों के लिए एक सामान्य बाजार के बारे में है जो उन्हें उनके बाजार स्थलों से जोड़ सके। एक पहलू माल के आदान प्रदान का है। हमने देखा कि माल का आदान-प्रदान भारत में पहली बार किया गया तथा इसमें महत्वपूर्ण एन सी डी ई सी है। फिर भी नम्नीयता सुनिश्चित करने तथा ग्रामीण ऋण को बढ़ाने तथा कृषि-ऋण जो कि कई बैंक प्रदान करते हैं तथा ऐसा करने में उनकी रुचि है- को बढ़ाने के लिए हमें भाण्डागार रसीद को विनिमय साधन बना देना चाहिए। किसान द्वारा अपनी फसल भाण्डागार तक पहुंचाने के बाद यह कोटे का मानकीकरण करेगा तथा भाण्डागार रसीद लेने के बाद किसान अधिक ऋण प्राप्त कर सकते हैं। इससे फसल बढ़ेगी तथा गुणवत्ता भी सुनिश्चित हो सकेगी। इससे देश की कृषि उपज को बढ़ाने में सहायता मिलेगी। निश्चित रूप से किसी ने उन क्षेत्रों जैसे बागवानी जो मुख्यत: मानसून पर निर्भर नहीं होते में उत्पादों पर बल देने के महत्व का उल्लेख किया है। शीतागार श्रृंखला अवसंरचना पर लंबी बहस हुई है। आज देश के प्रत्येक बैंक की प्राथमिकता कृषि के लिए 18 प्रतिशत ऋण की है। यदि हम कृषि ऋण को पुन: श्रेणी में बांटे तो बदले में हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि वास्तव में उस 18 प्रतिशत कोटे में से बैंक लोगों को शीतागार अवसंरचना में निवेश करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं जिससे बागवानी और अन्य उत्पादों, जो मानसून पर कम निर्भर रहते हैं, में वृद्धि होगी। श्री प्रभु इसे मानसून और मौसम से भी अप्रभावित रखना चाहते थे। कृषि के लिए हमें ऐसे ही दृष्टिकोण की आवश्यकता है।

उद्योग क्षेत्र में विशेषकर मशीनी उपकरण, रसायनों, आटोमोबाइल क्षेत्र, इत्यादि जैसे निर्माण क्षेत्रों का अत्यधिक विकास हुआ है। प्रथम तिमाही में बात करते हैं, जो इस सरकार की प्रतिबद्धता है। आज देश में सबसे अधिक रोजगार देने वाले रेलवे विभाग के पश्चात् वस्त्र क्षेत्र आता है। जनवरी 2005 के आने पर, वस्त्र कोटे को समाप्त कर दिया जायेगा। हमें एक बार यह अवसर मिला है जब यह उद्योग अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा कर रहे होंगे। वस्तुत: इस अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा को सुनिश्चित करने हेतु, जिसमें चीन, थाईलैंड और अन्य देशों जो कम लागत पर उत्पादन कर रहे हैं, के साथ हमारी सीधी प्रतिस्पर्धा होगी, मेरा यह विश्वास है कि राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मक परिषद की स्थापना से इन क्षेत्रों, निगमों और सरकार के बीच वार्ता में काफी मदद मिलेगी।

अन्यथा, जैसा कि मैंने विस्तारपूर्वक बताया, अर्थव्यवस्था सकारात्मक दिखाई पड़ रही है। ऐसे विचार व्यक्त किये जा रहे हैं कि सामाजिक क्षेत्र में हम 6 प्रतिशत वृद्धि की आशा कर सकते हैं। मध्याह्न भोजन की योजना, सर्वशिक्षा अभियान योजना के लिए 2,000 करोड़ रुपये का अनुपूरक अनुदान स्वागत योग्य उपाय हैं।

महोदय, रक्षा संबंधी स्थायी समिति के सदस्य के रूप में मैं एक छोटा मुद्दा उठाना चाहता हूं। पिछले बजट में हमने रक्षा क्षेत्र में 18,000 करोड़ रुपये की वृद्धि दर्ज की। लेकिन बजट में भारी वृद्धि से कहीं अधिक, हमने यह पाया कि राजस्व व्यय घटाकर 43 प्रतिशत कर दिया गया और पूंजीगत व्यय को बढ़ाकर 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 57 प्रतिशत कर दिया गया। यही आधुनिकीकरण को सुनिश्चित करने की कुंजी है। आज हमारे समक्ष परंपरागत चुनौतियां हैं इसलिए हमें अपने सशस्त्र बलों का आधुनिकीकरण करना होगा और इस कदम से, नि:संदेह इसे सुनिश्चित करने में काफी मदद मिलेगी। फिर भी, जब रक्षा खरीद परिषद सिफारिश करती है कि खरीद की जाए अथवा नहीं और यदि सिफारिश खरीद की होती है तो यह डी.आर.डी.ओ. को जाती है और अपरिहार्य रूप से इस प्रक्रिया में कुछ देरी हो जाती है।

जब डी.आर.डी.ओ. यह कहता है कि हमें खरीद करनी चाहिए, तो हमें आयात करना पड़ता है और इससे आयात पर हमारी निर्भरता बढ़ जाती है जिससे भुगतान संतुलन की स्थिति और बिगड़ जाती है। इसलिए एक सुदृढ़ अनुसंधान और विकास केन्द्रित स्वदेशी उद्योग को बनाये जाने से और उन्हें मजबूत बनाने से आयात पर हमारी निर्भरता कम हो जायेगी। यह हमारे लिए गर्व का विषय होगा। यदि इसका प्रदर्शन हम सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में कर सकते हैं तो मुझे विश्वास है, हम ऐसी रक्षा क्षेत्र के मामले में भी कर सकते हैं। मैं समझता हूं भेषज उद्योग में एक ऐसा ही प्रोत्साहन दिया जा रहा है। यदि मैं गलत नहीं बोल रहा हूं तो भेषज उद्योग में अनुसंधान और विकास पर निवेश किये गये प्रति एक रुपये पर 1.56 पैसे की छूट है। यदि रक्षा क्षेत्र को ऐसा प्रोत्साहन दिया जा सकता है तो हमें ऐसी कई कंपनियां मिल सकती हैं जिनके पास सुदृढ़ अनुसंधान और विकास क्षमता हैं और

वे रक्षा अनुसंधान में भी निवेश करने की इच्छुक होगी। इससे भेषज अनुसंधान में हमारी स्वदेशी क्षमताओं को मजबूत बनाने में काफी मदद मिलेगी क्योंकि हम बहुत ही कठोर पेटेन्ट व्यवस्था के निकट पहुंचते जा रहे हैं। केवल इसी तरीके से हम बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते है। ऐसे प्रोत्साहनों से रक्षा क्षेत्र में विदेशी अनुसंधान की हमारी क्षमताओं को मजबूत करने में काफी मदद मिल सकती है।

महोदय, मेरा आखिरी मुद्दा वित्तीय उत्तरदायित्व से संबंधित है। यहां विभिन्न माननीय सदस्यों ने यही चिंता जतायी है। एफ.आर.बी.एम. यह निर्धारित करता है कि हमें चार वर्षों में राजस्व घाटे को शून्य तक ले आना चाहिए। इसके कई कारण हैं। तेल मूल्य वृद्धि के असर को कम करने के लिए उत्पाद शुल्क वसूली में कमी की गयी। फिर भी, संभवत: वित्त मंत्री जी का पक्ष लूं तो मैं यह कहूंगा कि लोगों को इस घटते-बढ़ते परिणाम की जानकारी होनी चाहिए। केवल दूसरी तिमाही तक, हम इस समय जिस जगह पर हैं, सरकारी खर्चा बहुत ध्यान देने वाला विषय बन गया है। इस वर्ष के अंत तक, अर्थात् चौथी तिमाही तक, हम यह देखते हैं कि विभिन्न मंत्रालय अपनी खर्च न की गयी धनराशियों को सरकार को लौटा रही हैं और हम यह भी देखते हैं कि करों की पूरी वसूली की जा रही है। इसलिए, मेरा यह मानना है कि चौथी तिमाही की स्थिति देश के लिए वित्तीय रूप से बहुत अलग होगी। लेकिन वित्तीय स्थिति को सुधारने का तरीका वसूली और व्यय को बेहतर बनाना और इसमें सुधार करना है।

महोदय, यदि मैं व्यय की बात करूं तो मैं यह कहना चाहूंगा कि जब हम राजसहायता की बात करते है तो आज विभिन्न राजसहायताओं को पुन: आरम्भ करने और उनकी समीक्षा करने पर चर्चा हो रही है। ऐसे अध्ययन हुए हैं जो यह सिद्ध कर चुके हैं कि प्रत्येक ग्रामीण परिवार और संभवत: प्रत्येक तीसरा शहरी परिवार जैव-पदार्थों पर निर्भर है। यदि ऐसा है तो इसे समझे जाने की आवश्यकता है। यदि ऐसी बात है तो क्या रसोई गैस मिट्टी के तेल पर सहायता गरीबों के लिए लाभप्रद है? क्या यह उन लोगों के लिए लाभप्रद है जो गरीब नहीं है? वित्त मंत्री जी के पास सारे जवाब हैं और मंत्रालय के पास सारे जवाब हैं और मुझे विश्वास है कि वे जानकारी जुटा लेंगे।

महोदय, मैं एक अन्य मुद्दे पर भी प्रकाश डालना चाहूंगा जो यद्यपि एक स्वागत योग्य कदम है फिर भी एक विवादास्पद विषय है। बुद्धिजीवी वर्ग आज इस बात पर चर्चा कर रहा है और वह विषय एन.आर.ई.जी. से संबंधित है। मेरा इसमें निहित स्वार्थ है। यदि ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास होगा, यदि हम ग्रामीण युवक-युवतियों को रोजगार दे सकें तो तब कम संख्या में वे लोग शहरी क्षेत्रों में आयेंगे और हम कम शहरी क्षेत्र रखेंगे और शहरी अवसंरचना पर कम दबाव पड़ेगा। फिर भी बुद्धिजीवी वर्ग आज इस बात की चर्चा कर रहा है कि क्या यह योजना जो शीघ्र ही सभा पटल पर रखा जाना है रोजगार के अवसर उत्पन्न करने वाली योजना है, अथवा गारन्टी योजना है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि इससे पहला लक्ष्य पूरा हो, यह सुनिश्चित करने के लिए कि रोजगार के अवसर उत्पन्न हों, इस पर गौर करने का एक तरीका राजसहायता है चाहे वह ग्रामीण हो अथवा शहरी, इससे सतत है और टिकाऊ परिसम्पत्ति का सृजन होना चाहिए जिससे रोजगार के अवसर सुनिश्चित होंगे। मैं यहां एक उदाहरण देना चाहूंगा।

अपराह्न 4.00 बजे

आज, यदि कोई आवास के लिए ऋण लेता है और उसे आयकर में छूट मिलती है तो उस राज सहायता से सम्पत्ति बनती है। इससे आवास की सुविधा उत्पन्न होती है। इससे निर्माण उद्योग में रोजगार उत्पन्न होता है और इससे आवास उद्योग के लिए आपूर्ति करने वाला क्षेत्र भी लाभान्वित होता है। इसलिए, हमें राजसहायताओं में ऐसे ही दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है और हमें ऐसी ही योजनाएं चाहिएं जिससे रोजगार के अवसर सुनिश्चित होते हैं। यह संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार की गरीबों के प्रति और राष्ट्र के युवाओं के प्रति वनचबद्धता है और निश्चित रूप से इसे हम पूरा करेंगे। मैं इसका स्वागत करता हूं।

मैं अन्तिम बात कर संग्रहण के बारे में कहना चाहता हूं। सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में करों को बढ़ाने के लिए, जो आज आठ से नौ प्रतिशत के बीच में है, कई पहल की गयी और कई सुधार किये गये चाहे वह वैट हो अथवा सीमा प्रशुल्क को कम करना हो अथवा चाहे वह अन्य सेवाओं का पता लगाना और उन्हें कर के अंतर्गत लाना हो। सस्ती और महत्वपूर्ण कच्ची सामग्री वाले उद्योगों के ध्यान में रखते हुए हमें इन सुधारों पर विचार करने की आवश्यकता है। कर संग्रहण के संबंध में मैं यह सोचता हूं कि यह सरकार बहुत अच्छा कार्य कर रही है। वर्षों से, हमने यह देखा है कि, जैसे ही कर कम किये जाते हैं, कम कर प्रणाली से अधिक करों की वसूली होती है। इसे सिद्ध करने के लिए काफी प्रयोग अन्य आंकड़े उपलब्ध हैं। लेकिन, मैं समझता हूं, जैसे ही हम आक्रामक ढंग से आयकर अधिकारियों को करों की वसूली के लिए भेजते हैं, इससे संबंधित शिकायतें बढ़ जाती हैं। पुरानी कहावत को उद्धृत करते हुए "बार-बार एक ही भेड़ को मत मुड़ो।" मैं यह कहूंगा कि हम उन्हें करों की वसूली के लिए अवश्य भेजे लेकिन सिर्फ यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह व्यवस्था चारों ओर फैले।

[श्री मिलिन्द देवरा]

अभी-अभी बैंक वित्त व्यवस्था पर चर्चा की है, उसमें समग्र अर्थव्यवस्था बहुत सकारात्मक दिखाई पड़ती है। मैं संक्षेप में यह आशा करता हूं कि वित्त मंत्री जी आगामी बजट में शहरी अवसंरचना पर विशेष बल देंगे। मुंबई जैसा शहर सोने के अंडे देने वाला शहर है। हमें इस शहर का देखभाल करनी चाहिए और इसे अधिक सुदृढ़ बनाना चाहिए। केवल तभी समग्र अर्थव्यवस्था का विकास हो सकेगा और राष्ट्रीय राजकोष में भी वृद्धि होगी।

महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

सभापति महोदय: बधाई। आपका भाषण अच्छा रहा।

[हिन्दी]

प्रो. महादेवराव शिवनकर (चिमूर): सभापति महोदय, अपने वक्तव्य के प्रारम्भ में सरकार की गाड़ी धीरे-धीरे नीचे आ रही है, यह मेरा पहला प्वाइंट होगा। मैंने कल-परसों ही पढ़ा था कि विदेशी मुद्रा का भंडार 10 दिसम्बर को गये सप्ताह के एक सप्ताह पहले की तुलना में 129 अरब, 69 करोड़, 70 लाख डालर हो गया है, जो पहले के मुकाबले 1.02 अरब डालर घटा है। इस वर्ष 3 दिसम्बर को समाप्त हुए सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार 130 अरब 71 करोड़ डालर है। यह अल्प है, मगर अल्प होते हुए भी धीरे-धीरे यह सरकार किस प्रकार से नीचे जा रही है, इससे स्पष्ट होता है। चाहे विदेशी मुद्रा भंडार हो, चाहे जी.डी.पी. हो या प्राब्लम्स को फेस करने का संबंध हो, यह सरकार कहती है कि छ: महीने में कुछ नहीं हुआ। वास्तविक रूप से देखा जाए तो बच्चे के पैर झूले में दीखते हैं-हाउ दि चाइल्ड इज डेवलपिंग। मुझे ऐसा लगता है कि यह सरकार इकोनोमिक डेवलपमैन्ट ठीक से नहीं कर रही है। एक्सटर्नल डैब्ट की आउटस्टैंडिंग के बारे में कहना चाहूंगा कि वर्ष 1990-1991 की तुलना अगर आज आप करें तो दुगुने से ज्यादा आउटस्टैंडिंग हो गया। मैं फीगर्स में नहीं जाना चाहूंगा, क्योंकि फाइनैन्स मिनिस्टर साहब के पास सारे आंकड़े हैं। टोटल आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज भी वर्ष 1991-1992 की तुलना में दुगुनी से ज्यादा हो गई है। इंटर्नल लायबिलिटीज भी भारी प्रमाण में बढ़ गई। आपने जो छ: माह की मध्यवर्ती समीक्षा प्रस्तुत की, इसमें आपने ही कबूल किया कि औद्योगिक क्षेत्र में अप्रैल-सितम्बर, 2004 के दौरान और औद्योगिक उत्पादन आई.आई.पी. के सूचकांक की वृद्धि दर विगत वर्ष की तुलना में, मई, 2004 को छोड़कर, जब वह 6.8 परसेन्ट थी, अब कम हुई है। इसका मतलब है कि सरकार भी धीरे-धीरे अपना विचार बदल रही है। वित्त मंत्री जी, मुझे लगता है कि जी.डी.पी. एग्रीकल्चर और फूडग्रेन्स ग्रोथ रेट के संबंध में सरकार बताती है कि पैट्रोल आदि के दाम बढ़ने से महंगाई बढ़ गई। इसके अलावा अकाल को भी सरकार एक कारण बताती है। मगर मैं आपको बताना चाहूंगा कि वर्ष 1997-1998 में एग्रीकल्चर ग्रोथ -2.4 थी, वर्ष 2001 में -0.2 थी और वर्ष 2003 में -3.1 थी। उस काल में भी, जब एनडीए की सरकार थी, तो अर्थव्यवस्था में ग्रोथ रेट ठीक प्रकार से बढ़ रहा था, मगर इस सरकार के काल में जीडीपी, ग्रोथ रेट और विदेशी मुद्रा भंडार भी कम हो रहा है।

सभापति जी, एक मुद्दे की ओर मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं। जो एक्स्ट्रा प्रोक्योरमैंट है और जो स्टाक है, मैं कहना चाहता हूं कि स्टाक भी भारी प्रमाण में बढ़ रहा है। 1 अक्तूबर, 2004 का जो स्टाक 20.3 मिलियन टन था, वह 18.1 मिलियन टन के बफर स्टाक के मानदंड से 12 प्रतिशत अधिक रहा। इसका परिणाम यह होता है कि गोदामों में पुराना अनाज सड़ता है, जिसका कोई मूल्य नहीं होता। इसके लिए दो बातें आप कीजिए। एक बात करनी होगी कि जो अनाज का ज्यादा स्टाक है, उसे या तो विदेशों में बेचिये ताकि कुछ पैसा उससे मिले। इसके अलावा डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम में भी सुधार करना पड़ेगा। इस देश में प्रोक्योरमैंट और पीडीएस अत्यंत खराब है। अनाज हमने भरपूर दिया, बड़े प्रमाण में लोगों को दे रहे हैं। अंत्योदय योजना में आपने कहा कि डेढ़ करोड़ से दो करोड़ की ओर हम जा रहे हैं, मगर प्रत्यक्ष में मरने वालों की संख्या भी बढ़ रही है। इसके लिए हमें पीडीएस में सुधार करना पड़ेगा। मैं आंकड़ों में नहीं जाना चाहता, वे आपके पास भी हैं। पीडीएस में जो भ्रष्टाचार है, उसकी ओर आप देखें कि एक तरफ लोग भूख से मर रहे हैं लेकिन अनाज कहां जा रहा है। इसके लिए आपको कठोर कानून बनाने की अत्यंत आवश्यकता है।

सरकार कहती है कि राज्यों की ओर भारी प्रमाण में पैसा बकाया है, मगर उसकी जो ब्याज दर है, मैं उसकी ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। मैं महाराष्ट्र की ओर आपका ध्यान खींचना चाहूंगा। महाराष्ट्र पर एक लाख हजार करोड़ रुपये का कर्जा हो गया है। ऐसी परिस्थिति में महाराष्ट्र सरकार केन्द्र सरकार का कर्जा लौटाने में कई बार अक्षम हो जाती है। उसका मुख्य कारण ब्याज दर है। इसके संबंध में मेरा कहना है कि ऋण की पुन: अदायगी हेतु ब्याज दर में फर्क करना पड़ेगा-या तो राज्य सरकारें का सारा कर्जा आप ले लें या ब्याज दर कम करके उसे रेव्यू करें ताकि सारी राज्य सरकारें-चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र हो या राजस्थान हो जो कर्जे से दबी हैं, उन्हें उससे छुटकारा मिले। विश्व में जो ब्याज दर है, भारत में ब्याज दर उससे कई गुना अधिक है और इसलिए ब्याज दर को कम करना पड़ेगा।

मैं एक बात की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। महाराष्ट्र में 500 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्याएं की हैं और उसका कारण अधिक ब्याज दर है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से

बजट के प्रारंभ में मिला था। उस समय भी मैंने यह बात उनके सामने रखी थी और आज फिर रखना चाहता हूं। टास्क फोर्स के संबंध में आपने पिछले बजट में भी कहा कि टास्क फोर्स गठित करने वाले हैं, आपने की भी होगी मगर उसका परिणाम क्या निकला? कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने विधान सभा चुनावों से पहले ऐसा वायदा किया था कि हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे। किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं और कर्ज के बोझ से दबे हुए हैं। क्या आप महाराष्ट्र की सरकार से कह सकते हैं कि आपने जो वायदा किया था, अब सत्ता में आने के बाद अपना वादा निभाओ। मगर सरकार इससे मुकर रही है। रेट आफ इंटरेस्ट के संबंध में एनडीए की सरकार ने अच्छा काम किया था। जो ब्याज दर पहले 18 प्रतिशत थी, उसे कम करके 13 प्रतिशत और फिर 9 प्रतिशत तक वह सरकार लाई। हमारा उस समय ऐसा विचार था कि उसे 7 प्रतिशत तक लाएंगे। आप डब्ल्यू.टी.ओ. से यहां के किसानों की स्पर्द्धा कराना चाहते हैं। जब स्पर्द्धा कराना चाहेंगे तो डब्ल्यू.टी.ओ. के सामने यहां का किसान कहां टिकेगा? यहां नौ प्रतिशत रेट आफ इंटरेस्ट है जबकि कोआपरेटिव में भी नौ प्रतिशत रेट आफ इंटरस्ट नहीं मिलता। वहां उसका 10 प्रतिशत शेयर कट जाता है, पांच प्रतिशत अन्य बातों में कट जाता है और सारा करके 17-18 प्रतिशत से ज्यादा चला जाता है। मैं आपको कहता हूं कि कोआपरेटिव के संबंध में जो कर्जा 17-18 प्रतिशत पर जाता है, उसे आप छः प्रतिशत या सात प्रतिशत तक ला सकते हैं। डब्ल्यू.टी.ओ. में चार प्रतिशत धर फर विदेशी नागरिकों को कर्जा मिलता है मगर यहां तो 17-18 प्रतिशत पड़ता है। फिर भारत का किसान कैसे उनके सामने टिकेगा? इस संबंध में सरकार विचार कर रही है या नहीं हमारा कहना है कि कोआपरेटिव के संबंध में आप पुनर्विचार करे। जो स्टेट कोआपरेटिव बैंक, डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव बैंक और प्राइमरी कोआपरेटिव सोसाइटीज हैं, उनमें जो कमीशन जाता है, उसे भी आपको कम करना पड़ेगा।

सभापति महोदय, 7 प्रतिशत ब्याज पर यह सरकार घर खरीदने के लिए ऋण देती है। 7 प्रतिशत ब्याज पर उद्योग लगाने के लिए ऋण मिलता है, फिर किसानों को क्यों 9 प्रतिशत पर राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण दिया जाता है। इस दर पर भी सिर्फ राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण मिलता है। इस दर पर कोआपरेटिव बैंकों से ऋण नहीं मिलता है। मेरी मांग है कि किसानों को 2 लाख रुपए तक सभी बैंकों से कर्जा 7 प्रतिशत ब्याज पर देने की व्यवस्था करें और कोआपरेटिव बैंकों को भी आप इसी रेट पर किसानों को ऋण देने के लिए बाध्य करें।

सभापति महोदय, मैं विद्युत के बारे में कहना चाहता हूं। आज बिजली के संबंध में पूरे देश में जो स्थिति निर्मित हुई है, वह ठीक नहीं है फिर वह चाहे उत्तर प्रदेश हो या महाराष्ट्र। महाराष्ट्र तो जब पहले मैं वहां से आता था, बिजली के मामले में बहुत अच्छा था, लेकिन अब छः-छः और आठ-आठ घंटे लोड शेडिंग होना आम बात हो गई है। बिजली निर्माण के संबंध में यह सरकार कुछ नहीं कर रही है। मेरा कहना है कि जब गैर-पारम्परिक ऊर्जा का एक अलग डिपार्टमेंट बनाया गया है, तो उसी प्रकार से जो 1 मैगावाट से 10 मैगावाट तक की छोटी योजनाएं हैं, उनका एक अलग डिपार्टमेंट क्यों नहीं बनाया जाता है। 15 फीट पानी से बिजली तैयार हो सकती है। यह बात मुझे ही नहीं आप सभी को मालूम है। इस संबंध में कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अगर हम इस देश के सारे पानी को टैप कर के एक मैगावाट से लेकर 10 मैगावाट तक की छोटी-छोटी योजनाएं बनाएं, तो एक-एक मैगावाट से 2, 4 या 10 गांवों को इलैक्ट्रीफाइड किया जा सकता है। उस पद्धति से बिजली पैदा करने के संबंध में कुछ करना चाहते हैं, तो इसके लिए अलग डिपार्टमेंट बनाने की आवश्यकता है। केन्द्र सरकार को इसके लिए फंड्स देने की आवश्यकता है, वह देना चाहिए, नहीं तो इस देश में एक दिन ऐसा आएगा कि सारा देश अंधकार में डूब जाएगा।

अपराह्न 4.12 बजे

[डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय *पीठासीन* हुए]

सभापति महोदय, किसानों पर टैक्स लगाते हैं, उनसे ब्याज लेते हैं। पम्पिंग सैट चलाने वाले किसानों की मांग है कि उन्हें फ्री बिजली दी जाए। महाराष्ट्र में वर्तमान सरकार बनने से पहले कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने वायदा किया था कि यदि उनकी सरकार महाराष्ट्र में सत्ता में आएगी, तो वह किसानों को फ्री देगी, लेकिन अब मुकर रही है। शरद पवार जी भी मुकर रहे हैं। जब आपने वायदा किया है, तो निभाना चाहिए।

महोदय, अब मैं राज्यों की बिजली देने की बात कहना चाहता हूं। राजस्थान को ज्यादा बिजली देने की बात चल रही थी, लेकिन उसे ज्यादा बिजली नहीं दी। मध्य प्रदेश में आपके आदमी राजनीति कर रहे हैं। अब आप मध्य प्रदेश को इलैक्ट्रीसिटी नहीं दे रहे हैं। वहां बिजली नहीं मिलने के कारण किसान आहत हो रहे हैं। जब आप किसी प्रदेश को बिजली नहीं देंगे, तो कैसे काम चलेगा। मैं राजस्थान के बारे में एक पैराग्राफ पढ़कर बताना चाहता हूं-

[अनुवाद]

"जैसा कि 1984 के समझौते में निर्धारित है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के निर्णय और उच्चतम न्यायालय की राय प्राप्त होने तक भारत सरकार को केन्द्रीय उत्पादन केन्द्रों से केन्द्रीय

[प्रो. महादेवराव शिवनकर]

गैर-आबंटित हिस्से से अतिरिक्त विद्युत देने हेतु हरियाणा और राजस्थान द्वारा किए गए अनुरोध पर उचित विचार करना चाहिए, परन्तु राजस्थान की क्षतिपूर्ति करने हेतु अभी तक कुछ भी नहीं किया गया है। राजस्थान के लिए केन्द्रीय आवंटन कोटे को बढ़ाकर 40 प्रतिशत के स्तर तक करने के लिए, जितनी कि 1996 में उसकी भागीदारी की विद्युत मंत्रालय भारत सरकार से कहा जाए।

[हिन्दी]

सभापति महोदय, यह सरकार ऐसा कर रही है। इसे पढ़कर देश की जनता को यह विश्वास हो जाएगा कि यह सरकार जानबूझकर राजनीति कर रही है।

सभापति महोदय, मैं सिंचाई के बारे में कहना चाहता हूं अनुदान की अनुपूरक मांगों में सिंचाई हेतु भी धनराशि की मांग की गई है। आपने अनुदान की अनुपूरक मांगों में कहा है कि 181 परियोजनाओं में से वर्ष 2004-05 के दौरान 37 और 2005-06 के दौरान 46 वृहद और मीडियम परियोजनाओं को पूरा करने हेतु पहचान की गई है। केवल पहचान करने से कुछ नहीं होगा। नदियों को आपस में जोड़ने का काम पिछली सरकार ने शुरू किया था, लेकिन आपने उसे भुला दिया। एन.डी.ए. की गवर्नमेंट ने नदियों को जोड़ने की बात की थी। ऐसा करने से और कुछ नहीं तो कम से कम अधिक प्रमाण में लोगों को पानी मिल सकेगा। आज 181 परियोजनाएं पेंडिंग हैं। मैं महाराष्ट्र से आता हूं। महाराष्ट्र का एक वृहद प्रकल्प है, एक बड़ी परियोजना है जिसका श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1980 में भूमि पूजन किया था, जिनकी भक्त यह सरकार है, लेकिन वह योजना 1996 तक शुरू नहीं हुई। जब महाराष्ट्र में भा.ज.पा. और शिव सेना की सरकार आई, तो उसने उस परियोजना को शुरू किया और 6-7 करोड़ रुपए व्यय किए। उस योजना का काफी काम हुआ, लेकिन उसके बाद नई सरकार आने के बाद, कांग्रेस सरकार ने उस परियोजना को बन्द कर दिया। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि गोसेखुद योजना का प्रकल्प बहुत विस्तृत है। इस योजना के पूर्ण होने से महाराष्ट्र के बहुत बड़े क्षेत्र के किसानों को सिंचाई एवं पीने के लिए पानी मिल सकेगा। मेरा आग्रह है कि केन्द्र सरकार इस परियोजना को अपने हाथ में ले और आपने जो 181 सिंचाई परियोजनाएं आईडेंटीफाई की हैं, उसी प्रकार से इस परियोजना को भी उसमें इनक्लूड करना चाहिए। वह परियोजना 1980 में 300 करोड़ रुपए की थी। वह 1995 में बढ़कर 2100 करोड़ रुपए हो गई और अब 3 हजार करोड़ रुपए की हो गई है।

सभापति जी, मैं टैक्स की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि राज्यों में केन्द्र सरकार की वैट टैक्स योजना का विरोध हो रहा है। पार्लियामेंट के सामने आकर राज्यों के लोगों ने प्रदर्शन किया। यह सरकार राज्यों के मुख्य मंत्रियों की बैठक कर रही है, राज्य के वित्त मंत्रियों से बैठक कर रही है और कह रही है कि वैट के संबंध में जन-समर्थन है, यह बात ठीक नहीं है। इसलिए यह सरकार क्या करने जा रही है, इस संबंध में सरकार जरा अपनी पालिसी स्पष्ट करे अन्यथा वैट के मामले में राज्य सरकारें बदनाम हो रही हैं। इस संबंध में आपको स्पष्ट दिशा-निर्देश देने चाहिए, ऐसी मेरी प्रार्थना है।

देश में 8000 के करीब नैरोगेज रेल लाईन हैं। आपने जब मुझ से पूछा था तो मैंने बताया था कि नागपुर से नागभीड़ नैरोगेज रेल लाईन आज भी है। ट्रांसपोर्ट का अच्छा साधन उपलब्ध हो सकता है।

महोदय, जब एनडीए की सरकार थी, तब रास्ते जोड़ने का कार्यक्रम, प्रधान मंत्री सड़क योजना, सारे देश को चार नेशनल हाई-वे से जोड़ने का कार्यक्रम लिया गया था। आप उस कार्यक्रम को भूल गए, उसमें आप फंड भी नहीं दे रहे हैं। पिछले रेल बजट में जहां के मंत्री थे, उस तरफ ही रेल जाती थी। बंगाल, बिहार की तरफ कई नयी गाड़ियां शुरू हुईं, मगर बाकी जगह उन्हें दिखाई नहीं देती थीं। वित्त मंत्री जी, आप रेल मंत्री जी को अपने पास बैठा कर पूरे देश का एक नक्शा खीचें, कि किस प्रकार से यह होगा और उस संबंध में दिशा-निर्देश दें।

महोदय, टेलीफोन, बीएसएनएल के संबंध में बड़ी धूम-धाम से चर्चा हुई। मेरे पास बीएसएनएल के संबंध में पत्र भेजा। उसमें लिखा है कि 31 दिसम्बर तक नागपुर विभाग के सभी तहसीलों पर बीएसएनएल की सेवा शुरू होगी। अब ये कहते हैं कि दो-चार महीने लगेंगे। मुझे मुंबई की मीटिंग में बताया गया कि कोई पुरानी कम्पनी साफ्टवेयर के लिए चार करोड़ मांग रही है और चार करोड़ रुपए का प्रोविजन नहीं हुआ। अब वह कब लगेगा, इसका पता नहीं है। मुझे लगता है कि रिलायंस कंपनी बड़े पैमाने पर ईंट्रोड्यूस हो रही है और उसके लिए जानबूझ कर हर तहसील में जो बीएसएनएल की सेवा शुरू होने वाली थी, वह नहीं हुई। इसलिए मेरा आग्रह है कि बीएसएनएल सेवा शुरू करें।

महोदय, मैं अपने लोक सभा क्षेत्र के संबंध में कुछ बातें रखना चाहता हूं। कोल की कीमतें बढ़ी हैं। मेरे चिमूर लोक सभा क्षेत्र में, चंद्रपुर जिले में मूरपार कोयला खदान का विस्तार आवश्यक है। मैंने कोल मिनिस्टर को पत्र लिखा, लेकिन उसका जवाब ठीक से नहीं आया। वहां नांद (बेशूर), मिनझरी, भानसुली, मुरपार बंदर खदानों को शुरू करें। वहां पुरानी मशीनरी हैं, आप वहां नयी मशीनरी दें। अगर आप उन्हें शुरू करेंगे तो वह प्रोफिट में होंगी। वहां अच्छा कोयला है। उस क्षेत्र में, चन्द्रपुर, गड़चिड़ौली और

भंडारा में लौह, मैगनीज, क्वास्ट्स आदि खदानें शुरू करने की पहल करें। कोयले की जो रायल्टी सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलती है, वह वहां के किसान, मजदूरों, वहां के गांवों को पानी, पाठशालाओं के लिए कोलमाईन्स उमरेड द्वारा चिमूर क्षेत्र में धनराशि दें, यह मेरी आपसे प्रार्थना है। गोसेखुर्द का प्रकल्प, वृहद योजना, हुमन का प्रकल्प मध्यम योजना, इन्हें आप 181 योजनाओं में डालें। ये सारा ढांचा इसलिए बिगड़ा, क्योंकि एनडीए की सरकार ने उस समय पैट्रोल को एक प्रायाई रूप देने के संबंध में सोचा था, मगर तेल और कुकिंग गैस में किस प्रकार से कंट्रोवर्सी चल रही है। मैं आपको पढ़ कर सुनाता हूं। हाल ही में पेट्रोलियम मंत्री श्री मणिशंकर अय्यर जी ने मिट्टी के तेल तथा कुकिंग गैस पर सब्सिडी समाप्त कर, इनके मूल्य अंतर्राष्ट्रीय बाजार से खनिज तेल खरीद व अन्य खर्चों के लागत मूल्य के आधार पर बढ़ाने की बात कही थी। वित्त मंत्री, श्री पी. चिदम्बरम जी ने भी देश की अर्थव्यवस्था की मध्यावधि समीक्षा में रसोई गैस व मिट्टी के तेल पर सब्सिडी समाप्त करने की बात कही थी, लेकिन 16 दिसम्बर को ही श्री चिदम्बरम जी ने आवश्यक वस्तुओं पर दी जाने वाली सब्सिडी में परिवर्तन करने की खबरों को निराधार बताते हुए कहा कि इस संबंध में अभी कोई फैसला नहीं किया गया। क्या आप अधिवेशन के बाद फैसला करने वाले हैं। आप इस संबंध में अभी कोई फैसला नहीं किया गया। क्या आप अधिवेशन के बाद फैसला करने वाले हैं। आप इस संबंध में क्या करने वाले हैं, आपको सदन को स्पष्ट जवाब देना चाहिए। पैट्रोल के संबंध में आप बात करें। अगर पैट्रोल डीजल का प्रयायी रूप है तो आपको उसे स्वीकार करना चाहिए। मैं आपको पर्यावरण वन मंत्रालय के संबंध में बताना चाहूंगा। आपने इसमें कुछ मांगें की हैं, मगर हम देखते हैं कि रायनो, शेर और बाघ मर रहे हैं। हाथियों की हत्याएं हो रही हैं। आपको नेशनल पार्क्स के बारे में कुछ करना चाहिए। यह एक सुन्दर देश है। हमारा सारा देश अच्छा है, बहुत सुन्दर देश है। यहां नेशनल पार्क्स और फॉरैस्ट्स हैं, लेकिन ये धीरे-धीरे समाप्त हो रहे हैं। इनके संबंध में आपने पिछले बजट में 1000-1500 हजार करोड़ रुपया रखा था, मेरे पास फीगर्स हैं, लेकिन मैं उनमें नहीं जाना चाहता। सप्लीमेंटरी डिमांड्स में भी आपने एक करोड़ कुछ रुपया उसके लिए रखा है।

मेरा उस संबंध में कहना है कि इसके प्रोटैक्शन के संबंध में क्या आप कुछ करने वाले हैं, सारे नेशनल पार्क्स के संबंध में आप कुछ करने वाले हैं? आप कुछ करें, इस संबंध में आपका आह्वान करते हुए, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री तथागत सत्पथी (ढेकानाल): महोदय, आज हम इस सम्माननीय सभा में वर्ष 2004-05 के अनुपूरक बजट पर चर्चा कर रहे हैं। आज हमारे पास देश में एक सक्षम वित्त मंत्री है। उन्हें अनेक क्षेत्रों में प्रथम होने का श्रेय हासिल है।

इसके पहले जब वह वित्त मंत्री थे तब वह आर्थिक क्षेत्र में कुछ अच्छे काम करने में सफल रहे थे। प्रत्येक व्यक्ति ने उम्मीद की थी कि वह उन अच्छे कामों को अपने इस कार्यकाल के दौरान भी दोहराएंगे। हम अभी भी उनसे कुछ चमत्कार की उम्मीद लगाए बैठे हैं। हालांकि पिछले 6 या 7 महीनों में हमें उनके उज्जवल विचारों व अनुभवों का लाभ नहीं मिल पाया है।

महोदय, मैं सर्वप्रथम अपने राज्य उड़ीसा पर ध्यान केन्द्रित करना चाहता हूं जिसे हमेशा एक गरीब राज्य माना जाता रहा है। परन्तु जैसा कि आपको पता है, पूर्व के सभी राज्य यथा उड़ीसा, बिहार, पश्चिम बंगाल व असम गरीब राज्य नहीं है। वस्तुतः यदि आप उनके प्राकृतिक संसाधनों तथा इन राज्यों से होकर बहने वाले ताजा पानी की मात्रा को ध्यान में रखें तो ये राज्य काफी धनी हैं। यदि आप मानव संसाधन पहलू पर को ध्यान में रखें तो हमें यह जानकर प्रसन्नता होगी कि ये राज्य बहुत विकसित राज्य हैं। परन्तु विगत समय में देश के पूर्वी भाग विशेषकर उड़ीसा जैसे राज्यों के साथ काफी कुछ गलत हुआ है। हम सभी को 'भाड़ा समकरण' के बारे में पता है। जहां तक भाड़ा समकरण का प्रश्न है, जैसा कि आपको पता भी है चाहे वह कोयला अथवा इस्पात अथवा लौह अयस्क अथवा एल्युमिनियम अथवा मैगनीज या अन्य कुछ भी हो, जब इनका उड़ीसा अथवा बिहार में उत्पादन अथवा खनन करके पोत द्वारा भुम्बई, लुधियाना या सेलम ले जाया जाता है तो वहां भी इनकी कीमत उत्पादन शीर्ष के बराबर ही होती है, इसका परिणाम यह है कि देश के पूर्वी भाग में उड़ीसा जैसे राज्यों की हमेशा आर्थिक सहायता करनी पड़ती है जबकि ये वही राज्य हैं जिन्होंने इस देश का ईंट दर ईंट निर्माण किया है। परन्तु इसके बदले में हम क्या देखते हैं कि सभी उत्तरोत्तर केन्द्र सरकारों ने राजग सरकार को छोड़कर देश के पूर्वी भाग को हमेशा ही नजरअंदाज किया है। वर्तमान सरकार ने भी इस संबंध में कुछ बेहतर नहीं किया है।

उड़ीसा जैसे राज्य को सिर्फ धन की ही जरूरत नहीं है। जहां तक धन का प्रश्न है, हमें अपना उचित हक मिलना चाहिए। उदाहरण के लिए, उन्होंने कोयले की रायल्टी की समीक्षा नहीं की है, उन्होंने हमारी सिंचाई परियोजनाओं पर ध्यान नहीं दिया है। उन्होंने हमारी सिंचाई परियोजनाओं, हमारी अवसंरचनात्मक परियोजनाओं का पर्याप्त रूप से वित्तपोषण नहीं किया है। इस प्रकार उत्तरोत्तर केन्द्रीय सरकारें उड़ीसा जैसे राज्यों से धन बाहर ले गयी हैं तथा दूसरी ओर उन्होंने हमें पूरी तरह नजरअंदाज किया है जैसे हमें इस राष्ट्र का सक्रिय हिस्सा बनने का कोई अधिकार ही नहीं हो।

[श्री तथागत सत्पथी]

सभी परवर्ती योजनाओं में किए गए वित्तपोषण के मद्देनजर, पूर्वी भारत में अवसंरचनात्मक विकास सतत कम होता गया है। यह तथ्य पिछले बजट में परिलक्षित होता है, इस योजना से परिलक्षित है तथा अब हमें यह देखना है कि अगली योजना हमारे लिए क्या शकुन लाती है।

जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं, असम और पूर्वोत्तर के कुछ भागों को छोड़कर झारखण्ड, बिहार, बंगाल और उड़ीसा सभी के पास काफी जल संसाधन है। वे खनिज के मामले में धनी है और परन्तु वहां मानव संसाधन का अभी भी दोहन किया जाना बाकी है। मैं यह बात इसलिए दोहरा रहा हूं कि इन पहलुओं पर ध्यान दिया जाए ताकि केन्द्र में सत्ता हासिल करने वाला दल दिमाग में इस बात का ख्याल अवश्य रखे कि जब तक इस राष्ट्र में अपेक्षित समानता नहीं बरती जाती है तब तक कोई विकास प्रामाणिक अथवा स्थायी नहीं होगा।

उदाहरण के लिए, हम उड़ीसा में बैंक जमाओं का अवोलकन करें। अकेले भारतीय स्टेट बैंक ने वर्ष 2002-03 के जमाओं के रूप में 4,000 करोड़ रुपए एकत्र किए हैं। सरकारी जमा, व्यक्तिगत जमाओं और सभी प्रकार की जमाओं को मिलाकर 4,000 करोड़ रुपए एकत्र हुए हैं जिसमें से राज्य में मात्र 16 प्रतिशत का ही पुनर्निवेश हुआ है। यह दर्शाता है कि उड़ीसा जैसे राज्यों में बैंक कृषि परियोजनाओं के लिए पुनर्वित्त प्रबंध करना नहीं चाहते है तथा वे वहां स्थित लघु एवं मध्यम उद्योगों को वित्त प्रदान करना नहीं चाहते हैं। इस प्रकार से धन उड़ीसा, बिहार अथवा बंगाल से एकत्र किया जाता है परन्तु इसका निवेश कहीं और स्थान पर किया जाता है। इस प्रकार हमारे लोगों को और भी गरीब बनाया जा रहा है। इसलिए, यह उपयुक्त समय है जब हम देखें कि हम अपने देश को कहां ले जा रहे हैं। हम एक ऐसे राज्य के निवासी है जहां पिछड़ेपन और अल्प विकास की परिणति घोर नक्सलवाद में हुई है। महोदय, जैसा कि आपको पता है, नक्सलवाद अथवा नक्सलवादी गतिविधियां अत्यंत गरीबी की स्थिति में फलती-फूलती है। जब लोग गरीब होते हैं, जब गांव गरीब होते हैं, जब आम आदमी दो जून की रोटी के लिए तरसता है तब वह विक्षुब्ध और भूखा होता है तथा उस समय वह उस प्रत्येक व्यक्ति के विरुद्ध हथियार उठाने को तैयार होता है जो उसकी नजर में व्यवस्था से थोड़ा भी जुड़ा हुआ होता है। इसलिए जब हम बन्दूक और पुलिस के माध्यम से नक्सलवाद के साथ लड़ने की बात सोचते है तो हम इस तथ्य को बिल्कुल अवगत नहीं होते हैं कि समस्या नक्सलवादियों की बन्दूकों के साथ नहीं जुड़ी हुई है। बल्कि समस्या तो गरीबी, अशिक्षा, आंशिक शिक्षा व वंचित होने से जुड़ी है। यदि हम इन बातों को दूर कर देते हैं तो हमें नक्सलवाद से लड़ने के लिए बुलेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम उनके आधार को मिटा सकते हैं तथा एक ऐसी परिस्थिति का निर्माण कर सकते हैं जिसमें ऐसे तत्वों का अस्तित्व बने रहना मुश्किल होगा।

महोदय, मेरे पास एक सुझाव है। मान लीजिए कि संघ सरकार का विचार रांची से विजयवाड़ा को चार लेन वाले एक राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ना है। यह राजमार्ग अनेक धार्मिक स्थानों, खनिज भण्डारों और नक्सलवाद के केन्द्र बिंदु से होकर गुजरेगा। जब वे एक रेड कारीडोर बनाने की योजना बना रहे हैं तो यदि भारत सरकार एक समुचित राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने की योजना बनाए तब जाकर हम उनको उन्हीं के चाल में मात दे सकते हैं।

हम लोगों को आपके तथाकथित उदारवाद खुली अर्थव्यवस्था के माध्यम से पूर्वी भारत में निर्धनतम लोगों के लिए समाज तक पहुंचा सकते हैं तथा बनायी जाने वाली सड़कों, विकास, शिक्षा और कार्य के माध्यम से इन क्षेत्रों में धन लगाया जा सकता है। परन्तु दुर्भाग्यवश, में देखता हूं कि हमने परवर्ती बजटों और योजनाओं में जानबूझ कर अपनी आंखें इस ओर से बंद रखी हैं। हम इस देश की कतिपय बुनियादी जरूरतों को पूरा करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं जिनके लिए हम अपनी ऊर्जा व स्रोतों का उपयोग इस प्रकार से कर रहे हैं कि हमें लोगों की आशाओं के अनुरूप फल प्राप्त नहीं हो रहे हैं। यही वजह है कि हममें से अधिकांश लोग जब चुनाव में जाते है, जब आप अपने निर्वाचन क्षेत्र में जाते हैं तो लोग हमेशा असंतुष्ट ही दिखाई देते हैं। वे हम सभी से पूछते हैं कि सरकार क्या कर रही है तथा हम उत्तर देते हैं कि सरकार असमर्थ व अनुपयुक्त है। इस प्रकार, हम सच से बचने की कोशिश करते हैं।

प्रत्येक व्यक्ति अपनी रोटी पर अच्छा खासा मक्खन लगाना चाहता है। यहां भारतीय बजट अपने खर्च के मामले में सफल रहा। इसका लाभ सभी क्षेत्रों को मिला।

हमने थाईलैंड और ओमान जैसे छोटे देशों को, स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी ढांचे जैसी विशेष परियोजनाओं पर दो वर्ष की अवधि अथवा तीन वर्ष की अवधि तक ध्यान केन्द्रित करते देखा। बुनियादी ढांचे का अर्थ है सड़कें और पत्तन। ऐसा करके उन क्षेत्रों में उन्होंने प्रभुत्व प्राप्त कर लिया, जिनपर उन्होंने ध्यान केन्द्रित किया था।

सभापति महोदय: कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री तथागत सत्पथी: मैं अपनी बात शीघ्र समाप्त करने जा रहा हूं। मुझसे पहले कुछ वक्ताओं ने इसका जिक्र किया। मैं यहां दोहराना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना जैसी परियोजना, राष्ट्रीय राजमार्गों को चार लेनों तथा छह लेनों का बनाना किसी राजनीतिक दल की कार्यसूची नहीं था। यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे पूर्व प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी अपनी जेब में रखकर, घर ले गए। यह ऐसी सम्पदा थी जो राष्ट्र के लिए तैयार की जा रही थी। उनका एक

दर्शन था। परन्तु यदि सरकार बदल जाए तो हमें उस दर्शन को नष्ट नहीं करना चाहिए। हमें अच्छी बातों पर अपना ध्यान केन्द्रित करना चाहिए इस बात का कोई अर्थ नहीं कि किस पार्टी ने इसे आरंभ किया, इसके पीछे क्या राजनीतिक उद्देश्य था। अच्छी चीज हमेशा अच्छी ही होती है।

जैसा कि हमने इस बजट में देखा कि इन परियोजनाओं विशेषकर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की अनदेखी की गई है। उड़ीसा के मेरे निर्वाचन क्षेत्र ढेंकानाल में मैंने दूर दराज के गांवों में पक्की सड़कें देखी हैं, जिनकी तुलना मुंबई की पक्की सड़कों से की जा सकती है। उनकी ऐसी गुणवत्ता है, परन्तु परियोजना पूरी तरह रूक चुकी है। अब कोई कार्य नहीं किया जा रहा।

अंत में, मैं सरकार से उसके दर्शन के दायरे को बढ़ा कर, दलगत राजनीति से उपर उठकर सोचने तथा इस देश को सही रास्ते पर चलाने का अनुरोध करता हूं।

श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी (नालगौंडा): सभापति महोदय, यह अवसर देने के लिए आपका धन्यवाद। लगभग छह माह पहले इस सभा में एक अच्छा बजट पास किया तो इस सरकार ने लोगों और देश से किए गए कतिपय वायदे निश्चित रूप से पूरा कर दिए हैं। परन्तु अभी बहुत से वायदों को पूरा किया जाना शेष है।

मैं यह याद दिलाना चाहता हूं कि मूल्य वृद्धि महत्वपूर्ण मुद्दों में से एक है और देशवासी इसके बारे में बहुत चिंतित है। दुर्भाग्य से, जबकि खाद्यान्न और आवश्यक वस्तुओं के मूल्य बढ़ते जा रहे हैं परन्तु किसानों को उनके द्वारा पैदा किए जा रहे अधिकतर उत्पादों के लाभकारी मूल्य का भुगतान नहीं किया जा रहा। हमने इस सभा में लाभकारी मूल्य तथा अन्य बातों के बारे में चर्चा की थी। दुर्भाग्य से किसानों की आत्महत्याएं अब भी जारी हैं।

माननीय वित्त मंत्री तथा उनके निर्देश पर भारतीय रिजर्व बैंक ने राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा निजी बैंकों से उदार होकर कृषि क्षेत्र को और ऋण देने को कहा था। मुझे याद है कि माननीय वित्त मंत्री महोदय ने यहां तक कहा था कि वह किसानों की गारंटी लेते हैं तथा उन्हें अन्य गांरटियों के लिए वही कहना चाहिए। मंजूर किए गए ऋणों की राशि में निश्चित रूप से वृद्धि हुई है, परन्तु यह भी काफी नहीं है। अन्यथा, आत्महत्याएं काफी पहले बंद हो जाती। इन बैंकों द्वारा किसानों को जो ऋण दिए गए हैं, उनमें से अधिकतर ऋण, केवल पुस्तिका समायोजन है, मानो पुराने ऋण वापस कर दिए गए हैं तथा नए ऋण दिए गए हैं। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। वित्त मंत्रालय को हस्तक्षेप कर यह पता लगाना चाहिए कि विभिन्न स्थानों पर किसानों को कितने नए ऋण दिए गए हैं।

देश के विभिन्न भागों में अकाल और सूखे से कृषि श्रमिक ही सबसे अधिकत प्रभावित हुए हैं। हमें आशा थी कि विभिन्न राज्यों में सूखे से उत्पन्न स्थिति के कारण भारत सरकार साहसपूर्ण कदम उठाकर, किसानों के 20,000 रु. से 25,000 रु. तक से ऋणों को पूरी तरह माफ कर देगी। बड़े उद्योगपतियों के लिए एक मुश्त निपटान की व्यवस्था है परन्तु उन किसानों के लिए ऋण को बट्टे घाटे डालने की ऐसी कोई संभावना नहीं है, जोकि पूरे देश के लिए खाद्यान्न का उत्पादन कर रहे हैं। दूसरी ओर श्रम बाजार में भी सुधार का कोई संकेत नहीं है। यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है।

इस देश के सरकारी क्षेत्र के बंद पड़े उद्योगों को फिर खोलने के बारे में अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। यह बहुत ही गंभीर मुद्दा है। मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री महोदय को यह याद दिलाना चाहता हूं कि न्यूनतम साझा कार्यक्रम में किए गए वायदों को जल्द से जल्द पूरा किया जाना है। हालांकि इस सरकार द्वारा कुछ सकारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं परन्तु मुझे यह कहते हुए खेद है कि पिछली एन डी ए सरकार ने विभिन्न नीतियों पर कोई सीमांकन नहीं किया है। जो महत्वपूर्ण परिवर्तनों में से एक सरकारी क्षेत्र को दिए गए वचन का प्रश्न है। मैं यह नहीं कहूंगा कि केवल कामगारों को मजदूरी देने के लिए पूरी तरह घाटे में चलने वाले सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को पुन: खोल दिया जाए परन्तु ऐसी संभावना है कि बहुत से उद्योगों का आधुनिकीकरण कर उन्हें खोला जा सकता है और बड़ी संख्या में उन कामगारों को रोजगार के अवसर मिलेंगे जोकि एन डी ए सरकार की गलत नीतियों के कारण बेरोजगार हो गए थे, वह सरकार सरकारी क्षेत्र के विरुद्ध थी तथा जिसने पिछले कई वर्षों से सरकारी क्षेत्र को अपना शिकार बना रखा था।

अन्य मुद्दा विनिवेश के प्रश्न का है। इस समय विनिवेश आवश्यक नहीं है जबकि कई उद्योग लाभ कमा रहे हैं। तेल उद्योग के विनिवेश का निर्णय पिछली सरकार द्वारा लिया गया था। मुझे समझ नहीं आता कि वर्तमान सरकार इस निर्णय को क्यों क्रियान्वित कर रही है। समाचार पत्रों में वे आरोप लगाए गए हैं कि ओ एन जी सी में विनिवेश के बाद दस प्रतिशत शेयर रिलायन्स समूह से संबंधित दो अज्ञात कंपनियों को आवंटित किए गए। मैं नहीं जानता कि यह किस सीमा तक सच है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा वित्त मंत्रालय को इसे स्पष्ट करना है। यदि लाभ हो रहा है तो विनिवेश की क्या आवश्यकता है? यह नीति का प्रश्न है और विचारधारा का प्रश्न है। सरकारी क्षेत्र को और मजबूत किया जाना चाहिए।

मैं माननीय वित्त मंत्री महोदय को कतिपय अन्य बातें भी याद दिलाना चाहता हूं। अनुपूरक बजट ने कई विभागों के लिए प्रस्ताव दिए हैं। इसी प्रकार डाक विभाग के लिए भी एक अनुपूरक बजट

[श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी]

है। मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि डाक विभाग में लगभग छह लाख कामगार है तथा तीन लाख कर्मचारी है, पिछले कई दशकों से लगभग 300,000 कामगार विभागेत्तर कर्मचारियों के रूप में कार्य कर रहे हैं। सरकार को इस देश में एक आदर्श नियोक्ता माना जाता है परन्तु दुर्भाग्य से सरकार वह भूमिका नहीं निभा रही। वह उचित सुविधाएं प्रदान करने तथा इन विभागेत्तर कर्मचारियों को नियमित करने से इंकार कर रही है। डाक विभाग में पचास प्रतिशत कामगार विभागेत्तर कर्मचारी हैं, जोकि गंभीर चिंता का विषय है।

रोजगार गारंटी योजना, जिसे यहां आरंभ किया जाना था, वह 150 जिलों तक सीमित है। हम इसका स्वागत करते हैं। यह बहुत अच्छा कदम है। इससे सहायता मिलेगी। परन्तु इसका ऐसे और जिलों में विस्तार किया जाना चाहिए, जहां इस प्रकार की गतिविधि की आवश्यकता है, निकट भविष्य में कम से कम 300 जिलों में इसका विस्तार किया जा सकता है।

मैं आपके माध्यम से सरकार को याद दिलाना चाहूंगा कि सरकार और कर्मचारियों के बीच मध्यस्थता के कई मुद्दों, जैसा कि मैंने आदर्श नियोक्ता के प्रश्न पर पहले ही कहा है, सरकार बहुत ही नकारात्मक रवैया अपना रही है। जब सरकारी कर्मचारियों तथा सरकार के बीच कोई विवाद होता है तथा जब बातचीत विफल हो जाती है तो मामला मध्यस्थ के पास जाता है तथा जब मध्यस्थ निर्णय ले लेता है तो सरकार द्वारा कई वर्षों तक उसे लागू नहीं किया जाता। इसे स्थगित रखा गया है तथा अंत में संसद में संकल्प के लिए प्रस्ताव आ रहे हैं, जिनमें मध्यस्थ के निर्णयों को नामंजूर कर दिया गया है। यदि सरकार स्वयं इस प्रकार मध्यस्थ के निर्णयों को नामंजूर करेगी तो इस देश में कामगारों की रक्षा कौन करेगा और मध्यस्थता ऐसी चीज है, जिसे सरकार भी स्वीकार करती है। मध्यस्थता के इन निर्णयों को लागू करने के लिए नियोक्ता और कर्मचारी, दोनों को सहमत होना चाहिए।

महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री को एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात याद दिलाना चाहता हूं। इस अनुपूरक बजट में तेलंगाना के स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन के लिए कोई भी विशेष आबंटन या पृथक आबंटन नहीं किया गया है। तेलंगाना में 13,000 स्वतंत्रता सेनानी है पिछली सरकार में कई वर्षों तक इन स्वतंत्रता सेनानियों के साथ लगातार भेदभाव किया है। पिछली संयुक्त मोर्चा सरकार के शासन के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा हैदसबाद के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए एक विशेष छानबीन समिति गठित की गई थी और इस समिति के सभी सदस्य प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने 13,000 नामों की सिफारिशें की थी। लगभग 18 नए शिविरों को स्वीकृति दी जानी है। वे पिछले कई वर्षों से स्वतंत्रता सैनिक सम्मान का अनुरोध कर रहे हैं। दुर्भाग्य से कुछ राजनीतिक दलों के साथ भेदभाव किया जाता है? तेलंगाना और पोन्नपुरावयलार सशस्त्र संघर्ष को स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा नहीं माना गया है। स्वतंत्रता के 50 वर्ष बाद उन्होंने आवेदन किया। इसके बाद छानबीन समिति ने उनके नामों को मंजूरी दी थी, लेकिन अनेक वर्षों से उनके नाम अस्वीकृत किए जा रहे हैं या प्रास्थगित रखे जा रहे हैं।

प्रत्येक दिन हम वृद्ध लोगों की मौत का समाचार सुनते हैं। उन्हें कम से कम केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना का कार्ड दिया जाए। यदि सरकार द्वारा उन्हें स्वतंत्रता सैनिक सम्मान के लिए चुने जाने का सम्मान दिया जा रहा है तो यह संभव है कि वह कुछ और महीने या एक या दो वर्ष ज्यादा जी सकते हैं। इसलिए मैं माननीय वित्त मंत्री से यह अनुरोध करता हूं कि वह इस मुद्दे पर गंभीरतापूर्वक विचार करें।

तेलंगाना के लाखों लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। सामंतवादी निजाम से स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए लगभग 4500 लोगों ने अपने प्राणों की आहूति दी थी। लेकिन यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि उन्हें चीजें नहीं दी जा रही है।

अंत में, मैं माननीय वित्त मंत्री को कुछ सुझाव देना चाहता हूं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और मजबूत किया जाए ताकि इस देश के गरीब लोगों की उचित मदद की जा सके। मैं सरकार से अपील करता हूं कि वह सरकारी क्षेत्र के अर्थक्षम उपक्रमों को पुन: चालू करे। रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने 300 करोड़ रुपए की मांग की है जिसमें से एक्सचेंज लास के लिए 299 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। लेकिन जहां तक मुझे पता है आईडीपीएल को पुन: चालू करने के लिए कोई धनराशि जारी नहीं की गई है। आई डी पी एल; रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अधीन हैं। यह सरकारी उपक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त, एच सी एल और सी सी आई के घाटे में भी कुछ नहीं कहा गया है। सरकारी क्षेत्र के इन उपक्रमों को पुन: चालू किया जा सकता है। लेकिन यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि इन पर विचार नहीं किया गया है।

महोदय, कृषि मजदूरों को उदार शर्तों पर ऋण दिया जाना चाहिए। उद्योगपतियों के डूबे ऋण को बट्टे खाते में डाला जा रहा है। यह डूबा हुआ ऋण नहीं है ऐसा देश में असामान्य स्थिति के कारण है। इसलिए सरकार को साहसी निर्णय लेना चाहिए।

सभापति महोदय: श्री वरकला राधाकृष्णन-उपस्थित नहीं है।

अब श्री जसुभाई दानाभाई बोलेंगे।

[हिन्दी]

श्री जसुभाई दानाभाई बारड़ (जूनागढ़): सभापति जी, माननीय चिदम्बरम जी जो सप्लीमेंटरी बजट लेकर आये हैं, उसका मैं समर्थन करता हूं। सरकार की जिम्मेदारी होती है कि देश के लोगों को रोजी-रोटी मिले, उनको विकास का अवसर मिले और अगर उसके जीवन में कठिनाइयां आएं तो उन कठिनाइयों को पार पाने में उसको सहारा मिले। इसके साथ-साथ देश का विकास सही तरीके से हो और दुनिया में उसकी साख अच्छी हो, यह देखना सरकार का कर्त्तव्य होता है।

सरकार की तिजौरी में अगर 100 पैसे आते हैं तो उसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग, विकास के लिए, देश की आबादी की सुविधा के लिए, उनके विकास को बढ़ावा देने के लिए, सरकार खर्च कर सकती है या उत्पादन और सेवा के और सैक्टर खोलने में खर्च कर सकती है, यह देखना सरकार के लिए अत्यन्त आवश्यक होता है। यूपीए की सरकार जब से बनी है तब से माननीय वित्त मंत्री जी की लगातार कोशिश रही है कि अर्थव्यवस्था ठीक दिशा में चले।

यूपीए की सरकार को सप्लीमेंटरी बजट लेकर आई है, उनका जो प्रोग्राम है और जो लोगों को उन्होंने विश्वास दिलाया है, हिंदुस्तान की जनता को और पूरे देश की अर्थव्यवस्था को जो विश्वास दिलाया है, हमें यकीन है कि वे उसका पूरा पालन करेंगे। काम के बदले अनाज, सर्व-शिक्षा, सड़क योजना, इंदिरा आवास योजना, विभिन्न रास्तों के प्रोजैक्ट्स संपूर्ण ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम आदि अनेकों प्रोग्राम हैं जिनके द्वारा लोगों को उन्होंने विश्वास दिलाया है, उसके बारे में यह सप्लीमेंटरी बजट लेकर आई है और मैं उसका समर्थन करता हूं। दो-चार बातें ऐसी हैं जिन पर पूरा देश विश्वास करता है। देश के किसी भी राज्य को जो गरीब है, ऊपर उठाने की जरूरत होती है। पूरे देश की जानकारी मेरे पास नहीं है। मैं गुजरात से आता हूं और वहां के बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां बहुत से लोग अपना निर्वाह खेती-बाड़ी से करते हैं। झुम खेती से वहां विकास हुआ था लेकिन आज वहां बारिश नहीं हुई और समुद्री बैल्ट के ऊपर किसान अपनी फसल नहीं बो सकता है। उसको न तो आसमान से पानी मिल रहा है और न ही भू-जल मिल रहा है। ऐसी स्थिति में, मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि आज वहां रोजी-रोटी की समस्या विकराल रूप से मुंह-बाए खड़ी है, वहां पर गंभीरता से कुछ किया जाए, जिससे किसान का विकास हो और वह अपनी फसल से कुछ प्राप्त कर सके। वहां पर किसान के अथक प्रयास से जो थोड़ी बहुत फसल हुई है उसका किसान को उचित दाम मिलना चाहिए।

हमारे सौराष्ट्र के इलाके में मुंगफली बहुत ज्यादा मात्र में होती है और उसका एक्सपोर्ट भी हो रहा है और पूरा गुजरात कितने ही सालों में मुंगफली का एक्सपोर्ट जोन बनाने के लिए मांग कर रहा है।

जो किसान अपनी मेहनत से मूंगफली पैदा कर रहे हैं, वे उसका एक्सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। उन्हें जो आमदनी होनी चाहिए और फसल के जो भाव मिलने चाहिए, वे नहीं मिलते हैं। दूसरी एजेंसियों की वजह से और एक्सपोर्ट जोन न होने की वजह से उन्हें घाटा हो रहा है। यदि एक्सपोर्ट जोन के माध्यम से एक्सपोर्ट किया जाए तो सरकार की आमदनी ज्यादा हो सकती है।

हम रेवेन्यू लैंड में खेती-बाड़ी कर रहे हैं। किसान वहां फसल बो रहे हैं। समुद्र तट में जाकर फिशरमैन काम कर रहे है। हम उसे रोजी-रोटी ऐसे दे नहीं सकते हैं लेकिन उसके लिए अवसर आज भी हैं। वहां थोड़े छोटे-छोटे गांव और कस्बें हैं। यदि डैक के ऊपर जेटी लगायी जाए तो छोटे-छोटे मछुआरों को बड़े मछुआरों या बोटों से जो परेशानी होती है, उससे बचाया जा सकेगा। आज छोटे-छोटे मछुआरों के सामने रोजी-रोटी का सवाल खड़ा है। मैं उसकी तरफ सरकार का ध्यान खींचना चाहता हूं।

चीनी मिलों के साथ बहुत सारे किसान, मजदूर और ट्रांसपोर्टर अपनी रोजी-रोटी कमा रहे हैं। वे उनके साथ जुड़े हैं। सस्ते रेट पर ऋण न मिलने की वजह से कई जगह चीनी मिलें चल नहीं पाईं। बारिश न होने की वजह से फसल नहीं हुई और उनके पास पैसा भी नहीं था। किसानों को उसकी उपज का पैसा देना अभी भी बाकी है। उनको बाहर से 16-17 और 18 परसैंट के हिसाब से ऋण मिलता है। मैं वित्त मंत्री जी से यह गुजारिश करने वाला हूं कि कोई चीनी मिल सूखा पड़ने की वजह से चल नहीं पायी तो आप उन्हें चलाने के लिए सस्ती ब्याज दर पर ऋण दें। वैसे उन मिलों को चलाने के लिए सारे किसान कमर कस कर उनके साथ जुड़े हैं। यदि वह एक क्विंटल चीनी गोडाउन में डालते हैं तो उन्हें 17 परसैंट की दर से ऋण मिलता है। एनसीडीसी और एसडीएफ से एक-दो साल के लिए 6 परसैंट के हिसाब से ऋण मिल जाए तो बहुत सारे लोगों की रोजी-रोटी आबाद हो सकती है।

हमारे यहां बागवानी बहुत होती है। मैं खेड़ूपुत्र के हिसाब से यह बात यह सकता हूं कि बहुत सी चीजों का एक्सपोर्ट हो सकता है। यदि किसान अपनी फसल का रूपांतर करते हैं तो उनकी आदमनी थोड़ी ज्यादा हो सकती है। यदि किसान अपनी फसल का रूपांतर करते हैं तो उनकी आमदनी थोड़ी ज्यादा हो सकती है। बागवानी क्षेत्रों में रूपांतर के यूनिट्स लगाए जाएं और पूरे तरीके से एक्सपोर्ट यूनिट्स लगे। हमारा क्षेत्र अभी मुश्किल में

[श्री जसुभाई दानाभाई बारड़]

है। सप्लीमैंटरी डिमांड्स में एड्स और टीबी अस्पताल खोलने का जिक्र है। सी बैल्ट में अच्छा और मीठा पानी न होने की वजह से पथरी की बीमारी हो जाती है। इसके बहुत सारे लोग शिकार हुए हैं। उन लोगों को इलाज के लिए करीब 500 किलोमीटर दूर अहमदाबाद, वड़ोदरा और नाडियाड़ जाना पड़ता है। आप जैसे एड्स और टीबी के इलाज के लिए अस्पताल खोलने जा रहे हैं वैसे ही इस बीमारी के इलाज के लिए वहां अस्पताल खोले जाएं। हमारे यहां गरीब लोग हैं। उन्हें इलाज कराने पर 8 से 10 हजार रुपए खर्च करने पड़ते हैं। आम आदमी और गरीब लोग उसे दे नहीं पाते हैं। वहां के सिविल अस्पताल में इस बीमारी का इलाज कराने के लिए यंत्र लगाए जाएं। उन्हें वहां सारी सुविधाएं प्राप्त हों। सैंट्रल गवर्नमेंट उस काम के लिए यहां से पैसा खर्च करे।

अब मैं एक ऐसी अहम बात सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं कि जो मेरे क्षेत्र से जुड़ी है लेकिन ग्रामीण विकास मंत्रालय से जुड़ी है। ग्रामीण विकास के लिए केन्द्र सरकार की ओर से जो पैसा राज्य सरकारों को जिलों यूनिटों में खर्च करने के लिए भेजा जाता है, देखने में आया है कि राज्य सरकारें इस पैसे को दूसरी जगह खर्च कर देती हैं। सरकार की जो नीतियां हैं, जो कार्यक्रम हैं तथा जो कार्यक्रम वहां पहले से चल रहे हैं, उन कार्यक्रमों के तहत, जैसे जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट में वृद्धों को पेंशन देने का प्रोग्राम है, इस योजना में अगर किसी के घर में कमाने वाला व्यक्ति मर जाए तो उसके कुटुम्ब को सरकार की तरफ से सहायता दी जाती है। इसमें शिक्षण का भी कार्यक्रम है। इन सब कार्यक्रमों के अंतर्गत पिछले तीन सालों से यदि वहां पैसा भेजा गया है तो वहां पैसा नहीं पहुंचा है। तीन सालों में पूरा स्पिल ओवर हुआ है। इस तरह से आज भी वह पेमेन्ट करना बाकी है। ...*(व्यवधान)* गुजरात सरकार को एक भी पैसा नहीं मिला है। यह पैसा कहां गया? मेरी सरकार से गुजारिश है कि ग्रामीण विकास के जो कार्यक्रम चल रहे हैं, इसमें जो स्पिल ओवर है, जो पेमेन्ट अभी करना बाकी है, उस पैसे को यहां से जल्दी से जल्दी राज्य सरकार की यूनिटों को भेजा जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उदयपुर): सभापति महोदय, मैं आपकी आभारी हूं कि आपने इस अवसर पर मुझे बोलने का मौका दिया। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की ओर आकर्षित करना चाहती हूं। पूर्व में एन.डी.ए. सरकार के वित्त मंत्री द्वारा वर्ष 2004 में जो अंतरिम बजट सदन में रखा गया था, उस बजट में जनता के ज्यादा से ज्यादा उपयोग में आने वाली वस्तुओं के बारे में घोषणा की गई थी। लेकिन जब यू.पी.ए. की सरकार बनी और इस सरकार ने जब जनरल बजट जुलाई माह में सदन में पेश किया तो उस समय वित्त मंत्री जी द्वारा कहा गया था कि जो पिछली सरकार का अंतरिम बजट था, उस बजट को ज्यादा से ज्यादा तवज्जो दी गई है और उसी के अनुरूप यह बजट बनाया गया है। लेकिन उनकी कथनी और करनी में भारी अंतर दिखाई देता है। यह अंतर किस तरह से दिखाई देता है, उन बिंदुओं की तरफ मैं सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूं।

सभापति महोदय, इस बजट में राजस्थान के साथ सौतेला व्यवहार किया गया है। मैं राजस्थान से चुनकर आई हूं, इसलिए मैं वहां की अच्छी जानकारी रखती हूं। राजस्थान के साथ यू.पी.ए. की सरकार द्वारा किस तरह से सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, इस ओर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो सबसे बड़ा क्षेत्र राजस्थान का है। पूरे देश की भूमि का दस प्रतिशत हिस्सा राजस्थान का है। पूरे देश की जनसंख्या का पांच प्रतिशत राजस्थान में रहता है। लेकिन अगर पानी की उपलब्धता देखी जाए तो यह मात्र एक प्रतिशत है। सब लोग इस बात से अच्छी तरह से वाकिफ हैं कि हम पिछले पांच सालों से राजस्थान में भीषण अकाल का सामना कर रहे हैं। वहां जिस तरह की वर्षा होनी चाहिए थी, उसमें हमारे सम्भागीय मुख्यालय जोधपुर, उदयपुर और राजस्थान में बहुत कम बरसात हुई है। वहां औसत से पचास परसेन्ट कम बरसात हुई है। इसके कारण वहां पानी का भीषण अभाव है। इस अभाव को देखते हुए राजस्थान सरकार ने कुछ प्रोजैक्ट्स केन्द्र सरकार के पास मंजूरी के लिए भेजी हैं, जो अभी तक पैंडिंग पड़ी हैं। राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार से आग्रह किया है कि इन प्रोजैक्ट्स को जल्दी से जल्दी स्वीकृत किया जाए तथा इस साल जो पैसा आबंटित था, उस पैसे को यहां से रिलीज किया जाए, लेकिन यह दुर्भाग्य है कि यह पैसा आज तक हमें नहीं मिला है। इंदिरा गांधी नहर योजना, नर्मदा योजना आदि ऐसी योजनाएं हैं जो केवल राजस्थान ही नहीं बल्कि देश भर के लिए बहुत महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं। इन योजनाओं के लिए पूर्व में एन.डी.ए. की सरकार ने पैसा भी स्वीकृत किया था और यह कहा गया था कि चार साल में यह योजना बन जायेगी।

अपराह्न 5.00 बजे

लेकिन यूपीए सरकार ने जो बजट पेश किया, उस बजट में अंदर इन योजनाओं के लिए जो स्वीकृत राशि थी, उसके बारे में कहीं कोई प्रकाश नहीं डाला। मुझे इस बात को कहते हुए बड़ा दुख है कि जहां एक तरफ हम अकाल से जूझ रहे हैं, पीने का पानी नहीं है, वहीं दूसरी ओर पानी की योजनाओं के संदर्भ में केन्द्र सरकार बिल्कुल संवेदनहीन है। वहां मसला चल रहा था कि पंजाब ने जो हमारे अधिकार का 6 एमएफ पानी रोक रखा था, उसमें भी किसी प्रकार का हस्तक्षेप केन्द्र सरकार ने नहीं करके

एक तरह का सौतेला व्यवहार किया है, क्योंकि पंजाब में कांग्रेस की सरकार चल रही है और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। श्रीगंगानगर में आप देखें कि किस तरह से वहां पानी के लिए आंदोलन चल रहे हैं, लोग सड़कों पर आ गए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इस संवेदनहीन सरकार पर किसी प्रकार का असर नहीं हो रहा है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहती हूं कि केन्द्र सरकार पीने के पानी की योजनाएं, जो यहां पर राजस्थान से आई हैं, उन योजनाओं को जल्दी से जल्दी स्वीकृत कराने का कष्ट करे। कैलेमिटी रिलीफ फंड के तहत राजस्थान में अकाल राहत के कार्य शुरू किये गये हैं मगर उसके लिए मात्र 272 करोड़ रुपये ही राजस्थान के पास हैं। माननीय वित्त मंत्री जी यहां विराजमान हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि 2007 में राजस्थान के अकाल राहत के लिए जो आवश्यकता होगी, 2380 करोड़ रुपये आंकी गई है, उसके लिए केन्द्र सरकार को राजस्थान जो अकाल से जूझ रहा है, वहां जो अकाल राहत के कार्य शुरू करने हैं, वे अकाल राहत के कार्य अच्छी तरह से शुरू किये जा सकें और वहां की जनता को राहत दी जा सके।

यही नहीं, वहां जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हमारे भाई हैं, जो सहरिया और कठौड़ी जनजाति के हैं, उनके रोजगार के लिए पूर्ववर्ती एनडीए सरकार ने एक योजना चलाई थी कि हर परिवार को एक वर्ष में 100 दिनों का काम दिया जाएगा, लेकिन ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा इस योजना हेतु आम बजट में किसी प्रकार का प्रावधान नहीं किया गया। मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि इसमें भी 21 करोड़ 30 लाख रुपये सैंक्शन करने की कृपा करें, जो राजस्थान की इन जनजातियों के भाइयों के लिए एनडीए सरकार ने स्वीकृत किये थे, लेकिन यूपीए सरकार ने अपने बजट में इसे नहीं लिया।

प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के संदर्भ में भी मेरा आपसे निवेदन है कि एनडीए सरकार ने 500 की आबादी के गांवों को मुख्य सड़क से जोड़ने की योजना बनाई थी और 2005 तक इस योजना को पूर्ण रूप देना तय किया गया था। लेकिन आज तक अगर देखा जाए तो सभी प्रदेशों की मोटी-मोटी जो बात हुई है, उनमें मात्र 900 की आबादी के गांवों को ही मुख्य सड़क से जोड़ा गया है। गांवों के विकास के लिए यह आवश्यक है कि प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंदर जो 500 की आबादी वाले गांवों को मुख्य सड़क से जोड़ने की बात थी, उसे भी स्वीकृत करने का कष्ट करें।

सभापति महोदय, हमारी पूर्ववर्ती सरकार द्वारा पूरे भारत में जो एम्स स्तर के हास्पिटल बनाने की घोषणा की गई थी, जिसमें बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान और उत्तरांचल हैं। इनमें हर राज्य के अंदर एक एम्स हास्पिटल बनाने की योजना थी।

सभापति महोदय, इस योजना में भी राजस्थान के साथ भेदभाव किया गया है। एम्स की तर्ज पर केन्द्र सरकार द्वारा जो स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किए जाने थे उनमें से एक केन्द्र की जोधपुर में स्थापना का प्रस्ताव था, लेकिन इस बजट में उसका कोई प्रावधान नहीं रखा गया है। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जब सरकार बजट पेश करती है, तो उसके अंदर जो भेदभाव पूर्ण नीति अपनाई जाती है। यह हम सबके लिए शोचनीय विषय है।

सभापति जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारी पूर्ववर्ती सरकार ने किसानों के फायदे के लिए जो योजनाएं चलाई थीं जिनमें फसल बीमा, पीने के पानी और सिंचाई हेतु पानी की उपलब्धता बढ़ाना आदि प्रमुख थी, उन्हें चालू रखने एवं उनके लिए कुछ न कुछ धन आबंटित करने पर विचार करे।

महोदय, राजस्थान के साथ यह सरकार भेदभाव कर रही है। मेवाड़ काम्पलैक्स की एक योजना है जिसके लिए 12.5 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए थे, उसके बारे में भी अनुदान की अनुपूरक मांगों में कोई व्यवस्था नहीं की गई है। इस योजना के अंतर्गत राष्ट्र पुरुष महाराणा प्रताप जी की जन्मस्थली और उनके जीवन से जुड़े अन्य स्थानों को जोड़ने की योजना है, लेकिन वह योजना भी रोक दी गई प्रतीत होती है। सिर्फ यह कह देना कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, यह ठीक नहीं है। इससे ऐसा लगता है कि यह सरकार जिस प्रकार से वीर सावरकर के नाम की पट्टिका के साथ जो छेड़छाड़ पोर्ट ब्लेयर में की गई और वहां से उनकी पट्टिका हटा दी गई। उसी प्रकार से मेवाड़ काम्पलैक्स की योजना को धन न देकर राजस्थान और महाराणा प्रताप के साथ भी वैसी ही भावना को उजागर कर रही है। यदि यह सरकार ऐसा करेगी, तो मैं कहूंगी कि वर्तमान सरकार हमारे राष्ट्रपुरुषों को भुलाने का प्रयास कर रही है। इसलिए मैं आपके माध्यम से यही निवेदन करना चाहती हूं कि यू.पी.ए. सरकार इस पर ठीक प्रकार से विचार करे और सभी राज्यों के संपूर्ण विकास के लिए पर्याप्त धन दे और किसी राज्य विशेष के साथ, चूंकि वहां इनकी सरकार नहीं है, इसलिए भेदभाव की नीति न अपनाए और बजट में सभी को बराबर का हिस्सा दे।

महोदय, जहां विशेष परिस्थितियां हैं, जैसे राजस्थान है, वहां अकाल की स्थिति बनी हुई है, वहां लोग लगातार अकाल की मार झेल रहे हैं, उसका विशेष ध्यान रखकर, ज्यादा धन प्रदान करें। अन्त में, मैं इतना कह कर अपनी बात समाप्त करती हूं और आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपके प्रति भी आभार व्यक्त करती हूं।

[अनुवाद]

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): महोदय, मैं अनुपूरक अनुदानों की मांगों का समर्थन करते हुए, सरकार के कार्यकरण के तरीके के बारे में कुछ बातें कहना चाहता हूं।

मैं यह बताना चाहता हूं कि हमने पिछली बार राजस्व प्रबंधन और बजट उत्तरदायित्व के लिए एक कानून बनाया था। यदि आपको याद हो तो इस संबंध में एक विधेयक प्रस्तुत किया गया था। उस विधेयक को हम सभी ने पारित किया था। उस विधेयक का उद्देश्य बजट प्रबंधन संबंधी नियंत्रण और राजकोषीय घाटे को कम करना था। तथापि यह भाग्य की विडम्बना ही है कि अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर कानून बनाए जाने के बाद भी पुरानी प्रक्रिया के अंतर्गत सभा में आ जाते हैं।

अनुपूरक अनुदान की मांगों के अध्ययन से पता चलता है कि यह कमोबेश सभी मंत्रालयों से संबंधित है। मुझे व्यय की कोई अप्रत्याशित मद नजर नहीं आती। जब बजट पर चर्चा हो रही थी तो उस समय ये सभी चीजें थी। जैसी की आशा की गई थी इन सभी कॉलमों में निर्दिष्ट मदें, व्यय से ही संबंधित थी तथापि, दुर्भाग्यवश, कुप्रबंधन के कारण, यदि मैं इस बात को ऐसे कहूं कि राजकोषीय प्रबंधन कानून बनाए जाने के बाद भी वित्त मंत्री अनुपूरक अनुदान मांगों के लिए सभा में आ रहे हैं। यह भाग्य की विडम्बना ही है।

हमें पुरानी प्रथा को बदलना चाहिए। हमने इसी उद्देश्य से कानून बनाया था। यदि ऐसा ही होना था तो राजकोषीय प्रबंधन और वित्तीय उत्तरदायित्व और ऐसी सभी चीजों के लिए कानून बनाए जाने का क्या औचित्य है? उन्हें इसका ध्यान रखना चाहिए।

इसके बाद मैं माननीय वित्त मंत्री को जोकि इस मामले के विशेषज्ञ हैं, को सलाह देना चाहता हूं कि वह इस मामले को अगली बार सभा में नहीं लाएं। उन्हें कानून के दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। सभा ने जिस उद्देश्य से कानून पारित किया है। उस उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो रही है। मैं इन सामान्य टिप्पणियों के साथ कुछ बातें कहना चाहता हूं। मैं इसके सभी ब्यौरों का जिक्र नहीं कर सकता, इसके कई ब्यौरे हैं।

अनुदानों की मांगों के प्रथम पृष्ठ में कृषि से संबंधित मांग की गई है। केरल में कृषि उत्पादन संकट में है। केरल में कहीं भी मूल्यों में स्थिरता नहीं है और दिन-प्रति दिन मूल्यों में विपथन और उतार-चढ़ाव होता रहता है। हमारे वित्त मंत्री मेरे पड़ोसी राज्य के हैं। वह केरल की स्थिति से अवगत हैं। केरल की स्थिति बहुत खराब है।

हम इस वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में है। जब आप अगली बार बजट प्रस्तावों के साथ इस सभा में आए तो आप यह सुनिश्चित करके आएं कि कृषि उपज बाजार में स्थिरता हो। आपको ऐसे आवश्यक कदम उठाने चाहिएं ताकि निकट भविष्य में किसान आत्महत्या न करें। मैं सोचता हूं कि आप उनकी शिकायतों को धैर्यपूर्वक सुने और कुछ ऐसा करें जिससे न केवल केरल के किसानों को बल्कि पूरे देश के किसानों को अपनी जान न गंवानी पड़े।

दूसरा, मैं शिक्षा का मामला लेता हूं। शिक्षा कहीं न कहीं वाणिज्य का मामला है। यह सेवा का मामला नहीं है, यह संस्कृति का मामला भी नहीं है। अब यह पूर्णत: वाणिज्यिक व्यापार बन गया है। उच्च शिक्षा शत प्रतिशत वाणिज्यिक व्यापार बन गई है। जब मैं उच्च शिक्षा का हवाला देता हूं तो इसका अर्थ चालू महाविद्यालयों से होता है। चिकित्सा और इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में प्रति सीट के लिए 10 लाख या 15 लाख रुपए लिये जाते हैं। यही स्थिति है। इसलिए हमारे पास एक श्रेष्ठ शिक्षा नीति होनी चाहिए। मंत्री महोदय चिकित्सा महाविद्यालयों में 10 लाख रुपए देकर दाखिला पाने की प्रथा को रोकें। इसके बारे में अच्छी तरह पता है। तमिलनाडु में भी सैकड़ों की संख्या में ऐसे महाविद्यालय है और तमिलनाडु के इन महाविद्यालयों द्वारा दूसरे राज्यों से आने वाले छात्रों से 10 से 15 लाख रुपये की मांग की जाती है। सामान्यत: ऐसा ही होता है। इसलिए जब तक हम कुछ कठोर कदम नहीं उठाते तब तक स्थिति को नियंत्रित नहीं सकते हैं। इस उद्देश्य के लिए, मैं सुझाव देता हूं कि कृपया इस संबंध में केन्द्रीय कानून बनाए जाएं और इस केन्द्रीय कानून में यह परिभाषित किया जाए की इसका उद्देश्य क्या है और हमारे जैसे प्रजातांत्रिक देश में उच्च शिक्षा किस प्रकार दी जाएगी। कृपया इस संबंध में कानून बनाया जाए।

आपने अल्पसंख्यकों की शिक्षा के लिए जो कानून बनाया है वह भी खतरनाक है। इसमें कुछ ऐसे उपबंध है जिसके माध्यम से लोग अल्पसंख्यकों की शिक्षा के नाम पर प्रवेश के इच्छुक छात्रों से लाखों रुपए वसूल लेंगे। यह लूट-खसोट से भी ज्यादा गंभीर बात है।

इस प्रयोजनार्थ हमें एडमिशन बोर्डों को परिभाषित करना होगा और हमें प्रबंधन की शक्तियों को भी परिभाषित करना होगा चाहे वे निजी हों या कुछ और। चाहे वे अल्पसंख्यक संस्थान हों या कोई और। हमें उनका एडमिशन शक्तियों को परिभाषित करना होगा। पूरे देश में एक समान नीति, एक समान कानून लागू होना चाहिए। मैं समझता हूं, शिक्षा समवर्ती सूची में है। लेकिन हमें विद्यार्थियों से शुल्क संग्रह करने में प्रबंधन की शक्तियों को कम करने हेतु केन्द्रीय विधान बनाना होगा।

तीसरी बात, साक्षरता के बारे में है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने घोषणा की है कि बीसवीं शताब्दी में, अधिकांश लोग शिक्षित हो जाएंगे। अभी भी, भारत में निरक्षर लोगों की संख्या सबसे अधिक है। हमारे यहां भारत में 35 करोड़ लोग निरक्षर हैं। हमारे यहां कोई नीति नहीं है। हम इस बात पर ध्यान नहीं देते कि हमें कौन-सा कदम उठाना है।

राष्ट्रीय साक्षरता अभियान केवल कागजों पर है। यह ठीक से काम नहीं कर रहा है। महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को सलाह दूंगा कि वित्त मंत्री को अवश्य कुछ तरीके अपनाने चाहिए जिससे राष्ट्रीय साक्षरता अभियान एक हकीकत बन जाए और भारत में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं रहना चाहिए जो पढ़ या लिख न सके। यही नीति होनी चाहिए। मैं उनसे इस तरह का रास्ता अपनाने का अनुरोध करूंगा।

केन्द्र और राज्यों के बीच हस्तांतरण की बात पर अब हम नई कर प्रणाली मूल्य वर्द्धित कर (वी.ए.टी.)' शुरू करने की अवस्था में है। इसी समय, शुरू किये जा रहे इस कर प्रणाली के बारे में शंकाएं हैं। व्यापारी इससे काफी आशंकित हैं। वे चाहते हैं कि प्रत्येक राज्य में पृथक मूल्यवर्द्धित कर प्रणाली होनी चाहिए। भारत में एक समान कर प्रणाली नहीं होनी चाहिए। भौगोलिक स्थिति एवं अन्य बातों को ध्यान में रखते हुए यदि मूल्यवर्द्धित कर (वी.ए.टी.) प्रणाली प्रत्येक राज्य में विविध रूपों में शुरू की जाए तो यही सही होगा। इस समय मैं माननीय वित्त मंत्री से कहूंगा कि जब हम मूल्यवर्द्धित कर प्रणाली शुरू करेंगे तो केरल को घाटा होगा। हमें बिक्री कर से कुल आय का 40 प्रतिशत प्राप्त होता था और इसके लागू होने से ऐसा नहीं होगा। जाहिर है कि जहां तक केरल का संबंध है, राजस्व के मामले में राज्य को घाटा होगा। इसका समाधान क्या है? माननीय वित्त मंत्री यह कह सकते हैं कि केन्द्र भरपाई करेगा। वह भरपाई हमेशा के लिए नहीं होगी। ऐसा दो-तीन वर्षों के लिए किया जा सकता है। लेकिन दीर्घकाल में, केरल को घाटा होगा। इसलिए, मैं माननीय वित्त मंत्री से कुछ सेवा करों को राज्यों को हस्तांतरित करने के इस मुद्दे पर ध्यान देने का अनुरोध करूंगा। केन्द्र सभी सेवा करों का संग्रह कर रही है। माननीय वित्त मंत्री को कुछ सेवा कर राज्यों को देने के बारे में अवश्य विचार करना चाहिए।

सभापति महोदय: कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री वरकला राधाकृष्णन: कहने के लिए कई बातें हैं। समयाभाव के कारण मैं विस्तार में जाना नहीं चाहता हूं। कई ऐसी मदें हैं जिनका बिक्रकर के बदले सेवा कर संग्रहण के मामले में हस्तांतरण आसानी से राज्यों को किया जा सकता है। इस मामले पर ध्यान दिया जा सकता है। मैं समझता हूं। राज्यों के वित्त मंत्रियों और केन्द्रीय वित्त मंत्री इन सब मामलों पर चर्चा करेंगे और राज्यों को कुछ राहत प्रदान करने पर विचार करेंगे।

हमारा संघीय राज्य है। निश्चित रूप से केन्द्र को पर्याप्त मजबूत होना चाहिए पर राज्यों की शर्त पर नहीं। इसलिए, जहां तक इस कर का संबंध है, राज्यों को व्यवहार्य वित्तीय स्थिति बनाए रखने में प्रोत्साहित भी करना चाहिए।

दूसरी बात वस्त्र की है, हथकरघा संकट का सामना कर रहा है। वस्त्र भी मांगों संबंधी अनुपूरक अनुदानों में है। वस्त्र नीति बनी हुई है। लेकिन उस नीति को अब तक कार्यान्वित नहीं किया गया है। वह नीति अभी भी कागजों पर ही है। कोई प्रशासनिक आदेश जारी नहीं किए गए हैं। मैं एक उदाहरण दूंगा। केरल के कन्नानूर जिले को हथकरघा वस्त्र का केन्द्र घोषित किया गया है। मेरी जानकारी में, संबंधित मामलों पर प्रभाव नहीं डाला गया है। कुल परिणाम यह है कि आपको सत्ता में आने के छ: महीने बीतने के बाद, इस नीति को विस्तार से कार्यान्वित करने के संबंध में कुछ नहीं किया गया है।

अंत में, मैं भ्रष्टाचार पर आता हूं लोकपाल विधेयक पर चर्चा हुई है। इसे पारित नहीं किया गया है। आजकल भ्रष्टाचार का बोलबाला है। ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार है। हमें जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में भ्रष्टाचार देखने को मिलता है। निश्चित रूप से, न्यायालय और सतर्कता विभाग हैं। सतर्कता विभाग की प्रभाविता भी अब विवाद का विषय बन गयी है। हमें यह दावा नहीं करना चाहिए कि हम न्याय कर रहे हैं। लेकिन लोगों को भी यह महसूस करना चाहिए कि न्याय हो रहा है। यही मानदण्ड होना चाहिए। हम सभी यह दावा करते हैं कि हमारी सतर्कता, केन्द्रीय जांच ब्यूरो बहुत अच्छे दर्जे की है *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री राधाकृष्णन कृपया अब अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री वरकला राधाकृष्णन: इसलिए, मैं माननीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि अगली बार जब वे बजट प्रस्तुत करें तो वे यह सुनिश्चित करें कि यह विधेयक पारित हो जाए। एक निष्पक्ष मुकदमा चलाया जाए और भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच सतर्कतापूर्वक एवं सही ढंग से की जाये। मुझे आशा है कि वे इन मामलों की जांच करेंगे।

इन शब्दों के साथ, मैं अनुपूरक अनुदान मांगों का समर्थन करता हूं।

श्री किन्जरपु येरननायडु (श्रीकाकुलम): सभापति महोदय, हम वर्ष 2004-05 के लिए अनुपूरक अनुदान मांगों पर चर्चा कर

[श्री किन्जरपु येरननायडू]

रहे हैं। राजवित्तीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंध अधिनियम, 2003 को पारित करने पश्चात् सरकार से अपेक्षा है कि वह बजट से संबंधित प्राप्तियों और खर्चों की समीक्षा करे।

माननीय वित्त मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि वर्तमान आर्थिक परिदृश्य में मुद्रास्फीति कमजोर क्षेत्रों में से एक है। दूसरी बात, माननीय मंत्री जी ने सकल घरेलू उत्पाद में 8 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हासिल करने हेतु राजग सरकार के गत वर्ष के कार्यनिष्पादन की भी प्रशंसा की है। इसी प्रकार, उन्होंने कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र में भी अच्छा कार्य किया है। मध्यावधि मूल्यांकन और त्रैमासिक मूल्यांकन के अनुसार भी इन क्षेत्रों ने अच्छा कार्य किया है।

अपराह्न 5.22 बजे

[**श्री अर्जुन सेठी** *पीठासीन हुए*]

हमें वास्तविकता को देखना होगा। यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। हम नीतियां बना रहे हैं। हम आंकड़े आदि पेश कर रहे हैं। किंतु ये वास्तविकता के अनुरूप नहीं हैं। मूल्य वृद्धि के मामले में, मैं यह मानता हूं कि यह मुद्रास्फीति सबसे अधिक है। इसमें इतनी अधिक कभी नहीं रही है। हाल ही के महीनों में, यह 8 प्रतिशत से अधिक पहुंच गई है। सभी आवश्यक वस्तुओं के मूल्य बढ़ गए हैं। हाल में सरकार ने पेट्रोल के मूल्य तीन बार बढ़ाए हैं। इसने गैस के मूल्य दो बार बढ़ाए हैं। अब आम आदमी, निम्न आय वाला वर्ग और मध्य वर्ग समस्याग्रस्त है। हम सभी इससे अवगत हैं।

इसलिए, सरकार को सभी वस्तुओं के मूल्यों को नियंत्रित करने के समुचित उपाय करने चाहिए। इसके अलावा राज्य सरकारें पेट्रोलियम उत्पादों पर 30 प्रतिशत से अधिक कर लगा रही हैं। इसलिए, इसे इन मुद्दों का समाधान करने के लिए सभी मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन बुलाना चाहिए। चाहे वह राजग सरकार रही हो अथवा सत्तासीन संप्रग की सरकार हो, केन्द्र सरकार को दोषी ठहराती हैं और तो और राज्य सरकारें भी केन्द्र सरकार को दोषी ठहराती है। इन्हें सीमा शुल्क और राजस्व शुल्क को कम करना होगा इसके साथ ही इन्हें राज्य सरकार से बिक्री कर को कम करने का अनुरोध करना होगा तभी कहीं जाकर मूल्य घटेंगे।

कृषि के संबंध में, मैं कहना चाहता हूं कि इस देश के किसान 100 करोड़ से अधिक लोगों को भोजन उपलब्ध करा रहे हैं। लेकिन यह दु:ख की बात है कि उनका कोई सम्मान नहीं है उनके लिए कोई भी मूलभूत सुविधा उपलब्ध नहीं है और उनके विकास के लिए कोई संरचना भी नहीं है। आज भारतीय किसानों का यही हाल है।

पिछले वर्ष श्रीमती सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने और अन्य राज्यों के मंत्रियों ने किसानों की आत्महत्या के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और तेलगू देशम पार्टी की सरकार को दोषी ठहराया था। यह सच है कि किसान आत्महत्या कर रहे है। आज किसान न केवल आंध्र प्रदेश में बल्कि कर्नाटक, महाराष्ट्र और देश के अन्य भागों में भी आत्महत्या कर रहे हैं। किसान आत्महत्या कर रहे हैं। इस देश में किसानों की हालत के बारे में हर कोई जानता है। लेकिन महोदय अन्य पक्ष के मेरे मित्रों ने इसका राजनीतिक लाभ उठाया है। वे राजनीतिक लाभ प्राप्त करना चाहते हैं ठीक है, उन्होंने राजनीतिक लाभ उठाया है। उन्होंने केन्द्र में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार की नीतियों की आलोचना की थी। उन्होंने आंध्र प्रदेश में तेलगू देशम पार्टी सरकार की नीतियों की भी आलोचना की थी। लेकिन वे अब क्या कर रहे हैं? कांग्रेस पार्टी के केन्द्र में और आंध्र प्रदेश में सत्ता संभालने के बाद वे किसानों की आत्महत्या को क्यों नहीं रोक पाए हैं। उन्होंने इन सभी चीजों को रोकने के लिए कदम क्यों नहीं उठाए हैं।

इन शासन के 200 दिनों के अन्दर आंध्र प्रदेश में 2000 किसानों द्वारा आत्महत्या की गई है। यह वास्तव में बहुत ही शर्मनाक बात है। और तो और विदेशी राजदूत भी अखबारों की रिपोर्ट को पढ़कर आंध्र प्रदेश आए थे और उन्होने इसके बारे में पूछताछ की थी। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: अभी उनकी बात पूरी नहीं हुई है। कृपया बैठ जाइए।

डा. चिन्ता मोहन (तिरुपति): महोदय, वह गलत आंकड़े दे रहे हैं *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री येरननायडु के वक्तव्य के अलावा और किसी भी बात को कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। कृपया बैठ जाएं।

*...(व्यवधान)**

श्री किन्जरपु येरननायडु: एम.बी.ए. के एक छात्र श्री परसुराम ने जिले-वार, मंडल-वार और गांव-वार सभी सूचनाओं को संग्रहित करके अपनी पुस्तक में संकलित किया है। मैंने इसी पुस्तक को आधार बनाया है। मैं उन्हें दोष नहीं दे रहा हूं। वे इसके लिए

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार और तेलगू देशम पार्टी की सरकार की आलोचना कर रहे हैं। उन्होंने वायदा किया था कि यदि वह सत्ता में आएंगे तो वे इस देश में किसानों द्वारा की जा रही आत्महत्याओं को रोक देंगे। लेकिन इसके विपरीत आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र में प्रतिदिन औसतन 10 आत्महत्याएं की जा रही हैं। मेरा इस सरकार से यह प्रश्न है कि उन्होंने किसानों की आत्महत्याओं को रोकने के लिए कौन सी व्यापक नीति बनाई है।

इस संबंध में सरकार ने यह घोषणा की थी वह आगामी तीन वर्षों में किसानों को दिए जाने वाले ऋणों को दुगना कर देगी। यह एक अच्छा कदम है। मैं भी इसकी सराहना करता हूं। वास्तव में आंध्र प्रदेश और अन्य जगहों पर इस संबंध में क्या हुआ? इस देश के कारपोरेट क्षेत्र में क्या हो रहा है? सभी सहकारी बैंकों और तो और सहकारी ऋण समितियों के पास धन नहीं है। आज सुबह मेरे एक मित्र ने इस मुद्दे को उठाया था। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के अंतर्गत आने वाले कई बैंक बहुत छोटे हैं और इसलिए वह किसान समुदाय को ऋण नहीं दे सकते। सरकार द्वारा यूटीआई और अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों को पुनर्गठन के लिए धन दिया गया है लेकिन सहकारी क्षेत्र के लिए उन्होंने केवल एक समिति का गठन किया है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार ने भी कपूर समिति का गठन किया था। श्री विखे पाटील की सिफारिशों पर भी एक अन्य समिति गठित की गई थी। प्रत्येक सरकार समितियां गठित कर रही है लेकिन कोई भी पुनः पूंजीकरण की बात नहीं सोच रहा है ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री किन्जरपु येरननायडुः मैंने अभी-अभी अपनी बात पूरी की है। कृपया मुझे पांच मिनट का और समय दीजिए।

इसलिए, जनता के हित में सरकार ने यू.टी.आई. को पैसा दिया है। वाणिज्य बैंकों में जान फूंकने के लिए, श्री देवी लाल द्वारा अधिस्थगन आदेश घोषित किये जाने के पश्चात्, सरकार ने उन्हें धनराशि प्रदान की। लेकिन, सहकारी बैंकों को कोई धनराशि नहीं दी गयी। यह एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। किसानों द्वारा की गयी आत्महत्याएं इस देश में हम सभी के लिए बहुत संख्या की बात है। सरकार को किसानों द्वारा की गयी आत्महत्याओं के कारणों की पांच करनी चाहिए।

श्री के.एस. राव (एलूरू): इसका प्रमुख कारण समर्थन मूल्य है।

श्री किन्जरपु येरननायडुः समर्थन मूल्य भी समस्याओं में से एक है। आंध्र प्रदेश सरकार ने स्थगन आदेश की घोषणा की है। उन्हें धन नहीं मिल रहा है। यहां तक कि गैर-सरकारी साहूकार पैस नहीं दे रहे हैं। ये सभी कारण किसानों की आत्महत्याओं के कारण है। इसलिए इस संबंध में विशेषकर आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र जैसे राज्यों के लिए यहां किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं। भारत सरकार को व्यापक नीति की घोषणा करनी चाहिए। माननीय वित्त मंत्री जी से यही मेरी विनम्र अनुरोध है।

अब मैं रोजगार गारन्टी योजना की बात पर आता हूं। माननीय वित्त मंत्री ने हाल ही में मीडिया को यह बताया कि वह इसी सत्र में एक विधेयक लायेंगे। केवल दो दिन बचे हैं और मैं आशा कर रहा हूं कि इससे पहले कि सभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो, सरकार विधेयक ले आएगी। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार और सी.पी.आई., सी.पी.आई.(एम) के मेरे मित्रों के अनुसार, अब इस अधिनियम का प्रभाव समाप्त हो गया है। हम इस तरह का पहला विधेयक ला रहे हैं। इसमें ऐसे कठोर उपबन्ध होने चाहिए जो बेरोजगार लोगों के लिए सहायक हों। इस अधिनियम की सहायता लेते हुए, वे न्यायालय अथवा जिला प्रशासन जाने में और अपने अधिकार मांगने में सक्षम होंगे। इसलिए, सरकार को इस अधिनियम में कुछ कठोर उपबंध शामिल करने होंगे। अन्यथा, इसका कोई लाभ नहीं होगा। महाराष्ट्र जैसे कुछ राज्यों में यह अधिनियम पहले से है। अन्य राज्यों में ऐसे कुछ अन्य अधिनियम है। सभी मौजूदा अधिनियमों की कमियों को ध्यान में रखकर सरकार को इस संबंध में एक कठोर अधिनियम बनाना होगा।

कपास किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है। हाल ही में, आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री और संसद सदस्यों ने माननीय प्रधान मंत्री और संबंधित मंत्रियों से मुलाकात की।

यहां तक कि महाराष्ट्र में, 'मार्कफैड' 2500 रुपए प्रति क्विंटल खरीद रहा है। लेकिन आंध्र प्रदेश में, उन्हें 1600 रुपये प्रति क्विंटल तक नहीं मिल पा रहा है। मूंगफली की खेती करने वाले किसान विशेषकर रयालसीमा के किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है।

सभापति महोदयः श्री येरननायडु, आप एक घोषणा के बाद अपनी बात जारी रख सकते हैं।

माननीय सदस्यों, माननीय अध्यक्ष को कुछ अविलम्बनीय कार्य के मद्देनजर नागर विमानन मंत्री से एक आग्रह प्राप्त हुआ है, वह नये विमानपत्तनों के प्रस्ताव से संबंधित आधे घंटे की चर्चा में सम्मिलित नहीं हो पायेंगे। माननीय अध्यक्ष ने इसे कल तक के लिए स्थगित कर दिया है।

इसलिए, हम शाम छह बजे तक अनुदानों की अनुपूरक मांगों की चर्चा की जारी रखेंगे।

श्री किन्जरपु येरननायडु: कपास किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है। आंध्र प्रदेश के मूंगफली की कृषि वाले किसानों को भी न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है। वित्त मंत्री को भारतीय कपास निगम को और अधिक खरीद केन्द्र खोलने के निर्देश देने चाहिए ताकि उनके उत्पादों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा जा सके।

जहां तक बीज अधिनियम, 2002 के संशोधन का संबंध है, पिछली तेलगु देशम पार्टी सरकार ने इस संशोधन की मांग की थी। वर्तमान राजशेखर रेड्डी सरकार और यहां तक कि अन्य राज्य सरकारें भी इसकी मांग कर रही है। बीज अधिनियम के संशोधन में कोई वित्तीय मामला नहीं है और इससे भारतीय किसानों का हित होगा। हम यह कार्य करने के लिए वर्षों का समय ले रहे हैं। यह एक शर्म की बात है। यहां तक कि पिछली सरकार ने इसमें विलंब किया। इसी कारण, माननीय कृषि मंत्री जी से यह अनुरोध होगा कि वह अगले सत्र में बीज अधिनियम में संशोधन करने के लिए संशोधन विधेयक लाएं। इसमें कई कमियां हैं।

वर्तमान अधिनियम नकली बीज विक्रेताओं पर काबू पाने में सक्षम नहीं है। इसलिए, वित्त मंत्री को किसानों को आत्महत्या करने से रोकने हेतु सभी कदम उठाने चाहिए। आप कह रहे हैं कि देश में 130 बिलियन डालर की विदेशी मुद्रा है। यह ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज मजबूती से आगे बढ़ रहा है। किंतु इसका क्या फायदा है? किसान आत्महत्या कर रहे हैं। भूख के कारण मौतें हुई हैं। क्या यह शर्मनाक नहीं है? इस बात पर कौन विश्वास करेगा कि हमारे पास 130 बिलियन डालर का विदेशी मुद्रा भंडार है? अत: आत्महत्या रोकने को पहली प्राथमिकता दी जानी चाहिए। कल से इस देश में आत्महत्या से कोई मौत नहीं होनी चाहिए। केवल तभी आपको और इस सरकार को प्रशंसा मिलेगी। अन्यथा, कोई भी इस बात पर विश्वास नहीं करेगा कि आप तीन वर्षों में कृषि क्रेडिट को दोगुना कर देंगे। इसलिए सरकार को इस देश के किसानों की स्थिति को सुधारने हेतु सभी आवश्यक कदम उठाने चाहिए।

श्री पी. चिदम्बरम: महोदय, माननीय सदस्यों ने बार-बार आत्महत्या करने के बारे में अपनी चिंता प्रकट की है। मैं समझता हूं कि यदि इस देश में किसी किसान को ऋण न चुका पाने के कारण आत्महत्या करनी पड़े तो यह बहुत ही शर्मनाक है। किंतु मैं इसे एक उचित परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करना चाहता हूं। कृपया मुझे ऐसा करने दें। मैंने इस बारे में काफी सोचा है और मैं इसे इस परिप्रेक्ष्य में रखना चाहता हूं। आंध्र प्रदेश में किये गये अध्ययन से यह पता चला है कि ज्यादातर उन किसानों ने आत्महत्या की है जिन्होंने साहूकार से ऋण लिया था। मै यह नहीं कह रहा हूं कि हर मामले में ऐसा हुआ है किंतु मोटे तौर पर वह वही व्यक्ति है जिसने साहूकारों से ऋण लिया था। साहूकार बहुत ज्यादा दर पर ऋण देते हैं और चाहे कोई किसान हो अथवा व्यापारी, उसके लिए इन ब्याज दरों पर ऋण का भुगतान करना असंभव होता है। इसका हल यह है कि सभी किसानों को "संस्थागत क्रेडिट" के अंतर्गत लाया जाए। इस देश में 10 करोड़ किसान हैं। जब इस सरकार ने कामकाज संभाला, केवल चार करोड़ किसानों को बैंक क्रेडिट मिलता था। छह करोड़ किसानों को संस्थागत क्रेडिट नहीं मिलता था। अब, किसी भी सरकार के लिए एक वर्ष या छह महीने में यह आंकड़ा चार करोड़ से दस करोड़ तक पहुंचाना असंभव बात है। हमारा अंतिम ध्येय यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक को बैंक से ऋण मिले। किंतु ऐसा नहीं हो सका तथापि हम कितने ही अच्छे क्यों न हों और चाहे कोई भी मंत्री हो, यह एक वर्ष में नहीं किया जा सकता है। हमने इस वर्ष क्या किया है? इस वर्ष, हमने यह कहा है कि किसानों की संख्या 4 करोड़ से बढ़ाकर 4.5 करोड़ तक की जाएगी। हम किसानों में से 50 लाख नए ऋण लेने वालों को संस्थागत क्रेडिट दे रहे हैं।

18 जुलाई की नीति में भी मैंने यह कहा है और मैं उन सारे किसानों, जिन्होंने साहूकारों से ऋण लिया है, से यह अपील करता हूं कि वे किसी भी बैंक में जा सकते हैं, बैंक वह ऋण अपने ऊपर ले लेगा और उन्हें साहूकार को देने के लिए मूलधन दे देगा और इसके एवज में किसान संस्थागत ऋणकर्त्ता बन सकते हैं। अर्थात् यदि किसी व्यक्ति ने साहूकार से 30 प्रतिशत की दर पर ऋण लिया है तो वह किसी भी बैंक में जा सकता है और बैंक उन्हें अग्रिम मूलधन देगा और फिर किसान साहूकार को भुगतान कर सकता है और इस प्रकार वह संस्थागत ऋणकर्त्ता बन जाता है।

मैं उस बात को स्वीकार करता हूं कि यह संदेश पूरे देश में नहीं गया है। हमें इस संदेश को पूरे देश में पहुंचाने में कुछ समय लगेगा। मैं अपनी तरफ से पूरी तरह वादा कर रहा हूं। मैंने माननीय संसद सदस्यों से अनुरोध किया है कि कृपया, अपने निर्वाचन क्षेत्रों के, बैंकों में जाएं बैंक प्रबंधकों से बात करें किसानों से बात करें और उनसे कहें कि जिन मामलों में साहूकार का ऋण नहीं दिया जा सकता है उन मामलों में यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि साहूकार से लिया गया ऋण बैंक चुकता कर दें। मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि कृपया इस मामले में सहयोग करें यह अकेला व्यक्ति या मंत्री या सरकार नहीं कर सकती है। जब तक हम सभी पूरी तरह से जोर नहीं लगाते तब तक यह नहीं किया जा सकता है। मेरा विश्वास करें, कुछ समय बाद हम यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी किसान संस्थागत ऋण के अन्तर्गत आ गए हैं ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री किन्जरपु येरननायडु: महोदय, मैं केवल एक प्रश्न पूछना चाहता हूं ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: जब माननीय मंत्री जी वाद-विवाद का उत्तर देंगे तो आप उस समय स्पष्टीकरण मांग सकते हैं।

...(व्यवधान)

श्री किन्जरपु येरननायडु: महोदय, मंत्री जी जो कुछ कह रहे है। मैं उससे सहमत हूं इस पर कुछ समय पहले एक प्रश्न था और मैंने इसके बारे में माननीय मंत्री जी को सुझाव दिये थे। हम उनके संदेश ले कर रहे हैं लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि कृपया उन्हें कुछ सलाहकार क्षमता से नियुक्त करें *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री खारवेनथन के भाषण के अलावा कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

श्री एस.के. खारवेनथन (पलानी): सभापति महोदय, मुझे वर्ष 2004-05 को अनपूरक अनुदान मांगों पर बोलने का अवसर देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं मांगों के समर्थन में खड़ा हुआ हूं।

महोदय, सभी राजनीतिक दल चुनावों से पहले मतदाता से वायदे करते हैं। अब यह समय इस स्थिति की जानकारी ले और यह पता करने का है कि चुनावों से पूर्व दलों द्वारा क्या क्या वायदे किये गये थे। हमारे दल की नेता श्रीमती सोनिया गांधी और संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के नेताओं ने भी लोगों से कुछ वायदे किए हैं। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन को सत्ता में आए हुए लगभग 111 दिन हो गए हैं। मैं, सत्ता में आए इन कुछ महीनों में इस सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करना चाहूंगा।

महोदय, सर्वप्रथम नागर विमानन क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को सीमा 40 प्रतिशत से बढ़ाकर 49 प्रतिशत की गई है। विदेशी संस्थागत निवेश प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ने आवेदनों की प्रक्रिया के समय को 13 कार्यदिवसों से कम करके 7 कार्यदिवस कर दिया गया है। सरकार ने विदेशी विनिवेश संस्थानों हेतु सीमा को एक बिलियन डॉलर से बढ़ाकर 1.75 बिलियन डॉलर कर दिया है। बेसिक शिक्षा के वित्तपोषण हेतु प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों पर दो प्रतिशत उपकर लगाया गया है। 7.5 लाख के शिक्षा ऋण पर पार्श्विक जमानत हटा दी गई है। सहकारी बैंकिंग क्षेत्र के पुनर्गठन हेतु कार्रवाई करने की सिफारिश करने के लिए एक कृतिक बल गठित किया गया है। ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष को 8000 करोड़ रुपये के साथ बहाल किया गया है। बी.आई.एफ.आर. के बजाय, अब हमारे पास बोर्ड फॉर रिकन्सट्रक्शन ऑफ पब्लिक इन्टरप्राइजेज है। राज्य सरकारों को केन्द्रीय ऋण हेतु ब्याज दरों को 10.5 प्रतिशत से घटाकर 9 प्रतिशत किया गया है। इसके अलावा, चेन्नई शहर में जल के खारेपन को दूर करने के लिए संयंत्र स्थापित करने के लिए हजारों करोड़ रुपये आवंटित किये गये थे।

यह पूरे विश्व में नंबर एक योजना है जो कि रिवर्स ओसमोसिस प्रोग्राम के अंतर्गत आती है। यदि यह योजना कार्यान्वित की जाती है तो इससे प्रतिदिन 200 मिलियन लीटर पानी का उत्पादन होगा। लेकिन इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा कोई कदम न उठाना दुर्भाग्यपूर्ण है। हां सरकार द्वारा धनराशि अवश्य दी जाती है।

जहां तक मूल्यवर्धित कर का संबंध है, तो मैं एक बात का उल्लेख करना चाहूंगा कि मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ओट्टाटन-चत्तरम और कंजियम जैसे क्षेत्र तथा पड़ोसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अथुकुजी नामक क्षेत्र मक्खन और घी के लिए प्रसिद्ध है। मक्खन और घी को विश्व के विभिन्न देशों को निर्यात किया जाता है। तमिलनाडु में राज्य सरकार द्वारा मक्खन पर बिक्री कर नहीं लगाया गया है। तमिलनाडु में बेचे जाने वाले घी पर टीएनजीएसटी और सीएसटी नहीं है। यदि तमिलनाडु में घी बेचा जाता है तो उस पर 10 प्रतिशत स्वधारण बिक्री कर वसूला जाता है और यदि इसे राज्य के बाहर बेचा जाता है तो यह चार प्रतिशत होता है। हमें पता चला कि मक्खन और घी के लिए प्रस्तावित मूल्यवर्धित कर 12.5 है। लेकिन खादी भंडार द्वारा बेचे जाने वाले देसी मक्खन पर कोई कर नहीं है। इससे ओट्टाचत्तरम, कंजियम और अथुकुजी जैसे स्थानों में किसानों पर प्रभाव पड़ेगा। मैं माननीय वित्त मंत्री से मक्खन और घी पर कोई कर न वसूलने का अनुरोध करूंगा।

कृषि से संबंधित समस्याओं के संबंध में श्री येरननायडू ने कतिपय प्रश्न उठाए हैं। हमारे माननीय वित्त मंत्री ने तमिलनाडु में कुछ स्थानों का दौरा किया है तथा उन्होंने बैंकों को किसानों को तत्काल ऋण देने के संबंध में अनुदेश दिए हैं। लेकिन राष्ट्रीय बैंकों के अधिकारी प्रत्येक किसान से उस क्षेत्र के कम से कम दस राष्ट्रीय बैंकों से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करके, वे आसानी से यह कह रहे हैं कि उनके पास केवल 500 करोड़ रुपये का आईआरडीपी ऋण है और इस प्रकार किसानों को ऋण स्वीकृत नहीं किया जाता है। ऐसी ही स्थिति है। सहकारी बैंक भी उन्हें कोई ऋण नहीं दे रहे हैं। अत: किसान नए ऋण प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। नियमित रूप से ऋण चुकाने वालों को भी नए ऋण नहीं दिये जाते हैं। अत: सरकार को किसानों को ऋण देने के लिए कदम उठाने चाहिए। ये किसान गरीबी रेखा से नीचे जी रहे हैं। अत:, यदि ऋण माफ नहीं किये जाते हैं तो कम से कम अर्थदंड ब्याज माफ किया जाना चाहिए।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री एस.के. खारवेनथन]

अनुपूरक अनुदानों की मांगों में, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का एक शीर्ष है। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत एड्सरोधक नियंत्रण अभियान के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय तपेदिक नियंत्रण कार्यक्रम को 14 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं। इस कार्यक्रम के लिए आवंटन 190 करोड़ रुपये है। पहले इस पहलु के बारे में चर्चा करते हुए मैंने उल्लेख किया था कि मैंने कई गैर-सरकारी संगठन हैं जिन्हें हमारी सरकार तथा विदेशी एड्स जागरूकता कार्यक्रम दोनों से करोड़ों रुपये मिल रहे हैं। अधिकांश गैर-सरकारी संगठन इस कार्यक्रम के लिए एक पैसा भी खर्च नहीं कर रहे हैं। वे 150 की आबादी वाले गांव के लिए 2000 कंडोम तथा इससे भी अधिक कंडोमों के नकली बिल दिखा रहे हैं। अत: आयकर अधिकारी तथा अन्य प्राधिकारी इन गैर सरकारी संगठनों की नियमित रूप से जांच करें। अन्यथा उन्हें धनराशि देने का कोई लाभ नहीं है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत एक अन्य कालम है। राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम नामक कार्यक्रम को 2020 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं। सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना नामक एक कार्यक्रम पहले से ही मौजूद है जिसके अंतर्गत हम कामगारों को अनाज दे रहे हैं। हम वेतन के रूप में उन्हें 50 रुपये प्रति दिन तथा ब्लाक स्तर पर अनाज भी दे रहे हैं। दिए गए चावल स्थानीय राजनीतिज्ञों द्वारा हड़प लिये जाते हैं और इन चावलों को बेचा जा रहा है। कांट्रेक्टर भी लोगों को चावल नहीं दे रहे हैं। यदि इस योजना का सफलतापूर्वक कार्यान्वयन किया जाता है, तो इससे कुछ फायदा होगा।

अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा न्यायपालिका का है। मैं इस बात पर मतभेद नहीं कर रहा कि यह राज्य के अंतर्गत आती है। पूरे देश में जहां भी मुफस्सिल अदालतें कार्य कर रही हैं, कहीं भी इसके लिए कोई बिल्डिंग तथा अन्य अवसंरचनात्मक सुविधाएं नहीं हैं। सरकार को न्यायालय भवनों के निर्माण के लिए अलग से धनराशि आवंटित करनी चाहिए। अधिवक्ताओं के संबंध में प्रत्येक राज्य की कल्याण निधि योजना है। उदाहरण के लिए तमिलनाडु में कल्याण निधि योजना को कर से छूट मिली है परन्तु यह आय कर छूट कर्नाटक में नहीं है। अधिवक्ताओं की कल्याण निधि योजना पूरे देश में राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित की जाती है और इसे आयकर में छूट दी जानी चाहिए।

मैं किसानों के संबंध में एक अनुरोध करना चाहूंगा। उत्तरी राज्यों में काफी पानी है क्योंकि यहां गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा अन्य नदियां हैं। परन्तु यदि दक्षिण की बात की जाए वहां बिल्कुल पानी नहीं है। जब तक नदियों को एक साथ नहीं जोड़ा जाता, इस समस्या का समाधान नहीं हो सकेगा। सरकार को नदियों को जोड़ने के लिए और अधिक धन का आवंटन करना होगा।

[हिन्दी]

श्री हरिभाऊ राठौड़ (यवतमाल): सभापति महोदय, हम 2004-05 की अनुदानों की अनुपूरक मांगों के ऊपर विचार कर रहे हैं। महोदय, जब यह सरकार आई और देश ने श्री चिदम्बरम, श्री मनमोहन सिंह, श्री आहलूवालिया जैसे आर्थिक अर्थशास्त्री पाए थे तो चित्र ऐसा उभरा और यह दर्शाया गया कि यह सरकार कुछ अलग काम करने जा रही है। इसके बाद न्यूनतम साझा कार्यक्रम, राष्ट्रपति जी का अभिभाषण, प्रधान मंत्री जी का देश को संबंधित करने वाला भाषण सुनने में आया। हर मंच पर ये भाषण यही रोशनी डालते थे कि देश को आगे बढ़ाने में यह सरकार पीछे नहीं रहेगी। इस बीच मिड यिअर रिव्यू हमारे सामने आया। बजट एक आईना होता है। इसके माध्यम से जनता के सामने यह बात आई कि महंगाई कितनी बढ़ी और किस हद तक बढ़ी? मुझे याद है जब गैस के दाम सरकार ने पांच रुपए बढ़ाए तो कितना हंगामा हुआ था? आज इसकी वजह से बहुत महंगाई हो गई है। मैं देख रहा हूं कि पिछले 6 महीने में एक लीटर के पीछे पैट्रोल, डीजल के दाम कितने बढ़े हैं? यह बहुत चिन्ता की बात है। परसों माननीय वित्त मंत्री जी ने मुद्रास्फीति के बारे में जो कुछ कहा, वह चिंतनीय बात है। हमने देखा कि मंत्री जी ने एक हाथ से दिया लेकिन दूसरे हाथ से ले लिया। जब भी वित्त मंत्री जी का भाषण होता है और बजट यहां रखा जाता है, उसके दूसरे दिन बड़े-बड़े अखबारों में उसका रिव्यू होता है। हम जब वह समीक्षा पढ़ते हैं तो पढ़ने से दूसरी तस्वीर सामने आती है।

महोदय, मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूं। इन्होंने ट्रैक्टर के ऊपर 2-4 परसैंट टैक्स हटा दिया था लेकिन दूसरी तरफ स्टील के ऊपर टैक्स बढ़ा दिया। हमारे यहां के विद्वान लोगों ने लिखा कि आर्थिक संकल्प कृषि को बढ़ावा देने वाला है। मैं अधिकतर यह बात देखता हूं कि टेलीविजन और फ्रिज के दाम बढ़ गए, कम हो गए, सिगरेट के भाव बढ़ गए, कम हो गए। क्या गांवों में रहने वाले गरीब लोगों पर इसका इफैक्ट पड़ता है। इसका कोई इफैक्ट नहीं पड़ता है। बजट कैसा भी रहा हो, उसका कोई इफैक्ट उनके ऊपर नहीं पड़ता है। न उसको फायदा होता है, न नुकसान होता है। जब तब यह बजट गरीबों तक नहीं जाएगा, जब तक इसका लाभ गरीबों को नहीं मिलेगा तब तक हमारा बजट किताबी और बड़ी-बड़ी बातें करने तक सीमित रह जाएगा।

मैंने देखा कि बिहार को 3225 करोड़ का विशेष पैकेज दिया गया है। मैं महाराष्ट्र से आता हूं। महाराष्ट्र सरकार ने कई प्रोपोजल केन्द्र सरकार के पास भेजे हैं जिनमें नरीमन प्वाइंट बांद्रा लिंकिंग रोड वर्ली का एक प्रोपोजल है। इस योजना पर 3900 करोड़ रुपये लगने हैं। महाराष्ट्र सरकार ने इसके लिए 1580 करोड़ रुपये मांगे

हैं। दूसरा प्रपोजल मुम्बई ट्रांसमीशन हार्बर लाइन के बारे में हैं, जो शिवड़ी से न्हावा-शेवा सागरीय मार्ग का प्रपोजल है। इस योजना में 2700 करोड़ रुपये खर्च होने हैं, इसके लिए 1600 करोड़ रुपये महाराष्ट्र सरकार ने मांगे हैं। इसी तरह से इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात है तथा कई ब्रिजेज बनने की बात है। मुम्बई ऐसा शहर है, जहां से पूरे देश का एक-तिहाई रेवेन्यू मिलता है। यह एक इंटरनेशनल सिटी है। मैं वित्त मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि वह महाराष्ट्र राज्य पर ध्यान दें। जब अगला बजट आयेगा तो वित्त मंत्री जी को इन सब बातों पर जरूर ध्यान देना चाहिए। जब तक कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों की क्या जरूरतें हैं, गरीब लोगों को क्या चाहिए, उनकी खेती को सिंचाई, रोड, बिजली, शिक्षा, रोजगार और गरीब लोगों को मकान की आवश्यकता है, यदि आपने इन चीजों पर ध्यान दिया तो अभी जो बातें सामने आ रही हैं, वे सब बातें यहां नहीं आयेंगी।

सभापति महोदय: आप खत्म कीजिए।

श्री हरिभाऊ राठौड़: सर, महाराष्ट्र में अभी कल की बात है। डा. बंग समिति की रिपोर्ट आई है, जिसमें बताया गया है कि डेढ़ लाख से अधिक गरीब बच्चे अनाज के बिना मर रहे हैं। यह अहवाल वहां की सरकार ने स्वीकार किया है। वहां भी कांग्रेस की सरकार है और यहां भी आपकी सरकार है॥

सभापति महोदय, महाराष्ट्र में कॉटन मोनोपोली स्कीम सरकार द्वारा चलाई जाती है। लेकिन सरकार के पास पैसा नहीं है। हर रोज दो-दो, तीन-तीन हजार ट्रक और गाड़ियां वहां मार्केट में दो-दो दिन तक खड़ी रहती हैं। लेकिन उन्हें देने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है। आज तीन महीने हो गए हैं, मैं चाहता हूं कि आप इसमें मदद करें। कॉटन मोनोपोली स्कीम सरकार के द्वारा किसानों के द्वारा चलाई जाती है। आप इसमें उनकी जरूर मदद कीजिए।

सभापति महोदय: श्री एल.एम. शुक्ला वैध, आप बोलना शुरू कीजिए। राठौड़ जी, आप खत्म कीजिए।

श्री हरिभाऊ राठौड़: सर, आज ऐसे भी लोग हैं जो अपने पेट के लिए बच्चों को बेच रहे हैं। अपनी बेटियों को बेच रहे हैं। कर्नाटक में यह हादसा हुआ है। कल के पेपर में यह घटना आई है और हमने टी.वी. पर भी देखा है। लोग अपने बच्चों को बेच रहे हैं।

सभापति महोदय: आप खत्म कीजिए।

श्री हरिभाऊ राठौड़: मैं एक मिनट में खत्म करता हूं।

सभापति महोदय: एक-एक मिनट करके कितने मिनट हो गये हैं।

श्री हरिभाऊ राठौड़: यदि हम यह सब नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा। यह बात सुनने के लिए हमारे पास एक मिनट भी नहीं है। लोग मर रहे हैं। क्या सरकार बहरी है, सरकार को गरीबों की बात को सुनना चाहिए। ...*(व्यवधान)* आज एक तरफ लोग बहुत गरीब हैं और दूसरी तरफ बहुत अमीर हैं।

सभापति महोदय: आपकी पार्टी का टाइम खत्म हो गया है।

श्री हरिभाऊ राठौड़: इतना कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री ललित मोहन शुक्लवैद्य (करीमगंज): सभापति महोदय, 2004-05 की अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर इस वाद-विवाद में मुझे भाग लेने का अवसर देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

महोदय, हमारे बजट का उद्देश्य राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम को पूरा करना है। जैसाकि आप जानते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था मुख्यत: कृषि पर निर्भर है और यही कारण है कि ग्रामीण विकास, कृषि, शिक्षा, नई प्रौद्योगिकी और छोटे तथा परंपरागत उद्योगों पर अधिकतम ध्यान दिया जाता है। कृषि में निवेश में वृद्धि किये बिना हमारी अर्थव्यवस्था विकसित नहीं हो सकती तथा हम अपेक्षित वृद्धि दर प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए हमारी सरकार ग्रामीण क्षेत्र में निवेश लगभग दोगुना करने जा रही है।

प्रतिपक्ष से अभी थोड़ी देर पहले एक माननीय सदस्य, ग्रामीण लोगों की स्थिति के बारे में बता रहे थे। अपने ग्रामीण लोगों की स्थिति हम सभी जानते हैं और यही कारण है कि सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में निवेश दोगुना कर दिया गया है। जो प्रमुख वास्तविक प्रयास सरकार ने किया, वह है 100 दिन के रोजगार की गारंटी का प्रावधान।

हम जानते हैं कि इसके क्रियान्वयन के बाद गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। वे उत्पादन प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं जिससे कि हमारे सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि में सहायता मिलेगी। कुछ आर्थिक बाधाएं हो सकती हैं, परन्तु हम जानते हैं कि हमारे वित्त मंत्री अभिनव दर्शन और पहल करने वाले हैं तथा हम इसका सामना कर सकते हैं।

अभी दो घंटे पहले प्रतिपक्ष के एक माननीय सदस्य, हमारी अर्थव्यवस्था का बहुत निराशाजनक दृश्य प्रस्तुत कर रहे थे। वह

[श्री लालेत मोहन शुक्लवैद्य]

बता रहे थे कि किस प्रकार एक बच्चे का विकास हो रहा है तथा वह दर्शाता है कि अर्थव्यवस्था किस प्रकार विकसित होगी। मैं बताना चाहता हूं कि किस प्रकार बच्चे का विकास हो रहा है तथा किस प्रकार हमारी अर्थव्यवस्था विकसित हो रही है। हालांकि 12 प्रतिशत की अपर्याप्त वर्षा, पेट्रोलियम उत्पादों का अधिक मूल्य जैसी कई कठिनाइयां हैं, हम देखते हैं कि वित्त वर्ष के पहले पांच माह में अप्रत्यक्ष करों से हमारी राजस्व वसूली में 12.59 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वर्ष के पहले छह माह में आठ प्रतिशत औद्योगिक वृद्धि दर्ज की गई। उत्पादन क्षेत्र में 8.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई। सितंबर 2004 के निर्यात आंकड़े 25 प्रतिशत की जबरदस्त वृद्धि दर्शाते हैं। बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजनाओं का 56 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है और अक्तूबर 2004 तक विद्युत उत्पादन में 7.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की, जबकि इस अवधि में पिछले वर्ष यह वृद्धि 6.9 प्रतिशत थी। टेलीफोन के क्षेत्र में हमने बहुत अच्छी वृद्धि की। अक्तूबर 2004 में मोबाइल और लैंडलाइन फोनों की कुल संख्या 88.4 मिलियन थी। यह पिछले वर्ष के मुकाबले 27 प्रतिशत अधिक है, पिछले वर्ष यह 69.6 मिलियन थी। जिस प्रकार हम आगे बढ़ रहे हैं, यह उसका चित्रण है।

ध्यान देने योग्य एक बहुत अच्छी बात यह है कि एटी केरजी द्वारा विश्व रेटिंग में भारत को अमरीका से बेहतर उत्पादन स्थान माना गया है। विश्व की 2000 सर्वश्रेष्ठ कंपनियों की फॉर्बस की सूची में 100 बिलियन से कम टर्नओवर वाली भारत की 20 कंपनियां हैं। पूरे विश्व के निवेशकों के लिए यह बहुत उत्साहवर्धक है। यह हमारी अर्थव्यवस्था की संभाव्यता और शक्ति है।

मैं पूर्वोत्तर क्षेत्र विशेषकर अपने असम राज्य के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। हाल ही में, माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने हमारे क्षेत्र का दौरा किया तथा उनके दौरे के कारण हमारे क्षेत्र के गरीब लोग और किसान बहुत उत्साहित हैं। उन्हें आशा है कि बहुत जल्द उनका जीवन बदल जाएगा क्योंकि हमारा क्षेत्र बहुत ही पिछड़ा हुआ और अविकसित है। हालांकि हमारे यहां विकास की बहुत संभाव्यता है, परन्तु किसी भी सरकार ने इसका उचित उपयोग नहीं किया। हमारी मुख्य समस्या परिवहन की है। यह हमारे विकास के रास्ते की बाधा है। हमारे राज्य के बहुत से भाग रेल अथवा सड़क से अच्छी तरह नहीं जुड़े हुए हैं।

मेरा संबंध बराक घाटी से है। बराक घाटी ऐसा स्थान है जहां कोई रेल संपर्क नहीं है। वहां गुवाहाटी को जोड़ने वाली एक मीटर गेज लाइन थी तथा लम्डिंग तक बड़ी लाइन के रूप में परिवर्तन के नाम पर इसे हटा दिया गया। अब वहां केवल एक मीटरगेज लाइन है। वहां कोई डाक रेलगाड़ी नहीं है और वहां अक्सर रेलगाड़ियों की सेवाएं निलंबित की जाती हैं, जिससे लगभग सभी संचार संपर्क टूट जाते हैं। बड़ी लाइन का निर्माण लगभग सात अथवा आठ वर्ष पहले आरंभ हुआ था। पिछली सरकार केवल 25 प्रतिशत कार्य ही पूरा कर सकी और यह सरकार की ही लापरवाही है, जिसके ईमानदार प्रयासों के बिना हमें बड़ी लाइन नहीं मिल सकती।

सायं 6.00 बजे

सभापति महोदय: आप कितना समय लेंगे।

श्री ललित मोहन शुक्लवैद्य: मैं मात्र दो मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा।

अब संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार ने कार्य को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है क्योंकि इसके पूरा होने के बगैर बड़ी लाइन त्रिपुरा, मणिपुर अथवा अन्य स्थानों तक नहीं जा पाएंगी। हमारी कृषि अत्यंत अविकसित है। हमें वहां प्रौद्योगिकी लागू करने की जरूरत है। क्योंकि वहां प्रौद्योगिकी लागू किये वगैर, हम अपने कृषि को विकसित नहीं कर पाएंगे। हमारे पास कृषि योग्य भूमि भी है जिसे कृषि प्रयोजन हेतु उपयुक्त बनाने की जरूरत है। हमारे पास दलदल भूमि भी है, हम प्रौद्योगिकी का उपयोग करके वहां वर्ष में एक बार फसल ले सकते हैं।

महोदय, हमें प्रत्येक वर्ष ब्रह्मपुत्र और बराक तथा उनकी सहायक नदियों में आने वाली बाढ़ का सामना करना पड़ता है और इससे हमें लाखों रुपयों की हानि उठानी पड़ती है। ब्रह्मपुत्र और बराक का तलकर्षण करने का प्रस्ताव था। इसका क्रियान्वयन किए जाने की जरूरत है। हमें बाढ़ों को नियंत्रित करने की जरूरत है।

हमें अपने चाय उद्योग पर गर्व है। इसे काफी राजस्व की प्राप्ति होती है। प्रत्येक दिन करीब 5 लाख लोग इस उद्योग में कार्यरत रहते हैं। परन्तु यह उद्योग रुग्ण होने जा रहा है। सरकार को आवश्यक रूप से कुछ कार्रवाई करनी चाहिए। पिछली सरकार ने पथनी नामक एक बागान को अपने हाथों में लिया था परन्तु सरकार ने यह बागान अब त्याग दिया है जिसकी वजह से सभी श्रमिक बेरोजगार हो गए हैं और वे अमानवीय परिस्थितियों में दिन गुजार रहे हैं।

हमारे राज्य में एक विचित्र समस्या है। हमारे यहां स्वीकृत व मान्यता प्राप्त विद्यालयों और महाविद्यालयों में कुछ शिक्षक कार्यरत हैं। वे सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों की तरह सभी कार्य करते हैं परन्तु उन्हें कोई वेतन नहीं मिलता है। इसलिए मैं पहले की

ही तरह यह अनुरोध करता हूं कि हमें मानव संसाधन विकास मंत्रालय को मिलने वाले दो प्रतिशत उपकर में से कुछ हिस्सा छोड़ना चाहिए ताकि हमारे शिक्षकों को वेतन का भुगतान किया जा सके। मैं, इन्हीं शब्दों के साथ, माननीय वित्त मंत्री द्वारा संसद में रखी गयी अनुपूरक अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं।

सभापति महोदय: अब सभा 21 दिसम्बर, 2004 के पूर्वाह्न 11.00 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

सायं 6.02 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 21 दिसंबर, 2004/30 अग्रहायण, 1926 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अनुबंध I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	तारांकित प्रश्नों की संख्या
1	2	3
1.	श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार	263
2.	श्री सुकदेव पासवान श्री महबूब जहेदी	264
3.	श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी श्री खीरेन रिजीजू	265
4.	श्री इकबाल अहमद सरडगी डा. एम. जगन्नाथ	266
5.	श्री रायापति सांबासिवा राव	267
6.	श्री बी. विनोद कुमार	268
7.	श्री रामदास आठवले	269
8.	श्री मोहन रावले श्री कैलाश मेघवाल	270
9.	श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव श्री आनन्दराव विठोबा अडसूल	271
10.	श्री नवजोत सिंह सिद्धू	272
11.	श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी श्री ब्रजेश पाठक	273
12.	श्री कीर्ति वर्धन सिंह श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक	274
13.	श्री एस.पी.वाई. रेड्डी श्री पी.एस. गढ़वी	275
14.	श्री चन्द्रकांत खैरे श्री ए.के. मूर्ति	276
15.	श्री तथागत सत्पथी श्री एम. राजा मोहन रेड्डी	277
16.	श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता श्री जसुभाई दानाभाई बारड़	278
17.	श्री कमला प्रसाद रावत श्री धर्मेन्द्र प्रधान	279
18.	श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील	280
19.	श्री सुरेश कलमाड़ी श्री सुनिल कुमार महतो	281
20.	श्री अजय चक्रवर्ती	282

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	अबदुल्लाकुट्टी, श्री	3040
2.	अडसूल, श्री आनंदराव विठोबा	3098, 3105
3.	अहमद, श्री अतीक	2972, 3096
4.	अहीर, श्री हंसराज जी.	3120
5.	अजय कुमार, श्री एस.	3034
6.	अंगड़ि, श्री सुरेश	2992, 3108
7.	आठवले, श्री रामदास	3110, 3133, 3167
8.	आजमी, श्री इलियास	3011, 3020, 3131, 3177
9.	बंसल, श्री पवन कुमार	3042
10.	बारड़, श्री जसुभाई दानाभाई	3031, 3128
11.	बर्मन, श्री हितेन	2968, 3091
12.	बर्मन, श्री रनेन	3080
13.	बखला, श्री जोवाकिम	3080
14.	भडाना, श्री अवतार सिंह	3048, 3171
15.	भक्त, श्री मनोरंजन	3063, 3133, 3164
16.	बिश्नोई, श्री कुलदीप	3050, 3152

1	2	3
17.	बोस, श्री सुव्रत	3080
18.	चक्रवर्ती, श्री अजय	3122, 3133
19.	चालिहा, श्री किरिप	2994, 3176
20.	चन्देल, श्री सुरेश	2966, 3138
21.	चन्द्रप्पन, श्री सी.के.	2999, 3109
22.	चारेनामै, श्री मणि	3084, 3189
23.	चव्हाण, श्री हरिश्चन्द्र	3038, 3048
24.	चिन्ता मोहन, डा.	3009
25.	चौधरी, श्रीमती अनुराधा	3162
26.	चौधरी, श्री निखिल कुमार	3039, 3045, 3165, 3184
27.	चौहान, श्री शिवराज सिंह	3055, 3137
28.	चौधरी, श्री पंकज	3111, 3173
29.	चौधरी, श्री अधीर	3030, 3059, 3140, 3181
30.	चौधरी, श्री विकास	2979, 3101
31.	दासगुप्त, श्री गुरूदास	3060, 3159
32.	देशमुख, श्री सुभाष सुरेशचन्द्र	2975, 3146
33.	धोत्रे, श्री संजय	3071
34.	दूबे, श्री चन्द्र शेखर	3064, 3188
35.	गदाख, श्री तुकाराम गंगाधर	3133
36.	गढ़वी, श्री पी.एस.	3134
37.	गमांग, श्री गिरिधर	3049, 3130, 3151
38.	गांधी, श्रीमती मेनका	3035, 3142
39.	गंगवार, श्री संतोष	3073, 3169
40.	गोयल, श्री सुरेन्द्र प्रकाश	3014, 3048, 3125
41.	गुढ़े, श्री अनंत	3085
42.	हमजा, श्री टी.के.	3040
43.	हर्ष कुमार, श्री जी.वी.	3077, 3172
44.	जगन्नाथ, डा. एम.	3160
45.	जटिया, डा. सत्यनारायण	3054
46.	झा, श्री रघुनाथ	3010, 3121
47.	जिन्दल, श्री नवीन	3068
48.	जोगी, श्री अजीत	3083, 3180, 3187
49.	कनोडीया, श्री महेश	2970
50.	खैरे, श्री चन्द्रकांत	3117
51.	खां, श्री सुनील	2995
52.	खन्ना, श्री अविनाश राय	3031
53.	खारवेनथन, श्री एस.के.	3079, 3113, 3180, 3183
54.	कोली, श्री रामस्वरूप	2974, 2997
55.	कौशल, श्री रघुवीर सिंह	2989, 3104
56.	कोया, डा. पी.पी.	3076
57.	कृष्ण, श्री विजय	3183
58.	कुलस्ते, श्री फग्गन सिंह	3026, 3137
59.	कुन्नुर, श्री मंजुनाथ	3133
60.	कुशवाहा, श्री नरेन्द्र कुमार	3004, 3044, 3082, 3120, 3185
61.	'ललन', श्री राजीव रंजन सिंह	3009
62.	माडम, श्री विक्रमभाई अर्जनभाई	2983, 3102, 3118
63.	माधवराज, श्रीमती मनोरमा	3019
64.	महाजन, श्रीमती सुमित्रा	3015
65.	महाजन, श्री वाई.जी.	2980, 3173

1	2	3
66.	महतो, श्री बीर सिंह	3016, 3129
67.	महतो, श्री सुनिल कुमार	3107, 3129
68.	महतो, श्री टेकलाल	3025, 3136
69.	माझी, श्री परसुराम	2991, 3066, 3127
70.	मंडल, श्री सनत कुमार	3022, 3132
71.	मंडलिक, श्री सदाशिवराव दादोबा	3116
72.	मांझी, श्री राजेश कुमार	2988, 3103
73.	मेघवाल, श्री कैलाश	3069, 3088, 3133, 3179
74.	मेहता, श्री आलोक कुमार	3075
75.	मिश्रा, डा. राजेश	3014, 3048, 3125
76.	मिस्त्री, श्री मधुसूदन	3014, 3048, 3125
77.	मोदी, श्री सुशील कुमार	3006, 3115
78.	मोघे, श्री कृष्ण मुरारी	3055, 3070, 3168
79.	मोहन, श्री पी.	3005
80.	मुकीम, मो.	3067
81.	मोहिते, श्री सुबोध	3062
82.	मोल्लाह, श्री हन्नान	3112
83.	मूर्ति, श्री ए.के.	3093, 3193
84.	मुन्शी राम, श्री	3996, 3004, 3161, 3162, 3173
85.	मुर्मू, श्री रूपचन्द	3074, 3170
86.	नायर, श्री पी.के. वासुदेवन	2999
87.	नम्बाडन, श्री लोनाप्पन	3018
88.	नरबुला, श्री डी.	3056, 3157
89.	नरहिरे, श्रीमती कल्पना रमेश	3031, 3075, 3133
90.	नायक, श्री अनन्त	2982, 3090, 3180, 3186
91.	निखिल कुमार, श्री	3030, 3140, 3181
92.	निषाद, श्री महेन्द्र प्रसाद	3184
93.	ओराम, श्री जुएल	2967, 3090, 3191
94.	ओवेसी, श्री असादूद्दीन	2976, 3116, 3178
95.	पलनिसामी, श्री के.सी.	2981
96.	पाण्डा, श्री प्रबोध	3043, 3129, 3145
97.	परस्ते, श्री दलपत सिंह	2969, 3092, 3133
98.	पासवान, श्री रामचन्द्र	3003, 3190
99.	पाटसाणी, डा. प्रसन्न कुमार	3017, 3130
100.	पटेल, श्री दिनशा	3007
101.	पटैरिया, श्रीमती नीता	3137
102.	पाठक, श्री ब्रजेश	3027, 3100, 3133, 3185
103.	पाटील, श्री बालासाहिब विखे	3075, 3133
104.	पाटील, श्री श्रीनिवास दादासाहेब	3086, 3192
105.	पिंगले, श्री देविदास	3004, 3048, 3161, 3162, 3173
106.	प्रसाद, श्री हरिकेवल	3000, 3020, 3075, 3124, 3131
107.	रामदास, प्रो. एम.	2987, 3106, 3182

1	2	3
108.	रामकृष्ण, श्री बाडिगा	2998, 3150
109.	राणा, श्री काशीराम	3011, 3123
110.	राव, श्री के.एस.	2993, 3179
111.	राव, श्री रायापति सांबासिवा	3113, 3114
112.	राव, श्री डी. विट्टल	3023
113.	राठौड़, श्री हरिभाऊ	3072, 3167
114.	रावले, श्री मोहन	3060, 3075, 3175, 3185
115.	रावत, श्री अशोक कुमार	3046, 3148
116.	रावत, श्री कमला प्रसाद	3173
117.	रावत, प्रो. रासा सिंह	2990, 3177
118.	रेड्डी, श्री जी. करूणाकर	3001, 3126, 3177
119.	रेड्डी, श्री मधुसूदन	3065
120.	रेड्डी, श्री एम. श्रीनिवासुलु	2964, 3095
121.	रेड्डी, श्री एस.पी.वाई.	3087
122.	रेड्डी, श्री सुरवरम सुधाकर	3112
123.	रेंगे पाटील, श्री तुकाराम गणपतराव	3012, 3016, 3023, 3107
124.	रिजीजू, श्री खीरेन	3133
125.	साई प्रताप, श्री ए.	3027
126.	सज्जन कुमार, श्री	3024, 3135
127.	सांगवान, श्री किशन सिंह	3069
128.	सरडगी, श्री इकबाल अहमद	3075, 3113, 3114
129.	शर्मा, डा. अरूण कुमार	3057
130.	सरोज, श्री तूफानी	2973
131.	सतीदेवी, श्रीमती पी.	3040
132.	सत्पथी, श्री तथागत	3119
133.	सिंधिया, श्री ज्योतिरादित्य माधवराव	3061, 3163
134.	सेन, श्रीमती मिनाती	3033
135.	सेनथिल, डा. आर.	2984
136.	सेठी, श्री अर्जुन	3029
137.	शाहीन, श्री अब्दुल रशीद	3082, 3141
138.	शाक्य, श्री रघुराज सिंह	3039, 3184
139.	शर्मा, श्री मदन लाल	2986
140.	शिवाजीराव, श्री अधलराव पाटील	3105
141.	शिवन्ना, श्री एम.	3052, 3154
142.	शिवनकर, प्रो. महादेवराव	2996, 3004, 3050, 3161, 3162
143.	शुक्ला, श्रीमती करूणा	2977, 3120
144.	सिद्धू, श्री नवजोत सिंह	3152
145.	सिंह, श्री लक्ष्मण	3051, 3153
146.	सिंह, श्री चन्द्रभूषण	3044, 3114, 3147
147.	सिंह, श्री चन्द्रभान	3026, 3028, 3137, 3139
148.	सिंह, श्री दुष्यंत	3066, 3166
149.	सिंह, श्री गणेश	3028, 3036
150.	सिंह, श्री कीर्ति वर्धन	3116, 3183
151.	सिंह, श्री प्रभुनाथ	3021, 3174
152.	सिंह, श्री सीताराम	3002, 3156
153.	सिंह, श्री सुग्रीव	3078, 3182
154.	सिंह, श्री सूरज	3047, 3149
155.	सोनोवाल, श्री सर्वानन्द	3037, 3143
156.	सुब्बा, श्री मणी कुमार	2975, 3097
157.	ठक्कर, श्रीमती जयाबहन बी.	2978, 3099

1	2	3
158.	थामस, श्री पी.सी.	3053, 3155
159.	तुम्मर, श्री वी.के.	3014, 3041, 3048, 3125, 3144
160.	त्रिपाठी, श्री बृज किशोर	3048, 3058, 3116, 3128, 3158
161.	वर्मा, श्री रतिलाल कालीदास	3038, 3048, 3173
162.	वसावा, श्री मनसुखभाई डी.	3012, 3123, 3124
163.	वर्मा, श्री राजेश	3081, 3183
164.	विनोद कुमार, श्री बी.	3054, 3089
165.	वीरेन्द्र कुमार, श्री	2985
166.	यादव, श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु	3116
167.	यादव, श्री बालेश्वर	2971, 3094
168.	यादव, श्री गिरिधारी	3000, 3023, 3177
169.	यादव, श्री पारसनाथ	3048
170.	यादव, श्री राम कृपाल	3013
171.	यादव, श्री सीता राम	3075
172.	येरननायडु, श्री किन्जरपु	3008, 3118

अनुबंध II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालयवार अनुक्रमणिका

कृषि	:	264, 266, 267, 269, 271, 274, 280, 281, 282
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण	:	263, 265, 272, 279
पर्यावरण और वन	:	268, 273, 278
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	:	
श्रम और रोजगार	:	276
पर्यटन	:	270, 275
जल संसाधन	:	277
युवक कार्यक्रम और खेल	:	

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

कृषि	:	2972, 2974, 2975, 2976, 2980, 2981, 2982, 2983, 2984, 2992, 2993, 3001, 3002, 3005, 3006, 3007, 3008, 3009, 3016, 3022, 3025, 3026, 3029, 3039, 3045, 3050, 3052, 3055, 3056, 3068, 3061, 3067, 3070, 3072, 3076, 3077, 3078, 3082, 3085, 3086, 3089, 3090, 3095, 3098, 3100, 3104, 3107, 3109, 3114, 3123, 3124, 3126, 3128, 3129, 3135, 3138, 3139, 3141, 3146, 3148, 3155, 3157, 3160, 3163, 3168, 3172, 3183, 3189, 3193
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण	:	2964, 2973, 2988, 2999, 3003, 3010, 3027, 3030, 3031, 3033, 3075, 3081, 3094, 3111, 3119, 3121, 3131, 3140, 3153, 3162, 3167, 3170, 3174, 3177
पर्यावरण और वन	:	2969, 2971, 2977, 2985, 2986, 2990, 2994, 3011, 3012, 3013, 3014, 3017, 3020, 3035, 3038, 3040, 3041, 3044, 3049, 3063, 3069, 3080, 3084, 3092, 3093, 3099, 3105, 3118, 3125, 3127, 3130, 3137, 3142, 3147, 3149, 3151, 3158, 3164, 3165, 3171, 3176, 3192
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	:	2970, 3023, 3036, 3106, 3182
श्रम और रोजगार	:	2979, 2987, 2991, 3000, 3004, 3034, 3042, 3047, 3053, 3060, 3066, 3083, 3101, 3112, 3117, 3120, 3122, 3133, 3143, 3159, 3178, 3181, 3191
पर्यटन	:	2967, 2997, 2998, 3019, 3021, 3024, 3037, 3046, 3059, 3068, 3071, 3079, 3096, 3097, 3102, 3103, 3116, 3132, 3134, 3156, 3173
जल संसाधन	:	2965, 2966, 2968, 2978, 2989, 2995, 2996, 3018, 3028, 3043, 3048, 3054, 3062, 3064, 3074, 3085, 3087, 3091, 3108, 3110, 3113, 3115, 3134, 3150, 3161, 3166, 3175, 3185, 3186, 3187, 3188
युवक कार्यक्रम और खेल	:	3015, 3032, 3051, 3057, 3065, 3073, 3136, 3145, 3152, 3154, 3169, 3179, 3180, 3184, 3190.

© 2004 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (ग्यारहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और मैसर्स जैनको आर्ट इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।